IDBI BANK
CIN: L65190MH2004GOI148838

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : आईडीबीआई टॉवर,
डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड,
मुंबई - 400 005.
टेलिफोन : (+91 22) 6655 3355, 2218 9111
फैक्स : (+91 22) 2218 0411
वेबसाइट : www.idbi.com

IDBI Bank Limited
Regd. Office : IDBI Tower,
WTC Complex, Cuffe Parade,
Mumbai - 400 005.
TEL.: (+91 22) 6655 3355, 2218 9111
FAX : (+91 22) 2218 0411
Website : www.idbi.com

सितम्बर ०६, २०१८

The Manager (Listing) National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No.C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra(E), Mumbai - 400 051	The Manager (Listing) Bombay Stock Exchange Ltd., 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001

Dear Sir,

Annual Report for FY 2017-18

In terms of Regulation 34 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find attached the Annual Report of IDBI Bank for the FY 2017-18.

Kindly acknowledge receipt and take the above on record.

भवदीय,
कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

6/09/18
[पवन अग्रवाल]
कंपनी सचिव

वार्षिक रिपोर्ट 2017 - 18
Annual Report 2017 - 18

IDBI BANK

एक नई राह की ओर
Charting a New Course

आईडीबीआई बैंक लि. की हिन्दी पत्रिका 'विकास प्रभा' को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार

माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के करकमलों से राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करते हुए आईडीबीआई बैंक के एमडी एवं सीईओ महेश कुमार जैन साथ में मौजूद हैं माननीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह।

मुंबई। आईडीबीआई बैंक लि. की हिन्दी गृह पत्रिका 'विकास प्रभा' को राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं की श्रेणी के अंतर्गत 'ख' क्षेत्र में वर्ष 2016-17 के लिए भारत सरकार का प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार गृह मंत्रालय द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह में भारत के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के करकमलों से आईडीबीआई बैंक के एमडी एवं सीईओ महेश कुमार जैन ने ग्रहण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सिंह ने की माननीय गृह मंत्री गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर एवं किरेन रीजीजू तथा सचिव (राजभाषा) प्रभास

IDBI Bank to focus on retail, priority sectors

CHENNAI: Public sector lender IDBI Bank has set into motion an aggressive turnaround strategy with a focus to build a robust retail portfolio, enhance its capital base and strengthen customer relationships.

At a meeting held on Thursday, Rabinarayan Panda, Field Chief General Manager, Chennai Zone, remarked that while 2016-17 posed challenges, the bank's major thrust would be on rebalancing the business portfolio in coming months. The bank will tap into emerging opportunities to grow its business, with a vision to propel the retail and priority sector books notably.

Panda says, "In fact, the bank has made headway as evidenced in the rising share of retail advances to 43 per cent as at end-March 2017 from 33 per cent as at end-March 2016. The Bank's Current and Savings Account (CASA) deposits as well as Retail Term Deposits both grew by over 22 per cent during the year. Also, the share of these two deposits increased to over 31 pc and 32 pc, during the year."

The bank has also set its sight on a few short-term goals.

Panda explains, "The recovery of bad loans and prevention of further slippages will be a priority area for the bank in the short term. The bank will look at reducing its operational cost and it may raise about Rs 5,000 crore by selling non-core assets in the current fiscal."

Giving a breakup of figures in the Chennai Zone, Panda says, "The Chennai Zone has 116 retail branches with Rs 16,863 cr of retail business. The CASA and Retail Term Deposits registered a strong growth of 39 pc and 25 pc respectively during the FY 2016-17. The Structured Retail Loan Portfolio has grown by 8 pc. The Priority Sector Loan Book of the zone stands at 73 pc as against the prescribed 40 pc. The Advance to Agriculture sector and Micro Segment constitutes 36 pc and 28 pc respectively. Gross NPA in Structured Loan Portfolio stands at 1.28 pc. The Zone has chalked out plans to grow all its books by more than 25 pc and contain the Gross NPA at below 1% level in structured retail assets during the FY 2017-18." The Bank's NPAs was pegged at Rs 45,000 cr.

IDBI Bank improves Audit Systems

Mumbai, March 27, 2018: IDBI Bank has initiated a Quality Assurance Audit (QAA) to further strengthen and enhance its Internal Audit function and align it with prevailing best practices. For this purpose, the Bank had appointed an external expert who was very much associated with the audit reforms in the PSBs. The scope of QAA included, inter alia, i) review of the internal audit framework (policies, processes, procedures, reporting structures, formats etc) of the Bank and integration thereof with Risk Based Supervision; ii) and audit observations reflect the risk severity of the branches, in terms of business performance, adherence to the laid down procedures, regulatory compliances etc.; iii) to Benchmark, identify and recommend good/successful practices of Internal Audit, particularly taking cognisance of prevailing practices in the market, iv) to assess compliance to standards for professional practice of Internal Audit, etc. The assignment is expected to be completed by April 2018 and the Bank is determined to implement the suggestion of QAA immediately . to

IDBI BANK WINS VIGILANCE EXCELLENCE AWARD

ACHIEVEMENT: Suneet Kumar Mathur, Executive Director & CVO of IDBI Bank Ltd receiving the Vigilance Excellence Award 2017 for excellent contribution in the category of 'Vigilance Awareness Initiative', from Vice President M Venkaiah Naidu, in a programme held at Vigyan Bhawan, New Delhi on October 30. Minister of State Dr Jitendra Singh and Central

IDBI Bank crafts turnaround plan

MUMBAI, DHNS: IDBI Bank has announced that it has crafted a comprehensive turnaround strategy, which includes restricting corporate loan book growth, raising additional capital and non core asset sales to reduce operational costs.

Aggressive recovery and prevention of further slippages

the quarter ended March 31, 2017, compared with a loss of Rs 1,736 crore in the same period last year. The bank's gross

crore through the ment's subscription to erential share allotmen this year, which enha Common Equity Tier Furthermore, Life In Corporation of India subscribed to the ban erential equity issue, II said.

"Additionally, CAR improved through sal

IDBI BANK LAUNCHES 'WINNINGS' RUPAY SELECT CREDIT CARD

IDBI Bank has announced the launch of 'Winnings' Rupay Select Credit Card that offers a range of travel, shopping and dining privileges and also enables earning of rewards points on every spend. The credit card has been launched in association with National Payments Corporation of India (NPCI). This product is similar to the international credit cards offered by VISA and MasterCard. The 'Winnings' RuPay Select Credit Card is a premium credit card variant and is at par with the premium Card variants of International Card networks which is Visa Signature and MasterCard World. KP Nair, DMD of IDBI Bank inaugurating the 'Winnings' Rupay Select Credit Card. Also seen in the picture are Dr Saumya S Banerjee, ED

IDBI Bank sets up department to manage bad loans

• AGENCIES
Hyderabad

IDBI Bank has created a special department for managing bad loans and monitoring credit after taking a series of hits which include being put "under watch" by RBI and a downgrade by credit rating agencies, which raised concerns on the lender including on fresh loans and dividend distribution.

Domestic rating agency Icra downgraded various debt instruments of the state-run bank on account of weak profitability and deteriorating asset quality, which have resulted in erosion of its capital.

आईडीबीआई बैंक का रिटेल लोन 33% बढ़ा

भास्कर न्यूज़|चंडीगढ़

आईडीबीआई बैंक काफी मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने के बाद अब एक नई रणनीति के तहत रिटेल वर्ग में नए ग्राहकों तक पहुंच रहा है। ग्राहकों को आवास ऋण, वाहन ऋण, शिक्षा ऋण आदि प्रदान करते हुए अलग अलग ग्राहक वर्गों का दायरा बढ़ाया जा रहा है। बीते वित्त वर्ष में बैंक का रिटेल लोन सेग्मेंट 33 प्रतिशत बढ़त दर्ज करने में सफल रहा है।

कुमार नील लोहित, सीजीएम एवं जोनल हैड, चंडीगढ़ ने बताया कि बैंक के चंडीगढ़ जोन ने बीते वित्त वर्ष में 22 नई बैंक शाखाओं को खोला है और इस क्षेत्र में बैंक का ब्रांच नेटवर्क 155 तक पहुंच गया है। इस साल हम ग्राहक आधार बढ़ाने और एमएसएमई वर्ग को बैंक को जोड़ने पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस साल हम अच्छी खासी संख्या में नया ग्राहक वर्ग बैंक की शाखाओं से जोड़ने में सफल होंगे।

IDBI Bank only PSB to get 'high' rating for code compliance

8 private banks and 3 foreign lenders also get 'high' rank

OUR BUREAU
Mumbai, June 13

If you are already a bank customer, either a depositor or a borrower, or a prospective customer, you may want to check the lender's code compliance

Citibank, HSBC and Standard Chartered Bank — that were surveyed got 'high' ranking.

The public sector banks, the ratings of which improved in the latest round, are: Central Bank of India, Corporation Bank, UCO Bank and Union Bank of India, with their rating going up to AA from A.

The public sector banks, the ratings of which came down a notch, are: Andhra Bank and Bank of Maharashtra (to A from AA).

विषयवस्तु

कॉरपोरेट विहंगावलोकन

ii एक नई राह की ओर

iv यथा 25 मई 2018 को निदेशक मंडल और कार्यपालक निदेशकगण

vi प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का संदेश

x कुछ प्रमुख गतिविधियां

xiv पुरस्कार एवं सम्मान

सांविधिक रिपोर्ट

2 निदेशकों की रिपोर्ट

14 प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण

44 कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

वित्तीय विवरण

138 एकल वित्तीय विवरण

236 समेकित वित्तीय विवरण

328 पिलर III प्रकटन

Contents

Corporate Overview

ii Charting a New Course

iv Board of Directors & Executive Directors as on May 25, 2018

vi Managing Director & CEO’s Message

x Some Major Events

xiv Awards & Accolades

Statutory Reports

8 Directors’ Report

29 Management Discussion and Analysis

91 Corporate Governance Report

Financial Statements

138 Standalone Financial Statements

236 Consolidated Financial Statements

328 Pillar III Disclosures

एक नई राह की ओर

भारतीय बैंकिंग उद्योग तीव्र और गहन बदलाव के दौर से गुजर रहा है. उद्योग क्षेत्र को हाल के पिछले दिनों में विकट समय का सामना करना पड़ा और कई चुनौतियां अभी भी बाकी हैं. इस कठिन माहौल में विकास को गति देने के लिए सकेंद्रित रणनीति तैयार करना सबसे अधिक जरूरी है. साथ ही, जोखिम प्रबंधन के लिए मजबूत प्रक्रिया स्थापित करना, अनुपालन सुनिश्चित करना और आस्ति गुणवत्ता नियंत्रित करना अत्यंत जरूरी है.

पिछले एक वर्ष में आईडीबीआई बैंक ने एक समग्र कायापलट कार्यक्रम की शुरुआत की तथा इस दिशा में कई कदम उठाए. इस कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पावधि मूल्य की वसूली और साथ ही आईडीबीआई बैंक को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए दीर्घावधि रणनीति में बदलाव पर ध्यान केंद्रित किया गया. विशेष रूप से, अपने कायापलट प्रयासों को तेज करने और वित्तीय कार्य निष्पादन में सुधार के लिए बैंक ने 'प्रोजेक्ट निश्चय' की शुरुआत की.

कायापलट कार्यक्रम को इस दृढ़ विश्वास के साथ तैयार किया गया कि बैंक के कर्मचारी बैंक के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं. निश्चित रूप से संपूर्ण संस्था में सबके साथ सकेंद्रित तालमेल रखते हुए ही आईडीबीआई बैंक अपने कार्य निष्पादन को सुधारने में सफल हुआ है.

प्रोजेक्ट निश्चय के संदर्भ में चार स्तम्भ के अंतर्गत 100 से भी अधिक पहल कार्य अभिनिर्धारित किए गए तथा उनकी शुरुआत की गई. इन पहल कार्यों का प्रभाव बैंक के मुख्य कार्य क्षेत्रों पर देखा जा सकता है :

- द्रुत, उच्च गुणवत्ता वाले कारोबार और शुल्क आय में वृद्धि : शाखा नेटवर्क को समावेशिता बढ़ाने, विश्लेषण, डिजिटल सक्रियण और अंगीकरण के माध्यम से कारोबार अभिप्रेरक तैयार करने के लिए निर्देश देना.
- वृद्धि में सहायता के लिए चुस्त परिचालन को बढ़ाना : आउटसोर्स किए गए बिक्री फोर्स को तर्कसंगत बनाना, आंतरिक लागत नीतियों को फिर से तैयार करना, एटीएम नेटवर्क, करेंसी चेस्ट और एपीयू परिचालन का इष्टतम उपयोग.
- जोखिम और आस्ति गुणवत्ता का कड़ाई से प्रबंधन : जोखिम भारित आस्ति कम करना तथा दबावग्रस्त आस्ति प्रबंध प्रक्रिया एवं संरचना के संदर्भ में पूँजी के इष्टतम उपयोग संबंधी सुधार.
- व्यस्त, कर्मठ और सकेंद्रित कार्यबल : संप्रेषण एवं व्यवसाय गतिविधियाँ, पुरस्कार और सम्मान कार्यक्रम, बिक्री अभियानों को रैंकिंग देना एवं उन्हें अति सरल और रोचक बनाना.
- सरल और कारगर प्रक्रिया : कार्यनिष्पादन समीक्षा में सामंजस्य की स्थापना, आंकड़ों की गुणवत्ता और दृश्यता में सुधार, आंतरिक आईटी क्षमता और संरचना को फिर से तैयार करना.

Charting a New Course

The Indian banking industry is undergoing a rapid and profound evolution. Industry players across the board faced turbulent times in the recent past and many challenges are far from over. In this tough environment, building a focused strategy is of pivotal importance for driving growth. At the same time, it is vital to establish strong processes to manage risk, ensure compliance and control asset quality.

In the last one year, IDBI Bank initiated a holistic turnaround programme by taking various steps in this direction. The programme focused on short-term value realisation as well as long term strategic changes to lead IDBI Bank to new heights. Particularly, the Bank has launched 'Project Nishchay' to accelerate its turnaround effort and improve financial performance.

The turnaround programme was founded on the strong belief that its employees are of utmost importance for the Bank. Indeed, it is only through the synchronised orchestration of the entire organisation that IDBI Bank has been able to improve its performance.

More than 100 initiatives, under four pillars, were identified and initiated in the context of Project Nishchay. These initiatives span across key areas of the Bank:

- High quality business and fee income growth: Directing branch network to increase inclusiveness, lead generation through analytics, digital activation and adoption.
- Lean operations to support growth: Rationalisation of outsourced sales force, redesign of internal cost policies and optimisation of ATM network, currency chest and APU operations.
- Strict risk and asset quality management: Risk Weighted Asset (RWA) reduction and capital optimisation. Revamp of stressed assets management process and structure.
- Engaged, energetic and focused workforce: Communication and engagement activities, reward & recognition programs, rankings and gamification of sales campaigns.
- Streamlined processes: Establishment of performance review rhythm, improvement of data quality and visibility, re-design of internal IT capability and structure.

4 स्तंभ के तहत समग्र बैंक-व्यापी रूपांतरण

Holistic bank-wide transformation under 4 pillars

निश्चय
संकल्प कामयाबी का

Nishchay
Our Resolve to Succeed

निश्चय @आईडीबीआई बैंक

Nishchay @IDBI Bank

I — अधिकतम राजस्व | Revenue Maximisation

II — युक्तिसंगत परिचालन लागत | Operating Cost Rationalisation

III — श्रमशक्ति योजना | Manpower Planning

IV — आस्ति उपयोग | Asset Utilisation

बुनियादी सक्रियण, परिवर्तन प्रबंधन और संचार को गतिशीलता देने लिए परियोजना प्रबंधन कार्यालय (पीएमओ) की स्थापना करना

Project Management Office (PMO) set up to drive on-ground activation, change management and communication

यथा 25 मई 2018 को निदेशक मंडल

Board of Directors as on May 25, 2018

श्री महेश कुमार जैन
(प्रबंध निदेशक एवं सीईओ)

Shri Mahesh Kumar Jain
(Managing Director & CEO)

श्री के. पी. नायर
(उप प्रबंध निदेशक)

Shri K. P. Nair
(Deputy Managing Director)

श्री जी. एम. यादवाडकर
(उप प्रबंध निदेशक)

Shri G. M. Yadwadkar
(Deputy Managing Director)

श्री पंकज जैन
Shri Pankaj Jain

श्री सुधीर श्याम
Shri Sudhir Shyam

श्री ज्ञान प्रकाश जोशी
Shri Gyan Prakash Joshi

डॉ. आशिमा गोयल
Dr. Ashima Goyal

श्री भुवनचन्द्र बी. जोशी
Shri Bhuwanchandra B. Joshi

श्री समरेश परिडा
Shri Samaresh Parida

श्री एन. जंबुनाथन
Shri N. Jambunathan

यथा 25 मई 2018 को कार्यपालक निदेशक

Executive Directors as on May 25, 2018

श्री पी. सीताराम
Shri P. Sitaram

सुश्री मैथिली बालसुब्रमणियन
Ms. Mythili Balasubramanian

श्री ए. एल. बोंगिरवार
Shri A. L. Bongirwar

श्री जी. ए. तड़स
Shri G. A. Tadas

डॉ. सौम्य एस. बॅनर्जी
Dr. Saumya S. Banerjee

श्री सुरेश खटनहार
Shri Suresh Khatanhar

श्री इंद्रपाल एस. कालरा
Shri Inderpal S. Kalra

श्री माधव फड़के
Shri Madhav Phadke

श्री सुब्रतो गुप्ता
Shri Subroto Gupta

श्री बुद्धदेव दासगुप्ता
Shri Buddhadev Dasgupta

श्री अजय शर्मा
Shri Ajay Sharma

श्री शैलेंद्र नाडकर्णी
Shri Shailendra Nadkarni

श्री वी. नारायणमूर्ति
Shri V. Narayanamurthy

श्री जॉर्टी चाको
Shri Jorty Chacko

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का संदेश

प्रिय शेयरधारको,

आईडीबीआई बैंक के निदेशक मंडल और प्रबंधन टीम की ओर से वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है.

वर्ष 2017-18 में बैंक के कार्य-निष्पादन को वर्ष के दौरान विद्यमान कारोबार परिदृश्य के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए ताकि उन चुनौतियों को भी समझा जा सके, जिनका इसने सामना किया. वर्ष 2017-18 में अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के बढ़ते स्तर और ऋण संवृद्धि की सुस्त चाल जैसी दोहरी चुनौतियों के चलते बैंकिंग क्षेत्र पर दबाव जारी रहा. एनपीए में बढ़ोत्तरी के चलते उच्चतर प्रावधान करने पड़े, जिसके फलस्वरूप बैंकों की पूंजीगत स्थिति में तनाव पैदा हुआ. परिणामस्वरूप नए ऋण देने में अवरोध आए. आपके बैंक को भी इसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा.

बैंकिंग क्षेत्र में आई इन चुनौतियों से निपटने के लिए बुनियादी जरूरत एनपीए की पहचान कर उनका त्वरित समाधान करना है. बैंकों द्वारा एनपीए की पहचान करना, इस दिशा में पहला कदम है. दिवाला और शोधन अक्षमता कोड (आईबीसी), 2016 तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन करने जैसी सुधारात्मक नीति व विनियामक समर्थकों का उद्देश्य देश में एनपीए के समाधान की प्रणाली को मजबूत करना है. यद्यपि यह समाधान प्रणाली अभी लागू होनी है, किन्तु इसने सभी हितधारकों में बुरे ऋणों के समाधान की तत्काल आवश्यकता का माहौल बना दिया है, जिसके आने वाले समय में सकारात्मक परिणाम होंगे. आगे चल कर इससे देश में ऋण संस्कृति में भी सुधार होगा तथा ऋण की बेहतर उपलब्धता और कारोबार करने में अधिक आसानी सुनिश्चित हो सकेगी.

कारोबार रणनीति

इन कठिन परिस्थितियों में कार्य करते हुए आपके बैंक ने वर्ष के दौरान एक सम्पूर्ण कायापलट रणनीति लागू की, जिसके तहत *(i) आस्ति उपयोग, (ii) राजस्व को अधिकतम बढ़ाने (iii) परिचालन लागत को युक्तिसंगत करने और (iv) श्रम शक्ति आयोजना जैसे चार प्रमुख मुद्दों पर ध्यान देते हुए वित्तीय कार्य-निष्पादन का रूपान्तरण किया गया.* इन क्षेत्रों में उठाए गए कदमों का विस्तृत ब्योरा वार्षिक रिपोर्ट के निदेशक रिपोर्ट तथा प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण खंडों में दिया गया है. कायापलट योजना के परिणाम सामने आने लगे हैं और वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान केवल आस्ति

Managing Director & CEO's Message

Dear Shareholders,

On behalf of the Board of Directors and the Management Team of IDBI Bank, I am pleased to present the Bank's Annual Report for FY 2017-18 for your perusal.

The Bank's performance in FY 2017-18 must be viewed in the context of the prevailing business environment during the year to understand the challenges confronting it. The banking sector continued to be under pressure in FY 2017-18 on the back of twin challenges stemming from escalated level of Non-Performing Assets (NPAs) and muted credit growth. The surge in the NPA level contributed to higher provisioning and consequential strain in the capital positions of the banks which, in turn, constrained their ability to extend fresh credit. Your Bank also faced similar set of challenges.

Recognition of NPAs and their expeditious resolution is fundamental for mitigating these challenges confronting the banking sector. Identification of NPAs by banks has been the first step in this direction. A slew of corrective policy and regulatory enablers such as The Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016 and amendment to the Banking Regulation Act, 1949 are intended at strengthening the NPA resolution mechanism in the country. While the resolution mechanism is still evolving, it has instilled a sense of urgency among all the stakeholders to resolve bad loans, which will yield positive results in the near future. Going forward, this will help in improving the credit culture in the country, thereby ensuring better availability of credit and improved ease of doing business.

Business Strategy

Operating in these difficult circumstances, your Bank, during the year, implemented a comprehensive turnaround strategy that sought to bring about transformation in its financial performance through interventions in four broad areas, viz. *(i) Asset Utilisation, (ii) Revenue Maximisation, (iii) Operating Cost Rationalisation, and (iv) Manpower Planning.* The measures taken under these areas are detailed in the Directors' Report and Management Discussion & Analysis section of the Annual Report. The turnaround

गुणवत्ता को छोड़कर सभी मानदंडों में बेहतर कार्य-निष्पादन रहा है. मैं आपका ध्यान आपके बैंक के कार्य-निष्पादन की मुख्य विशेषताओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ.

वित्तीय विशेषताएँ

आपके बैंक ने 7.375% की विनियामक पूंजी आवश्यकता (सीसीबी सहित सीईटी 1) को पूरा करते हुए 31 मार्च 2018 को इसे 7.42% कर दिया है. यह भारत सरकार द्वारा पूंजी में नए निवेश करने तथा जोखिम-भारित आस्तियों (आरडबल्यूए) में कमी लाने और मूलेतर आस्तियों की बिक्री जैसे विभिन्न पहल-कार्यों के चलते हुआ है. 31 मार्च 2017 की तुलना में बैंक की आरडबल्यूए में 18% से अधिक की गिरावट आने के साथ-साथ सकल अग्रिमों में ऋण आरडबल्यूए का प्रतिशत भी कम हुआ है. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने मूलेतर आस्तियों और स्थावर संपदा की बिक्री से 3,872 करोड़ रुपये की पूंजी अर्जित की है.

उच्च गैर-निष्पादक आस्तियों (एनपीए) के कारण उपार्जक आस्तियों में कमी के बावजूद बैंक अपनी निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) को वित्तीय वर्ष 2016-17 के 1.62% से सुधार कर वित्तीय वर्ष 2017-18 में 1.81% करने में सफल रहा. साथ ही निवल ब्याज आय (एनआईआई) भी 5,640 करोड़ रुपये रही.

वर्ष के दौरान बैंक ने अधिकांश दबावग्रस्त आस्तियों की पहचान कर ली, जिसके फलस्वरूप सकल एनपीए (जीएनपीए) अनुपात और निवल एनपीए (एनएनपीए) अनुपात में बढ़ोत्तरी हुई तथा ये वित्तीय वर्ष 2016-17 के क्रमशः 21.25% व 13.21% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2017-18 में क्रमशः 27.95% व 16.69% हो गए. बैंक अपने प्रावधान कवरेज अनुपात (तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए खातों सहित पीसीआर) को वित्तीय वर्ष 2016-17 के 54.96% से सुधार कर वित्तीय वर्ष 2017-18 में 63.40% करने में सफल रहा. इसके अलावा वसूली और अपग्रेडेशन में भी सुधार होकर यह राशि वित्तीय वर्ष 2016-17 की 4,849 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2017-18 में 6,231 करोड़ रुपये हो गई.

आपका बैंक अपनी कुल जमाराशियों में कासा का हिस्सा मार्च 2017 के 31% से बढ़ाकर मार्च 2018 के अंत में 37% करने में सफल रहा है. इससे बैंक को जमाराशियों की लागत 2016-17 के 6.48% से घटाकर 2017-18 में 5.56% करने में मदद मिली है. आपके बैंक ने जहां कॉरपोरेट बहियों में अपनी संवृद्धि सीमित रखी, वहीं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र सहित रिटेल अग्रिमों में प्रगामी वृद्धि की. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान होम लोन व मार्टगेज लोन सहित संरचित रिटेल आस्तियों (एसआरए) में 14.7% की वृद्धि दर्ज की गई. परिणामस्वरूप कुल अग्रिमों में रिटेल अग्रिमों का जो हिस्सा मार्च 2017 के अंत में 40% था, वह मार्च 2018 के अंत में 45% हो गया. इसी के तदनरूप कुल अग्रिमों में कॉरपोरेट अग्रिमों के हिस्से में गिरावट आई. आपके बैंक ने कृषि, एसएफएमएफ, कमजोर वर्ग और सूक्ष्म ऋण सहित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण (पीएसएल) संबंधी सभी विनियामक लक्ष्य प्राप्त कर लिए.

plan has started showing results in FY 2017-18 with improved performance on all parameters except asset quality. I would like to bring to your attention the highlights of your Bank's performance.

Financial Highlights

Your Bank achieved the Regulatory Capital requirement (CET 1 including CCB), which was at 7.42% as on March 31, 2018 against requirement of 7.375%, aided by fresh capital infusion by the Government of India as also by taking various initiatives including reduction in Risk Weighted Assets (RWAs) and sale of non-core assets. The Bank's RWAs declined by 18% over March 31, 2017, along with a reduction in the Credit RWA, as percentage of Gross Advances. The Bank earned a capital gain of Rs. 3,872 crore through sale of non-core assets and real estates during FY 2017-18.

Despite reduction in earning assets due to higher Non-Performing Assets (NPAs), the Bank was able to improve its Net Interest Margin (NIM) from 1.62% in FY 2016-17 to 1.81% in FY 2017-18, with a Net Interest Income (NII) of Rs. 5,640 crore.

During the year, the Bank has recognised most of the stressed assets, resulting in increase in the Gross NPA (GNPA) Ratio and Net NPA (NNPA) Ratio from 21.25% and 13.21%, respectively, in FY 2016-17 to 27.95% and 16.69% respectively in FY 2017-18. The Bank was able to improve Provision Coverage Ratio (PCR including technical write-off accounts) to 63.40% in FY 2017-18 from 54.96% in FY 2016-17. Further, Recovery and Up-gradation improved to Rs. 6,231 crore in FY 2017-18 from Rs. 4,849 crore in FY 2016-17.

Your Bank has been able to improve the share of CASA deposits in total deposits to 37% as at end-March 2018 from 31% as at end-March 2017. This has helped in lowering the Cost of Deposits to 5.56% in FY 2017-18 from 6.48% in FY 2016-17. Your Bank has also progressively enhanced the share of its retail advances, including Priority Sector Lending, while restricting growth in the corporate books. Structured Retail Assets (SRAs) portfolio, which inter alia includes Home Loan and Mortgage Loan, registered growth of 14.7% in FY 2017-18. Consequentially, the share of retail advances to total advances stood at 45% as at end-March 2018 vis-à-vis 40% as at end-March 2017, with corresponding decline in the share of corporate advances to total advances. Your Bank has also achieved all its regulatory targets for Priority Sector Lending (PSL) including sub-targets for Agri, SFMF, Weaker Section and Micro Enterprises.

राजस्व बढ़ाने के अपने प्रयासों के अंतर्गत बैंक ने अपनी परिचालन लागत कम करने के लिए कई उपाय किए ताकि परिचालन लाभ में सुधार किया जा सके. इन उपायों से आपके बैंक को अपने परिचालन व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 की तुलना में 8% कम कर 4,745 करोड़ रुपये करने में सफलता मिली तथा आय पर लागत अनुपात भी वित्तीय वर्ष 2016-17 के 53% की तुलना में कम होकर वित्तीय वर्ष 2017-18 में 38% हो गया.

इन संगठित उपायों से बैंक को वित्तीय वर्ष 2017-18 में अपना परिचालन लाभ 7,905 करोड़ रुपये करने में मदद मिली, जो कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से 71% अधिक है. तथापि उच्चतर एनपीए के कारण बढ़े हुए प्रावधान से लाभप्रदता पर विपरीत असर पड़ा, जिसके चलते वित्तीय वर्ष 2017-18 में 8,238 करोड़ रुपये की निवल हानि हुई.

पीएसबी सुधार एजेंडा: संवर्धित पहुँच और सेवा में उत्कृष्टता (ईएएसई)

बीते वर्ष में बैंकिंग परिदृश्य में ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिले. सरकार ने संपूर्ण पीएसबी सुधार का एजेंडा घोषित किया, जिसमें बैंकिंग सेवाओं की पहुँच बढ़ाने और सेवा में उत्कृष्टता लाने (ईएएसई) पर जोर दिया गया है. ईएएसई संरचना को छः थीमों द्वारा परिभाषित किया गया है अर्थात् *(i) उपभोक्ता अनुक्रियाशीलता, (ii) जिम्मेदार बैंकिंग, (iii) ऋण ऑफ-टेक, (iv) उद्यमी मित्र के रूप में पीएसबी, (v) वित्तीय समावेशन को मजबूत करना व डिजिटलाइजेशन तथा (vi) परिणाम सुनिश्चितता - मानव संसाधन.*

आपके बैंक ने ईएएसई के अंतर्गत परिभाषित कई कार्य बिन्दु लागू किए हैं. हालांकि कार्यान्वित कार्य बिन्दु व्यापक हैं, फिर भी मैं बैंक द्वारा हाल ही में लागू किए गए कुछ पहल कार्यों का उल्लेख करना चाहूँगा. इन प्रमुख पहल कार्यों में से कुछ हैं: (i) ऑनलाइन फिक्स्ड डिपॉजिट बुकिंग सुविधा तथा साथ में नामांकन विकल्प को बचत बैंक खाते से ही ले लेने की सुविधा; (ii) संरचित रिटेल आस्ति प्रोडक्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन तथा साथ में मौजूदा ग्राहकों के लिए बुनियादी जानकारी की ऑटो-फिलिंग; (iii) किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के लिए संपूर्ण डिजिटलकृत लोन प्रोसेसिंग सिस्टम अर्थात् आईडीबीआई प्रायोरिटी सेक्टर ऑटोमेटेड लोन (आई-पाल); (iv) ग्राहक द्वारा शिकायत की रीयल टाइम स्टेटस ट्रैकिंग रखने की सुविधा.

उक्त संरचना में परिभाषित बिन्दुओं को कार्यान्वित करने के अलावा आपका बैंक अपने भावी पहल कार्यों को करते समय इस ईएएसई संरचना को केंद्र में रखने के लिए प्रतिबद्ध है.

आगे की राह

आपका बैंक रिटेल और पीएसएल में आस्तियों में संवृद्धि करते हुए अपना राजस्व बढ़ाने के लिए तत्पर है. इसी के साथ स्वयं के कार्यालय परिसर का इष्टतम उपयोग करने, विभिन्न मदों के अंतर्गत व्यय को कारगर बनाने जैसे विभिन्न उपाय कर परिचालन व्यय को युक्तिसंगत करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. आपके बैंक ने ऋण निगरानी के लिए सुपरिभाषित

Supplementing its efforts to boost revenue, the Bank also took several measures to contain its operational costs to improve its operating profits. The measures have helped your Bank to reduce its operating expenses by 8% to Rs. 4,745 crore for FY 2017-18, aiding in lowering the Cost-to-Income ratio to 38% in FY 2017-18 vis-à-vis 53% in FY 2016-17.

These concerted measures helped the Bank to post an operating profit of Rs.7,905 crore in FY 2017-18, marking an increase of 71% over FY 2016-17. However, increased provisioning due to higher NPA level adversely impacted the bottom-line, resulting in net loss of Rs. 8,238 crore in FY 2017-18.

PSB Reforms Agenda: Enhanced Access and Service Excellence (EASE)

The year just past saw a historic development in the banking landscape. The Government of India unveiled a holistic PSB Reforms Agenda which lays emphasis on Enhanced Access and Service Excellence (EASE) in banking services. The contours of the EASE framework has been defined by six themes, viz. *(i) Customer Responsiveness, (ii) Responsible Banking, (iii) Credit Off-Take, (iv) PSBs as Udyami Mitra, (v) Deepening Financial Inclusion & Digitalisation and (vi) Ensuring Outcomes - HR.*

Your Bank has implemented many of the action points defined under the EASE framework. While the implemented action points are quite extensive, I would like to highlight some of the major initiatives undertaken by the Bank recently. Some of the major initiatives include (i) Online fixed deposit booking facility along with enabling option for nomination to be replicated from the savings bank account; (ii) Online application for structured retail asset products with auto-filling of basic information for existing customers; (iii) End-to-end digitalised loan processing system for Kisan Credit Card (KCC), viz. IDBI - Priority Sector Automated Loan (I-PAL); and (iv) facility for real-time complaint status tracking by customer.

Your Bank, in addition to implementing the action points defined in the framework, is committed to keeping the themes of the EASE framework central to future initiatives.

Way Forward

Your Bank is proactively seeking to enhance its revenue by stimulating asset growth in retail and Priority Sector Loans. Simultaneously, steps are being taken to rationalise operating expenditure by optimising use of owned office spaces, streamlining cost under various heads, among other measures. Your Bank has also

संरचना अपनाते हुए आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन के प्रयास करने के साथ-साथ वसूली और अपग्रेडेशन के प्रयत्न भी गहन कर दिए हैं. आपके बैंक ने अपनी स्थावर संपदा सहित कुछ ऐसी मूलेतर आस्तियों की पहचान कर बिक्री की है, जिनका इष्टतम उपयोग नहीं हो पा रहा था. अपनी व्यापक रणनीति के तहत मानव संसाधन नीतियों को इस प्रकार से सुव्यवस्थित किया जा रहा है कि प्रतिभा को प्रोत्साहन मिले तथा रिटेल व एनपीए प्रबंधन कार्यकलापों में कार्मिकों का पुनर्विनियोजन किया जा रहा है ताकि इन कार्यों में सहायता मिल सके. आगे देखें तो आपके बैंक द्वारा कार्यान्वित की गई कायापलट रणनीति आगे चलकर लाभदायक और सतत संवृद्धि की स्थायी राह के लिए उपयोगी साबित हो सकती है.

आपका बैंक अपने ग्राहकों को अपनी कारोबार रणनीति के केंद्र में रखना जारी रखेगा. इस फिलोसफी को ध्यान में रखते हुए आपका बैंक ग्राहक सेवा स्तर पर अपनी उत्कृष्टता बनाए रखेगा. बैंक की ग्राहक सेवा का उच्चतर स्तर इस बात से भी प्रतिबिंबित होता है कि भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) द्वारा बैंकों के लिए दी जाने वाली संहिता अनुपालन रेटिंग में इसे विगत दो वर्ष से 'उच्च' रेटिंग मिल रही है.

इसी के साथ-साथ आपका बैंक अपने डिजिटल ढांचे को सशक्त व संशोधित कर इसमें श्रेष्ठ फीचर जोड़ने के लिए कार्य कर रहा है ताकि उपयोगकर्ता को निर्बाध व सुविधाजनक सेवाएं दी जा सकें. आपका बैंक गंभीरतापूर्वक यह भी प्रयास कर रहा है कि ग्राहक डिजिटल सेवाओं को बड़े स्तर पर अपनाएं और उनका प्रयोग करें.

दीर्घावधि मूल्यों के सृजन के लिए प्रतिबद्ध होने के कारण हम आपके बैंक में अपने ग्राहकों, निवेशकों और हितधारकों से सार्थक रूप से जुड़ने के लिए नए और प्रभावी तरीकों की तलाश जारी रखेंगे. आपका बैंक एक विश्वसनीय और वित्तीय दृष्टि से सशक्त बैंक के रूप में उभरने के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने हेतु ठोस कदम उठा रहा है.

आभार

मैं अपने सभी बाहरी और आंतरिक हितधारकों का बैंक के इस निर्विवाद रूप से सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण समय में सहयोग देने के लिए आभार मानता हूँ. अब बैंक नए युग में नए सामर्थ्य और नई संभावनाओं के साथ प्रवेश कर रहा है, ऐसे में हम आपके सतत सहयोग की कामना करते हैं.

निजी तौर पर मैं बैंक के सभी हितधारकों का उनके सहयोग और विश्वास के लिए आभार मानता हूँ, जिसके चलते मुझे बैंक के कायापलट के लिए एक नई राह तय करने में मदद मिली.

शुभकामनाओं के साथ,

महेश कुमार जैन
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

stepped up efforts in asset quality management by adopting a well-defined framework for credit monitoring as also intensified its efforts on recovery and upgradation. Your Bank has identified and sold some of its non-core assets, including real estates which were not being optimally utilised. To support the overarching strategy, the human resource policies have been revamped to further promote meritocracy and there has been a re-deployment of personnel in the retail and NPA management related activities to support these functions. Going forward, the turnaround strategy implemented by your Bank is expected to gain further traction, enabling its progress on a steady trajectory of profitable and sustainable growth.

Your Bank will continue to keep its customers at the core of its business strategy. In consonance with this philosophy, your Bank will strive to maintain its excellence in customer service level. The Bank's high customer service level has also been attested by its 'High' rating by the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) in its Code Compliance Rating of banks for two consecutive years.

Simultaneously, your Bank is working towards strengthening and revamping its digital infrastructure to incorporate best-in-class features in order to ensure seamless user experience and convenience. Your Bank is also striving to drive higher levels of digital adoption among customers.

Being committed to the creation of long-term value, we, at your Bank, will continue to look for new and effective ways to meaningfully engage with its customers, investors and other stakeholders. Your Bank is taking definitive steps to create an enabling environment for emerging as a trusted and financially strong bank.

Acknowledgement

I would like to take this opportunity to thank all our external and internal stakeholders for their support in what has undoubtedly been one of the Bank's most challenging periods. We look forward to your continued co-operation as the Bank steps into a new horizon, full of new potential and possibilities.

On a personal note, I would like to thank all stakeholders for their co-operation and trust which has helped me charting a new course for the Bank for its turnaround.

With best wishes,

Mahesh Kumar Jain
Managing Director & CEO

कुछ प्रमुख गतिविधियां

Some Major Events

भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद के कर कमलों से बैंक की हिंदी पत्रिका 'विकास प्रभा' के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री महेश कुमार जैन, एमडी एवं सीईओ, साथ में हैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह.

Shri Ram Nath Kovind, Hon'ble President of India, handing over the Rajbhasha Kirti Puraskar for Bank's Hindi magazine 'Vikas Prabha' to Shri Mahesh Kumar Jain, MD & CEO, in the presence of Shri Rajnath Singh, Hon'ble Union Home Minister.

श्री महेश कुमार जैन, एमडी एवं सीईओ, नई दिल्ली में एडफिएप की 41वीं वार्षिक बैठक में मुख्य अतिथि श्री अरुण जेटली, माननीय केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री का स्वागत करते हुए.

Shri Mahesh Kumar Jain, MD & CEO, welcoming the Chief Guest, Shri Arun Jaitley, Hon'ble Union Minister of Finance and Corporate Affairs, at the 41st ADFIAP Annual Meeting at New Delhi.

श्री महेश कुमार जैन, एमडी एवं सीईओ, महाराष्ट्र के नवी मुंबई, सीबीडी-बेलापुर में बैंक के कार्यालय भवन का उद्घाटन करते हुए. साथ में उपस्थित हैं उप प्रबंध निदेशकगण श्री के. पी. नायर एवं श्री जी. एम. यादवाडकर तथा अन्य पदाधिकारी.

Shri Mahesh Kumar Jain, MD & CEO, inaugurating the Bank's office buliding at CBD-Belapur, Navi Mumbai, Maharashtra, in the presence of DMDs Shri K. P. Nair & Shri G. M. Yadwadkar and other dignitaries.

श्री महेश कुमार जैन, एमडी एवं सीईओ डॉ. बाबा साहब अंबेडकर की पुण्य तिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए.

Shri Mahesh Kumar Jain, MD & CEO, paying homage to Dr. Babasaheb Ambedkar on his death anniversary.

श्री के.पी. नायर, उप प्रबंध निदेशक द्वारा 'विनिंग्स' रुपे सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड का शुभारंभ.

Shri K. P. Nair, DMD, launched the Bank's 'Winnings' RuPay Select Credit Card.

श्री जी. एम. यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक, नई दिल्ली में आयोजित एडफिएप की 41वीं वार्षिक बैठक में बुनियादी संरचना विकास पर विस्तृत सत्र लेते हुए.

Shri G. M. Yadwadkar, DMD, addressing the Plenary Session on Infrastructure Development at 41st Annual Meeting of ADFIAP at New Delhi.

कुछ प्रमुख गतिविधियां

Some Major Events

आईडीबीआई बैंक में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का उद्घाटन और इस अवसर पर विशेष पत्रिका का विमोचन.

Inauguration of Vigilance Awareness Week at IDBI Bank and release of a Special Journal to mark the occasion.

श्री जी. एम. यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक पुणे में आयोजित टाउन हाल बैठक में स्टाफ सदस्यों को संबोधित करते हुए.

Shri G. M. Yadwadkar, DMD, addressing staff at Town Hall Meeting at Pune.

आईडीबीआई बैंक को फोर्रेस्टर रिसर्च इंक द्वारा ग्राहक अनुभव में पहला स्थान प्राप्त हुआ. पुरस्कार ग्रहण करते हुए डॉ एस. एस. बॅनर्जी, कार्यपालक निदेशक (सबसे दाएं)

IDBI Bank was ranked No. 1 Bank in Customer Experience by Forrester Research Inc. Dr. S.S. Banerjee, Executive Director, (extreme right) received the award.

सीएसआर पहल कार्यों के भाग के रूप में आईडीबीआई बैंक ने बिहार राज्य में बाढ़ राहत कार्य हेतु मुख्यमंत्री राहत कोश में ₹10 लाख का अंशदान दिया.

As part of CSR initiatives, IDBI Bank contributed ₹10 lakh to Chief Minister's Relief Fund, Bihar, towards flood relief in the State.

आईडीबीआई बैंक के स्टाफ द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन और साफ-सफाई अभियान.

Observation of Swachhta Pakhwada by IDBI Bank staff.

आईडीबीआई बैंक के भीम आधार डिजिटल पीओएस की जागरूकता हेतु विशेष सक्रियन अभियान.

Special activation drive for awareness of IDBI Bank's BHIM Aadhaar digital Point of Sale (PoS).

पुरस्कार एवं सम्मान

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के राजभाषा विभाग से हिंदी पत्रिका 'विकास प्रभा' के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ.

फोर्रेस्टर रिसर्च इंक द्वारा ग्राहक अनुभव इंडेक्स में बैंक ने पहला स्थान प्राप्त किया.

बैंक को 'सूक्ष्म उद्यमों को उधार देने में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन' के लिए एमएसएमई मंत्रालय द्वारा बैंकों के राष्ट्रीय पुरस्कारों में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ.

बैंक को भविष्य निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा तीन पुरस्कार प्रदान किए गए अर्थात् अधिकतम एनपीएस खाते खोलने के लिए तीसरा स्थान, उत्कृष्ट पॉइंट ऑफ प्रेसेंस - कॉर्पोरेटस में एनपीएस खातों के सक्रियन के लिए दूसरा स्थान और बेस्ट पॉइंट ऑफ प्रेसेंस (पीओपी)- सेलिंग पॉइंट एक्टिवेशन के लिए तीसरा स्थान.

आईडीबीआई बैंक ने एनएसडीएल के 32 वें डीपी सम्मेलन में पीएसयू बैंक श्रेणी के अंतर्गत खोले गए नए डी-मैट खातों के उत्कृष्ट कार्यनिष्पादक के रूप में पहला स्थान प्राप्त किया.

आईडीबीआई बैंक को सिटी बैंक तथा बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलोन द्वारा अमरीकी डॉलर भुगतानों के लिए स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) श्रेणी के अंतर्गत 'कार्य निष्पादन उत्कृष्टता पुरस्कार' से सम्मानित किया गया.

बैंक को वित्तीय समावेशन पहल कार्यों और सीएसआर परियोजना - 'जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य' के लिए स्कॉच बीएसई ऑर्डर-ऑफ-मेरिट पुरस्कार 2017 प्राप्त हुआ.

एडफिएप की 41वीं वार्षिक बैठक में सर्वोत्कृष्ट वेबसाइट पुरस्कार प्राप्त हुआ.

आईडीबीआई बैंक ने अपने ग्राहक सेवा केंद्र को आईएसओ 9001 : 2015 में सफलतापूर्वक अपग्रेड किया जो कि नियामकीय दिशानिर्देशों के तहत गुणवत्ता और शिकायतों के समय पर निवारण के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाता है.

बैंक को ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदायल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह बैंक संयोजन 2017-18 (पीएसयू बैंक - मध्यम श्रेणी) में सर्वोत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ.

Awards and Accolades

Received Rajbhasha Kirti Puraskar for Hindi Magazine 'Vikas Prabha' from Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India.

Ranked as the No. 1 Bank in Customer Experience by Forrester Research Inc.

Secured 2nd prize at the National Awards to Banks by Ministry of MSME for "Excellence in Lending to Micro Enterprises".

Conferred three awards by Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) viz. 3rd rank for sourcing maximum number of NPS accounts, 2nd rank for Best Point of Presence (PoP) – NPS for number of corporates activated and 3rd rank in Best Point of Presence (PoP) – Selling Point activation.

Secured 1st position as top performer in new demat accounts opened under the PSU-Bank Category at 32nd DP Conference of NSDL.

Received "Performance Excellence Awards" under the category Straight Through Processing (STP) by Citibank and Bank of New York, Mellon for US Dollar Payments.

Conferred with SKOCH BSE Order-of-Merit Award 2017 for financial inclusion initiatives and CSR Project - 'Water, Sanitation and Hygiene'.

Received the Best Website Award at the 41st Annual ADFIAP Meeting.

Successfully upgraded to ISO 9001 : 2015 Certification for its Customer Care Centre which demonstrates commitment to quality and timely resolution of complaints within the regulatory guidelines.

Conferred with National Award for Best Performance in Self Help Group Bank Linkages 2017-18 (PSU Banks - Medium Category) under Deendayal Antyodaya Yojana - National Rural Livelihoods Mission by Ministry of Rural Development.

निदेशकों की रिपोर्ट
Directors' Report

निदेशकों की रिपोर्ट

आपके बैंक के निदेशक मंडल को 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपके बैंक के कारोबार तथा परिचालनों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है.

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान नीतिगत दृष्टि से सकारात्मक माहौल भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता रही जिसने इसकी स्थूल आर्थिक स्थितियों को मजबूती प्रदान करने में बल दिया. बैंकिंग उद्योग, विशेष रूप से भारत जैसी अर्थव्यवस्था में सतत आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण समर्थकारक है. भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास अन्य बातों के साथ-साथ बैंकिंग की व्यापकता और गहराई तक पहुँच पर निर्भर करता है. अतः इनके आधिपत्व को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग संरचना को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है. यद्यपि, विभिन्न कारणों की वजह से यह वर्ष बैंकिंग क्षेत्र के लिए कठिनाइयों भरा साबित हुआ है. तथापि, बैंकिंग क्षेत्र में इस कठिनाइयों भरे माहौल को मद्देनजर रखते हुए आपके बैंक का कार्यनिष्पादन यथोचित माना जा सकता है.

वित्तीय विशेषताएं

यथा 31 मार्च 2018 को आपके बैंक की कुल जमाराशियां और अग्रिम क्रमशः ₹ 2,47,931.61 करोड़ तथा ₹ 1,71,739.95 करोड़ रहे. समीक्षाधीन अवधि के दौरान आपके बैंक के कार्य-निष्पादन की प्रमुख विशेषताएं तालिका 1 में दी गई हैं:

तालिका 1 : प्रमुख वित्तीय विशेषताएं

(₹ करोड़ में)

	यथा 31 मार्च 2017 की स्थिति	**यथा 31 मार्च 2018 की स्थिति**
पूंजी	2,058.81	3083.86
रिजर्व और अधिशेष	20,504.83	18,125.87
जमाराशियां	2,68,538.10	2,47,931.61
उधार राशियां	56,363.98	63,185.53
अन्य देयताएं और प्रावधान	14,408.75	17,986.77
कुल देयताएं	**3,61,874.47**	**3,50,313.64**
नकदी और रिजर्व बैंक के पास शेष	13,346.92	13,163.69
बैंकों के पास शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	19,337.16	20,522.40
निवेश	92,934.41	91,606.06
अग्रिम	1,90,825.93	1,71,739.95
अचल और अन्य आस्तियां	45,430.05	53,281.54
कुल आस्तियां	**3,61,874.47**	**3,50,313.64**
इस अवधि में	**2016-17**	**2017-18**
कुल आय	31,799.20	30,035.41
कुल व्यय (प्रावधान छोड़कर)	27,180.52	22,130.90
प्रावधान (कर छोड़कर)	13,236.70	20,497.05
कर - पूर्व का लाभ / (हानि)	(8,618.02)	(12,592.53)
कर के लिए प्रावधान*	(3,459.88)	(4,354.61)
कर पश्चात् लाभ / (हानि)	(5,158.14)	(8,237.92)

** वर्तमान आयकर और आस्थगित आयकर को घटाकर*

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक की कुल आय ₹ 30,035.41 करोड़ रही जिसमें ₹ 23,026.53 करोड़ की ब्याज आय और ₹ 7,008.88 करोड़ की अन्य आय शामिल है. कुल व्यय (प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं को छोड़कर) में ब्याज व्यय ₹ 17,386.21 करोड़ और परिचालनगत व्यय ₹ 4,744.69 करोड़ शामिल है.

बैंक के कॉरपोरेट लोन पोर्टफोलियो में निरंतर दबाव के चलते आपके बैंक का कुल प्रावधान बढ़ गया. प्रावधानों में अनर्जक आस्तियों, बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋणों तथा निवेशों के लिए प्रावधान के प्रति ₹ 22,118.86 करोड़ की राशि शामिल है. परिणामस्वरूप आपके बैंक को वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 8,237.92 करोड़ की निवल हानि हुई.

यद्यपि हानि के कारण वर्ष के दौरान प्रति शेयर उपार्जन (ईपीएस) नकारात्मक रहा लेकिन मार्च 2018 के अंत में प्रति शेयर बही मूल्य (अमूर्त आस्तियों को छोड़कर) ₹ 39.01 रहा. हानि को ध्यान में रखते हुए निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की है.

यथा 31 मार्च 2018 को समेकित वित्तीय विवरण में शामिल सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यम के कार्य-निष्पादन और वित्तीय स्थिति पर रिपोर्ट

संस्था का नाम	निवल आस्तियां अर्थात् कुल आस्तियों में से कुल देयताएं घटाकर		लाभ या (हानि) में हिस्सा	
	समेकित निवल आस्तियों के % के रूप में	राशि (₹ करोड़ में)	समेकित लाभ या (हानि) % के रूप में	राशि (₹ करोड़ में)
1	2	3	4	5
मूल: आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	95.37%	21,209.73	101.86%	-8,237.92
सहायक संस्थाएं:				
भारतीय:				
1. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि.	1.45%	321.46	-0.16%	12.73
2. आईडीबीआई इंटेक लि.	0.21%	47.50	-0.04%	3.01
3. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लि.	0.51%	112.44	-0.10%	8.01
4. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि.	0.01%	1.42	0.00%	0.22
5. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि.	0.78%	173.49	-0.45%	36.45
विदेशी:	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सभी सहायक संस्थाओं में अल्पसंख्यक हित	0.39%	85.96	-0.20%	16.51
सहायक कंपनियां (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)				
भारतीय				
1. बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	-0.01%	0.42
2. नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	-0.33%	26.85
3. पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	-0.17%	13.95
विदेशी:	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
संयुक्त उद्यम (आनुपातिक समेकन के अनुसार / इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)				
भारतीय				
1. आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1.68%	374.33	-0.60%	48.45
विदेशी:	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	100%	22,240.36	100%	-8,087.83
विलोपन	-1.49%	-332.41	0.55%	-44.57
निवल कुल	98.51%	21,907.96	100.55%	-8,132.40

आईडीबीआई बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्त्वपूर्ण परिवर्तन और वचनबद्धताएं, यदि कोई हों, जो वित्तीय वर्ष के अंत और बोर्ड की रिपोर्ट की तारीख के दौरान उत्पन्न हुई हों.

बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले ऐसे कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और वचनबद्धताएं नहीं हैं जो बैंक के वित्तीय वर्ष की समाप्ति अर्थात् 31 मार्च 2018 और निदेशकों की रिपोर्ट की तारीख के दौरान उत्पन्न हुई हों.

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में ब्यौरे.

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3)(i) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 से सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में यह दर्शाया जाना चाहिए कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में क्या बैंक के पास समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) प्रणाली उपलब्ध है तथा क्या ऐसे नियंत्रण की परिचालनात्मक प्रभावशीलता है. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3)(i) में संदर्भित आईएफसी से आशय वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी-एफआर) से है. बैंक का प्रबंधन वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के बारे में बैंक में स्थापित उन मानदंडों के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने व बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, जो दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आईएफसी-एफआर के लेखापरीक्षण पर वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए बनाए गए हैं. इन जिम्मेदारियों में समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा, कार्यान्वयन व निर्वहन शामिल है, जो बैंक की नीतियों के अनुपालन, आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम व पता लगाने, लेखा रिकॉर्ड की शुद्धता और सक्षमता तथा कंपनी अधिनियम, 2013, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 व समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार विश्वसनीय वित्तीय सूचना की सामयिक तैयारी करने सहित अपने कारोबार के नियमानुसार व प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचलित थे.

आईएफसी-एफआर रूपरेखा लागू करने के लिए आपके बैंक ने अपने सभी कारोबार वर्टिकलों/ विभागों के दस्तावेजीकरण, प्रमाणन और नियंत्रणों की रिपोर्टिंग प्रणाली के संबंध में अनुपालन उपलब्ध कराने के लिए एक परामर्शदाता को नियुक्त किया है. वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए परामर्शदाता ने बुनियादी रूपरेखा वैधीकृत कर दी है तथा उन्होंने सभी प्रणालियों के वैधीकरण व परीक्षण के उपरांत जून 2017, सितंबर 2017, दिसंबर 2017 तथा मार्च 2018 की तिमाहियों के लिए आंतरिक अनुपालन प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत कर दिए हैं.

पूंजी पर्याप्तता

आपका बैंक बासेल-III ढांचे के पिलर 1 दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित रूप में ऋण, बाजार और परिचालनगत जोखिमों के लिए विनियामक पूंजी आवश्यकता का परिकलन करता है.

31 मार्च 2018 को आपके बैंक की जोखिम भारित आस्तियों (सीआरएआर) की तुलना में पूंजी अनुपात 10.875% की न्यूनतम विनियामक आवश्यकता की तुलना में 10.41% रहा. आपके बैंक का सामान्य इक्विटी टीयर 1 (सीईटी 1) + पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) अनुपात रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट 7.375% के न्यूनतम लागू अनुपात की तुलना में 7.42 % था. ''टीयर 1 + पूंजी संरक्षण बफर अनुपात (सीसीबी)'' 8.875% की विनियामक अपेक्षाओं की तुलना में 31 मार्च 2018 को 7.73% रहा. बासेल दिशानिर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2016 से अनिवार्य पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) की शुरुआत की गई है. सीसीबी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक सामान्य अवधियों के दौरान सुरक्षित भंडार निर्मित करें जिसे दबावग्रस्त अवधियों के दौरान होने वाली हानियों के मामले में आहरित किया जा सके. विनियामक दिशानिर्देशों की संक्रमणकालीन व्यवस्थाओं के अनुरूप 31 मार्च 2018 के लिए लागू सीसीबी 1.875% है. तद्नुसार,'' कुल पूंजी + सीसीबी'' की न्यूनतम विनियामक अपेक्षा 10.875% है. आपके बैंक के पास बासेल III ढांचे के पिलर 2 मानदंडों के अनुरूप आंतरिक पूंजी पर्याप्तता अभिनिर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति है जो बैंक को पिलर 1 में शामिल नहीं किए गए जोखिमों का आंतरिक रूप से आकलन करने और उनका परिमाण निर्धारित करने और साथ ही सामान्य तथा दबावग्रस्त स्थितियों में जोखिमों का प्रबंध करने के लिए उपयुक्त रणनीतियां तैयार करने में समर्थ बनाती है. आपके बैंक ने बासेल मानदंडों के अंतर्गत पिलर 3 अपेक्षाओं के अनुसार एक प्रकटन नीति अपनायी है और तद्नुसार हरेक तिमाही की समाप्ति पर बैंक की वेबसाइट पर प्रकटन उपलब्ध कराये जाते है.

कारोबार रणनीति

वर्ष के दौरान, बैंक ने अपने रणनीतिक रूपांतरण के तहत चार प्रमुख क्षेत्रों यथा (i) आस्ति को उपयोग में लाना (ii) राजस्व को बढ़ाना (iii) परिचालनगत लागत को युक्ति संगत बनाना तथा (iv) श्रमशक्ति के लिए आयोजना बनाने पर ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट निश्चय का शुभारंभ किया.

अपनी व्यापक कायापलट की रणनीति के एक भाग के रूप में आपका बैंक एक ओर अपने कारोबार को खुदरा और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में पुनर्निर्धारित करने तथा दूसरी ओर कॉरपोरेट लोन बही विशेष रूप से बृहद् कॉरपोरेट खंड में कारोबार वृद्धि को सीमित करने की दिशा में कार्य कर रहा है. बैंक द्वारा अपनायी गई यह रणनीति कम पूंजी कारोबार मॉडल का परिणाम है जो बैंक की जोखिम भारित आस्तियों (आरडबल्यूए) को कम करने के साथ-साथ बैंक के तुलन पत्र को मजबूत बनाने में सहायक होगी. पूंजी के इष्टतम उपयोग को मद्देनजर रखते हुए आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान निम्न रेटिंग वाले कॉरपोरेट ग्राहकों के एक्सपोजर में कमी, विनियामक खुदरा पोर्टफोलियो के एक्सपोजर में वृद्धि, जहां संभव हो नकद प्रतिभूति मार्जिन में बढ़ोत्तरी, डेटा शोधन आदि द्वारा जोखिम भारित आस्तियों (आरडबल्यूए) को उल्लेखनीय रूप से 18% तक कम कर दिया है. इसके साथ-साथ बैंक ने अपनी अनर्जक आस्तियों (एनपीए) को कम करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना एवं रोड मैप का भी निर्माण किया है जिसमें बैंक की सम्पूर्ण संरचना को मजबूत बनाने, स्पष्ट नीतिगत दिशानिर्देश निर्दिष्ट करने, समय पर डेटा उपलब्ध कराने पर जोर देने/ कार्यकलापों की विश्लेषण आधारित निगरानी तथा सुनियोजित समीक्षा करने, बड़े मूल्य वाले खातों के लिए विशेष रणनीति आधारित वसूली योजना बनाने, खुदरा खातों पर निरंतर समय पर कार्रवाई आधारित दृष्टिकोण अपनाना शामिल है. आगे चलकर यह बैंक की पूंजीगत आवश्यकताओं में कमी लाने में सहायक होगा. बैंक ने अपनी गैर परिचालनगत आस्तियों का विनिवेश करना भी शुरू कर दिया है जिसमें कुछ सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में अपनी हिस्सेदारी बेचना

तथा उन वाणिज्यिक संपत्तियों को बेचना जिनका उपयोग पूरी तरह से बैंक के पूंजीगत आधार को बढ़ाने में नहीं हो रहा था.

आपके बैंक ने खुदरा आस्ति वृद्धि, खुदरा देयतायों में बढ़ोत्तरी तथा आय शुल्क में वृद्धि के जरिए अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय भी किए हैं. इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, बैंक तत्परतापूर्वक अच्छी ग्राहक सेवा, फील्ड बिक्री में उत्कृष्टता तथा विश्लेषण युक्त बिक्री द्वारा अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहा है.

अपने लाभ में संवृद्धि के लिए राजस्व को अधिकाधिक बढ़ाने के साथ-साथ आपका बैंक अपनी परिचालनगत लागतों को युक्तिसंगत बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है. बैंक ने उपरिव्यय, किराए में कमी, एटीएम की विवेकपूर्ण स्थापना, आईटी प्रक्रियाओं को सुसंगत बनाना तथा बाह्य स्रोतों से कार्य पर होने वाले व्यय में कमी जैसे ऐसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान भी कर ली है जिनमें उच्चतर क्षमता के लिए काफी संभावना है.

इस अति महत्वपूर्ण रणनीति को सार्थक बनाने के लिए आपके बैंक ने यह सुनिश्चित किया है कि खुदरा कारोबार खंड और ऋण निगरानी एवं वसूली टीम के पास पर्याप्त स्टाफ मौजूद हैं. इसके साथ-साथ, आपके बैंक में अभिशासन प्रणाली को नवीन रूप देने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं. आपका बैंक अन्य बातों के साथ-साथ अपने कारोबारी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी मूल ताकत यथा मजबूत ब्रांड इक्विटी, सक्षम खुदरा परिचालन, उत्कृष्ट ग्राहक सेवा, मजबूत आईटी प्लेटफॉर्म जैसी अन्य कई सुविधाओं का लाभ भी उठा रहा है.

वर्ष के दौरान सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) सहित आपके बैंक का पुनः पूंजीकरण किया है. आपके बैंक ने सरकार को बोर्ड द्वारा अनुमोदित अंडरटेकिंग प्रस्तुत की है जिसके द्वारा यह निर्धारित समय सीमा के भीतर कुछ विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करेगा, जिसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.

सरकार द्वारा पूंजी उपलब्ध कराना इस बात पर निर्भर करता है कि सुधार एजेंडे पर पीएसबी का कार्यनिष्पादन कैसा रहा है. आपके बैंक सहित सभी पीएसबी अपनी कारोबारी रणनीति को सुव्यवस्थित कर अधिक जवाबदेह एवं जिम्मेदार बैंक बनने का प्रयास कर रहे हैं.

अपनी रणनीतिक पहलों में अंतर्निहित भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आपका बैंक कई ग्राहक केंद्रित पहल कार्यों के साथ निरंतर अपने ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्ध रहा है. बैंक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा आरंभ किए गए संवर्धित पहुँच और सेवा उत्कृष्टता (ईएएसई) के निर्धारित लक्ष्य पर केन्द्रित पीएसबी सुधार एजेंडे के लिए प्रतिबद्ध है तथा इसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है. ईएएसई की रूपरेखा मुख्यतः छ थीम के इर्द-गिर्द केंद्रित हैं, यथा (i) ग्राहक के प्रति अनुक्रियाशीलता (ii) उत्तरदायित्वपूर्ण बैंकिंग (iii) ऋण में बढ़ोत्तरी (iv) उद्यमी मित्र के रूप में पीएसबी (v) वित्तीय समावेशन को मजबूत करना एवं डिजिटलीकरण और (vi) सुनिश्चित परिणामप्राप्ति - मानव संसाधन. आपके बैंक ने यह सुनिश्चित किया है कि उसके द्वारा आरंभ की गई विविध पहल इस थीम पर केंद्रित रहें तथा इन मोर्चों की नियमित आधार पर निगरानी एवं मूल्यांकन किया जाता रहे.

मुख्य कारोबारी पहल-कार्य

आपके बैंक ने पूर्ण सेवा देने वाले नई पीढ़ी के वाणिज्यिक बैंक के उद्देश्य के अनुरूप व्यापक खुदरा आधारित कारोबार पोर्टफोलियो को लक्षित करना जारी रखा है. अपने खुदरा कारोबार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अधिक संतुलित कारोबार पोर्टफोलियो संमिश्र प्राप्त करने हेतु आपका बैंक अपने ग्राहकों की सम्पूर्ण अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उत्पादों एवं सेवाओं की एक व्यापक श्रृंखला उपलब्ध कराता है. ग्राहकों की निरंतर बदलती एवं उभरती जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आपका बैंक निरंतर नए उत्पादों एवं सेवाओं का शुभारंभ करने के साथ मौजूदा उत्पादों, सेवाओं और प्रक्रियाओं को बेहतर बना रहा है जिससे वह प्रतिस्पर्धा में अपना स्थान बनाए रख सके.

आपका बैंक सम्पूर्ण भारत में 1,916 शाखाओं, 3,779 एटीएम तथा 58 ई-लाउंज के नेटवर्क के माध्यम से अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करता है. अपने ग्राहकों को किसी भी समय किसी भी स्थान पर संव्यवहार की सुविधा को और अधिक सहज बनाने के लिए आपका बैंक विभिन्न डिजिटल ऑफर के माध्यम से एक अनुपूरक भौतिक नेटवर्क भी मुहैया कराता है.

आपका बैंक अपनी आईटी क्षमताओं का उपयोग अपने ग्राहकों को वित्तीय उत्पादों की उपलब्धता, सेवाओं से संबंधित नवीनतम तकनीक एवं सुरक्षा की दृष्टि से निरंतर बदलती एवं उभरती जरूरतों को निर्बाध रूप से पूरा करने के लिए कर रहा है. आपका बैंक परिचालनगत सुविधाओं एवं कार्य क्षमताओं में वृद्धि की गारंटी द्वारा निरंतर अपनी तकनीक में सुधार कर रहा है जिससे इसके ग्राहकों को उच्च स्तरीय अनुभव प्राप्त हो सके. आपका बैंक अपने ग्राहकों से जुड़ी सूचना एवं लेनदेनों की सुरक्षा एवं गोपनीयता को भी उच्च स्तरीय महत्व देता है. इसके अलावा ग्राहकों को संभाव्य साइबर धोखाधड़ियों के प्रति जागरूक करने और विश्वसनीय तथा सुरक्षित बैंकिंग पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए आवधिक आधार पर सक्रिय उपाय भी किए जाते हैं.

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र खंडों की क्षमता एवं उसकी कारोबारी संभाव्यता को देखते हुए आपका बैंक अपने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (पीएसएल) पोर्टफोलियो को निरंतर मजबूत बना रहा है और यह रिजर्व बैंक द्वारा जारी अधिदेशों का अनुपालन भी कर रहा है. आपका बैंक अपने कारोबार प्रतिनिधि (बीसी)/ कारोबार सुलभकर्ता (बीएफ) नेटवर्क का लाभ उठाकर अपने कारोबार को ग्रामीण तथा अर्धशहरी क्षेत्रों में फैलाने का प्रयास कर रहा है जिससे वित्तीय समावेशन के विस्तार के साथ-साथ बैंक के पीएसएल कारोबार को भी बल मिल सके.

आपका बैंक समाज में हाशिये पर रह रहे लोगों द्वारा अपेक्षित वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं तक निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से किफ़ायती लागत पर उनकी पहुँच सुनिश्चित करते हुए सक्रिय रूप से अर्थव्यवस्था में समावेशी वृद्धि सुनिश्चित करने के सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है. वित्तीय समावेशन के एजेंडे का समाधान तीन प्रमुख क्षेत्रों अर्थात् उपयुक्त वित्तीय उत्पादों की पेशकश, प्रौद्योगिकी के गहन प्रयोग और वित्तीय साक्षरता में बढ़ोत्तरी के माध्यम से किया जा सकता है. इसके अलावा, बैंक भारत सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में भी सक्रियतापूर्वक सहभागिता कर रहा है. साथ ही आपके बैंक ने वित्तीय साक्षरता के प्रचार में भी अहम योगदान दिया है. प्रभावी वित्तीय समावेशन एवं लाभार्थियों को उपलब्ध वित्तीय सेवाओं का सर्वोत्तम उपयोग करने के उद्देश्य से वित्तीय साक्षरता को प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाय) के एक महत्वपूर्ण भाग की पूर्वापेक्षा के रूप में निर्धारित किया गया है.

आपका बैंक पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर अपने परिपूर्ण प्राधिकृत व्यापारी व्यापार वित्त (टीएफ) केन्द्रों तथा रिटेल व्यापार वित्त शाखाओं के माध्यम से अपने व्यापार वित्त कारोबार का संचालन करता है. उच्चतर ग्राहक सुविधा

सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न यंत्रचलित परिचालनों की शुरुआत की गई है जो आपके बैंक की उत्पादकता और कार्यक्षमता बढ़ाने में भी सहायक रहे हैं.

आपका बैंक अपने सर्वोत्तम प्रौद्योगिकीय प्लेटफॉर्म के माध्यम से केंद्र तथा राज्य सरकारों की प्राप्तियों तथा भुगतानों का प्रबंध करने के लिए उनके एजेंट के रूप में भी कार्य करता है. आपका बैंक केंद्र सरकार के करों (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष) को संग्रहित करने के लिए प्राधिकृत है, जिनमें अन्य सेवाओं के साथ-साथ सरकारी प्राप्तियाँ, रेलवे मालभाड़ा प्रभारों का इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, ईपीएफओ अभिदान, स्टैम्प ड्यूटी संग्रहण, अल्प बचत योजनाएँ ऑफर करना, पेंशनधारकों के लिए आधार आधारित जीवन प्रमाणपत्र सुविधा उपलब्ध कराना शामिल हैं.

आपके बैंक को भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) - रिजर्व बैंक अधिदेशित प्रणाली - के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त है जिसका उद्देश्य भारत में एकीकृत तथा अंतर-परिचालनीय बिल भुगतान प्रणाली उपलब्ध कराना है.

आपके बैंक ने कंपनी अधिनियम 2013 के अनुपालन में 1 अप्रैल 2014 से बोर्ड अनुमोदित सीएसआर नीति कार्यान्वित की है जो यह रेखांकित करती है कि आपका बैंक समाज और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार संस्था है. आपका बैंक उल्लेखनीय एवं योजनाबद्ध ढंग से अन्य बातों के साथ-साथ स्वास्थ्य सुविधाओं तक लोगों की पहुँच बढ़ाने, बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने, पर्यावरण संबंधी संपोषणीयता सुनिश्चित करने, लिंग समानता को बढ़ावा देने, आजीविका अवसरों में वृद्धि, व्यावसायिक और रोजगारपरक कौशल के विकास तथा गांवों के सर्वांगीण विकास में योगदान देता रहा है.

वर्ष के दौरान किए गए बैंक के पहल कार्यों का विस्तृत ब्योरा वार्षिक रिपोर्ट के प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण खंड में दिया गया है.

निदेशक मंडल

आपके बैंक के निदेशक मंडल का आधार व्यापक है और इसका गठन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, कंपनी अधिनियम, 2013, आपके बैंक के संस्था अंतर्नियम और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 में यथा परिकल्पित कॉरपोरेट अभिशासन की अपेक्षाओं द्वारा नियंत्रित है. बोर्ड सीधे तौर पर और आपके बैंक के महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने के लिए गठित अपनी विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है.

31 मार्च 2018 को आपके बैंक के बोर्ड में दस निदेशक थे, जिनमें प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ), दो उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी), दो गैर-कार्यपालक निदेशक और पाँच स्वतंत्र निदेशक थे. यथा 31 मार्च 2018 को बोर्ड में श्री महेश कुमार जैन, एमडी एवं सीईओ, श्री के. पी. नायर तथा श्री जी. एम. यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक, श्री पंकज जैन तथा श्री प्रवीण गर्ग, गैर-कार्यपालक निदेशक के रूप में केंद्र सरकार के सरकारी नामिती; श्री एस. रवि, श्री निनाद कर्पे, श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, डॉ. आशिमा गोयल और श्री भुवनचन्द्र बी. जोशी, स्वतंत्र निदेशक के रूप में शामिल थे. मई 2018 के दौरान श्री एस. रवि एवं श्री निनाद कर्पे ने बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया जबकि भारत सरकार द्वारा श्री प्रवीण गर्ग, सरकारी नामिती निदेशक के स्थान पर श्री सुधीर श्याम को रखा गया. स्वतंत्र निदेशकों की 2(दो) रिक्तियों को भरने के लिए बोर्ड ने श्री समरेश परिडा और श्री एन जंबुनाथन को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है जो 19 मई 2018 से प्रभावी है. संस्था के अंतर्नियम के अंतर्नियम 116(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट 13 निदेशकों की अधिकतम संख्या के स्थान पर बोर्ड में 10 (दस) निदेशकों की वर्तमान संख्या संस्था अंतर्नियम के अंतर्नियम 114(ए) की अपेक्षाओं को पूरा करती है.

शीर्ष समितियां

आपके बैंक के कारोबार और परिचालन के विभिन्न कार्य पहलुओं की देख-रेख करने के लिए बोर्ड की कुल पंद्रह समितियां अर्थात् बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति, कार्यपालक समिति, नामांकन समिति, अंशधारक संबंध समिति, मानव संसाधन संचालन समिति, धोखाधड़ी निगरानी समिति, वसूली समीक्षा समिति, जोखिम प्रबंध समिति, स्वतंत्र निदेशक समिति, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति, असहयोगी उधारकर्ता समीक्षा समिति, कारोबार समीक्षा समिति, ग्राहक सेवा समिति, इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति तथा सूचना प्रौद्योगिकी समिति हैं.

कॉरपोरेट अभिशासन

आपका बैंक कॉरपोरेट अभिशासन की बेहतर पद्धतियां अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है. आपके बैंक की यह मान्यता है कि उचित कॉरपोरेट अभिशासन सिर्फ विनियामक अनुपालन की आवश्यकता मात्र नहीं है बल्कि शेयरधारकों के मूल्य में वृद्धि के लिए सुसाध्यकारक भी है. आपके बैंक में अपनाई जा रही कॉरपोरेट अभिशासन पद्धतियों का विस्तृत विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट में कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट के अंतर्गत एक अलग खंड के रूप में दिया गया है.

कारोबार दायित्व रिपोर्ट

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने दिनांक 22 दिसंबर 2015 की अपनी अधिसूचना के जरिए बीएसई और एनएसई में बाजार पूंजीकरण के आधार पर सूचीबद्ध 500 शीर्ष कंपनियों के लिए वार्षिक रिपोर्ट के एक भाग के रूप में कारोबार दायित्व (बीआर) रिपोर्ट का समावेशन अनिवार्य कर दिया है. कारोबार दायित्व रिपोर्ट में सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन परिप्रेक्ष्य में आरंभ किए गए पहल-कार्यों का वर्णन होना चाहिए. बैंक की कारोबार दायित्व रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट (www.idbi.com) पर रखी गई है.

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अंतर्गत कथन

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसा कोई कार्मिक पूरे वर्ष आपके बैंक की सेवा में नहीं रहा जिसे ₹ 1.02 करोड़ से अधिक वार्षिक पारिश्रमिक प्राप्त हुआ हो. इसके अतिरिक्त, बैंक की सेवा में वर्ष की किसी आंशिक अवधि के लिए ऐसा कोई कार्मिक नहीं था जिसे बैंक की सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह ₹ 8.50 लाख से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त हुआ हो. इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष अथवा उसके

किसी हिस्से के दौरान ऐसा कोई कार्मिक नियुक्त नहीं किया गया जिसे बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अथवा उप प्रबंध निदेशक द्वारा आहरित कुल पारिश्रमिक की दर से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त हुआ हो और जिसके पास अथवा जिसके पति/पत्नी और आश्रित बच्चों के साथ मिलाकर बैंक के 2% इक्विटी शेयर से कम शेयर धारित हों.

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा का अर्जन तथा व्यय

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(एम) के प्रावधान आपके बैंक पर लागू नहीं होते हैं. तथापि, आपका बैंक अपने परिचालनों में सूचना प्रौद्योगिकी का उत्तरोत्तर प्रयोग कर रहा है.

भारतीय रिज़र्व बैंक की त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए)

आपके बैंक की उच्च निवल अनर्जक आस्तियों (एनपीए) और आस्तियों पर नकारात्मक प्रतिलाभ (आरओए) को देखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 मई 2017 के अपने पत्र के जरिए आपके बैंक के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) शुरू कर दी है. बैंक इस संबंध में रिजर्व बैंक के निदेशों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रहा है. बैंक ने अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए कायापलट की एक व्यापक रणनीति भी बनाई है. इसके साथ-साथ, रिजर्व बैंक द्वारा संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ) व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर नये कॉरपोरेट एक्सपोजर देने पर प्रतिबंध के संबंध में जारी निदेशों के अनुपालन के क्रम में बैंक ने अपनी आंतरिक क्रेडिट नीति की समीक्षा की है और यह अपने कॉरपोरेट एक्सपोजर को सीमित करने की दिशा में काम कर रहा है.

निदेशकों की जिम्मेदारी के संबंध में कथन

निदेशक मंडल एतद्द्वारा घोषणा और पुष्टि करता है किः

क. वार्षिक लेखों को तैयार करने में लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है. साथ ही तात्विक रूप से अनुसरण न किये गये मामलों में उचित स्पष्टीकरण दिया गया है.

ख. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उनका निरंतर प्रयोग किया है तथा ऐसे निर्णय लिए हैं एवं अनुमान लगाए हैं जो वित्तीय वर्ष के अंत में आपके बैंक की स्थिति और इसी अवधि में आपके बैंक के लाभ अथवा हानि की सही एवं उचित तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए यथोचित तथा विवेकपूर्ण हैं.

ग. निदेशकों ने आपके बैंक की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए विनियामक प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्डों के रख-रखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है.

घ. निदेशकों ने चालू समुत्थान के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैं.

ङ. निदेशक मंडल ने बैंक द्वारा अनुसरण किए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं तथा उक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं; और

च. निदेशक मंडल ने लागू सभी नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की हैं तथा कि ये प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं.

आभार

आपके बैंक का निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (रिजर्व बैंक) और अन्य सभी सांविधिक/ विनियामक प्राधिकरणों को उनके बहुमूल्य सहयोग और मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभारी है. निदेशक मंडल विभिन्न राज्य सरकारों और अन्य बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं का भी उनके द्वारा दिये गये सहयोग और सहायता के लिए आभार मानता है. निदेशक मंडल विभिन्न बहुपक्षीय संस्थाओं और अंतरराष्ट्रीय बैंकों/ संस्थाओं से समय-समय पर मिले सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद देता है. बोर्ड अपने सभी निष्ठावान शेयरधारकों और ग्राहकों का भी वर्ष के दौरान उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए हृदय से आभार प्रकट करता है और भविष्य में भी उनसे सतत् सहयोग की अपेक्षा करता है. निदेशक मंडल अपने समस्त स्टाफ की निष्ठापूर्ण और समर्पित सेवाओं की सराहना करता है और बैंक के प्रति उनकी वचनबद्धता का अत्यधिक सम्मान करता है.

[के.पी. नायर]	[महेश कुमार जैन]
उप प्रबंध निदेशक	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई

दिनांक : 25 मई 2018

Directors' Report

Your Bank's Board of Directors is pleased to present the Report on its business and operations for the financial year ended March 31, 2018.

India's economic milieu in the financial year 2017-18 was characterised by conducive policy environment which aided in strengthening its macroeconomic fundamentals. Banking industry, especially in an economy like India, is a critical enabler for ensuring sustainable economic growth. Growth in the Indian economy is, *inter alia,* contingent upon widening and deepening of the banking penetration, and this, in turn, requires a more robust public sector banking framework, considering their dominance. However, the year proved to be a difficult one for the banking sector due to various factors. The performance of your Bank can be considered reasonable given this difficult banking sector environment.

Financial Highlights

As on March 31, 2018, your Bank's aggregate deposits and advances touched ₹ 2,47,931.61 crore and ₹ 1,71,739.95 crore, respectively. Your Bank's business highlights for the period under review are presented in Table 1.

Table 1: Key Financials

(In ₹ crore)

	As on March 31, 2017	As on March 31, 2018
Capital	2,058.81	3083.86
Reserves & Surplus	20,504.83	18,125.87
Deposits	2,68,538.10	2,47,931.61
Borrowings	56,363.98	63,185.53
Other Liabilities & Provisions	14,408.75	17,986.77
Total Liabilities	**3,61,874.47**	**3,50,313.64**
Cash & Balances with RBI	13,346.92	13,163.69
Balances with Banks & Money at Call & Short Notice	19,337.16	20,522.40
Investments	92,934.41	91,606.06
Advances	1,90,825.93	1,71,739.95
Fixed & Other Assets	45,430.05	53,281.54
Total Assets	**3,61,874.47**	**3,50,313.64**
For the period	**2016-17**	**2017-18**
Total Income	31,799.20	30,035.41
Total Expenses (other than provisions)	27,180.52	22,130.90
Provisions (other than tax)	13,236.70	20,497.05
Profit/ (Loss) Before Tax	(8,618.02)	(12,592.53)
Provision for Tax*	(3,459.88)	(4,354.61)
Profit/ (Loss) After Tax	(5,158.14)	(8,237.92)

** Net of Current Income Tax and Deferred Income Tax*

During the year under review, your Bank's total income amounted to ₹ 30,035.41 crore, comprising interest income of ₹ 23,026.53 crore and other income of ₹ 7,008.88 crore. Interest expenses stood at ₹ 17,386.21 crore and operational expenses at ₹ 4,744.69 crore, accounting for total expenditure (excluding provisions and contingencies).

Total provisioning of your Bank increased in view of continued stress in the Bank's corporate loan portfolio. The provisions include ₹ 22,118.86 crore towards provision for non-performing assets, bad debts written-off and investments. As a result, your Bank incurred a net loss of ₹ 8,237.92 crore during FY 2017-18.

While the Earnings per Share (EPS) during the year was negative due to the losses, the Book Value per Share (excluding intangible assets) stood at ₹ 39.01 as at end-March 2018. In view of the losses incurred, the Board of Directors have not recommended any dividend for the year.

Report on the Performance and Financial Position of Subsidiaries and Joint Venture included in the Consolidated Financial Statement as on March 31, 2018

Name of the entity	Net Assets, i.e., total assets minus total liabilities		Share in profit or (loss)	
	As % of consolidated net assets	Amount (In ₹ crore)	As % of consolidated profit or (loss)	Amount (In ₹ crore)
1	2	3	4	5
Parent : IDBI Bank Ltd.	95.37%	21,209.73	101.86%	-8,237.92
Subsidiaries:				
Indian:				
1. IDBI Capital Market Services Ltd.	1.45%	321.46	-0.16%	12.73
2. IDBI Intech Ltd.	0.21%	47.50	-0.04%	3.01
3. IDBI Asset Management Company Ltd.	0.51%	112.44	-0.10%	8.01
4. IDBI MF Trustee Company Ltd.	0.01%	1.42	0.00%	0.22
5. IDBI Trusteeship Services Ltd.	0.78%	173.49	-0.45%	36.45
Foreign:	NA	NA	NA	NA
Minority Interests in all subsidiaries	0.39%	85.96	-0.20%	16.51
Associates (Investment as per the equity method)				
Indian				
1. Biotech Consortium India Ltd.	NA	NA	-0.01%	0.42
2. National Securities Depository Ltd.	NA	NA	-0.33%	26.85
3. North Eastern Development Finance Corporation Ltd.	NA	NA	-0.17%	13.95
Foreign:	NA	NA	NA	NA
Joint Venture (as per proportionate consolidation/ investment as per the equity method)				
Indian				
1. IDBI Federal Life Insurance Company Ltd.	1.68%	374.33	-0.60%	48.45
Foreign	NA	NA	NA	NA
TOTAL	100%	22,240.36	100%	-8,087.83
Elimination	-1.49%	-332.41	0.55%	-44.57
Net Total	98.51%	21,907.96	100.55%	-8,132.40

Material changes and commitments, if any, affecting financial position of IDBI Bank which have occurred during the end of financial year and the date of Board Report.

There are no material changes and commitments affecting the financial position of the Bank which have occurred between the end of the financial year of the Bank, i.e. March 31, 2018 and the date of the Directors' Report.

The details in respect of adequacy of internal financial controls with reference to the financial statements.

According to Section 143(3) (i) of Companies Act 2013, with effect from financial year 2015-16, the report of the Statutory Auditors shall state whether the Bank has adequate Internal Financial Control (IFC) system in place and the operating effectiveness of such controls, in the context of the financial statements. IFCs as referred to in Section 143 (3) (i) of Companies Act relates to Internal Financial Controls over Financial Reporting (IFC-FR). The Bank's Management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of IFC-FR issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013, the Banking Regulation Act, 1949 and the guidelines issued by the Reserve Bank of India.

With a view to put in place IFC-FR framework, the Bank has appointed a Consultant to provide compliance with respect to the documentation, certification and reporting process of controls across all Business Verticals/ Departments. For the financial year 2017-18, the Consultant has validated base framework and also submitted the internal compliance certificate for the quarters ended June 2017, September 2017, December 2017 and March 2018 after validation of all processes and testing the same.

Capital Adequacy

Your Bank computes regulatory capital requirement for credit, market and operational risks as prescribed under the Pillar 1 guidelines of the Basel III framework.

As on March 31, 2018, the Capital to Risk-weighted Assets Ratio (CRAR) of your Bank was 10.41% as against the minimum regulatory requirement of 10.875%. Your Bank's *"Common Equity Tier 1 (CET 1) + Capital Conservation Buffer (CCB) ratio"* was 7.42% as against the minimum applicable ratio of 7.375% stipulated by the RBI. The *"Tier 1 + Capital Conservation Buffer (CCB) ratio"* stood at 7.73% as on March 31, 2018 against the regulatory requirement of 8.875%. Basel guidelines have introduced a mandatory Capital Conservation Buffer (CCB) with effect from March 31, 2016. CCB is designed to ensure that banks build up buffers during normal times which can be drawn down as losses are incurred during stressed periods. In line with the transitional arrangements of the regulatory guidelines, the CCB applicable for March 31, 2018 is 1.875%. Accordingly, the minimum regulatory requirement of *"Total Capital + CCB"* is 10.875% as on March 31, 2018. Your Bank has a Board-approved policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) in line with the Pillar 2 norms of the Basel III framework, which enables the Bank to internally assess and quantify those risks which are not covered under Pillar 1 as well as develop appropriate strategies to manage risks under normal and stress conditions. Your Bank has adopted a Disclosure Policy in accordance with the Pillar 3 requirements under the Basel norms and accordingly, publishes disclosures on the Bank's website at the end of each quarter.

Business Strategy

During the year, the Bank launched Project Nishchay to drive its strategic transformation through focussed interventions in four major areas, viz. (i) Asset Utilisation, (ii) Revenue Maximisation, (iii) Operating Cost Rationalisation, and (iv) Manpower Planning.

As a part of its comprehensive turnaround strategy, your Bank has been working towards realignment of its business mix in favour of retail and priority sector lending business while limiting growth in its corporate loan book, especially in large corporate segment. This strategy has been adopted in pursuance with a capital light business model as it would facilitate the Bank to reduce its Risk Weighted Assets (RWAs) as also help in improving the quality of the balance sheet. With a view to optimising its capital, your Bank has significantly reduced the RWAs by 18% during FY 2017-18 by reducing exposure to low-rated corporate clients, ensuring incremental exposure in regulatory retail portfolio, enhancing cash security margin wherever feasible, data cleaning, etc. Simultaneously, the Bank has adopted a comprehensive action plan and road map for reduction of Non-Performing Assets (NPAs), which involves strengthening the overall structure, defining clear-cut policy guidelines, emphasising on timely data availability/ analysis-based activity monitoring and structured review, case-specific strategy-based recovery action for large value accounts and persistent, timely, action-based approach to retail accounts. This will aid in further reduction in the capital requirement of the Bank going forward. The Bank has also embarked on divestment of its non-core assets, including sale

of its stakes in certain associates and Joint Ventures and sale of its residential and commercial properties which were not being optimally utilised, to augment its capital base.

Your Bank has also taken several measures to augment its revenue streams by enhancing retail asset growth, improving retail liabilities and enhancing fee income. In alignment with this objective, the Bank has been proactively enhancing its capabilities in terms of improved customer service, field sales excellence and analytics driven sales.

As a corollary to revenue maximisation for boosting its bottom-line, your Bank has been working towards rationalisation of its operating costs. The Bank has identified a number of areas with significant potential for higher efficiency such as overheads expenses, rent reduction, ATM rationalisation, streamlining of IT processes and reduction of outsourcing expenses.

To support this overarching strategy, your Bank has ensured that the retail business segment and credit monitoring and recovery teams are adequately staffed. Furthermore, measures are being taken to revamp the governance in your Bank. Additionally, the Bank has been leveraging its core strengths, that is, strong brand equity, efficient retail operations, excellent customer service, robust IT platform, among others, to achieve its business objectives.

During the year, the Government recapitalised Public Sector Banks (PSBs), including your Bank. Your Bank has furnished a Board-approved undertaking to the Government whereby it will meet certain milestones in a defined timeframe, for which necessary steps are being taken.

The infusion of capital by the Government is contingent upon performance of PSBs on the reform agenda. All PSBs, including your Bank, are striving towards aligning their business strategy to become more responsive and responsible banks.

Underlying its strategic initiatives, your Bank continues to remain committed towards its customers with a number of customer-centric initiatives. The Bank is also committed to the *PSB Reforms Agenda* aimed at Enhanced Access and Service Excellence (EASE) unveiled by the Government during the year and is taking the necessary steps towards its implementation. The EASE framework centres around six themes, viz. (i) Customer Responsiveness, (ii) Responsible Banking, (iii) Credit Off-Take, (iv) PSBs as Udyami Mitra, (v) Deepening Financial Inclusion & Digitalisation and (vi) Ensuring Outcomes - HR. Your Bank has ensured that these themes are central to the various initiatives being taken by it and the progress on these fronts is monitored and evaluated on a regular basis.

Key Business Initiatives

In keeping with its intended positioning as a full-service new generation commercial bank, your Bank continues to target a broad-based retail business portfolio. In order to foster its retail business to ensure a more balanced business mix, your Bank offers an array of products and services to cater to the full spectrum of its customers' requirements. Taking into consideration the emerging and evolving customer needs and trend, your Bank constantly launched new products and services as also fine-tuned its existing array of products, services and processes to remain competitive.

Your Bank served its customers through its network of 1,916 branches, 3,779 ATMs and 58 e-lounges. The physical network was also supplemented by a range of digital offerings to extend the convenience of transacting at any time and any place to its customers.

Your Bank has been leveraging its IT capabilities to offer financial products and services embedded with state-of-the-art technology and security features to seamlessly cater to the ever-increasing needs and demands of its customers. Your Bank is continuously embracing technological improvements to ensure highest level of user experience by guaranteeing operational convenience and enhanced efficiency. Your Bank also assigns highest significance to security and confidentiality of customers' information and transaction details. Furthermore, proactive measures are also undertaken to sensitise customers on a periodic basis about the potential cyber threats as also to promote safe and secure banking practices.

Recognising the potential of the priority sector segment and business potential therein, your Bank has been increasingly strengthening its Priority Sector Lending (PSL) portfolio, thereby also adhering to the RBI's mandate. Your Bank is also leveraging its network of Business Correspondents (BCs)/ Business Facilitators (BFs) in an effort to increase penetration in rural and semi-urban areas and thereby, ensuring wide-spread financial inclusion while simultaneously placing emphasis on its PSL business.

Your Bank has been actively furthering the Government's agenda of ensuring inclusive growth in the economy by ensuring access to financial products and services needed by the marginalised sections of the society at an affordable cost in a fair and transparent manner. The agenda of financial inclusion is addressed through interventions in three key areas viz., offering appropriate financial products, making intensive use of technology and enhancing financial literacy. Furthermore, the Bank has also proactively participated in various social security schemes of Government of India. Simultaneously, your Bank has placed utmost importance on promoting financial literacy. Financial literacy has been identified as a pre-requisite for effective financial inclusion

and an integral part of the Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY) in order to let the beneficiaries make best use of the financial services being made available to them.

Your Bank conducts its Trade Finance (TF) business through its full-fledged Authorised Dealer TF centres and Retail TF branches in various locations pan-India. In a bid to ensure greater customers convenience, various initiatives have been undertaken to automate operations which has also helped your Bank to increase its productivity and efficiency.

Your Bank also acts as an agent for Central Government and State Governments to manage their receipts and payments through its best-in-class technology platform. Your Bank is authorised to collect Central Government taxes (direct and indirect), Government receipts, electronic payment of Railway freight charges, EPFO subscription, collect stamp duty, offer Small Saving Schemes, extend Aadhaar-based authentication of Life Certificate for pensioners, among other services.

Your Bank is authorised to facilitate Utility Bill Payments using Bharat Bill Payment System (BBPS) - an RBI mandated system - aimed at offering integrated and interoperable bill payment system in India.

Your Bank has put in place a Board-approved CSR policy with effect from April 2014 in compliance with the Companies Act, 2013, underscoring your Bank's inclination towards being a socially and environmentally responsible entity. Your Bank, through its planned interventions, has significantly contributed towards providing improved access to health services, promoting education for children, ensuring environmental sustainability, promoting gender equality, enhancement of livelihood opportunities, advancement of vocational & employable skills and holistic development of villages, among others.

The detailed descriptions of the Bank's initiatives undertaken during the year are outlined in the Management Discussion and Analysis section of the Annual Report.

Board of Directors

Your Bank's Board of Directors is broad-based and its constitution is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Companies Act, 2013, the Articles of Association of your Bank and the requirements of Corporate Governance, as envisaged in SEBI (LODR) Regulations, 2015. The Board functions directly as well as through various Board Committees constituted to provide focussed governance in the important functional areas of your Bank.

As on March 31, 2018, the Board comprised of ten Directors, including Managing Director and CEO (MD & CEO), two Deputy Managing Directors (DMDs), two Non-Executive Directors and five Independent Directors. Shri Mahesh Kumar Jain, MD & CEO, Shri K. P. Nair and Shri G. M. Yadwadkar, DMDs, Shri Pankaj Jain and Shri Praveen Garg, Central Government official Nominees as Non-Executive Directors, Shri S. Ravi, Shri Ninad Karpe, Shri Gyan Prakash Joshi, Dr. Ashima Goyal and Shri Bhuwanchandra B. Joshi as Independent Directors constituted the Board as on March 31, 2018. During May 2018, Shri S. Ravi and Shri Ninad Karpe, Independent Directors resigned from the Board while Shri Praveen Garg, Government Nominee Director was replaced by Shri Sudhir Shyam by Government of India. To fill the 2 (two) vacancies of Independent Directors, the Board has appointed Shri Samaresh Parida and Shri N. Jambunathan as Additional Directors with effect from May 19, 2018. The present strength of 10 (ten) Directors on the Board, as against the composition for maximum strength of 13 Directors provided under Article 116(1) of the Articles of Association, meets the requirement provided under Article 114(a) of the Articles of Association.

Apex Committees

The Board has a total of fifteen committees to oversee various functional aspects of your Bank's business and operations. The committees are Audit Committee of the Board, Remuneration Committee, Executive Committee, Nomination Committee, Stakeholders' Relationship Committee, HR Steering Committee, Frauds Monitoring Committee, Recovery Review Committee, Risk Management Committee, Independent Directors' Committee, Corporate Social Responsibility Committee, Non-Cooperative Borrowers' Review Committee, Customer Service Committee, Wilful Defaulters Review Committee and Information Technology Committee.

Corporate Governance

Your Bank is committed to adopting best corporate governance practices. It believes that effective corporate governance is not just a requirement for regulatory compliance, but also a facilitator for enhancement of stakeholders' value. The details of your Bank's corporate governance practices are given in this Annual Report as a separate section under Corporate Governance Report.

Business Responsibility Report

The Securities and Exchange Board of India (SEBI), vide its notification dated December 22, 2015, has mandated the inclusion of Business Responsibility (BR) Report as part of the Annual Report for Top 500 listed entities based on market capitalisation at BSE and NSE. The BR Report should describe initiatives taken by the listed entity from an environmental, social and governance perspective. The Bank's Business Responsibility Report has been hosted on the website of the Bank (www.idbi.com).

Statement under Section 134 of the Companies Act, 2013 read with Rule 5 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014

There were no personnel in your Bank's services, during the financial year under review, who received remuneration over ₹ 1.02 crore annually. Besides, there were no personnel in the service of the Bank for a part of the year who received remuneration in excess of ₹ 8.50 lakh per month. Further there was no personnel employed throughout the financial year or part thereof who was in receipt of remuneration at a rate, which in the aggregate, was in excess of that drawn by Managing Director & CEO or Deputy Managing Director of the Bank and who held by himself or along with his spouse and dependent children, not less than 2% of the equity shares of the Bank.

Conservation of Energy, Technology Absorption, Foreign Exchange Earnings and Outgo

The provisions of Section 134(3)(m) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8(3) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 are not applicable to your Bank. However, your Bank has been increasingly using information technology in its operations.

RBI's Prompt Corrective Action (PCA)

The RBI, vide its letter dated May 05, 2017, initiated PCA for your Bank in view of its high net Non-Performing Assets (NPA) and negative Return on Assets (ROA). The Bank has been taking necessary actions to comply with the RBI's directive in this regard. The Bank has also put in place a comprehensive turnaround strategy to improve its financial position. Furthermore, in compliance with the RBI directive with regard to restriction on fresh corporate exposure except for cases under Joint Lenders' Forum (JLF) mechanism, the Bank has reviewed its internal credit policy and has been working towards limiting its corporate exposure.

Directors' Responsibility Statement

The Board of Directors, hereby, declares and confirms that:

a. In the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

b. The Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit and loss of the Bank for that period;

c. The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

d. The Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis;

e. The Directors had laid down internal financial controls to be followed by the Bank and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively; and

f. The Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

Acknowledgements

Your Bank's Board of Directors is sincerely grateful to the Government of India, Reserve Bank of India (RBI) and all other statutory/ regulatory authorities for their valuable co-operation and guidance. The Board also acknowledges, with gratitude, the co-operation and support received from various State Governments and other banks/ financial institutions. The Board thanks various multilateral institutions and international banks/ institutions for their support. The Board takes this opportunity to put on record its deep sense of gratitude to its loyal shareholders and customers for extending their support during the year, and looks forward to their continued association in the years ahead. The Board appreciates the sincere and devoted services displayed by its entire staff and highly values their commitment towards the Bank.

[K.P. Nair]	**[Mahesh Kumar Jain]**
Deputy Managing Director	Managing Director & CEO

Place: Mumbai
Date: May 25, 2018

प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण

कारोबारी परिवेश

निवेश, विनिर्माण गतिविधियों और व्यापार में आए उछाल के फलस्वरूप वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्यापक स्तर पर सुधार जारी है. इस परिदृश्य में विभिन्न मान्यताप्राप्त अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे विश्व बैंक, आईएमएफ, ओईसीडी आदि ने 2018 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया है.

वित्तीय वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में जीडीपी विकास की दर तेजी से बढ़कर 7.7% हो गई है, जो विगत सात तिमाहियों में सर्वाधिक है. इसके चलते भारत ने तीव्रतम गति से उत्तरोत्तर बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था की अपनी स्थिति को बरकरार रखा है. कृषि उपज में सुदीर्घ सुधार, बेहतर विनिर्माण निष्पादन और गतिशील सेवा क्षेत्र ने समग्र विकास को संचालित किया है. तथापि जीडीपी विकास की दर वित्तीय वर्ष 2016-17 की 7.1% के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2017-18 में 6.7% ही रही है. यद्यपि वित्तीय वर्ष 2017-18 की समाप्ति पर जीडीपी विकास की दर विगत चार वर्षों में सबसे कम थी, फिर भी वित्तीय वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही से विकास की बेहतर हो रही दर आने वाले अच्छे समय का विश्वास दिलाती है. शीर्ष संस्थाओं/ संगठनों को ऐसी आशा है कि अगले चार-पाँच वर्षों में भारत तीव्रतम गति से उत्तरोत्तर बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा.

भारत में विकास को बढ़ावा देनेवाले प्रमुख संवाहक मुख्यतः देशी और नीतिगत कारक रहे हैं, तथापि वैश्विक विकास में एक साथ होने वाले सुधार से कुछ अनुकूल माहौल अवश्य बनेगा. खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन संभावित होने, कॉरपोरेटों द्वारा बिक्री में भारी वृद्धि होने, तैयार माल की अधिक खपत होने, कॉरपोरेटों द्वारा अचल आस्तियों में निवेश प्रारम्भ करने, जोकि पूंजीगत व्यय चक्र को नवीकृत करने का संकेत दे रहा है; तथा सेवा क्षेत्र की आघात-सहनीयता के चलते भारत के आर्थिक विकास का भावी परिदृश्य सकारात्मक हो रहा है. देशी हवाई यात्रियों के आने-जाने और विदेशी पर्यटकों के आगमन में वृद्धि के चलते उच्चतर निजी उपभोग होने, उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में उछाल आने, पैसेंजर वाहनों आदि की बिक्री में बढ़ोत्तरी होने से देशी मांग की स्थिति और भी मजबूत होने के संकेत मिल रहे हैं.

कारोबार समीक्षा

आपके बैंक ने अपनी अनिवार्यताओं को देखते हुए रणनीतिक रूपान्तरण के उद्देश्य से वर्ष के दौरान चार प्रमुख क्षेत्रों यथा (i) आस्ति का उपयोग करने (ii) राजस्व को अधिकतम करने (iii) परिचालन लागत को युक्तिसंगत बनाने तथा (iv) मानवशक्ति आयोजना संबंधी प्रयासों को केंद्र में रखकर प्रोजेक्ट निश्चय आरंभ किया. इस प्रोजेक्ट के तहत इन चार प्रमुख स्तंभों के अंतर्गत एक बहु-आयामी, विविध पहल कार्य वाली रणनीति तैयार की गई.

अपनी व्यापक रूपान्तरण रणनीति के एक भाग के रूप में आपके बैंक ने अपनी कॉरपोरेट ऋण बही की वृद्धि को सीमित कर रिटेल और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने पर जोर देते हुए अपने कारोबार संमिश्र को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए. इससे बैंक को अपनी जोखिम भारित आस्तियों (आरडबल्यूए) में कमी लाते हुए अपेक्षाकृत कम पूंजी वाले कारोबार मॉडल की ओर जाने में मदद मिलेगी. अपनी आस्ति गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए बैंक ने गैर-निष्पादक आस्तियों (एनपीए) में कमी लाने हेतु व्यापक कार्य योजना तैयार कर रोड मैप बना लिया है. इससे आगे चलकर बैंक की पूंजीगत आवश्यकता में और भी कमी आएगी. बैंक ने अपना पूंजी आधार मजबूत करने के लिए अपनी गैर-प्रमुख आस्तियों का विनिवेश आरंभ कर दिया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में अपना हिस्सा बेचने के अलावा अपनी ऐसी आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों का विक्रय करना शामिल है, जिनका इष्टतम उपयोग नहीं हो पा रहा था.

इसके साथ-साथ आपके बैंक ने अपने राजस्व क्षेत्र को सशक्त करने के लिए रिटेल आस्ति को और बढ़ाने, रिटेल देयताएँ सुधारने तथा शुल्क आधारित आय बढ़ाने जैसे कई उपाय किए. इस दिशा में बैंक बेहतर ग्राहक सेवा, उत्कृष्ट फील्ड विक्रय तथा विश्लेषणपरक विक्रय के माध्यम से अपनी क्षमता को सक्रियतापूर्वक बढ़ा रहा है.

अपने लाभ को बढ़ाने के लिए आपका बैंक उच्चतर कार्यक्षमता वाले क्षेत्रों की पहचान कर परिचालन लागत को युक्तिसंगत बनाने हेतु कार्य कर रहा है.

बैंक की समग्र रणनीति के अंतर्गत मानव संसाधन संबंधी आवश्यक कदम शामिल हैं, जिसके तहत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि रिटेल कारोबार खंड और ऋण निगरानी व वसूली टीमों में पर्याप्त स्टाफ रहे तथा अभिशासन संरचना को बेहतर बनाया जा सके.

विनिर्दिष्ट मानदंडों के संबंध में हुई प्रगति की निगरानी के लिए समर्पित कोर टीमों का गठन किया गया. इसके अलावा एक सामूहिक प्रयास के रूप में समग्र बैंक में संप्रेषण और सहबद्धता स्तर सुधारने पर जोर दिया गया. आपका बैंक इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि मौजूदा कमियों की पहचान कर इनका समाधान कर लिया जाएगा, मूल ताकत का पूरी तरह से सदुपयोग किया जाएगा तथा मौजूदा उत्पाद व प्रक्रियाएँ सुधारी जाएंगी, जिनके चलते बैंक में उल्लेखनीय वृद्धि और लाभप्रदता दर्ज की जा सकेगी.

यथा 31 मार्च 2018 को आपके बैंक के नेटवर्क में 1916 शाखाएँ शामिल थीं जिनमें पूरे भारत में महानगरीय केंद्रों में 441 शाखाएँ, शहरी केंद्रों में 466 शाखाएँ, अर्ध शहरी केंद्रों में 592 शाखाएँ तथा ग्रामीण केंद्रों में 415 शाखाएँ (258 वित्तीय समावेशन शाखाओं सहित), दुबई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र (डीआईएफसी), दुबई में एक समुद्रपारीय शाखा, जीआईएफटी, गुजरात में एक अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई (आईबीयू) तथा 3,779 एटीएम और 58 ई-लाउंज शामिल थे. इसके साथ-साथ आपके बैंक ने अपने डिजिटल ऑफरिंग को इस तरह समर्थ बनाया कि ग्राहकों को किसी भी समय और कहीं भी लेनदेन करने में सुविधा हो सके.

रिटेल बैंकिंग

रिटेल देयता उत्पाद

'ग्राहक ही सर्वोपरि' के अपने लक्ष्य के मद्देनजर आपका बैंक उच्च मालियत वाले व्यक्तियों (एचएनआई), कारोबार उद्यमों, कॉरपोरेट पेरोल, न्यासों, संघों, सोसाइटियों, वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों, महिलाओं, युवाओं आदि जैसे विभिन्न रिटेल खंडों को कई प्रकार के देयता उत्पाद ऑफर करता है. आपके बैंक का प्रत्येक उत्पाद ग्राहक को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है तथा यह उनकी बहुविध जरूरतों को पूरा करता है. ग्राहकों की निरंतर बदलती और उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए आपके बैंक ने समय-समय पर नए उत्पादों की पेशकश करना तथा मौजूदा उत्पादों की सुविधाओं/ प्रक्रियाओं की समीक्षा करना जारी रखा ताकि उनकी आवश्यकताएँ पूरी की जा सकें.

वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने कम लागत वाली जमाराशियों का हिस्सा बढ़ाने, शुल्क आधारित आय सृजित करने और उत्पादों तथा उनसे संबंधित लागत को औचित्यपूर्ण बनाने के नए अवसरों का पता लगाया. बैंकिंग उद्योग में आए बदलावों के मद्देनजर आपके बैंक ने बढ़ती परिचालन लागत, विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्मों के उद्भव और ग्राहकों की बदलती प्राथमिकताओं को देखते हुए नए सेवा प्रभार आरंभ किए तथा कुछ मौजूदा प्रभारों को संशोधित किया.

एनआरआई सेवाएं

आपका बैंक एनआरआई ग्राहकों के साथ अपने संबंधों को अत्यधिक महत्व देता है और मूलभूत अनिवासी बाह्य (एनआरआई) खाता, अनिवासी सामान्य (एनआरओ) खाता तथा विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) जमाराशियों से लेकर एफसीएनआर जमाराशियों पर वायदा रक्षा, भारतीय सेकंडरी शेयर बाजार में निवेश के लिए पोर्टफोलियो निवेश योजना (पीआईएस), एनआरआई जमाराशियों की प्रतिभूति पर ओवरड्राफ्ट सुविधा, आवास ऋण, संपत्ति पर ऋण तथा इसी प्रकार की अन्य सुविधाओं जैसे वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं का एक पूर्ण फलक प्रदान करते हुए उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है. आपका बैंक तीव्र, किफायती और सुविधाजनक निधि अंतरण करने के लिए एनआरआई ग्राहकों को भारत में झंझट-रहित निधि प्रेषण के लिए कई विकल्प प्रदान करता है.

रिटेल आस्तियां

आपके बैंक ने सम्पूर्ण सेवा प्रदान करने वाले नई पीढ़ी के वाणिज्यिक बैंक की अपनी अभिप्रेत स्थिति का ध्यान रखते हुए अधिक संतुलित कारोबार संमिश्र को सुसाध्य बनाने के लिए बड़े रिटेल कारोबार पोर्टफोलियो को लक्ष्य करना जारी रखा. इसके अनुसरण में आपका बैंक रिटेल बैंकिंग खंड में मुख्यतः ग्राहकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में आकर्षक आस्ति उत्पादों की शृंखला ऑफर करता है. बाजार की उभरती चुनौतियों तथा अपने ग्राहकों की बहुविध जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक आवास ऋण, बंधक ऋण, वैयक्तिक ऋण, शिक्षा ऋण, वाहन ऋण जैसे कई सुरचित रिटेल आस्ति उत्पाद ऑफर करता है. नए उत्पाद आरंभ करने के साथ-साथ आपका बैंक आवधिक आधार पर मौजूदा उत्पादों की समीक्षा कर उनमें संशोधन/ नवीनीकरण/ अनुकूलन भी करता है.

आपका बैंक आवास ऋण खंड में एक विश्वसनीय साझेदार है. सामान्य आवास ऋण उत्पादों के अलावा, आपका बैंक ग्रामीण और किफायती आवास पर भी, जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, ध्यान केन्द्रित कर रहा है. वर्ष के दौरान आपके बैंक ने केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा अपने पेरोल ग्राहकों के लिए विशेष ऑफर शुरूकिए, जिनके तहत आवास ऋण, ऑटो ऋण, वैयक्तिक ऋण तथा उनके विविध प्रकारों पर रियायती दर से ब्याज लगाया गया. आपका बैंक उन चुनिंदा बैंकों में से एक है, जिन्होंने ग्राहकों को उनके ऋण प्रोफाइल के आधार पर प्रतिस्पर्धी ब्याज दर ऑफर करते हुए जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली शुरू की है.

आपका बैंक भारत सरकार के विद्या लक्ष्मी पोर्टल के परिचालन में प्रमुख सदस्य रहा है. इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षा ऋण के लिए ऑन लाइन आवेदन प्रस्तुत किया जाता है.

ग्राहक आधार बढ़ाने के लिए आपके बैंक ने अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन ऋण आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई है. आपका बैंक ग्राहक को वेबसाइट के माध्यम से अपना ऋण आवेदन ट्रैक करने की सुविधा भी ऑफर करता है.

क्रेडिट कार्ड

आपका बैंक विभिन्न नेटवर्क स्कीम के अंतर्गत निम्नानुसार पाँच क्रेडिट कार्ड वेरिएंट ऑफर करता है:

क. रुपे स्कीम - विनिंग सिलेक्ट;

ख. वीसा स्कीम - रॉयल सिग्नेचर, एस्पायर प्लेटिनम और इम्पेरियम प्लेटिनम;

ग. मास्टरकार्ड स्कीम - यूफोरिया वर्ल्ड

उक्त कार्ड वेरिएंट विभिन्न ग्राहक खंडों को उनकी प्रोफाइल व आवश्यकता के आधार पर टैग किए जाते हैं.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक ने *'विनिंग्स'* रुपे सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड शुरू किया. यह एक प्रीमियम कार्ड है, जो मुख्यतः वेतनभोगी खंड के अंतर्गत सम्पन्न ग्राहक वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है. आपका बैंक नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के साथ मिलकर रुपे प्लेटफॉर्म पर क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाले आरंभिक बैंकों में से एक है.

बाजार में अपने क्रेडिट कार्ड की पैठ जमाने के लिए आपके बैंक ने वर्ष के दौरान विशाल रिटेल ग्राहक आधार का इस्तेमाल करते हुए अपने चुनिंदा मौजूदा ग्राहकों को पूर्व-अनुमोदित क्रेडिट कार्ड भी ऑफर किए.

कार्ड को सक्रिय करने व इसका उपयोग बढ़ाने के लिए आपके बैंक ने वर्ष के दौरान कार्ड उपयोग और सक्रियन अभियान भी चलाया, जिसके तहत ग्राहकों को अतिरिक्त बोनस डिलाइट पॉइंट भी प्रदान किए गए. आपके बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को मर्चेन्ट डिस्काउंट के रूप में अतिरिक्त सुविधा भी ऑफर की.

डिजिटल बैंकिंग

भारतीय बैंकिंग जगत डिजिटल बैंकिंग चैनलों में नित नवोन्मेषण और प्रौद्योगिक अंगीकरण का साक्षी बन रहा है. भारत का *'डिजि धन मिशन'* इसी परंपरा की महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसका उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के अधिकतम उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना तथा कागज-आधारित लेन-देनों को कम करना है.

आपका बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पॉइंट ऑफ सेल्स (पीओएस), मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल्स (एमपीओएस), इंटरनेट भुगतान गेटवे, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जैसे विभिन्न डिजिटल उत्पादों को प्रोत्साहित करने व इनका संवितरण करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा यह सुनिश्चित कर रहा है कि ग्राहक इन उत्पादों को अधिक से अधिक सक्रिय कर इनका उपयोग करें.

आपके बैंक ने जीपीआरएस, पीएसटीएन, मोबाइल पीओएस, पीसीपीओएस और एनएफसी एनेबल्ड टर्मिनल जैसे मौजूदा उत्पादों के दायरे को व्यापक किया और यह भारत क्यूआर (वर्जन 4) और भीम आधार पे (आरडी एनेबल्ड) के साथ डिजिटल पीओएस शुरू करने वाले पहले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में से एक था.

आपके बैंक ने अपने मोबाइल बैंकिंग एप्प को 'गो मोबाइल +' नामक नया नाम देते हुए इसका नवीकरण किया ताकि यूजर को बेहतर इंटरफेस और सुखद अनुभव मिल सके.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान आपके बैंक की कुछ उपलब्धियाँ इस प्रकार रहीं:

- डिजि धन मिशन के अंतर्गत भारत सरकार के दिशानिर्देशों के तहत आपके बैंक ने भीम आधार बायोमैट्रिक फिंगरप्रिंट डिवाइस के लिए निर्धारित लक्ष्य को 94% प्राप्त करते हुए सभी पीएसबी में दूसरा स्थान तथा भारत के सभी 38 बैंकों में 10वां स्थान प्राप्त किया.

- डिजिटल भुगतान लेनदेन का जो प्रतिशत 31 मार्च 2017 को 39.10% था, वह 31 मार्च 2018 को बढ़कर 64.25% हो गया.
- आपके बैंक ने ग्रीन पिन के रूप में कागजविहीन पिन जनरेट करने का एक समाधान आरंभ किया, जिसके तहत आईडीबीआई बैंक के डेबिट कार्डधारक एटीएम, आईवीआर, इंटरनेट बैंकिंग चैनल, एसएमएस और मिस्ड कॉल सुविधाओं के माध्यम से अपना डेबिट कार्ड पिन जनरेट कर सकते हैं.
- आपके बैंक ने जून 2017 में आईओएस प्लेटफॉर्म पर *'भीम पे विज़'* नामक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) मोबाइल एप्लिकेशन आरंभ किया.
- आपके बैंक ने भीम डिजिटल पीओएस भी आरंभ किया, जोकि मर्चेन्टों को सभी यूपीआई एप्लिकेशनों से भुगतान स्वीकार करने में समर्थ बनानेवाला एक मोबाइल आधारित भुगतान संग्रहण एप्लिकेशन है. यह एप्लिकेशन मर्चेन्टों को एकल मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करते हुए आधार नंबर और बायोमैट्रिक्स के जरिये भुगतान संग्रहण करने में भी समर्थ बनाता है.
- जून 2017 में आपके बैंक ने *'आईडीबीआई एप्पकार्ट'* आरंभ किया, जोकि एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर सभी मोबाइल आधारित समाधान वाला एक अंब्रेला एप्लिकेशन है. इससे ग्राहक को एप्लिकेशन लोकेट करने में बहुत सुविधा होगी.
- डेबिट कार्ड की दैनिक लेनदेन सीमा सेट करने तथा इसका प्रयोग करने में समर्थ बनाने/ रोकने की सुविधा भी इन्टरनेट बैंकिंग में शुरू की गई.

अन्य पक्ष उत्पाद तथा पूंजी बाजार उत्पाद

आपका बैंक अपने ग्राहकों के जोखिम प्रोफ़ाइल तथा वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उन्हें मूल्य-योजित उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान करता है. वर्ष के दौरान आपके बैंक ने प्रोजेक्ट निश्चय के तहत *'एच डबल्यू एच'* (स्वास्थ्य, संपत्ति और खुशी) नामक विशेष अभियान चलाते हुए शुल्क आधारित आय बढ़ाने और स्वस्थ बिक्री संस्कृति का निर्माण करने पर विशेष जोर दिया. आपके बैंक ने सॉवरिन गोल्ड बांड स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ इस विषयक सेवाएं भी प्रदान कीं.

आपके बैंक को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की ओर से तीन पुरस्कार प्राप्त हुए. अधिकतम एनपीएस खाते जुटाने संबंधी *'लाइफ्स ग्लोरी'* अभियान में 3रा स्थान प्राप्त हुआ, एनपीएस में कॉरपोरेट एक्टिवेट करने के संबंध में बेस्ट पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त किया तथा बेस्ट पीओपी-सेवा प्रदाता एसपी एक्टिवेशन में तीसरा स्थान हासिल किया. आपके बैंक को नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की 32 वीं डीपी कॉन्फ्रेंस में पीएसयू बैंक श्रेणी के तहत सर्वाधिक नए डीमैट खाते खोलने के लिए सर्वोच्च परफार्मर के रूप में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ.

वित्तीय समावेशन

आपका बैंक समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को सस्ती लागत पर निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से उपयुक्त वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने में नीति-निर्माताओं के साथ भागीदारी में तत्पर रहा है. आपके बैंक की वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) वित्तीय समावेशन के लिए सुसंगठित और योजनाबद्ध नजरिया प्रदान करती है. आपका बैंक वित्तीय समावेशन के एजेंडे को तीन प्रमुख क्षेत्रों अर्थात् उपयुक्त वित्तीय उत्पाद ऑफर करने, प्रौद्योगिकी का गहन उपयोग करने तथा वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने पर केन्द्रित करते हुए प्रवर्तित कर रहा है.

प्रधान मंत्री जन धन योजना तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

आपके बैंक ने प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत खातें जुटाने और सक्रिय रूप से भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं अर्थात् दुर्घटना बीमा सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), जीवन बीमा सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) तथा वृद्धावस्था पेंशन के लिए अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में भागीदारी की.

कारोबार प्रतिनिधि (बीसी)/ कारोबार सुलभकर्ता (बीएफ)

आपके बैंक ने ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अपनी पैठ जमाकर बेहतर वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के साथ-साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) देने के अपने कारोबार को समृद्ध करने के लिए कारोबार प्रतिनिधि (बीसी)/ कारोबार सुलभकर्ता (बीएफ) का नेटवर्क बढ़ाया है. बीसी (जिन्हें बैंक मित्र भी कहा गया है) के माध्यम से भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए उन्हें हैंड-हेल्ड डिवाइस उपलब्ध कराए गए जिनमें रुपे कार्ड स्वीकार करने तथा आधार-आधारित लेनदेन करने की सुविधा दी गई है. इसके अतिरिक्त, कारोबार प्रतिनिधियों/ कारोबार सुलभकर्ताओं के कौशल को बढ़ाने के लिए, ताकि वे आत्मविश्वास से परिपूर्ण, स्व-समर्थ और व्यवहार्य बनें; आपके बैंक ने देश भर में विभिन्न स्थानों पर सभी बीसी/ बीएफ के लिए गहन प्रशिक्षण सत्रों/ कार्यशालाओं का आयोजन किया. इसके अलावा, आपके बैंक ने कारोबार प्रतिनिधियों/ कारोबार सुलभकर्ताओं को बैंकिंग लेनदेन करने तथा प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म पर कार्य करने हेतु तकनीकी कौशल विकसित करने के लिए कार्य पर प्रशिक्षण भी प्रदान किया.

वित्तीय साक्षरता

प्रभावी वित्तीय समावेशन करने तथा उपलब्ध वित्तीय सेवाओं का लाभार्थियों द्वारा सर्वोत्तम उपयोग करने के उद्देश्य से वित्तीय साक्षरता को प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) की एक आधारभूत आवश्यकता के रूप में निर्धारित किया गया है. आपके बैंक ने अपनी ग्रामीण शाखाओं में *'वित्तीय साक्षरता जानकारी केंद्र'* नामक डेस्क स्थापित किए हैं जो विभिन्न बैंकिंग उत्पादों तथा सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में शाखा से बाहर आयोजित साक्षरता कैंपों के जरिये आम लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का कार्य करते हैं. आपके बैंक का महाराष्ट्र के सातारा जिले में स्थित आईडीबीआई ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आईडीबीआई-आरएसईटीआई) भी ग्रामीण बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगारोन्मुखी निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करता है ताकि वे स्व-रोजगार हेतु सक्षम हो सकें.

वित्तीय समावेशन के लिए पुरस्कार

आपके बैंक को अपनी वित्तीय समावेशन पहल के लिए 48वें एसकेओसीएच शिखर सम्मेलन के दौरान एसकेओसीएच ऑर्डर-ऑफ-मेरिट अवार्ड 2017 से सम्मानित किया गया.

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र बैंकिंग

आपका बैंक रिज़र्व बैंक के अधिदेश के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (पीएसएल) को उधार देता रहा है. वर्ष के दौरान बैंक ने विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप सूक्ष्म उद्यमियों तथा लघु व सीमांत कृषकों के वित्तपोषण के साथ-साथ गैर-कॉरपोरेट कृषकों को प्रत्यक्ष उधार देने पर ध्यान दिया. आपके बैंक ने कॉरपोरेट बीसी/बीएफ चैनल के माध्यम से सूक्ष्म ऋण प्रदान करना जारी रखा और कई कॉरपोरेट/ बीएफ के साथ गठजोड़ किए. आपका बैंक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) एवं स्टैंड-अप इंडिया जैसी भारत सरकार की योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता देने के साथ-साथ समाज के सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को भी विनियामक रूपरेखा के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने में आगे रहा है.

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख पहल कार्य

- आपके बैंक ने 13 स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन्स (एसआरएलएम) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जोकि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन्स (एनआरएलएम) की राज्य स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसियां हैं. एनआरएलएम गरीबी उन्मूलन का भारत का प्रमुख कार्यक्रम है तथा इसका संचालन स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा किया जाता है.
- आपके बैंक ने देश भर में अपनी शाखाओं/ कार्यालयों के माध्यम से 23 दिसंबर 2017 को 'किसान संगोष्ठी' का आयोजन किया, जिसके माध्यम से कृषकों को आर्थिक सशक्तता, उपभोक्ता संरक्षण, वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता के बारे में सुशिक्षित किया गया.
- कृषि के क्षेत्र में पूंजी निर्माण के महत्व को देखते हुए बैंक ने मैदानी स्तर पर कई अभियान चलाए ताकि कृषि क्षेत्र में निवेश ऋण को प्रोत्साहित कर इसे हासिल किया जा सके.
- ऋण प्रस्तावों के डिजिटलाइजेशन व त्वरित कार्रवाई के जरिये कार्यान्वयन समय में सुधार लाने के उद्देश्य से केसीसी के लिए 'इंटीग्रेटेड पीएसएल ऑटोमेटेड लेंडिंग सिस्टम (आई-पाल)' के माध्यम से ऑनलाइन मंजूरी प्रणाली शुरू की गई.
- आपके बैंक ने विभिन्न उद्योगों तथा भौगोलिक क्षेत्रों में सात नए एसएमई क्लस्टर अभिनिर्धारित किए जहां उनकी आवश्यकतानुसार उत्पाद तैयार किए गए.
- आपके बैंक ने ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) प्लेटफॉर्म जो बीजक/ बिलों की ई-भुनाई को सुलभ बनाता है, में सहभागिता की.

कॉरपोरेट बैंकिंग

आपके बैंक के कॉरपोरेट बैंकिंग पोर्टफोलियो में बिजली, वस्त्र, सीमेंट, इस्पात, इंजीनियरिंग, निर्माण, कागज और कागज उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं बिजली उपकरण, चीनी, रसायन, ऑटोमोबाइल, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एक्सपोजर शामिल हैं.

कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए आपके बैंक के आस्ति उत्पाद समूह में मीयादी ऋण, अल्पावधि ऋण, कार्यशील पूंजी (निधि आधारित एवं गैर निधि आधारित दोनों), निर्यातकों को पैकिंग ऋण, प्राप्य राशियों की खरीद, बिल भुनाई, आदि शामिल हैं. कॉरपोरेट बैंकिंग के अंतर्गत आपका बैंक डीलरों/कॉरपोरेट वेंडरों, आदि के लिए चैनल वित्तपोषण एवं वेंडर वित्तपोषण जैसे उत्पादों को ऑफर करते हुए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार पर पर्याप्त जोर देता है. आपके बैंक की कॉरपोरेट बैंकिंग टीम उपयुक्त उत्पाद विकसित करने तथा उपयुक्त समाधान के लिए रिटेल बैंकिंग, संव्यवहार बैंकिंग, ट्रेजरी आदि जैसी अन्य विशेषीकृत टीमों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ कर कार्य करती है ताकि कॉरपोरेट ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके.

आपका बैंक भारत सरकार की प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना(टीयूएफएस) के अधीन वस्त्र उद्योग (गैर एमएसएमई क्षेत्र) के लिए नोडल एजेंसी भी है. अखिल भारतीय स्तर पर आपके बैंक के ग्राहकों से संबंधित मामलों की प्रोसेसिंग के अतिरिक्त, नोडल एजेंसी के रूप में आपके बैंक ने 62 प्रमुख उधार संस्थाओं को भी सहयोजित किया है जिसमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, राज्य वित्तीय निगम, राज्य औद्योगिक विकास निगम, सहकारी बैंक, आदि नोडल एजेंसी के रूप में शामिल हैं.

अपनी कायापलट योजना के अनुरूप आपका बैंक सोच-विचार कर अपनी कॉरपोरेट ऋण बही में वृद्धि को सीमित कर रहा है जिससे इसे कम पूंजी वाले कारोबार मॉडल में परिवर्तित होने में मदद मिलेगी तथा साथ ही इसके कारोबार पोर्टफोलियो में जोखिम कम हो सकेगा.

आस्ति गुणवत्ता

आपके बैंक ने नई अनर्जक आस्तियों (एनपीए) पर नियंत्रण करने और वर्तमान स्टॉक से वसूली पर जोर देना जारी रखा. मार्च 2018 के अंत में आपके बैंक की कुल आस्तियों में 72.05% अर्जक आस्तियां और 27.95% अनर्जक आस्तियां (जिसमें 20.41% अवमानक आस्तियां, 75.40.% संदिग्ध आस्तियां और 4.19% हानि आस्तियां शामिल हैं) थीं. वर्तमान विनियमक दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त रूप से प्रावधान किए गए तथा प्रावधान का कवरेज अनुपात बढ़ कर 63.40% हो गया है.

वसूली और कोटि-उन्नयन 2016-17 के ₹ 4,849 करोड़ से 3 गुना बढ़कर 2017-18 में ₹ 15,001 करोड़ हो गया है.

इस पृष्ठभूमि में आपके बैंक ने आस्ति पोर्टफोलियो पुनर्संतुलित करने, दबाव की समयपूर्व पहचान करने, एनपीए के समाधान और उसकी वसूली के लिए बहु विध-दीर्घावधि अनुक्रिया कार्य-योजना तैयार की है. आपके बैंक ने एनपीए को कम करने के लिए व्यापक कार्य-योजना और रोड मैप बनाए हैं. इसमें समग्र संरचना एवं पर्यवेक्षीय व्यवस्था को और मजबूत करना, स्पष्ट नीति दिशानिर्देश तैयार करना, समयबद्ध डेटा उपलब्धता/विश्लेषण आधारित कार्यकलाप निगरानी एवं सुनियोजित समीक्षा के लिए प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) का इष्टतम उपयोग, बड़े मूल्य वाले खातों से वसूली के लिए मामला विशिष्ट कार्य-योजना और रिटेल एनपीए के संबंध में लगातार और समयबद्ध कार्रवाई शामिल है.

इस संबंध में आपके बैंक ने नई गिरावट को रोकने के लिए निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई को तेज करने हेतु बैंक के सभी ऋण एक्सपोजर की ऑफ-साइट निगरानी के लिए ऋण निगरानी समूह की स्थापना की है. प्रणाली आधारित निगरानी और निर्देशित कार्रवाई ने परिणाम देना शुरू कर दिया है.

आपके बैंक ने संकेंद्रित खाता विशेष आधारित समाधान कार्य-योजना और गहन निगरानी के लिए कॉरपोरेट एनपीए एकत्र करने हेतु एक समर्पित वर्टिकल, अर्थात् एनपीए प्रबंधन समूह (एनएमजी) के अधीन एनपीए प्रबंधन को और मजबूत किया है. एसएएमजी के अंतर्गत निगरानी, पर्यवेक्षण और रिटेल खंड से वसूली कार्यों और पर्यवेक्षण के लिए एक विशेष दल का गठन किया गया है तथा कॉरपोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के अधीन एक समर्पित डेस्क की स्थापना की गई है.

दिवाला और शोधन अक्षमता कोड, 2016 (आईबीसी) के अधिनियमन ने चूककर्ता कॉर्पोरेट देनदारों के संबंध में समयबद्ध, पारदर्शी समाधान/समापन के लिए अतिरिक्त मार्ग खोल दिया है. 31 मार्च 2018 के अनुसार, कुल ₹ 24,032 करोड़ एक्सपोजर के मामले (जिनमें मानक आस्तियां, एनपीए और तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए (टीडबल्यूओ) शामिल हैं) सीआईआरपी प्रक्रिया के अधीन हैं और प्रमुख मामलों का वित्तीय वर्ष 2018-19 तक समाधान हो जाने की संभावना है.

आपके बैंक ने मुद्रा के आवधिक मूल्य की वसूली के लिए एक प्रभावी औजार के रूप में एकबारीय निपटान (ओटीएस) लागू करने के प्रयोजन से निपटान, ओटीएस ट्रैकिंग सिस्टम और समझौता करने के लिए विभिन्न अधिकारप्राप्त समितियों के माध्यम से वसूली पर समीक्षित और संशोधित व्यापक नीति अपनाकर प्रणाली और प्रक्रिया में सुधार किया है.

आपके बैंक ने लागू कानूनों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेसी) के अधीन प्रवर्तन कार्रवाई, ऋण वसूली न्यायाधिकरण /न्यायालयों के साथ निरंतर फॉलो-अप को भी बनाए रखा जिसके लिए समर्पित नोडल अधिकारी की तैनाती शामिल है ताकि बिना किसी विलंब के वसूली प्रमाणपत्र/डिक्री प्राप्त की जा सके और उसका निष्पादन हो सके.

आपके बैंक ने 116 मामलों का वर्गीकरण इरादतन चूककर्ता के रूप में किया है तथा ऐसे उधारकर्ताओं/प्रवर्तकों/निदेशकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की पहल की है. 31 मार्च 2018 के अनुसार बैंक ने सात मामलों में असहयोगी उधारकर्ताओं की घोषणा की है.

आपके बैंक ने कुछ एनपीए मामलों को आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों/बैंकों को बेचा भी है. वर्ष के दौरान तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए खातों से ₹ 206.98 करोड़ की वसूली की गई.

व्यापार वित्त

आपके बैंक ने नए सेवा मानक स्थापित करते हुए अपने 53 श्रेणी-बी प्राधिकृत डीलर व्यापार वित्त (टीएफ) केन्द्रों और 61 रिटेल व्यापार वित्त शाखाओं के माध्यम से संचालित व्यापार वित्त कारोबार में प्रभावशाली वृद्धि दिखाना जारी रखा.

बैंक के सतत चल रहे डिजिटल रूपान्तरण के एक भाग के रूप में नेमी परिचालन को स्वचालित करने के लिए कई पहल कार्य किए गए हैं. स्वचालित कार्य-प्रवाह और गैर मूल्ययोजित प्रक्रियाओं को समाप्त कर उत्पादकता और कार्य-क्षमता में सुधार किया गया है. इसके अलावा, आरबीआई तथा अन्य सरकारी एजेंसियों को समय पर सटीक जानकारी प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए विविध विनियामकीय रिपोर्टिंग को स्वचालित कर दिया गया है.

आपके बैंक ने रिज़र्व बैंक द्वारा स्विफ्ट से संबंधित परिचालनगत नियंत्रणों के समयबद्ध कार्यान्वयन और उन्हें सुदृढ़ बनाने संबंधी अनुदेशों का पालन किया. प्रक्रियाएं और नियंत्रण बेहतर सेवा मानक के साथ सुदृढ़ बने हुए हैं.

आपके बैंक ने मिडिलवेयर (एमएसडबल्यूआईएफटी) के माध्यम से कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) (फिनेकल) का स्विफ्ट के साथ एकीकरण किया है जिससे सीबीएस में पास की गई प्रविष्टियों से वित्तीय संदेश तैयार किया जा सकता है. सीबीएस और स्विफ्ट प्राधिकरण में उपयोगकर्ताओं के बीच विविध वर्गीकरण के लिए अंचल स्तर पर स्विफ्ट जावक संदेशों का केंद्रीकृत प्राधिकरण स्थापित किया गया है. आगे के लिए आपका बैंक परिचालन नियंत्रणों को और सुदृढ़ बनाने हेतु पूर्ण केंद्रीकृत स्विफ्ट परिचालन का लक्ष्य रखता है.

अपने रिटेल ग्राहकों के बीच व्यापार सम्बद्ध कार्यकलापों का दायरा बढ़ाने के लिए आपके बैंक ने बाजार अनुकूल आईडीबीआई व्यापार चालू खाता (आईटीसीए) आरंभ किया है. यह व्यापार वित्त उत्पादों के लिए रियायती दर ऑफर करता है और इसकी सेवाएँ खाते में रखे गए औसत शेष पर आधारित हैं.

वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने 1,212 विदेशी बैंकों के साथ मिलकर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एप्लिकेशन (आरएमए) स्थापित किए. इस विस्तारित नेटवर्क के ज़रिए अब आपका बैंक दुनिया भर में प्रमुख भौगोलिक स्थानों पर द्विपक्षीय व्यापार लेनदेनों की सुविधा प्रदान करता है. आपके बैंक ने 24 प्रमुख बैंकों के साथ 14 मुद्राओं में नोस्ट्रो व्यवस्था की है.

ऑनलाइन भुगतान तथा भुगतान संदेशों की गुणवत्ता की सुव्यवस्थित प्रोसेसिंग में आपके बैंक की परिचालनगत क्षमता को स्वीकारते हुए सिटी बैंक तथा बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, मेलॉन ने यूएस डॉलर भुगतान के लिए स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) श्रेणी के अंतर्गत आपके बैंक को 'परफॉर्मेंस एक्सिलेन्स अवार्ड' से सम्मानित किया है. ये पुरस्कार बिना मानवीय दखल के तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने की बैंक की क्षमता को प्रमाणित करते हैं तथा इससे समग्र उत्पादकता में वृद्धि होती है.

सरकारी कारोबार

आपका बैंक केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों की प्राप्तियों और भुगतानों का प्रबंध करने हेतु उनके लिए एजेंट के रूप में कार्य करता है. केंद्र सरकार के करों (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) और 23 राज्य सरकारों तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सरकारी प्राप्तियों के भुगतान को संग्रहित करने के लिए प्राधिकृत होने के अलावा, आपके बैंक को रेलवे मालभाड़ा प्रभारों और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अभिदान के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान संग्रहित करने के लिए अधिदेश प्राप्त है. आपके बैंक को महाराष्ट्र स्टांप अधिनियम के साथ-साथ, भारतीय स्टांप अधिनियम के अंतर्गत भी स्टांप शुल्क संग्रहित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक ने केंद्र तथा राज्य सरकारों की ओर से विभिन्न करों और शुल्क भुगतानों के जरिए ₹ 3 लाख करोड़ से भी अधिक की राशि संग्रहित की है. अपने सर्वोत्तम तकनीकी प्लेटफॉर्म का फायदा उठाते हुए आपका बैंक, अन्य बातों के साथ-साथ, कर भुगतानों के लिए 24x7 इंटरनेट बैंकिंग सुविधा प्रदान करता है. आपका बैंक पूरे भारत में मौजूद अपनी प्राधिकृत शाखाओं के माध्यम से लघु बचत योजनाएं अर्थात् लोक भविष्य निधि (पीपीएफ), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और सुकन्या समृद्धि खाता योजना को संचालित करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत है. आपके बैंक ने भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई जीवन प्रमाण योजना के अंतर्गत सेंट्रल सिविल, रेलवे और डिफेंस के पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण संबंधी आधार आधारित प्रमाणन सुविधा भी प्रदान की जिसकी सहायता से पेंशनर अपने 'डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र' को लॉग इन कर प्रस्तुत कर सकते हैं.

नकदी प्रबंधन सेवाएँ

आपके बैंक द्वारा प्रदत्त नकदी प्रबंधन सेवाएं (सीएमएस) कॉरपोरेट ग्राहकों की देयता प्रबंधन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर (संग्रहण और भुगतान दोनों के लिए) का उपयोग करते हुए निधि संचलन, भुगतानों एवं प्राप्य राशि प्रणालियों पर निगरानी रखने और समग्र चलनिधि स्थिति के प्रबंधन जैसे कार्य करती हैं. यह प्रणाली ऋण के दिन पर व्यवस्था, कीमत-निर्धारण, प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस), प्रतिनिधि बैंक चेक के लिए प्रोसेसिंग, ग्राहक लाइन और ऐसे कई मानदंडों को नियंत्रित करती है. आपका बैंक ऋण शोधन उत्पादों, वर्चुअल खाता प्रणाली, प्रत्यक्ष नामे सुविधा, वेंडर प्रबंधन प्रणाली, स्वचालित समाशोधन गृह अधिदेश प्रबंध सेवा आदि जैसी संग्रहण और भुगतान सुविधाएं प्रदान करता है. ये सभी सेवाएँ बदलती बाजार-प्रवृत्ति के अनुरूप और ग्राहक सिस्टम के साथ आधुनिकतम तकनीकी एकीकरण पर आधारित हैं.

सरकारी ई-परियोजनाओं के साथ अनुकूलन करते समय ग्राहकों को बेहतर उत्पाद/सेवाएँ ऑफर करने की प्रत्याशा में आपके बैंक ने गवर्नमेंट ई-मार्किटप्लेस (जीईएम) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. जीईएम, नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल के रूप में सरकार द्वारा निर्मित एक स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) है. आपका बैंक स्टेशन पर कमाई गई राशि के संग्रहण और रेलवे डिवीजन संबंधी भुगतान के लिए भी प्राधिकृत है.

आपका बैंक स्वचालित समाशोधन गृह (एसीएच-डेबिट) की सुविधा प्रदान करता है जिसमें भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) सेवा का उपयोग करते हुए अंतर बैंक उच्च मूल्य और कम मूल्य वाली राशि के सम्बन्ध में इलेक्ट्रॉनिक रूप से नामे लेनदेन निष्पादित किया जाता है. ग्राहकों को बेहतर अनुभव, आसानी से लेनदेन और कम समय में निपटान के प्रयास के रूप में आपके बैंक ने ई-मैंडेट सुविधा आरंभ की है ताकि नेट-बैंकिंग का प्रयोग करने वाले ग्राहक कागज़ आधारित अधिदेश के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक अधिदेश दे सकें.

आपका बैंक ग्राहक आवश्यकताओं को पूरा करने और साथ ही परिचालनगत क्षमता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से अपनी सीएमएस प्रणाली को समय-समय पर ग्राहक अनुकूल बनाता रहता है.

आपका बैंक रिज़र्व बैंक द्वारा अधिदेशित प्रणाली भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) का उपयोग करते हुए उपयोगिता बिल भुगतान की सुविधा प्रदान करता है जिसका उद्देश्य बिल संग्रह कारोबार, बिलर्स, भुगतान सेवा प्रदाताओं तथा रिटेल बिल आउटलेटों में बैंकों तथा गैर-बैंकों को जोड़ते हुए देश में एकीकृत एवं अंतःप्रचालनीय बिल भुगतान प्रणाली पेश करना है.

ट्रेज़री परिचालन

आपके बैंक के प्रधान कार्यालय में एकीकृत ट्रेजरी है जिसमें निधियों के प्रभावी प्रबंधन तथा ट्रेजरी परिचालन के लिए मुद्रा बाजार, नियत आय, विदेशी मुद्रा-विनिमय, डेरिवेटिव और इक्विटी ट्रेडिंग परिचालनों से संबंधित कार्य किए जाते हैं. ट्रेजरी नकदी आरक्षित निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) संबंधी विनियामकीय अनुपालन का प्रबंधन करते हुए ग्राहकों को बाजार उत्पादों में लेनदेन, संसाधन जुटाने, विभिन्न बाजार खंडों में व्यापार और बाजार निर्माण के कार्य में सुगमता प्रदान करती है.

जमाराशियों के संग्रहण के अतिरिक्त, आपके बैंक ने बेहतर चल निधि प्रबंधन के लिए अंतर-बैंक उधार, विभिन्न स्रोतों से पुनर्वित्त और विदेशी मुद्रा उधार सहित विभिन्न लिखतों का प्रयोग किया है. वर्ष के दौरान, बैंक ने उच्च लागत वाली जमा राशियों और जमा प्रमाणपत्रों पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए गंभीरता के साथ प्रयास किए. तदनुसार, चल निधि को विभिन्न अल्पावधि/मुद्रा बाजार लिखतों/चल निधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के माध्यम से निधि और बाजार की स्थिति के उपयुक्त स्तर पर रखा गया. आपके बैंक का ट्रेजरी भी नियमित रूप से विभिन्न बाजारों की स्थितियों की खोज-खबर रखता है और ट्रेडिंग लाभ के लिए स्वीकार्य स्तर को अपनाता है.

रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, आपके बैंक ने वर्ष के दौरान चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर), चलनिधि जोखिम निगरानी टूल्स और उन्नत चलनिधि जोखिम प्रबंधन के लिए एलसीआर प्रकटन मानकों को शामिल करते हुए चलनिधि मानकों के लिए बासेल III रूपरेखा को कार्यान्वित किया तथा वर्ष के दौरान उच्च गुणवत्ता वाली चल आस्तियों का पता लगाने के लिए विक्रेयता-क्षमता परीक्षण (एचक्युएलए) किया.

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने अतिरिक्त निधियों को अल्पावधि लिखतों एवं विविध अवधि के परिपक्वता वाले मीयादी रेपो, सीडी, परिवर्ती रेपो रेट विंडो के माध्यम से वाणिज्यिक पत्र (सीपी) (आरबीआई की चलनिधि समायोजन सुविधा सहित) में भी सफलतापूर्वक नियोजित किया तथा रणनीतिक आधार पर विदेशी मुद्रा के विनिमय दर एक्सपोजर को नियंत्रित किया.

आपके बैंक की ट्रेजरी के पास विदेशी मुद्रा विनिमय और डेरिवेटिव उत्पादों की प्रभावी मार्केटिंग के लिए सेल्स टीम है तथा यह व्यापक रिटेल कारोबार के प्रबंधन के लिए देश भर के 20 केन्द्रों के माध्यम से कार्य करती है. यह टीम अपने कॉरपोरेट और रिटेल ग्राहकों को मुद्राओं एवं दरों में उनके एक्सपोजर का प्रभावी रूप से प्रबंधन के लिए सक्रिय रूप से समाधान प्रदान करती है. आपके बैंक ने वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किए अनुसार, विदेशी मुद्रा विनिमय, ऑप्शन्स एवं स्वैपों के संमिश्र के माध्यम से मुद्रा विनिमय दर और ब्याज दर जोखिम से ग्राहकों के बचाव के लिए उन्हें प्रतिस्पर्धी दरों पर विभिन्न प्रकार के मानक और ग्राहकोनुकूल समाधान प्रदान किए. विदेशी मुद्रा दर में उतार-चढ़ाव में बढ़ोतरी एवं कॉरपोरेट पोर्टफोलिओ पर दबाव के चलते, आपके बैंक की ट्रेजरी ने अपने विदेशी मुद्रा कारोबार को बढ़ाने और राजस्व पैदा करने के लिए अपना ध्यान रिटेल खंड पर केन्द्रित किया.

इसके अलावा आपके बैंक ने सामान्यतः नियत आय उत्पादों तथा विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों की रिटेल बिक्री के लिए विभिन्न केंद्रो पर ऋण बिक्री टीमों का गठन किया है. ये टीमें स्क्रीन आधारित निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग (एनडीएसओएम) मार्केट के बाहर के लेनदेन करने के लिए निवेशकों की जरूरतों को पूरा करती है और साथ ही आपके बैंक में खाता रखने वाले 500 से अधिक गिल्ट खाता धारकों को ग्राहक सहायक सामान्य लेखाबही (सीएसजीएल) सेवा प्रदान करती हैं. साथ ही रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप आपका बैंक गौण बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों में ऑन-लाइन ट्रेडिंग के लिए गिल्ट खाता धारकों को वेब आधारित एनडीएस-ओएम मॉड्यूल की सुविधा प्रदान करता है.

प्राथमिक व्यापारी (पीडी) कारोबार में आपके बैंक ने भारत सरकार द्वारा जुटाए गए विभिन्न अवधियों के ऋण की विनियामक रूप से अपेक्षित राशि की हामीदारी की है. आपके बैंक ने नीलामी बोली प्रक्रियाओं में भाग लेकर निधियाँ जुटाने में विभिन्न राज्य सरकारों को सहायता भी प्रदान की है. ट्रेजरी-बिल खंड में भी प्राथमिक व्यापारी (पीडी) कारोबार ने अपेक्षित सफलता अनुपात और सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों व ट्रेजरी-बिलों में गौण बाजार टर्नओवर को हासिल करने के संबंध में सभी लागू वचनबद्धताओं को पूरा किया है. प्राथमिक व्यापारी कार्यकलाप के एक भाग के रूप में आपका बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के लिए अनकदी/अर्ध नकदी के सम्बन्ध में बाजार का निर्माण करने संबंधी कार्यों में शामिल रहा है.

वर्ष के दौरान मुद्रा-स्फीति की चिंता, देशी आपूर्ति, मूल्य वृद्धि तथा बढती हुई यूएस अर्जन ने स्थिर आय लिखतों के सामने चुनौती प्रस्तुत की. वर्ष के दौरान अर्जन पर दबाव बना रहा, जिसने मार्क टू मार्केट (एमटीएम) आधारित मूल्यांकन पर असर डाला, विशेष रूप से बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस) निवेश पोर्टफोलियो प्रभावित हुआ जिसके लिए नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान करना पड़ा.

रिज़र्व बैंक द्वारा नीतियों में बदलाव और समय-समय पर एसएलआर बनाए रखने संबंधी निर्देशों के कारण वित्तीय वर्ष के दौरान आपके बैंक की ट्रेजरी ने वर्ष के दौरान एसएलआर/ परिपक्वता पर धारित (एचटीएम) धारिता के संबंध में अपने एक्सपोजर को कम किया.

ट्रेजरी परिचालन में सक्रिय खिलाड़ी होने के कारण, आपका बैंक एफबीआईएल पोल्ड टर्म माईबोर एवं एफबीआईएल पोल्ड एफसी-रुपी ऑप्शन वोलेटिलिटी के संबंध में फाईनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) के लिए वित्तीय बेंचमार्क हेतु एक प्रस्तुतकर्ता बना रहा.

परिचालनगत जोखिम प्रबंधन के एक भाग के रूप में आपके बैंक ने ट्रेजरी कारोबार निरंतरता केंद्र का परिचालन जारी रखा जो किसी संकट/आपदा की स्थिति में अपने मुख्य ट्रेजरी व्यापार केंद्र की सहायता एक नजदीकी साईट विकल्प के रूप में करेगा. यह केंद्र विभिन्न बाजार खंड सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी सुविधाओं और एकीकृत परिचालन संपर्क से पूरी तरह सुसज्जित है ताकि पूरे समय ट्रेजरी के फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस एवं मिड ऑफिस कार्यों का संचालन किया जा सके.

सभी कारोबार प्लेटफॉर्म, इंटरफेस, लेखांकन समाधान/ ट्रेजरी के फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस, बैक ऑफिस के कार्यों से संबंधित कोर बैंकिंग के एकीकरण के प्रयोजन से आपके बैंक ने एकीकृत ट्रेजरी प्रबंधन प्रणाली (आईटीएमएस) योजना के अंतर्गत आद्योपांत कार्यान्वयन की शुरुआत की है.

सीमा पार शाखाएँ

दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (डीआईएफसी), दुबई में आपके बैंक की विदेश में पहली शाखा ने अपने परिचालन के आठ वर्ष पूरे कर लिए हैं. साथ ही, आपके बैंक की पहली आईएफएससी बैंकिंग इकाई (आईबीयू), जो भारत में भी पहली है और जो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट) में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) है, ने अपने परिचालन के एक वर्ष पूरे किए.

आपके बैंक की डीआईएफसी शाखा, भारतीय ग्राहकों और यूएई और अन्य गल्फ को-आपरेशन काउंसिल (जीसीसी) देशों से बाहर परिचालन करने वाले उद्यमियों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी), विदेशी मुद्रा ऋण (एफसीएल) तथा व्यापार वित्त उत्पादों

सहित कॉरपोरेट बैंकिंग सेवाओं की शृंखला प्रदान करती है. विदेश में परिचालन को तर्कसंगत बनाने के संबंध में सरकार के निर्देशों और बैंक की कायापलट कार्य-योजना के आधार पर विदेश में परिचालन को तर्कसंगत बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.

आईबीयू, गिफ्ट सिटी ने प्रत्यक्ष रूप से कोई ग्राहक एक्सपोजर नहीं लिया है तथा इसका सम्पूर्ण ऋण एक्सपोजर बैंक की जोखिम और क्रेता की साख पर उधार के रूप में है.

ऋण रेटिंग

आपका बैंक देशी तथा विदेशी मुद्रा उधार दोनों के लिए ऋण की रेटिंग प्राप्त करता है. यथा 31 मार्च 2018 को रुपया संसाधनों के लिए रेटिंग निम्नानुसार है:

रुपया उधार राशियों के लिए रेटिंग

श्रेणी निर्धारित लिखत	क्रिसिल	इक्रा	इंडिया रेटिंग
सावधि जमाराशियां	एफएए / स्टेबल	[इक्रा] एमएए -*	इंड टीएए+/ निगेटिव
अल्पावधि उधार राशियां (जमा प्रमाणपत्र)	क्रिसिल ए1+	[इक्रा] ए1*	इंड ए1+
दीर्घावधि रुपया बांड (सीनियर एवं लोअर टियर II बांड)	क्रिसिल ए+/स्टेबल	[इक्रा] ए*	इंड एए/ निगेटिव
हाइब्रिड - अपर टियर II बांड	क्रिसिल ए/ स्टेबल	[इक्रा] बीबीबी+*	इंड बीबीबी +/ निगेटिव
हाइब्रिड - आईपीडीआई (बासेल II)	क्रिसिल ए/ स्टेबल	[इक्रा] बीबीबी+*	---
हाइब्रिड एटी1 बांड (बासेल III)	क्रिसिल बीबीबी+/ निगेटिव	[इक्रा] बीबीबी- (हाइब्रिड)*	इंड बीबीबी+/ निगेटिव
टियर II बांड (बासेल III)	क्रिसिल ए+/स्टेबल	[इक्रा] ए(हाइब्रिड)*	इंड एए/ निगेटिव

** निगेटिव प्रभाव के साथ रेटिंग वाच*

केयर ने 50 करोड़ रुपए के लोअर टियर II बांड (पूर्व आईडीबीआई होम फाइनेंस से संबंधित) की रेटिंग केयर ए /स्टेबल के रूप में की है.

आपके बैंक की विदेशी मुद्रा उधार राशियों की रेटिंग दो अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों अर्थात् फिच रेटिंग्स (फिच) तथा स्टैंडर्ड्स एंड पूअर्स (एस एंड पी) द्वारा की जाती है. यथा 31 मार्च 2018 को दीर्घावधि विदेशी मुद्रा रेटिंग और आधारभूत क्रेडिट मूल्यांकन (बीसीए)/ अर्थक्षमता रेटिंग (वीआर) तथा स्टैंड-अलोन क्रेडिट प्रोफाइल (एसएसीपी) निम्नानुसार हैं :

विदेशी मुद्रा उधार राशियों के लिए रेटिंग

श्रेणी निर्धारित लिखत	रेटिंग
फिच रेटिंग	
दीर्घावधि निर्गमकर्ता चूक रेटिंग	बीबी+/स्टेबल
अर्थक्षमता रेटिंग (वीआर)	सीसीसी (रेटिंच वाच के अंतर्गत)
स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (एस एंड पी)	
निर्गमकर्ता क्रेडिट रेटिंग (सीआर)	बीबी /स्टेबल
स्टैंड-अलोन क्रेडिट प्रोफाइल (एसएसीपी)	बी-

दीर्घावधि रुपया उधार राशियाँ

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने घरेलू बाजार में कोई नया बांड जारी नहीं किया. वर्ष के दौरान आपके बैंक ने बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I बांड के संबंध में कुल ₹ 5,000 करोड़ तक विनियामकीय क्रय विकल्प का प्रयोग किया.

विदेशी मुद्रा संसाधन

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने विदेशी मुद्रा में कुल यूएसडी 2,548.46 मिलियन की विदेशी मुद्रा जुटाई है जिसमें से यूएसडी 2048.46 मिलियन मुद्रा बाजार लेनदेन के रूप में है.

यथा 31 मार्च 2018 को एमटीएन कार्यक्रम के तहत आपके बैंक की कुल बकाया उधार राशियाँ यूएसडी 1,490.32 मिलियन थीं. वर्ष के दौरान आपके बैंक ने केएफडब्ल्यू, जर्मनी को यूएसडी 245 मिलियन द्विपक्षीय ऋण चुकाया.

जोखिम प्रबंध

आपके बैंक की जोखिम प्रबंध रणनीति सतत् आधार पर कारोबार जोखिमों के अभिनिर्धारण, आकलन तथा निगरानी पर आधारित है ताकि पूंजी का प्रभावी प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके. जोखिमों को कम करने और उनके प्रबंधन के लिए कुछ प्रभावी उपायों में सुपरिभाषित जोखिम प्रबंधन नीतियों को तैयार करना और आपके बैंक की जोखिम उठाने की क्षमता के अनुरूप जोखिम सीमाओं तथा प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करना शामिल है. विनियामक परिप्रेक्ष्य से कारोबारी गतिशीलता, नवोन्मेषिता और परिवर्तनों के संदर्भ में नीति को आवधिक रूप से अद्यतन किया जाता है. आपका बैंक अपने सभी वर्टिकलों में जोखिम के प्रति जागरूकता बढ़ाकर और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाकर जोखिम प्रबंधन संस्कृति में सुधार लाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है. यद्यपि समग्र जोखिम प्रबंध की जिम्मेदारी निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी) की है किन्तु दैनंदिन कार्यकलाप जोखिम अभिशासन संरचना के आधार पर विभिन्न स्तरों पर किए जाते हैं. निरंतर जटिल होती जा रही वित्तीय प्रणाली की चुनौतियों का सामना करने के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं को विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप निरंतर उन्नत किया जाता है. जोखिम-तंत्र प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ तथा प्रौद्योगिकीय रूप से उन्नत बनाने के उद्देश्य से आपके बैंक ने एकीकृत जोखिम प्रबंधन संरचना (आईआरएमए) को कार्यान्वित किया है जिसमें सॉफ्टवेयर समाधान अर्थात् जोखिम आकलन मॉड्यूल (आरएएम), पूंजी आकलन मॉडल (सीएएम) और व्यापक परिचालनगत जोखिम मूल्यांकक (कोर) शामिल हैं. आईआरएमए ऋण तथा परिचालन जोखिमों का अभिनिर्धारण करने तथा उन्हें मापने में सहायता करता है, जिनसे उपयुक्त जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियाँ तैयार करने में सुविधा होती है.

बासेल मानदंडों का कार्यान्वयन

आपका बैंक बासेल III मानदंडों के अंतर्गत पिलर-1 दिशानिर्देशों के अनुपालन में तिमाही आधार पर ऋण, बाजार और परिचालनगत जोखिम हेतु विनियामकीय पूंजी आवश्यकता की गणना करता है. बासेल दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को 31 मार्च 2016 से पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) बनाए रखना अनिवार्य है. विनियामक दिशानिर्देशों में शामिल संक्रमणकालीन व्यवस्थाओं के अनुरूप 31 मार्च 2018 के लिए लागू सीसीबी 1.875% है. तद्नुसार यथा 31 मार्च 2018 को ''कुल पूंजी + सीसीबी'' 10.875% है. 31 मार्च 2018 को आपके बैंक का ''कुल पूंजी + सीसीबी'' अनुपात 10.41% है. इसी प्रकार आपके बैंक का ''सीईटी 1 + सीसीबी'' अनुपात 7.375% की विनियामकीय अपेक्षा की तुलना में 7.42% है. यथा 31 मार्च 2018 को ''टियर-I + सीसीबी'' अनुपात 8.875% की विनियामक अपेक्षा की तुलना में 7.73 % है.

आपके बैंक के पास बासेल III ढांचे के पिलर 2 मानदंडों के अनुरूप निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) संबंधी नीति है. यह नीति आपके बैंक को पिलर 1 के अंतर्गत न आने वाले जोखिमों का आंतरिक रूप से आकलन और गणना करने तथा सामान्य और दबावग्रस्त स्थितियों में ऐसे जोखिमों का प्रबंध करने और उन्हें कम करने के लिए उपयुक्त रणनीतियाँ विकसित करने में समर्थ बनाती है. आपके बैंक ने रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप एक व्यापक दबाव परीक्षण ढांचा भी कार्यान्वित किया है. दबाव परीक्षण ढांचा आपके बैंक को असाधारण किन्तु तर्कयुक्त घटनाओं की स्थिति में क्षमता का आकलन करने में और अप्रत्याशित आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त सक्रिय रणनीतियाँ लागू करने में सहायता करता है.

आपके बैंक ने बासेल मानदंडों के तहत पिलर 3 आवश्यकताओं के अनुसार एक प्रकटन नीति अपनाई है. तदनुसार प्रत्येक तिमाही के अंत में आपके बैंक की वेबसाइट पर प्रकटन प्रदर्शित किए जाते हैं जो उच्च स्तरीय पारदर्शिता प्रदर्शित करते हैं.

वर्तमान में आपका बैंक पूंजी प्रभार की गणना के लिए ऋण जोखिम के अंतर्गत मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाता है तथा इसने उन्नत दृष्टिकोण अर्थात् आंतरिक रेटिंग आधारित (आईआरबी) प्रणाली में अंतरण के लिए अपनी ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली को और उन्नत तथा मजबूत बनाने की दिशा में प्रगति की है. आपका बैंक परिचालनगत जोखिम हेतु विनियामक पूंजी प्रभार गणना के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) का अनुसरण करता है. प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था के लिए विभिन्न कारोबारी खंडों में मुख्य जोखिम संकेतकों (केआरआई) का व्यापक सेट तथा जोखिम एवं नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) रूपरेखा उपलब्ध कराई गई है. बाजार जोखिम के लिए, आपका बैंक विनियामक पूंजी आवश्यकताओं की गणना करने हेतु मानकीकृत मापन पद्धति (एसएमएम) अपनाता है.

ऋण जोखिम

आपके बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली में ऋण प्रस्तावों की क्रेडिट रेटिंग के लिए जोखिम आकलन मॉडल (आरएएम) और पूंजी निर्धारण के स्वचालन के लिए पूंजी निर्धारण मॉडल (सीएएम) शामिल है. ऋण नीति दस्तावेज़ की बदलते कारोबारी उद्देश्यों तथा आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप समीक्षा की जाती है. यह कारोबारी वर्टिकलों के लिए मार्गदर्शक साधन है.

बाजार जोखिम

कार्य तथा कारोबार स्थितियों के संदर्भ में आपके बैंक में बाजार जोखिम प्रबंधन बाजार जोखिम एवं डेरिवेटिव नीति तथा निवेश नीति में परिभाषित नीतिगत ढांचे के अनुरूप परिचालित होता है. सामान्यतः ये नीतियां जोखिम वहन क्षमता के उपयुक्त स्तरों की रूपरेखा प्रस्तुत करती हैं तथा जोखिमों व अपवादों के मापन, रिपोर्टिंग तथा वृद्धि के आकलन के लिए प्रक्रिया लागू करती हैं. बाजार जोखिमों का प्रबंधन करने के उद्देश्य से आपके बैंक ने निगरानी और रिपोर्टिंग टूल सहित उपयुक्त जोखिम प्रबंधन प्रणालियाँ कार्यान्वित की हैं. सभी निर्धारित सीमाओं तथा सभी प्रक्रियाओं की गहन निगरानी ट्रेजरी के फ्रंट और बैक ऑफिस से स्वतंत्र ट्रेजरी मिड ऑफिस द्वारा की जाती है.

परिचालनगत जोखिम

आपके बैंक के पास एक सुदृढ़ परिचालनगत जोखिम प्रबंधन ढांचा (ओआरएमएफ) है जिसमें एक समर्थकारी संगठनात्मक व्यवस्था के तहत निदेशक मंडल, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी), परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) तथा विभिन्न कार्यों/विभागों के नोडल अधिकारी शामिल हैं. परिचालनगत जोखिम की परिचालन प्रक्रिया बोर्ड अनुमोदित परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति द्वारा निदेशित है जिसका लक्ष्य बैंकिंग कार्यकलापों से जुड़े परिचालनगत जोखिमों की पहचान, निगरानी, आकलन तथा प्रबंधन करना है. आपके बैंक में विभिन्न व्यावसायिक कार्यकलापों/परिचालनों में अंतर्निहित जोखिमों को कम करने के लिए प्रभावी आंतरिक प्रणालियाँ और प्रक्रियाएं हैं जिन्हें संबंधित वर्टिकलों/ विभागों द्वारा तैयार किया गया है. गौण नियंत्रण उपाय के तौर पर परिचालनगत जोखिम प्रबंधन (ओआरएम) अनुभाग मुख्य जोखिम संकेतकों (केआरआई) तथा जोखिम नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) अभ्यासों के जरिए परिचालनगत जोखिमों का प्रबंधन करता है और इस संबंध में हुई प्रगति से निदेशक मंडल की ओआरएमसी और आरएमसी को आवधिक रूप से अवगत कराता है. महत्वपूर्ण कार्यों के लिए मुख्य जोखिम संकेतक (केआरआई) बनाए गए हैं और शाखाओं/ इकाइयों की व्यापक परिचालनगत जोखिम मूल्यांकन (कोर) प्रणाली के जरिये जोखिम रेटिंग की जाती है. ओआरएम अनुभाग द्वारा परिचालनगत जोखिम हानि संबंधी घटनाओं की जानकारी एकत्रित की जाती है जिस पर ओआरएमसी द्वारा विचार-विमर्श किया जाता है और संबंधित परिचालन/ डीलिंग समूहों को आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के लिए सूचित किया जाता है. परिचालन स्तर पर कार्यरत अधिकारियों को अवगत कराने के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन पर नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.

चलनिधि प्रबंध

बैंक के पास आस्ति देयता प्रबंध (एएलएम) नीति में वर्णित अनुसार सुसंगठित चलनिधि जोखिम प्रबंध ढाँचा है. बैंक की आस्ति-देयता प्रबंध समिति (आल्को) व्यवसाय रणनीति के अनुरूप चलनिधि और ब्याज दर जोखिम की निगरानी और प्रबंध करती है. चलनिधि विश्लेषण और प्रबंध सहित आस्ति-देयता प्रबंध कार्यकलाप तुलन-पत्र प्रबंध के कार्यात्मक क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न आल्को सहायक समूहों, ट्रेजरी फ्रंट कार्यालय, बजट एवं आयोजना आदि के बीच समन्वय के जरिए संपन्न किए जाते हैं. आल्को निर्देश तथा एएलएम कार्रवाइयाँ व्यवसाय समूहों और वर्टिकलों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं.

विनियामकीय दिशानिर्देशों के अनुसार 1 जनवरी 2017 से बैंक की एलसीआर की दैनिक आधार पर गणना की जाती है. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान दैनिक पर्यवेक्षण के आधार पर बैंक का औसत चलनिधि तरलता अनुपात (एलसीआर) 102.87% है.

कारोबार निरंतरता प्रबंधन

आपके बैंक के पास कारोबारी व्यवधानों तथा जीवन जोखिमपूर्ण स्थितियों को कम करने के लिए एक सुदृढ़ कारोबार निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) प्रक्रिया है. आपका बैंक सरकारी क्षेत्र का पहला बैंक है जिसे बीसीएम के बैंक व्यापी कवरेज के लिए विश्व प्रसिद्ध प्रमाणन आईएसओ 22301:2012 से सम्मानित किया गया है.

आपके बैंक ने बीसीएम के एक भाग के रूप में मूल तथा सहायता कार्यों के लिए सुपरिभाषित कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) कार्यान्वित की है. इस योजना का उद्देश्य कारोबार व्यवधान/आपदा के बावजूद ग्राहकों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करना है. इसके अलावा आपदा के दौरान मानव जीवन की रक्षा करने और मूल्यवान आस्तियों का नुकसान कम करने के लिए अपनी प्रमुख स्थापनाओं के लिए एक व्यापक आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) भी लागू की गई है. इन बीसीपी तथा डीएमपी की क्रियाशीलता का बीसीपी परीक्षण अभ्यास, संपूर्ण ड्रिल और मॉक इवैक्यूएशन ड्रिलों सहित आपदा बहाली के माध्यम से आवधिक परीक्षण किया जाता है. बैंक की कारोबार निरंतरता प्रबंधन प्रणाली

एक स्वचालित घटना रिपोर्टिंग टूल अर्थात् आई-डीएबी (एकीकृत आपदा और कारोबार निरंतरता प्रबंधन प्रणाली) से भी सुसज्जित है.

सूचना प्रौद्योगिकी जोखिम

आपके बैंक ने अपने आईटी जोखिम प्रबंधन तथा नियंत्रण को सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं. आपके बैंक ने अपने डेटा केंद्र में एक अत्याधुनिक सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) की स्थापना की है. इस एसओसी के माध्यम से आपका बैंक केंद्रीकृत रूप से सुरक्षा साधनों/समाधानों जैसे फायरवॉल्स, राऊटर्स, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम डिवाइस (आईडीएस)/ इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम डिवाइस (आईपीएस)/ प्रिवेलेज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट (पीआईएम), एंटीवायरस, फिशिंग/मालवेयर प्रयासों आदि की निगरानी करता है और सुधारात्मक उपाय करता है. एसओसी बैंक के सम्मानित ग्राहकों को सुरक्षित बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के बैंक के उद्देश्य को पूरा करने के अलावा साइबर अपराधों से निपटने के लिए और बैंक की सूचना सुरक्षा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक कमान केंद्र के रूप में कार्य करता है. आपका बैंक बाह्योन्मुख एप्लीकेशनों अर्थात् इंटरनेट बैंकिंग, मेल मैसेजिंग आदि के लिए नियमित रूप से भेद्यता मूल्यांकन एवं प्रवेश परीक्षण (वीएपीटी) करता है.

आपके बैंक ने सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तकनीकी जोखिम प्रबंधन तथा साइबर धोखाधड़ियों के संबंध में रिजर्व बैंक की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है. आपके बैंक ने दिशानिर्देशों में अनुशंसित रूप में उपयुक्त संगठनात्मक ढांचा स्थापित किया है. ग्राहक डेटा की सुरक्षा करने, बाह्य आक्रमणों को रोकने तथा आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत बनाने के लिए कई सूचना सुरक्षा समाधान जैसे विशेषाधिकार प्राप्त पहचान एक्सेस प्रबंधन, पैच प्रबंधन समाधान, सक्रिय डायरेक्टरी, वेब/ मेल गेटवे, एंड पॉइंट एवं यूएसबी एनक्रिप्शन, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट (एपीटी), नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल (एनएसी), वेब-एप्लिकेशन फायरवॉल (डबल्यूएएफ) आदि कार्यान्वित किए गए हैं.

आपके बैंक ने एक सुस्पष्ट साइबर सुरक्षा नीति और साइबर संकट प्रबंधन योजना लागू की है जो साइबर सुरक्षा से जुड़े जोखिमों का समाधान करने के लिए प्रबंधन के इरादे तथा दिशा को स्पष्ट करती है. इसके साथ ही, आपका बैंक अपने सूचना सुरक्षा ढांचे की जांच करने और उसे प्रभावी बनाए रखने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा संचालित की जाने वाली साइबर ड्रिलों में भी सहभागिता करता है. कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से सूचना सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करने के अलावा सुरक्षा सेंध के प्रयासों को कम/विफल करने के लिए ग्राहकों को मेलर, एसएमएस, एटीएम तथा पोस्टर के माध्यम से विभिन्न सूचना सुरक्षा संबंधी सावधानियों की जानकारी दी जाती है.

आपके बैंक का आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा प्रणालियाँ पेरिमीटर और एंडपॉइंट्स दोनों पर समाधान सहित एक सुदृढ़ सूचना सुरक्षा ढांचे के अंतर्गत कार्यान्वित की गई हैं. कस्टमर फेसिंग इंटरफेस में दो स्तरीय अधिप्रमाणन प्रक्रिया मौजूद है. सूचना सुरक्षा पहलू पर आपके बैंक ने बैंक तथा ग्राहकों से संबंधित संवेदनशील डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए डेटा लीकेज रोकथाम समाधान (डीएलपी) शुरू किया है. आपके बैंक के डेटा केंद्र, आपदा बहाली केंद्र और नियर डीआर केंद्र को नवीनतम आईएसओ 27001:2013 सूचना सुरक्षा मानदंडों का प्रमाणन प्राप्त है. बैंक की सूचना सुरक्षा संचालन समिति सूचना प्रणालियों में परिचालनगत जोखिम कम करने के लिए दिशानिर्देश और मार्गदर्शन उपलब्ध कराती है. सुरक्षा घटनाएं तथा नीतियां आवश्यक दिशानिर्देश के लिए बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी समिति (आईटीसीबी) के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं. आईटीसीबी अनुमोदन के लिए बोर्ड को नीतियों की सिफारिश करता है.

प्रबंधन, नियंत्रण एवं प्रणालियां

मानव संसाधन

आपके बैंक में मानव संसाधन (एचआर) रणनीति को इस प्रकार तैयार किया गया है कि भर्ती, नियोजन, प्रशिक्षण, प्रतिभा को बनाए रखने तथा प्रेरणास्पद रणनीतियों से संबंधित विभिन्न एचआर नीतियों का कारोबारी अपेक्षाओं के साथ प्रभावी रूप से संयोजन हो सके जिससे आपके बैंक के संकल्प और ध्येय को प्राप्त करने में निर्बाध सहायता मिल सके. इस दिशा में आपका बैंक कर्मचारियों को प्रोत्साहन प्रदान कर उनके सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए निरंतर प्रयास करता रहा है और साथ ही बेहतर कार्य-जीवन संतुलन प्रदान करने के लिए कर्मचारी कल्याण के विभिन्न उपाय करता रहा है.

जनशक्ति

यथा 31 मार्च 2018 को आपके बैंक के पास कुल स्टाफ संख्या 17,475 रही. कर्मचारियों का श्रेणीवार अलग-अलग विवरण नीचे दिया गया है:

श्रेणी	कुल
अधिकारी	15,505
एक्जीक्यूटिव	349
लिपिकीय स्टाफ	831
अधीनस्थ स्टाफ	790
कुल	**17,475**

प्रभावी जनशक्ति योजना और विवेकपूर्ण नियुक्ति के कारण आपके बैंक में युवा अधिकारियों की एक उत्कृष्ट टीम है जिनकी औसत आयु लगभग 34 वर्ष है.

भर्ती और स्टाफिंग

आपके बैंक के वार्षिक जनशक्ति निर्धारण में अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने वाले अधिकारियों की संख्या, अनुमानित पलायन, शाखा विस्तार तथा कारोबारी वृद्धि को ध्यान में रखा जाता है. आपके बैंक ने वर्ष के दौरान 562 ग्रेड 'ए' अधिकारियों, 67 एक्जीक्यूटिवों, सात लिपिकों तथा एक अधीनस्थ स्टाफ (अनुकंपा आधार पर नियुक्त) की नियुक्ति की. इनमें से 94 अनुसूचित जाति (अ.जा.), 43 अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) तथा 195 अन्य पिछड़े वर्ग (अ.पि.व.) के हैं. कुल भर्ती स्टाफ संख्या में से 34 व्यक्ति निःशक्त (पीडब्ल्यूडी) हैं.

आपके बैंक ने ग्रेड 'ए' में अधिकारियों की भर्ती बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) द्वारा सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए आयोजित सामान्य भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से की है और एक्जीक्यूटिव की भर्ती एकल आधार पर आईबीपीएस के माध्यम से अलग भर्ती प्रक्रिया द्वारा की है.

आरक्षण नीति

आपका बैंक भारत सरकार की वर्तमान आरक्षण नीति का पूरी तरह से पालन करता है. आपके बैंक ने अजा/अजजा/अपिव तथा पीडब्ल्यूडी के लिए महाप्रबंधक तथा उप महा प्रबंधक स्तर के मुख्य संपर्क अधिकारियों (सीएलओ) तथा अंचल संपर्क अधिकारियों (ज़ेडएलओ) की नियुक्ति की है जो आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में विभिन्न दिशानिर्देशों का अनुपालन तथा उनकी शिकायतों का प्रभावी निवारण सुनिश्चित करते हैं. आपके बैंक ने भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के लिए अलग रोस्टर बनाया है.

यथा 31 मार्च 2018 को बैंक की कुल जनशक्ति संख्या में अजा/अजजा/अपिव का प्रतिनिधित्व निम्नवत है:

श्रेणी	अजा	अजजा	अपिव	कुल
अधिकारी	2,243	926	3,832	7,001
एक्जीक्यूटिव	37	24	111	172
लिपिक	103	30	64	197
अधीनस्थ स्टाफ	177	64	151	392
कुल	**2,560**	**1,044**	**4,158**	**7,762**

प्रशिक्षण एवं विकास

आपका बैंक अपने सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण एवं कौशल विकास अवसर उपलब्ध कराने के लिए और समूचे बैंक में ज्ञानार्जन संस्कृति निर्मित करने हेतु प्रयास करता है ताकि वैयक्तिक और संगठनात्मक कार्य निष्पादन पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़े. वर्ष के दौरान आपके बैंक ने अपने शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस (जेएनआईबीएफ) में 134 प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा 10 अंचल प्रशिक्षण केन्द्रों में 649 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए. नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा संबंधित विभागों में तैनात अधिकारियों के लिए डिजिटल बैंकिंग, जीएसटी तथा वसूली के विधिक पहलू जैसे चुनिंदा विषयों पर कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं.

आपके बैंक ने चुनिंदा 94 बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अपने अधिकारियों को नामित किया है ताकि उन्हें अपने कार्यक्षेत्र के लिए आवश्यक एक्सपोजर प्रदान किया जा सके. प्रतिष्ठित संस्थानों के जरिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार, साइबर सुरक्षा, जोखिम प्रबंधन और एनपीए प्रबंधन पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया. व्यापार वित्त तथा आंतरिक नियंत्रण रिपोर्टिंग जैसे क्षेत्रों में कार्यरत अधिकारियों के लिए आवश्यकतानुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए.

आपका बैंक अपनी ऑनलाइन शिक्षण प्रबंधन प्रणाली - ओजस - के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण को भी बढ़ावा दे रहा है. इस प्रणाली में विभिन्न प्रकार के बैंकिंग संबंधी विषयों को शामिल करते हुए 250 घंटे से अधिक अवधि के 200 से अधिक ई-लर्निंग मॉड्यूल रखे गए हैं. किसी भी समय और किसी भी स्थान से शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों के उपयोग हेतु मोबाइल एप्लिकेशन भी विकसित किए गए हैं. ओजस में कर्मचारियों को अनिवार्य ई-लर्निंग प्रमाणन सौंपे गए हैं और इन प्रमाणनों में कर्मचारियों के सतत शिक्षण एवं विकास को सुनिश्चित करने के लिए केवाईसी तथा एएमएल, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार संबंधी दिशा-निर्देश, जोखिम प्रबंधन, ट्रेजरी, बैंकिंग सेवा एवं परिचालन, कॉरपोरेट बैंकिंग आदि जैसे विषय शामिल किए गए हैं ताकि उनकी क्षमता में वृद्धि हो और उन्हें बेहतर ग्राहक सेवा देने के लिए सक्षम बनाया जा सके. आपके बैंक ने अधिकारियों को शिक्षित करने के लिए और बैंक में सतर्कता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सतर्कता पर वीडियो व्याख्यान भी आयोजित किया.

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार आपके बैंक ने आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों/ कर्मचारियों के लिए पदोन्नति-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए.

समूह जीवन बीमा योजना

कर्मचारी कल्याणकारी उपाय के रूप में आपका बैंक 2015 से अपने सभी स्थायी कर्मचारियों के लिए समूह जीवन मीयादी बीमा पॉलिसी की सुविधा दे रहा है जो 70 वर्ष की आयु तक कवर देगी. इस योजना के तहत प्रीमियम राशि का आधा व्यय बैंक द्वारा और आधा व्यय कर्मचारियों द्वारा वहन किया जाता है. अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने के पश्चात सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को पूरी प्रीमियम राशि का भुगतान कर योजना को जारी रखने का विकल्प उपलब्ध है.

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए मेडीक्लेम योजना

बैंक अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए दैनिक डे केयर सुश्रूषा प्रक्रियाओं सहित अस्पताल में भर्ती के कारण उत्पन्न होने वाली वित्तीय देयताओं से संरक्षण प्रदान करने के लिए नवंबर 2016 से समूह मेडीक्लेम बीमा योजना की सुविधा उपलब्ध करा रहा है. कल्याणकारी उपाय के रूप में आपका बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों का समूह बनाने और उनकी ओर से बीमा पॉलिसी प्राप्त करने के लिए सुगमकर्ता के रूप में कार्य करता है जिससे उन्हें कम प्रीमियम तथा उदार विशेषताओं का लाभ मिलता है. योजना की विशेषताओं में रक्षित राशि तक सूचीबद्ध अस्पतालों में नकदी-रहित बीमा सुविधा, किसी प्रकार की पूर्व-चिकित्सा जांच के बिना सभी पुरानी तथा मौजूदा बीमारियों का कवरेज और साथ ही अस्पताल में भर्ती के बाद होने वाले खर्चे शामिल हैं.

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम (पीओएसएच)

अवांछनीय घटना के घटित होने पर पीड़ित महिला को तुरंत सहायता देने और अपेक्षित सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आपके बैंक ने यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने के लिए एसएमएस/ई-मेल आधारित शिकायत प्रणाली कार्यान्वित की है.

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटन

आपके बैंक ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के निवारण को सुनिश्चित करने हेतु कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार एक यौन उत्पीड़न विरोधी नीति अपनाई है जिसका उद्देश्य सुरक्षित और मैत्रीपूर्ण कार्य वातावरण निर्मित करना है. आपके बैंक ने यौन उत्पीड़न के संबंध में मिलने वाली शिकायतों के निपटान के लिए दो आंतरिक शिकायत समितियां बनाई हैं. वर्ष के दौरान आपके बैंक को 10 (दस) शिकायतें प्राप्त हुईं जिसमें से विधिवत छानबीन के पश्चात 7 (सात) शिकायतों का समाधान कर दिया गया है. यथा 31 मार्च 2018 को कुल 3 (तीन) शिकायतें लंबित थीं.

औद्योगिक संबंध

आपके बैंक में वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध का वातावरण बृहद् रूप से मैत्रीपूर्ण रहा है तथा अधिकांश समस्याओं का समाधान सौहार्दपूर्ण रूप से कर लिया गया है. अधिकारियों/ कर्मचारियों की शिकायतों को समझने और उनका समाधान निकालने हेतु रचनात्मक संवाद स्थापित करने के अपने प्रयासों के तौर पर बैंक संघों और यूनियनों के साथ बैठकें करता रहा है. यूनियन/ संघ भी विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए सक्रिय और तत्पर रहे हैं.

कर्मचारियों का नियोजन और तैनाती

वर्ष के दौरान अधिकारी नियोजन एवं तैनाती नीति (ओपीटीपी) की समीक्षा की गई और उसे संशोधित किया गया ताकि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए संगठनात्मक और सांविधिक अपेक्षाओं को पूरा करने में सहायता मिल सके. क्षमता निर्माण की अपेक्षानुसार कार्य प्रोफाइलों में विशेषीकृत कौशल सेट बनाए रखने संबंधी दिशानिर्देशों को भी शामिल किया गया है ताकि इसका लाभ उठाया जा सके. सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार संवेदनशील पदों पर तीन वर्षों से अधिक समय से कार्यरत अधिकारियों का स्थानांतरण सुनिश्चित किया गया.

1 अप्रैल 2017 से ऑनलाइन स्वचालित अनुरोध स्थानांतरण मॉड्यूल (आई-एआरटीएस) शुरू किया गया है. उक्त प्रणाली के जरिए अधिकारियों के स्थानांतरण संबंधी अनुरोध के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण और ट्रैकिंग की सुविधा

सुलभ करायी गई है जो बेहतर पारदर्शिता उपलब्ध कराती है.

दबावग्रस्त खातों / पूर्व चेतावनी संकेतक खातों पर और अधिक गहन निगरानी रखने के उद्देश्य से तथा प्रभावी एनपीए वसूली के लिए स्टाफ के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित किया गया और स्टाफ को नवसृजित वर्टिकल अर्थात्- ऋण निगरानी समूह (सीएमजी) में पुनर्नियोजित किया गया. इसके अलावा सभी अंचलों और साथ ही कॉरपोरेट कार्यालय के एनपीए निगरानी समूह (एनएमजी) और रिटेल बैंकिंग में भी मानव संसाधन की व्यवस्था की गई.

अन्य पहल कार्य

कर्मचारी कल्याण को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रयास के रूप में आपके बैंक ने अब सभी कर्मचारियों के लिए पैतृत्व छुट्टी की सुविधा प्रारंभ की है और उद्योग मानकों के अनुरूप मौजूदा मातृत्व छुट्टी के लाभों को भी बढ़ा दिया गया है.

अधिकारियों के भर्ती आरक्षण रजिस्टर में अजा/ अजजा/ अपिव के लिए विद्यमान कमी को पूरा कर दिया गया है.

क्षमता निर्माण पर रिजर्व बैंक/ आईबीए की सिफारिशों के अनुसार व्यापक क्षमता निर्माण नीति (आई-कैपबिल्ड) प्रारंभ की गई. भारत सरकार/ रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप कुछ विशेषीकृत कार्यक्षेत्रों के लिए कार्य परिवार और विशेषज्ञ अधिकारी व्यवस्था शुरू की गई.

बुनियादी संरचना प्रबंधन

वर्ष के दौरान सीबीडी - बेलापुर, नवी मुंबई स्थित बैंक के 1.40 लाख वर्ग फुट की अनेक्स बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरा किया गया. आपके बैंक ने पट्टाकृत परिसरों से परिचालित हो रहे बैक ऑफिस कार्यों को इस अनेक्स बिल्डिंग में स्थानांतरित किया जिसके परिणामस्वरूप पट्टा किरायों में पर्याप्त बचत हुई.

आपके बैंक ने अपनी मूलेतर आस्तियों के मुद्रीकरण के लिए मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और नरीमन पॉइंट स्थित अपने कार्यालय परिसरों को, जिनका इष्टतम रूप में उपयोग नहीं हो रहा था तथा मुंबई और शिमला में स्थित कुछ उपयोग न किए जा रहे आवासीय फ्लैटों को बेच दिया है.

व्यय को युक्तिसंगत बनाने तथा लागत को कम करने के लिए आपके बैंक ने कई उपाय किए हैं. जैसे - कुल 4.73 लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल के लिए कार्यालय परिसरों को वापस सौंप देना, उनकी लोकेशन में बदलाव और किराये की राशि को बातचीत के जरिए पुनः निर्धारित करना. पट्टाकृत परिसरों के कुल क्षेत्रफल में इनका 15% हिस्सा है.

आंतरिक लेखापरीक्षा

आपके बैंक का आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य आंतरिक नीतियों, प्रक्रियाओं और विनियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करता है. आपके बैंक में एक सु-सज्जित आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग (आईएडी) है जो विभिन्न कारोबार तथा सहायता वर्टिकलों, अंचल कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखाओं द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यकलापों की नियमित लेखापरीक्षा करता है. लेखापरीक्षा विभाग बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) के दिशानिर्देशों तथा देख-रेख में कार्य करता है. नियत कार्यों को करते समय लेखापरीक्षा कार्य अपनी स्वतंत्रता तथा वस्तुनिष्ठता को बनाए रखता है. बैंक ने भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) नीति को अपनाया है जिसके अंतर्गत बैंक की जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता और प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया जाता है. शाखाओं की लेखापरीक्षा पर गहराई से ध्यान केंद्रित करने और अनुवर्तन कार्यों को पर्याप्त रूप से और सक्षमतापूर्वक पूरा करने के लिए सभी अंचलों में अंचल लेखापरीक्षा कार्यालय (जेडएओ) बनाए गए हैं ताकि शाखाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों की लेखापरीक्षा की जा सके और वार्षिक लेखापरीक्षा योजनाओं और बैंक की आरबीआईए नीति के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया जा सके. लेखापरीक्षा रिपोर्टों के महत्वपूर्ण निर्देशों/ टिप्पणियों पर चर्चा करने के लिए और उनके समुचित अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु महीने में दो बार अंचल लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं. लेखापरीक्षा कार्य परिचालनगत जोखिमों को कम करने के लिए तत्परतापूर्वक परिचालनगत प्रक्रियाओं और सेवा गुणवत्ता में सुधार के लिए भी सिफारिशें करता है. बैंक ने व्यापक आंतरिक नियंत्रण कार्यान्वित किए हैं जिनमें लेखापरीक्षा ट्रेल, फ्रंट तथा बैक ऑफिस परिचालनों को समुचित रूप से विभाजित करना, स्वतंत्र नियंत्रण एवं संतुलन सुनिश्चित करने के लिए बैक एंड स्तर पर संव्यवहार पश्चात् निगरानी प्रक्रियाएं, बैंक की निर्धारित नीतियों और प्रक्रियाओं तथा लागू होने वाले सभी विनियामकीय दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन शामिल हैं.

आपके बैंक ने प्रौद्योगिकी आधारित पहल कार्यों को अपनाते हुए अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के स्वचालन को सुनिश्चित किया है. कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- सभी लेखापरीक्षा रिपोर्टों और अनुपालनों को लेखापरीक्षा प्रबंधन प्रणाली पर अपलोड किया जाता है जिन्हें लेखापरीक्षित इकाइयों के संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुपालनों की निगरानी के लिए तत्काल आधार पर एक्सेस किया जाता है.
- संव्यवहारों में पाये गए अपवादों की निगरानी के लिए परोक्ष निगरानी प्रणाली (ओएमएस) की सहायता ली जाती है जिसके लिए अलर्ट जारी किए जाते हैं और अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है.
- शाखाओं द्वारा तिमाही आधार पर प्रौद्योगिकी संबंधी मुद्दों के लिए ऑनलाइन स्व-लेखापरीक्षा जिसकी केंद्रीय स्तर पर समीक्षा और निगरानी की जाती है.

जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए)

जोखिम रोकने, प्रभावी नियंत्रण प्रणाली रखने और परिचालनों की क्षमता में सुधार लाने के लिए बैंक की सभी शाखाओं की जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) की जाती है. पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा में शाखा की जोखिम अवधारणा के आधार पर प्रत्येक शाखा की 12-18 महीने में एक बार आरबीआईए सुनिश्चित की जाती है. आरबीआईए उचित जोखिम पहचान एवं मूल्यांकन, प्रभावी जोखिम नियंत्रण उपायों तथा आंतरिक नियंत्रणों/ प्रक्रियाओं की पर्याप्तता पर ध्यान केंद्रित करती है. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के सहायक आरबीआईए के जरिए लेखापरीक्षित इकाइयों के समग्र परिचालनों की विवेचनात्मक समीक्षा करता है.

अकस्मात् लेखापरीक्षा

नई खोली गई शाखाओं का परिचालन प्रारंभ करने की तारीख से छः महीने के भीतर पहली लेखापरीक्षा की जानी आवश्यक है जिसे अकस्मात् लेखापरीक्षा कहा जाता है.

जोखिम आधारित प्रबंध लेखापरीक्षा (आरबीएमए)

प्रबंध लेखापरीक्षा में प्रधान कार्यालय के सभी विभाग, अंचल कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रशिक्षण संस्थान अर्थात् जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस (जेएनआईबीएफ) तथा सहायक संस्थाएं शामिल हैं. सभी क्षेत्रीय तथा अंचल कार्यालयों के लिए आरबीएमए अनिवार्य है जो नियमों एवं विनियमों के अनुपालन, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और प्रभावकारिता, नीतियों एवं प्रक्रियाओं के पालन पर ध्यान केंद्रित करती है और विभिन्न जोखिमों के समाधान के लिए नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ और सरल एवं कारगर बनाने हेतु उपाय सुझाती है.

सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा (आईएस लेखापरीक्षा)

आपके बैंक के पास आंतरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था के भाग के रूप में अनुभवी आंतरिक सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा (आईएस लेखापरीक्षा) टीम है जो प्रौद्योगिकी और आईटी सुरक्षा से संबंधित मुद्दों की पहचान कर उनके परिचालन के प्रकार और जटिलताओं के अनुरूप समाधान करती है.

समवर्ती लेखापरीक्षा प्रणाली

समवर्ती लेखापरीक्षा प्रणाली अनिवार्यतः एक नियंत्रण प्रक्रिया है जो मजबूत आंतरिक लेखांकन प्रणालियों और प्रभावी नियंत्रणों की स्थापना हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार समवर्ती लेखापरीक्षा शाखाओं/ अन्य गैर शाखा इकाइयों जैसे ट्रेज़री, केन्द्रीय प्रोसेसिंग इकाई और खुदरा आस्ति केन्द्रों में की जाती है, जिनकी पहचान जोखिम बोध और कारोबार की मात्रा के आधार पर होती है. वित्तीय वर्ष 2017-2018 के दौरान न्यूनतम 50% जमाराशियों और अग्रिमों के कवरेज के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंड की तुलना में बैंक की 70% से अधिक जमाराशियों और अग्रिमों को कवर करने वाली शाखाएं व अन्य इकाइयां समवर्ती लेखापरीक्षा के अधीन थीं. लेखापरीक्षा कार्य के लिए बाहरी सनदी लेखाकारों की सेवाएं ली गई थीं. इसके अलावा प्रधान कार्यालय में निर्धारित किए गए कार्यात्मक प्रभाग भी समवर्ती परीक्षा के अधीन हैं. रिपोर्ट की गुणवत्ता तथा समय पर प्रस्तुति हेतु समवर्ती लेखा परीक्षकों के कार्यनिष्पादन पर अंचल लेखापरीक्षा कार्यालय (जेडएओ) लगातार पैनी निगरानी रखते हैं.

ऋण लेखापरीक्षा

अपने ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण लेखापरीक्षा प्रणाली लागू की गई है. यह प्रणाली व्यापक रूप से ऋण मूल्यांकन, ऋणों की मंजूरी और ऋण प्रशासन के क्षेत्रों में आपके बैंक की नीतियों के अनुपालन पर ध्यान देती है. ऋण लेखापरीक्षा मुख्यतः (i) 10 करोड़ रुपये और उससे अधिक की सीमा वाले नये और अधिग्रहण के मामले (ii) समीक्षाधीन अवधि के दौरान निवेश की निचली श्रेणी में ले जाए गए मामले तथा (iii) कॉरपोरेट के लिए 250 करोड़ के और रिटेल बैंकिंग के लिए 10 करोड़ रुपये तक की सीमावाले नवीकरण/ वृद्धि सहित नवीकरण मामलों को कवर करती है.

विधि लेखापरीक्षा

समस्त कारोबारी वर्टिकलों तथा ₹ 5 करोड़ और उससे अधिक के उच्च मूल्य ऋणों से संबंधित सभी ऋण और बंधक संबंधी दस्तावेजों को कवर करने हेतु विधि लेखापरीक्षा का कार्य आरंभ किया गया.

गुणवत्ता आश्वासन लेखा परीक्षा

वर्ष के दौरान बैंक ने अपने आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यकलापों को और मजबूत तथा बेहतर बनाने तथा इसे वर्तमान सर्वोतम प्रथाओं के समकक्ष लाने हेतु गुणवत्ता आश्वासन लेखापरीक्षा (क्यूएए) आरंभ की. गुणवत्ता आश्वासन लेखापरीक्षा कार्य के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ बैंक की संपूर्ण आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली और रेटिंग ढांचे (नीतियां, प्रक्रियाएं, कार्यप्रणालियां, रिपोर्टिंग संरचनाएं, फार्मेट आदि) की समीक्षा और इसे जोखिम आधारित सर्वेक्षण के साथ एकीकरण और आंतरिक लेखापरीक्षा की बेहतर/ सफल पद्धतियों की पहचान करना उसकी अनुशंसा करने पर जोर देना शामिल है.

धोखाधड़ी प्रबंधन प्रणाली

आपके बैंक ने आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के अंतर्गत एक समर्पित धोखाधड़ी निगरानी समूह (एफएमजी) के माध्यम से धोखाधड़ी निगरानी व्यवस्था कार्यान्वित की है. सभी धोखाधड़ियों की निगरानी और समीक्षा के लिए धोखाधड़ी समीक्षा परिषद (एफआरसी) का गठन किया गया है ताकि प्रणालीगत खामियों, यदि कोई हो, की पहचान की जा सके और सुधारात्मक उपाय शुरू किए जा सकें तथा जांच की प्रगति और वसूली स्थिति की निगरानी की जा सके. धोखाधड़ी निगरानी समूह धोखाधड़ियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपराचारात्मक कार्रवाइयों की प्रभावोत्पादकता की भी समीक्षा करता है. इस प्रकार की कार्रवाई में आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत बनाना और आवश्यकता आधारित उपराचारात्मक उपाय लागू करना शामिल है. धोखाधड़ियों का समयपूर्व पता लगाने, उनकी रोकथाम करने, रिपोर्टिंग, निगरानी और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एक विस्तृत धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति कार्यान्वित की गई है.

सतर्कता तंत्र

आपके बैंक के प्रधान कार्यालय में पूर्ण रूप से सुसज्जित सतर्कता विभाग है जिसके विभागाध्यक्ष मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं. आपके सीवीओ द्वारा निष्पादित कार्यकलापों का व्यापक कार्यक्षेत्र/ दायरा है तथा इसमें बैंक के कर्मचारियों द्वारा किए गये/ किए जाने वाले भ्रष्ट कार्यों के संबंध में खुफिया जानकारी एकत्रित करना शामिल है. सतर्कता विभाग बैंक के सतर्कता मामलों से संबंधित सभी कार्यों को देखता है जिनमें (i) सतर्कता मामलों पर कार्यवाही करना सतर्कता इंगित करने वाली और सत्यापन किए जाने लायक आरोपों से संबद्ध शिकायतों की जांच करना (ii) अनुशासनात्मक प्राधिकारी के विचारार्थ जांच करना, रिपोर्टों पर कार्यवाही करना (iii) जहां कहीं भी आवश्यकता हो मामलों को केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीओ) को उनके विचारार्थ/ सूचना हेतु संदर्भित करना (iv) भ्रष्टाचार/ कदाचार रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाना शामिल हैं.

आपके बैंक के इंट्रानेट पर सतर्कता विभाग की साइट मौजूद है जिस पर सतर्कता विभाग का विवरण, आपके बैंक की सभी शाखाओं और कार्यालयों में प्रदर्शित की जाने वाली सीवीसी की नोटिस के मानक प्रारूप, सीवीसी, सीवीसी के मुख्य तकनीकी निरीक्षक संगठन (सीटीईओ) और आपके बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले महत्वपूर्ण परिपत्र / दिशानिर्देश और निवारक सतर्कता के लिए 'क्या करें और क्या न करें' जैसी जानकारी दी गई है. इससे अधिकारियों में सतर्कता जागरूकता के स्तर को बढ़ाने में आपके बैंक को सहायता मिली है.

सतर्कता कार्यकलापों में 'निवारक सतर्कता' और 'दंडात्मक सतर्कता' शामिल है. निवारक सतर्कता एक सतत् प्रक्रिया है जो दिशानिर्देशों की समीक्षा करने, प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन करने, पारदर्शिता में वृद्धि करने तथा बैंक के कर्मचारियों और साथ ही हितधारकों के बीच सतर्कता के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता पैदा करने के प्रयास करती है. सतर्कता आपके बैंक की विश्वसनीयता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाती है जिसे एक हद तक निवारक सतर्कता को प्रभावी बनाकर पूरा कर लिया जाता है.

आपके बैंक द्वारा अपनाए गए निवारक उपायों में विभिन्न शाखाओं में अनाचार, यदि कोई हो, का पता लगाने और स्थापित प्रणालियों और प्रक्रियाओं के गैर-अनुपालन की जांच हेतु औचक सतर्कता दौरे तथा स्वतः संज्ञान आधार पर निरीक्षण (एसवीवी) शामिल हैं. सतर्कता विभाग द्वारा एक बारीय निपटान/ पहली बार एनपीए (ओटीएस/एफटीएनपीए) मामलों की जांच के अलावा, विभिन्न विभागों/ वर्टिकलों द्वारा किए गए कार्यों/ करारों का सीटीआईओ प्रकार का निरीक्षण, बैंक अधिकारियों की आस्ति व देयताओं में असामान्य भिन्नता/ बेमेल पाए जाने अथवा गैर-अनुपातिक आस्तियों के मामले का पता लगाने के लिए बैंक अधिकारियों के वार्षिक आस्ति व देयताओं की विवरणियों (एआरएएल) की जांच, बैंक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों की जांच का कार्य भी किया जाता है.

सतर्कता विभाग ने निवारक सतर्कता के बारे में स्टाफ सदस्यों को अवगत कराने के लिए धोखाधड़ियों/अनाचारों/भ्रष्टाचार के केस अध्ययनों की एक नई

शैक्षणिक श्रृंखला इसके इंट्रानेट पर शुरू की है. इस श्रृंखला का उद्देश्य पथभ्रष्ट अधिकारियों द्वारा अपनायी गई कार्यप्रणाली को समझने में स्टाफ सदस्यों की सहायता करना और उन्हें ऐसे माहौल में 'क्या करें और क्या न करें' के बारे में शिक्षित करना है.

वर्ष के दौरान, सीवीसी के मुख्य तकनीकी निरीक्षक (सीटीआई) ने आपके बैंक का निरीक्षण किया और इस संबंध में संतोषजनक रिपोर्ट दी. आपके बैंक को सतर्कता जागरूकता पहल कार्यों की श्रेणी में अपने योगदान हेतु सतर्कता श्रेष्ठता सम्मान-2017 प्रदान किया गया.

कर्मचारियों को भ्रष्टाचार की बुराइयों के बारे में जागरूक करने के लिए *'मेरा संकल्प-भ्रष्टाचार मुक्त भारत'* थीम के साथ बैंक के प्रधान कार्यालय, अंचल कार्यालयों तथा शाखा कार्यालयों में 30 अक्तूबर 2017 से 4 नवंबर 2017 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया. इस अवसर पर आपके बैंक ने एक विशेष जर्नल जारी किया और स्टाफ सदस्यों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे- निबंध लेखन, वक्तृत्व, क्विज आदि का आयोजन भी किया. आपके बैंक ने सीवीसी द्वारा बैंक को आबंटित किए अनुसार बृहद् मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे जिलों के 14 स्कूलों और महाविद्यालयों में विभिन्न सतर्कता कार्यकलाप आयोजित किए.

सतर्कता मामलों के साथ-साथ सतर्कता कार्यकलापों के लिए प्रक्रियाओं के संबंध में सीवीसी, भारत सरकार-वित्त मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक और आपके बैंक द्वारा जारी नवीनतम अनुदेशों/ दिशानिर्देशों/ निदेशों के तत्काल और सुलभ संदर्भ को ध्यान में रखते हुए बैंक ने सतर्कता मैनुअल तैयार किया है जिसका 31 मार्च 2018 को अद्यतन किया गया है.

विनियामक अनुपालन

आपके बैंक में कार्यपालक निदेशक पद के मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) के रूप में नामित एक वरिष्ठ अधिकारी की देख-रेख में एक समर्पित अनुपालन विभाग है जिसके जरिए भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा अन्य विनियामक/ सांविधिक निकायों द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न सांविधिक एवं विनियामक दिशानिर्देशों और साथ ही, आंतरिक दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है.

आपके बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक अनुपालन नीति लागू की है जिसकी वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है. आपके बैंक में अनुपालन कार्य के संबंध में प्रत्येक टियर के लिए भूमिका व जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई है. स्व-प्रमाणन प्रक्रिया के जरिए एक सुस्थापित रिपोर्टिंग प्रणाली मौजूद है जिसके आधार पर निदेशक मंडल को अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाता है. बोर्ड को भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त महत्वपूर्ण सूचनाओं / दिशानिर्देशों के संबंध में मासिक अंतराल से अवगत कराया जाता है.

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम

आपके बैंक ने कार्य के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित जानकारी के लिए प्राप्त होने वाले अनुरोधों का त्वरित उत्तर देने के लिए केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) नामित किए हैं. इसके अलावा, सभी शाखा प्रमुखों को आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत आवेदनों को प्राप्त करने और उन्हें नामित सीपीआईओ के पास भेजने के लिए केंद्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी (सीएपीआईओ) के रूप में नामित किया गया है. आपके बैंक ने असंतुष्ट आवेदकों की अपीलों पर कार्रवाई करने के लिए मुख्य महाप्रबंधक श्रेणी के एक वरिष्ठ अधिकारी (एफएए) को प्रथम अपील प्राधिकारी के रूप में नामित किया है. आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कार्यपालक निदेशक श्रेणी का एक पारदर्शिता अधिकारी नियुक्त किया गया है. बैंक की वेबसाइट (www.idbi.com) पर सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम पर एक अलग लिंक उपलब्ध कराया गया है.

आपके बैंक ने भारत सरकार के ऑनलाइन पोर्टल (https://rtionline.gov.in) के साथ भी संबद्धता स्थापित की है जिसके जरिए नागरिक आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी मांग सकते हैं और अपील दायर कर सकते हैं.

हिंदी का प्रगामी प्रयोग

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आपके बैंक ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में निरंतर प्रगति की है. आपके बैंक के सभी वर्टिकलों, विभागों, अंचल कार्यालयों और शाखाओं ने भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों और अन्य निर्देशों के अनुपालन के लिए संगठित प्रयास किए हैं.

आपका बैंक राजभाषा-हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है. जिसके परिणामस्वरूप ग्राहक इंटरफेस वाले कई पहल कार्यों को हिंदी में उपलब्ध कराया गया है. इन पहल कार्यों में एटीएम में निर्देशों का द्विभाषिक डिस्प्ले, एटीएम लेनदेन स्लिप जारी होना तथा ग्राहक संबंधी अन्य द्विभाषी सूचनाओं को प्रदर्शित करना शामिल है. आपके बैंक के उत्पादों और योजनाओं की सघन जानकारी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास किए गए. आपके बैंक ने हिंदी सुविधा के साथ अभय, पेएप्ट और एमपासबुक जैसे विभिन्न एप्लिकेशन आरंभ किए हैं. किसान संगोष्ठियों और विमुद्रीकरण, डिजिटल बैंकिंग, नकद रहित अर्थव्यवस्था से संबंधित अभियानों को हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित किया गया. ग्राहकों की सुविधा के लिए विभिन्न प्रकार के पोस्टर्स, बैनर्स और अन्य प्रचार सामग्री हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रदर्शित की गयी. आपके बैंक ने हिंदी में काम करने की सुविधा के लिए अपने इंट्रानेट पर द्विभाषी रूप में टेम्पलेट पत्र, फॉर्म, शब्दकोश, नोटिंग और अन्य प्रासंगिक संदर्भ सामग्री अपलोड की है. स्टाफ सदस्यों को अपने दैनंदिन काम-काज में हिंदी के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गईं और विभिन्न विषयों पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया. हिंदी के प्रयोग को निरंतर बढ़ाने के उद्देश्य से आपके बैंक के सभी क्षेत्रों में राजभाषा कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसमें राजभाषा कार्यान्वयन की विभिन्न आवश्यकताओं और हिंदी यूनिकोड के प्रयोग से स्टाफ सदस्यों को परिचित कराया गया. हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों द्वारा किए गए प्रयासों को प्रोत्साहित करने और सम्मानित करने के लिए सम्पूर्ण क्षेत्रों में कई आंतरिक कार्यक्रम चलाए गए. सितंबर 2017 में राजभाषा पखवाड़े का आयोजन किया गया.

आपके बैंक द्वारा दैनंदिन कार्यों और अपने कारोबार में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों की विभिन्न मंचों पर प्रशंसा हुई है और बैंक ने वर्ष के दौरान कई पुरस्कार प्राप्त किए, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

i) आपके बैंक के नई दिल्ली, चंडीगढ़, वड़ोदरा और इंदौर कार्यालयों को उनकी संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (नराकास) द्वारा राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए गए;

ii) राजभाषा नीति को लागू करने में बैंक द्वारा किए गए प्रयासों की संसदीय समिति की तीसरी उप-समिति और आलेख एवं साक्ष्य उप-समिति द्वारा प्रधान कार्यालय, मुंबई, अंबाला कैंट और फरीदाबाद शाखाओं के निरीक्षण के दौरान सराहना की गई;

iii) आपके बैंक की आंतरिक तिमाही हिंदी पत्रिका, *'विकास प्रभा'* को वर्ष 2016-17 के लिए 'ख' क्षेत्र के अंतर्गत भारत सरकार के प्रतिष्ठित 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' से सम्मानित किया गया.

iv) आपके बैंक की आंतरिक तिमाही हिंदी पत्रिका, *'विकास प्रभा'* को एसोसिएशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेटर्स ऑफ इंडिया (एबीसीआई) ने भारतीय भाषा प्रकाशन श्रेणी में कांस्य पुरस्कार प्रदान किया;

v) '*विकास प्रभा*' को प्रसिद्ध सांस्कृतिक और साहित्यिक समूह -'आशीर्वाद' द्वारा भी सर्वश्रेष्ठ आंतरिक पत्रिका प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया;

vi) भारत सरकार के राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय और वित्तीय सेवाएं विभाग के अधिकारियों ने अपने निरीक्षणों के दौरान आपके बैंक में हिंदी के कार्यान्वयन की सराहना की.

ग्राहक सेवा और शिकायत प्रबंधन

अपने सभी हितधारकों के लिए सर्वाधिक पसंदीदा और विश्वसनीय बैंक बनने के ध्येय को पूरा करने के लिए आपके बैंक ने ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें उत्कृष्ट ग्राहक सेवा और अपनी श्रेणी में सर्वोत्तम वित्तीय समाधानों के व्यापक समूह पर विशेष जोर दिया गया है. आपके बैंक ने सभी ग्राहक संपर्क बिन्दुओं में सेवा स्तर में सुधार करने की अपनी मुहिम को जारी रखा है.

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी) और ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति (एससीसीएस) यह सुनिश्चित करती है कि ग्राहक सेवा और शिकायत प्रबंधन मामलों पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाए.

आपके बैंक में केंद्रीकृत तथा समर्पित ग्राहक सेवा केंद्र (सीसीसी) है, जो विभिन्न पद्धतियों से शिकायतों का प्रबंधन करता है. शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं सामयिक समाधान में आपके बैंक की प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप, वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान सीसीसी ने अपने आईएसओ प्रमाणन को आईएसओ 9001: 2015 में उन्नत किया है. आपके बैंक ने समन्वित शिकायत प्रबंध सॉफ्टवेयर, जो विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों/ परिवादों की रिकार्डिंग, निगरानी और समयबद्ध निपटान को सुसाध्य बनाता है, का प्रयोग करते हुए विभिन्न डिलीवरी माध्यमों में अपनी शिकायत निवारण प्रणाली की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं. बैंक ने ग्राहक सेवा, शिकायत निवारण तथा ग्राहक अधिकार नीति पर नीतियों को अपनाया है.

आपके बैंक ने ग्राहक सेवा अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए नए उपाय किए हैं और मौजूदा प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सतत आधार पर सुधार भी किए हैं. वर्ष के दौरान आरंभ किए गए प्रमुख ग्राहक केंद्रित पहल कार्यों में से कुछ निम्नलिखित थे:

- **बहुभाषी इंटरऐक्टिव वॉइस रिस्पांस (आईवीआर) प्रणाली:** अब आईवीआर सेवाएं हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा 10 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध करायी जा रही हैं, इस प्रकार आईवीआर बैंकिंग की पहुँच व्यापक प्रेक्षकों तक हो रही है.
- **'मैं यह कैसे करूं' शृंखला:** आम तौर पर पूछे जाने वाले प्रश्नों पर एफएक्यू का संकलन ग्राहकों को त्वरित स्वयं- सेवा में मदद करता है. इस उद्देश्य से बैंक ने अपनी वेबसाइट पर ग्राहक सेवा पृष्ठ के अंतर्गत सहायता अनुभाग का आरंभ किया है, जिसके जरिए ग्राहकों द्वारा आम तौर पर पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर उपलब्ध कराया जाता है.
- **'आइये बात करें':** बैंक के ग्राहकों के लिए प्रत्येक कार्य दिवस वाले शनिवार को एक खुला मंच उपलब्ध कराया गया है, जिसमें वे सामान्य कार्य दिवस के भीड़-भाड़ वाले समय से अलग हमारी शाखा के स्टाफ के साथ बातचीत कर सकते हैं तथा उन्हें अपने फीडबैक, सुझाव आदि दे सकते हैं और अपने प्रश्नों/ शिकायतों का उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं.
- **आधार अद्यतन करना/ जोड़ना:** ग्राहक अपने खाते से आधार अद्यतन करने/ जोड़ने के लिए आईवीआर, नेट बैंकिंग, एटीएम, एसएमएस, वेबसाइट तथा मोबाइल एप्लीकेशन सहित विभिन्न डिजिटल चैनलों का प्रयोग कर सकते हैं.
- **पुश ई-मेल:** बैंक के फोन बैंकिंग चैनल पर कॉल करने वाले ग्राहकों को जानकारी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से, बैंक ने पुश ई-मेल की सुविधा आरंभ की है, जिसके माध्यम से ई- मेल में ग्राहकों के अनुरोध पर उन्हें शाखा/ एटीएम पता, ब्याज दर, फॉर्म आदि संबंधी वांछित जानकारी भेजी जाती है.
- **शिकायत का पता लगाना एवं समाधान पर फीडबैक:** ग्राहकों द्वारा की गयी शिकायतों का तत्काल पता लगाने की सुविधा के लिए ग्राहकों को उनकी शिकायत के सफलतापूर्वक पंजीकरण के बाद एक एसएमएस सूचना भेजी जाती है, जिसमें उनकी शिकायत आईडी शामिल होती है. इसके अलावा, बैंक ने समाधान की गुणवत्ता की जांच के लिए शिकायतों के समाधान पर फीडबैक का पता लगाने के लिए एक प्रणाली भी लागू की है. शिकायत के समाधान के बाद, ग्राहकों को एक एसएमएस भेजा जाता है जिसमें शिकायत के समाधान की प्रभावशीलता तथा गुणवत्ता पर फीडबैक प्राप्त करने के प्रावधान सहित शिकायत बंद करने की जानकारी दी जाती है. यदि ग्राहक उपलब्ध कराए गए समाधान से असंतुष्ट है तो उनके लिए शिकायत को आगे पहुंचाने के प्रावधान भी बनाए गए हैं.

आपका बैंक नियमित आधार पर ग्राहक से फीडबैक प्राप्त करता है तथा ग्राहकों को आह्लादित करने हेतु प्रक्रियाओं में सुधार के लिए इसका प्रयोग करता है. आपका बैंक प्रति माह आयोजित होने वाली शाखा स्तर ग्राहक सेवा समिति (बीएलसीएससी) बैठकों के माध्यम से, जिनमें समाज के विभिन्न तबकों के ग्राहक आमंत्रित किए जाते हैं, शाखाओं में सेवा की गुणवत्ता पर ग्राहक से फीडबैक भी प्राप्त करता है. आपका बैंक कॉल सेंटर से संपर्क करने वाले ग्राहकों से उनकी बातचीत तथा एजेंट द्वारा उपलब्ध कराए गए समाधान पर भी फीडबैक प्राप्त करता है. आपके बैंक ने कर्मचारियों को सशक्त तथा सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण तथा कौशल विकास व्यवस्था का संवर्धन किया है ताकि वे उच्च गुणवत्ता वाली ग्राहक सेवा प्रदान कर सकें.

बैंक विनियामक अनुपालन तथा ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा के मूल्यांकन के उद्देश्य से सभी शाखाओं में गुप्त खरीददारी कार्यकलाप भी आयोजित करता है. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, बाह्य एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग कर ग्राहक फीडबैक प्राप्त किए गए थे. प्राप्त निष्कर्ष पर कार्रवाई की गयी ताकि आपके बैंक की ग्राहक सेवा में सुधार लाया जा सके. ग्राहक सेवा पर सतत ध्यान केंद्रित करने के परिणामस्वरूप, आपके बैंक को दिसंबर 2017 में जारी फोर्रेस्टर रिसर्च आईएनसी द्वारा ग्राहक सेवा सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ.

आपका बैंक भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) का सदस्य है और इसने ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता का कोड तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता के कोड को अपनाया है. दोनों कोड बैंकिंग पद्धतियों के न्यूनतम मानक स्थापित करते हैं. इन्हें बैंक की वेबसाइट पर रखा गया है तथा शाखाओं में ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध कराया गया है.

कॉरपोरेट संप्रेषण

वर्ष के दौरान, बैंक की कायापलट योजना तथा उसके कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करते हुए आपके बैंक के बारे में सकारात्मक खबरों के प्रसारण पर जोर दिया गया. आपके बैंक ने अपने उत्पादों के विवरणों, सेवाओं तथा विशेष ऑफरों के प्रचार के लिए विभिन्न सोशल मीडिया पृष्ठों का उपयोग किया साथ ही स्थानीय स्तर पर गतिविधियां चलाकर विभिन्न उत्पादों और सेवाओं का प्रचार-प्रसार भी किया. लागत कम करने के उद्देश्य से, आपके बैंक द्वारा कोई प्रमुख विज्ञापन पहल नहीं की गयी थी. आपके बैंक को नयी दिल्ली में संपन्न एशिया और पैसिफिक में विकास वित्त संस्थानों की 41 वीं वार्षिक संघ (एडफिएप) की बैठक में सर्वश्रेष्ठ वेबसाइट पुरस्कार प्राप्त हुआ.

आपके बैंक का आंतरिक संप्रेषण कार्यक्रम बैंकिंग तथा उससे इतर क्षेत्रों में विकास के साथ- साथ महत्वपूर्ण विचारों के प्रभावी विनिमय को सक्षम बनाने पर

ध्यान केंद्रित करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि यह बैंक के विभिन्न विभागों तथा शाखाओं में व्याप्त हो. कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने तथा उनसे जुड़ने के लिए विभिन्न पहल कार्य आरंभ किए गए. इसमें, अन्य बातों के साथ- साथ, डिजिटल समाचार पत्र 'अभ्युदय' का आरंभ कर इसके माध्यम से कर्मचारियों को बैंक के विभिन्न विकास कार्यों के बारे में अद्यतन जानकारी देना है, कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने वाले शीर्ष प्रबंधन के विडियो दिखाना, सभी कर्मचारियों के डेस्कटॉप पर प्रेरणास्पद कोट प्रदर्शित करना, शनिवार को ऑनलाइन क्विज द्वारा कर्मचारियों से जुड़ना, आदि शामिल है.

सूचना प्रौद्योगिकी

आपके बैंक ने अपने ग्राहकों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु और उनके लिए बैंकिंग को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी और सुरक्षा विशेषता युक्त व्यापक उन्नत वित्तीय सेवाएं एवं उत्पाद प्रदान करने हेतु अपनी प्रामाणिक आईटी श्रेष्ठता का पूर्ण लाभ उठाना जारी रखा. प्रौद्योगिकी बैंकिंग क्षेत्र में एक अग्रणी भूमिका निभाने के नाते आपके बैंक ने अपने ग्राहक की बैंकिंग तथा वित्तीय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाया है. साथ ही, आपका बैंक लगातार नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी को अपनाता रहा है जिससे इसके परिचालनगत सुविधा में सुधार लाने में सहूलियत हुई है और साथ ही इसकी प्रौद्योगिकी प्रणालियों और प्रक्रियाओं की क्षमता और सुरक्षा में भी वृद्धि हुई है.

आपके बैंक ने अपने ग्राहकों के बैंकिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए अपनी शाखाओं में 100% कंप्यूटरीकरण के जरिए अपनी आईटी श्रेष्ठता से लाभ उठाना जारी रखा. आपके बैंक में टियर-3 डेटा केंद्र (प्राइमरी डेटा केंद्र (डीसी), आपदा रिकवरी (डीआर) साइट और नियर डीआर साइट) उपलब्ध हैं. बैंक ने न्यूनतम ऊर्जा खपत के लिए सर्वर आभासीकरण प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन जारी रख हरित पहल को बनाए रखा है.

ग्राहक सुरक्षा और आह्लाद के साथ-साथ ग्राहकों की जरूरतों एवं प्रोफाइल को वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषित करने के लिए अपने आईटी कार्यसूची के प्रयोजन के भाग के रूप में आपके बैंक ने विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाएं अर्थात् उद्यम-वार डेटा वेयर हाउस समाधान और उद्यम-वार धोखाधड़ी जोखिम प्रबंध समाधान भी साथ-साथ में आरंभ किए हैं. समीक्षाधीन अवधि के दौरान आपके बैंक ने एमएसएमई तथा कृषि ऋण आवेदन प्रोसेसिंग तथा ई-व्यापार वित्त आवेदन के लिए स्वचालित ऋण आवेदन प्रोसेसिंग प्रणाली (एएलपीएस) भी कार्यान्वित की है. आपका बैंक बेहतर और आह्लादित ग्राहक अनुभव के लिए प्रौद्योगिकी प्रगति का लाभ लेने हेतु अपने कोर बैंकिंग सोल्युशन (सीबीएस) को उन्नत कर रहा है.

केंद्रीकृत परिचालन

आपके बैंक के पास केंद्रीकृत सेवाओं जैसे मीयादी जमाराशियों के ब्याज पर टीडीएस, कार्डों, पिन मेलर, चेक बुक, खाता विवरण तथा ग्राहकों को सुपुर्द किए जाने वाले अन्य प्रदेयों के निर्माण तथा सुपुर्दगी, डीमैट खाता खोलने, अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन (एएसबीए), सिंडीकेट एएसबीए और प्रतिभूति पर ऋण (एलएएस) आदि के लिए एक आधुनिकतम केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई (सीपीयू) है. इसी प्रकार से आपके बैंक के पास बचत बैंक खाते, चालू खाते और सावधि जमा खाते खोलने जैसे कार्यों के लिए छह आधुनिकतम क्षेत्रीय प्रसंस्करण इकाइयां (आरपीयू) भी हैं. सीपीयू और आरपीयू खाता खोलते समय केवाईसी और एएमएल के दृष्टिकोण से लगने वाले समय (टीएटी) में कटौती और लागत की बचत पर और बेहतर तथा एकीकृत नियंत्रण सुनिश्चित करते हैं.

शाखा परिचालन सहायता एवं नीति

स्टाफ के बीच दैनंदिन परिचालनों से संबंधित नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराते हुए, आपका बैंक सुनिश्चित करता है कि सभी संघटकों को उत्पादों, परिचालनों और सेवाओं पर अद्यतन जानकारी के साथ सेवा दी जाए. आपके बैंक ने ग्राहक सेवा में सुधार के प्रयोजन से शाखाओं के लाभ के लिए विभिन्न सोल्युशन जैसे-लॉकर प्रबंध सॉफ्टवेयर, ई-रजिस्टर, ई-रिपोर्ट तथा अन्य सोल्युशन उपलब्ध कराये हैं.

आपका बैंक रिजर्व बैंक की स्वच्छ नोट नीति को सुनिश्चित करने में बैंकिंग उद्योग में अग्रणी रहा है. आपके बैंक के पास 18 अत्याधुनिक करेंसी चेस्ट (सीसी) हैं. ये करेंसी चेस्ट सभी संबद्ध शाखाओं से प्राप्त नकदी को प्रसंस्कृत करते हैं और एटीएम तथा शाखाओं के जरिए वितरण के लिए स्वच्छ नोट उपलब्ध कराते हैं.

घरेलू भुगतान तथा विप्रेषण सेवाएं (डीपीआरएस)

आपका बैंक पेपर आधारित भुगतान लिखतों के भुगतान और संग्रहण तथा विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों के माध्यम से निधि अंतरणों के प्रोसेसिंग की सुविधा प्रदान करता है. आपके बैंक में चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) द्वारा समाशोधन कार्यकलापों को संभालने हेतु तीन केंद्रीकृत समाशोधन ग्रिड केंद्र हैं. सभी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तथा विप्रेषण सेवाओं के परिचालन कार्यकलापों को संभालने हेतु एक केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन प्रोसेसिंग केंद्र (ईटीपीसी) भी है. किसी भी ग्रिड केंद्र और ईटीपीसी में संकटकालीन परिस्थितियों के दौरान सुचारू परिचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, आपके बैंक ने हैदराबाद में एक लागत-प्रभावी 'कारोबारी निरंतरता योजना' लागू की है.

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

आपका बैंक, सामाजिक रूप से जिम्मेदार संस्था होने के अपने प्रयास में, समाज के कमजोर तबके के वर्गों के जीवन में सार्थक और स्थायी सुधार लाने में, सीएसआर गतिविधियों के महत्व को भलीभाँति स्वीकार करता है. आपके बैंक की सीएसआर गतिविधियां समाज के स्थायी सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान करने की अपनी वचनबद्धता को मूर्त रूप देती हैं. आपके बैंक ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुपालन में 1 अप्रैल 2014 से बोर्ड-अनुमोदित सीएसआर नीति लागू की है.

कंपनी अधिनियम, 2013 में उल्लिखित व्यापक दिशानिर्देशों के अनुसार, आपके बैंक को समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सीएसआर के अंतर्गत किसी भी राशि के व्यय की आवश्यकता नहीं है. तथापि, आपके बैंक ने चुनिंदा सीएसआर मध्यस्थताओं के लिए 1.36 करोड़ रुपये की राशि खर्च की है. कंपनी अधिनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में इन विविध सीएसआर कार्यकलापों के जरिए आपके बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करने, बच्चों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने, पर्यावरण संबंधी निरंतरता सुनिश्चित करने, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, आजीविका के अवसरों में वृद्धि करने, व्यावसायिक और रोजगार परक कौशल को समुन्नत बनाने तथा योजनाबद्ध मध्यस्थताओं के जरिए गाँवों का संपूर्ण विकास करने में योगदान दिया है.

आपके बैंक की सीएसआर गतिविधियों को विभिन्न मंचों पर उचित रूप से सराहना मिली है. आपके बैंक की अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि (यूनिसेफ) के साथ 'जल, सफाई और स्वच्छता' की सीएसआर परियोजना के लिए स्कॉच बीएसई ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड 2017 प्राप्त हुआ.

Management Discussion and Analysis

BUSINESS ENVIRONMENT

A broad-based recovery is underway in the global economy, supported by a rebound in investment, manufacturing activity, and trade. In this backdrop, various international accredited agencies viz. World Bank, IMF, OECD, etc. have projected the global economic growth to improve in 2018.

With the GDP growth revving up to 7.7% in Q4 FY 2017-18, the highest in seven quarters, India retained its position as the fastest growing economy. A broad-based upturn in agriculture output, improved manufacturing performance and a vibrant services sector aided in driving the overall growth. However, India's GDP growth in FY 2017-18 was lower at 6.7% vis-à-vis 7.1% in FY 2016-17. Though FY 2017-18 closed with the lowest GDP growth in four years, the upward trend in growth since Q2 FY 2017-18 promises better times ahead. Leading institutions/ organisations project India to be the fastest growing economy over the next four-five years.

Going forward, the key engines supporting growth in India are largely domestic and policy-driven, though a synchronous upturn in global growth will provide some tailwind. The outlook for India's economic growth is also optimistic on account of expected record foodgrain output, strong sales growth by corporates, depleting finished goods inventories, restart of investment in fixed assets by corporates pointing to renewal of the capex cycle and resilience of services sectors. High frequency indicators such as higher private consumption measured by growth in domestic air passenger traffic and foreign tourist arrivals, upturn in production of consumer durables, rising sales growth of passenger vehicles, etc. signal further strengthening of domestic demand conditions.

BUSINESS REVIEW

Keeping in view the imperatives before it, your Bank launched Project Nishchay during the year to drive its strategic transformation through focussed interventions in four major areas, namely (i) Asset Utilisation, (ii) Revenue Maximisation, (iii) Operating Cost Rationalisation, and (iv) Manpower Planning. Under the Project, an all-encompassing, multi-initiative strategy was envisaged under these four broad pillars.

As a part of its comprehensive turnaround strategy, your Bank took necessary measures to realign its business mix in favour of retail and priority sector lending business while limiting growth in its corporate loan book. This would enable the Bank to shift to a capital light business model including reduction in its Risk Weighted Assets (RWAs). To improve its asset quality, the Bank also adopted a comprehensive action plan and roadmap for reduction of Non-Performing Assets (NPAs). This will aid in further reduction in the capital requirement of the Bank going forward. The Bank also embarked on divestment of its non-core assets, including sale of its stakes in various associates and Joint Ventures and sale of its residential and commercial properties, which were not being optimally utilised, to augment its capital base.

Simultaneously, your Bank took several measures to augment its revenues streams by enhancing retail asset growth, improving retail liabilities, and enhancing fee income. Towards this end, the Bank has been proactively enhancing its capabilities through improved customer service, field sales excellence and analytics driven sales.

Your Bank has been also working towards rationalisation of operating cost by identifying a number of areas for higher efficiency in order to boost its bottom-line.

The overall strategy of the Bank is also being supported by necessary steps it has taken in repositioning its human resource to ensure that the retail business segment and credit monitoring & recovery teams are adequately staffed and revamping the governance structure.

Dedicated core teams were formed for monitoring the progress with respect to the identified parameters. Furthermore, emphasis was placed on improving communication and engagement levels across your Bank as it was envisaged as a collaborative effort. Your Bank is committed to identify and address existing gaps, capitalise on core strengths and improve existing products and processes, leading to sustainable growth and profitability of the Bank.

As on March 31, 2018, your Bank served its customers through its network of 1,916 branches, comprising of 441 branches at metro locations, 466 branches at urban centres, 592 branches at semi-urban centres and 415 branches at rural centres (including 258 Financial Inclusion branches) across India, one overseas branch at Dubai International Financial Centre (DIFC), Dubai, one International Banking Unit (IBU) at Gujarat International Finance Tec-City (GIFT), Gujarat as well as 3,779 ATMs and 58 e-lounges. Simultaneously, your Bank leveraged its digital offerings to extend the convenience of transacting at any time and any place to its customers.

Retail Banking

Retail Liability Products

In consonance with its motto of *'Customer First',* your Bank offers an array of retail liability products, which were the key drivers of growth across various segments such as High Net-Worth Individuals (HNIs), business enterprises, corporate payroll, trusts, associations, societies, senior citizens, kids, women, youth etc. Every product of your Bank is specially designed by putting its customer at the centre and catering to the full spectrum of their requirements. Considering the continuously evolving and emerging customer needs and trends, your Bank continued to introduce new products and review the facilities/ processes of existing products to meet those needs.

During the year, your Bank also tapped new avenues to increase the share of low-cost deposits, generate fee-based income and rationalise the product and related costs. In line with the developments in the banking industry, your Bank introduced new service charges and revised select existing charges, keeping in view the increased operational costs, emergence of various digital platforms and changing customer preferences.

NRI Services

Your Bank values its relationship with its NRI customers and caters to their needs by offering a full spectrum of financial products and services, ranging from basic Non Resident External (NRE) Account, Non Resident Ordinary (NRO) Account and Foreign Currency Non Resident (FCNR) deposits to value-added services such as forward cover on FCNR deposits, Portfolio Investment Scheme (PIS) for investments in Indian secondary stock markets, overdraft facilities against the security of NRI deposits, home loans, loans against property and more. Your Bank also offers various options to NRI customers for hassle-free fund remittances to India to enable fast, economical and convenient fund transfer.

Retail Assets

Your Bank continues to target a sizeable retail business portfolio to facilitate a more balanced business mix, in keeping with its intended positioning as a full-service new generation commercial bank. Pursuant to the same, your Bank currently offers a bouquet of retail asset products aimed to meet the needs of customers in the retail banking segment. To meet the growing market challenges and divergent needs of its customers, the Bank offers an array of structured retail asset products such as Housing Loans, Mortgage Loans, Personal Loans, Education Loans, Vehicle Loans, among others. Apart from introducing new products, your Bank also periodically reviews the existing products to introduce modifications/ innovations/ customisation.

Your Bank is a trusted partner in the home loan segment. Apart from standard home loan products, your Bank is also focusing on the much-needed rural housing and affordable housing segments with specialised products. During the year, your Bank introduced special offer for Central and State Government employees and its payroll customers wherein concessional interest rate was extended on Home Loan, Auto Loan, Personal Loan and their variants. The Bank is one of the few banks which have introduced risk-based pricing mechanism to offer competitive rates to the customers in alignment with their credit profile.

Your Bank has been a key member in operationalising the Government of India's Vidya Laxmi Portal which facilitates online application for Education Loan.

To enhance customer ease, your Bank has enabled online loan application facility on its website. Your Bank also offers online facility on its website which allows customers to track the loan application.

Credit Cards

Your Bank offers five credit card variants under different network schemes as under:

a. RuPay Scheme - Winning Select;

b. Visa Scheme - Royale Signature, Aspire Platinum and Imperium Platinum; and

c. Mastercard Scheme - Euphoria World.

The card variants are targeted at different customer segments depending on their profile and needs.

During the year under review, your Bank launched *'Winnings'* RuPay Select credit card - a premium card offering targeted at affluent customer groups, primarily salaried segment. Your Bank was one of the first banks to launch credit card on RuPay Platform in association with National Payments Corporation of India (NPCI).

Your Bank, during the year, also offered pre-approved credit card to its select existing customers to capitalise on the large retail customer base for increasing its credit cards penetration in the market.

In order to activate and increase the card usage, your Bank also launched card usage and activation campaign during the year, thereby awarding customers with additional bonus delight points. Your Bank also offered additional customer value in the form of merchant discounts and offers to its credit card customers.

Digital Banking

The banking sector in India is witnessing an accelerated pace of innovation and technology adoption towards digital banking channels. This trend received an added impetus from the Government's *'DigiDhan Mission'* which aims at encouraging greater use of electronic payments by all sections of society by reducing paper-based transactions.

Your Bank is committed to promoting and enhancing the distribution of various digital products, viz. Debit cards, Credit Cards, PoS, mPoS, Internet Payment Gateway, Internet Banking, Mobile Banking and also ensuring that there is greater level of activation and adoption of these products by the customers for usage thereof.

Your Bank was one of the first Public Sector Banks (PSBs) to launch Digital PoS with Bharat QR (Version 4) and BHIM Aadhaar Pay (RD enabled), adding to its current product suite of GPRS, PSTN, Mobile PoS, PCPoS and NFC enabled terminals.

Your Bank revamped its mobile banking app to incorporate better user interface and experience and also rebranded the app as *'GO Mobile +'.*

Some of the important achievements of your Bank during the period under review are as follows:

- As a part of the Government of India directive under the DigiDhan Mission, your Bank achieved 94% of the target for BHIM Aadhaar Biometric Fingerprint devices and was ranked at the 2nd position amongst PSBs and at the 10th position amongst all 38 banks in India.
- The percentage of digital payments transactions increased to 64.25% as on March 31, 2018 from 39.10% as on March 31, 2017.
- Your Bank introduced Green PIN - a paperless PIN generation solution – wherein IDBI Bank Debit Cardholders can securely generate their debit card PIN through ATM, IVR, Internet Banking channel, SMS and Missed Call facility.

- Your Bank launched *'BHIM PayWiz'* - an Unified Payments Interface (UPI) mobile application - on the iOS platform in June 2017.
- Your Bank also launched BHIM Digital PoS which is a mobile-based payment collection application for merchants which enables the merchants to accept payments from all UPI Apps. It also enables the merchants to collect payments using Aadhaar Number and biometrics using a single mobile application.
- In June 2017, your Bank launched *'IDBI AppKart',* which is an umbrella application containing all its mobile-based solutions on the Android platform, thereby enhancing the customer convenience in locating the apps.
- The facility for setting daily transaction limits and enable/ disable usage for debit cards has also been introduced in internet banking.

Third Party Products and Capital Market Products

Your Bank offers various value-added products and services to its customers, keeping in view their risk profile and financial goals. During the year, your Bank launched a special campaign *'HWH' (Health, Wealth and Happiness)* under Project Nishchay for imparting necessary thrust in enhancing fee income and fostering healthy sales culture. Your Bank also worked towards promotion and service of the Sovereign Gold Bond Scheme and the New Pension Scheme.

Your Bank was conferred three awards by Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA), viz. 3rd rank for NPS under *'Life's Glory'* campaign for sourcing maximum number of NPS accounts, 2nd rank for Best Point of Presence (PoP) – NPS for number of corporates activated and 3rd rank in Best PoP - SP activation. Your Bank secured 1st position as top performer in new demat accounts opened under the PSU-Bank Category at 32nd DP Conference of National Securities Depository Ltd. (NSDL).

Financial Inclusion

Your Bank has been proactive in partnering with the policymakers to further the objective of financial inclusion by ensuring access to financial products and services needed by vulnerable sections of the society at affordable cost in a fair and transparent manner. Your Bank's Financial Inclusion Plan (FIP) provides a structured and planned approach to financial inclusion. Your Bank has been actively promoting the agenda of financial inclusion with interventions in three key areas, viz., offering appropriate financial products, making intensive use of technology and enhancing financial literacy.

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana and Social Security Schemes

Your Bank proactively sourced accounts under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) and participated in social security schemes of Government of India, viz. Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) for accident insurance cover, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) for life insurance cover and Atal Pension Yojana (APY) for pension in old age.

Business Correspondents/ Business Facilitators

Your Bank leveraged its network of Business Correspondents (BCs)/ Business Facilitators (BFs) in an effort to increase penetration in rural and semi-urban areas and thereby, ensure greater financial inclusion as also provide an added impetus to its Priority Sector Lending (PSL) business. To provide facility of payments through BCs (also referred to as Bank Mitras), hand-held devices were provided to them which are enabled with the facilities to accept RuPay cards and carry out Aadhaar-based transactions. Further, to enhance the skill sets of BCs/ BFs and thereby, prepare them to become confident, self-sufficient and viable, the Bank conducted extensive training sessions/ workshops for all BCs/ BFs at various locations across the country. Besides, your Bank has also provided on-the-job training to BCs/ BFs to develop their technical skill to operate on technology platform for conducting banking transactions.

Financial Literacy

Financial literacy has been identified as a pre-requisite for effective financial inclusion and an integral part of the PMJDY in order to enable the beneficiaries to make best use of the financial services being made available to them. Your Bank has set up desks known as *'Vittiya Sakhsharta Jankari Kendras'* in its rural branches which have been entrusted with the responsibility of spreading awareness on various banking products and Government social security schemes, through conduct of outdoor literacy camps. Your Bank's Rural Self Employment Training Institute (IDBI-RSETI) at Satara district in Maharashtra also conducts free residential training programme in job-oriented courses for the rural unemployed youth to empower them to be self-employed.

Awards for Financial Inclusion

Your Bank was conferred with SKOCH Order-of-Merit Award 2017 for its financial inclusion initiatives at the 48th SKOCH Summit.

Priority Sector Banking

Your Bank has been contributing to Priority Sector Lending (PSL) as mandated by the RBI. During the year, in line with the regulatory requirement, the Bank focused on financing Micro Enterprises and Small & Marginal Farmers as well as directly lending to non-corporate farmers. Your Bank continued its effort to extend micro credit through corporate BC/ BF channel and tied-up with several corporate BCs/ BFs. Your Bank has also been proactive in extending financial assistance under the Government schemes such as Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) and Stand-Up India as also to socio-economically weaker sections of the society in consonance with the regulatory framework.

Major initiatives undertaken to boost PSL

- Your Bank has signed Memoranda of Understanding (MoUs) with 13 State-Level Rural Livelihood Missions (SRLMs), which are the implementation agencies for National Rural Livelihood Mission (NRLM) at state level. NRLM is the flagship programme of the Government of India for poverty eradication and administered through Self Help Groups (SHGs).
- Your Bank observed Farmers' Day on December 23, 2017 in its branches/ offices across India by organising 'Kisan Sangoshthi' to educate the farmers about economic strength, consumer protection, financial inclusion and financial literacy.

- Considering the importance of capital formation in the field of agriculture, the Bank has launched multiple campaigns at the field level to encourage and augment the investment credit flow to agriculture sector.
- With a view to achieve digitalisation and speedy processing of loan proposals for improving the turnaround time, an online sanction process for KCC has been introduced through '*Integrated PSL Automated Lending System (i-PALs)*'
- Your Bank has identified seven new SME clusters in various industries and geographies wherein the products have been customised as per their requirements.
- Your Bank became a participant of the Trade Receivables Discounting System (TReDS) platform that facilitates e-discounting of invoices/ bills.

Corporate Banking

Your Bank's Corporate Banking portfolio includes exposure spread over varied sectors such as power, textiles, cement, steel, engineering, construction, paper & paper products, electronics & electrical equipment, sugar, chemicals, automobiles, Non-Banking Financial Companies (NBFCs), etc.

Your Bank's asset basket for corporate clients includes term loans, working capital (both fund-based and non-fund based), packing credit to exporters, receivables buyout, bill discounting, etc. Within the ambit of Corporate Banking, your Bank also places due emphasis on Priority Sector Lending by offering products such as channel financing and vendor financing for dealers/ vendors of corporates. The Corporate Banking team of your Bank works closely with other specialised teams such as in Retail Banking, Transaction Banking, Treasury, etc. to develop suitable products and devise appropriate solutions which would fulfil specific needs of the corporate clients.

Your Bank is also the Nodal Agency for Textile industry (non-MSME sector) under Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS) of the Government of India. Besides processing cases pertaining to your Bank's clients on pan-India basis as a Nodal Bank under the scheme, your Bank has also co-opted 62 Prime Lending Institutions which include Scheduled Commercial Banks, State Financial Corporations, State Industrial Development Corporations, Co-operative Banks etc., as a Nodal Agency.

In alignment with its turnaround strategy, your Bank is consciously restricting growth in its corporate loan book which would help it in shifting to a capital light model while simultaneously de-risking its business portfolio.

Asset Quality

Your Bank continued its emphasis on containment of fresh Non-Performing Assets (NPAs) and recovery from the existing stock. As at end-March 2018, 72.05% of your Bank's Total Assets were Performing Assets and 27.95% were NPAs (of which 20.41% were Sub-standard Assets, 75.40% were Doubtful Assets and 4.19% were Loss Assets). Adequate provisions were made in conformity with extant regulatory guidelines and the provision coverage ratio improved to 63.40%.

The recovery and upgrade has increased three-fold from ₹ 4,849 crore in FY 2016-17 to ₹ 15,001 crore in FY 2017-18.

In this backdrop, your Bank has crafted a multi-pronged response strategy of rebalancing asset portfolio, early recognition of stress, resolution and recovery of NPAs. Your Bank has drawn up a comprehensive action plan and road map for reduction of NPAs. This involves further strengthening the overall structure and supervisory mechanisms, creating clear policy guidelines, optimum use of MIS for timely data availability/ analysis based activity monitoring and structured review, case specific strategy for recovery from large value accounts and persistent and timely action with respect to retail NPAs.

In this regard, your Bank set up a Credit Monitoring Group for off-site monitoring of all its credit exposure to intensify monitoring and follow-up to prevent fresh slippages. System based monitoring and directed actions have started yielding results.

Your Bank has further strengthened the NPA management function under the dedicated vertical, viz. NPA Management Group (NMG), for aggregating corporate NPAs for focused account-specific resolution strategies and close monitoring. Within NMG, a specific team has been carved out to monitor, supervise and drive recovery actions from NPAs of retail segment and a dedicated desk has been established for the cases under Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP).

The enactment of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016 has opened up an additional avenue for a time-bound, transparent resolution/ liquidation of defaulting corporate debtor. As of March 31, 2018, cases (including Standard Assets, NPA and Technically Written Off (TWO)) with aggregate exposure of ₹ 24,032 crore are under CIRP process and major cases are expected to be resolved in FY 2018-19.

Your Bank, in order to utilise One Time Settlement (OTS) as an effective tool to facilitate realisation of time value of money, has improved systems and processes with adoption of a reviewed and revised comprehensive policy on recovery through settlement, launch of OTS tracking system and empowering committees at various levels for entering into settlement.

Your Bank also pursued legal actions under the applicable laws, enforcement actions under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, follow up with Debt Recovery Tribunals (DRTs)/ courts on continuous basis including positioning dedicated legal officers as Nodal officers so as to minimise the delays in obtaining recovery certificates/ decrees and execution thereof.

Your Bank classified 116 cases as wilful defaulters with punitive actions initiated against such borrowers/ promoters/ directors and declared seven cases as Non-Cooperative borrowers as on March 31, 2018.

Your Bank also sold some NPAs to Asset Reconstruction Companies (ARCs)/ banks. A recovery of ₹ 206.98 crore was made from technically written-off accounts during the year.

Trade Finance

Your Bank continued to show healthy growth by setting new service standards in Trade Finance (TF) business, which is conducted through 53 Category B Authorised Dealer TF centres and 61 Retail TF branches.

As part of your Bank's ongoing digital transformation, various initiatives were taken to automate routine operations. With automated workflows and by eliminating non-value added processes, productivity and efficiency has improved. In addition to that, various regulatory reportings were automated to ensure that accurate information is submitted in a timely manner to the RBI and other Government agencies.

Your Bank complied with instructions given by the RBI regarding time-bound implementation and strengthening of SWIFT-related operational controls. The process and control continues to be robust with better service standard.

Your Bank achieved integration of CBS (Finacle) with SWIFT through middleware (MSWIFT) which allows preparation of financial messages with appropriate entries passed in the CBS. Centralised authorisation of SWIFT outward messages at Zonal level is set up for ensuring compartmentalisation between users in CBS and SWIFT authorisation. As a way forward, your Bank also aims to fully centralise SWIFT operations for further strengthening of operational controls.

With a view to increasing the scope of trade related activities for its retail customers, your Bank introduced a market-friendly IDBI Trade Current Account (iTCA). It offers concessional rate for TF products and services based on average balance maintained in the accounts.

Your Bank established Relationship Management Applications (RMAs) with 1,212 foreign banks. With this enhanced network, your Bank facilitates bi-directional trade transactions with major geographical locations across the globe. Your Bank has Nostro arrangements with 24 major banks in 14 currencies.

In recognition of your Bank's operational efficiency in processing straight through online payments and quality of payment messages, Citi Bank and Bank of New York, Mellon honoured the Bank with *'Performance Excellence Awards'* under the category Straight Through Processing (STP) for US Dollar Payments. These awards are a testimony of your Bank's efficiency in ensuring prompt payments without any manual intervention, thus enhancing overall productivity.

Government Business

Your Bank acts as an agent for the Central Government and the State Governments to manage their receipts and payments. Besides being authorised to collect Central Government taxes (direct and indirect) and Government receipts for 23 State Governments and four Union Territories, your Bank also has the mandate for collecting electronic payment of Railway Freight charges and EPFO subscription. Your Bank has also been authorised to collect stamp duty under Indian Stamp Act in addition to Maharashtra Stamp Act. During the period under review, your Bank collected more than ₹ 3 lakh crore through various taxes and duty payments on behalf of the Central and State Governments. Leveraging its best-in-class technology platform, your Bank provides, *inter alia,* 24x7 internet banking facilities for tax payments. Your Bank is also authorised by the Government of India to offer Small Saving Schemes, viz. Public Provident Fund (PPF), Senior Citizen Savings Scheme and Sukanya Samriddhi Account Scheme, through its authorised branches pan-India. Your Bank also extends Aadhaar-based authentication of Life Certificate for Central, Civil, Railway and Defence Pensioners under Jeevan Pramaan Yojana launched by the Government of India which enables pensioners to log in and submit their Digital Life Certificate.

Cash Management Services

Cash Management Services (CMS) offered by your Bank cater to liquidity management requirements of corporate clients, such as keeping track of fund movement, payments and receivables systems and managing overall liquidity positions by using specialised software (both for collection and payments). The system also controls credit day arrangements, pricing, Management Information System (MIS), processing for correspondent bank cheques, client lines and many such parameters. Your Bank offers a suite of collection and payment services such as debt servicing products, virtual account system, direct debit facility, vendor management system, automated clearing house mandate management system etc. All these services ride on cutting-edge technological integration with client systems in tune with evolving market trends.

In the quest for enhancing product/ services offerings to the customers while aligning with the Government's e-projects, your Bank entered into an MOU with Government e-Marketplace (GeM). GeM is a Special Purpose Vehicle (SPV) created by the Government as National Public Procurement Portal. Your Bank is also authorised for collection of station earnings and payment of Railway Divisions.

Your Bank provides Automated Clearing House (ACH-Debit) facility wherein inter-bank high volume, low value debit transactions are executed electronically using National Payments Corporation of India (NPCI) Service. In an endeavour to provide enhanced customer experience, ease of transaction and reduced turnaround time (TAT), your Bank has introduced E-Mandate facility to enable customers to move from paper-based mandate to electronic one using Net-Banking.

Your Bank has been periodically customising its CMS System, in order to meet client requirements as well as to improve operational efficiency.

Your Bank is authorised to facilitate utility bill payments using Bharat Bill Payment System (BBPS) which is an RBI mandated system aimed at offering integrated and inter-operable bill payment system in India by connecting banks and non-banks in bills aggregation business, billers, payment service providers and retail bill outlets.

Treasury Operations

An integrated Treasury at your Bank's Head Office covers various segments like money market, fixed income, foreign exchange, derivatives and equities trading for efficient fund

management and treasury operations. The Treasury facilitates customer transactions in market products, resource raising, trading and market making in various market segments and also in managing the regulatory compliance with regard to Cash Reserve Ratio (CRR) and Statutory Liquidity Ratio (SLR).

In addition to mobilising deposits, your Bank used various instruments including inter-bank borrowings, refinance from various sources and foreign currency borrowings for better liquidity management. During the year, the Bank made conscious efforts to reduce its reliance on high cost deposits and CDs. Accordingly, liquidity was managed at an appropriate level depending upon fund position and market situation through various short term/ money market instruments/ Liquidity Adjustment Facility (LAF). Your Bank's Treasury also regularly tracks various markets and adopts acceptable level of positions for trading gains.

In accordance with the RBI guidelines, your Bank complied with the Basel III Framework on Liquidity Standards covering Liquidity Coverage Ratio (LCR), Liquidity Risk Monitoring Tools and LCR Disclosure Standards for improved liquidity risk management and conducted saleability test for identifying High Quality Liquid Assets (HQLA).

During the year, your Bank also successfully deployed surplus funds in short-term instruments and term repos of varying maturities, CDs, Commercial Papers (CPs) (including RBI's Liquidity Adjustment Facility) via variable repo rate window and strategically contained foreign exchange rate exposures.

Your Bank's Treasury is supported by a sales team for effective marketing of foreign exchange and derivative products and operates through 20 centres pan-India to cater to the large retail business potential. The team proactively provides its corporate and retail clients solutions to effectively manage their exposures in currencies and rates. During the year, your Bank provided various types of standard and customised solutions at competitive rates to the customers for their foreign exchange and interest rate hedging requirements through a mix of forex, options and swaps, as permitted by the RBI. Amid rising foreign exchange volatility and pressure on the corporate portfolio, your Bank's Treasury focused on retail segment to augment its forex business and revenue generation.

In addition, your Bank set up debt sales team at various centres for retailing of Fixed Income products in general and Government Securities in particular. The team caters especially to the needs of the investors for undertaking transactions outside the screen-based Negotiated Dealing System-Order Matching (NDS-OM) market and also provides Constituents' Subsidiary General Ledger (CSGL) service to more than 500 Gilt Account Holders (GAHs) having accounts with your Bank. Further, in line with the RBI directives, your Bank provides the facility of web-based NDS-OM module to GAHs for online trading of G-Sec in the secondary market.

In the Primary Dealer (PD) business, your Bank underwrote the regulatory required amount of debts of various tenors raised by the Government of India. Your Bank also assisted various State Governments in raising funds by participating in the auction bidding processes. In the T-Bills segment also, the PD business fulfilled all the applicable commitments with regard to achievement of the required success ratio and secondary market turnover in Government dated securities and T-Bills. As part of the PD activity, your Bank has been involved in the market making activities in respect of illiquid/ semi liquid Government Securities.

During the year, fiscal concerns, domestic supply, inflation worries and rising US yield posed challenges for Fixed Income Instruments. Yield remained under pressure for major part of the year, which adversely affected Mark-to-Market (MTM) based valuation of the investment portfolio especially for Available for Sale (AFS) category for which provisioning was required to be made as per regulatory guidelines.

On account of change in policy stance by the RBI and prescriptions on SLR maintenance from time to time, your Bank's Treasury reduced its exposure to SLR/ HTM holdings during the year.

Being an active player in Treasury operation, your Bank continues to be one of the submitters for financial benchmark for Financial Benchmark India Pvt. Ltd. (FBIL) for FBIL Polled Term MIBOR and FBIL Polled FC-Rupee Options Volatility.

As a part of operational risk management, your Bank continued to operate Treasury Business Continuity Centre which will serve as a near-site alternative to its main Treasury Dealing Centre in the event of any business disruption/ disaster. The Centre is fully equipped with state-of-the-art technology and connectivity with integrated operations covering various market segments, to enable it to handle the front office, back office and mid-office functions of Treasury at all times.

In order to integrate all the dealing platforms, interfaces, accounting solution/ core banking of Treasury's front office, mid-office and back office functions, your Bank has commenced the process of implementation of Integrated Treasury Management System (ITMS) project.

Cross-Border Branches

Your Bank's first overseas branch at the Dubai International Financial Centre (DIFC) has completed eight years of operations. Also, your Bank's first IFSC Banking Unit (IBU), at India's first and only International Financial Services Centre (IFSC) at Gujarat International Finance Tec-City (GIFT), has completed one year of operations.

Your Bank's DIFC branch extends a range of corporate banking services including External Commercial Borrowings (ECB), Foreign Currency Loans (FCL), and trade finance products to meet financing requirements of Indian clients and entrepreneurs operating out of UAE and other Gulf Co-operation Council (GCC) countries. Based on the Government's directive of Rationalisation of Overseas Operations and the Bank's turnaround strategy, necessary steps are being taken to rationalise its overseas operations.

IBU, GIFT City, has not taken any direct client exposure and its entire credit exposure is towards funding of Buyers Credit against bank risk.

Credit Rating

Your Bank obtains credit ratings for both domestic and foreign currency borrowings. The ratings for the Rupee resources as on March 31, 2018 are as under:

Ratings for Rupee Borrowings

Rated Instruments	CRISIL	ICRA	India Rating
Fixed Deposit	FAA/ Stable	[ICRA] MAA-*	IND tAA+ / Negative
Short Term Borrowings (Certificate of Deposit)	CRISIL A1+	[ICRA] A1*	IND A1+
Long Term Rupee Bond (Senior and Lower Tier II Bonds)	CRISIL A+ / Stable	[ICRA] A*	IND AA/ Negative
Hybrid Upper Tier II Bonds	CRISIL A/ Stable	[ICRA] BBB+*	IND BBB+/ Negative
Hybrid – IPDI (Basel II)	CRISIL A/ Stable	[ICRA] BBB+*	---
Hybrid AT1 Bond (Basel III)	CRISIL BBB+ / Negative	[ICRA] BBB- (hyb)*	IND BBB+ / Negative
Tier II Bonds(Basel III)	CRISIL A+ / Stable	[ICRA] A (hyb)*	IND AA / Negative

**- Rating watch with negative implications*

CARE has rated ₹ 50 crore Lower Tier II Bonds (of the erstwhile IDBI Home Finance Ltd.) as CARE A/ Stable.

The foreign currency borrowings of your Bank are rated by two international rating agencies viz; Fitch Ratings (Fitch) and Standards & Poor's (S&P). The long term Foreign Currency Ratings and Baseline Credit Assessment (BCA) / Viability Rating (VR) and Stand-alone Credit Profile (SACP) as on March 31, 2018 are as follows:

Ratings for Foreign Currency Borrowings	
Rated Instruments	**Rating**
Fitch Ratings	
Long Term Issuer Default Rating	BB+/ stable
Viability Rating (VR)	ccc (Rating Watch Evolving)
Standards & Poor's	
Isuer Credit Rating (CR)	BB / stable
Stand-alone Credit Profile (SACP)	b-

Long Term Rupee Borrowings

During the year, your Bank did not issue any fresh bonds in the domestic markets. During the year, your Bank exercised regulatory call option on Basel III compliant Additional Tier I bonds aggregating to ₹ 5,000 crore.

Foreign Currency Resources

During the year, your Bank raised an aggregate sum of USD 2,548.46 million in foreign currency, of which money market transactions aggregated to USD 2048.46 million.

As on March 31, 2018, your Bank's total outstanding under the Medium Term Note (MTN) Programme was USD 1,490.32 million. During the year, your Bank prepaid a bilateral loan of USD 245 Million to KfW, Germany.

RISK MANAGEMENT

Your Bank's risk management strategy is based on the identification, measurement and monitoring of business risks on an ongoing basis to ensure efficient use of capital. Some of the effective methods for mitigating and managing risks include the setting up of well-defined risk management policies and outlining risk limits and procedures in line with your Bank's risk appetite. Periodic policy updates factor in business dynamics, innovation and changes from the regulatory perspective. Your Bank constantly endeavours to improve its risk management culture by spreading risk awareness across all its verticals and making it an essential decision-making criterion. While the Risk Management Committee (RMC) of the Board of Directors is responsible for overall risk management, the day-to-day activities are conducted at various levels based on the risk governance structure. The risk management systems and processes are continuously upgraded, in alignment with the regulatory requirements, to meet the challenges of an increasingly complex financial system. For a more robust and technologically advanced risk management system, your Bank has implemented an Integrated Risk Management Architecture (IRMA) comprising software solutions, viz. Risk Assessment Module (RAM), Capital Assessment Model (CAM) and Comprehensive Operational Risk Evaluator (CORE). IRMA helps to identify and measure credit and operational risks, which, in turn, facilitates formulation of suitable risk mitigation strategies.

Implementation of Basel Norms

Your Bank computes regulatory capital requirement for credit, market and operational risks as prescribed under the Pillar 1 guidelines of the Basel III framework on a quarterly basis. As per the Basel guidelines, banks have to mandatorily maintain Capital Conservation Buffer (CCB) with effect from March 31, 2016. In line with the transitional arrangements included in the regulatory guidelines, the CCB applicable for March 31, 2018 is 1.875%. Accordingly, the minimum regulatory requirement of *"Total Capital + CCB"* is 10.875% as on March 31, 2018. Your Bank has a *"Total Capital + CCB"* ratio of 10.41% as on March 31, 2018. Similarly, your Bank has a *"CET 1 + CCB"* ratio of 7.42% as against the regulatory requirement of 7.375%. The *"Tier 1 + CCB"* ratio stands at 7.73% as on March 31, 2018 against the regulatory requirement of 8.875%.

Your Bank has a Board-approved policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) in line with the Pillar 2 norms of the Basel III framework. This policy enables your Bank to internally assess and quantify those risks which are not covered under Pillar 1 as well as to develop appropriate strategies to manage and mitigate risks under normal and stressed conditions. Your Bank has also put in place a comprehensive stress testing framework in line with the RBI guidelines. The stress testing framework enables your Bank to assess the strength under exceptional but plausible events and facilitates appropriate proactive strategies to meet unforeseen contingencies.

Your Bank has adopted a Disclosure Policy in accordance with the Pillar 3 requirements under the Basel norms. Accordingly, disclosures as at the end of each quarter are hosted on your Bank's website, thereby exhibiting high degree of transparency.

At present, your Bank follows the Standardised Approach under Credit Risk for computation of capital charge and has made progress towards further upgrading and strengthening its Credit Risk Management System for migration to the advanced approach viz. Internal Rating Based (IRB). Your Bank follows Basic Indicator Approach (BIA) to compute regulatory capital charge for Operational Risk. A comprehensive set of Key Risk Indicators (KRIs) and Risk & Control Self-Assessment (RCSA) framework has been rolled out across different business segments for ensuring effective control mechanism. For market risk, your Bank uses Standardised Measurement Method (SMM) to compute regulatory capital requirement.

Credit Risk

The Credit Risk Management system in your Bank includes the Risk Assessment Model (RAM) for credit rating of proposals and Capital Assessment Model (CAM) for automation of capital assessment. The credit policy document is reviewed in line with changing business objectives and economic environment and forms the guiding tool for the business verticals.

Market Risk

Market Risk Management in your Bank, in terms of functions and business positions, operates in line with policy framework defined in the Market Risk & Derivative Policy and Investment Policy. These policies, in general, outline the appropriate levels of risk appetite and implement mechanism for measurement, reporting and escalation of risks and exceptions. In order to manage market risks, your Bank has put in place appropriate risk management systems, including monitoring and reporting tools. Various exposure limits are also put in place to mitigate concentration risk. All the prescribed limits and all the procedures are monitored closely by the Treasury mid office, which is independent of the front and the back offices of Treasury.

Operational Risk

Your Bank has a robust Operational Risk Management Framework (ORMF) which includes an organisational setup comprising the Board of Directors, the Risk Management Committee (RMC) of the Board, the Operational Risk Management Committee (ORMC) and nodal officers of various functions/ departments. The operating procedures for operational risk are guided by Board-approved Operational Risk Management Policy which aims at identifying, monitoring, measuring and managing operational risks associated with banking activities. Your Bank has robust internal systems and procedures, which have been designed by concerned Verticals/ Departments, for mitigation of inherent risks spread across various business activities/ operations. As a secondary control measure, Operational Risk Management (ORM) section manages the operational risks through Key Risk Indicators (KRIs), and Risk Control Self-Assessment (RCSA) exercises and periodically updates the developments to the ORMC and the RMC of the Board. KRIs have been framed for critical functions and branches/ units are risk-rated on the basis of their operational performance through Comprehensive Operational Risk Evaluator (CORE) system. Operational risk loss incidents are collected by ORM section that is deliberated by the ORMC and concerned operating/ dealing groups are advised for necessary corrective actions. Training programmes on Operational Risk Management are regularly conducted for sensitising officers working at operational level.

Liquidity Management

The Bank has well organised liquidity risk management structure as enumerated in Board-approved Asset Liability Management (ALM) Policy. The Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank monitors and manages liquidity and interest rate risk in line with the business strategy. ALM activity including liquidity analysis and management is conducted through coordination between various ALCO support groups residing in the functional areas of Balance Sheet Management, Treasury Front Office, Budget and Planning etc. ALCO directives and ALM actions are implemented by the business groups and verticals.

As per regulatory guidelines, Liquidity Coverage Ratio (LCR) of the Bank is computed on a daily basis from January 1, 2017. The average LCR of the Bank based on daily observations during FY 2017-18 is 102.87%.

Business Continuity Management

Your Bank has robust Business Continuity Management (BCM) processes to mitigate business disruptions and life threatening events. Your Bank is the first public sector bank that has been awarded with ISO 22301:2012 certification for its bank-wide coverage of Business Continuity Management.

As a part of BCM, well-defined Business Continuity Plan (BCP) is in place for core and support functions. This is intended to provide continuity in services to customers even in case of business disruption/ disaster. Besides, comprehensive Disaster Management Plan (DMP) is deployed for its major establishments to safeguard human lives and minimise damage to valuable assets during disaster. The resilience of these BCPs and DMPs is tested periodically through BCP testing exercises, disaster recovery including holistic drill and mock evacuation drills. Bank's Business Continuity Management System is well equipped with an automated incident reporting tool, viz. i-DaB

(Integrated Disaster and Business Continuity Management System).

Information Technology Risk

Your Bank has taken a series of steps to improve its IT risk management and control. Your Bank has set up a state-of-the-art Security Operation Centre (SOC) at its Data Centre. Through the SOC, your Bank centrally monitors security devices like firewalls, routers, Intrusion Detection System devices (IDS)/ Intrusion Prevention System devices (IPS), Privileged Identity Management (PIM), antivirus, phishing/ malware attempts and takes corrective actions. The SOC is a Command Centre for countering cyber threats and ensure compliance with the Bank's Information Security Policy besides fulfilling the Bank's objective of providing safe and secure banking to its esteemed customers. The Bank has added substantial number of devices under SOC for monitoring. Your Bank regularly conducts Vulnerability Assessment & Penetration Testing (VAPT) of external facing applications viz. i-Net Banking, mail messaging, etc.

Your Bank has made significant progress in implementing the recommendations of the RBI on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management and Cyber Frauds. Your Bank has put in place an appropriate organisational framework as recommended in the guidelines. Several information security solutions have been implemented like Privileged Identity Access Management, Patch Management Solution, Active Directory, Web/ Mail Gateways, Endpoint & USB encryption, Advance Persistent Threat (APT), Network Access Control (NAC), Web-Application Firewall (WAF) etc. to protect customer data, prevent external attacks as well as strengthen internal controls.

Your Bank has put in place a distinct Cyber Security Policy and Cyber Crisis Management Plan which articulates management intent and direction for addressing cyber security risks. Further, your Bank participates in cyber drills conducted by various agencies to check and maintain the health of its information security set-up. Apart from conducting regular information security awareness programs for the employees, various information security precautions are also communicated to customers through mailers, SMSes, ATMs and posters, to minimise/ thwart the attempts of security breach.

IT infrastructure and systems have been implemented within a robust information security framework including solution on both perimeter and endpoints. Customer facing interface has two-factor authentication process in place. On the Information Security aspect, your Bank has rolled out Data Leakage Prevention (DLP) solution to protect the sensitive data pertaining to the Bank and customers from being misused. Your Bank's Data Centre, Disaster Recovery Centre as well as Near DR centre are certified with the latest ISO 27001:2013 information security standards. Your Bank's Near DR ensures zero data loss for critical transaction systems. The Information Security Steering Committee of the Bank provides directions and guidance for mitigating IT risk in the information systems. The security incidents and the policies are placed before the IT Committee of the Board (ITCB) for necessary directions. The policies are recommended by ITCB to the Board for approval.

MANAGEMENT, CONTROLS AND SYSTEMS

Human Resources

The Human Resource (HR) strategy in your Bank has been framed to effectively align the business requirements with various HR policies pertaining to recruitment, deployment, training, talent retention and motivational strategies so as to seamlessly support achievement of your Bank's vision and mission. In this direction, your Bank has been making constant efforts to encourage its employees to deliver excellent standards of performance and also taking various employee welfare measures to provide a better work–life balance.

Manpower

As on March 31, 2018, your Bank had total staff strength of 17,475. The category-wise break up of employees is given below:

Category	**Total**
Officers	15,505
Executives	349
Clerical	831
Sub-Staff	790
Total	**17,475**

Due to effective manpower planning and judicious recruitment, your Bank has an excellent team of officers with average age of around 34 years.

Recruitment and Staffing

Your Bank's annual manpower assessment takes into consideration the number of superannuating officers, estimated attrition, branch expansion and business growth. During the year, your Bank recruited 562 Officers in Grade 'A', 67 Executives, seven clerks and one subordinate staff (appointed on compassionate ground). Out of these, 94 belong to Scheduled Castes (SCs), 43 belong to Scheduled Tribes (STs) and 195 belong to Other Backward Classes (OBCs). The recruited persons include 34 individuals who are Persons with Disabilities (PwD).

Your Bank has recruited officers in Grade 'A' through common recruitment process for all Public Sector Banks (PSBs) conducted by Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) and Executives through a standalone recruitment process carried out through IBPS route.

Reservation Policy

Your Bank is fully compliant with the extant reservation policy of the Government of India. Your Bank has appointed Chief Liaison Officers (CLOs) and Zonal Liaison Officers (ZLOs), in the rank of General Manager and Deputy General Manager, for SC/ ST/ OBC and PwD employees, who ensure compliance of various guidelines pertaining to reserved category employees and for effective redressal of their grievances. Your Bank maintains separate rosters for PwDs, as per the Government of India guidelines.

Representation of SC/ ST/ OBC in the total manpower strength as on March 31, 2018 is as under:

Category	SC	ST	OBC	Total
Officers	2,243	926	3,832	7,001
Executives	37	24	111	172
Clerical	103	30	64	197
Sub-staff	177	64	151	392
Total	**2,560**	**1,044**	**4,158**	**7,762**

Training and Development

Your Bank strives to provide learning and skill development opportunities to all its employees and create a bank-wide learning culture so that it positively impacts individual and organisational performance. During the year, your Bank conducted 134 training programmes at its apex training institution, Jawaharlal Nehru Institute of Banking and Finance (JNIBF) and 649 programs at its 10 Zonal Training Centres. Apart from the regular training programs, workshops on select topics such as digital banking, GST and legal aspects of recovery were also conducted for officers posted in the concerned departments.

Your Bank has nominated its officers for 94 select external training programmes in order to provide necessary exposure in their area of working. Training on Priority Sector Lending, cyber security, Risk management and NPA management were imparted through reputed institutions. Customised trainings were conducted for officers in areas such as Trade Finance and Internal Control Reporting.

Your Bank has also been promoting online learning through its Learning Management System – OJAS - with over 200 e-learning modules with 250 plus hours of e-learning covering a wide range of topics related to banking. Mobile applications have also been developed for the use of employees to promote anywhere anytime learning. Mandatory e-learning certifications have been assigned to employees in OJAS and these certifications cover topics like KYC and AML, Priority Sector Lending guidelines, Risk management, Treasury, Banking Service and Operations, Corporate Banking etc. to ensure continuous learning and development of the employees so as to enhance their efficiency and equip them to offer improved customer experience. Your Bank has also hosted a video lecture on vigilance to educate officers and promote vigilance culture in the Bank.

As per the Government of India directives, your Bank conducted pre-promotion training programs for reserved category candidates/ employees.

Group Life Insurance Scheme

As an employee welfare measure, your Bank has been extending Group Life Insurance Policy since 2015 to all its permanent employees up to 70 years of age. Under the scheme, the premium is borne in equal proportions by the Bank and the employees. Beyond the age of superannuation, retiring employees have the option to continue with the scheme by paying the full premium amount.

Mediclaim Scheme for Retired Employees

Your Bank has been extending Group Mediclaim Insurance Scheme since November 2016 for its retired employees to provide them protection from financial liabilities arising on account of hospitalisation including day-care procedures. As welfare measure, your Bank acts as a facilitator to form a group of retired employees and obtain an insurance policy on their behalf, providing them benefit of lower premium and liberal features. The features of the Scheme include cashless insurance facility at empanelled hospitals up to the covered amount, coverage of all pre and existing illnesses without any pre-medical examination and post-hospitalisation expenses as well.

Prevention of Sexual Harassment at Workplace (POSH)

With the aim of providing quick assistance and much desired immediate support to an aggrieved woman at the occurrence of an untoward incident, your Bank has put in place a SMS/ email-based Grievance Mechanism for lodging complaint of sexual harassment.

Disclosures under The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

To ensure prevention of sexual harassment at workplace, your Bank has a policy in place, in line with the requirements of The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, with the objective of creating a safe and friendly work environment. Your Bank has set up two Internal Complaints Committees to redress the complaints received regarding sexual harassment. During the year, your Bank received 10 (ten) complaints, of which 7 (seven) complaints have been resolved after due inquiry. As on March 31, 2018, a total of 3 (three) complaints were pending.

Industrial Relations

The industrial relations climate in your Bank has been generally cordial during the year with most of the issues having been resolved amicably. The Bank has been holding meetings with Associations and Unions in its endeavour to have constructive dialogue for understanding and addressing grievances of officers/ employees. The Unions/ Associations have also been responsive and proactive while addressing various issues.

Placement and Postings of Employees

During the year, Officers Placement and Transfer Policy (OPTP) was reviewed and amended with a view to facilitating the organisational and statutory requirements while keeping in view employees interest as well. The guidelines to retain specialised skill sets in job profiles to reap the benefit of it have also been included in line with the requirement of capacity building. The movement of officers working in sensitive positions for over three years, in accordance with CVC guidelines, was ensured.

Online Automated Request Transfer Module (i-ARTS) was launched from April 01, 2017. The said system enables online submission of request transfers by the officers and tracking, thereby facilitating greater transparency.

With a view to having more focused monitoring of Stressed Accounts/ Early Warning Signal accounts and for robust NPA recovery, optimum utilisation of staff was ensured and staff was redeployed to the newly created vertical, viz., Credit Monitoring Group (CMG). Additionally, manpower was also bolstered across zones as well as Corporate Office in NPA Monitoring Group (NMG) and retail banking.

Other Initiatives

As an endeavour to facilitate employee welfare, your Bank has now introduced paternity leave for all the employees and the existing maternity leave benefits have also been enhanced as per the industry standards.

The shortfall for SC/ ST/ OBC in recruitment reservation register for officers was cleared.

Comprehensive Capacity Building Policy (I-CAPBUILD), in line with the RBI/ IBA recommendations on capacity building, was rolled out. Job Families and Specialist Officers for certain specialised functional areas were rolled out in line with the GoI/ RBI guidelines.

Infrastructure Management

During the year, the construction of the Bank's Annexe building at CBD-Belapur, Navi Mumbai, admeasuring 1.40 lakh sq. ft., was completed. Your Bank shifted its back office functions, which were operating from leased premises, to the Annexe building resulting in substantial saving towards lease rentals.

To monetise its non-core assets, your Bank sold its office premises located at Bandra Kurla Complex and Nariman Point in Mumbai, which were not being optimally utilised as also few unutilised residential flats in Mumbai and Shimla.

In a bid to rationalise expenditure and contain cost, your Bank took measures such as surrendering/ relocating and rent negotiations for offices for a total area of 4.73 lakh sq. ft, which constitutes 15% of total area of leased premises.

Internal Audit

Your Bank's internal audit function independently evaluates the adherence to internal policies, procedures and regulatory guidelines. There is a well-equipped Internal Audit Department (IAD) which carries out regular audit of various activities undertaken by different business and support verticals, Zonal Offices, Regional Offices and branches. IAD functions under the guidance and supervision of the Audit Committee of the Board (ACB). The audit function maintains its independence and objectivity while carrying out the assignments. As per the guidelines of Government of India and Reserve Bank of India, the Bank has adopted the policy of Risk Based Internal Audit (RBIA) wherein the adequacy and effectiveness of its risk management procedures and internal control systems are evaluated. In order to have focussed attention on the audit of branches and the follow up functions adequately and efficiently, Zonal Audit Offices (ZAO) have been created in all Zones to conduct the audit of the branches and the Regional Offices and close the audit reports in terms of the Annual Audit Plans and the RBIA Policy of the Bank. The Zonal Audit Committee meetings are held twice in a month to discuss the critical findings/ observations of the audit reports and ensure proper compliances thereof. The audit function also proactively recommends improvements in operational processes and service quality to mitigate operational risks. The Bank has put in place extensive internal controls, including audit trails, appropriate segregation of front and back office operations, post transaction monitoring processes at the back-end to ensure independent checks and balances, adherence to the laid down policies and procedures of the Bank and to all applicable regulatory guidelines.

Adopting technology driven initiatives, your Bank has ensured automation in its audit processes. Some of the important practices include the following:

- All audit reports and compliances are uploaded on Audit Management System which is accessed by respective officers of auditee units on real time basis for monitoring of compliances.
- Offsite Monitoring System (OMS) is leveraged to monitor exceptions observed in transactions for which alerts are generated and compliances are ensured.
- Online self-audit by branches for technology related issues on quarterly basis which is reviewed and monitored centrally.

Risk Based Internal Audit (RBIA)

All the branches of the Bank are subjected to RBIA so as to contain risk, have effective control mechanism and improve efficiency of operations. RBIA of each branch is ensured once in 12-18 months depending upon the risk perception of the branch in the previous audit. RBIA focuses on proper risk identification and assessment, effective risk containment measures and adequacy of internal controls/ procedures. Your Bank's Internal Audit Department (IAD) undertakes a critical review of the entire operations of audited units through RBIA, an adjunct to Risk Based supervision, as per the RBI directives.

Snap Audit

Newly opened branches are subjected to first audit called *'Snap Audit'* within six months from the date of commencement of operations.

Risk Based Management Audit (RBMA)

Management audit encompasses all the departments in Head Office, Zonal Offices, Regional Offices, training institute, viz. Jawaharlal Nehru Institute of Banking and Finance (JNIBF), and the subsidiaries. All Regional and Zonal Offices are subjected to RBMA which focus on compliance with rules and regulations, the adequacy and effectiveness of internal control mechanism, adherence to policies and procedures and suggests measures to strengthen and streamline control for addressing various risks.

Information System Audit (IS Audit)

Your Bank has an experienced in-house IS Audit team in place, as a part of its Internal Audit Mechanism, to identify and address technology and IT-related security issues commensurate with the nature and complexities of its operations.

Concurrent Audit System

Concurrent audit system is essentially a control process, integral to the establishment of sound internal accounting systems and effective controls. In terms of the RBI guidelines, concurrent audit is carried out in the branches/ other non-branch units like Treasury, Central Processing Unit, and Retail Asset Centres identified based on risk perception and volume of business handled. Branches and other units covering over 70% of deposits and advances of the Bank as against the RBI's stipulation for coverage of minimum of 50% of deposits and advances were subjected to Concurrent Audit during the FY 2017-18 by engaging the services of external firms of Chartered Accountants. Further, identified Head Office functional divisions are also subjected to concurrent audit. The concurrent auditors' performance is closely monitored by the ZAOs on a continuous basis for qualitative reports and timely submission of the same.

Credit Audit

To ensure improvement in the quality of its credit portfolio, a Credit Audit System has been put in place in line with the RBI guidelines. The system broadly captures compliance with your Bank's policies in the areas of credit appraisal, sanction of loans and credit administration. Credit audit broadly covers (i) new and takeover cases with cut-off of ₹ 10 crore and above; (ii) cases downgraded to Sub Investment Grade during the review period; and (iii) renewal/ renewal-with-enhancement cases with cut-off of ₹ 250 crore for corporate and ₹ 10 crore for retail banking.

Legal Audit

Legal Audits were rolled out for all the business verticals and cover all loan and mortgage-related documents of high value loans of ₹ 5 crore and above.

Quality Assurance Audit

During the year, the Bank initiated a Quality Assurance Audit (QAA) to further strengthen and enhance its Internal Audit function and align it with prevailing best practices. The scope of work includes, *inter alia,* a review of the entire internal audit system and risk rating framework (policies, processes, procedures, reporting structures, formats etc.) of the Bank, integration thereof with Risk Based Supervision and to benchmark, identify and recommend good/ successful practices of Internal Audit.

Fraud Management System

Your Bank has put in place a fraud monitoring mechanism through a dedicated Fraud Monitoring Group (FMG) within the Internal Audit Department. A Fraud Review Council (FRC) has been constituted to monitor and review all frauds to identify systemic lacunae, if any, and initiate corrective measures, monitor progress of investigations and recovery position. The FMG also reviews efficacy of the remedial actions taken to prevent recurrence of frauds. These actions include strengthening of internal controls and putting in place need-based remedial measures. A detailed Fraud Risk Management Policy has been put in place for early detection, prevention, reporting, monitoring and follow-up of frauds.

Vigilance Mechanism

A full-fledged Vigilance Department, headed by a Chief Vigilance Officer (CVO), is operational at your Bank's Head Office. Vigilance functions, to be performed by your CVO, have wide scope/ coverage and include collecting intelligence about corrupt practices committed or likely to be committed by the employees of the Bank. The Vigilance Department oversees all functions relating to vigilance matters in the Bank including (i) processing of vigilance cases, investigating complaints with vigilance overtones and verifiable allegations; (ii) processing of investigation reports for further consideration of the Disciplinary Authority; (iii) referring the matters, where necessary, to Central Vigilance Commission (CVC) for its consideration/ advice; and (iv) taking steps to prevent malpractices/ misconducts.

A webpage of the Vigilance Department is hosted on the Intranet of your Bank, which provides an overview of the Department; format of Standard Notice of the CVC to be displayed at all the branches/ offices of your Bank; important circulars/ guidelines issued from time to time by the CVC, Chief Technical Examiner's Organisation (CTEO) of the CVC and by your Bank as well as Dos and Don'ts of preventive vigilance. This has helped your Bank in enhancing the level of vigilance awareness amongst officers.

The functions of vigilance comprise of *'Preventive Vigilance'* and *'Punitive Vigilance'.* Preventive Vigilance is a continuous process which strives to review the guidelines, adherence to systems and procedures, increased transparency, sensitisation and creating awareness amongst the employees as well as the stakeholders of the Bank. Vigilance plays a very important and positive role in upholding the credibility of your Bank which is taken care of to a large extent by making the Preventive Vigilance effective.

Some of the preventive vigilance measures adopted by your Bank include undertaking of Surprise Vigilance Visits (SVVs) and inspections on *suo moto* basis to various branches to detect malpractices, if any, and non-adherence to laid-down systems and procedures. Apart from the scrutiny of One Time Settlement/ First Time NPA (OTS/ FTNPA) cases, CTEO type inspection of the works/ contracts undertaken by various departments/ verticals, scrutiny of Annual Return of Assets & Liabilities (ARAL) of the officers of the Bank to ascertain any instances of disproportionate assets or abnormal variation/ mismatch in officers' assets and liabilities, scrutiny of Audit Reports of the Bank is also undertaken by the Vigilance Department.

The Vigilance Department, in its endeavour to sensitise staff members on Preventive Vigilance, has uploaded educative case study series on frauds/ malpractices/ corruption on its Intranet. The series is aimed at sensitising staff members about modus operandi adopted by erring officials and educating them about the Dos and Don'ts in such scenarios.

During the year, Chief Technical Examiner (CTE) of CVC inspected your Bank and gave a satisfactory report about the inspection. Your Bank was conferred the Vigilance Excellence Award – 2017 for its contribution in the category of Vigilance Awareness Initiative.

Vigilance Awareness Week, for which the theme was *'My Vision – Corruption Free India',* was observed in the Bank from October 30, 2017 to November 04, 2017 at the Head Office, Zonal Offices and branch offices of your Bank to sensitise the employees about evils of corruption. On the occasion, your Bank released a Special Journal and conducted various competitions like essay writing, elocution, quiz, etc. for staff members. Your Bank organised vigilance activities at 14 schools and colleges in Greater Mumbai, Navi Mumbai and Thane districts as allotted to it by the CVC.

In order to have a quick and a ready reference of the latest instructions/ guidelines/ directives from the CVC, the Government of India – Ministry of Finance (GoI–MoF), the Reserve Bank of India (RBI) and your Bank with regard to Vigilance matters as also procedures for vigilance activities, the Bank had prepared a Vigilance Manual which was updated as on March 31, 2018.

Regulatory Compliance

Your Bank ensures compliance of various statutory and regulatory guidelines laid down by the Government of India (GoI), the Reserve Bank of India (RBI), the Securities and Exchange Board of India (SEBI) and other regulatory/ statutory bodies as well as internal guidelines, through a dedicated Compliance Department, which is headed by a senior official, in the rank of an Executive Director, designated as Chief Compliance Officer (CCO).

Your Bank has put in place an extensive Board-approved Compliance Policy as per the RBI guidelines and reviews it annually. The role and responsibility with regard to compliance function is clearly defined for every tier in your Bank. A well-established reporting system exists through a self-certification process, based on which a final compliance certificate is submitted to the Board of Directors. The Board is apprised at monthly intervals about important communications/ guidelines received from the Reserve Bank of India.

Right to Information (RTI) Act

Your Bank has designated Central Public Information Officers (CPIOs) for responding promptly on requests for information pertaining to various functional areas. In addition, all Branch Heads have been designated as Central Assistant Public Information Officers (CAPIOs) to receive and forward applications under the RTI Act to CPIOs. Your Bank has designated a senior officer in the rank of Chief General Manager as First Appellate Authority (FAA) for dealing with appeals of aggrieved applicants. A Transparency Officer, in the rank of Executive Director, has been designated for effective implementation of provisions of Section 4 of the RTI Act. A separate link for the RTI Act has been provided on the Bank's website (www.idbi.com).

Your Bank has also aligned with the Government of India's RTI Online portal, whereby citizens can seek the information and raise appeals under RTI Act through the portal (https://rtionline.gov.in).

Progressive use of Hindi

During the period under review, your Bank continued to make progress in implementing the Official Language Policy of the Government of India. All the Verticals, Departments, Zonal Offices and branches of your Bank made concerted efforts to achieve the targets prescribed in the Annual Programme and other directives issued by Official Language Department of the Government of India.

Your Bank's commitment to promote the Official Language Hindi resulted in a large number of customer interfacing initiatives being provided in Hindi. These initiatives include display of instructions in ATMs, generation of ATM transaction slip and other customer oriented information being bilingual. Special efforts were taken to provide in-depth information about your Bank's products and services in Hindi on its website. Your Bank's various applications such as Abhay, Payapt and mPassbook have Hindi as a language option. Kisan Sangoshthis and campaigns relating to digital banking and less cash economy were conducted in Hindi and other regional languages. Various types of posters, banners and other publicity material were displayed in Hindi as well as in regional languages for the benefit of customers. Your Bank uploaded template letters, forms, dictionaries, notings and other relevant reference material in bilingual form on its Intranet to facilitate working in Hindi. To encourage staff members to use Hindi in their day-to-day official work, incentive schemes were implemented and various competitions were organised. In order to progressively increase the use of Hindi, Rajbhasha workshops were organised in all the regions of your Bank to familiarise staff members with the various requirements of Official Language Implementation and use of Hindi Unicode. A number of in-house campaigns were launched across regions to encourage and recognise initiatives taken by the staff for promoting the use of Hindi. Rajbhasha Pakhwada was organised in September 2017.

Your Bank's endeavour to promote use of Hindi in day-to-day work and in its business found due recognition at various fora and received many awards during the year, which include the following:

i) Your Bank's New Delhi, Chandigarh, Vadodara and Indore offices were conferred Rajbhasha Awards by their respective Town Official Language Implementation Committee (TOLIC);

ii) Efforts made by the Bank in implementing Official Language Policy were commended by the Third Sub-Committee and Drafting & Evidence Committee of Parliamentary Committee on Official Language during their inspection of Head Office in Mumbai, Ambala Cantt. and Faridabad branches;

iii) Your Bank's in-house quarterly Hindi Magazine *'Vikas Prabha'* was conferred Government of India's prestigious 'Rajbhasha Kirti Award' under region 'B' category for year 2016-17.

iv) Your Bank's in-house quarterly Hindi magazine, *'Vikas Prabha',* was awarded Bronze Award from Association of Business Communicators of India (ABCI) in Indian Language Publication category.

v) *'Vikas Prabha'* was also awarded Best In-House Magazine citation from 'Ashirvad' - a renowned cultural and literary group.

vi) Officials from Department of Official Language, Ministry of Home Affairs and Department of Financial Services, Government of India, appreciated implementation of Hindi in your Bank during their inspections.

Customer Service and Complaints Management

Your Bank, in its quest for being the most preferred and trusted bank for all its stakeholders, has adopted a customer-centric approach focusing on excellent customer service and a comprehensive suite of best-in-class financial solutions. Your Bank continued its drive towards improvements in service quality across all customer touch-points.

The Customer Service Committee of the Board (CSCB) and the Standing Committee on Customer Service (SCCS) ensure that customer service and complaints management matters receive utmost attention.

Your Bank has a Centralised and dedicated Customer Care Centre (CCC) which deals with complaints management through assorted modes. As a result of your Bank's commitment to quality and timely resolution of complaints, in the course of the current financial year, CCC upgraded its ISO Certification to ISO 9001:2015. Your Bank took various steps to improve the effectiveness of its grievance redressal mechanism across delivery channels using integrated complaint management software which facilitates recording, monitoring and timely resolution of all the grievances/ complaints received through the assorted modes. The Bank has adopted policies on Customer Care, Grievance Redressal and Customer Rights Policy.

With an objective to further enhancing the customer experience, your Bank has been taking new measures as also improvement in existing systems and processes on an ongoing basis. Some of the major customer-centric initiatives undertaken during the year are:

- **Multilingual Interactive Voice Response (IVR) System:** IVR Services are now being offered in 10 regional languages apart from Hindi and English, thus making IVR banking accessible to a larger audience.

- **'How Do I' Series:** Creating a repository of FAQs on most common queries helps the customers to self-service themselves in a faster way. With this objective, the Bank launched a support section on its website under Customer Care page and provides answers to the most common queries posed by the customers.

- **'Aaiye Baat Karein':** An open forum is available for the Bank's customers on every working Saturday to interact with branch staff outside the rush of a normal working day to share their feedback, suggestions etc. and also seek responses to their queries/ complaints.

- **Aadhaar Updation/ Seeding:** Customers can use various digital channels including IVR, net banking, ATM, SMS, website and mobile application, to update/ seed Aadhaar with their account.

- **Push E-mail:** In order to ease the process of providing information to customers calling the Bank's phone banking channel, your Bank has introduced the facility of push e-mail wherein e-mails consisting of the desired information viz. branch/ ATM Address, rate of interest, forms, etc. is being sent to the customers on their request.

- **Tracking of Complaint & Feedback on Resolution:** To facilitate real-time tracking of complaints by the customers, SMS intimation, containing the complaint ID, is sent to the customers after successful registration of his/ her grievance. Furthermore, the Bank has also put in place a system for tracking feedback on resolved complaints to check the quality of redressal. On closure of a complaint, an SMS is sent to the customer informing him/ her about the closure of the complaint with a provision for getting a feedback on effectiveness and quality of grievance redressal from the customer. In case, customers are not satisfied with the resolution provided, provision has been made to enable them to further escalate the complaint.

Your Bank captures customer feedback on an ongoing basis and uses it towards improvement of processes to delight customers. Your Bank also obtains customer feedback on quality of service at branches through Branch Level Customer Service Committee (BLCSC) meetings held every month in which customers from a cross-section of the society are invited. Your Bank obtains feedback from customers contacting the Call Centre on their interaction and resolution provided by the agent. Your Bank has augmented the training and skill development mechanism to empower and equip employees to deliver improved quality of customer service.

The Bank also conducts mystery shopping activities across the branches in order to evaluate the regulatory compliance and quality of customer service rendered to the customers. During FY 2017-18, customer feedback was obtained by utilising the services of an external agency. The findings are worked upon to bring about improvements in your Bank's customer service. As a result of its continued focus on customer service, your Bank was ranked as the No. 1 bank in Customer Experience Index by Forrester Research Inc. which was released in December 2017.

Your Bank is a member of the Banking Codes & Standards Board of India (BCSBI) and has adopted the Revised Code of Bank's Commitment to Customers as well as the Code of Bank's Commitment to Micro and Small Enterprises. Both the codes set minimum standards of banking practices. These have been placed on your Bank's website and are also made available to customers at the branches.

Corporate Communications

During the year, emphasis was laid on spreading positive news about your Bank by focusing on the turnaround plan and its implementation. The various social media pages of the Bank were used for disseminating details of products, services and special offers of your Bank. Also, localised activations were undertaken for promoting various products and services. In order to save cost, no major advertising initiative was undertaken by your Bank. During the year, your Bank received the *Best Website Award* at the 41st Annual Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific (ADFIAP) meeting held in New Delhi.

Your Bank's internal communication agenda is focused on enabling effective exchange of important ideas as well as development in the field of banking and beyond and ensuring

that it permeates across various departments and branches of the Bank. Various initiatives were undertaken to motivate and engage with employees. These, inter alia, include launch of digital newsletter *'Abhyudaya'* which updates employees about the various developments in the Bank, videos from top management encouraging employees, motivational quotes on desktop of all employees, employee engagement through online quiz on Saturdays, etc.

Information Technology

Your Bank has continued to leverage its proven IT capabilities to offer a bouquet of financial services and products, embedded with latest technology and security features, to address the ever-growing demands and needs of its customers and further their banking experience/ convenience. Being one of the leading players in the technological banking domain, your Bank has deployed cutting-edge technology to cater to its customers' banking and financial requirements. Also, it continued to introduce technological innovations which aided in improving its operational convenience and also enhancing efficiency and security of its technological systems and the processes.

Your Bank continued to exploit its IT prowess by enabling 100% computerisation of its branches to improve the banking experience of the customers. Your Bank has Tier-3 Data Centres (a primary Data Centre (DC), a Disaster Recovery (DR) Site and a Near DR Site). The Bank has bolstered the green initiative by continuing the implementation of Server Virtualisation technology to lower energy consumption.

As a part of its continuing IT agenda for enhancing customer security and delight as well as for scientifically analysing customer needs and profiles, your Bank has simultaneously initiated several critical projects, such as Enterprise-wide Data Warehouse Solution and Enterprise-wide Fraud Risk Management Solution. During the period under review, your Bank has also implemented Automatic Loan Application Processing System (ALPS) for MSME and Agricultural loan application processing, e-Trade Finance application. Your Bank is in the process of upgrading its Core Banking Solution (CBS) to leverage the technological advancement for enhanced and delightful customer experience.

Centralised Operations

Your Bank has a state-of-the-art Central Processing Unit (CPU) for centralised services such as TDS on interest on term deposits, production and delivery of cards, PIN mailers, cheque books, account statements and other deliverables to customers, Demat account opening, Application Supported by Blocked Amount (ASBA), Syndicate ASBA and Loan Against Securities (LAS) etc. Similarly, your Bank has six state-of-the-art Regional Processing Units (RPUs) for opening of savings bank accounts, current accounts and fixed deposit accounts. The CPU and the RPUs ensure enhanced and uniform controls at the time of opening accounts from KYC and AML point of view, reduced Turn Around Time (TAT) and savings in cost.

Branch Operations Support and Policy

By disseminating latest information pertinent for the day-to-day operations among staff, your Bank ensures that all constituents are served with updated knowledge on products, operations and services. Your Bank has provided various solutions for the benefit of branches towards improving customer services like Locker Management Software, e-Registers, e-Reports and others.

Your Bank is at the forefront in the industry in ensuring Clean Note Policy of the RBI. The Bank has 18 state-of-the-art Currency Chests (CCs) which process cash from all the linked branches and provide clean notes for dispensing through ATMs and through branches.

Domestic Payment and Remittance Services

Your Bank facilitates payment and collection of paper-based payment instruments and processing of fund transfers through various electronic payment systems. Your Bank has three Centralised Clearing Grid Centres for handling clearing activities through Cheque Truncation System (CTS). There is also a centralised Electronic Transaction Processing Centre (ETPC) for handling the operational activities of all electronic payment and remittance services. In order to ensure seamless operations during emergency situations at any of the Grid Centres or ETPC, your Bank has put in place a cost-effective Business Continuity Plan at Hyderabad.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Your Bank, in its endeavour to be a socially responsible entity, appreciates the importance of CSR activities in creating a meaningful and lasting improvement in the lives of the marginalised sections of the society. Your Bank's CSR activities embody its commitment to contribute to the sustainable social and economic development of the society. Your Bank has put in place a Board-approved CSR policy with effect from April 1, 2014 in compliance with Companies Act, 2013.

In consonance with the broad guidelines outlined in the Companies Act, 2013, there was no requirement for your Bank to incur any spends under CSR during the year under review. However, your Bank spent ₹ 1.36 crore towards select CSR interventions primarily towards commitments for projects carried forward from previous years. Your Bank, through these diverse CSR activities in areas as stipulated in the Companies Act 2013, *inter alia,* contributed towards providing improved access to health services, promoting education for children, ensuring environmental sustainability, promoting gender equality, enhancement of livelihood opportunities, advancement of vocational & employable skills and holistic development of villages by undertaking planned interventions.

Your Bank's CSR activities continue to be suitably recognised at various fora. Your Bank's CSR project of *'Water, Sanitation and Hygiene'* with United Nations Children's Fund (UNICEF) was conferred the SKOCH BSE Order-of-Merit Award 2017.

कॉरपोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

मुकुंद एम. चितले एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
दूसरी मंजिल, कपूर हाउस,
परांजपे,'बी' स्कीम रोड नं. 1
विलेपार्ले (पूर्व), मुंबई 400 057
महाराष्ट्र

के. एस. अय्यर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ -7, लक्ष्मी मिल्स,
शक्ति मिल्स लेन,
(ऑफ डॉ ई मोज़ेस रोड),
महालक्ष्मी, मुंबई 400 011
महाराष्ट्र

जेएलएन यूएस एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
330/348। 3री मंजिल,
टॉवर ए, एटलांटिस के 10,
वडोदरा सेंट्रल के सामने,
साराभाई मेन रोड,
वडोदरा 390 007
गुजरात

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यगण

हमने सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 (सूचीबद्धता विनियमन) के प्रावधानों के अनुसार सूचीबद्धता विनियमन के विनियम 15(2) में विनिर्दिष्ट रूप में 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (बैंक) द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है.

सूचीबद्धता विनियमन में यथा निर्धारित रूप में कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन बैंक प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है. हमारी जांच कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित थी. यह न तो बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा है और न ही उन पर राय की अभिव्यक्ति है.

हमारी राय एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा निदेशकों एवं प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों और किए गए अभ्यावेदनों के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त सूचीबद्धता विनियमन में यथा निर्धारित रूप में कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है.

हम उल्लेख करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो बैंक की भावी अर्थक्षमता के बारे में और न ही बैंक के कार्यों को संचालित करने की प्रबंधन की कार्यकुशलता अथवा प्रभावकारिता के बारे में आश्वासन है.

कृते **मुकुंद एम. चितले एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 106655डब्ल्यू

अभय वी. कामत
साझेदार (सदस्यता सं. 39585)

कृते **के. एस. अय्यर एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 100186डब्ल्यू

सतीश केलकर
साझेदार (सदस्यता सं. 38934)

कृते **जेएलएन यूएस एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 101543डब्ल्यू

रामप्रसन्न अग्रवाल
साझेदार (सदस्यता सं. 119693)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 25 मई 2018

कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

अभिशासन संहिता पर बैंक के दर्शन का संक्षिप्त विवरण

बैंक अपने परिचालनों में कॉरपोरेट अभिशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. इसकी नीतियां व पद्धतियां न सिर्फ सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप हैं, बल्कि अपने अंशधारकों के सर्वोत्तम हित में काम करने की इसकी प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करती हैं. अभिशासन के उच्च मानकों को बनाये रखने का दायित्व आपके बैंक के निदेशक मंडल तथा बोर्ड की विभिन्न समितियों पर है जिन्हें विधिक एवं विनियामकीय प्रावधानों तथा बैंकिंग परंपराओं के ढांचे के भीतर आवश्यक प्रकटीकरण करने सहित उत्कृष्ट कॉरपोरेट अभिशासन पद्धतियों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के अधिकार प्राप्त हैं.

इस दिशा में बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि इसके निदेशक मंडल का गठन निर्धारित मानदंडों के अनुसार होता रहे, निर्धारित अंतराल पर इसकी नियमित बैठकें हों, यह प्रभावी नेतृत्व प्रदान करे, प्रबंधन पर नियंत्रण रखे, कार्यपालकों के कार्य-निष्पादन पर निगरानी रखे तथा समुचित प्रकटीकरण करे. इसके अतिरिक्त, रणनीतिक नियंत्रण ढांचे की स्थापना और इसकी प्रभावशीलता की निरंतर समीक्षा तथा नीति निर्माण, कार्यान्वयन और समीक्षा के लिए स्पष्ट दस्तावेजीकृत तथा पारदर्शी प्रबंध प्रक्रियाओं की स्थापना और निर्णयन, निगरानी, नियंत्रण तथा रिपोर्टिंग बैंक के अन्य नीतिगत दिशानिर्देश हैं. बैंक बोर्ड को निर्बाध रूप से सभी संबद्ध सूचनाएं तथा संसाधन उपलब्ध कराता है जिससे वे अपनी भूमिका को प्रभावशाली ढंग से निभा सकें.

निदेशक मंडल

बैंक के निदेशक मंडल का दायरा व्यापक है और इसका गठन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और बैंक के संस्था अन्तर्नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 (एलओडीआर विनियम) में यथावर्णित कॉरपोरेट अभिशासन की अपेक्षाओं से शासित होता है. बोर्ड प्रत्यक्ष रूप से और बैंक के महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने के लिए गठित अपनी विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है.

मुख्य रूप से, कंपनी अधिनियम, 2013 और एलओडीआर विनियमावली के तहत निर्धारित संदर्भ की शर्तें निम्नानुसार हैं :

- शेयरधारकों से उनके शेयरों पर अप्रदत्त धनराशि के संबंध में मांग करना;
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 68 के तहत प्रतिभूतियों की वापसी खरीद हेतु प्राधिकृत करना;
- भारत में या भारत से बाहर डिबेंचरों सहित प्रतिभूतियों को जारी करना;
- धन उधार लेना;
- कंपनी की निधियों को निवेश करना;
- ऋण मंजूर करना या गारंटी देना या ऋणों के संबंध में प्रतिभूति उपलब्ध कराना;
- कंपनी के कारोबार में विविधता लाना;
- समामेलन, विलयन या पुनर्निर्माण को अनुमोदित करना;
- किसी कंपनी का अधिग्रहण करना या किसी अन्य कंपनी में नियंत्रण अर्जित करना या पर्याप्त हिस्सेदारी हासिल करना;
- मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) को नियुक्त करना या हटाना;
- मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से एक स्तर नीचे के अधिकारियों की नियुक्ति(यों) या निष्कासन(नों) को नोट करना;
- आंतरिक लेखापरीक्षकों और सचिवीय लेखापरीक्षक को नियुक्त करना;
- निदेशकों के हित और शेयरधारिता के प्रकटन को नोट करना;
- बैंक द्वारा धारित निवेशों (व्यापार निवेशों के अलावा) का क्रय-विक्रय जिसमें निवेशक कंपनी की चुकता शेयर पूंजी का पांच प्रतिशत या उससे अधिक और निर्बंध प्रारक्षित निधियाँ शामिल हैं;
- यथास्थिति तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय विवरणों या वित्तीय परिणामों और बोर्ड रिपोर्ट को अनुमोदित करना;
- गैर अनुपालन के मामलों में सुधार करने के लिए बैंक द्वारा की गई कार्रवाई के साथ बैंक पर लागू सभी कानूनों से संबंधित और अनुपालन रिपोर्टों की आवधिक समीक्षा करना;
- निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता तैयार करना;
- बैंक के लिए जोखिम प्रबंधन योजना तैयार करना, कार्यान्वयन करना और निगरानी सुनिश्चित करना;
- स्वतंत्र निदेशकों का कार्य-निष्पादन मूल्यांकन करना;
- कॉरपोरेट रणनीति, कार्रवाई की प्रमुख योजनाओं, जोखिम नीति, वार्षिक बजट और कारोबार योजना की समीक्षा और मार्गदर्शन, कार्य-निष्पादन के उद्देश्यों की स्थापना, कार्यान्वयन और कॉरपोरेट कार्य-निष्पादन की निगरानी, और प्रमुख पूंजी व्यय, अधिग्रहण और विनिवेशों का निरीक्षण करना;
- बैंक के अभिशासन वाले कार्यों की प्रभावशीलता की निगरानी और उसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन करना;
- मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का चयन, मुआवज़ा, निगरानी, और जब आवश्यक हो, उनका प्रतिस्थापन और उत्तराधिकार योजना का निरीक्षण करना;
- सूचीबद्ध संस्था और उसके शेयरधारकों के दीर्घकालिक हितों के साथ मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों और निदेशकों के पारिश्रमिक को सुमेलित करना;

- निदेशक मंडल में विचार, अनुभव, ज्ञान, परिप्रेक्ष्य और लिंग की विविधता के साथ निदेशक मंडल के लिए पारदर्शी नामांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करना;
- कॉरपोरेट आस्तियों के दुरुपयोग और संबंधित पक्ष लेनदेनों के गलत उपयोग के साथ प्रबंधन, निदेशक मंडल के सदस्य और शेयरधारकों के हितों के संभावित टकरावों की निगरानी और प्रबंध करना;
- सूचीबद्ध संस्था के लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के साथ स्वतंत्र लेखापरीक्षा की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करना और नियंत्रण की उचित प्रणाली, मुख्य रूप से जोखिम प्रबंधन, वित्तीय और परिचालनगत नियंत्रण प्रणाली लागू करना, कानून और प्रासंगिक मानदंडों के अनुपालन की व्यवस्था करना;
- प्रकटन और संचार प्रक्रिया की देखरेख;
- निदेशक मंडल की मूल्यांकन संरचना की निगरानी और समीक्षा;
- बैंक को रणनीतिक मार्गदर्शन उपलब्ध करने के लिए प्रबंधन की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना और बैंक और शेयरधारकों के लिए जवाबदेह होना;
- कॉरपोरेट संस्कृति और मूल्य निर्धारित करना जिसके अनुसार समूह के सभी कार्यपालकों को आचरण करना होगा;
- पूर्ण जानकारी के आधार पर, सद्भावना में, समुचित सावधानी और देखभाल के साथ बैंक और शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में कार्य करना;
- निदेशक मंडल के सदस्यों को अद्यतित जानकारी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निदेशकों के नियमित प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित करना;
- सभी शेयरधारकों के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करना;
- उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखना और शेयरधारकों के हितों का ध्यान रखना;
- कॉरपोरेट मामलों के बारे में वस्तुनिष्ठ स्वतंत्र निर्णय उद्देश्य का निष्पादन करना;
- जहां हितों के टकराव की संभावना हो, वहाँ निदेशक मंडल को कार्य करने के लिए स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम बनाने हेतु पर्याप्त गैर-कार्यकारी सदस्यों को नामित करने पर विचार करना;
- रणनीति, रणनीतिक पहल (जैसे कि अधिग्रहण), जोखिम क्षमता, एक्सपोज़र और बैंक के ध्यान देने योग्य मुख्य क्षेत्रों जैसी अंतर्निहित धारणाओं की चुनौती से कार्यपालक प्रबंधन की सहायता करने के लिए पीछे हटने की क्षमता. निदेशक मंडल की समितियों के अधिदेश, संरचना और कार्य प्रणाली को परिभाषित और प्रकट करना;
- निदेशक मंडल के एक सदस्य के रूप में और निदेशक मंडल की समिति के एक सदस्य के रूप में स्वतंत्र निदेशकों को अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वहन करने के लिए सुविधा प्रदान करना;
- विनियामक/ सांविधिक अपेक्षाओं अथवा भारत सरकार (जीओआई)/ भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

31 मार्च 2018 को बैंक के बोर्ड में 10 निदेशक थे, जिसमें कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री महेश कुमार जैन, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री के. पी. नायर, उप प्रबंध निदेशक व श्री जी. एम. यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक; गैर कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री पंकज जैन और श्री प्रवीण गर्ग, केंद्र सरकार के नामिती तथा स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री एस. रवि, श्री निनाद कर्पे, श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, डॉ. आशिमा गोयल और श्री भुवनचन्द्र बी. जोशी शामिल थे. मई 2018 के दौरान स्वतंत्र निदेशक श्री एस. रवि तथा श्री निनाद कर्पे ने बोर्ड से त्यागपत्र दे दिया जबकि भारत सरकार ने केंद्र सरकार के नामिती, श्री प्रवीण गर्ग के स्थान पर श्री सुधीर श्याम को नियुक्त किया. स्वतंत्र निदेशकों के दो (2) रिक्त पदों को भरने के लिए बोर्ड ने 19 मई 2018 से अतिरिक्त निदेशकों के रूप में श्री समरेश परिडा और श्री एन. जंबुनाथन को नियुक्त किया है. संस्था अंतर्नियम 116(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट बोर्ड में 13 निदेशकों की कुल संख्या की तुलना में वर्तमान में 10 (दस) निदेशकों की संख्या संस्था अंतर्नियम के अंतर्नियम 114(ए) की अपेक्षाओं को पूरा करती है.

निदेशकों के बीच परस्पर संबंध

आपके बैंक के बोर्ड में किसी भी निदेशक का किसी अन्य निदेशक से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंध नहीं है.

बोर्ड की बैठकों के लिए कोरम

बोर्ड की बैठकों के लिए कोरम कुल संख्या का एक तिहाई अथवा दो (2) निदेशक, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा, बशर्ते कि इनमें कम से कम एक निदेशक केंद्र सरकार का नामिती निदेशक हो.

बोर्ड की बैठकों की बारंबारता

बोर्ड की बैठकें आम तौर पर एक वर्ष में कम से कम छह बार और प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाएंगी तथा बोर्ड की लगातार दो बोर्ड बैठकों के बीच एक सौ बीस दिनों से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए.

आयोजित बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2017 - 31 मार्च 2018) के दौरान बोर्ड की कुल सोलह बैठकें 28 अप्रैल 2017, 18 मई 2017, 19 मई 2017, 30 मई 2017, 30 जून 2017, 14 अगस्त 2017, 8 सितम्बर 2017, 21 सितम्बर 2017, 9 अक्तूबर 2017, 31 अक्तूबर 2017, 27 नवंबर 2017, 20 दिसंबर 2017, 15 जनवरी 2018, 31 जनवरी 2018, 16 फरवरी 2018 और 21 मार्च 2018 को संपन्न हुईं. इनमें से 8 सितंबर 2017 को बेंगलुरु में आयोजित एक बैठक तथा 16 फरवरी 2018 को दिल्ली में आयोजित एक बैठक को छोड़कर शेष सभी बैठकें मुंबई में आयोजित की गईं.

आपके बैंक के प्रत्येक निदेशक की बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति, गत वार्षिक महासभा (एजीएम) में उपस्थिति, अन्य कंपनियों में उनकी निदेशकता और समितियों में सदस्यता का ब्योरा तालिका 1 में दिया गया है.

तालिका 1 : निदेशकों की बोर्ड की बैठकों और वार्षिक महा सभा में उपस्थिति, अन्य कंपनियों में निदेशकता और समितियों में सदस्यता

निदेशक का नाम	बैंक के बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति (संपन्न बैठकों की कुल संख्या - 16)	18 जुलाई 2017 को संपन्न पिछली वार्षिक महासभा में उपस्थिति	अन्य कंपनियों (अन्य सार्वजनिक कंपनियां) में निदेशकता	अन्य कंपनियों में एसीबी/एसआरसी सदस्यता (अध्यक्षता)
1	2	3	4	5
पूर्णकालिक निदेशक				
श्री महेश कुमार जैन, एमडी एवं सीईओ (डीआईएन-03513127)	16(16)	उपस्थित	0(0)	0(0)
श्री के.पी. नायर, उप प्रबंध निदेशक (डीआईएन - 02611496)	16(16)	उपस्थित	2(2)	0(0)
श्री जी.एम. यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक (डीआईएन - 01432796)	16(16)	उपस्थित	3(3)	0(0)
गैर-कार्यपालक निदेशक				
श्री पंकज जैन (डीआईएन - 00675922)	15(16)	उपस्थित नहीं	6(6)	0(0)
श्री प्रवीण गर्ग * (डीआईएन - 00208604)	14(16)	उपस्थित नहीं	1(1)	0
स्वतंत्र निदेशक				
श्री एस. रवि * (डीआईएन - 00009790)	16(16)	उपस्थित	10(7)	7(2)
श्री निनाद कर्पे * (डीआईएन - 00030971)	13(16)	उपस्थित	7(4)	3(1)
श्री ज्ञान प्रकाश जोशी (डीआईएन - 00603925)	15(16)	उपस्थित नहीं	1(1)	0(0)
सुश्री नीरू अबरोल (डीआईएन - 01279485) (18.07.2017 तक)	5(5)	लागू नहीं	6(6)	6(3)
डॉ आशिमा गोयल (डीआईएन - 00233635) (28.04.2017 से)	14(15)	उपस्थित	3(2)	1(1)
श्री बी. बी. जोशी (डीआईएन - 06713850) (09.10.2017 से)	3(7)	लागू नहीं	0(0)	0(0)

कॉलम 4 में कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सार्वजनिक कंपनियों में निदेशकता और कॉलम 5 में कोष्ठक में दिए गए आंकड़े समितियों की अध्यक्षता की संख्या दर्शाते हैं.

** मई 2018 के दौरान स्वतंत्र निदेशक श्री एस. रवि तथा श्री निनाद कर्पे ने बोर्ड से त्यागपत्र दे दिया जबकि भारत सरकार द्वारा केंद्र सरकार के नामिती, श्री प्रवीण गर्ग के स्थान पर श्री सुधीर श्याम को नियुक्त किया गया. स्वतंत्र निदेशकों के 2 (दो) रिक्त पदों को भरने के लिए बोर्ड ने 19 मई 2018 से अतिरिक्त निदेशकों के रूप में श्री समरेश परिडा और श्री एन. जंबुनाथन को नियुक्त किया.*

अ. बोर्ड की समितियां

बोर्ड की कुल 15 समितियां हैं, यथा:

- बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति
- पारिश्रमिक समिति
- कार्यपालक समिति
- नामांकन समिति
- हितधारक संबंध समिति
- मानव संसाधन संचालन समिति
- धोखाधड़ी निगरानी समिति
- वसूली समीक्षा समिति
- जोखिम प्रबंध समिति
- स्वतंत्र निदेशक समिति
- कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति
- असहयोगी उधारकर्ता समीक्षा समिति
- ग्राहक सेवा समिति
- इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति
- सूचना प्रौद्योगिकी समिति

1. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

31 मार्च 2018 को बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) में अध्यक्ष सहित छः सदस्य थे जिसमें श्री एस. रवि, सनदी लेखाकार और स्वतंत्र निदेशक, समिति के अध्यक्ष थे तथा श्री के. पी. नायर, उप प्रबंध निदेशक, श्री पंकज जैन, सरकारी नामिती निदेशक, श्री निनाद कर्पे, श्री ज्ञान प्रकाश जोशी और डॉ. आशिमा गोयल, स्वतंत्र निदेशक इसके अन्य सदस्य थे. श्री जी. एम. यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक और श्री प्रवीण गर्ग, सरकारी निदेशक एसीबी में स्थाई विशेष आमंत्रिती हैं. एसीबी की भूमिका और उसके अधिकार कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों, रिज़र्व बैंक के संबंधित दिशानिर्देशों और एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची II के भाग सी के साथ पठित विनियम 18 के अनुसार हैं. कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित संदर्भ की मदें निम्नानुसार हैं :

- कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तों की सिफारिश करना;
- लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और कार्य निष्पादन तथा लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी;
- वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की जांच करना;
- संबद्ध पक्षों के साथ कंपनी के लेनदेनों का अनुमोदन अथवा तदनंतर कोई संशोधन;
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन तंत्रों का मूल्यांकन;
- सार्वजनिक प्रस्तावों के ज़रिये जुटायी गई निधियों के अंतिम उपयोग और संबंधित मामलों की निगरानी;

  कंपनी अधिनियम 2013, एलओडीआर विनियमावली, रिज़र्व बैंक और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार लेखा परीक्षा समिति की व्यापक भूमिकाएं और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- संवेदनशील क्षेत्रों को ऋण सहायता, अर्थात्

  (क) पूंजी बाज़ार;

  (ख) रियल इस्टेट;

- अपने ग्राहक को जानिए/ धन शोधन निवारक (केवाईसी / एएमएल) दिशानिर्देश-

  i. कार्यान्वयन की समीक्षा;

  ii. शाखाओं में केवाईसी/ एएमएल दिशानिर्देशों के पालन के संबंध में संगामी लेखापरीक्षा रिपोर्टों के अनुपालन की समीक्षा;

- हाउस कीपिंग की समीक्षा - विशेषकर लंबे समय से बकाया प्रविष्टियों उचंत/ विविध/ देय/ प्रदत्त/ ड्राफ्ट/ मार्गस्थ निधियाँ/ समाशोधन/ सहायक सामान्य खाताबही (एसजीएल)/ संघटक सहायक सामान्य खाताबही (सीएसजीएल) खातों का संतुलन और समाधान;
- रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए वार्षिक वित्तीय निरीक्षण के संबंध में अनुपालन की समीक्षा (जब तक बैंक पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर देता, एसीबी को निरंतर आधार पर इसकी समीक्षा करनी चाहिए. एसीबी को रिज़र्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में दर्शायी गयी कमियों पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए);
- लेखापरीक्षा योजना और इसकी उपलब्धियों की स्थिति की समीक्षा;
- महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों/निम्नलिखित लेखापरीक्षाओं में पायी गयी आंतरिक नियंत्रण कमियों की उसके अनुपालन सहित समीक्षा- (i) लांग फॉर्म लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) (ii) संगामी लेखापरीक्षा (iii) आंतरिक निरीक्षण (iv) सूचना प्रणाली डाटा सेंटर और अन्य विभागों की लेखापरीक्षा (v) ट्रेज़री और डेरिवेटिव (vi) नियंत्रण कार्यालयों/ प्रधान कार्यालयों में प्रबंधन लेखापरीक्षा (vii) सेवा शाखाओं की लेखापरीक्षा (viii) करेंसी चेस्ट (ix) विदेशी मुद्रा विनिमय में संव्यवहार करने के लिए प्राधिकृत शाखाओं की विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) लेखापरीक्षा आदि;
- एसीबी/ बोर्ड/ रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों पर अनुपालन रिपोर्ट;
- समुद्रपारीय शाखाओं के संबंध में मेज़बान देशों में विनियामकों की विनियामकीय अपेक्षाओं पर अनुपालन रिपोर्ट;
- प्रबंधन चर्चा, समीक्षा, वित्तीय स्थिति के विश्लेषण, प्रबंधन पत्रों/ सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा आंतरिक नियंत्रण की कमियों के बारे में जारी पत्रों सहित तिमाही के वित्तीय परिणामों की समीक्षा;
- विवेकाधिकार शक्तियों के प्रयोग में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा उल्लंघन संबंधी जानकारी की समीक्षा;
- उधारकर्ता कंपनियों में उनकी प्रदत्त पूंजी के 30% से अधिक की इक्विटी शेयर धारिता के संबंध में जानकारी;
- मार्च, जून, सितम्बर और दिसम्बर को समाप्त तिमाही के दौरान रिपोर्ट किए गए सभी धोखाधड़ी के मामलों की समीक्षा;
- संबद्ध पक्षों के साथ लेन-देनों की समीक्षा;
- (क) जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा नीति, (ख) संगामी लेखापरीक्षा नीति और (ग) आईएस लेखापरीक्षा नीति की समीक्षा;
- बैंक के खातों में अधिक पारदर्शिता लाने और लेखांकन मानकों की पर्याप्तता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंक की लेखांकन नीतियों/ प्रणालियों की समीक्षा; वर्ष के दौरान किसी भी परिवर्तन और उसके परिणाम की समीक्षा. इस आशय की पुष्टि कि लेखांकन नीतियों का अनुपालन लेखांकन मानदंडों और रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशो के अनुसार किया गया है;

- आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफ की संख्या तथा विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की बारंबारता सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा;
- बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समीक्षा;
- बैंक की जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की समीक्षा;
- सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता और कार्य निष्पादन तथा देशी और समुद्रपारीय परिचालनों दोनों के लिए लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की निगरानी और समीक्षा;
- निदेशक मंडल के अनुमोदन हेतु प्रस्तुति से पूर्व एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची II के भाग सी के बिन्दु क (4) में दर्शाई गयी (क) से (छ) की मदों के विशेष संदर्भ में वार्षिक लेखों/ वित्तीय विवरणों और इस पर लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा;
- सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई अन्य प्रकार की सेवाओं के लिए लेखापरीक्षकों को किए जाने वाले भुगतान का अनुमोदन करना;
- लेखापरीक्षा शुरू होने से पूर्व उसके स्वरूप और कार्य-क्षेत्र के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श तथा साथ ही चिंताजनक विषयों का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा के उपरांत विचार-विमर्श;
- विभिन्न कानूनों और संविधियों के तहत बैंक पर लगाए गए दंडों/ दंडात्मक कार्रवाई और सुधारात्मक उपायों के लिए की गयी कार्रवाई;
- आंतरिक/ बाह्य लेखापरीक्षकों द्वारा पता लगाई गई राजस्व हानि की रिपोर्ट और इसकी वसूली की स्थिति की समीक्षा; कमतर राजस्व के कारण और राजस्व हानियों को रोकने के लिए की गई कार्रवाई;
- ऑफर दस्तावेजों और निधियों के सार्वजनिक निर्गम (सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित) के जरिये जुटाई गई निधियों के अंतिम उपयोग पर रिपोर्ट और साथ ही साथ, (I) विनियमावली 32(1) के अनुसार निगरानी एजेंसी रिपोर्ट सहित विचलन(नों) के तिमाही विवरण और (II) एलओडीआर विनियमावली के विनियम 32(7) के अनुसार ऑफर दस्तावेज में उल्लिखित उद्देश्यों के अलावा अन्य के लिये उपयोग की गई निधियों का वार्षिक विवरण;
- जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न होने के मामले में) और लेनदारों को भुगतान में वास्तविक चूक के कारणों की समीक्षा;
- असूचीबद्ध सहायक कंपनियों द्वारा किए गए विशेष निवेशों सहित वित्तीय विवरणियों की समीक्षा;
- पहली बार हुए एनपीए की समीक्षा;
- ₹ 1 करोड़ और उससे अधिक के नकारे गए चेक;
- संगामी लेखापरीक्षा प्रणाली की वार्षिक समीक्षा;
- वार्षिक लेखापरीक्षा योजना का अनुमोदन;
- आउटसोर्स वेंडरों की लेखापरीक्षा की वार्षिक समीक्षा;
- सतर्कता तंत्र की कार्य प्रणाली (पूर्व में विसिल ब्लोअर तंत्र) की समीक्षा;
- (i) मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) (ii) मुख्य आंतरिक लेखा-परीक्षक और (iii) मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति का अनुमोदन;
- बैंक के उपक्रमों और आस्तियों का मूल्यांकन, जहां कहीं भी आवश्यक हो;
- बैंक के लेखों को प्रभावित करने वाले रिज़र्व बैंक के परिपत्र;
- अनुपालन स्थिति सहित पिछली बैठकों में एसीबी/ एसीबी अध्यक्ष द्वारा दिये गए विशेष निदेश;
- अंगीकार करने के उद्देश्य से वसूली समीक्षा समिति (आरआरसी) को रिपोर्ट किए गए एनपीए/वसूली संबंधित मामले;
- विनियामक/ सांविधिक अपेक्षाओं अथवा भारत सरकार (जीओआई)/ भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

एसीबी की बैठकों के लिए कोरम

एसीबी बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई अथवा दो (2) सदस्य, इनमें से जो अधिक हो, किन्तु इनमें कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक होंगे.

एसीबी बैठकों की बारंबारता

एसीबी की वर्ष में कम से कम चार बैठकें होंगी और एसीबी की लगातार दो बैठकों के बीच एक सौ बीस दिन से अधिक का अंतराल नहीं होगा.

आयोजित बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2017 - 31 मार्च 2018) के दौरान एसीबी की 14 बैठकें 18 मई 2017, 29 मई 2017, 30 जून 2017, 14 अगस्त 2017, 30 अगस्त 2017, 8 सितंबर 2017, 9 अक्तूबर 2017, 31 अक्तूबर 2017, 27 नवम्बर 2017, 20 दिसंबर 2017, 31 जनवरी 2018, 16 फरवरी 2018, 28 फरवरी 2018 और 21 मार्च 2018 को संपन्न हुईं.

2. कार्यपालक समिति (ईसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

कार्यपालक समिति (ईसी) ऋणों और अग्रिमों की मंजूरी, निबंधनों एवं शर्तों में संशोधन आदि सहित ऋण अनुमोदन के सभी मामलों पर विचार करती है.

31 मार्च 2018 को कार्यपालक समिति (ईसी) में पाँच सदस्य थे जिसमें अध्यक्ष के रूप में सर्वश्री महेश कुमार जैन, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा अन्य सदस्यों के रूप में के. पी. नायर, उप प्रबंध निदेशक, जी. एम. यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक, एस. रवि, निनाद कर्पे एवं भुवनचन्द्र बी. जोशी, स्वतंत्र निदेशक शामिल थे.

कार्यपालक समिति की व्यापक भूमिका एवं उसके उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- ₹ 250 करोड़ से अधिक के एक्सपोजर वाले उच्च मूल्य ऋण प्रस्तावों की मंजूरी
- कार्यपालक समिति द्वारा मंजूरी संबंधी बनाए गए निबंधनों और शर्तों में संशोधन;
- ऋण समितियों के कार्यवृत्त की रिपोर्टिंग;
- एकबारीय निपटान हेतु प्रस्तावों की मंजूरी;
- निम्नलिखित को ₹ 25 लाख से अधिक के एक्सपोजर वाले प्रस्तावों के संबंध में मंजूरी:
    - (i) अन्य बैंकों के निदेशक (अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक सहित)
    - (ii) कोई फ़र्म जिसमें अन्य बैंकों के कोई निदेशक साझेदार या गारंटर के रूप में हितबद्ध हों; और

(iii) कोई कंपनी जिसमें अन्य बैंकों के कोई निदेशक पर्याप्त हित रखते हों या निदेशक या गारंटर के रूप में हितबद्ध हों;

- निम्नलिखित को ₹ 25 लाख से अधिक के एक्सपोजर वाले प्रस्तावों के संबंध में मंजूरी :
  i. बैंक के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक या अन्य बैंकों के निदेशकों के कोई संबंधी,
  ii. अन्य बैंकों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक या अन्य निदेशकों के कोई संबंधी,
  iii. कोई फ़र्म जिसमें (i) और (ii) में किए गए उल्लेख के अनुसार उनके कोई संबंधी साझेदार या गारंटर के रूप में हितबद्ध हों, और
  iv. कोई कंपनी जिसमें (i) और (ii) में किए गए उल्लेख के अनुसार उनके कोई संबंधी पर्याप्त हित रखते हों या निदेशक या गारंटर के रूप में हितबद्ध हों,
- प्रतिभूतीकरण पोर्टफोलियो की मंजूरियों की रिपोर्टिंग,
- प्रथम बार एनपीए (एफ़टीएनपीए) मामलों की समीक्षा और रिपोर्टिंग;
- कार्यपालक समिति द्वारा अनुमोदित मामलों के संबंध में प्रतिभूति सृजन की स्थिति की समीक्षा और रिपोर्टिंग;
- बकायों और प्राप्य राशियों के निवेश लिखत(तों) में परिवर्तन के लिए प्रस्ताव;
- प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) /अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफ़पीओ)/अर्हताप्राप्त संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) में बोली लगाने के लिए अनुमोदन;
- कंपनियों/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) की प्रतिभूति रसीदों/उद्यम एवं निजी इक्विटी फंड/म्युचुअल फंड के नए फंड प्रस्ताव (एनएफ़ओ), आदि के इक्विटी/अधिमान्य शेयरों/परिवर्तनीय/गैर परिवर्तनीय डिबेंचरों, बांडों आदि (सममूल्य/प्रीमियम पर) में निवेश;
- विनियामकीय/सांविधिक अपेक्षाओं अथवा भारत सरकार (जीओआई) / भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ईसी की बैठकों के लिए कोरम

ईसी की बैठकों के लिए कोरम कार्यपालक समिति की कुल संख्या का एक तिहाई या कार्यपालक समिति के दो (2) सदस्य, जो भी अधिक हो, होगा.

ईसी की बैठक की बारंबारता

कार्यपालक समिति की बैठकें जरूरत के अनुसार और वर्ष में कम से कम चार बार होगी.

आयोजित बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018) के दौरान कार्यपालक समिति की कुल 23 बैठकें हुईं जो 12 अप्रैल 2017, 27 अप्रैल 2017, 18 मई 2017, 30 मई 2017, 20 जून 2017, 27 जून 2017, 29 जून 2017, 18 जुलाई 2017, 8 अगस्त 2017, 30 अगस्त 2017, 20 सितंबर 2017, 9 अक्तूबर 2017, 30 अक्तूबर 2017, 20 नवंबर 2017, 12 दिसंबर 2017, 26 दिसंबर 2017, 28 दिसंबर 2017, 15 जनवरी 2018, 31 जनवरी 2018, 16 फरवरी 2018, 28 फरवरी 2018, 20 मार्च 2018 और 27 मार्च 2018 को सम्पन्न हुईं.

3. हितधारक संबंध समिति (एसआरसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

31 मार्च 2018 को आपके बैंक की हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) में चार सदस्य थे जिसमें डॉ. आशिमा गोयल, स्वतंत्र निदेशक बैठक की अध्यक्षता करती हैं तथा श्री के. पी. नायर, उप प्रबंध निदेशक, श्री जी. एम. यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक और श्री एस. रवि, स्वतंत्र निदेशक अन्य सदस्य हैं. समिति का गठन शेयरधारकों और निवेशकों के शेयर अंतरण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, घोषित लाभांश प्राप्त न होने आदि संबंधी शिकायतों का निवारण करने के लिए किया गया है. यह समिति कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178 तथा एलओडीआर विनियमावली के विनियम 20 तथा अनुसूची II के भाग डी के अंतर्गत उपबंधित विचारार्थ विषयों के अनुसार कार्य करती है. एसआरसी की व्यापक भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नलिखित अनुसार हैं:

(i) एसआरसी विशेष रूप से शेयरधारकों, बांडधारकों और अन्य प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों के निवारण की व्यवस्था पर ध्यान रखेगी;

(ii) एसआरसी शेयर के अंतरण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, घोषित लाभांश प्राप्त न होने से संबन्धित शिकायतों सहित बैंक के सभी प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों पर विचार तथा उनका समाधान करेगी;

(iii) उपर्युक्त बिन्दु (i) और (ii) में दिए गए अधिदेश को पूरा करने के लिए एसआरसी अपनी प्रत्येक बैठक में इक्विटी सर्विसिंग और बांड सर्विसिंग रिपोर्टों पर विचार तथा उनकी समीक्षा करेगी और जरूरी होने पर इस संबंध में निदेश जारी करेगी;

(iv) इक्विटी सर्विसिंग संबंधित रिपोर्ट की समीक्षा;

(v) फ्लेक्सीबांडों की सर्विसिंग संबंधी रिपोर्ट की समीक्षा;

(vi) शेयर पूंजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के समाधान विवरण की रिपोर्टिंग;

(vii) स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत निवेशकों की शिकायतों के विवरण की रिपोर्टिंग;

(viii) विनियामकीय/सांविधिक अपेक्षाओं अथवा भारत सरकार (जीओआई)/भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

एसआरसी बैठकों के लिए कोरम

एसआरसी की बैठकों के लिए कोरम एसआरसी की कुल संख्या का एक तिहाई या दो (2) सदस्य, जो भी अधिक हो, होगा.

एसआरसी की बैठकों की बारंबारता

एसआरसी की बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित की जाएंगी.

आयोजित बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018) के दौरान एसआरसी की चार बैठकें दिनांक 30 जून 2017, 21 सितंबर 2017, 12 दिसंबर 2017 और 28 फरवरी 2018 को सम्पन्न हुईं.

4. धोखाधड़ी निगरानी समिति (एफएमसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

₹ 1 करोड़ तथा इससे अधिक की राशि के धोखाधड़ी मामलों की निगरानी तथा उनका अनुवर्तन करने के लिए एक विशेष समिति के रूप में धोखाधड़ी निगरानी समिति (एफ़एमसी) का गठन किया गया है. इसका गठन धोखाधड़ी का पता लगाने, उन पर निगरानी रखने और उनसे निपटने के लिए किया गया है.

31 मार्च 2018 को धोखाधड़ी निगरानी समिति (एफ़एमसी) में 6 सदस्य थे जिसमें सर्वश्री महेश कुमार जैन, एमडी एवं सीईओ, के. पी. नायर, उप प्रबंध निदेशक, जी. एम. यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक, ज्ञान प्रकाश जोशी, भुवनचन्द्र बी. जोशी एवं डॉ. आशिमा गोयल स्वतंत्र निदेशकगण इसके सदस्य थे.

एफ़एमसी की व्यापक भूमिका एवं उसके उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- प्रणालीगत कमी, यदि कोई है, जिससे धोखाधड़ी संभव हुई, की पहचान करना तथा उसे रोकने के लिए उपाय सुझाना;
- धोखाधड़ी, यदि कोई है, का पता लगाने में विलंब के कारणों की पहचान करना तथा बैंक के शीर्ष प्रबंधन और रिजर्व बैंक को रिपोर्ट करना;
- सीबीआई/पुलिस द्वारा जांच पड़ताल में प्रगति और वसूली स्थिति की निगरानी करना;
- सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में सभी स्तरों पर स्टाफ जवाबदेही की जांच हो तथा बिना समय गँवाए तत्काल कार्रवाई, यदि अपेक्षित हो, पूरी हो;
- धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई की प्रभावोत्पादकता, जैसे आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करना, की समीक्षा करना;
- रेड फ्लैग खातों तथा बकाया रेड फ्लैग खातों के बारे में की गई उपचारात्मक कार्रवाई/दिए गए जांच आदेश की स्थिति की समीक्षा करना;
- धोखाधड़ी के मामलों में स्टाफ जवाबदेही प्रक्रिया के पूरा होने और उस पर की गई कार्रवाई को नोट करना;
- सीबीआई/पुलिस आदि द्वारा जांच किए जा रहे मामलों से वसूली सहित धोखाधड़ी मामलों में वसूली की स्थिति;
- बैंक में सतर्कता कार्यकलापों की समीक्षा;
- विनियामकीय/सांविधिक अपेक्षाओं अथवा भारत सरकार (जीओआई) / भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

एफ़एमसी की बैठकों के लिए कोरम

एफ़एमसी बैठकों के लिए कोरम एफएमसी के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई या दो (2) सदस्य, जो भी अधिक हो, होगा.

एफएमसी बैठकों की बारंबारता

₹ 1 करोड़ और उससे अधिक राशि की धोखाधड़ी के मामले प्रकाश में आने पर धोखाधड़ी निगरानी समिति की बैठक आयोजित करना अपेक्षित होता है और उसमें मामले की समीक्षा की जाती है.

आयोजित बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018) के दौरान एफएमसी की सात बैठकें दिनांक 27 अप्रैल 2017, 18 मई 2017, 30 जून 2017, 14 अगस्त 2017, 9 अक्तूबर 2017, 28 दिसंबर 2017 तथा 21 मार्च 2018 को संपन्न हुईं.

5. जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

बैंक के कारोबार से जुड़े विभिन्न जोखिमों का आकलन करने, उनमें कमी लाने का प्रयास करने, आस्ति देयता असंतुलन से जुड़े मुद्दों का भी समाधान करने और साथ ही बैंक की जोखिम प्रबंधन योजना की निगरानी एवं समीक्षा करने के लिए जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी) का गठन किया गया है. आरएमसी एलओडीआर विनियमावली के विनियम 21 के अंतर्गत उपबंधित अधिदेश/ विचारार्थ विषयों पर भी कार्रवाई सुनिश्चित करती है.

बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी) में छह सदस्य अर्थात् सर्वश्री भुवनचन्द्र बी. जोशी, अध्यक्ष के रूप में, के.पी. नायर, उप प्रबंध निदेशक, जी. एम. यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक, प्रवीण गर्ग, सरकारी नामिती निदेशक, ज्ञान प्रकाश जोशी एवं एस. रवि, स्वतंत्र निदेशक, सदस्य के रूप में शामिल थे.

आरएमसी समिति की व्यापक भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- चलनिधि जोखिम सहित बैंक के समक्ष आने वाले सभी जोखिमों का मूल्यांकन करना;
- अन्य जोखिमों के साथ चलनिधि जोखिम के संभाव्य प्रभाव को आरएमसी द्वारा निवारण किए जा रहे जोखिमों में भी शामिल किया जाए;
- नकदी प्रवाह के अनुमानों की रिपोर्टिंग, चलनिधि जोखिम, प्रयुक्त धारणाओं का मापन;
- बोर्ड को नीतियों यथा-ऋण नीति, वसूली नीति, निधि प्रबंधन नीति, जोखिम प्रबंधन नीति, आस्ति देयता नीति, परिचालनगत जोखिम तथा कारोबार निरंतरता प्रबंधन (ओआर एवं बीसीएम) नीति, डीआईएफ़सी शाखा एएलएम नीति, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति, बाजार जोखिम तथा डेरिवेटिव नीति, देशी जोखिम प्रबंधन नीति एवं देशी जोखिम सीमाएं, निवेश नीति आदि की सिफ़ारिश करना;
- जोखिम प्रबंधन प्रणाली/ एएलएम एवं जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा;
- परिचालनगत जोखिम एवं कारोबार निरंतरता प्रबंधन पर प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा;
- जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा;
- ट्रेडिंग पोर्टफोलियो की बाजार जोखिम रिपोर्ट की समीक्षा;
- दबाव परीक्षण के परिणामों की समीक्षा;

- जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा;
- आंतरिक रेटिंग का अंतरण और चूक विश्लेषण;
- आस्ति देयता प्रबंधन समीक्षा;
- बासेल III कार्यान्वयन तथा जोखिम प्रबंधन विभाग के अन्य कार्यकलापों की समीक्षा;
- संपार्श्विक प्रबंधन तथा ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) तकनीक पर नीति;
- प्रणाली, उत्पाद अनुमोदन एवं समीक्षा समिति (स्पार्क) I एवं II के कार्यवृत्त की रिपोर्टिंग;
- बासेल II तथा III के लिए तैयारी की स्थिति की समीक्षा;
- प्रतिपक्षकार बैंक सीमाओं एवं घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बैंकों के लिए सीमाओं के आबंटन पर नीति;
- ऋण एक्सपोजर - मानदंडों की समीक्षा तथा उनका अनुपालन;
- विनियामकीय/सांविधिक अपेक्षाओं अथवा भारत सरकार (जीओआई) / भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

आरएमसी की बैठकों के लिए कोरम

आरएमसी की बैठकों के लिए कोरम, आरएमसी के कुल सदस्यों की संख्या का एक तिहाई या दो (2) सदस्य, जो भी अधिक हो, होगा.

आरएमसी बैठकों की बारंबारता

जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक तिमाही आधार पर आयोजित की जाएगी.

आयोजित बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018) के दौरान आरएमसी की कुल सात बैठकें 28 अप्रैल 2017, 29 जून 2017, 20 सितंबर 2017, 27 नवंबर 2017, 19 दिसंबर 2017, 28 फरवरी 2018 एवं 20 मार्च 2018 को संपन्न हुईं.

6. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति (सीएसआरसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत बोर्ड की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति (सीएसआरसी) का गठन किया गया है. 31 मार्च 2018 को समिति में श्री महेश कुमार जैन, एमडी एवं सीईओ, श्री के. पी. नायर, उप प्रबंध निदेशक, श्री जी. एम. यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक, श्री ज्ञान प्रकाश जोशी एवं डॉ. आशिमा गोयल, स्वतंत्र निदेशक इसके सदस्य थे.

सीएसआर समिति के प्राथमिक दायित्व निम्नानुसार हैं:

(i) कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति तैयार कर बोर्ड को उसकी सिफारिश करना जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में दिये गए अनुसार बैंक द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों की जानकारी दी गई हो;

(ii) खंड (i) में दिए गए कार्यकलापों पर होने वाले व्यय की राशि की सिफारिश करना;

(iii) बैंक की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति की समय-समय पर निगरानी करना; और

(iv) विनियामकीय/सांविधिक अपेक्षाओं अथवा भारत सरकार (जीओआई) / भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

सीएसआरसी बैठकों के लिए कोरम

सीएसआरसी की बैठकों के लिए कोरम, सीएसआरसी के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई या दो (2) सदस्य, जो भी अधिक हो, होगा.

सीएसआरसी की बैठकों की बारंबारता

सीएसआरसी की बैठकें छमाही आधार पर आयोजित की जाएंगी.

आयोजित बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018) के दौरान सीएसआर की कुल दो बैठकें 27 अप्रैल 2017 और 30 अक्तूबर 2017 को संपन्न हुईं.

7. ग्राहक सेवा समिति (सीएससी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

बैंकिंग प्रणाली में ग्राहक संरक्षण तथा सेवाओं के लिए अभिशासन संरचना को मजबूत बनाने और साथ ही बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाने के उद्देश्य से नीतियां बनाने और उनके आंतरिक अनुपालन का आकलन करने के लिए ग्राहक सेवा समिति (सीएससी) का गठन किया गया है.

31 मार्च 2018 को ग्राहक सेवा समिति (सीएससी) में छह सदस्य अर्थात् श्री महेश कुमार जैन, एमडी एवं सीईओ, श्री के. पी. नायर, उप प्रबंध निदेशक, श्री जी. एम. यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक, श्री पंकज जैन, सरकारी नामिती निदेशक, श्री निनाद कर्पे एवं श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, स्वतंत्र निदेशक शामिल थे.

सीएससी की व्यापक भूमिका तथा उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- रिटेल बैंकिंग खंड में ग्राहक की शिकायतों पर ध्यान देना तथा ग्राहकों को प्रभावी ढंग से सेवा प्रदान करना;
- व्यापक जमा नीति तैयार करना;
- जमाकर्ता की मृत्यु होने पर उनके खाते के परिचालन जैसे मुद्दों का समाधान;
- उपयुक्तता तथा सटीकता के उद्देश्य से उत्पाद अनुमोदन प्रक्रिया;
- जमाकर्ता संतुष्टि का वार्षिक सर्वेक्षण;
- ऐसी सेवाओं की त्रैवार्षिक लेखा परीक्षा;
- विभिन्न राज्यों के बैंकिंग लोकपाल द्वारा समाधान प्रस्तुत शिकायतों के संबंध में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाना;
- बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए सभी निर्णयों को नोट करना;

- तीन माह से अधिक समय तक कार्यान्वित नहीं किए गए सभी निर्णयों की कारणों सहित समीक्षा करना;
- आईडीबीआई बैंक में ग्राहक सुरक्षा एवं सेवा के लिए किए गए उपायों की समीक्षा;
- भारतीय बैंकिंग संहिता एवं मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) संहिता अनुपालन रेटिंग;
- शिकायत निवारण नीति का संशोधन;
- विनियामक/सांविधिक अपेक्षाओं अथवा भारत सरकार (जीओआई) / भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

सीएससी की बैठकों के लिए कोरम

सीएससी बैठकों के लिए कोरम सीएससी के कुल सदस्यों की संख्या का एक तिहाई अथवा दो (2) सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा.

सीएससी बैठकों की बारंबारता

सीएससी बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित की जाएंगी.

आयोजित बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2017 - 31 मार्च 2018) के दौरान ग्राहक सेवा समिति की चार बैठकें 29 मई 2017, 8 सितंबर 2017, 19 दिसंबर 2017 तथा 20 मार्च 2018 को संपन्न हुईं.

8. सूचना प्रौद्योगिकी समिति (आईटीसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

बैंक में प्रभावी प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी समिति (आईटीसी) का गठन किया है. इसका उद्देश्य ग्राहकों को विभिन्न आईटी समर्थकारी सेवाएं प्रदान करना, दृष्टिकोण को सुसंगत बनाने में मदद करना तथा नए आईटी उत्पाद लांच करने में सहायता देना और तत्संबंधी सेवाएं प्रदान करना है.

31 मार्च 2018 को सूचना प्रौद्योगिकी समिति में पाँच सदस्य थे जिसमें श्री निनाद कर्पे, स्वतंत्र निदेशक, विशेषज्ञ आईटी व्यावसायिक, अध्यक्ष के रूप में तथा श्री के.पी. नायर, उप प्रबंध निदेशक, श्री जी. एम. यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक, श्री ज्ञान प्रकाश जोशी और श्री भुवनचन्द्र बी. जोशी शामिल थे.

आईटीसी की व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- बोर्ड को प्रस्तावित आईटी बजट की संस्तुति;
- आईटी बजट के उपयोग की समीक्षा;
- बैंक के ग्राहकों के लिए विभिन्न उत्पादों तथा आईटी आधारित सेवाओं के प्रारंभ की समीक्षा;
- आंतरिक अथवा बाहर से खरीदे गए विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर के विकास, अधिप्राप्ति और परिचालनों की समीक्षा करना और प्रौद्योगिकी के चयन के लिए निविदाएं आमंत्रित करने अथवा अन्य प्रक्रिया के लिए प्रक्रियाएं तैयार करना;
- प्रक्रियाओं तथा सिस्टम के परिचालन, कार्यान्वयन तथा निष्पादन की देखरेख करना;
- प्रौद्योगिकी के जरिए शाखाओं के एकीकरण और बैंक के लिए एमआईएस के विकास का निरीक्षण करना;
- प्रौद्योगिकी आर्किटेक्चर की अद्यतन स्थिति और की गईं प्रमुख आईटी पहलों की समीक्षा करना;
- सूचना सुरक्षा संबंधी घटनाओं की समीक्षा;
- डिजिटल बैंकिंग अभिनव भुगतान प्रणालियों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा;
- सूचना सुरक्षा नीति की समीक्षा;
- आईटी नीति की समीक्षा;
- साइबर सुरक्षा संबंधी तैयारी का मूल्यांकन;
- विनियामक / सांविधिक अपेक्षाओं अथवा भारत सरकार (जीओआई) / भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य कोई भूमिका का निर्वहन.

आईटीसी की बैठकों के लिए कोरम

आईटीसी बैठकों के लिए कोरम आईटीसी के कुल सदस्यों की संख्या का एक-तिहाई अथवा दो (2) सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा.

आईटीसी बैठकों की बारंबारता

सीएससी बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित की जाएंगी.

आयोजित बैठकों की संख्या :

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2017 - 31 मार्च 2018) के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी समिति की छह बैठकें 18 मई 2017, 18 जुलाई 2017, 20 सितंबर 2017, 27 नवंबर 2017, 31 जनवरी 2018 तथा 20 मार्च 2018 को संपन्न हुईं.

9. पारिश्रमिक समिति (आरसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

एमडी एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशकों को वार्षिक कार्य-निष्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन राशि पर विचार करने और उसके भुगतान का अनुमोदन करने के लिए पारिश्रमिक समिति (आरसी) का गठन किया गया है. पारिश्रमिक समिति, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 तथा एलओडीआर विनियमावली के विनियम 19 और अनुसूची II के भाग डी के अंतर्गत दिए गए अधिदेश/ विचारार्थ विषयों पर भी कार्रवाई सुनिश्चित करती है. 31 मार्च 2018 को पारिश्रमिक समिति में पाँच सदस्य थे जिसमें श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, स्वतंत्र निदेशक अध्यक्ष के रूप में, श्री प्रवीण गर्ग तथा श्री पंकज जैन, सरकारी नामिती निदेशक और गैर-कार्यपालक निदेशक, श्री निनाद कर्पे और श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, स्वतंत्र निदेशक शामिल थे.

पारिश्रमिक समिति की व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- इस विषय पर भारत सरकार (जीओआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार एमडी एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशकों को वार्षिक कार्य-निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन का मूल्यांकन;

- उपर्युक्त मूल्यांकन रिपोर्ट को बोर्ड को प्रस्तुत करना;
- निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों, आदि के लिए पारिश्रमिक नीति बनाना;
- विनियामक / सांविधिक अपेक्षाओं अथवा भारत सरकार (जीओआई) / भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

आरसी की बैठकों के लिए कोरम

आरसी बैठकों के लिए कोरम आरसी के कुल सदस्यों की संख्या का एक-तिहाई अथवा दो (2) सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा.

आरसी बैठकों की बारंबारता

पारिश्रमिक समिति की बैठकें किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन का अनुमोदन सहित आवश्यकतानुसार आयोजित की जाएंगी. एलओडीआर विनियमावली और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार पारिश्रमिक समिति की बैठकों के लिए कोई अनिवार्य आवधिकता निर्धारित नहीं की गई है.

10. नामांकन समिति (एनसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के बैंकों व संस्थाओं से भिन्न शेयरधारकों द्वारा चुने गए निदेशकों के *'उपयुक्त व उचित'* हैसियत का निर्धारण करने के लिए समुचित सावधानी वाली प्रक्रिया को संचालित करने हेतु नामांकन समिति का गठन किया गया है. स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति सभी शेयरधारकों द्वारा चुन कर किए जाने को देखते हुए उपर्युक्त कार्रवाई अब लागू नहीं है तथा इसकी अब आवश्यकता नहीं रह गई है. तथापि, नामांकन समिति अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और एलओडीआर विनियमावली की सूची II के भाग डी के साथ पठित विनियम 19 के अंतर्गत उपबंधित अधिदेश/ विचारार्थ विषयों को पूरा करती है.

31 मार्च 2018 को नामांकन समिति में चार स्वतंत्र निदेशक अर्थात अध्यक्ष के रूप में श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, तथा श्री निनाद कर्पे, श्री एस. रवि और डॉ. आशिमा गोयल सदस्य के रूप में शामिल थे.

नामांकन समिति की व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- निदेशक के लिए अर्हताओं, सकारात्मक गुणों और स्वतंत्रता के निर्धारण के लिए मानदंड तैयार करना और निदेशकों की नियुक्ति तथा मूल्यांकन से संबन्धित नीति निदेशक मंडल को संस्तुत करना;
- स्वतंत्र निदेशकों तथा निदेशक मंडल के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के लिए मानदण्ड तैयार करना;
- निदेशक मंडल की विविधता पर नीति तैयार करना;
- ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक नियुक्ति एवं मूल्यांकन नीति के अनुसार स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु अर्ह हैं;
- निदेशकों की नियुक्ति एवं मूल्यांकन नीति में निर्धारित मानदंडों के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति और पृथक्करण की संस्तुति करना;
- विनियामक / सांविधिक अपेक्षाओं अथवा भारत सरकार (जीओआई) / भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य कोई भूमिका का निर्वहन करना.

एनसी की बैठकों के लिए कोरम

एनसी बैठकों के लिए कोरम एनसी के कुल सदस्यों की संख्या का एक-तिहाई अथवा दो (2) सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा.

एनसी बैठकों की बारंबारता

नामांकन समिति की बैठकें आवश्यकतानुसार आयोजित की जाएंगी.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2017 - 31 मार्च 2018) के दौरान नामांकन समिति की दो बैठकें 28 अप्रैल 2017 तथा 09 अक्तूबर 2017 को सम्पन्न हुई.

11. मानव संसाधन संचालन समिति (एचआरएससी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार मानव संसाधन संबंधी मामलों को देखने के लिए और मानव संसाधन संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करने हेतु मानव संसाधन संचालन समिति (एचआरएससी) का गठन किया गया है.

31 मार्च 2018 को एचआरएससी समिति में छह सदस्य अर्थात् श्री महेश कुमार जैन, एमडी एवं सीईओ (अध्यक्ष), श्री के. पी. नायर, उप प्रबंध निदेशक, श्री जी.एम. यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक, श्री पंकज जैन, सरकारी नामिती निदेशक, श्री प्रवीण गर्ग, सरकारी नामिती निदेशक और श्री एस. रवि, स्वतंत्र निदेशक शामिल थे.

एचआरएससी की व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- भर्ती, प्रशिक्षण से संबंधित नीतियां बनाना;
- कार्य-निष्पादन प्रबंधन, प्रतिकर और कैरियर विकास पहलों की समीक्षा;
- प्रबंधन विकास और उत्तराधिकार नियोजन पर विचार करना;
- एचआर रणनीति को कारोबार रणनीति व योजना के अनुकूल बनाना; और
- विनियामक / सांविधिक अपेक्षाओं अथवा भारत सरकार (जीओआई) / भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य कोई भूमिका का निर्वहन करना.

एचआरएससी समिति की बैठकों के लिए कोरम

एचआरएससी बैठकों के लिए कोरम एचआरएससी के कुल सदस्यों की संख्या का एक-तिहाई अथवा दो (2) सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा.

एचआरएससी बैठकों की बारंबारता

एचआरएससी की आवश्यकतानुसार तथा वर्ष में कम से कम 4 बार बैठकें आयोजित की जाएंगी.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2017 - 31 मार्च 2018) के दौरान मानव संसाधन संचालन समिति की छः बैठकें 12 अप्रैल 2017, 29 जून 2017, 30 अक्तूबर 2017, 19 दिसंबर 2017, 16 फरवरी 2018 और 20 मार्च 2018 को संपन्न हुईं.

12. वसूली समीक्षा समिति (आरआरसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

भारत सरकार के दिशानिर्देशों/ बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार एनपीए, दबावग्रस्त खातों, बट्टे खाते डाले गए मामलों, सरकारी परिसमापक (ओएल) मामलों, ऋण वसूली प्राधिकरण (डीआरटी) मामलों आदि से वसूली की समीक्षा करने के लिए और वसूली की प्रगति पर निगरानी रखने तथा अन्य संबंधित प्रयोजनों के लिए वसूली समीक्षा समिति (आरआरसी) का गठन किया गया है.

31 मार्च 2018 को वसूली समीक्षा समिति में सात सदस्य अर्थात श्री महेश कुमार जैन, एमडी एवं सीईओ (अध्यक्ष), श्री के. पी. नायर, उप प्रबंध निदेशक, श्री जी. एम. यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक, श्री पंकज जैन, सरकारी नामिती निदेशक, श्री प्रवीण गर्ग, सरकारी नामिती निदेशक, श्री निनाद कर्पे, स्वतंत्र निदेशक और श्री एस. रवि, स्वतंत्र निदेशक शामिल थे.

आरआरसी की व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- अनर्जक आस्तियों (एनपीए)/ बट्टे खाते डाले गए खातों के वसूली कार्यनिष्पादन की समीक्षा;
- दबावग्रस्त संरचित रिटेल आस्तियों और शीघ्र अनर्जक होने वाली आस्तियों वाले मामलों की समीक्षा;
- बैंक की शीर्ष 100 अनर्जक आस्तियों (एनपीए) मामलों की समीक्षा;
- कॉरपोरेट वर्टिकलों के दबावग्रस्त खातों की समीक्षा;
- वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 के संबंध में स्थिति रिपोर्ट;
- विशेष उल्लेखवाले खातों (एसएमए)-2 की समीक्षा;
- वाद दायर किए गए मामलों की समीक्षा;
- प्रथम बारीय एनपीए (एफ़टीएनपीए)/ इरादतन चूककर्ताओं की समीक्षा;
- अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की तिमाही समीक्षा;
- विनियामक / सांविधिक अपेक्षाओं अथवा भारत सरकार (जीओआई) / भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

आरआरसी समिति की बैठकों के लिए कोरम

आरआरसी बैठकों के लिए कोरम आरआरसी के कुल सदस्यों की संख्या का एक-तिहाई अथवा दो (2) सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा.

आरआरसी बैठकों की बारंबारता

आरआरसी प्रत्येक माह बैठक करने हेतु प्रयास करेगी.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2017 - 31 मार्च 2018) के दौरान वसूली समीक्षा समिति की आठ बैठकें 28 अप्रैल 2017, 29 मई 2017, 29 जून 2017, 08 अगस्त 2017, 30 अक्तूबर 2017, 19 दिसंबर 2017, 31 जनवरी 2018 और 20 मार्च 2018 को संपन्न हुईं.

13. स्वतंत्र निदेशकों की समिति (आईडीसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV तथा एलओडीआर विनियमावली के विनियम 25 के निबंधनों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की समिति (आईडीसी) गठित की गई है. 31 मार्च 2018 को स्वतंत्र निदेशकों की समिति में पांच सदस्य अर्थात श्री एस. रवि, श्री निनाद कर्पे, श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, श्री भुवनचन्द्र बी. जोशी और डॉ. आशिमा गोयल, स्वतंत्र निदेशक शामिल थीं.

आईडीसी की व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं :

- गैर-स्वतंत्र निदेशकों की और समग्र रूप से बोर्ड के कार्य निष्पादन की समीक्षा;
- कार्यपालक निदेशकों तथा गैर-कार्यपालक निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के अध्यक्ष के कार्य निष्पादन की समीक्षा;
- कंपनी के प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता का मूल्यांकन करना जो बोर्ड के कर्तव्यों के प्रभावी और तर्कसंगत कार्य-निष्पादन के लिए आवश्यक है;
- विनियामक/ सांविधिक अपेक्षाओं अथवा भारत सरकार (जीओआई) / भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए निदेशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

आईडीसी बैठकों के लिए कोरम

आईडीसी बैठकों के लिए कोरम आईडीसी के कुल सदस्यों की संख्या का एक तिहाई अथवा दो (2) सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा. तथापि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV के अनुसार सभी स्वतंत्र निदेशक आईडीसी की बैठकों में उपस्थित होने का प्रयास करें.

आईडीसी बैठकों की बारंबारता

आईडीसी बैठकें वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित होंगी.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2017 - 31 मार्च 2018) के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की समिति की एक बैठक 12 अप्रैल 2017 को संपन्न हुई.

14. असहयोगी ऋणकर्ता समीक्षा समिति (एनबीआरसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

असहयोगी ऋणकर्ता समीक्षा समिति (एनसीबीआरसी) का गठन किया गया जिसमें एमडी एवं सीईओ तथा दो स्वतंत्र निदेशक शामिल थे.

31 मार्च 2018 को इस समिति में सदस्य के रूप में श्री महेश कुमार जैन, एमडी एवं सीईओ (अध्यक्ष), श्री निनाद कर्पे और भुवनचन्द्र बी. जोशी, स्वतंत्र निदेशक, शामिल थे.

एनसीबीआरसी की व्यापक भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं :

- ऋणकर्ता को असहयोगी के रूप में वर्गीकृत करने से संबंधित आंतरिक असहयोगी ऋणकर्ता समिति के आदेशों/निर्णयों की समीक्षा करना;
- एनसीबीआरसी को विनियामक/ सांविधिक अपेक्षाओं अथवा भारत सरकार (जीओआई) / भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए निदेशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

एनसीबीआरसी बैठकों के लिए कोरम

एनसीबीआरसी बैठकों के लिए कोरम सभी सदस्यों की उपस्थिति होगी.

एनसीबीआरसी बैठकों की बारंबारता

बैंक की आंतरिक असहयोगी उधारकर्ता समिति द्वारा जब भी किसी उधारकर्ता को असहयोगी उधारकर्ता' के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया जाता है तो एनसीबीआरसी को बैठक आयोजित करना और समीक्षा करना आवश्यक होगा.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2017 - 31 मार्च 2018) के दौरान असहयोगी ऋणकर्ता समीक्षा समिति की 4 (चार) बैठकें 14 अगस्त 2017, 27 नवंबर 2017, 15 जनवरी 2018 और 28 फरवरी 2018 को संपन्न हुईं.

15. इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति (डबल्यूडीआरसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति (डब्ल्यूडीआसी) का गठन किया गया जिसमें एमडी एवं सीईओ तथा दो स्वतंत्र निदेशक शामिल थे.

यथा 31 मार्च 2018 को इस समिति में श्री महेश कुमार जैन, एमडी एवं सीईओ (अध्यक्ष), श्री एस. रवि तथा श्री भुवनचंद्र बी जोशी, स्वतंत्र निदेशक, सदस्य के रूप में शामिल थे.

डब्ल्यूडीआरसी समिति की व्यापक भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- ऋणकर्ता को इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत करने संबंधित आंतरिक इरादतन चूककर्ता समिति के आदेशों/ निर्णयों की समीक्षा करना.
- विनियामक/ सांविधिक अपेक्षाओं या भारत सरकार (जीओआई)/ रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए निदेशों के जरिए इसे सौंपी गई किसी अन्य प्रकार की भूमिका का निर्वहन.

डब्ल्यूडीआरसी बैठकों के लिए कोरम

डब्ल्यूडीआरसी बैठकों के लिए कोरम सभी सदस्यों की उपस्थिति होगी.

बैठकों की बारंबारता

बैंक की डब्ल्यूडीआरसी समिति द्वारा जब भी किसी उधारकर्ता को इरादतन चूककर्ता' के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया जाता है तो डब्ल्यूडीआरसी को बैठक आयोजित करना और समीक्षा करना आवश्यक होगा.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2017 - 31 मार्च 2018) के दौरान 'इरादतन चूककर्ता' समीक्षा समिति की छः बैठकें 30 अगस्त 2017, 9 अक्तूबर 2017, 27 नवम्बर 2017, 15 जनवरी 2018, 28 फरवरी 2018 और 21 मार्च 2018 को संपन्न हुई.

समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति तालिका 2 में दर्शाई गई है.

तालिका 2 : समिति बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति (1 अप्रैल 2017 से 31मार्च 2018 तक)

क्रम सं.	निदेशकों के नाम	एसीबी		ईसी		एसआरसी		एफएमसी		आर एमसी		सीएसआ रसी		सीएससी		आईटीसी		आरसी		एनसी		एचआ रएस सी		आर आर सी		आईडीसी		एनसीबी आरसी		डब्ल्यूडी आरसी	
		एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए
1.	श्री महेश कुमार जैन, एमडी एवं सीईओ (डीआईएन - 03513127)	-	-	23	23	-	-	7	7	-	-	2	2	4	4	-	-	-	-	-	-	6	6	8	8	-	-	4	4	6	6
2.	श्री के पी नायर, उप प्रबंध निदेशक (डीआईएन - 02611496)	14	14	23	22	4	4	7	6	7	7	2	2	4	4	6	6	-	-	-	-	6	6	8	8	-	-	-	-	-	-
3.	श्री जी एम यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक (डीआईएन - 01432796	-	-	23	23	4	4	7	7	7	7	2	2	4	4	6	6	-	-	-	-	6	6	8	8	-	-	-	-	-	-
4.	श्री पंकज जैन (डीआईएन - 00675922)	14	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-	0	0	-	-	6	4	8	5	-	-	-	-	-	-
5.	श्री प्रवीण गर्ग (डीआईएन - 00208604)	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	6	2	8	4	-	-	-	-	-	-
6.	श्री एस रवि (डीआईएन- 00009790)	14	14	23	22	4	4	6	6	7	5	-	-	-	-	-	-	0	0	2	2	6	5	8	7	1	1	-	-	6	6
7.	श्री निनाद कर्पे (डीआईएन- 00030971)	14	11	23	21	-	-	6	5	5	4	-	-	4	3	6	6	0	0	2	2	-	-	1	1	1	1	4	4	-	-
8.	श्री ज्ञान प्रकाश जोशी (डीआईएन- 00603925)	14	14	-	-	-	-	7	7	7	6	2	2	4	4	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	4
9.	सुश्री नीरू अबरोल (डीआईएन- 01279485) [18.07.17 तक]	3	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
10.	डॉ. आशिमा गोयल (डीआईएन- 00233635) [28.04.17 से]	11	10	-	-	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-
11.	श्री बी बी जोशी (डीआईएन-06713850) [09.10.17 से]	-	-	4	3	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2

एच - निदेशक के कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें.

ए - निदेशक ने बैठकों में भाग लिया.

वार्षिक विवरणी का सारांश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3)(ए) के साथ पठित धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित प्रपत्र एमजीटी 9 में वार्षिक विवरणी का उद्धरण नीचे दिया गया है :

I. पंजीकरण और अन्य ब्योरे

i.	सीआईएन	L65190MH2004GOI148838
ii.	पंजीकरण की तारीख	27 सितंबर 2004
iii.	कंपनी का नाम	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
iv.	कंपनी की श्रेणी/ उपश्रेणी	सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी /शेयरों द्वारा लिमिटेड
v.	पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क विवरण	पंजीकृत कार्यालय: आईडीबीआई बैंक लिमिटेड आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400005 संपर्क विवरण : फोन नं. : 022-66553355, 22189111, फैक्स: (022) 22180411 वेबसाइट: www.idbi.com
vi.	क्या सूचीबद्ध कंपनी है	हाँ
vii.	रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट का नाम, पता एवं संपर्क विवरण	कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड कार्वी सिलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गच्चीबौली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद- 500032 टेली नं. (040) 33211500 टोल फ्री नं. : 1-800-3454001 फैक्स नं. : (040) 23420814 ईमेल : einward.ris@karvy.com

II. कंपनी की प्रमुख कारोबारी गतिविधियां

क्रम सं.	मुख्य उत्पाद/ सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद/ सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का %
1.	वाणिज्यिक बैंकों, बचत बैंकों, डाक बचत बैंक और डिस्काउंट हाउसों की मौद्रिक मध्यस्थता	64191	100%

III. धारिता, सहायक एवं सहयोगी कंपनियों के ब्योरे

क्रम सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	धारिता / सहायक / सहयोगी	शेयरों का %	लागू धारा
1	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लिमिटेड, तीसरी मंजिल, मफतलाल सेंटर, नरीमन प्वाइंट, मुंबई - 400 021.	U65990MH1993GOI075578	सहायक	100.00	2(87)
2	आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड, आईडीबीआई बिल्डिंग, पहली मंजिल, प्लॉट नं. 39-41, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई- 400 614.	U72200MH2000GOI124665	सहायक	100.00	2(87)
3	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड आईडीबीआई टॉवर, डबल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400005.	U65991MH2010PLC199326	सहायक	100.00	2(87)
4	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. आईडीबीआई टॉवर, डबल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400005.	U65100MH2010PLC199319	सहायक	66.67	2(87)

क्रम सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	धारिता / सहायक / सहयोगी	शेयरों का %	लागू धारा
5	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड एशियन बिल्डिंग, तल मंजिल, 17, आर. कमानी मार्ग, बलार्ड इस्टेट, मुंबई- 400 001.	U65991MH2001GOI131154	सहायक	54.70	2(87)
6	आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पहली मंजिल, ट्रेड व्यू, ओएसिस कॉम्प्लेक्स, कमला सिटी, पी.बी. मार्ग, लोअर परेल (प). मुंबई - 400 013.	U66010MH2007PLC167164	संयुक्त उद्यम	48.00	2(6)
7	नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड 'ए' विंग, चौथी मंजिल, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई -400 013.	U74120MH2012PLC230380	सहयोगी	30.00	2(6)
8	बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेड, पाँचवीं मंजिल, अणुव्रत भवन, 210 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली -110 002.	U73100DL1990PLC041486	सहयोगी	27.93	2(6)
9	नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फ़ाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेडफ़ी हाउस, दिसपुर, गुवाहाटी - 781006.	U65923AS1995GOI004529	सहयोगी	25.00	2(6)
10	पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि. 60, रोमेन रोलैंड स्ट्रीट, पुडुचेरी - 605 001.	U65923PY1974SGC000121	सहयोगी	21.14	2(6)

IV. शेयरधारिता का स्वरूप (इक्विटी शेयर पूंजी - कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में अलग-अलग विवरण)

i) श्रेणीवार शेयरधारिता

		शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ 31/03/2017 में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत 31/03/2018 में शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
			डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
(अ)		प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह									
	(1)	भारतीय									
	a)	व्यक्ति/ हिन्दू अविभक्त परिवार	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	b)	केंद्र सरकार/ राज्य सरकार(रें)	1523113202	0	1523113202	73.98	2055467184	441371502	2496838686	80.96	6.98
	c)	कॉरपोरेट निकाय	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	d)	वित्तीय संस्थाएं/ बैंक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	e)	अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	f)	अन्य कोई (स्पष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	
		उप-योग (अ) (1)	1523113202	0	1523113202	73.98	2055467184	441371502	2496838686	80.96	6.98
	(2)	विदेशी									
	a)	व्यक्ति (एनआरआई/ विदेशी व्यक्ति)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	b)	कॉरपोरेट निकाय	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	c)	संस्थाएं	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	d)	अहर्ताप्राप्त विदेशी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	e)	अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
		उप-योग (अ) (2)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
		कुल (अ) = (अ)(1)+(अ)(2)	1523113202	0	1523113202	73.98	2055467184	441371502	2496838686	80.96	6.98

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ 31/03/2017 में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत 31/03/2018 में शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
(आ) सार्वजनिक शेयरधारिता									
1. संस्थाएं									
a) म्युचुअल फंड/ यूटीआई	1915111	100	1915211	0.09	11981236	0	11981236	0.39	0.30
b) वित्तीय संस्थान/ बैंक	14983097	7786	14990883	0.73	15379559	6340	15385899	0.50	-0.23
c) केंद्र सरकार/ राज्य सरकार(रें)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
d) जोखिम पूंजी निधि	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
e) बीमा कंपनियां	300248544	0	300248544	14.58	347301541	0	347301541	11.26	-3.32
f) विदेशी संस्थागत निवेशक	52096672	2020	52098692	2.53	52784074	1860	52785934	1.71	-0.82
g) विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
h) अहर्ताप्राप्त विदेशी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
i) अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
उप-योग आ(1):	**369243424**	**9906**	**369253330**	**17.94**	**427446410**	**8200**	**427454610**	**13.86**	**-4.07**
(2) गैर-संस्थागत									
(क) कॉरपोरेट निकाय	26352353	300919	26653272	1.29	27327492	207020	27534512	0.89	-0.40
(ख) व्यक्ति									
1 रुपये लाख तक की नाममात्र शेयर पूंजी रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	89508365	14004994	103513359	5.03	78415551	11890629	90306180	2.93	-2.10
1 रुपये लाख से अधिक की नाममात्र शेयर पूंजी रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	26987814	109480	27097294	1.32	29729312	95480	29824792	0.97	-0.35
(ग) अन्य									0.00
समाशोधन सदस्य	3437735	0	3437735	0.17	4831157	0	4831157	0.16	-0.01
आईईपीएफ़	0	0	0	0.00	2117434	0	2117434	0.07	0.07
विदेशी नागरिक	1600	0	1600	0.00	0	0	0	0.00	0.00
एनबीएफ़सी	23963	0	23963	0.00	27391	0	27391	0.00	0.00
अनिवासी भारतीय	3213193	1630633	4843826	0.24	2591597	1370343	3961940	0.13	-0.11
गैर-प्रत्यावर्तित अनिवासी भारतीय	447325	0	447325	0.02	610081	0	610081	0.02	0.00
सोसायटियां	**0**	**28960**	**28960**	**0.00**	**0**	**28960**	**28960**	**0.00**	**0.00**
राज्य वित्त कार्पोरेशन	0	35680	35680	0.00	0	0	0	0.00	0.00
न्यास	**328735**	**36800**	**365535**	**0.02**	**301033**	**25920**	**326953**	**0.01**	**-0.01**
(घ) अहर्ताप्राप्त विदेशी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
उप-योग आ(2)	**150301083**	**16147466**	**166448549**	**8.08**	**145951048**	**13618352**	**159569400**	**5.17**	**-2.91**
कुल आ = आ(1)+आ(2)	**519544507**	**16157372**	**535701879**	**26.02**	**573397458**	**13626552**	**587024010**	**19.04**	**-6.98**
कुल (अ+आ) :	**2042657709**	**16157372**	**2058815081**	**100.00**	**2628864642**	**454998054**	**3083862696**	**100.00**	
(इ) अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर जिनके लिए डिपॉज़िटरी रसीद जारी की गई है									
1) प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह								5.04	0.03
(2) सार्वजनिक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
कुल योग (अ+आ+इ)	2042657709	16157372	2058815081	100.00	2628864642	454998054	3083862696	100.00	

ii) प्रवर्तकों की शेयरधारिता

क्रम. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			
		शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से गिरवी/ भारग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से गिरवी/ भारग्रस्त शेयरों का %	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में % परिवर्तन
1.	भारत सरकार	1523113202	73.98	0	2496838686	80.96	0	6.98

iii) प्रवर्तकों की शेयरधारिता में परिवर्तन*

क्रम सं.		वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %
	वर्ष के आरंभ में	1523113202	73.98	1523113202	73.98
	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी				
	14.08.2017	247492510	75.10	1770605712	75.10
	06.10.2017	284861472	77.79	2055467184	77.79
	28.03.2018	441371502	80.96	2496838686	80.96
	वर्ष के अंत में	2496838686	80.96	2496838686	80.96

* मई 2018 के दौरान आईडीबीआई बैंक ने भारत सरकार को ₹ 71.82 प्रति शेयर की दर से कुल ₹ 7,881 करोड़ की राशि के अधिमान्य आधार पर 1097326649 इतने शेयरों का आबंटन किया जिसके परिणामस्वरुप भारत सरकार की प्रतिशत धारिता बढ़कर 85.96% हो गयी.

(iv) दस शीर्ष शेयरधारकों की शेयरधारिता का स्वरूप (निदेशकों, प्रवर्तकों और जीडीआर एवं एडीआर के धारकों को छोड़कर)

क्रम सं.	फोलियो/ डीपीआईडी-क्लाइंट आईडी	श्रेणी	प्रकार	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
					शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	IN30081210000012	एलआईसी	प्रारंभिक शेष	भारतीय जीवन बीमा निगम	240464655	11.68	240464655	11.68
	07/04/2017		विक्रय		2300000	0.11	238164655	11.57
	21/07/2017		क्रय		11853588	0.57	250018243	12.07
	08/09/2017		क्रय		39468543	1.67	289486786	12.28
	31/03/2018		अंतिम शेष			0.00	289486786	9.39
2	IN30081210497730	एलआईसी	प्रारंभिक शेष	भारतीय जीवन बीमा निगम मार्केट प्लस ग्रोथ निधि	17555855	0.85	17555855	0.85
	31/03/2018		अंतिम शेष			0.00	17555855	0.57
3	IN30045011154960	आईएफ़आई	प्रारंभिक शेष	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	10500000	0.51	10500000	0.51
	31/03/2018		अंतिम शेष			0.00	10500000	0.34
4	IN30081210000543	आईएनएस	प्रारंभिक शेष	यूनाइटेड इंडिया इन्शुरेंस कंपनी लि.	8057143	0.39	8057143	0.39
	31/03/2018		अंतिम शेष			0.00	8057143	0.26
5	IN30081210498007	एलआईसी	प्रारंभिक शेष	भारतीय जीवन बीमा निगम मार्केट प्लस 1 ग्रोथ निधि	7902237	0.38	7902237	0.38
	31/03/2018		अंतिम शेष			0.00	7902237	0.26
6	IN30081210497789	एलआईसी	प्रारंभिक शेष	भारतीय जीवन बीमा निगम मनी प्लस ग्रोथ निधि	6869656	0.33	6869656	0.33
	31/03/2018		अंतिम शेष			0.00	6869656	0.22
7	IN30133021061628	पीयूबी	प्रारंभिक शेष	आशीष रमेशकुमार गोयनका एवं लवीना आशीषकुमार गोयनका	6785753	0.33	6785753	0.33
	02/02/2018		क्रय		929225	0.04	7714978	0.29
	31/03/2018		अंतिम शेष			0.00	7714978	0.29

क्रम सं.	फोलियो/ डीपीआईडी-क्लाइंट आईडी	श्रेणी	प्रकार	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
					शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
8	IN30016710046498	एलटीडी	प्रारंभिक शेष	केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इन्शुरेंस	6644828	0.32	6644828	0.32
	07/04/2017		विक्रय		9680	0.00	6635148	0.32
	14/04/2017		क्रय		9679	0.00	6644827	0.32
	21/04/2017		विक्रय		46290	0.00	6598537	0.32
	05/05/2017		विक्रय		69404	0.00	6529133	0.32
	12/05/2017		विक्रय		88514	0.00	6440619	0.31
	19/05/2017		विक्रय		2121	0.00	6438498	0.31
	26/05/2017		विक्रय		64937	0.00	6373561	0.31
	09/06/2017		विक्रय		6997	0.00	6366564	0.31
	16/06/2017		विक्रय		130000	0.01	6236564	0.30
	23/06/2017		विक्रय		976160	0.05	5260404	0.26
	30/06/2017		विक्रय		3560404	0.17	1700000	0.08
	07/07/2017		विक्रय		1700000	0.08	0	0.00
	31/03/2018		अंतिम शेष			0.00	0	0.00
9	IN30016710011470	एफ़पीआई	प्रारंभिक शेष	वैनगार्ड एमेर्जिंग मार्केट्स स्टॉक इंडेक्स फ़ंड, वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड की श्रृंखला	6146213	0.30	6146213	0.30
	07/04/2017		क्रय		110090	0.01	6256303	0.30
	28/04/2017		क्रय		10100	0.00	6266403	0.30
	05/05/2017		क्रय		80800	0.00	6347203	0.31
	12/05/2017		क्रय		25250	0.00	6372453	0.31
	19/05/2017		क्रय		54540	0.00	6426993	0.31
	02/06/2017		क्रय		22220	0.00	6449213	0.31
	07/07/2017		क्रय		35350	0.00	6484563	0.31
	14/07/2017		क्रय		25250	0.00	6509813	0.31
	04/08/2017		क्रय		22220	0.00	6532033	0.32
	11/08/2017		क्रय		29290	0.00	6561323	0.32
	25/08/2017		क्रय		845664	0.04	7406987	0.31
	01/09/2017		क्रय		233084	0.01	7640071	0.32
	08/09/2017		क्रय		51510	0.00	7691581	0.33
	15/09/2017		क्रय		46460	0.00	7738041	0.33
	06/10/2017		क्रय		30300	0.00	7768341	0.33
	13/10/2017		क्रय		31310	0.00	7799651	0.30
	20/10/2017		क्रय		23230	0.00	7822881	0.30
	27/10/2017		क्रय		21210	0.00	7844091	0.27
	22/12/2017		विक्रय		14014	0.00	7830077	0.30
	26/01/2018		क्रय		50666	0.00	7880743	0.30
	02/02/2018		क्रय		45276	0.00	7926019	0.30
	23/03/2018		विक्रय		7926019	0.30	0	0.00
	31/03/2018		अंतिम शेष			0.00	0	0.00

क्रम सं.	फोलियो/ डीपीआईडी-क्लाइंट आईडी	श्रेणी	प्रकार	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
					शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
10	IN30005410013410	एफ़पीआई	प्रारंभिक शेष	डीएफए इन्वेस्टमेंट डायमेंशन ग्रुप (डीएफएआईडीजी) का (पोर्टफोलियो) एमेर्जिंग मार्केट्स कोर इक्विटि पोर्ट फोलियो	6028809	0.29	6028809	0.29
	21/07/2017		विक्रय		73598	0.00	5955211	0.29
	04/08/2017		विक्रय		273651	0.01	5681560	0.27
	08/12/2017		विक्रय		135920	0.01	5545640	0.21
	15/12/2017		विक्रय		247093	0.01	5298547	0.20
	22/12/2017		विक्रय		52396	0.00	5246151	0.20
	16/02/2018		क्रय		265382	0.01	5511533	0.21
	31/03/2018		अंतिम शेष			0.00	5511533	0.18

(v) निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता

क्रम सं.			वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %
निदेशक						
1.	श्री किशोर खरात, एमडी एवं सीईओ (डीआईएन-07266945) [03.04.2017 तक]	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तारीख को)	0	0	0	0
2.	श्री महेश कुमार जैन, एमडी एवं सीईओ (डीआईएन-03513127) [03.04.2017 से]	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तारीख को)	0	0	0	0
3.	श्री के पी नायर, उप प्रबंध निदेशक (डीआईएन - 02611496)	वर्ष के आरंभ में	320	0	320	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तारीख को)	320	0	320	0
4.	श्री जी एम यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक (डीआईएन - 01432796)	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तारीख को)	0	0	0	0

क्रम सं.			वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %
5.	श्री पंकज जैन, सरकारी नामिती निदेशक (डीआईएन - 00675922)	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तारीख को)	0	0	0	0
6.	श्री प्रवीण गर्ग, सरकारी नामिती निदेशक (डीआईएन-00208604)	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तारीख को)	0	0	0	0
7.	श्री एस. रवि, स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन - 00009790)	वर्ष के आरंभ में	200	0	200	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तारीख को)	200	0	200	0
8.	श्री निनाद कर्पे, स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन - 00030971)	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तारीख को)	0	0	0	0
9.	श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन - 00603925)	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तारीख को)	0	0	0	0
10.	सुश्री नीरू अबरोल अतिरिक्त निदेशक (डीआईएन-01279485) [18.07.2017 तक]	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तारीख को)	0	0	0	0
11.	डॉ. आशिमा गोयल (डीआईएन - 00233635) [28.04.2017 से]	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तारीख को)	0	0	0	0
12.	श्री बी बी जोशी (डीआईएन-06713850) [09.10.2017 से]	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तारीख को)	0	0	0	0

क्रम सं.			वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %
प्रमुख प्रबंधीय कार्मिक (केएमपी)						
1.	श्रीमती पद्मा बेताई, सीएफ़ओ (3 जुलाई 2017 तक)	वर्ष के आरंभ में	270	0	270	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	160	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तारीख को)	270	0	270	0
2.	श्री अजय नाथ झा, सीआरओ (21 मार्च 2018 से)	वर्ष के आरंभ में	320	0	320	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तारीख को)	320	0	320	0
3.	श्री अजय शर्मा, सीएफओ (3 जुलाई 2017 से)	वर्ष के आरंभ में	120	0	120	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तारीख को)	120	0	120	0
4.	श्री पवन अग्रवाल, कंपनी सचिव	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तारीख को)	0	0	0	0
5.	श्री पोथुकुची सीताराम, कार्यपालक निदेशक एवं सीसीओ (21 मार्च 2018 से)	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तारीख को)	0	0	0	0
6	श्रीमती मैथिली बालसुब्रमणियन, कार्यपालक निदेशक (21 मार्च 2018 से)	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तारीख को)	0	0	0	0
7.	श्री अभय लक्ष्मण बोंगिरवार, कार्यपालक निदेशक (21 मार्च 2018 से)	वर्ष के आरंभ में	320	0	320	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तारीख को)	320	0	320	0
8.	श्री गोपालकृष्ण अन्नाजी तड़स, कार्यपालक निदेशक (21 मार्च 2018 से)	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तारीख को)	0	0	0	0

क्रम सं.			वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %
9.	डॉ. सौम्या शंकर बॅनर्जी, कार्यपालक निदेशक (21 मार्च 2018 से)	वर्ष के आरंभ में	320	0	320	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तारीख को)	320	0	320	0
10.	श्री सुरेश किशनचंद खटनहार, कार्यपालक निदेशक (21 मार्च 2018 से)	At the beginning of the year	24200	0	24200	0
		Date wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the End of the Year (or on the date of separation)	24200	0	24200	0
11.	श्री इंद्रपाल सिंह कालरा, कार्यपालक निदेशक (21 मार्च 2018 से)	वर्ष के आरंभ में	320	0	320	
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	
		वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तारीख को)	320	0	320	
12.	श्री माधव वसंत फड़के, कार्यपालक निदेशक (21 मार्च 2018 से)	वर्ष के आरंभ में	320	0	320	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तारीख को)	320	0	320	0
13.	श्री सुब्रतो गुप्ता, कार्यपालक निदेशक (21 मार्च 2018 से)	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तारीख को)	0	0	0	0
14.	श्रीमती माया चक्रवर्ती, मुख्य महा प्रबंधक (21 मार्च 2018 से)	वर्ष के आरंभ में	200	0	200	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तारीख को)	200	0	200	0

V. ऋणग्रस्तता

बकाया/ उपचित किंतु भुगतान के लिए देय नहीं ब्याज सहित बैंक की ऋणग्रस्तता

(₹ 000 में)

	जमाराशियों को छोड़कर जमानती ऋण	गैर-जमानती ऋण	जमाराशियाँ	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i. मूलधन राशि	1,05,26,009	55,31,13,764	2,68,53,80,958	3,24,90,20,731
ii. देय किंतु अप्रदत्त ब्याज	0	0	0	0
iii. उपचित किंतु देय नहीं ब्याज	77,564	1,01,52,264	42,74,258	55,04,086
कुल (i+ii+iii)	**1,06,03,573**	**56,32,66,028**	**2,68,96,55,216**	**3,26,35,24,817**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
• वृद्धि	2,23,50,000	5,02,49,943	0	7,25,99,943
• कमी	(3,23,98,64)	(4,00,09,238)	(20,63,33,450)	(20,63,33,450)
निवल परिवर्तन	**(10,04,864)**	**1,02,40,705**	**(20,63,33,450)**	**(20,63,33,450)**
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i. मूलधन राशि	21,10,78,409	42,07,76,862	2,47,93,16,112	3,11,11,71,383
ii. देय किंतु अप्रदत्त ब्याज	0	0	0	0
iii. उपचित किंतु देय नहीं ब्याज	2,34,387	1,00,42,823	40,05,654	1,42,82,864
कुल (i+ii+iii)	**21,13,12,796**	**43,08,19,685**	**2,48,33,21,766**	**3,12,54,54,247**

VI. निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

अ. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/ या प्रबंधक को पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/ पूर्णकालिक निदेशक का नाम				कुल राशि (₹)
		श्री किशोर खरात, एमडी एवं सीईओ [03.04.2017 तक]	श्री के पी नायर, डीएमडी	श्री जी एम यादवाडकर, डीएमडी	श्री महेश कुमार जैन, एमडी एवं सीईओ [03.04.2017 से]	
1.	**सकल वेतन** (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार वेतन	34703.00	2301233.67	2283540.50	2728044.90	7347522.07
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	0.00	421147.00	362033.00	362047.00	1145227.00
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ		-	-	-	-
2.	स्टॉक ऑप्शन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	स्वेट इक्विटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, निर्दिष्ट करें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	अन्य, निर्दिष्ट करें [साधारण छुट्टी का नकदीकरण]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (अ)	**34703.00**	**2722380.67**	**2645573.50**	**3090091.90**	**8492749.07**
	अधिनियम के अनुसार उच्चतम सीमा	-	-	-	-	-

प्रबंध निदेशक/ प्रबंधक/ पूर्णकालिक निदेशक के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक				कुल राशि (₹)
		श्रीमती पद्मा बेताई, सीएफ़ओ (3 जुलाई 2017 तक)	श्री अजय नाथ झा (21 मार्च 2018 से)	श्री अजय शर्मा, (3 जुलाई 2017 से)	श्री पवन अग्रवाल, कंपनी सचिव	
1.	**सकल वेतन** (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार वेतन	563757.11	80895.34	1808715.31	2044086.07	4497453.83
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	109823.44	4415.69	470456.69	689226.01	1273921.83
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	स्टॉक ऑप्शन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	स्वेट इक्विटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, निर्दिष्ट करें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	अन्य, निर्दिष्ट करें- साधारण छुट्टी का नकदीकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	छुट्टी किराया रियायत	0.00	60000.00	60000.00	50000.00	170000.00
	कुल	**673580.55**	**145311.03**	**2339172.00**	**2783312.08**	**5941375.66**

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (21 मार्च 2018 से)				कुल राशि (₹)
		श्री पोथुकुची सीताराम	श्रीमती मैथिली बालसुब्रमणियन	श्री अभय लक्ष्मण बोंगिरवार	श्री गोपालकृष्ण अन्नाजी तड़स	
1.	**सकल वेतन** (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार वेतन	68920.61	68920.63	76955.97	68904.67	292866.37
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	9164.48	1325.01	612.48	17723.16	28825.13
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	स्टॉक ऑप्शन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	स्वेट इक्विटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, निर्दिष्ट करें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	अन्य, निर्दिष्ट करें- साधारण छुट्टी का नकदीकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	छुट्टी किराया रियायत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	**87249.58**	**70245.64**	**77568.45**	**86627.83**	**321691.50**

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (21 मार्च 2018 से)				कुल राशि (₹)
		डॉ. सौम्या शंकर बॅनर्जी	श्री सुरेश किशनचंद खटनहार	श्री इंद्रपाल सिंह कालरा	श्री माधव वसंत फड़के	
1.	**सकल वेतन** (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार वेतन	67676.75	67055.70	68920.81	76955.99	280609.25
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	9541.12	11807.56	19721.45	1392.75	42462.88
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	स्टॉक ऑप्शन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	स्वेट इक्विटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, निर्दिष्ट करें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	अन्य, निर्दिष्ट करें- साधारण छुट्टी का नकदीकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	छुट्टी किराया रियायत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	**77217.87**	**78863.26**	**88642.26**	**78348.74**	**323072.13**

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (21 मार्च 2018 से)		कुल राशि (₹)
		श्री सुब्रतो गुप्ता	श्रीमती माया चक्रवर्ती	
1.	**सकल वेतन** (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार वेतन	68920.65	74650.80	143571.45
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	542.93	14581.55	15124.48
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	0.00	0.00	0.00
2.	स्टॉक ऑप्शन	0.00	0.00	0.00
3.	स्वेट इक्विटी	0.00	0.00	0.00
4.	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, निर्दिष्ट करें	0.00	0.00	0.00
5.	अन्य, निर्दिष्ट करें- साधारण छुट्टी का नकदीकरण	0.00	0.00	0.00
	छुट्टी किराया रियायत	0.00	0.00	0.00
	कुल	**69463.58**	**89232.35**	**158695.93**

VII. जुर्माना/दंड/अपराधों का प्रशमन

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए जुर्माने/ दंड/ शमनीय शुल्क के विवरण	प्राधिकारी [आरडी/ एनसीएलटी/कोर्ट]	की गई अपील, यदि कोई हो
अ) कंपनी - आईडीबीआई बैंक लिमिटेड					
जुर्माना			शून्य		
दंड			शून्य		
शमन			शून्य		
आ) निदेशक					
जुर्माना			शून्य		
दंड			शून्य		
शमन			शून्य		
इ) चूक में अन्य अधिकारी					
जुर्माना			शून्य		
दंड			शून्य		
शमन			शून्य		

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा की गई घोषणा पर प्रकथन

आईडीबीआई बैंक लि. के स्वतंत्र निदेशकों श्री एस. रवि, श्री निनाद कर्पे, श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, डॉ. आशिमा गोयल और श्री भुवनचन्द्र बी जोशी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अनुसार 1 अप्रैल 2018 को घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) में उल्लिखित स्वतंत्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और निदेशक मंडल द्वारा 26 अप्रैल 2018 को इसे नोट किया गया.

निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी की नीति

निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक के संबंध में बैंक की नीति उसकी वेबसाइट पर क्रमशः https://www.idbi.com:8443/pdf/Directors-Appointment-and-Evaluation-Policy.PDF और https://www.idbi.com:8443/pdf/Remuneration-Policy-of-the-Bank.PDF लिंकों के अंतर्गत प्रदर्शित की गई है.

सचिवीय मानकों का अनुपालन

सचिवीय मानकों का अनुपालन बैंक ने कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अधिसूचित और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानकों यथा एसएस-1 (बोर्ड बैठकों पर सचिवीय मानक) और एसएस-2 (सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक) को अंगीकृत किया है. बैंक ने अपनी बोर्ड, समिति और सामान्य बैठकों का आयोजन इन मानकों के अनुसार तथा इनका अनुपालन करते हुए किया है.

आंतरिक लेखापरीक्षक

बैंक का अपना एक आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है जो आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य करता है. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 138 के अनुसार श्री एम. वी. फड़के, कार्यपालक निदेशक, आईडीबीआई बैंक को मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी नामित किया गया है.

लेखापरीक्षकों अथवा सचिवीय लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई प्रत्येक सापेक्षता, पूर्वधारणा अथवा प्रतिकूल अभियुक्ति अथवा दावात्याग पर बोर्ड की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एफ) के अनुसार सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट अथवा सचिवीय लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में से किसी में भी कोई ऐसी सापेक्षता, पूर्वधारणा अथवा प्रतिकूल अभियुक्ति अथवा दावात्याग नहीं है जिस पर बोर्ड की टिप्पणियों की आवश्यकता हो.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत ऋणों, गारंटियों अथवा निवेशों के विवरण

बैंकिंग कंपनी होने के कारण ऋणों, गारंटियों अथवा प्रतिभूतियों के अर्जन से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधान आईडीबीआई बैंक पर लागू नहीं हैं.

निर्धारित फॉर्म पर संबंधित पक्षकारों के साथ संविदा अथवा करार के विवरण

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एच) के अनुसार संबंधित पक्षकारों के साथ संविदा अथवा करार, यदि कोई हो, के विवरण निर्धारित फॉर्म एओसी-2 में नीचे दिए गए हैं :

एओसी-2

[अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में उल्लिखित संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा तृतीय परंतुक के अंतर्गत किए गए कुछ स्वतंत्र संव्यवहार सहित की गई संविदाओं/ करारों के विवरणों के प्रकटन हेतु फॉर्म

i. स्वतंत्र आधार के न होते हुए की गई संविदाओं अथवा करारों अथवा संव्यवहारों के विवरण

क्र. सं.	संबद्ध पक्षकार का नाम और संबंध का स्वरूप	संविदा/ करार/ संव्यवहार का स्वरूप	संविदा/ करार/ संव्यवहार की अवधि	मूल्य सहित संविदा अथवा करार अथवा संव्यवहार की प्रमुख शर्तें, यदि कोई हो	इस प्रकार की संविदा अथवा करार अथवा संव्यवहार करने का औचित्य	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख	अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो	धारा 188 के प्रथम परंतुक की अपेक्षा अनुसार महासभा में विशेष संकल्प पारित होने की तारीख
शून्य								

ii. स्वतंत्र आधार पर महत्वपूर्ण संविदाओं अथवा करारों अथवा संव्यवहारों के विवरण

क्र. सं.	संबद्ध पक्षकार का नाम और संबंध का स्वरूप	संविदा/ करार/ संव्यवहार का स्वरूप	संविदा/ करार/ संव्यवहार की अवधि	मूल्य सहित संविदा अथवा करार अथवा संव्यवहार की प्रमुख शर्तें, यदि कोई हो	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख (खें), यदि कोई हो (हों)	अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो
शून्य						

ह./-
महेश कुमार जैन
(डीआईएन -03513127)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
24 मई 2018

जोखिम प्रबंधन नीति के विकास और कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण

बैंक एक विस्तृत एवं व्यापक जोखिम प्रबंधन प्रणाली का पालन करता है जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक के समय-समय पर इस संबंध में जारी विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अद्यतित किया जाता है. बोर्ड की एक समर्पित जोखिम प्रबंधन समिति बासेल III मानदंडों के कार्यान्वयन सहित बैंक के जोखिम से संबंधित पहलुओं की नियमित रूप से समीक्षा करती है. बैंक का निदेशक मंडल भी आवधिक रूप से जोखिम मूल्यांकन तथा बैंक द्वारा अनुसरण की जा रही जोखिम आकलन तथा न्यूनीकरण प्रक्रियाओं और साथ ही बासेल III मानदंडों के अंतर्गत बैंक की पूंजी अपेक्षाओं की समीक्षा करता है.

वर्ष के दौरान सीएसआर नीति तथा उसके कार्यान्वयन संबंधी विवरण

कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियमावली, 2014 के अनुबंध के अंतर्गत निर्धारित फॉर्मेट में विवरण निम्नानुसार हैं:

सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट

1. प्रस्तावित परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण सहित बैंक की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा तथा सीएसआर नीति एवं परियोजनाओं या कार्यक्रमों के वेब-लिंक का संदर्भ

बैंक की सीएसआर नीति का उद्देश्य समाज के सुविधा वंचित वर्ग के लिए मूर्त, दृश्य तथा स्थायी बदलाव लाने एवं व्यापक रूप से समाज के कल्याण के लिए निरंतर सकारात्मक योगदान देने की इच्छा से संचालित है. अपने सीएसआर कार्यकलापों के संचालन में बैंक का उद्देश्य एक अच्छे कॉरपोरेट नागरिक और सामाजिक तौर पर जिम्मेदार संस्था के रूप में कार्य करना, समाज में व्याप्त विभेदों की पहचान करना और समाज की बेहतरी के लिए आवश्यकता आधारित अंशदान देना, बहुआयामी प्रभाव वाले विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए अल्पसुविधा प्राप्त समुदायों के टिकाऊ एवं समग्र विकास के लिए अंशदान करना और सक्रिय मध्यस्थता के जरिए सामुदायिक प्रतिष्ठा अर्जित करना है.

बैंक की सीएसआर नीति अन्य बातों के साथ-साथ स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, लैंगिक समानता एवं सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण, पर्यावरणीय स्थायित्व, खेलों के प्रोत्साहन और ग्रामीण विकास परियोजनाओं जैसे क्षेत्रों की मध्यस्थता करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है.

बैंक की सीएसआर नीति तथा परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की वेब-लिंक http://www.idbi.com/CSR-Policy.asp है.

2. **बोर्ड की सीएस आर समिति की संरचना: यथा 31 मार्च 2018 को सीएसआर समिति की संरचना निम्न तालिका में दी गई है:**

क्र. सं.	निदेशक	पदनाम
1.	श्री महेश कुमार जैन	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
2.	श्री के पी नायर	उप प्रबंध निदेशक
3.	श्री जी एम यादवाडकर	उप प्रबंध निदेशक
4.	श्री ज्ञान प्रकाश जोशी	स्वतंत्र निदेशक
5.	डॉ. आशिमा गोयल	स्वतंत्र निदेशक

3. **पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 15, वित्तीय वर्ष 16, वित्तीय वर्ष 17 में बैंक का औसत निवल लाभ:** पिछले तीन वित्तीय वर्षों में बैंक का औसत निवल लाभ/ हानि का जोड़ ₹ 2442 करोड़ हानि रहा है.

4. **विनिर्दिष्ट सीएसआर व्यय (उपर्युक्त मद सं. 3 की राशि का दो प्रतिशत):** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए किया जाने वाला सीएसआर व्यय (अर्थात् औसत निवल लाभ का 2%, जो कर घटाकर है परंतु इसमें भारत के बाहर की शाखाओं, चाहे वे अलग कंपनी के रूप में या अन्यथा परिचालित हों, से उत्पन्न लाभ शामिल नहीं होगा तथा भारत में अन्य कंपनियों से प्राप्त लाभांश जो पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अधिनियम की धारा 135 के प्रावधानों के अंतर्गत शामिल हैं तथा उनके अनुपालन में हैं) शून्य है.

5. **वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर व्यय का विवरण :**

(क) **वित्तीय वर्ष में व्यय की जाने वाली कुल राशि:** सीएसआर के तहत वित्तीय वर्ष में व्यय की जाने वाली कुल राशि शून्य है. तथापि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान मुख्यतः पिछले वर्षों से आगे लायी गई परियोजनाओं के लिए वचनबद्धताओं के लिए बैंक ने ₹ 1.36 करोड़ खर्च किए.

(ख) **व्यय न की गई राशि, यदि कोई हो:** लागू नहीं. वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सीएसआर बजट अनिवार्य नहीं है क्योंकि पिछले तीन वर्षों का औसत निवल लाभ नकारात्मक है.

(ग) **वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:**

1	2	3	4		5	6		7	8
क्र. सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना अथवा कार्यकलाप	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम		व्यय की गयी राशि (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रमवार (रुपये में)*	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि उप-शीर्ष (रुपये में)		रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से व्यय की गई राशि+
			(1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य	(2) जिला व राज्य विनिर्दिष्ट करें, जहाँ परियोजना या कार्यक्रम किए गए		(1) परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय	(2) अतिरिक्त व्यय#		
1	सामुदायिक क्रियाविधि को मजबूती देने और अन्य पहलुओं में क्षमता निर्माण के लिए सामुदायिक सहभागिता और स्वामित्व मॉडल के आधार पर लद्दाख क्षेत्र के तारु गाँव को 'आदर्श ग्राम' बनाने के लिए वित्तीय सहायता	ग्रामीण विकास परियोजनाओं को वित्त पोषण	अन्य	लेह, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर	3,55,00,000	1,11,051	0	3,53,64,478	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई, महाराष्ट्र

1	2	3	4		5	6		7	8
क्र. सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना अथवा कार्यकलाप	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम		व्यय की गयी राशि (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रमवार (रुपये में)*	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि उप-शीर्ष (रुपये में)		रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से व्यय की गई राशि+
			(1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य	(2) जिला व राज्य विनिर्दिष्ट करें, जहाँ परियोजना या कार्यक्रम किए गए		(1) परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय	(2) अतिरिक्त व्यय#		
2	नामची, सिक्किम में डिजाइनर मोमबत्तियों और अन्य स्थानीय हैंडीक्राफ्टों की मार्केटिंग हेतु एक शोरूम की स्थापना के लिए और तीन वर्ष तक की इसकी पोरिचालन लागत में सहयोग करने के लिए वित्तीय सहायता	शिक्षा को बढ़ावा देना एवं आजीविका वृद्धि परियोजना	अन्य	नामची, सिक्किम	16,90,000	2,00,000	0	16,90,000	पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम, गुवाहाटी, असम
3	तीन वर्ष की अवधि में नियोजित हस्तक्षेपों के द्वारा मोरीगाँव जिले के आमकोटा गाँव का एक आदर्श ग्राम के रूप में विकास	ग्रामीण विकास परियोजनाओं को वित्त पोषण	अन्य	मोरीगाँव,असम	35,55,200	5,64,090	0	35,55,200	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि, गुवाहाटी, असम
4	तीन वर्ष की अवधि के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत वडोदरा जिले के करनाली समूह पंचायत के चार गाँवों में कौशल विकास कार्यक्रम और नए माइक्रो उपक्रम को सक्रिय सहायता के लिए वित्तीय सहायता	शिक्षा को बढ़ावा देना एवं आजीविका वृद्धि परियोजना	अन्य	वडोदरा, गुजरात	60,75,000	13,20,806	0	38,29,476	भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, अहमदाबाद, गुजरात
5	एक वर्ष की अवधि के लिए सम्पूर्ण संरचना और चिकित्सा उपकरण के साथ दस मोटरसाइकल प्रथम उत्तरदाता वाहन (बाइक एम्बुलेन्स) की खरीद और परिचालनगत व्यय के लिए वित्तीय सहायता	स्वास्थ्य देखरेख को बढ़ावा देना एवं गरीबी उन्मूलन परियोजना	अन्य	मुंबई, महाराष्ट्र	1,67,00,000	13,01,432	3,05,437	16,06,869	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मुंबई, महाराष्ट्र
6	तारुगाँव, लद्दाख में आईडीबीआई टीआईएसएस लद्दाख परियोजना के तहत बाढ़ क्षतिग्रस्त कार्य के लिए अनुपूरक वित्तीय सहायता	ग्रामीण विकास परियोजनाओं को वित्त पोषण	अन्य	लेह, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर	8,92,000	8,92,000	0	8,92,000	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई, महाराष्ट्र

1	2	3	4		5	6		7	8
क्र. सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना अथवा कार्यकलाप	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम		व्यय की गयी राशि (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रमवार (रुपये में)*	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि उप-शीर्ष (रुपये में)		रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से व्यय की गई राशि+
			(1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य	(2) जिला व राज्य विनिर्दिष्ट करें, जहाँ परियोजना या कार्यक्रम किए गए		(1) परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय	(2) अतिरिक्त व्यय#		
7	यवतमाल जिला, महाराष्ट्र में रालेगाँव प्रखण्ड के सोनुरली एवं वालनगर गाँव के चौथे जलसंभर विकास कार्यक्रम के संचालन हेतु वित्तीय सहायता	पर्यावरणीय धारणीयता परियोजना सुनिश्चित करना	स्थानीय	यवतमाल, महाराष्ट्र	10,00,000	5,00,000	0	10,00,000	दिलासा संस्था, यवतमाल, महाराष्ट्र
8	मिज़ोरम के सइहा जिले में मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए अक्षमता अनुकूल विशेष स्कूल के बचे हुए हिस्से का निर्माण कार्य पूर्ण करने और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता	शिक्षा को बढ़ावा देना एवं आजीविका वृद्धि परियोजना	अन्य	सइहा, मिज़ोरम	30,00,000	12,00,000	0	24,00,000	मारा, टी.टी. चाको एंड अब्राहम चैरिटेबल ट्रस्ट, सइहा, मिज़ोरम
9	आँखों की देखभाल के लिए गुणवत्तापूर्ण प्राथमिकता सेवाएँ प्रदान करने हेतु रांची की झुग्गी-झोपड़ियों में नेत्रों की देखभाल पहल कार्य के लिए वित्तीय सहायता	स्वास्थ्य देखरेख को बढ़ावा देना एवं गरीबी उन्मूलन परियोजना	अन्य	रांची, झारखंड	23,29,000	9,31,600	0	23,29,000	रॉयल कॉमनवेल्थ सोसाइटी फॉर द ब्लाइंड (साइटसेवर्स) नई दिल्ली
10	महाराष्ट्र के नांदेड़ और उस्मानाबाद जिलों में पानी ले जाने के लिए 600 ग्रामीण महिलाओं को वॉटर व्हील प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता	लैंगिक समानता को बढ़ावा देना एवं सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण	स्थानीय	नांदेड़ और उस्मानाबाद, महाराष्ट्र	23,50,000	11,70,500	0	23,45,500	हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंडिया ट्रस्ट मुंबई, महाराष्ट्र
11	एक वर्ष की अवधि हेतु 46 छात्रों के लिए फ्री स्टूडेंट होम, लखनऊ को वित्तीय सहायता	शिक्षा को बढ़ावा देना एवं आजीविका वृद्धि परियोजना	अन्य	लखनऊ, उत्तर प्रदेश	13,80,000	10,35,000	0	13,80,000	एआईएम फॉर सेवा, चेन्नई, तमिलनाडु
12	निम्न के लिए वित्तीय सहायता : (i) चरण II में 6 बेड वाले जनरल वार्ड की स्थापना, (ii) 40 वंचित/आर्थिक रूप से कमजोर रोगियों का उपचार, (iii) 25 रोगियों के लिए भर्ती सुविधाओं के साथ प्रशामक चिकित्सा इकाई.	स्वास्थ्य देखरेख को बढ़ावा देना एवं गरीबी उन्मूलन परियोजना	अन्य	कोलकाता, पश्चिम बंगाल	1,25,00,000	25,00,000	0	1,25,00,000	टाटा स्वास्थ्य केंद्र, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
13	बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रभावित जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं को वितरित करने के लिए वित्तीय सहायता	स्वास्थ्य देखरेख को बढ़ावा देना एवं गरीबी उन्मूलन परियोजना	अन्य	बिहार	10,00,000	10,00,000	0	10,00,000	मुख्यमंत्री राहत कोष, बिहार.

1	2	3	4		5	6		7	8
क्र. सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना अथवा कार्यकलाप	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम		व्यय की गयी राशि (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रमवार (रुपये में)*	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि उप-शीर्ष (रुपये में)		रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से व्यय की गई राशि+
			(1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य	(2) जिला व राज्य विनिर्दिष्ट करें, जहाँ परियोजना या कार्यक्रम किए गए		(1) परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय	(2) अतिरिक्त व्यय#		
14	सतना सिटी टाउन हॉल लाइब्रेरी के लिए पांच डेस्कटॉप कंप्यूटर और सरकारी उच्च विद्यालय, इतमा के लिए दो डेस्कटॉप कंप्यूटर के खरीद के लिए वित्तीय सहायता	शिक्षा को बढ़ावा देना एवं आजीविका वृद्धि परियोजना	अन्य	सतना, मध्यप्रदेश	2,50,750	2,12,500	38,250	2,50,750	सतना सिटी टाउन हॉल लाइब्रेरी एवं सरकारी उच्च विद्यालय, सतना, मध्यप्रदेश
15	रिजर्व प्रभार प्रणाली (आरसीएम) गैर-सेनवैट के अंतर्गत प्रदत्त सेवा कर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0	3,01,071	3,01,071	सेनवैट.
	कुल				8,82,21,950	1,29,38,979	6,44,758	7,04,44,344	

*- निरसन घटाने के बाद निवल राशि

+ - कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी का पंजीकृत कार्यालय पता

- वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)

6. यदि बैंक विगत तीन वित्तीय वर्षों या उनके किसी भाग के औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत व्यय करने में असफल रहता है तब कंपनी को अपने बोर्ड की रिपोर्ट में राशि व्यय न करने के कारण बताने होंगे.

कंपनी अधिनियम 2013 में दिये गए विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुरूप आईडीबीआई बैंक को वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान सीएसआर के अंतर्गत कोई व्यय उपगत करने की आवश्यकता नहीं है. तथापि एक तत्पर तथा सामाजिक रूप से जिम्मेदार संस्था के रूप में बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान विभिन्न सीएसआर योजनाओं के अंतर्गत ₹ 1.36 करोड़ का व्यय किया है.

7. सीएसआर समिति का दायित्व कथन कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों एवं नीतियों के अनुपालन में है.

आईडीबीआई बैंक की सीएसआर समिति घोषित करती है कि सीएसआर नीति, इसका कार्यान्वयन तथा निगरानी अक्षरशः बैंक के सीएसआर उद्देश्यों के अनुपालन में है.

ह/-
महेश कुमार जैन
(डीआईएन - 03513127)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
25 मई 2018

बोर्ड, इसकी समितियों और वैयक्तिक निदेशकों के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन के तरीके की सूचना का विवरण

कंपनी (लेखा) विनियमावली, 2014 के नियम 8(4) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (पी) के अनुसार उपर्युक्त विषय पर ब्योरे नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:

(i) स्वतंत्र निदेशकों की समिति (आईडीसी) ने दिनांक 26 अप्रैल 2018 को संपन्न अपनी बैठक में बोर्ड की बैठकों के अध्यक्ष सहित सभी गैर-स्वतंत्र निदेशकों के कार्य-निष्पादन और समग्र रूप से बोर्ड के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया.

(ii) बोर्ड ने दिनांक 26 अप्रैल 2018 को संपन्न अपनी बैठक में बोर्ड के सभी निदेशकों (एमडी एवं सीईओ, उप प्रबंध निदेशक तथा सरकारी निदेशकों को छोड़कर जिनके कार्य निष्पादन की समीक्षा भारत सरकार द्वारा की जाती है) के कार्य-निष्पादन, स्वयं के कार्य-निष्पादन के साथ-साथ बोर्ड की समितियों के कार्यनिष्पादन का भी मूल्यांकन किया. बोर्ड द्वारा जिन निदेशकों का मूल्यांकन किया गया ऐसे संबंधित निदेशकों ने अपने मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान बैठक में भाग नहीं लिया.

आईडीसी और बोर्ड द्वारा वार्षिक मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ वैयक्तिक निदेशकों, बोर्ड की समितियों और बोर्ड के संबंध में निरंक मूल्यांकन शीटें ईमेल के साथ-साथ हार्ड प्रतियों के माध्यम से वैयक्तिक निदेशकों को अग्रिम रूप में प्रेषित की गईं ताकि वे अग्रिम रूप में अपना अभिमत बना सकें और संबंधित बैठकों में मूल्यांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में सहायता मिल सके. संबंधित बैठकों के अध्यक्ष ने मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के पश्चात आईडीसी और बोर्ड की ओर से मूल्यांकन शीटों पर हस्ताक्षर किए.

कारोबार के स्वरूप में परिवर्तन, यदि कोई हो

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने बैंकिंग के कारोबार को जारी रखा और इसके कारोबार के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ. बैंक ने त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई के अंतर्गत दिये गए आरबीआई के निदेशों का अनुपालन किया है.

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान नियुक्त होने और त्यागपत्र देने वाले निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का विवरण

निदेशकों के नाम	नियुक्ति/त्यागपत्र/सेवासमाप्ति	दिनांक
सुश्री नीरू अबरोल, अतिरिक्त निदेशक	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के प्रावधानों के अनुसार बैंक की 13वीं वार्षिक महा सभा अर्थात् दिनांक 18 जुलाई 2017 से निदेशक नहीं रहीं.	18.07.2017
डॉ. आशिमा गोयल, स्वतंत्र निदेशक	दिनांक 28 अप्रैल 2017 को हुई बोर्ड बैठक द्वारा बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में तथा दिनांक 18 जुलाई 2017 को आयोजित 13वीं वार्षिक महा सभा में शेयरधारक द्वारा स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त.	28.04.2017
श्री भुवनचन्द्र बी. जोशी, अतिरिक्त निदेशक	बोर्ड द्वारा दिनांक 9 अक्तूबर 2017 को आयोजित अपनी बैठक में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त	09.10.2017

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के नाम	नियुक्ति/त्यागपत्र/सेसेशन	दिनांक
श्रीमती पद्मा बेताई, सीएफ़ओ	सेसेशन	03.07.2017
श्री अजय शर्मा, सीएफ़ओ	नियुक्ति	03.07.2017
श्री पोथुकुची सीताराम, कार्यपालक निदेशक एवं सीसीओ	नियुक्ति	21.03.2018
श्रीमती मैथिली बालसुब्रमणियन, कार्यपालक निदेशक	नियुक्ति	21.03.2018
श्री अभय लक्ष्मण बोंगिरवार, कार्यपालक निदेशक	नियुक्ति	21.03.2018
श्री गोपालकृष्ण अन्नाजी तड़स, कार्यपालक निदेशक	नियुक्ति	21.03.2018
डॉ. सौम्य शंकर बॅनर्जी, कार्यपालक निदेशक	नियुक्ति	21.03.2018
श्री सुरेश किशनचंद खटनहार, कार्यपालक निदेशक	नियुक्ति	21.03.2018
श्री इंद्रपाल सिंह कालरा, कार्यपालक निदेशक	नियुक्ति	21.03.2018
श्री माधव बसंत फड़के, कार्यपालक निदेशक	नियुक्ति	21.03.2018
श्री सुब्रतो गुप्ता, कार्यपालक निदेशक	नियुक्ति	21.03.2018
श्री अजय नाथ झा, मुमप्र एवं सीआरओ	नियुक्ति	21.03.2018
श्रीमती माया चक्रवर्ती, मुमप्र	नियुक्ति	21.03.2018

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक की बनने वाली या न रहने वाली सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों के नाम

सहायक कंपनियों के नाम	बनने वाली/ न रहने वाली	दिनांक
	शून्य	

सहयोगी कंपनियों के नाम	बनने वाली/ न रहने वाली	दिनांक
एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	न रहने वाली	15.02.2018

संयुक्त उद्यमों के नाम	बनने वाली/ न रहने वाली	दिनांक
	शून्य	

कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय V के अधीन शामिल जमाराशियों से संबंधित विवरण और उन जमाराशियों के विवरण जो इस अधिनियम के अध्याय V की अपेक्षाओं के अनुपालन में नहीं हैं.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73(1) के परंतुक के अनुसार इस उप-धारा का कोई भी अंश बैंकिंग कंपनी पर लागू नहीं होगा, अतः उपर्युक्त विवरण के प्रकटन की अपेक्षा आईडीबीआई बैंक पर लागू नहीं है.

चालू प्रतिष्ठान स्थिति और भविष्य में कंपनी के परिचालनों को प्रभावित करने वाले विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित सार्थक और महत्वपूर्ण आदेशों के विवरण

विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया जो आईडीबीआई बैंक की चालू प्रतिष्ठान की स्थिति और भविष्य में बैंक के परिचालनों को प्रभावित करते हैं.

स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित / प्रतिनियुक्त किया गया. इस संबंध में विस्तृत ब्योरे बैंक की वेबसाइट (www.idbi.com) पर निम्न लिंक के अंतर्गत दिए गए हैं:

बैंक की वेबसाइट >Secretarial Disclosures>Secretarial Disclosures Section> Familiarisation Programme for Directors

सतर्कता प्रणाली की स्थापना

बैंक ने सांविधिक/ विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन में बोर्ड द्वारा अनुमोदित सतर्कता प्रणाली स्थापित की है. सतर्कता प्रणाली पर रिपोर्ट नियमित आधार पर बोर्ड को प्रस्तुत की जा रही है. वित्तीय वर्ष 2017 -18 के दौरान किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति से संपर्क करने से नहीं रोका गया. बैंक द्वारा सतर्कता प्रणाली नीति का प्रकटन अपनी वेबसाइट (www.idbi.com) पर निम्न लिंक के अंतर्गत किया गया है जिसमें सतर्कता प्रणाली की स्थापना के ब्योरे दिए गए हैं:

https://www.idbi.com:8443/secretarial-disclosures.asp

महत्वपूर्ण सहायक संस्थाओं के निर्धारण हेतु नीति

एलओडीआर विनियमावली के विनियम 46 की अपेक्षाओं के अनुसार महत्वपूर्ण सहायक संस्थाओं के निर्धारण के लिए नीति बैंक की वेबसाइट - www.idbi.com पर निम्नलिखित लिंक के अंतर्गत दी गई है:

https://www.idbi.com:8443/secretarial-disclosures.asp

संबद्ध पक्ष लेनदेन से संव्यवहार पर नीति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के प्रावधान तथा एलओडीआर विनियमनों के विनियमन 23 के अनुसार बैंक ने संबद्ध पक्ष लेनदेन से संव्यवहार हेतु नीति बनाई है.

संबद्ध पक्ष लेनदेन से संव्यवहार हेतु नीति बैंक की वेबसाइट (www.idbi.co.in) पर निम्नलिखित लिंक पर दी गई है:

https://www.idbi.com:8443/secretarial-disclosures.asp

व्यापक रूप से सूचीबद्ध संस्था के हितों से संभावित टकराव वाले भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबद्ध पक्ष लेन-देनों पर प्रकटन

सूचीबद्धता विनियमावली की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 के अनुसार यह पुष्टि की जाती है कि वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक ने भौतिक रूप से महत्वपूर्ण ऐसा कोई संबद्ध पक्ष लेन-देन नहीं किया है जिससे बैंक के हितों से किसी प्रकार के टकराव की संभावना हो.

पण्य मूल्य जोखिमों अथवा विदेशी मुद्रा एवं पण्य हेजिंग कार्यकलापों का प्रकटन

बैंक विनियामकों द्वारा निर्दिष्ट दिशानिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार पण्य मूल्य जोखिमों अथवा विदेशी मुद्रा एवं पण्य हेजिंग कार्यकलापों के संबंध में संबंधित उपबंधों का अनुपालन करता है.

लेखांकन व्यवहार का प्रकटन

एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 के प्रावधानों के अनुसार यह पुष्टि की जाती है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में लेखांकन मानदंड में निर्धारित विधियों से अलग कोई भी विधि नहीं अपनायी गई है. अतः इस संबंध में प्रबंधन की ओर से कोई भी स्पष्टीकरण अपेक्षित नहीं है.

निदेशकों के पारिश्रमिक

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशक, जिनकी नियुक्तियां भारत सरकार द्वारा की जाती हैं, के पारिश्रमिक एवं परिलब्धियां सरकार द्वारा तय की जाती हैं. एमडी एवं सीईओ और उप प्रबंध निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक का विवरण तालिका 3 में दिया गया है. समीक्षाधीन अवधि के दौरान गैर-कार्यपालक निदेशकों के बैंक के साथ कोई आर्थिक संबंध/लेनदेन नहीं रहे हैं.

तालिका 3 : एमडी एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशक के पारिश्रमिक के घटक

वेतन और भत्ते (सरकारी आदेशों के अनुसार) (महंगाई भत्ता दर 01.07.2017 के अनुसार)	श्री महेश कुमार जैन, एमडी एवं सीईओ - वेतन ₹ 2,17,900/- प्रति माह और 5% की दर से ₹ 10,895/- महंगाई भत्ता, कुल ₹ 2,28,795/- श्री के पी नायर, डीएमडी - वेतन ₹ 1,82,100/- प्रति माह और 5% की दर से ₹ 9,105/- महंगाई भत्ता, कुल ₹ 1,91,205/- श्री जी एम यादवाडकर, डीएमडी - वेतन ₹ 1,82,100/- प्रति माह और 5% की दर से ₹ 9,105/- महंगाई भत्ता, कुल ₹ 1,91,205/-
आतिथ्य	एमडी एवं सीईओ और उप प्रबंध निदेशक, दोनों के संबंध में प्रत्येक के लिए ₹ 6000 प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा के अधीन वास्तविक आतिथ्य (क्लब की सदस्यता उपर्युक्त अधिकतम सीमा के भीतर समायोज्य).
आवास	एमडी एवं सीईओ और उप प्रबंध निदेशक दोनों को किराया-मुक्त सुसज्जित आवास.
वाहन व्यय	कार्यालयीन उद्देश्यों के लिए बैंक की कार का निःशुल्क उपयोग.
छुट्टी यात्रा रियायत	एमडी एवं सीईओ और डीएमडी दोनों के लिए आधिकारिक दौरे हेतु लागू पात्रता श्रेणी के अनुसार स्वयं एवं परिवार के लिए भारत में किसी भी स्थान की यात्रा के लिए 2 वर्षों के ब्लॉक में एक बार.
पेंशन	बैंक, जहां वे कैरियर पद पर रहे हैं, के नियमों और विनियमों के अनुसार कैरियर पद में (बोर्ड स्तर से नीचे) स्वीकार्य पेंशन, यदि कोई है, प्राप्त करने के लिए पात्र हैं.
ग्रेच्युटी	एमडी एवं सीईओ / डीएमडी के रूप में सेवा के प्रत्येक पूर्ण किए वर्ष अथवा छः माह से अधिक की सेवा के लिए आधे माह के वेतन की दर से.
कार्यकाल	श्री महेश कुमार जैन - भारत सरकार की दिनांक 18 मार्च 2017 की अधिसूचना सं. एफ.सं. 13/8/(2)2015-बीओ.I द्वारा एमडी एवं सीईओ के रूप में नियुक्त. श्री जैन ने एमडी एवं सीईओ के रूप में कार्यभार 3 अप्रैल 2017 को ग्रहण किया. श्री के पी नायर - भारत सरकार की दिनांक 15 सितंबर 2016 की अधिसूचना सं.एफ.सं.4/5/(7)/2016-बीओ.I द्वारा पद के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 31 मई 2019 तक की अवधि अर्थात अधिवर्षिता की तारीख अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त. श्री नायर ने 15 सितंबर 2016 को कार्यभार ग्रहण किया. श्री जी एम यादवाडकर - भारत सरकार की दिनांक 15 सितंबर 2016 की अधिसूचना सं.एफ.सं.4/5/(7)/2016-बीओ.I द्वारा पद के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष तक की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त. श्री यादवाडकर ने 15 सितंबर 2016 को कार्यभार ग्रहण किया.

अन्य स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड / समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बोर्ड, ईसी और एसीबी के लिए प्रति बैठक ₹ 20,000/- की दर से और बोर्ड समिति की अन्य बैठकों के लिए प्रति बैठक ₹ 10,000/- की दर से केवल बैठक फीस अदा की गई. एमडी एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशकों को पारिश्रमिक और स्वतंत्र निदेशकों को बैठक फीस के अलावा आपके बैंक द्वारा निदेशकों को उनकी यात्रा, रहने तथा परिवहन पर हुए खर्च को छोड़कर और कोई पारिश्रमिक अदा नहीं किया गया.

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए स्वतंत्र निदेशकों को प्रदत्त बैठक शुल्क की कुल राशि का विवरण नीचे दिया गया है :

स्वतंत्र निदेशक का नाम	वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रदत्त बैठक शुल्क (₹)
श्री एस. रवि	14,00,000
श्री निनाद कर्पे	11,60,000
श्री ज्ञान प्रकाश जोशी	8,60,000
डॉ. आशिमा गोयल (28/04/2017 से)	5,50,000
श्री भुवनचन्द्र बी. जोशी (09/10/2017 से)	2,00,000
सुश्री नीरू अबरोल [18.07.17 तक]	3,20,000

कंपनी (प्रबंधकीय अधिकारी की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 के अधीन प्रकटन

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशकों, जिनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है, के पारिश्रमिक का निर्धारण भारत सरकार के मानदंडों के अनुरूप पारिश्रमिक में लागू वृद्धि सहित भारत सरकार के वेतनमानों के अनुसार भारत सरकार द्वारा किया जाता है. उपर्युक्त पैरा में उल्लेख किए अनुसार बोर्ड के अन्य निदेशकों को बैठक शुल्क के अलावा कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं मिलता है. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) अर्थात मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव सहित बैंक के अन्य कर्मचारियों को बैंक के समान ग्रेड के अधिकारियों के लिए लागू तथा सरकारी क्षेत्र के मानदंडों के अनुसार पारिश्रमिक में लागू वृद्धि के साथ बैंक द्वारा अपनाए गए सरकारी क्षेत्र के वेतनमानों के अनुसार पारिश्रमिक मिलता है. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों सहित कर्मचारियों के वेतनमान में आवधिक संशोधन का संबंध बैंक के कार्य-निष्पादन सहित अन्य कारकों से जुड़ा होता है. बैंक ने कोई एफ़पीओ नहीं जारी किया है, अतः बैंक के शेयरों के बाजार कोटेशन की कोई तुलना संभव नहीं है. तथापि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बैंक के शेयरों के बाजार मूल्य, वित्तीय अनुपात आदि का प्रकटन वार्षिक रिपोर्ट में किया गया है. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों तथा एमडी एवं सीईओ/ डीएमडी, जो भारत सरकार के वेतनमानों के अनुसार वेतन प्राप्त कर रहे हैं, सहित कर्मचारियों के पारिश्रमिक के संबंध में कोई परिवर्ती वेतन अवधारणा लागू नहीं है. 31 मार्च 2018 को बैंक के रोल पर कर्मचारियों की संख्या 17,475 थी जिसमें 356 कर्मचारी संविदा आधार पर थे तथा अन्य सभी कर्मचारी स्थायी थे. इस बात की भी पुष्टि की जाती है कि पारिश्रमिक बैंक की पारिश्रमिक नीति के अनुसार है और प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक तथा माध्यिका कर्मचारी के पारिश्रमिक का अनुपात और अन्य विवरण ऊपर किए गए प्रकटन के आधार पर हैं तथा ये कंपनी (प्रबंधकीय अधिकारी की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के अनुपालन में हैं.

महासभा की बैठकें

(i) वार्षिक महासभा का विवरण

बैंक की पिछली वार्षिक महासभा (एजीएम) 18 जुलाई 2017 को हुई थी. आईडीबीआई बैंक लि. की वार्षिक महासभाओं का विवरण तालिका 4 में दिया गया है.

तालिका 4 : आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की वार्षिक महासभाओं का विवरण

पिछली 3 वार्षिक महासभाओं के आयोजन का स्थान और समय	1) 12 अगस्त 2015 को अपराहन 3.30 बजे यशवंतराव चव्हाण सेंटर ऑडिटोरियम, जन. जगन्नाथराव भोंसले मार्ग, मुंबई - 400 021 (आपके बैंक की 11वीं वार्षिक महासभा).
	2) 22 जुलाई 2016 को अपराह्न 3.30 बजे यशवंतराव चव्हाण सेंटर ऑडिटोरियम, जन. जगन्नाथराव भोंसले मार्ग, मुंबई - 400 021 (आपके बैंक की 12वीं वार्षिक महासभा).
	3) 18 जुलाई 2017 को अपराह्न 3.30 बजे यशवंतराव चव्हाण सेंटर ऑडिटोरियम, जन. जगन्नाथराव भोंसले मार्ग, मुंबई - 400 021 (आपके बैंक की 13वीं वार्षिक महासभा).
क्या पिछली 3 वार्षिक महासभाओं में विशेष संकल्प पारित किए गए थे	**11वीं वार्षिक महासभा के लिए** बैंक की 12 अगस्त 2015 को संपन्न 11वीं वार्षिक महासभा में (i) बैंक की पूंजी जुटाने और इस संबंध में विनिर्दिष्ट निर्णय लेने के लिए बोर्ड को अधिकार प्रदान करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के अधीन शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करने, (ii) निजी नियोजन/ सार्वजनिक निर्गम के जरिए एकल या एक से अधिक भाग में सीनियर/ इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, बासेल III अनुपालित टीयर II बॉन्ड/ अतिरिक्त टीयर I बॉन्ड के रूप में ₹ 20,000 करोड़ तक जुटाने के लिए निदेशक मंडल को अधिकार प्रदान करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के अधीन शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने और (iii) बैंक के संस्था के अंतर्नियम में परिवर्तन के लिए विशेष संकल्प पारित किए गए. **12वीं वार्षिक महासभा के लिए** बैंक की 22 जुलाई 2016 को संपन्न 12वीं वार्षिक महासभा में (i) ₹ 8,000 करोड़ (प्रीमियम राशि सहित) तक बैंक की पूंजी जुटाने और इस संबंध में विनिर्दिष्ट निर्णय लेने के लिए बोर्ड को अधिकार प्रदान करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के अधीन शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करने, (ii) निजी नियोजन/ सार्वजनिक निर्गम के जरिए एकल या एक से अधिक भाग में सीनियर/ इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, बासेल III अनुपालित टीयर II बॉन्ड/ अतिरिक्त टीयर I बॉन्ड के रूप में ₹ 20,000 करोड़ तक जुटाने के लिए निदेशक मंडल को अधिकार प्रदान करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के अधीन शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने और (iii) श्री एस. रवि को चार वर्षों की अंतिम अवधि के लिए बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त करने (iv) श्री निनाद कर्पे को चार वर्षों की अंतिम अवधि के लिए बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त करने (v) बैंक के प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि और बैंक के संस्था के अंतर्नियम में परिवर्तन के लिए विशेष संकल्प पारित किए गए.

	13वीं वार्षिक महासभा के लिए बैंक की 18 जुलाई 2017 को संपन्न 13वीं वार्षिक महासभा में (i) ₹ 5,000 करोड़ (प्रीमियम राशि सहित) तक बैंक की पूंजी जुटाने और इस संबंध में विनिर्दिष्ट निर्णय लेने के लिए बोर्ड को अधिकार प्रदान करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के अधीन शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करने, (ii) निजी नियोजन/ सार्वजनिक निर्गम के जरिए एकल या एक से अधिक भाग में सीनियर/ इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, बासेल III अनुपालित टीयर II बॉन्ड/ अतिरिक्त टीयर I बॉन्ड के रूप में ₹ 5,000 करोड़ तक जुटाने के लिए निदेशक मंडल को अधिकार प्रदान करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के अधीन शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने, (iii) बैंक के संस्था अंतर्नियम में परिवर्तन करने और (iv) डॉ. आशिमा गोयल को दिनांक 28 अप्रैल 2017 से 4 वर्षों के लिए बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए विशेष संकल्प पारित किए गए.
क्या गत वर्ष डाक मतदान के ज़रिए कोई विशेष संकल्प पारित किया गया था - मतदान पद्धति का ब्योरा	हाँ. (i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के अंतर्गत दिनांक 04 अक्तूबर 2017 को अधिमान्य आबंटन आधार पर भारत सरकार को ₹ 1861 करोड़ तक के सकल राशि के इक्विटी शेयरों को प्रस्तावित करने, जारी करने और आबंटित करने के लिए और (ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के अंतर्गत दिनांक 21 फरवरी 2018 को अधिमान्य आबंटन आधार पर भारत सरकार को ₹ 2729 करोड़ तक के सकल राशि के इक्विटी शेयरों को प्रस्तावित करने, जारी करने और आबंटित करने के लिए दो विशेष संकल्प पारित किए गए.
व्यक्ति, जिसने डाक मतदान का कार्य संचालित किया	मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कं. की कंपनी सचिव श्रीमती अपर्णा गाडगिल
क्या कोई विशेष संकल्प डाक मतदान के माध्यम से पारित करने का प्रस्ताव है.	हाँ. आईडीबीआई बैंक ने 21 मई 2018 को डाक मतदान प्रक्रिया के जरिये शेयरधारकों से निम्नलिखित के लिए अनुमोदन प्राप्त किया: (i) भारत सरकार को ₹ 7881 करोड़ मूल्य के इक्विटी शेयरों के अधिमान्य निर्गम हेतु; तथा (ii) प्राधिकृत पूंजी ₹ 4500 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 8000 करोड़ करने हेतु.

डाक मतपत्र के माध्यम से पारित संकल्प और उसकी प्रक्रिया

आपके बैंक ने विशेष संकल्प (i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के अंतर्गत दिनांक 04 अक्तूबर 2017 को अधिमान्य आबंटन आधार पर भारत सरकार को ₹ 1861 करोड़ तक के सकल राशि के इक्विटी शेयरों को प्रस्तावित करने, जारी करने और आबंटित करने के लिए, और (ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के अंतर्गत दिनांक 21 फरवरी 2018 को अधिमान्य आबंटन आधार पर भारत सरकार को ₹ 2729 करोड़ तक के सकल राशि के इक्विटी शेयरों को प्रस्तावित करने, जारी करने और आबंटित करने के लिए डाक मतपत्र के माध्यम से अपने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त कर प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है.

	दिनांक 4 अक्तूबर 2017 को डाक मतपत्र के माध्यम से पारित विशेष संकल्प	दिनांक 21 फरवरी 2018 को डाक मतपत्र के माध्यम से पारित विशेष संकल्प
मांगे गए अनुमोदन	विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारको का अनुमोदन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के अंतर्गत अधिमान्य आबंटन आधार पर भारत सरकार को ₹ 1861 करोड़ तक के सकल राशि के इक्विटी शेयरों को प्रस्तावित करने, जारी करने और आबंटित करने के लिए, प्राप्त किया गया था.	विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारको का अनुमोदन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के अंतर्गत अधिमान्य आबंटन आधार पर भारत सरकार को ₹ 2729 करोड़ तक के सकल राशि के इक्विटी शेयरों को प्रस्तावित करने, जारी करने और आबंटित करने के लिए, प्राप्त किया गया था.
संवीक्षक	बोर्ड के निदेशक मंडल ने दिनांक 14 अगस्त 2017 की अपनी बैठक में मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कं. की कंपनी सचिव, श्रीमती अपर्णा गाडगिल को डाक मतपत्र मतदान प्रक्रिया का आयोजन करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया था.	बोर्ड के निदेशक मंडल ने दिनांक 15 जनवरी 2018 की अपनी बैठक में मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कं. की कंपनी सचिव, श्रीमती अपर्णा गाडगिल को डाक मतपत्र मतदान प्रक्रिया का आयोजन करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया था.
नोटिस की तारीख	21 अगस्त 2017	16 जनवरी 2018
डाक मतपत्र फॉर्म प्राप्त करने की अंतिम तारीख	4 अक्तूबर 2017	21 फरवरी 2018
संवीक्षक रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण	संवीक्षक ने दोनों भौतिक मतपत्र तथा ई- मतदान के माध्यम से 860 मतपत्र प्राप्त किए थे. सर्वेक्षण में शामिल 2,12,48,95,089 मतदान में से 2,12,48,86,025 मतदान जो कि कुल मतदान का 99.99% है, संकल्प के पक्ष में थे और 9,064 मतदान जोकि कुल मतदान का 0.01% है, संकल्प के विपक्ष में डाले गए थे.	संवीक्षक ने दोनों भौतिक मतपत्र तथा ई- मतदान के माध्यम से 1141 मतपत्र प्राप्त किए थे. सर्वेक्षण में शामिल 2,42,77,60,576 मतदान में से 2,42,77,33,514 मतदान जो कि कुल मतदान का 99.99% है, संकल्प के पक्ष में थे और 27,062 मतदान जोकि कुल मतदान का 0.01% है, संकल्प के विपक्ष में डाले गए थे.

	दिनांक 05 अक्तूबर 2017 की संवीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, संकल्प को अपेक्षित बहुमत के साथ पारित किया गया था. डाक मतपत्र के परिणाम को गुरुवार, दिनांक 05 अक्तूबर 2017 को चेयरमैन द्वारा घोषित किया गया था और बैंक की वेबसाइट, आरटीए, अर्थात् कार्वी पर प्रदर्शित किया गया था. इसे बीएसई और एनएसई जैसे उन स्टॉक एक्सचेंजों में भी प्रदर्शित किया गया था, जहां आपके बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं.	दिनांक 22 फरवरी 2018 की संवीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, संकल्प को अपेक्षित बहुमत के साथ पारित किया गया था. डाक मतपत्र के परिणाम को शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी 2018 को चेयरमैन द्वारा घोषित किया गया था और बैंक की वेबसाइट, आरटीए, अर्थात् कार्वी पर प्रदर्शित किया गया था. इसे बीएसई और एनएसई जैसे उन स्टॉक एक्सचेंजों में भी प्रदर्शित किया गया था, जहां आपके बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं.
ई-वोटिंग सुविधा	आपके बैंक ने उपर्युक्त दोनों ही डाक मतपत्र के लिए सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने में सक्षम बनाने के लिए वैकल्पिक विकल्प के रूप में ई-वोटिंग का प्रस्ताव दिया था.	

(ii) असाधारण महासभा का विवरण

5 : आईडीबीआई बैंक लि. की असाधारण महासभा का विवरण

	27 अप्रैल 2017 को आयोजित ईजीएम
ईजीएम का स्थान और समय	27 अप्रैल 2017 को यशवंतराव चव्हाण ऑडिटोरियम जन. जगन्नाथराव भोसले मार्ग, मुंबई-400021 में प्रातः 11.00 बजे.
मांगे गए अनुमोदन	₹ 76.77 प्रति शेयर (₹ 66.77 प्रति इक्विटी शेयर प्रीमियम सहित) कीमत पर कुल ₹1900 करोड़ के बैंक के 24,74,92,510 की इक्विटी शेयर भारत सरकार को तथा ₹ 76.77 प्रति शेयर (₹ 66.77 प्रति इक्विटी शेयर प्रीमियम सहित) के कीमत पर कुल ₹ 600 करोड़ के बैंक के 78155530 इक्विटी शेयर एलआईसी को अधिमान्य आबंटन के आधार पर प्रस्तावित करने, जारी करने और आबंटित करने के लिए बोर्ड के निदेशक मंडल को अधिकार देने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के अधीन शेयरधारकों से अनुमोदन के लिए विशेष संकल्प.
संवीक्षक	दिनांक 21 मार्च 2017 को निदेशक मंडल द्वारा ई-वोटिंग प्रक्रिया को आयोजित करने के लिए संवीक्षक के रूप में मेसर्स एस. एन अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी की कंपनी सचिव, श्रीमती अपर्णा गाडगिल को नियुक्त किया गया था.
नोटिस की तारीख	1 अप्रैल 2017
ई-वोटिंग सुविधा	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित सूचीबद्धता विनियम के विनियम 44 की शर्तों के अनुसार सदस्यों को अपना मदतन देने के लिए असाधारण महासभा में रिमोट ई-मतदान और ई-मतदान सुविधा प्रदान की गई थी. इसके अतिरिक्त ईजीएम स्थान पर सदस्यों के लिए टैब- मतदान सुविधा भी उपलब्ध की गई थी.
संवीक्षक रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण	संवीक्षक ने 259 सदस्यों से 1,84,70,92,839 मत (असाधारण महासभा में 156 सदस्यों से रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से 32,39,63,471 मत और 103 सदस्यों से 152,31,29,368 मत) प्राप्त किए. सर्वेक्षण में शामिल 184,70,92,839 मतदान में से 184,67,02,142 कुल मतदान का 99.98% संकल्प के पक्ष में तथा 3,90,697 कुल मतदान का 0.02% संकल्प के विपक्ष में डाले गए.
	दिनांक 27 अप्रैल 2017 की संवीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, संकल्प को अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित किया गया था. डाक मतपत्र का परिणाम चेयरमैन द्वारा दिनांक 27 अप्रैल 2017 को घोषित किया और आपकी बैंक की वेबसाइट, आरटीए, अर्थात्, कार्वी तथा एनएसडीएल पर प्रदर्शित किया गया. इसे बीएसई और एनएसई जैसे उन स्टॉक एक्सचेंजों में भी प्रदर्शित किया गया था, जहां आपके बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं.

प्रकटन

1 1 अप्रैल 2017 - 31 मार्च 2018 के दौरान ऐसी किसी भी कंपनी को सहायता प्रदान नहीं की गई, जिसमें बैंक के किसी भी निदेशक की कोई रुचि हो.

2 पिछले तीन वर्षों के दौरान स्टॉक एक्सचेंज अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) या अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले पर बैंक पर लगाए गए गैर-अनुपालन, दंड, कटु आलोचना के विवरण निम्नानुसार हैं :

वित्तीय वर्ष 2015-16	शून्य
वित्तीय वर्ष 2016-17	शून्य
वित्तीय वर्ष 2017-18	शून्य. तथापि बैंक ने आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों पर निर्देशों का अनुपालन न करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 9 अप्रैल 2018 के आदेश के अनुसरण में दिनांक 16 अप्रैल 2018 को ₹ 3 करोड़ की अदायगी की है.

आचार एवं सदाचार संहिता

बैंक के निदेशक मंडल ने अपने निदेशकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए आचार एवं सदाचार संहिता को अपनाया है. एलओडीआर विनियमावली के अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 की अपेक्षाओं के अनुपालन में आपके बैंक के निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों द्वारा आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि के बारे में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा नीचे दी गई है:

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा घोषणा

एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 के प्रावधानों के अनुसरण में, सभी संबंधित व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा घोषणा की जाती है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में आईडीबीआई बैंक लि. के निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने आईडीबीआई बैंक लि. के निदेशकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है.

ह/-
महेश कुमार जैन
(डीआईएन - 03513127)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
25 मई 2018

भेदिया व्यापार की रोकथाम

सेबी (भेदिया व्यापार निक्षेध) विनियमावली, 2015 के विनियम 8 के अनुसार बैंक ने अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के उचित प्रकटन के लिए व्यवहार एवं प्रक्रिया संहिता बनाई है. यह संहिता बैंक की वेबसाइट (www.idbi.com) पर निम्नलिखित लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है :

https://www.idbi.com:8443/secretarial-disclosures.asp

उक्त विनियमावली के विनियम 9 के अनुसार बैंक ने अपने कर्मचारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों द्वारा की जा रही ट्रेडिंग को विनियमित करने, निगरानी करने और रिपोर्ट करने के लिए आचरण संहिता भी बनाई है.

सीईओ / सीएफओ प्रमाणन

एलओडीआर विनियमावली के विनियम 17(8) के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित वित्तीय विवरणों और आंतरिक नियंत्रणों पर एमडी एवं सीईओ और सीएफओ से प्रमाणन प्राप्त कर बोर्ड को प्रस्तुत किए गए हैं.

सहायक कंपनियां

यथा 31 मार्च 2018 को बैंक के पास पांच सहायक कंपनियां थीं अर्थात् आईडीबीआई इंटेक लि., आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लि, आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि., आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. और आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड. बैंक के बोर्ड के किसी भी स्वतंत्र निदेशक को इसकी सहायक कंपनियों के बोर्ड में शामिल किए जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कोई भी सहायक कंपनी एलओडीआर विनियमावली के विनियमन 16 के अंतर्गत परिभाषित किये अनुसार तात्विक रूप से असूचीबद्ध सहायक कंपनी नहीं है. एलओडीआर विनियमावली के विनियम 24 की अपेक्षाओं के अनुपालन में बैंक की लेखापरीक्षा समिति वित्तीय विवरणों, विशेष रूप से असूचीबद्ध सहायक कंपनियों द्वारा किये गये निवेशों की समीक्षा करती है. असूचीबद्ध सहायक कंपनियों की बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त बैंक की बोर्ड बैठकों में नियमित रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं.

सचिवीय लेखा परीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों के अनुसार मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कं., कंपनी सचिव को बैंक के सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है. दिनांक 15 मई 2018 की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट के साथ संलग्न है.

सूचना के साधन

बैंक के कामकाज पर विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अधीन अपेक्षित निदेशकों की रिपोर्ट और वार्षिक लेखे शामिल हैं, उपलब्ध कराने के अलावा बैंक अपने शेयरधारकों की जानकारी के लिए नियमित रूप से तिमाही परिणामों को प्रकाशित करता है. इन्हें राष्ट्रव्यापी प्रसार वाले एक अंग्रेजी समाचार पत्र अर्थात् बिज़नस लाइन में और एक क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र अर्थात् लोकमत में प्रकाशित किया जाता है. उपर्युक्त जानकारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति तथा संस्थागत निवेशकों और विश्लेषकों के समक्ष की गई प्रस्तुतियों के साथ बैंक की वेबसाइट (www.idbi.com) पर भी उपलब्ध कराई गई है.

ऐसे दस्तावेज, जो वर्णित हैं लेकिन वार्षिक महासभा की सूचना पाने के पात्र व्यक्तियों को नहीं भेजे गए हैं, वार्षिक महासभा की तारीख से 21 दिन पहले से बैंक के पंजीकृत कार्यालय में कार्य समय के दौरान शेयरधारकों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे.

आम शेयरधारकों के लिए सूचना

1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 के दौरान शेयर मूल्य में उतार-चढ़ाव तथा शेयरधारकों से संबंधित अन्य सामान्य सूचनाओं का ब्योरा क्रमशः तालिका 6 और तालिका 7 में दिया गया है.

तालिका 6 : आम शेयरधारकों के लिए सूचना

i.	एजीएम की तारीख, समय और स्थान	सोमवार, 13 अगस्त 2018 को अपराह्न 3.30 बजे. यशवंत राव चव्हाण केंद्र ऑडिटोरियम, जन. जगन्नाथराव भोंसले मार्ग, मुंबई - 400021
ii.	वित्तीय वर्ष	1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018
iii.	कंपनी (प्रबंध और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित एलओडीआर विनियमावली के विनियम 44 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार ई-वोटिंग अवधि	ई-वोटिंग अवधि गुरुवार 9 अगस्त 2018 को (भारतीय मानक समय के अनुसार सुबह 9 बजे से) प्रारंभ होगी और रविवार 12 अगस्त 2018 को (भारतीय मानक समय के अनुसार शाम 5 बजे) समाप्त होगी.
iv.	लेखाबहियों के बंद रहने की तारीख	मंगलवार, 7 अगस्त 2018 से सोमवार 13 अगस्त 2018 (दोनों दिन शामिल)
v.	स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता और वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क के भुगतान की पुष्टि	1. **बीएसई लि. (बीएसई)** पता : 25वीं मंजिल, फिरोज जीजीभॉय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई -01. 2. **नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई)** पताः एक्सचेंज प्लाजा, 5वीं मंजिल, प्लॉट नं. सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.), मुंबई-51 बीएसई और एनएसई के वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान 28 अप्रैल 2018 को किया गया है.
vi.	स्टॉक कोड/ प्रतीक	बीएसई - 500116, एनएसई-आईडीबीआई
vii.	रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट	कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि., यूनिट : आईडीबीआई इक्विटी, कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गच्चीबौली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद - 500032
viii.	शेयर अंतरण प्रणाली	शेयर अंतरण कार्यपालक निदेशक/ मुख्य महा प्रबंधक की आंतरिक समिति द्वारा साप्ताहिक आधार पर अनुमोदित किए जाते हैं.

ix.	वित्तीय कैलेंडर	1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 : 1) 30 जून 2017 को समाप्त तिमाही के परिणाम 14 अगस्त 2017 को अनुमोदित किए गए. 2) 30 सितंबर 2017 को समाप्त तिमाही / छमाही के परिणाम 31 अक्तूबर 2017 को अनुमोदित किए गए. 3) 31 दिसंबर 2017 को समाप्त तीसरी तिमाही / नौ महीने के परिणाम 31 जनवरी 2018 को अनुमोदित किए गए. 4) 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित परिणाम 25 मई 2018 को अनुमोदित किए गए.
x.	प्रॉक्सी फॉर्म प्राप्त होने की अंतिम तारीख	शनिवार, 11 अगस्त 2018 को अपराह्न 3.30 बजे तक
xi.	तिमाही परिणामों पर विचार करने के लिए बोर्ड की बैठक	संबंधित तिमाही के समापन से 45 दिनों के भीतर और वार्षिक लेखापरीक्षित परिणाम हेतु वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिनों के भीतर.
xii.	गैर-कार्यपालक निदेशकों द्वारा धारित शेयरों तथा परिवर्तनीय लिखतों की संख्या	यथा 31 मार्च 2018 को श्री एस. रवि स्वतंत्र गैर-कार्यपालक निदेशक के पास आईडीबीआई बैंक लि. के 200 शेयर थे.
xiii.	डिबेंचर ट्रस्टी के विवरण	1. **एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड,** दूसरी मंजिल, एक्सिस हाउस, वाडिया इंटरनेशनल सेंटर, बाम्बे डाइंग मिल्स कंपाउंड, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वरली, मुंबई- 400025, फोन : 022-24255232. 2. **एसबीआईकैप ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड,** एपीजे हाउस, 6ठी मंजिल, 3 दिनशा वाच्छा रोड चर्चगेट, मुंबई - 400020, फोनः 022-43025503. 3. **आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड,** द आईएल एंड एफएस फाइनान्सियल सेंटर, प्लॉट सी-22, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.), मुंबई 400051. फोन : 022-26593927.

आईडीबीआई के शेयरों का एनएसई और बीएसई में सक्रिय रूप से कारोबार होता है. एक्सचेंजों के पास सूचीबद्ध सभी प्रतिभूतियों के संबंध में वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क आज की तारीख तक अदा किया जा चुका है.

तालिका 7: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) और बीएसई लि. (बीएसई) में आईडीबीआई बैंक लि. के शेयर मूल्य में उतार-चढ़ाव : अप्रैल 2017 - मार्च 2018

माह	एनएसई		बीएसई			एनएसई		बीएसई	
	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न	माह	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न
अप्रैल 2017	78.10	71.85	78.05	71.70	अक्तूबर 2017	67.95	51.80	67.75	51.80
मई 2017	82.00	60.00	81.90	59.95	नवंबर 2017	65.85	58.70	65.90	58.75
जून 2017	60.95	53.40	60.85	53.40	दिसंबर 2017	60.90	58.00	60.75	57.95
जुलाई 2017	62.20	53.50	62.20	53.50	जनवरी 2018	65.35	59.40	65.45	59.40
अगस्त 2017	59.65	52.30	59.65	52.30	फरवरी 2018	78.95	57.00	78.90	57.10
सितंबर 2017	57.20	52.20	57.25	52.25	मार्च 2018	84.65	64.85	84.40	64.70

यथा 31 मार्च 2018 के शेयरधारिता का स्वरूप

मार्च 2018 के अंत में बैंक के शेयरधारकों की प्रमुख श्रेणियों द्वारा शेयरधारिता के ब्योरे और वितरण अनुसूची नीचे तालिका 8 और तालिका 9 में दी गई है.

तालिका 8 : 31 मार्च 2018 के अंत में शेयरधारिता का स्वरूप

शेयरधारकों की श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	कुल का %
भारत सरकार	2496838686	80.96
कर्मचारी	800025	0.03
जनता	116295556	3.77
हिन्दू अविभाजित परिवार	3008481	0.10
कंपनी निकाय	27534512	0.89
संस्थाएं		
अ) बैंक	2105899	0.07
आ) विदेशी संस्थागत निवेशक	47770	0
इ) राज्य वित्त निगम	0	0
ई) वित्तीय संस्थाएं	13280000	0.43
उ) म्यूचुअल फंड	11981236	0.39
सोसायटी	28960	0
न्यास	326953	0.01
बीमा कंपनियां	347301541	11.26
अनिवासी भारतीय	4572021	0.15
निदेशक, केएमपी एवं उनके रिश्तेदार		
(i) श्री के. पी. नायर, उप प्रबंध निदेशक	320	0
(ii) श्री एस. रवि, स्वतंत्र निदेशक	200	0
(iii) श्री अभय एल. बोंगिरवार, कार्यपालक निदेशक	320	0
(iv) डॉ. एस. एस. बॅनर्जी, कार्यपालक निदेशक	320	0
(v) श्री सुरेश के. खटनहार, कार्यपालक निदेशक	24200	0
(iv) श्री इंद्रपाल सिंह कालरा, कार्यपालक निदेशक	320	0
(vii) श्री माधव वी. फड़के, कार्यपालक निदेशक	320	0
(viii) श्री अजय शर्मा, सीएफओ	120	0
(ix) श्रीमती पद्मा बेताई, मुख्य महाप्रबंधक	270	0
(x) श्री अजय नाथ झा, सीआरओ	320	0
(x) श्रीमती माया चक्रवर्ती, मुख्य महाप्रबंधक	200	0
एनएसडीएल (अंतरणाधीन)	4831157	0.16
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	52738164	1.71
एनबीएफसी	**27391**	**0**
आईईपीएफ	**2117434**	**0.07**
कुल योग	**3083862696**	**100**

व्यापक सूचकांकों अर्थात् बीएसई सेंसेक्स, क्रिसिल सूचकांक, आदि की तुलना में प्रदर्शन

1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 की अवधि के दौरान बीएसई सेंसीटिव इंडेक्स (सेंसेक्स) की तुलना में आईडीबीआई बैंक के इक्विटी शेयर का प्रदर्शन निम्नलिखित चार्ट में दिया गया है:

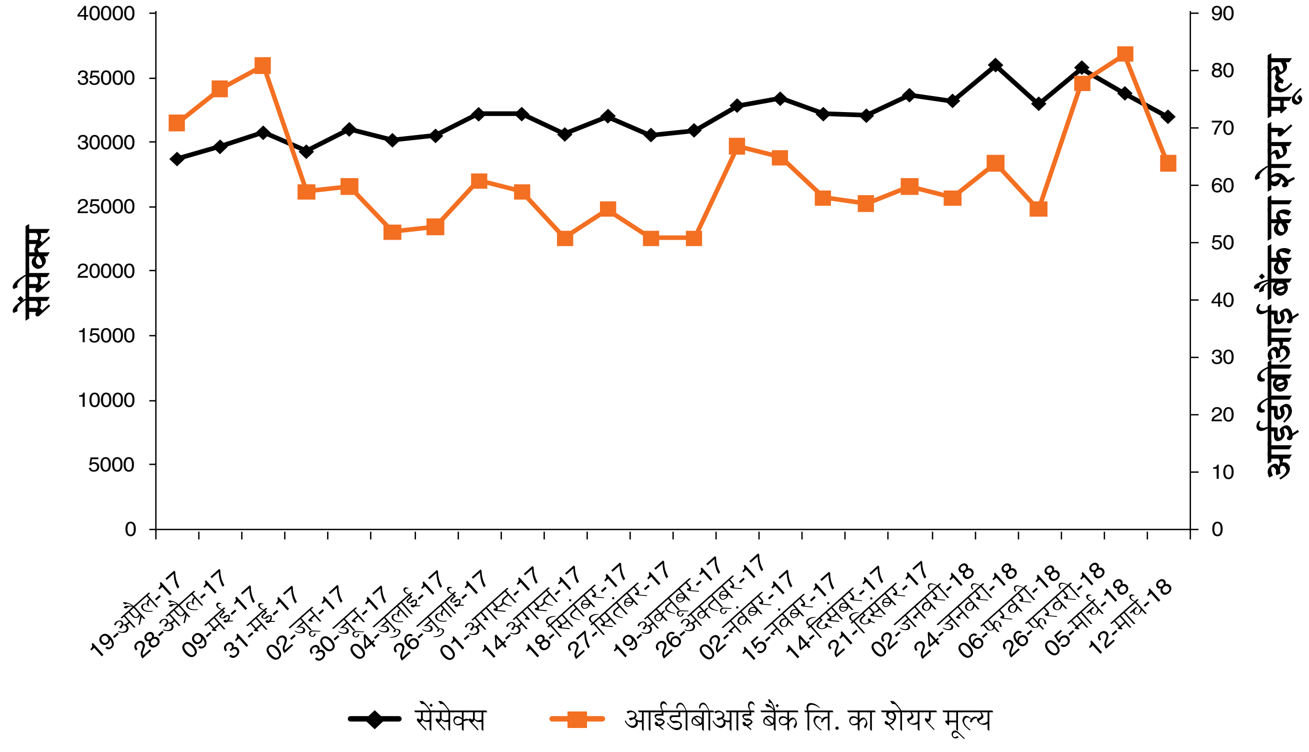

शेयर अंतरण प्रणाली एवं निवेशक शिकायत समाधान

तालिका 9 : 31 मार्च 2018 के अंत में वितरण अनुसूची

क्र. सं	श्रेणी से	श्रेणी तक	शेयरधारकों की संख्या	कुल शेयरधारकों में %	राशि (₹)	कुल राशि में %
1	1	5000	358746	99.41	88443244	2.87
2	5001	10000	1115	0.31	8262384	0.27
3	10001	20000	478	0.13	6792852	0.22
4	20001	30000	147	0.04	3660276	0.12
5	30001	40000	69	0.02	2469896	0.08
6	40001	50000	55	0.02	2533503	0.08
7	50001	100000	101	0.03	7092445	0.23
8	100001 और अधिक		175	0.05	2964608096	96.13
कुल			**360886**	**100.00**	**3083862696**	**100.00**

शेयर अंतरण प्रक्रिया को शीघ्रतापूर्वक पूरा करने के उद्देश्य से अंतरण ज्ञापन (एमओटी) को साप्ताहिक आधार पर अनुमोदित करने के लिए कार्यपालक निदेशक / मुख्य महा प्रबंधक की आंतरिक समिति गठित की गई है.

1 अप्रैल 2017 को निवेशकों की कोई भी शिकायत निवारण के लिए लंबित नहीं थी और 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 के दौरान आपके बैंक के रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट को शेयरधारकों/ निवेशकों से कुल 1,439 निवेशक शिकायतें प्राप्त हुईं. वर्ष के दौरान 1,439 शिकायतों का निवारण किया गया और 31 मार्च 2018 को कोई भी शिकायत निवारण के लिए लंबित नहीं थी.

शेयरों के संबंध में 1 अप्रैल 2017 को अंतरण से संबंधित 4 मामले लंबित थे. 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 के दौरान आपके बैंक के रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट को शेयरों के अंतरण के लिए 1099 अनुरोध प्राप्त हुए. इनमें से शेयरों के अंतरण से संबंधित 1103 अनुरोधों पर कार्रवाई की गई और 31 मार्च 2018 को कोई अनुरोध लंबित नहीं थे.

हितधारक संबंध समिति के बारे में प्रकटन

(क)	समिति की अध्यक्षता करने वाले गैर-कार्यपालक निदेशक का नाम	डॉ. आशिमा गोयल , स्वतंत्र निदेशक
(ख)	अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम	श्री पवन अग्रवाल, कंपनी सचिव अनुपालन अधिकारी हैं. वे परिचालनों का पर्यवेक्षण करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय अनुपालन से संबंधित सेबी विनियमावली और स्टॉक सूचीबद्धता विनियमावली की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाता है.
(ग)	वित्त वर्ष 2017-18 में शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतों की संख्या	1439
(घ)	शेयरधारकों की संतुष्टि तक समाधान नहीं किए गए मामलों की संख्या	0
(ङ)	लंबित शिकायतों की संख्या	0

डीमैट उचंत खाता/ अदावी उचंत खाता के संबंध में प्रकटन

सूचीबद्धता विनियमावली की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 के अनुसार आपका बैंक अदावी उचंत खाते में पड़े इक्विटी शेयरों के संदर्भ में निम्न ब्योरे रिपोर्ट करता है:

क्र. सं.	विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
(क)	दिनांक 1 अप्रैल 2017 को उचंत खाते में बकाया पड़े शेयरों और शेयरधारकों की कुल संख्या	4832	862054
(ख)	दिनांक 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 के दौरान उचंत खाते से शेयरों का अंतरण करवाने के लिए आपके बैंक से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	25	5500
(ग)	उन शेयरधारकों की संख्या, जिन्हें दिनांक 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 के दौरान उचंत खाते से शेयर अंतरित किए गए	25	5500
(घ)	दिनांक 31 मार्च 2018 को उचंत खाते में बकाया पड़े शेयरों और शेयरधारकों की कुल संख्या	4807	856554
(ङ)	इन शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक फ्रीज़ रहेगा जब तक इन शेयरों के वैध स्वामी शेयरों का दावा नहीं करते.		

तालिका 9 : डिमटेरियलाइजेशन के ब्योरे तथा पत्राचार के लिए पता

शेयरों का डिमटेरियलाइजेशन और चलनिधि

शेयरधारिता का स्वरूप	शेयरधारकों की संख्या	शेयर	प्रतिशत
कागजी रूप में	56909	454998054	14.75
एनएसडीएल (डीमटेरियलाइज्ड)	200016	532732185	17.27
सीडीएसएल (डीमटेरियलाइज्ड)	103961	2096132457	67.97
कुल			

बकाया जीडीआर/एडीआर/ वारंट अथवा परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख तथा इक्विटी पर संभावित प्रभाव	आईडीबीआई बैंक लि. ने जीडीआर/ एडीआर/ वारंट आदि जारी नहीं किए हैं.
प्लांट का स्थान	लागू नहीं. तथापि, बैंक की शाखाओं के स्थान के बारे में जानकारी बैंक की वेबसाइट, www.idbi.com पर उपलब्ध है.
पत्राचार के लिए पता	**आईडीबीआई बैंक लि.** सीआईएन - L65190MH2004GOI148838 इक्विटी कक्ष- बोर्ड विभाग, आईडीबीआई बैंक लि., 22वीं मंज़िल, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 फोन- (022) - 66552779, 66553062, 66552620 फैक्स - (022) - 2218 23 52 ई-मेल - idbiequity@idbi.co.in वेबसाइट - www.idbi.com
	रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गच्चीबौली फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद - 500 032 फोन : (040) 67162222 टोल फ्री नंबर: 1-800-3454001 फैक्स नं. : (040) 23420814 ई-मेल : einward.ris@karvy.com
सहायक कंपनियों के पंजीकृत कार्यालयों के पते	**आईडीबीआई कैपिटल मार्केटस एंड सेक्युरिटीज लिमिटेड** तीसरी मंजिल, मफ़तलाल सेंटर, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 **आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड** आईडीबीआई बिल्डिंग, पहली मंज़िल, प्लॉट नं. 39-41, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई-400 614 **आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड** आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 **आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड** आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 **आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड** एशियन बिल्डिंग, तल मंजिल, 17, आर. कमानी मार्ग, बेलार्ड एस्टेट मुंबई - 400 001

विनियम 27 की विवेकाधिकार अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति

बैंक ने एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 के तहत दी गई सभी अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर स्टॉक एक्सचेंज को निर्दिष्ट प्रारूप में कॉरपोरेट अभिशासन पर तिमाही/ छमाही/ वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करता रहा है. एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची II के भाग ई के अंतर्गत दी गई विवेकाधिकार अपेक्षाओं के संदर्भ में स्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं	विवेकाधीन आवश्यकताएं	स्थिति
1.	एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष को कंपनी के खर्च पर अध्यक्ष कार्यालय को बनाए रखने का अधिकार होगा और उन्हें उनके द्वारा दायित्व के निर्वहन पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति भी प्राप्त होगी.	वर्तमान में बैंक में गैर-कार्यपालक (गैर-पूर्णकालिक) अध्यक्ष का पद खाली है.
2.	पिछले 6 महीनों की महत्वपूर्ण घटनाओं के संक्षिप्त विवरण सहित वित्तीय कार्य निष्पादन की अर्द्धवार्षिक घोषणा प्रत्येक शेयरधारक के घर भेजी जाए.	बोर्ड के अनुमोदन के तुरंत बाद शेयर धारकों और अन्य अंशधारकों की जानकारी के लिए तिमाही और अर्द्धवार्षिक वित्तीय परिणामों को समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है और साथ ही स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से प्रसारित किया जाता है.
3.	कंपनी असंशोधित लेखापरीक्षा अभिमत व्यवस्था की ओर अग्रसर हो.	बैंक इस दिशा में लगातार कार्य कर रहा है.
4.	कंपनी द्वारा अध्यक्ष और एमडी/सीईओ पद के लिए अलग-अलग व्यक्ति की नियुक्ति की जाए.	अब बैंक में गैर-कार्यपालक (गैर-पूर्णकालिक) अध्यक्ष और एमडी एवं सीईओ के अलग-अलग पद हैं.
5.	आंतरिक लेखापरीक्षक द्वारा सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करना.	आंतरिक लेखापरीक्षक, श्री एम. वी. फड़के, कार्यपालक निदेशक, सीधे एसीबी को रिपोर्ट करते हैं.

फॉर्म सं. एमआर-3
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसरण में]

प्रति,
सदस्यगण,
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
CIN: L65190MH2004GOI148838
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड,
मुंबई - 400005.

हमने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (इसमें इसके पश्चात् 'कंपनी' के रूप में निर्दिष्ट) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉरपोरेट प्रथाओं के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है. सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार संचालित की गई है जिससे हमें कॉरपोरेट आचरणों/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और उन पर अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए पर्याप्त आधार प्राप्त हुआ है.

कंपनी की बहियों, कागज़ात, कार्यवृत्त बहियों, दाखिल किए गए फॉर्मों एवं विवरणियों तथा कंपनी द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों और सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारियों के सत्यापन के आधार पर हम एतदद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में कंपनी ने 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखा-परीक्षा की अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और साथ ही, कंपनी ने इसमें इसके पश्चात् की गई रिपोर्टिंग की सीमा तक, वर्णित रीति से और उसके अध्यधीन उपयुक्त बोर्ड- प्रक्रियाएँ और अनुपालन-प्रणाली लागू की हैं:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा अनुरक्षित बहियों, कागज़ात, कार्यवृत्त बहियों, फाइल किए गए फॉर्मों एवं विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की जांच की है :

i. कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') तथा इसके अधीन बनाए गए नियम;

ii. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम,1956 ('एससीआरए') तथा इसके अधीन बनाए गए नियम;

iii. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और इसके अधीन तैयार की गई विनियमावली तथा उप-विधियों;

iv. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश तथा बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक इसके अधीन बनाए गए नियम तथा विनियमन;

v. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अधीन विनिर्दिष्ट निम्नलिखित विनियम तथा दिशानिर्देश :-

    क. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011;

    ख. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 ;

    ग. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009

    घ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 - लागू नहीं क्योंकि कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान उक्त विनियम के अंतर्गत निदेशकों / कर्मचारियों को कोई शेयर/ऑप्शन जारी नहीं किया है.

    ङ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) विनियम, 2008;

    च. कंपनी अधिनियम तथा ग्राहक के साथ संव्यवहार के बारे में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम,1993 - लागू नहीं क्योंकि कंपनी समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट के रूप में पंजीकृत नहीं है;

    छ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009 - लागू नहीं क्योंकि कंपनी ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान किसी स्टाक एक्सचेंज से अपने इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध नही किया है/ असूचीबद्ध करने का प्रस्ताव नहीं किया है; तथा

    ज. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद) विनियम,1998; लागू नहीं क्योंकि कंपनी ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी किसी प्रतिभूति की वापसी-खरीद नहीं की है/ वापसी-खरीद का प्रस्ताव नही किया है.

vi. कंपनी ने कंपनी पर लागू पर निम्नलिखित विधियों की पहचान तथा पुष्टि की है:

    1. बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891;
    2. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934;
    3. बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 तथा बैंककारी कंपनी नियम, 1949 (समय-समय पर यथा संशोधित);
    4. बैंककारी कंपनी (अभिलेखों के परिरक्षण की अवधि) नियम, 1985;

5. विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1999 के नियम, विनियम व समय-समय पर जारी अधिसूचनाएं;
6. बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993;
7. धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 तथा धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण आदि) नियम, 2005;
8. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002;
9. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007;
10. बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993
12. दिवाला और शोधन अक्षमता कोड, 2016;
13. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986;
14. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंकर्स) विनियमन, 1992;
15. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम के बैंकर) विनियमन, 1994

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस-1) और महा सभा (एसएस-2) के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी लागू सचिवीय मानक.

(ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं), विनियम 2015 तथा बीएसई लिमिटेड व नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीबद्धता करार ;

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने उपर्युक्त अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि का अनुपालन किया है :

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि : -

- कार्यपालक निदेशकों, गैर-कार्यपालक निदेशकों, स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशक के समुचित संतुलन के साथ कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है. समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में किए गए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए हैं.
- सभी निदेशकों को बोर्ड बैठकों के आयोजन के संबंध में पर्याप्त समय पहले सूचना दी जाती है, कार्य-सूची और कार्य-सूची पर विस्तृत नोट काफी समय पहले भेजे जाते हैं और बैठकों से पहले कार्य-सूची की मदों पर अन्य जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने तथा लेने के लिए और बैठक में सार्थक सहभागिता के लिए व्यवस्था मौजूद है.
- बोर्ड तथा समिति की बैठकों में सभी निर्णय बहुमत से लिये जाते हैं.

  हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा स्थापित अनुपालन प्रणाली की समीक्षा तथा विभिन्न प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी और निदेशक मंडल द्वारा उनकी बैठक (कों) में दर्ज किए गए अनुपालन प्रमाणपत्र (त्रों) के आधार पर हमारा अभिमत है कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी करने और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और परिचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं.
- जैसे कि सूचित किया गया है, कंपनी ने आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों पर निर्देशों का अनुपालन न करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 9 अप्रैल 2018 के आदेश के अनुसार दिनांक 16 अप्रैल 2018 को 3 करोड़ रुपये के दंड का भुगतान किया है. कंपनी ने विभिन्न सांविधिक/ विनियामक प्राधिकरणों द्वारा की गई मांग, दावा, दंड के नोटिसों का उत्तर दिया है और जहां आवश्यक पाया गया है वहाँ सुधारात्मक उपायों के लिए कारवाई की गई है.

  लेखापरीक्षा अवधि के दौरान उपर्युक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों के अनुसार कंपनी के प्रमुख धारणों के संबंध में निम्नानुसार गतिविधियां/ कार्रवाइयां हुईं:

1. भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमान्य आधार पर दिनांक 30 जून 2017 को 1,18,53,588 इक्विटी शेयर तथा 14 अगस्त 2017 को 3,94,68,543 इक्विटी शेयर आबंटित किए.
2. भारत सरकार को अधिमान्य आधार पर दिनांक 14 अगस्त 2017 को 24,74,92,510 इक्विटी शेयर, दिनांक 6 अक्तूबर 2017 नको 284,861,472 इक्विटी शेयर तथा 28 मार्च 2018 को 44,13,71,502 इक्विटी शेयर आबंटित किए.
3. नामित निदेशक शब्द को परिभाषित करने के लिए कंपनी के संस्थागत अंतर्नियमों के अनुच्छेद 121में परिवर्तन किया.

कृते **एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एण्ड कं.**
कंपनी सचिव

एस. एन. अनंतसुब्रमणियन
साझेदार
एफ़सीएस 4206
सी पी नं. 1774

दिनांक : 14 मई 2018
स्थान : ठाणे

प्रति,
सदस्यगण,
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड,
CIN : L65190MH2004GOI148838
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड,
मुंबई-400005

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए हमारी सम दिनांकित सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए.

प्रबंधन की जिम्मेदारी

1. यह कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वह सचिवीय अभिलेखों का अनुरक्षण करे, लागू सभी विधियों तथा विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उचित प्रणालियां तैयार करें और सुनिश्चित करें कि प्रणालियां पर्याप्त हों और प्रभावी ढंग से परिचालन करें.

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

2. हमारी जिम्मेदारी इन सचिवीय अभिलेखों, सचिवीय अनुपालनों के संबंध में कंपनी द्वारा अनुसरण किए गए मानकों एवं प्रक्रियाओं के बारे में अपनी राय प्रकट करना है.

3. हमारा विश्वास है कि कंपनी प्रबंधन से प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य और जानकारियां हमारी राय के लिए तर्कसंगत आधार प्रदान करने हेतु समुचित एवं पर्याप्त हैं.

4. जहां भी आवश्यक है, हमने विधियों, नियमों व विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने के बारे में प्रबंधन से प्रकथन प्राप्त किया है.

डिस्क्लेमर

5. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी अर्थक्षमता के बारे में और न ही कंपनी के कामकाज को संचालित करने की प्रबंधन की क्षमता अथवा प्रभावकारिताके बारे में कोई आश्वासन है.

6. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों तथा लेखा बहियों की परिशुद्धता तथा उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है.

कृते **एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एण्ड कं.**
कंपनी सचिव

एस. एन. अनंतसुब्रमणियन
साझेदार
एफ़सीएस 4206
सी पी नं. 1774

दिनांक : 14 मई 2018
स्थान : ठाणे

Auditors' Report On Corporate Governance

Mukund M. Chitale & Co.
Chartered Accountants
02nd floor, Kapur House,
Paranjpe 'B' Scheme Road no. 1,
Vile Parle (East), Mumbai 400 057
Maharashtra

K S Aiyar & Company
Chartered Accountants
F-7 Laxmi Mills,
Shakti Mils lane,
(off Dr. E Moses Road,
Mahalaxmi)
Mumbai 400 011, Maharashtra

JLN US & Co.
Chartered Accountants
330/348, 03rd Floor,
Tower A, Atlantis K 10,
Opp. Vadodara Central,
Sarabhai Main Road,
Vadodara 390007
Gujarat

To the Members of **IDBI Bank Limited**

We have examined the compliance of the conditions of Corporate Governance by IDBI Bank Limited (the Bank) for the year ended March 31 2018 as per the relevant provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (Listing Regulations) as referred to in Regulation 15(2) of the Listing Regulations.

The Compliance with conditions of Corporate Governance as stipulated in Listing Regulations is the responsibility of the Bank's Management .Our examination was limited to a review of the procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance with conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given and representation made by the Directors and the Management , we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Regulations.

We state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For **Mukund M. Chitale & Co.**
Chartered Accountants
FRN - 106655W

Abhay V. Kamat
Partner (M.No. 39585)

For **K. S. Aiyar & Company**
Chartered Accountants
FRN - 100186W

Satish Kelkar
Partner (M.No. 38934)

For **JLN US & Co.**
Chartered Accountants
FRN-101543W

Ramaprasanna Agarwal
Partner (M.No. 119693)

Place: Mumbai
Date : May 25, 2018

Corporate Governance Report

Brief Statement on Bank's Philosophy on Code of Governance

The Bank is committed to upholding the highest standards of corporate governance in its operations. Its policies and practices are not only in line with the statutory requirement, but also reflects its commitment to operate in the best interest of its stakeholders. The responsibility for maintaining high governance standards lies with the Bank's Board of Directors and various Board Committees, which are empowered to monitor implementation of best corporate governance practices, including making of necessary disclosures within the framework of legal and regulatory provisions and banking conventions.

In this direction, the Bank is committed to ensure that its Board of Directors continues to be constituted according to the prescribed norms, meets regularly according to the prescribed frequency, provides effective leadership, exercises control over the management, monitors executive performance and makes appropriate disclosures. Besides, other policy directives of the Bank establish a strategic control framework and continuously review its efficacy; set up clearly documented and transparent management processes to develop, implement and review policies, take decisions, monitor, control and report. The Bank provides free access of relevant information and resources to the Board, enabling it to carry out its role effectively.

Board of Directors

The Bank's Board of Directors is broad-based and its constitution is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Companies Act, 2013, the Articles of Association of the Bank and the requirements of corporate governance, as envisaged in the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR Regulations). The Board functions directly as well as through various board committees constituted to provide focused governance in the important functional areas of the Bank.

Broadly, the terms of reference, as prescribed under the Companies Act, 2013 and LODR Regulations, is as follows:

- To make calls on shareholders in respect of money unpaid on their shares;
- To authorise buy-back of securities under section 68 of Companies Act, 2013;
- To issue securities, including debentures, whether in or outside India;
- To borrow monies;
- To invest the funds of the Bank;
- To grant loans or give guarantee or provide security in respect of loans;
- To diversify the business of the Bank;
- To approve amalgamation, merger or reconstruction;
- To take over a company or acquire a controlling or substantial stake in another company;
- To appoint or remove Key Managerial Personnel (KMP);
- To take note of appointment(s) or removal(s) of officials one level below the Key Management Personnel;
- To appoint Internal Auditors and Secretarial Auditor;
- To take note of the disclosure of Director's interest and shareholding;
- To buy, sell investments held by the Bank (other than trade investments), constituting five percent or more of the paid up share capital and free reserves of the investee company;
- To approve quarterly, half-yearly and annual financial statements or financial results as the case may be and the Board's Report;
- To periodically review compliance reports pertaining to all laws applicable to the Bank as well as steps taken by the Bank to rectify instances of non-compliances;
- To lay down a code of conduct for all members of Board of Directors and senior management of the Bank;
- To ensure framing, implementation and monitoring the risk management plan for the Bank;
- To undertake performance evaluation of Directors, Board and its Committees;
- Reviewing and guiding corporate strategy, major plans of action, risk policy, annual budgets and business plans, setting performance objectives, monitoring implementation and corporate performance, and overseeing major capital expenditures, acquisitions and divestments;
- Monitoring the effectiveness of the Bank's governance practices and making changes as needed;
- Selecting, compensating, monitoring and, when necessary, replacing Key Managerial Personnel and overseeing succession planning;
- Aligning remuneration of key managerial personnel and Directors with the longer term interests of the Bank and its shareholders;
- Ensuring a transparent nomination process to the Board of Directors with the diversity of thought, experience, knowledge, perspective and gender in the Board of Directors;

- Monitoring and managing potential conflicts of interest of management, members of the board of directors and shareholders, including misuse of corporate assets and abuse in related party transactions;
- Ensuring the integrity of the Bank's accounting and financial reporting systems, including the independent audit, and that appropriate systems of control are in place, in particular, systems for risk management, financial and operational control, and compliance with the law and relevant standards;
- Overseeing the process of disclosure and communications;
- Monitoring and reviewing Board of Directors' evaluation framework;
- To provide strategic guidance to the Bank, ensure effective monitoring of the management and shall be accountable to the Bank and the shareholders;
- To set a corporate culture and the values by which executives throughout group shall behave;
- To act on a fully informed basis, in good faith, with due diligence and care, and in the best interest of the Bank and the shareholders;
- To encourage continuing directors' training to ensure that the members of Board of Directors are kept up to date;
- To treat all shareholders fairly;
- To maintain high ethical standards and take into account the interests of stakeholders;
- To exercise objective independent judgment on corporate affairs;
- To consider assigning a sufficient number of non-executive members of the Board of Directors capable of exercising independent judgment to tasks where there is a potential for conflict of interest;
- Ability to step back to assist executive management by challenging the assumptions underlying strategy, strategic initiatives (such as acquisitions), risk appetite, exposures and the key areas of the Bank's focus. To define and disclose the mandate, composition and working procedures of the committees of the Board of Directors;
- To facilitate the independent directors to perform their role effectively as a member of the Board of Directors and also a member of a Committee of Board of Directors;
- To carry out any other role mandated to it by regulatory/ statutory requirements or the Government of India (GoI)/ Reserve Bank of India (RBI) directions notified from time to time.

As on March 31, 2018, the Board comprised of 10 Directors, viz. Shri Mahesh Kumar Jain, MD & CEO, Shri K. P. Nair, DMD and Shri G. M.Yadwadkar, DMD as Executive Directors, Shri Pankaj Jain and Shri Praveen Garg, Central Government Official Nominees as Non-Executive Directors, and Shri S. Ravi, Shri Ninad Karpe, Shri Gyan Prakash Joshi, Dr. Ashima Goyal and Shri Bhuwanchandra B. Joshi as Independent Directors. During May 2018, Shri S. Ravi and Shri Ninad Karpe, Indpendent Directors resigned from the Board while Shri Praveen Garg, Government Nominee Director was replaced by Shri Sudhir Shyam by the Government of India. To fill the 2 (two) vacancies of Independent Directors, the Board has appointed Shri Samaresh Parida and Shri N. Jambunathan as Additional Directors with effect from May 19, 2018. The present strength of 10 (ten) Directors on the Board, as against the composition for maximum strength of 13 Directors provided under Article 116(1) of the Articles of Association, meets the requirement provided under Article 114(a) of the Articles of Association.

Relationship between Directors inter-se

None of the Directors on your Bank's Board is related in any manner, directly or indirectly, to any other Director.

Quorum for the Board Meetings

The quorum for Board Meetings shall be one-third of the total strength or two (2) Directors, whichever is higher, subject to at least one director being a nominee of the Central Government.

Frequency of Board Meetings

Meetings of the Board shall ordinarily be held at least six times in a year and at least once in every quarter and not more than one hundred and twenty days shall intervene between two consecutive Board meetings.

Number of Board Meetings held

During the period under review (April 01, 2017 – March 31, 2018), sixteen Board Meetings were held on April 28, 2017, May 18, 2017, May 19, 2017, May 30, 2017, June 30, 2017, August 14, 2017, September 8, 2017, September 21, 2017, October 9, 2017, October 31, 2017, November 27, 2017, December 20, 2017, January 15, 2018, January 31, 2018, February 16, 2018, and March 21, 2018. Out of these, all meetings were held in Mumbai, except one meeting of September 8, 2017 which was held in Bangalore and one meeting of February 16, 2018 which was held in New Delhi.

Details regarding attendance at Board Meetings, attendance at the last Annual General Meeting (AGM), directorships in other companies and memberships of committees, in respect of each Director of your Bank, are given in Table 1.

Table 1: Directors' Attendance at the Board Meetings and AGM, their Directorships and Committee Memberships

Name of Director	Attendance at the Bank's Board Meetings (Total No. of Meetings held - 16)	Attendance at the last AGM held on July 18, 2017	Directorships in other companies (other public companies)	ACB/ SRC Memberships/ (Chairmanships) in other Companies
1	2	3	4	5
Whole Time Directors				
Shri Mahesh Kumar Jain, MD & CEO (DIN- 03513127)	16(16)	Present	0(0)	0(0)
Shri K. P. Nair, DMD (DIN- 02611496)	16(16)	Present	2(2)	0(0)
Shri G. M. Yadwadkar, DMD (DIN- 01432796)	16(16)	Present	3(3)	0(0)
Non Executive Directors				
Shri Pankaj Jain (DIN-00675922)	15(16)	Not Present	6(6)	0(0)
Shri Praveen Garg * (DIN-00208604)	14(16)	Not Present	1(1)	0
Independent Directors				
Shri S. Ravi * (DIN- 00009790)	16(16)	Present	10(7)	7(2)
Shri Ninad Karpe * (DIN- 00030971)	13(16)	Present	7(4)	3(1)
Shri Gyan Prakash Joshi (DIN- 00603925)	15(16)	Not Present	1(1)	0(0)
Ms. Neeru Abrol (DIN-01279485) [upto 18.07.2017]	5(5)	NA	6(6)	6(3)
Dr. Ashima Goyal (DIN- 00233635) (w.e.f. 28.04.2017)	14(15)	Present	3(2)	1(1)
Shri B. B. Joshi (DIN- 06713850) (w.e.f. 09.10.2017)	3(7)	NA	0(0)	0(0)

Figures in parantheses in column 4 indicate directorships in Public Companies and in column 5 indicate chairmanships of committees

** During May 2018, Shri S. Ravi and Shri Ninad Karpe, Indpendent Directors resigned from the Board while Shri Praveen Garg, Government Nominee Director was replaced by Shri Sudhir Shyam by Government of India. To fill the 2 (two) vacancies of Independent Directors, the Board has appointed Shri Samaresh Parida and Shri N. Jambunathan as Additional Directors w.e.f. May 19, 2018.*

A. Board Committees

The Board has a total of 15 committees, namely:

- Audit Committee of the Board
- Remuneration Committee
- Executive Committee
- Nomination Committee
- Stakeholders' Relationship Committee
- HR Steering Committee
- Frauds Monitoring Committee
- Recovery Review Committee
- Risk Management Committee
- Independent Directors' Committee
- Corporate Social Responsibility Committee
- Non-Cooperative Borrowers' Review Committee
- Customer Service Committee
- Wilful Defaulters Review Committee
- Information Technology Committee

1. Audit Committee of the Board (ACB)

Composition and brief terms of reference

As on March 31, 2018, Audit Committee of the Board (ACB) comprised of six members with Shri S. Ravi, a Chartered Accountant and an Independent Director, as the Chairman of the Committee and Shri K. P. Nair, DMD, Shri Pankaj Jain, Government Nominee Director, Shri Ninad Karpe, Shri Gyan Prakash Joshi and Dr. Ashima Goyal, Independent Directors as the other members. Shri G. M. Yadwadkar, DMD and Shri Praveen Garg, Government Director, are Permanent Special Invitees on the ACB. The Roles & Powers of ACB are in line with provisions of the Companies Act, 2013, relevant RBI guidelines and Regulation 18 read with Part C of Schedule II of the LODR Regulations. The terms of reference prescribed under the Companies Act, 2013 is as follows:

- Recommendation for appointment, remuneration and terms of appointment of auditors of the Bank;
- Review and monitor the auditor's independence and performance, and effectiveness of audit process;
- Examination of the financial statement and the auditors' report thereon;
- Approval or any subsequent modification of transactions of the Bank with related parties;
- Evaluation of internal financial controls and risk management systems;
- Monitoring the end use of funds raised through public offers and related matters;

The broader roles and responsibilities of ACB, as per the Companies Act, 2013, LODR Regulations, RBI and GoI Guidelines, are as under:

- Exposure to sensitive sectors, i.e.,
  - (a) Capital market;
  - (b) Real estate;
- Know Your Customer / Anti Money Laundering (KYC/AML) Guidelines –
  - i. Review of implementation;
  - ii. Review of compliance of concurrent audit reports with respect to adherence to KYC / AML guidelines at branches;
- Review of housekeeping - particularly balancing and reconciliation of long outstanding entries Suspense / Sundries / Drafts payable / paid / Funds in Transit / Clearing / Subsidiary General Ledger (SGL) / Constituent Subsidiary General Ledger (CSGL) accounts;
- Review of compliance in respect of the Annual Financial Inspection conducted by RBI (ACB should review this on an ongoing basis till the bank furnishes full compliance. ACB should closely monitor persisting deficiencies pointed out in RBI Inspection Reports) ;
- Review of Audit plan and status of achievement thereof;
- Review of Significant Audit Findings / Internal control weakness of the following audits along with the compliance thereof - (i) Long Form Audit Report (LFAR) (ii) Concurrent Audit (iii) Internal Inspection (iv) Information System Audit of Data Centre and other Departments (v) Treasury and Derivatives (vi) Management Audit at Controlling Offices / Head Offices (vii) Audit of Service Branches (viii) Currency Chest (ix) Foreign Exchange Management Act (FEMA) Audit of branches authorized to deal in foreign exchange, etc;
- Compliance report on directives issued by ACB / Board / RBI;
- Report on compliance of regulatory requirement of Regulators in Host Countries in respect of overseas branches;
- Review of financial results for the quarter including management discussion, analysis of financial condition, management letters / letters of internal control weaknesses issued by the Statutory Auditors;
- Review of information on violations by various functionaries in the exercise of discretionary powers;
- Information in respect of equity share holdings in borrower companies more than 30% of their paid up capital;
- Review of all fraud cases reported during the quarter ending March, June, September and December;
- Review of transactions with related parties;
- Review of (a) Risk Based Internal Audit Policy, (b) Concurrent Audit Policy and (c) IS Audit Policy;
- Review of accounting policies / systems of the Bank with a view to ensuring greater transparency in the Bank's accounts and adequacy of accounting standards; review of any change during the year and their impact. A confirmation that accounting policies are in compliance with accounting standards and RBI guidelines;
- Review of adequacy of the internal audit function, including the structure of the internal audit department, staffing and seniority of the official heading the department, reporting structure, coverage and frequency of internal audit;

- Review of the Bank's Internal Financial Controls;
- Review of the Bank's Risk Management Systems;
- Appointment of statutory auditors, reviewing and monitoring the auditor's independence, performance, effectiveness of audit process both for domestic and overseas operations;
- Review of annual accounts / financial statements of the Bank and auditor's report thereon before submission to the Board for approval with particular reference to items (a) to (g) as indicated in Point A (4) of Part C of Schedule II of LODR regulations;
- Approval of payment to Statutory Auditors for any other services rendered by the statutory auditors;
- Discussion with Statutory Auditors before the audit commences about the nature and scope of audit as well as post-audit discussion to ascertain any area of concern;
- Penalties imposed / penal action taken against bank under various laws and statutes and action taken for corrective measures;
- Review of report on Revenue leakage detected by Internal / External Auditors and status of recovery thereof - reasons for undercharges and steps taken to prevent revenue leakage;
- Report on end use of funds raised through offer documents and Public issue funds (certified by Statutory Auditors) as well as (I) quarterly statement of deviation(s) including report of monitoring agency in terms of Regulations 32(1) and (II) Annual statement of funds utilized for purposes other than those stated in the offer document in terms of Regulation 32(7) of LODR Regulations;
- Review of the reasons for substantial defaults in the payment to the depositors, debenture holders, shareholders (in case of nonpayment of declared dividends) and creditors;
- Review of Financial Statements including particular investments made by Unlisted Subsidiaries;
- Review of First Time NPAs;
- Dishonour of Cheques ₹ 1 crore & above;
- Annual Review of Concurrent Audit System;
- Approval of Annual Audit Plan;
- Annual Review of Outsourced Vendors' Audit;
- Review the functioning of Vigil Mechanism (formerly Whistle Blower Mechanism);
- Approval of appointment of (i) Chief Financial Officer; (ii) Chief Internal Auditor and (iii) Chief Compliance Officer;
- Valuation of undertakings or assets of the Bank wherever it is necessary.
- RBI Circulars having impact on the Bank's Accounts;
- Specific direction of ACB/ ACB Chairman in earlier Meetings along with the compliance status;
- NPA / Recovery related matter reported in Recovery Review Committee (RRC) for adoption purpose;
- To carry out any other role mandated to it by regulatory/ statutory requirements or Government of India (GoI)/ Reserve Bank of India (RBI) directions notified from time to time.

Quorum for ACB Meetings

The quorum for ACB Meetings shall be one-third of the total strength or two(2) members of ACB, whichever is higher, with at least two Independent Directors.

Frequency of ACB Meetings

The ACB shall meet at least four times in a year and not more than one hundred and twenty days shall intervene between two consecutive ACB meetings.

Number of Meetings held

During the period under review (April 1, 2017 – March 31, 2018), the ACB met 14 times on May 18, 2017, May 29, 2017, June 30, 2017, August 14, 2017, August 30, 2017, September 8, 2017, October 9, 2017, October 31, 2017, November 27, 2017, December 20, 2017, January 31, 2018, February 16, 2018, February 28, 2018 and March 21, 2018.

2. Executive Committee (EC)

Composition and brief terms of reference

The Executive Committee (EC) has been constituted to consider all matters of credit approvals including sanction of loans and advances, modifications in terms and conditions, etc.

As on March 31, 2018, the Executive Committee comprised of five members with S/Shri Mahesh Kumar Jain, MD & CEO as Chairman, K. P. Nair, DMD, G. M. Yadwadkar, DMD, S. Ravi, Ninad Karpe and Bhuwanchandra B. Joshi, Independent Directors, as others members.

The broader roles and responsibilities of EC are as under:

- Sanction of high value credit proposals with exposure of more than ₹ 250 crore;
- Modification in terms and conditions of sanctions made by EC;
- Reporting of Minutes of Credit Committees;
- Sanction of Proposals for One Time Settlements;
- Sanction of Proposals with exposure of more than ₹ 25 lakh to:
  - (i) Directors (including the Chairman/Managing Director) of other banks;
  - (ii) Any firm in which any of the directors of other banks is interested as a partner or guarantor; and

(iii) Any company in which any of the directors of other banks hold substantial interest or is interested as a director or as a guarantor;

- Sanction of proposals with exposure of more than ₹ 25 lakh to :
  - i. Any relative of the Chairman/ Managing Directors or other Directors of the Bank;
  - ii. Any relative of the Chairman/ Managing Director or other directors of other banks;
  - iii. Any firm in which any of the relatives as mentioned in (i) & (ii) above is interested as a partner or guarantor; and
  - iv. Any company in which any of the relatives as mentioned in (i) & (ii) above hold substantial interest or is interested as a director or as a guarantor;
- Reporting of sanctions of Securitisation Portfolios;
- Review and Reporting of First Time NPAs (FTNPAs);
- Review and Reporting of status of security creation in respect of EC approved cases;
- Proposal for conversion of dues and receivables into investment instrument(s);
- Approval for bidding in Initial Public Offerings (IPOs)/ Follow-on Public Offers (FPOs)/ Qualified Institutional Placements (QIPs);
- Investment in Equity/ Preferences Shares/ convertible/ non-convertible debentures, Bonds etc. (at par/ premium) in companies/ Security Receipts of Asset Reconstruction Companies (ARCs)/ Venture and Private Equity Funds/ New Fund Offerings (NFOs) of Mutual Funds, etc;
- To carry out any other role mandated to it by regulatory/ statutory requirements or Government of India (GoI)/ Reserve Bank of India (RBI) directions notified from time to time.

Quorum for EC Meetings

The quorum for EC Meetings shall be one-third of the total strength or two (2) members of EC, whichever is higher.

Frequency of EC Meetings

EC shall meet as per the need with at least four meetings in a year.

Number of Meetings held

During the period under review (April 1, 2017 – March 31, 2018), 23 meetings of the Executive Committee were held on April 12, 2017, April 27, 2017, May 18, 2017, May 30, 2017, June 20, 2017, June 27, 2017, June 29, 2017, July 18, 2017, August 8, 2017, August 30, 2017, September 20, 2017, October 9, 2017, October 30, 2017, November 20, 2017, December 12, 2017, December 26, 2017, December 28, 2017, January 15, 2018, January 31, 2018, February 16, 2018, February 28, 2018, March 20, 2018 and March 27, 2018.

3. Stakeholders' Relationship Committee (SRC)

Composition and brief terms of reference

As on March 31, 2018, the Stakeholders' Relationship Committee (SRC) of your Bank comprised of four members with Dr. Ashima Goyal, an Independent Director chairing the meetings and Shri K. P. Nair, DMD, Shri G. M. Yadwadkar, DMD and Shri S. Ravi, Independent Director as other members. The Committee has been constituted to look into the redressal of shareholders' and investors' grievances pertaining to share transfers, non-receipt of Annual Report, non-receipt of declared dividend and so on. This committee functions as per the terms of reference provided under Section 178 of the Companies Act, 2013 and Regulation 20 and Part D of Schedule II of the LODR Regulations. The broader roles and responsibilities of SRC are as under:

(i) The SRC will specifically look into the mechanism of redressal of grievances of Shareholders, Bondholders and other security holders;

(ii) The SRC will consider and resolve the grievances of all security holders of the Bank including the complaints related to transfer of shares, non-receipt of Annual Report and non-receipt of declared dividends;

(iii) Towards achieving the mandate as given at points (i) and (ii) above, the SRC will consider and review the Equity Servicing as well as Bonds servicing reports of the Bank in each of its meetings and give directions, wherever deemed necessary;

(iv) Review of the report on Equity servicing;

(v) Report on servicing of Flexibonds;

(vi) Reporting of Reconciliation of share capital Audit Report;

(vii) Reporting of details of Investors' complaints submitted to stock exchanges;

(viii) To carry out any other role mandated to it by regulatory/ statutory requirements or Government of India (GoI)/ Reserve Bank of India (RBI) directions notified from time to time.

Quorum for SRC Meetings

The quorum for SRC Meetings shall be one-third of the total strength or two (2) members of SRC, whichever is higher.

Frequency of SRC Meetings

SRC Meetings will be held on quarterly basis.

Number of Meetings held

During the period under review (April 1, 2017 – March 31, 2018), four SRC meetings were held on June 30, 2017, September 21, 2017, December 12, 2017 and February 28, 2018.

4. Frauds Monitoring Committee (FMC)

Composition and brief terms of reference

The Frauds Monitoring Committee (FMC) has been constituted as a Special committee for monitoring and following up Fraud cases of ₹ 1 crore and above. It has been set up to detect, monitor and address frauds.

As on March 31, 2018, the Frauds Monitoring Committee (FMC) comprised of six members with S/Shri Mahesh Kumar Jain, MD & CEO, K. P. Nair, DMD, G. M. Yadwadkar, DMD, Gyan Prakash Joshi, Bhuwanchandra B. Joshi and Dr. Ashima Goyal, Independent Directors as its members.

The broader roles and responsibilities of FMC are as under:

- Identify the systemic lacunae, if any, that facilitated perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same;
- Identify the reasons for delay in detection of fraud, if any, in reporting to top management of the Bank and RBI;
- Monitor progress of CBI/Police investigation and recovery position;
- Ensure that staff accountability is examined at all levels in all cases of frauds and action, if required, is completed quickly without loss of time;
- Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls;
- Review the Red Flagged Accounts and the status of remedial action taken/investigation ordered in the outstanding Red Flagged Accounts;
- To take note of completion of staff accountability exercise in fraud cases and the action taken thereon;
- Status of Recovery in fraud cases including recovery from cases being investigated by CBI, Police, etc;
- Review of Vigilance activities in the Bank;
- To carry out any other role mandated to it by regulatory/statutory requirements or Government of India (GoI)/Reserve Bank of India (RBI) directions notified from time to time.

Quorum for FMC Meetings

The quorum for FMC Meetings shall be one-third of the total strength or two (2) members of FMC, whichever is higher.

Frequency of FMC Meetings

FMC is required to meet and review as and when a fraud involving an amount of ₹ 1 crore and above comes to light.

Number of Meetings held

During the period under review (April 1, 2017 – March 31, 2018), seven meetings of FMC were held on April 27, 2017, May 18, 2017, June 30, 2017, August 14, 2017, October 09, 2017, December 28, 2017, and March 21, 2018.

5. Risk Management Committee (RMC)

Composition and brief terms of reference

The Risk Management Committee (RMC) has been constituted to assess various risks associated with the Bank's business, their mitigation, address the issues related to asset liability mismatch and also monitor and review the Risk Management Plan. RMC also fulfils the mandate/terms of reference provided under Regulation 21 of the LODR Regulations.

The Risk Management Committee (RMC) of the Board comprised of six members, viz., S/Shri Bhuwanchandra B. Joshi, Chairman, K. P. Nair, DMD, G. M. Yadwadkar, DMD, Praveen Garg, Government Nominee Director, Gyan Prakash Joshi and S. Ravi, Independent Directors as its members.

The broader roles and responsibilities of RMC are as under:

- Evaluating the overall risks faced by the bank including liquidity risk;
- The potential interaction of liquidity risk with other risks should also be included in the risks addressed by the RMC;
- Reporting of projections of cash flows and measuring liquidity risk, assumptions used;
- Recommendation of Policies, viz., Credit Policy, Recovery Policy, Fund Management Policy, Risk Management Policy, Asset Liability Policy, Operational Risk and Business Continuity Management (OR & BCM) Policy, DIFC Branch ALM Policy, Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy, Market Risk and Derivative Policy, Country Risk Management Policy & Country Risk Limits, Investment Policy, etc. to the Board;
- Review of progress in implementation of Risk Management System / ALM & Risk Based Supervision ;
- Review of progress Report on Operational Risk & Business Continuity Management ;
- Review of progress in implementation of Risk Based Internal Audit;
- Review of Market Risk Report of Trading Portfolio;
- Review of Results of Stress Test;

- Review of activities undertaken in Risk Management Department;
- Migration and Default analysis of Internal Ratings;
- Asset Liability Management Review;
- Review of Basel III implementation and other activities undertaken in Risk Management Department;
- Policy on Collateral Management and Customer Relationship Management (CRM) Techniques;
- Reporting of Minutes of Systems Product Approval & Review Committee (SPARC) I & II;
- Review of Status of Preparedness for Basel II and III;
- Policy on Counter Party Bank Limits and Allocation of Limits for Domestic & International Banks;
- Credit Exposure – Review and Compliance of Norms;
- To carry out any other role mandated to it by regulatory/statutory requirements or Government of India (GoI)/Reserve Bank of India (RBI) directions notified from time to time.

Quorum for RMC Meetings

The quorum for RMC Meetings shall be one-third of the total strength or two (2) members of RMC, whichever is higher.

Frequency of RMC Meetings

RMC Meetings will be held on quarterly basis.

Number of Meetings held

During the period under review (April 1, 2017 – March 31, 2018), the RMC held seven meetings on April 28, 2017, June 29, 2017, September 20, 2017, November 27, 2017, December 19, 2017, February 28, 2018 and March 20, 2018.

6. Corporate Social Responsibility Committee (CSRC)

Composition and brief terms of reference

In terms of Section 135 of the Companies Act, 2013, a Corporate Social Responsibility Committee (CSRC) of the Board has been constituted. As on March 31, 2018, the Committee comprised of Shri Mahesh Kumar Jain, MD & CEO, Shri K. P. Nair, DMD, Shri G. M. Yadwadkar, DMD, Shri Gyan Prakash Joshi and Dr. Ashima Goyal, Independent Directors as its members.

The primary responsibilities of the CSR Committee are:

(i) To formulate and recommend to the Board, a Corporate Social Responsibility Policy which shall indicate the activities to be undertaken by the Bank as specified in Schedule VII of the Companies Act, 2013;

(ii) To recommend the amount of expenditure to be incurred on the activities referred to in clause (i);

(iii) To monitor the Corporate Social Responsibility Policy of the Bank from time to time and

(iv) To carry out any other role mandated to it by regulatory/statutory requirements or Government of India (GoI)/Reserve Bank of India (RBI) directions notified from time to time.

Quorum for CSRC Meetings

The quorum for CSRC Meetings shall be one-third of the total strength or two (2) members of CSRC, whichever is higher.

Frequency of CSRC Meetings

CSRC Meetings will be held on half-yearly basis.

Number of Meetings held

During the period under review (April 1, 2017 – March 31, 2018), two meetings of the CSR Committee were held on April 27, 2017 and October 30, 2017.

7. Customer Service Committee(CSC)

Composition and brief terms of reference

The Customer Service Committee (CSC) has been constituted to formulate policies and assess the compliance thereof internally with a view to strengthening the governance structure for customer protection and service in the banking system and also to bring about on-going improvements in the quality of customer service provided by the Bank.

As on March 31, 2018, Customer Service Committee (CSC) comprised of six members viz., Shri Mahesh Kumar Jain, MD & CEO, Shri K. P. Nair, DMD, Shri G. M. Yadwadkar, DMD, Shri Pankaj Jain, Government Nominee Director, Shri Ninad Karpe and Shri Gyan Prakash Joshi, Independent Directors as its members.

The broader roles and responsibilities of CSC are as under:

- To look into the customer grievances and effectively service customers in the retail banking segment;
- Formulation of a Comprehensive Deposit Policy;
- Issues such as the treatment of death of a depositor for operations of his account;
- Product approval process with a view to suitability and appropriateness;
- Annual survey of depositor satisfaction;
- Tri-enniel audit of such services;
- To play more pro-active role with regard to complaints / grievances resolved by Banking Ombudsman of various States;
- To take note of all the awards given by the Banking Ombudsman;

- To review all the awards remaining unimplemented for more than three months with the reasons therefor;
- Review of measures taken for Customer Protection & Service in IDBI Bank;
- Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) Code Compliance Rating;
- Revision of Grievance Redressal Policy;
- To carry out any other role mandated to it by regulatory/statutory requirements or Government of India (GoI)/Reserve Bank of India (RBI) directions notified from time to time.

Quorum for CSC Meetings

The quorum for CSC Meetings shall be one-third of the total strength or two (2) members of CSC, whichever is higher.

Frequency of CSC Meetings

CSC Meetings will be held on quarterly basis.

Number of Meetings held

During the period under review (April 1, 2017 – March 31, 2018), four meetings of the Customer Service Committee were held on May 29, 2017, September 8, 2017, December 19, 2017 and March 20, 2018.

8. Information Technology Committee (ITC)

Composition and brief terms of reference

The Information Technology Committee (ITC) has been constituted to put in place an effective technology platform in the Bank. The objectives were to render various IT enabled services to customers; to help in streamlining the approach and to assist in launching new I.T. products and to provide related services.

As on March 31, 2018, the Information Technology Committee comprised of five members with Shri Ninad Karpe, Independent Director, an expert IT Professional, as Chairman and Shri K. P. Nair, DMD, Shri G. M. Yadwadkar, DMD, Shri Gyan Prakash Joshi and Shri Bhuwanchandra B Joshi as its members.

The broader roles and responsibilities of ITC are as under:

- Recommendation of Proposed IT Budget to the Board;
- Review of IT Budget Utilisation;
- To review launch of various products and IT enabled services to Bank's customers;
- To review development, procurement and operations of various software/hardware either in-house or purchased from outside and to formulate procedures for inviting tenders or other process for selection of technology;
- Overseeing the execution, implementation and operations of systems and procedures;
- To oversee integration of branches through technology and development of MIS for the Bank;
- To review update of Technology Architecture and Major IT initiatives undertaken;
- Review of Information Security Incidents;
- Review of performance of Digital Banking and Emerging Payments;
- Review of Information Security Policy;
- Review of IT Policy;
- Assessing Cyber Security Preparedness;
- To carry out any other role mandated to it by regulatory/statutory requirements or Government of India (GoI)/Reserve Bank of India (RBI) directions notified from time to time.

Quorum for ITC Meetings

The quorum for ITC Meetings shall be one-third of the total strength or two (2) members of ITC, whichever is higher

Frequency of ITC Meetings

ITC Meetings will be held on quarterly basis.

Number of Meetings held

During the period under review (April 1, 2017 – March 31, 2018), six meetings of the Information Technology Committee were held on May 18, 2017, July 18, 2017, September 20, 2017, November 27, 2017, January 31, 2018 and March 20, 2018.

9. Remuneration Committee (RC)

Composition and brief terms of reference

A Remuneration Committee (RC) has been set up to consider and approve the payment of annual performance-linked incentives to MD & CEO and DMDs. The Remuneration Committee also fulfils the mandate/ terms of reference provided under Section 178 of the Companies Act, 2013 and Regulation 19 and Part D of Schedule II of the LODR Regulations. As on March 31, 2018, the Remuneration Committee comprised of five members with Shri Gyan Prakash Joshi, Independent Director as the Chairman, Shri Praveen Garg, and Shri Pankaj Jain, Government Nominee Director & non-executive Director, and Shri Ninad Karpe, Independent Director as its members.

The broader roles and responsibilities of RC are as under:

- Evaluation of annual performance-linked incentives to the MD & CEO and DMDs as per Government of India (GoI) guidelines issued on the subject;
- Submission of above mentioned evaluation Report to Board;
- Formulation of Remuneration Policy for Directors, KMPs, etc;

- To carry out any other role mandated to it by regulatory/statutory requirements or Government of India (GoI)/Reserve Bank of India (RBI) directions notified from time to time.

Quorum of RC Meetings

The quorum for RC Meetings shall be one-third of the total strength or two (2) members of RC, whichever is higher

Frequency of RC Meetings

Remuneration Committee will meet as and when required including to approve Performance Linked Incentives for a particular FY. As per LODR Regulations and Companies Act, 2013, no mandatory periodicity for Remuneration Committee Meetings has been prescribed.

10. Nomination Committee (NC)

Composition and brief terms of reference

A Nomination Committee was constituted to undertake a process of due diligence to determine the *'fit and proper'* status of Directors elected by shareholders other than the Central Government and Central Government Banks & Institutions. In view of appointment of Independent Directors to be elected by all shareholders, the above exercise is no longer applicable and needed. However, the Nomination Committee now fulfils the mandate/terms of reference provided under Section 178 of the Companies Act, 2013 and Regulation 19 read with Part D of Schedule II of the LODR Regulations.

As on March 31, 2018, the Nomination Committee consisted of four independent directors as members, namely Shri Gyan Prakash Joshi as the Chairman, Shri Ninad Karpe, Shri S. Ravi and Dr. Ashima Goyal as the members.

The broader roles and responsibilities of NC are as under:

- Formulation of the criteria for determining qualifications, positive attributes and independence of a director and recommend to the Board of Directors a policy relating to appointment and evaluation of Directors;
- Formulation of criteria for evaluation of performance of Independent Directors and the Board of Directors;
- Devising a policy on diversity of Board of Directors;
- To identify persons who are qualified for appointment as Independent Directors in accordance with Directors' Appointment and Evaluation Policy;
- To recommend to the Board the appointment and removal of Directors in accordance with the criteria laid down in the Directors' Appointment and Evaluation Policy;
- To carry out any other role mandated to it by regulatory/statutory requirements or Government of India (GoI)/Reserve Bank of India (RBI) directions notified from time to time.

Quorum of NC Meetings

The quorum for NC Meetings shall be one-third of the total strength or two (2) members of NC, whichever is higher.

Frequency of NC Meetings

Nomination Committee shall meet as and when required.

Number of Meetings held

During the period under review (April 1, 2017 – March 31, 2018), two meetings of the Nomination Committee were held on April 28, 2017 and October 09, 2017.

11. HR Steering Committee (HRSC)

Composition and brief terms of reference

The HR Steering Committee (HRSC) has been constituted to deal with the matters related to human resources and to discuss critical issues in HR.

As on March 31, 2018, the HRSC comprised of six members, namely Shri Mahesh Kumar Jain, MD & CEO (Chairman), Shri K. P. Nair, DMD, Shri G. M. Yadwadkar, DMD, Shri Pankaj Jain, Government Nominee Director, Shri Praveen Garg, Government Nominee Director and Shri S. Ravi, Independent Director.

The broader roles and responsibilities of HRSC are as under:

- Making policies pertaining to recruitment and training;
- Review of performance management, compensation and career development initiatives;
- Consider Management development and succession planning;
- Alignment of the HR strategy to the business strategy and plan; and
- To carry out any other role mandated to it by regulatory/statutory requirements or Government of India (GoI)/Reserve Bank of India (RBI) directions notified from time to time.

Quorum for HRSC Meetings

The quorum for HRSC Meetings shall be one-third of the total strength or two (2) members of HRSC, whichever is higher.

Frequency of HRSC Meetings

HRSC shall meet as per the need with at least four meetings in a year.

Number of Meetings held

During the period under review (April 1, 2017 – March 31, 2018), six meetings of the HR Steering Committee were held on April 12, 2017, June 29, 2017, October 30, 2017, December 19, 2017, February 16, 2018 and March 20, 2018.

12. Recovery Review Committee (RRC)

Composition and brief terms of reference

According to the Government of India directives/ the Board's recommendation, a Recovery Review Committee (RRC) has been constituted for reviewing recovery from NPAs, stressed accounts, written-off cases, Official Liquidator (OL) cases, Debt Recovery Tribunal (DRT) cases and to monitor the progress of recovery and so on.

As on March 31, 2018, the Recovery Review Committee comprised of seven members, namely Shri Mahesh Kumar Jain, MD & CEO (Chairman), Shri K. P. Nair, DMD, Shri G. M. Yadwadkar, DMD, Shri Pankaj Jain, Government Nominee Director, Shri Praveen Garg, Government Nominee Director, Shri Ninad Karpe, Indpendent Director and Shri S.Ravi, Independent Director.

The broader roles and responsibilities of RRC are as under:

- Review of Recovery Performance of Non-performing Assets (NPAs) / Written Off Accounts;
- Review of Stressed Structured Retail Assets and Quick Mortality Assets cases;
- Review of Top 100 Non-Performing Assets (NPAs) of the Bank;
- Review of Stressed Accounts of Corporate Verticals;
- Status Report on Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest (SARFAESI) Act, 2002;
- Review of Special Mention accounts (SMA)-2 accounts;
- Review of suit filed cases;
- Review of First Time Non-Performing Assets (FTNPAs)/ Wilful Defaulters;
- Quarterly Review of Non-Performing Assets (NPAs);
- To carry out any other role mandated to it by regulatory/statutory requirements or Government of India (GoI)/Reserve Bank of India (RBI) directions notified from time to time.

Quorum for RRC Meetings

The quorum for RRC Meetings shall be one-third of the total strength or two (2) members of RRC, whichever is higher.

Frequency of RRC Meetings

RRC shall endeavor to meet every month.

Number of Meetings held

During the period under review (April 1, 2017 – March 31, 2018), eight meetings of the Recovery Review Committee were held on April 28, 2017, May 29, 2017, June 29, 2017, August 08, 2017, October 30, 2017, December 19, 2017, January 31, 2018 and March 20, 2018.

13. Independent Directors' Committee (IDC)

Composition and brief terms of reference

The Independent Directors' Committee (IDC) has been constituted in terms of Schedule IV of the Companies Act, 2013 and Regulation 25 of the LODR Regulations. As on March 31, 2018, the Independent Directors' Committee comprised of five members, namely Shri S. Ravi, Shri Ninad Karpe, Shri Gyan Prakash Joshi, Shri Bhuwanchandra B Joshi and Dr. Ashima Goyal, Independent Directors.

The broader roles and responsibilities of IDC are as under:

- Review the performance of non-independent directors and the Board as a whole;
- Review the performance of the Chairperson of the company, taking into account the views of Executive Directors and Non-Executive Directors;
- Assess the quality, quantity and timeliness of flow of information between the Bank's management and the Board which is necessary for the Board to effectively and reasonably perform their duties;
- To carry out any other role mandated to it by regulatory/statutory requirements or Government of India (GoI)/Reserve Bank of India (RBI) directions notified from time to time.

Quorum for IDC Meetings

The quorum for IDC Meetings shall be one-third of the total strength or two members of IDC, whichever is higher. However, as per Schedule IV of the Companies Act, 2013, all independent directors shall strive to be present in IDC meetings.

Frequency of IDC Meetings

IDC Meetings will be held at least once in a year.

Number of Meetings held

During the period under review (April 1, 2017 – March 31, 2018), one meeting of the Independent Directors' Committee was held on April 12, 2017.

14. Non-Cooperative Borrowers' Review Committee (NCBRC)

Composition and brief terms of reference

The Non-Cooperative Borrowers' Review Committee (NCBRC) was constituted comprising of MD & CEO and two Independent Directors.

As on March 31, 2018, the Committee comprised of Shri Mahesh Kumar Jain, MD & CEO (Chairman), Shri Ninad Karpe and Shri Bhuwanchandra B. Joshi, Independent Directors' as members.

The broader roles and responsibilities of NCBRC are

- To review the internal Non-Cooperative Borrowers' Committee's orders/decisions of classifying a borrower as non-cooperative borrower.

- To carry out any other role mandated to it by regulatory/statutory requirements or Government of India (GoI)/Reserve Bank of India (RBI) directions notified from time to time.

Quorum for NCBRC Meetings

The presence of all members shall form the quorum for NCBRC Meetings.

Frequency of NCBRC Meetings

NCBRC is required to meet and review as and when the decision to classify a borrower as 'Non-Cooperative Borrower', is taken by internal Non-Cooperative Borrower Committee of the Bank.

Number of Meetings held

During the period under review (April 1, 2017 – March 31, 2018), 4 (four) meetings of Non-Cooperative Borrowers' Review Committee were held on August 14, 2017, November 27, 2017, January 15, 2018 and February 28, 2018.

15. Wilful Defaulters Review Committee (WDRC)

Composition and brief terms of reference

The Wilful Defaulters Review Committee (WDRC) was constituted comprising of MD & CEO and two Independent Directors.

As on March 31, 2018, the Committee comprised of Shri Mahesh Kumar Jain, MD & CEO (Chairman), Shri S. Ravi and Shri Bhuwanchandra B. Joshi, Independent Directors as members.

The broader roles and responsibilities of WDRC are:

- To review the internal Wilful Defaulters Committee's orders/decisions of classifying a borrower as wilful defaulter.
- To carry out any other role mandated to it by regulatory/statutory requirements or Government of India (GoI)/Reserve Bank of India (RBI) directions notified from time to time.

Quorum for WDRC Meetings

The presence of all members shall form the quorum for WDRC Meetings.

Frequency of WDRC Meetings

WDRC is required to meet and review as and when the decision to classify a borrower as 'Wilful Defaulter', is taken by internal Wilful Defaulters Committee of the Bank.

Number of Meetings held

During the period under review (April 1, 2017 – March 31, 2018), six meetings of Wilful Defaulters Review Committee were held on August 30, 2017, October 9, 2017, November 27, 2017, January 15, 2018, February 28, 2018 and March 21, 2018.

Details of attendance of Directors at Committee Meetings are given in Table 2.

Table 2 : Directors' Attendance at the Committee Meetings (April 1, 2017 to March 31, 2018)

Sr. No.	Names of Directors	ACB		EC		SRC		FMC		RMC		CSRC		CSC		ITC		RC		NC		HRSC		RRC		IDC		NCBRC		WDRC	
		H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A
1.	Shri Mahesh Kumar Jain, MD & CEO (DIN-03513127)	-	-	23	23	-	-	7	7	-	-	2	2	4	4	-	-	-	-	-	-	6	6	8	8	-	-	4	4	6	6
2.	Shri K.P.Nair, DMD (DIN-02611496)	14	14	23	22	4	4	7	6	7	7	2	2	4	4	6	6	-	-	-	-	6	6	8	8	-	-	-	-	-	-
3.	Shri G.M. Yadwadkar, DMD (DIN-01432796)	-	-	23	23	4	4	7	7	7	7	2	2	4	4	6	6	-	-	-	-	6	6	8	8	-	-	-	-	-	-
4.	Shri Pankaj Jain (DIN-00675922)	14	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-	0	0	-	-	6	4	8	5	-	-	-	-	-	-
5.	Shri Praveen Garg (DIN-00208604)	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	6	2	8	4	-	-	-	-	-	-
6.	Shri S. Ravi (DIN- 00009790)	14	14	23	22	4	4	6	6	7	5	-	-	-	-	-	-	0	0	2	2	6	5	8	7	1	1	-	-	6	6
7.	Shri Ninad Karpe (DIN- 00030971)	14	11	23	21	-	-	6	5	5	4	-	-	4	3	6	6	0	0	2	2	-	-	1	1	1	1	4	4	-	-
8.	Shri Gyan Prakash Joshi (DIN- 00603925)	14	14	-	-	-	-	7	7	7	6	2	2	4	4	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	4
9.	Ms. Neeru Abrol (DIN-01279485) [upto 18.07.17]	3	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
10.	Dr. Ashima Goyal (DIN- 00233635) [w.e.f. 28.04.17]	11	10	-	-	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-
11.	Shri B.B. Joshi (DIN- 06713850) [w.e.f. 09.10.17]	-	-	4	3	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2

H – Meetings Held during Director's tenure
A – Meetings Attended by the Director

Extract of the Annual Return

In terms of the provisions of Section 92(3) read with Section 134(3)(a) of the Companies Act, 2013 and Rule 12 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, an extract of the Annual Return on the prescribed form MGT 9 is given herein below:

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS

i.	CIN	L65190MH2004GOI148838
ii.	Registration Date	September 27, 2004
iii.	Name of the Company	IDBI Bank Limited
iv.	Category/Sub-Category of the Company	Public Limited Company/Limited by Shares
v.	Address of the Registered office and contact details	Registered Office: IDBI Bank Ltd, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai- 400005 Contact Details: Ph: (022) 66553355, 22189111 Fax: (022) 22180411 Website: www.idbi.com
vi.	Whether listed Company	Yes
vii.	Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent	Karvy Computershare Private Limited Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032 Tel.No.(040) 33211500 Toll Free Number : 1-800-3454001 Fax No.(040) 23420814 email : einward.ris@karvy.com

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

Sr. No.	Name and Description of main products/ services	NIC Code of the Product/ Service	% of total turnover of the company
1.	Monetary intermediation of commercial banks, saving banks, postal savings bank and discount houses	64191	100%

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

Sr. No.	Name and Address of the company	CIN / GLN	Holding/ Subsidiary/ Associate	% of shares	Applicable Section
1	IDBI Capital Markets and Securities Ltd. 3rd Floor, Mafatlal Centre, Nariman Point, Mumbai – 400 021.	U65990MH1993GOI075578	Subsidiary	100.00	2(87)
2	IDBI Intech Ltd. IDBI Building, 1st Floor, Plot No. 39-41, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai – 400 614.	U72200MH2000GOI124665	Subsidiary	100.00	2(87)
3	IDBI MF Trustee Company Ltd. IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400005	U65991MH2010PLC199326	Subsidiary	100.00	2(87)
4	IDBI Asset Management Ltd. IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400005	U65100MH2010PLC199319	Subsidiary	66.67	2(87)

Sr. No.	Name and Address of the company	CIN / GLN	Holding/ Subsidiary/ Associate	% of shares	Applicable Section
5	IDBI Trusteeship Services Ltd. Asian Building, Ground Floor, 17, R. Kamani Marg, Ballard Estate, Mumbai-400 001.	U65991MH2001GOI131154	Subsidiary	54.70	2(87)
6	IDBI Federal Life Insurance Company Ltd. 1st Floor, Tradeview, Oasis Complex, Kamala City, P.B. Marg, Lower Parel (W). Mumbai – 400 013	U66010MH2007PLC167164	Joint Venture	48.00	2(6)
7	National Securities Depository Ltd. 'A' Wing, 4th Floor, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400 013.	U74120MH2012PLC230380	Associate	30.00	2(6)
8	Biotech Consortium India Ltd. 5th floor, Anuvrat Bhawan 210, Deen Dayal Upadhyaya Marg New Delhi – 110 002	U73100DL1990PLC041486	Associate	27.93	2(6)
9	North Eastern Development Finance Corporation Ltd. NEDFi House, Dispur, Guwahati - 781006.	U65923AS1995GOI004529	Associate	25.00	2(6)
10	Pondicherry Industrial Promotion Development And Investment Corporation Ltd. 60, Romain Rolland Street, Puducherry - 605 001.	U65923PY1974SGC000121	Associate	21.14	2(6)

IV. SHAREHOLDING PATTERN (Equity Share Capital - Breakup as percentage of Total Equity)

i) Category-wise Share Holding

		Category of Shareholders	No. Of Shares Held At The Beginning Of The Year 31/03/2017				No. Of Shares Held At The End Of The Year 31/03/2018				% CHANGE DURING THE YEAR
			DEMAT	PHYSICAL	TOTAL	% OF TOTAL SHARES	DEMAT	PHYSICAL	TOTAL	% OF TOTAL SHARES	
A.	PROMOTER AND PROMOTER GROUP										
	(1)	INDIAN									
	a)	Individual /HUF	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	b)	Central Government/State Government(s)	1523113202	0	1523113202	73.98	2055467184	441371502	2496838686	80.96	6.98
	c)	Bodies Corporate	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	d)	Financial Institutions / Banks	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	e)	Others	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	f)	Any Other (specify)	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Sub-Total (A)(1)	1523113202	0	1523113202	73.98	2055467184	441371502	2496838686	80.96	6.98
	(2)	FOREIGN									
	a)	Individuals (NRIs/Foreign Individuals)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	b)	Bodies Corporate	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	c)	Institutions	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	d)	Qualified Foreign Investor	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	e)	Others	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
		Sub-Total A(2) :	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
		Total A=A(1)+A(2)	1523113202	0	1523113202	73.98	2055467184	441371502	2496838686	80.96	6.98

Category of Shareholders	No. Of Shares Held At The Beginning Of The Year 31/03/2017				No. Of Shares Held At The End Of The Year 31/03/2018				% CHANGE DURING THE YEAR
	DEMAT	PHYSICAL	TOTAL	% OF TOTAL SHARES	DEMAT	PHYSICAL	TOTAL	% OF TOTAL SHARES	
B. Public Shareholding									
1. INSTITUTIONS									
a) Mutual Funds /UTI	1915111	100	1915211	0.09	11981236	0	11981236	0.39	0.30
b) Financial Institutions /Banks	14983097	7786	14990883	0.73	15379559	6340	15385899	0.50	-0.23
c) Central Government / State Government(s)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
d) Venture Capital Funds	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
e) Insurance Companies	300248544	0	300248544	14.58	347301541	0	347301541	11.26	-3.32
f) Foreign Institutional Investors	52096672	2020	52098692	2.53	52784074	1860	52785934	1.71	-0.82
g) Foreign Venture Capital Investors	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
h) Qualified Foreign Investor	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
i) Others	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
Sub-Total B(1) :	**369243424**	**9906**	**369253330**	**17.94**	**427446410**	**8200**	**427454610**	**13.86**	**-4.07**
(2) NON-INSTITUTIONS									
(a) Bodies Corporate	26352353	300919	26653272	1.29	27327492	207020	27534512	0.89	-0.40
(b) Individuals									
(i) Individuals holding nominal share capital upto Rs.1 lakh	89508365	14004994	103513359	5.03	78415551	11890629	90306180	2.93	-2.10
(ii) Individuals holding nominal share capital in excess of Rs.1 lakh	26987814	109480	27097294	1.32	29729312	95480	29824792	0.97	-0.35
(c) Others									0.00
CLEARING MEMBERS	3437735	0	3437735	0.17	4831157	0	4831157	0.16	-0.01
I E P F	0	0	0	0.00	2117434	0	2117434	0.07	0.07
FOREIGN NATIONALS	1600	0	1600	0.00	0	0	0	0.00	0.00
NBFC	23963	0	23963	0.00	27391	0	27391	0.00	0.00
NON RESIDENT INDIANS	3213193	1630633	4843826	0.24	2591597	1370343	3961940	0.13	-0.11
NRI NON-REPATRIATION	447325	0	447325	0.02	610081	0	610081	0.02	0.00
SOCIETIES	**0**	**28960**	**28960**	**0.00**	**0**	**28960**	**28960**	**0.00**	**0.00**
STATE FINANCE CORPORATION	0	35680	35680	0.00	0	0	0	0.00	0.00
TRUSTS	**328735**	**36800**	**365535**	**0.02**	**301033**	**25920**	**326953**	**0.01**	**-0.01**
(d) Qualified Foreign Investor	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
Sub-Total B(2) :	**150301083**	**16147466**	**166448549**	**8.08**	**145951048**	**13618352**	**159569400**	**5.17**	**-2.91**
Total B=B(1)+B(2) :	**519544507**	**16157372**	**535701879**	**26.02**	**573397458**	**13626552**	**587024010**	**19.04**	**-6.98**
Total (A+B) :	**2042657709**	**16157372**	**2058815081**	**100.00**	**2628864642**	**454998054**	**3083862696**	**100.00**	
c) Shares held by custodians, against which Depository Receipts have been issued									
1) Promoter and Promoter Group								5.04	0.03
(2) Public	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
GRAND TOTAL (A+B+C) :	2042657709	16157372	2058815081	100.00	2628864642	454998054	3083862696	100.00	

ii) Shareholding of Promoters

Sr. No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			
		No. of shares	% of total shares of the Bank	% of shares Pledged/ encumbered to total shares	No. of shares	% of total shares of the Bank	% of shares Pledged/ encumbered to total shares	%change in shareholding during the year
1.	Government of India	1523113202	73.98	0	2496838686	80.96	0	6.98

iii) Change in Promoters' Shareholding*

Sr. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of Shares	% of total shares of the Bank	No. of shares	% of total shares of the Bank
	At the beginning of the year	1523113202	73.98	1523113202	73.98
	Date-wise Increase/ Decrease in Promoters shareholding during the year				
	14.08.2017	247492510	75.10	1770605712	75.10
	06.10.2017	284861472	77.79	2055467184	77.79
	28.03.2018	441371502	80.96	2496838686	80.96
	At the end of the year	2496838686	80.96	2496838686	80.96

* During May 2018, IDBI Bank has alloted 1097326649 equity shares of the Bank to Government of India on preferential basis at a price of ₹ 71.82 per share aggregating to ₹ 7,881 crore thereby increasing the percentage shareholding to 85.96%.

(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, promoters and Holders of GDRs ad ADRs):

Sl. no.	Folio/DP ID-Client ID	Category	Type	Name of the Share Holder	Shareholding at the begginning of the Year		Cumulative Shareholding during the Year	
					No of Shares	% of total shares of the company	No of Shares	% of total shares of the company
1	IN30081210000012	LIC	Opening Balance	LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA	240464655	11.68	240464655	11.68
	07/04/2017		Sale		2300000	0.11	238164655	11.57
	21/07/2017		Purchase		11853588	0.57	250018243	12.07
	08/09/2017		Purchase		39468543	1.67	289486786	12.28
	31/03/2018		Closing Balance			0.00	289486786	9.39
2	IN30081210497730	LIC	Opening Balance	LIC OF INDIA MARKET PLUS GROWTH FUND	17555855	0.85	17555855	0.85
	31/03/2018		Closing Balance			0.00	17555855	0.57
3	IN30045011154960	IFI	Opening Balance	SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA	10500000	0.51	10500000	0.51
	31/03/2018		Closing Balance			0.00	10500000	0.34
4	IN30081210000543	INS	Opening Balance	UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED	8057143	0.39	8057143	0.39
	31/03/2018		Closing Balance			0.00	8057143	0.26
5	IN30081210498007	LIC	Opening Balance	LIC OF INDIA MARKET PLUS 1 GROWTH FUND	7902237	0.38	7902237	0.38
	31/03/2018		Closing Balance			0.00	7902237	0.26
6	IN30081210497789	LIC	Opening Balance	LIC OF INDIA MONEY PLUS GROWTH FUND	6869656	0.33	6869656	0.33
	31/03/2018		Closing Balance			0.00	6869656	0.22
7	IN30133021061628	PUB	Opening Balance	ASHISH RAMESHKUMAR GOENKA & LAVINA ASHISHKUMAR GOENKA	6785753	0.33	6785753	0.33
	02/02/2018		Purchase		929225	0.04	7714978	0.29
	31/03/2018		Closing Balance			0.00	7714978	0.29

Sl. no.	Folio/DP ID-Client ID	Category	Type	Name of the Share Holder	Shareholding at the begginning of the Year		Cumulative Shareholding during the Year	
					No of Shares	% of total shares of the company	No of Shares	% of total shares of the company
8	IN30016710046498	LTD	Opening Balance	CANARA HSBC ORIENTAL BANK OF COMMERCE LIFE INSURANCE	6644828	0.32	6644828	0.32
	07/04/2017		Sale		9680	0.00	6635148	0.32
	14/04/2017		Purchase		9679	0.00	6644827	0.32
	21/04/2017		Sale		46290	0.00	6598537	0.32
	05/05/2017		Sale		69404	0.00	6529133	0.32
	12/05/2017		Sale		88514	0.00	6440619	0.31
	19/05/2017		Sale		2121	0.00	6438498	0.31
	26/05/2017		Sale		64937	0.00	6373561	0.31
	09/06/2017		Sale		6997	0.00	6366564	0.31
	16/06/2017		Sale		130000	0.01	6236564	0.30
	23/06/2017		Sale		976160	0.05	5260404	0.26
	30/06/2017		Sale		3560404	0.17	1700000	0.08
	07/07/2017		Sale		1700000	0.08	0	0.00
	31/03/2018		Closing Balance			0.00	0	0.00
9	IN30016710011470	FPI	Opening Balance	VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	6146213	0.30	6146213	0.30
	07/04/2017		Purchase		110090	0.01	6256303	0.30
	28/04/2017		Purchase		10100	0.00	6266403	0.30
	05/05/2017		Purchase		80800	0.00	6347203	0.31
	12/05/2017		Purchase		25250	0.00	6372453	0.31
	19/05/2017		Purchase		54540	0.00	6426993	0.31
	02/06/2017		Purchase		22220	0.00	6449213	0.31
	07/07/2017		Purchase		35350	0.00	6484563	0.31
	14/07/2017		Purchase		25250	0.00	6509813	0.31
	04/08/2017		Purchase		22220	0.00	6532033	0.32
	11/08/2017		Purchase		29290	0.00	6561323	0.32
	25/08/2017		Purchase		845664	0.04	7406987	0.31
	01/09/2017		Purchase		233084	0.01	7640071	0.32
	08/09/2017		Purchase		51510	0.00	7691581	0.33
	15/09/2017		Purchase		46460	0.00	7738041	0.33
	06/10/2017		Purchase		30300	0.00	7768341	0.33
	13/10/2017		Purchase		31310	0.00	7799651	0.30
	20/10/2017		Purchase		23230	0.00	7822881	0.30
	27/10/2017		Purchase		21210	0.00	7844091	0.27
	22/12/2017		Sale		14014	0.00	7830077	0.30
	26/01/2018		Purchase		50666	0.00	7880743	0.30
	02/02/2018		Purchase		45276	0.00	7926019	0.30
	23/03/2018		Sale		7926019	0.30	0	0.00
	31/03/2018		Closing Balance			0.00	0	0.00

Sl. no.	Folio/DP ID-Client ID	Category	Type	Name of the Share Holder	Shareholding at the begginning of the Year		Cumulative Shareholding during the Year	
					No of Shares	% of total shares of the company	No of Shares	% of total shares of the company
10	IN30005410013410	FPI	Opening Balance	EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO (THE PORTFOLIO) OF DFA INVESTMENT DIMESIONS GROUP INC. (DFAIDG)	6028809	0.29	6028809	0.29
	21/07/2017		Sale		73598	0.00	5955211	0.29
	04/08/2017		Sale		273651	0.01	5681560	0.27
	08/12/2017		Sale		135920	0.01	5545640	0.21
	15/12/2017		Sale		247093	0.01	5298547	0.20
	22/12/2017		Sale		52396	0.00	5246151	0.20
	16/02/2018		Purchase		265382	0.01	5511533	0.21
	31/03/2018		Closing Balance			0.00	5511533	0.18

(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel

Sr. No.			Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
			No. of Shares	% of total shares of the Bank	No. of shares	% of total shares of the Bank
Directors						
1.	Shri Kishor Kharat, MD & CEO (DIN-07266945) [upto 03.04.2017]	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the End of the Year (or on the date of separation)	0	0	0	0
2.	Shri Mahesh Kumar Jain, MD & CEO (DIN- 03513127) [w.e.f. 03.04.2017]	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the End of the Year (or on the date of separation)	0	0	0	0
3.	Shri K.P. Nair, DMD (DIN-02611496)	At the beginning of the year	320	0	320	0
		Date wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the End of the Year (or on the date of separation)	320	0	320	0
4.	Shri G.M. Yadwadkar, DMD (DIN-01432796)	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the End of the Year (or on the date of separation)	0	0	0	0

Sr. No.			Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
			No. of Shares	% of total shares of the Bank	No. of shares	% of total shares of the Bank
5.	Shri Pankaj Jain, Government Nominee Director (DIN-00675922)	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the End of the Year (or on the date of separation)	0	0	0	0
6.	Shri Praveen Garg, Government Nominee Director (DIN-00208604)	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the End of the Year (or on the date of separation)	0	0	0	0
7.	Shri S. Ravi, Independent Director (DIN- 00009790)	At the beginning of the year	200	0	200	0
		Date wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the End of the Year (or on the date of separation)	200	0	200	0
8.	Shri Ninad Karpe, Independent Director (DIN- 00030971)	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the End of the Year (or on the date of separation)	0	0	0	0
9.	Shri Gyan Prakash Joshi, Independent Director (DIN- 00603925)	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the End of the Year (or on the date of separation)	0	0	0	0
10.	Ms. Neeru Abrol, Additional Director (DIN-01279485) [upto 18.07.2017]	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the End of the Year (or on the date of separation)	0	0	0	0
11.	Dr. Ashima Goyal, Independent Director (DIN- 00233635) [w.e.f. 28.04.2017]	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the End of the Year (or on the date of separation)	0	0	0	0
12.	Shri B.B. Joshi, Additional Director (DIN- 06713850) [w.e.f. 09.10.2017]	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the End of the Year (or on the date of separation)	0	0	0	0

Sr. No.			Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
			No. of Shares	% of total shares of the Bank	No. of shares	% of total shares of the Bank
Key Managerial Personnel (KMP)						
1.	Smt. Padma Betai, CFO (upto July 3, 2017)	At the beginning of the year	270	0	270	0
		Date wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	160	0
		At the End of the Year (or on the date of separation i.e. 30.06.16)	270	0	270	0
2.	Shri Ajoy Nath Jha, CRO (w.e.f. March 21, 2018)	At the beginning of the year	320	0	320	0
		Date wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the End of the Year (or on the date of separation i.e. 15.08.16)	320	0	320	0
3.	Shri Ajay Sharma, CFO (w.e.f. July 3, 2017)	At the beginning of the year	120	0	120	0
		Date wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the End of the Year (or on the date of separation)	120	0	120	0
4.	Shri Pawan Agrawal, Company Secretary	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the End of the Year (or on the date of separation)	0	0	0	0
5.	Shri Pothukuchi Sitaram, Executive Director & CCO (w.e.f. March 21, 2018)	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the End of the Year (or on the date of separation)	0	0	0	0
6	Smt. Mythili Balasubramanian, Executive Director (w.e.f. March 21, 2018)	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the End of the Year (or on the date of separation)	0	0	0	0
7.	Shri Abhay Laxman Bongirwar, Executive Director (w.e.f. March 21, 2018)	At the beginning of the year	320	0	320	0
		Date wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the End of the Year (or on the date of separation)	320	0	320	0
8.	Shri Gopalkrishna Annaji Tadas, Executive Director (w.e.f. March 21, 2018)	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the End of the Year (or on the date of separation)	0	0	0	0

Sr. No.			Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
			No. of Shares	% of total shares of the Bank	No. of shares	% of total shares of the Bank
9.	Dr. Saumya Sankar Banerjee, Executive Director (w.e.f. March 21, 2018)	At the beginning of the year	320	0	320	0
		Date wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the End of the Year (or on the date of separation)	320	0	320	0
10.	Shri Suresh Kishinchand Khatanhar, Executive Director (w.e.f. March 21, 2018)	At the beginning of the year	24200	0	24200	0
		Date wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the End of the Year (or on the date of separation)	24200	0	24200	0
11.	Shri Inderpal Singh Kalra, Executive Director (w.e.f. March 21, 2018)	At the beginning of the year	320	0	320	0
		Date wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the End of the Year (or on the date of separation)	320	0	320	0
12.	Shri Madhav Vasant Phadke, Executive Director (w.e.f. March 21, 2018)	At the beginning of the year	320	0	320	0
		Date wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the End of the Year (or on the date of separation)	320	0	320	0
13.	Shri Subroto Gupta, Executive Director (w.e.f. March 21, 2018)	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the End of the Year (or on the date of separation)	0	0	0	0
14.	Smt. Maya Chakravorty, Chief General Manager (w.e.f. March 21, 2018)	At the beginning of the year	200	0	200	0
		Date wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the End of the Year (or on the date of separation)	200	0	200	0

V. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Bank including interest outstanding/accrued but not due for payment

(₹ in '000s)

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year				
i. Principal Amount	1,05,26,009	55,31,13,764	2,68,53,80,958	3,24,90,20,731
ii. Interest due but not paid	0	0	0	0
iii. Interest accrued but not due	77,564	1,01,52,264	42,74,258	55,04,086
Total (i+ii+iii)	**1,06,03,573**	**56,32,66,028**	**2,68,96,55,216**	**3,26,35,24,817**
Change in Indebtedness during the financial year				
• Addition	2,23,50,000	5,02,49,943	0	7,25,99,943
• Reduction	(3,23,98,64)	(4,00,09,238)	(20,63,33,450)	(20,63,33,450)
Net Change	**(10,04,864)**	**1,02,40,705**	**(20,63,33,450)**	**(20,63,33,450)**
Indebtedness at the end of the financial year				
i. Principal Amount	21,10,78,409	42,07,76,862	2,47,93,16,112	3,11,11,71,383
ii. Interest due but not paid	0	0	0	0
iii. Interest accrued but not due	2,34,387	1,00,42,823	40,05,654	1,42,82,864
Total (i+ii+iii)	**21,13,12,796**	**43,08,19,685**	**2,48,33,21,766**	**3,12,54,54,247**

VI. Remuneration of Directors and Key Managerial Personnel

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager

Sr. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD/ WTD				Total Amount (₹)
		Shri Kishor Kharat , MD & CEO [upto 3.4.2017]	Shri K. P. Nair, DMD	Shri G. M. Yadwadkar, DMD	Shri Mahesh Kumar Jain, MD & CEO [from 3.4.2017]	
1.	**Gross Salary** (a) Salary as per provisions contained in Section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	34703.00	2301233.67	2283540.50	2728044.90	7347522.07
	(b) Value of perquisites under Section 17(2) of the Income tax Act, 1961	0.00	421147.00	362033.00	362047.00	1145227.00
	(c) Profits in lieu of salary under Section 17(3) of the Income tax Act, 1961		-	-	-	-
2.	Stock Option	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Sweat Equity	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Commission - As % of profit - Others, specify	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Others, please specify [OL Encashment]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total (A)	**34703.00**	**2722380.67**	**2645573.50**	**3090091.90**	**8492749.07**
	Ceiling as per the Act	-	-	-	-	-

Remuneration of Key Managerial Personnel other than MD/Manager/WTD

Sr. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel				Total Amount (₹)
		Smt. Padma Betai, CFO (upto July 3, 2017)	Shri Ajoy Nath Jha (w.e.f. March 21, 2018	Shri Ajay Sharma (w.e.f. July 3, 2017)	Shri Pawan Agrawal, CS	
1.	**Gross Salary** (a) Salary as per provisions contained in Section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	563757.11	80895.34	1808715.31	2044086.07	4497453.83
	(b) Value of perquisites under Section 17(2) of the Income tax Act, 1961	109823.44	4415.69	470456.69	689226.01	1273921.83
	(c) Profits in lieu of salary under Section 17(3) of the Income tax Act, 1961	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Stock Option	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Sweat Equity	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Commission - As % of profit - Others, specify	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Others, please specify OL Encashment	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	LFC	0.00	60000.00	60000.00	50000.00	170000.00
	Total	**673580.55**	**145311.03**	**2339172.00**	**2783312.08**	**5941375.66**

Sr. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel (w.e.f. March 21, 2018)				Total Amount (₹)
		Shri Pothukuchi Sitaram	Smt. Mythili Balasubramanian,	Shri Abhay Laxman Bongirwar,	Shri Gopalkrishna Annaji Tadas,	
1.	**Gross Salary** (a) Salary as per provisions contained in Section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	68920.61	68920.63	76955.97	68904.67	292866.37
	(b) Value of perquisites under Section 17(2) of the Income tax Act, 1961	9164.48	1325.01	612.48	17723.16	28825.13
	(c) Profits in lieu of salary under Section 17(3) of the Income tax Act, 1961	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Stock Option	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Sweat Equity	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Commission - As % of profit - Others, specify	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Others, please specify OL Encashment	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	LFC	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total	**87249.58**	**70245.64**	**77568.45**	**86627.83**	**321691.50**

Sr. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel (w.e.f. March 21, 2018)				Total Amount (₹)
		Dr. Saumya Sankar Banerjee	Shri Suresh Kishinchand Khatanhar,	Shri Inderpal Singh Kalra,	Shri Madhav Vasant Phadke	
1.	**Gross Salary** (a) Salary as per provisions contained in Section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	67676.75	67055.70	68920.81	76955.99	280609.25
	(b) Value of perquisites under Section 17(2) of the Income tax Act, 1961	9541.12	11807.56	19721.45	1392.75	42462.88
	(c) Profits in lieu of salary under Section 17(3) of the Income tax Act, 1961	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Stock Option	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Sweat Equity	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Commission - As % of profit - Others, specify	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Others, please specify OL Encashment	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	LFC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	**77217.87**	**78863.26**	**88642.26**	**78348.74**	**323072.13**

Sr. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel (w.e.f. March 21, 2018)		Total Amount (₹)
		Shri Subroto Gupta,	Smt. Maya Chakravorty,	
1	**Gross Salary** (a) Salary as per provisions contained in Section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	68920.65	74650.80	143571.45
	(b) Value of perquisites under Section 17(2) of the Income tax Act, 1961	542.93	14581.55	15124.48
	(c) Profits in lieu of salary under Section 17(3) of the Income tax Act, 1961	0.00	0.00	0.00
2.	Stock Option	0.00	0.00	0.00
3.	Sweat Equity	0.00	0.00	0.00
4.	Commission - As % of profit - Others, specify	0.00	0.00	0.00
5.	Others, please specify OL Encashment	0.00	0.00	0.00
	LFC	0.00	0.00	0.00
	Total	**69463.58**	**89232.35**	**158695.93**

VII. Penalties/Punishment/Compounding of Offences

Type		Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty/ Punishment Compounding Fees imposed	Authority [RD/ NCLT /Court]	Appeal made, if any
A.	**Company – IDBI Bank Limited**					
	Penalty			Nil		
	Punishment			Nil		
	Compounding			Nil		
B.	**Directors**					
	Penalty			Nil		
	Punishment			Nil		
	Compounding			Nil		
C.	**Other Officers in Default**					
	Penalty			Nil		
	Punishment			Nil		
	Compounding			Nil		

Statement on Declaration given by Independent Directors

In terms of Section 149(7) of the Companies Act, 2013, Shri S. Ravi, Shri Ninad Karpe, Shri Gyan Prakash Joshi, Dr. Ashima Goyal and Shri Bhuwanchandra B Joshi, Independent Directors of IDBI Bank Ltd. gave declaration on April 1, 2018, that they meet the criteria of Independence as provided under Section 149(6) of the Companies Act, 2013 and the same was noted by the Board of Directors on April 26, 2018.

Company's Policy on Directors' Appointment and Remuneration

The Bank's Policy on Directors' Appointment and Remuneration is available on its website under the links https://www.idbi.com:8443/pdf/Directors-Appointment-and-Evaluation-Policy.PDF and https://www.idbi.com:8443/pdf/Remuneration-Policy-of-the-Bank.PDF respectively.

Compliance with Secretarial Standards

The Bank has adopted the Secretarial Standards namely SS-1 (Secretarial Standard on Board Meetings) and SS- 2 (Secretarial Standards on General Meetings) issued by Institute of Company Secretaries of India (ICSI) and notified under Companies Act, 2013. The Bank has conducted its Board, Committee and General Meetings in accordance with these standards and are in compliance with the same.

Internal Auditor

The Bank has an in-house Internal Audit department which carries out the Internal Audit functions. Shri M. V. Phadke, ED, IDBI Bank has been designated as Chief Audit Officer in terms of Section 138 of the Companies Act, 2013.

Board's comments on every qualification, reservation or adverse remark or disclaimer made by the Auditors or Secretarial Auditors in their report

There are no qualifications, reservation or adverse remarks or disclaimers either in the Statutory Auditors' Report or in the Secretarial Auditors' Report which require Board's comments thereon in terms of Section 134(3)(f) of the Companies Act, 2013.

Particulars of Loans, Guarantees or Investments under Section 186 of the Companies Act, 2013

The provisions of Section 186 of the Companies Act, 2013 relating to Loans, Guarantees or acquisition of securities are not applicable to IDBI Bank, being a Banking Company.

Particulars of contracts or arrangements with Related Parties on the prescribed form

In terms of Section 134(3)(h) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, the particulars of contracts or arrangements if any, with Related Parties are given in the prescribed form AOC -2 hereunder:

AOC-2

(Pursuant to clause (h) of sub-section (3) of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014)

Form for disclosure of particulars of contracts/arrangements entered into by the company with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arms length transactions under third proviso thereto

i. Details of contracts or arrangements or transactions not on arms' length basis

Sr. No.	Name of the related party and nature of relationship	Nature of contracts/ arrangements/ transactions	Duration of the contracts / arrangements/ transactions	Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any	Justification for entering into such contracts or arrangements or transactions	Date of approval by the Board	Amount paid as advances, if any	Date on which the special resolution was passed in general meeting as required under first proviso to Section 188
Nil								

ii. Details of material contracts or arrangement or transactions at arms' length basis

Sr. No.	Name of the related party and nature of relationship	Nature of contracts/ arrangements/ transactions	Duration of the contracts / arrangements/ transactions	Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any	Date(s) of approval by the Board, if any	Amount paid as advances, if any
Nil						

Sd/-
Mahesh Kumar Jain
(DIN-03513127)
Managing Director & CEO
May 24, 2018

Statement indicating development and implementation of Risk Management Policy

The Bank follows a detailed and comprehensive Risk Management System which is constantly updated based on the Reserve Bank of India's regulatory guidelines issued in this regard from time to time. A dedicated Risk Management Committee of the Board regularly reviews comprehensively the risk matters including the Risk related aspects of the Bank including the implementation of Basel III norms in the Bank. The Board of Directors of the Bank also periodically reviews the Risk assessment and minimisation procedures followed as well as the capital requirement of the Bank under Basel III norms.

Details of CSR Policy and its implementation during the year

The details in the format prescribed under Annexure to the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 are as follows :-

Annual Report on CSR

1. **A brief outline of the Bank's CSR policy, including overview of projects or programs proposed to be undertaken and a reference to the web-link to the CSR policy and projects or programs**

   The objective of the Bank's CSR policy is driven by the intent to make a material, visible and lasting difference to the lives of disadvantaged sections of society and a sustained positive contribution to the welfare of society at large. In the conduct of its CSR intervention, the Bank endeavors to be a conscientious corporate citizen and a socially responsible entity, identify the gaps and extend need-based contribution for the betterment of the society, contribute for the sustainable and holistic development of the under-served communities through various programs having multi-dimensional impact and generate community goodwill by making proactive interventions.

The Bank's CSR policy, inter alia, provides the platform for undertaking interventions in areas such as healthcare, education, gender equality and socio-economic empowerment, environmental sustainability, enhancement of livelihood opportunities and rural development projects.

The web-link to the CSR policy and projects or programs is http://www.idbi.com/CSR-Policy.asp

2. **The Composition of the CSR Committee of the Board:** The composition of CSR Committee of the Board as on March 31, 2018 is presented in the table below:

Sr. no.	Directors	Position
1.	Shri Mahesh Kumar Jain	MD & CEO
2.	Shri K. P. Nair	DMD
3.	Shri G. M. Yadwadkar	DMD
4.	Shri Gyan Prakash Joshi	Independent Director
5.	Dr. Ashima Goyal	Independent Director

3. **Average net profit of the Bank for last three financial years i.e. FY15, FY16, FY17:** The average net profit/loss of the Bank for the last three financial years worked out to a loss of Rs. 2442 crore.

4. **Prescribed CSR Expenditure (two per cent of the amount as in item 3 above):** In terms of Section 135 (1) of the Companies Act, 2013, the prescribed CSR expenditure to be incurred for the financial year 2017-18 (i.e. 2% of average net profit which is net of tax but would not include profits arising from branches outside India, whether operated as a separate company or otherwise, and any dividend received from other companies in India, which are covered under and complying with the provisions of section 135 of the Act for last three financial years) is Nil.

5. **Details of CSR Expenditure during the financial year:**

(a) **Total amount to be spent for the financial year:** The total amount to be spent during the financial year under CSR is Nil. However, the Bank spent ₹ 1.36 crore during FY 2017-18 primarily towards commitments for projects carried forward from previous years.

(b) **Amount unspent, if any:** Not applicable. CSR budget is not mandatory for FY2017-18 as the average net profit for last three years is negative.

(c) Manner in which the amount spent during the financial year is detailed below:

1	2	3	4		5	6		7	8
S. N.	CSR project or activity identified	Sector in which the project is covered	Projects or Programmes		Amount outlay (budget) project or programmes-wise (in Rupees)*	Amount spent on the projects or programmes Sub-Heads (in Rupees)		Cumulative expenditure up to the reporting period	Amount spent Direct or through implementing agency†
			(1) Local area or other	(2) Specify the State and district where projects or programme was undertaken		(1) Direct expenditure on projects or programmes	(2) Over-heads#		
1	Financial assistance to build Taru village of Ladakh region as 'Model Village' based on community participation and ownership model, through strengthening of community mechanisms and capacity building, among other initiatives.	Financing Rural Development Projects	Other	Leh, Ladakh, Jammu & Kashmir	3,55,00,000	1,11,051	0	3,53,64,478	Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, Maharashtra.

1	2	3	4		5	6		7	8
S. N.	CSR project or activity identified	Sector in which the project is covered	Projects or Programmes		Amount outlay (budget) project or programmes-wise (in Rupees)*	Amount spent on the projects or programmes Sub-Heads (in Rupees)		Cumulative expenditure up to the reporting period	Amount spent Direct or through implementing agency†
			(1) Local area or other	(2) Specify the State and district where projects or programme was undertaken		(1) Direct expenditure on projects or programmes	(2) Over-heads#		
2	Financial support for setting up one showroom for marketing of designer candles and other local handicrafts and supporting its operation cost upto 3 years in Namchi, Sikkim.	Promoting Education and Livelihood Enhancement Projects	Other	Namchi, Sikkim	16,90,000	2,00,000	0	16,90,000	North East Development Finance Corporation, Guwahati, Assam.
3	Development of Aamkota village of Morigaon district, into a Model Village by undertaking a set of planned interventions over a period of three years.	Financing Rural Development Projects	Other	Morigaon, Assam	35,55,200	5,64,090	0	35,55,200	Rashtriya Gramin Vikas Nidhi, Guwahati, Assam.
4	Financial assistance towards skill development programmes and handholding support to new micro ventures in four villages of Karnali group Panchayat of Vadodara district under the Saansad Adarsh Gram Yojana over a period of three years.	Promoting Education and Livelihood Enhancement Projects	Other	Vadodara, Gujarat	60,75,000	13,20,806	0	38,29,476	Entrepreneurship Development Institute of India, Ahmedabad, Gujarat.
5	Financial assistance towards procurement and operating expenditure of ten Motorcycle First Responder Vehicles (Bike Ambulances) with full fabrication and medical equipment for a period of one year.	Promoting Healthcare and Poverty Eradication Projects	Local	Mumbai, Maharashtra	1,67,00,000	13,01,432	3,05,437	16,06,869	National Health Mission, Mumbai, Maharashtra.
6	Supplementary financial support for repair of flood damaged works under IDBI-TISS Ladakh project at Taru village of Ladakh.	Financing Rural Development Projects	Other	Leh, Ladakh, Jammu & Kashmir	8,92,000	8,92,000	0	8,92,000	Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, Maharashtra.
7	Financial support to executing 4th watershed development program in Sonurli & Walnagar villages of Ralegaon Block of Yeotmal District, Maharashtra.	Ensuring Environmental Sustainability Projects	Local	Yeotmal, Maharashtra	10,00,000	5,00,000	0	10,00,000	Dilasa Sanstha, Yeotmal, Maharashtra.

1	2	3	4		5	6		7	8
S. N.	CSR project or activity identified	Sector in which the project is covered	Projects or Programmes		Amount outlay (budget) project or programmes-wise (in Rupees)*	Amount spent on the projects or programmes Sub-Heads (in Rupees)		Cumulative expenditure up to the reporting period	Amount spent Direct or through implementing agency†
			(1) Local area or other	(2) Specify the State and district where projects or programme was undertaken		(1) Direct expenditure on projects or programmes	(2) Over-heads#		
8	Financial assistance towards completion of the remaining portion of disabled friendly special school and setting up of vocational training centre for mentally and physically challenged children in Saiha District of Mizoram.	Promoting Education and Livelihood Enhancement Projects	Other	Saiha, Mizoram	30,00,000	12,00,000	0	24,00,000	Mara T.T. Chako & Abraham Charitable Trust, Saiha, Mizoram.
9	Financial support towards urban eye care initiatives in the slums of Ranchi by providing quality primary eye care services.	Promoting Healthcare and Poverty Eradication Projects	Other	Ranchi, Jharkhand	23,29,000	9,31,600	0	23,29,000	Royal Commonwealth Society for the Blind (Sightsavers), New Delhi.
10	Financial support to provide water wheels to 600 rural women for facilitating ease in carrying water in Nanded and Osmanabad Districts of Maharashtra.	Promoting Gender Equality and Socio-Economic Empowerment Projects	Local	Nanded & Osmanabad Maharashtra	23,50,000	11,70,500	0	23,45,500	Habitat for Humanity India Trust, Mumbai, Maharashtra.
11	Financial support to Free Student Home, Lucknow, consisting of 46 students for a period of one year.	Promoting Education and Livelihood Enhancement Projects	Other	Lucknow, Uttar Pradesh	13,80,000	10,35,000	0	13,80,000	AIM for Seva, Chennai, Tamil Nadu.
12	Financial support for i) Phase II setting up bay of 6-beds General Ward, ii) Treatment of 40 underprivileged/ economically weak patients, iii) Palliative medicine unit with admission facilities to 25 patients.	Promoting Healthcare and Poverty Eradication Projects	Other	Kolkata, West Bengal	1,25,00,000	25,00,000	0	1,25,00,000	Tata Medical Center, Kolkata, West Bengal.
13	Financial assistance towards healthcare services required to be dispensed to the affected populace at the flood-affected reas of Bihar.	Promoting Healthcare and Poverty Eradication Projects	Other	Bihar	10,00,000	10,00,000	0	10,00,000	Chief Minister's Relief Fund, Bihar.

1	2	3	4		5	6		7	8
S. N.	CSR project or activity identified	Sector in which the project is covered	Projects or Programmes		Amount outlay (budget) project or programmes-wise (in Rupees)*	Amount spent on the projects or programmes Sub-Heads (in Rupees)		Cumulative expenditure up to the reporting period	Amount spent Direct or through implementing agency†
			(1) Local area or other	(2) Specify the State and district where projects or programme was undertaken		(1) Direct expenditure on projects or programmes	(2) Over-heads#		
14	Financial assistance towards purchase of five desktop computers for Satna City Town Hall Library and two desktop computers for Government High School, Itama.	Promoting Education and Livelihood Enhancement Projects	Other	Satna, Madhya Pradesh	2,50,750	2,12,500	38,250	2,50,750	Satna City Town Hall Library and Government High School, Satna, Madhya Pradesh.
15	Service tax paid under Reverse Charge Mechanism (RCM) non-cenvatable	NA	NA	NA	NA	0	3,01,071	3,01,071	Cenvat.
					8,82,21,950	1,29,38,979	6,44,758	7,04,44,344	

* - Amount net of cancellations

† - Registered office address of implementing agency

\# - Goods and Services Tax (GST)

6. **In case the Bank has failed to spend the two percent of the average net profit of the last three financial years or any part thereof, the company shall provide the reasons for not spending the amount in its Board Report.**

   In consonance with the broad guidelines outlined in the Companies Act, 2013, there is no requirement for IDBI Bank to incur any spends under CSR during FY2017-18. However, the Bank spent ₹ 1.36 crore during FY 2017-18 towards commitments for projects carried forward from previous years.

7. **A responsibility statement of the CSR Committee that the implementation and monitoring of CSR Policy, is in compliance with CSR objectives and Policy of the company**

   CSR Committee of IDBI Bank declares that CSR policy, implementation and monitoring thereof is, in letter and spirit, in compliance with CSR objectives of the Bank.

Sd/-
Mahesh Kumar Jain
(DIN -03513127)
Managing Director & CEO
May 25, 2018

Statement indicating the manner of formal annual evaluation of Board, its Committees and Individual Directors

In terms of Section 134(3)(p) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8(4) of the Companies (Accounts) Rules, 2014, the details on the captioned matter are furnished herein below:

(i) Independent Directors' Committee (IDC), at its meeting held on April 26, 2018 evaluated the performance of all Non-Independent Directors including the Chairman of the Board Meetings as well as the performance of the Board as a whole.

(ii) The Board at its meeting held on April 26, 2018 evaluated the performance of all Directors on the Board (except MD & CEO, DMDs and Govt. Directors who are subject to Performance Review by GOI), its own performance as well as the performance of committees of the Board. The Director concerned being evaluated by the Board did not participate in the meeting during the process of his/her own evaluation.

For the purpose of Annual evaluation by IDC and the Board, blank evaluation sheets in respect of Individual Directors, Board committees and the Board were circulated in advance to Individual Directors through e-mails as well as hard copies to enable the Directors to form their opinion in advance and help finalise the evaluation process at the respective meetings. Chairman of the respective meetings signed the evaluation sheets on behalf of IDC and the Board after finalisation of the evaluation.

Change in the nature of business, if any

During the period of review, the Bank continued to carry on the business of Banking and there was no change in the nature of its business. The Bank has been following RBI directives given under Prompt Corrective Action.

Details of Directors or KMPs who were appointed or who resigned during FY 2017-18

Name of Directors	Appointed/ Resigned/Cessation	Date
Ms. Neeru Abrol, Additional Director	Ceased to be director w.e.f. July 18, 2017 i.e. on the date of 13th AGM of the Bank in terms of the provisions of Section 161(1) of the Companies Act, 2013.	18.07.2017
Dr. Ashima Goyal, Independent Director	Appointed as Additional Director of the Bank by the Board at its meeting held on April 28, 2017 and as Independent Director by the shareholders in it's 13th Annual General Meeting held on July 18, 2017.	28.04.2017
Shri Bhuwanchandra B. Joshi, Additional Director	Appointed as Additional Director of the Bank by the Board at its meeting held on October 09, 2017.	09.10.2017

Name of KMPs	Appointed/ Resigned/Cessation	Date
Smt. Padma Betai, CFO	Cessation	03.07.2017
Shri Ajay Sharma, CFO	Appointment	03.07.2017
Shri Pothukuchi Sitaram, Executive Director & CCO	Appointment	21.03.2018
Smt. Mythili Balasubramanian, Executive Director	Appointment	21.03.2018
Shri Abhay Laxman Bongirwar, Executive Director	Appointment	21.03.2018
Shri Gopalkrishna Annaji Tadas, Executive Director	Appointment	21.03.2018
Dr. Saumya Sankar Banerjee, Executive Director	Appointment	21.03.2018
Shri Suresh Kishinchand Khatanhar, Executive Director	Appointment	21.03.2018
Shri Inderpal Singh Kalra, Executive Director	Appointment	21.03.2018
Shri Madhav Vasant Phadke, Executive Director	Appointment	21.03.2018
Shri Subroto Gupta, Executive Director	Appointment	21.03.2018
Shri Ajoy Nath Jha, CGM & CRO	Appointment	21.03.2018
Smt. Maya Chakravorty, CGM	Appointment	21.03.2018

Names of Companies which became or ceased to be Bank's subsidiaries, Joint Ventures or Associate Companies during the FY 2017-18

Names of Subsidiaries	Became / Ceased to be so	Date
	Nil	

Names of Associate Companies	Became / Ceased to be so	Date
NSDL E-governance Infrastructure Limited.	Ceased	15/02/2018

Names of Joint Ventures	Became / Ceased to be so	Date
	Nil	

Details relating to Deposits covered under Chapter V of the Companies Act, 2013 and details of deposits which are not in compliance of the requirements of Chapter V of the Act

In terms of proviso to Section 73(1) of the Companies Act, 2013, nothing in this sub-section shall apply to a Banking Company and hence the requirement of disclosure of captioned details is not applicable on IDBI Bank.

Details of significant and material orders passed by the Regulators or Courts or Tribunals impacting the going concern status and company's operations in future

There were no orders passed by the Regulators or Courts or Tribunals which impacted the going concern status and IDBI Bank's operations in future.

Familiarisation Programme for Independent Directors

Independent Directors were nominated / deputed to various training programmes during FY 2017-18. The detailed status in this regard is provided on your Bank's website (www.idbi.com) under the following link:

Bank's website>Secretarial Disclosures>Secretarial Disclosures Section> Familiarisation Programme for Directors

Establishment of Vigil Mechanism

The Bank has established a Board-approved Vigil Mechanism in compliance of Statutory/Regulatory requirements. The report on Vigil Mechanism is being submitted to Board on a regular basis. During FY 2017-18, no personnel was denied access to the Audit Committee. The Policy on Vigil Mechanism giving details of establishment of Vigil Mechanism has been disclosed by the Bank on its website (www.idbi.com) under the following link:

https://www.idbi.com:8443/secretarial-disclosures.asp

Policy for Determining Material Subsidiaries

In terms of the requirement of Regulation 46 of LODR Regulations, the Policy for determining material subsidiaries is available on the Bank's website (www.idbi.com) under the following link:

https://www.idbi.com:8443/secretarial-disclosures.asp

Policy on dealing with Related Party Transactions

In terms of the provisions of Section 188 of the Companies Act, 2013 and Regulation 23 of LODR Regulations, the Bank has formulated a Policy on dealing with Related Party Transactions.

The Policy on Related Party Transactions is available on the Bank's website (www.idbi.com) under the following link:

https://www.idbi.com:8443/secretarial-disclosures.asp

Disclosure on materially significant related party transactions that may have potential conflict with the interest of listed entity at large

In terms of Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations, it is confirmed that, during FY 2017-18, the Bank has not undertaken any materially significant related party transaction that may have potential conflict with the interest of the Bank.

Disclosure of commodity price risks or Foreign Exchange and commodity hedging activities

The Bank is in compliance with the relevant provisions in respect of commodity price risks or foreign exchange and commodity hedging activities as per the guidelines, if any, prescribed by Regulators.

Disclosure of Accounting Treatment

In terms of Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations, it is confirmed that, in preparation of financial statements, no treatment different from that prescribed in an Accounting Standard has been followed and hence no explanation from the Management is required to be given in this regard.

Remuneration of Directors

Remuneration and perquisites of the Managing Director & CEO and Deputy Managing Directors, who are appointed by Government of India, are fixed by Government. The details of remuneration paid to MD & CEO and DMDs are given in Table 3. There have been no pecuniary relationships/transactions of Non-Executive Directors vis à-vis your Bank during the period under review.

Table 3 : Elements of Remuneration of MD & CEO and Deputy Managing Directors

Salary & Allowances (As per Govt. Orders) {DA rate as on 1.7.2017}	Shri Mahesh Kumar Jain, MD & CEO - Pay ₹ 2,17,900/- p.m. and DA @ 5% ₹10,895/- Total ₹ 2,28,795/-. Shri K. P Nair, DMD - Pay ₹ 1,82,100/- p.m. and DA @ 5% ₹9,105/- Total ₹1,91.205/-. Shri G. M. Yadwadkar, DMD - Pay ₹ 1,82,100/- p.m. and DA @ 5% ₹9,105/- Total ₹1,91,205/-.
Entertainment	Actual entertainment subject to ceiling of ₹ 6000 p.a. (membership of club adjustable within the above ceiling) in respect of both MD & CEO and DMDs.
Housing	Rent-free furnished accommodation in respect of both MD & CEO and DMDs.
Conveyance	Entitled to free use of the Bank's car for official purpose.
Leave Travel Concession	For self and family once in a block of 2 years for visiting any place in India as per entitled class as applicable for official tour in respect of both MD & CEO and DMDs.
Pension	Entitled to draw pension, if any, admissible in the career post (below Board level) as per the rules and regulations of the Bank where the career post is held.
Gratuity	At the rate of half month's pay for every completed year of service or more than 6 months of service as MD & CEO/Deputy Managing Directors.
Tenure	Shri Mahesh Kumar Jain - Appointed as MD & CEO vide GoI letter no F.No.13/8/(2)2015-BO.I dated March 18, 2017. Shri Jain took over as MD & CEO on April 03, 2017. Shri K. P. Nair- Appointed as DMD vide Govt. of India's Notification F.No.4/5/(7) 2016-BO.I dated September 15, 2016 w.e.f. the date of taking over the charge of the post till 31.05.2019 i.e. the date of superannuation or until further orders, whichever is earlier. Shri Nair took charge on September 15, 2016. Shri G. M. Yadwadkar- Appointed as DMD vide Govt. of India's Notification F.No.4/5/(7) 2016-BO.I dated September 15, 2016 for a period of 3 years w.e.f. the date of taking over the charge of the post or until further orders, whichever is earlier. Shri Yadwadkar took charge on September 15, 2016.

Other Independent Directors were paid only the sitting fees for each Board/ Committee Meeting attended by them @ ₹ 20,000/- per meeting of Board, EC and ACB and @ ₹ 10,000/- per meeting for other Board committee meetings. Apart from the remuneration to MD & CEO and DMDs and sitting fees to Independent Directors, no other remuneration was paid to the Directors, except the expenditure upon their travel, stay and transport incurred by your Bank.

Aggregate amount of Sitting fees paid to Independent Directors for FY 2017-18 is as detailed below:

Name of the Independent Director	Sitting fees paid for FY 2017-18 (₹)
Shri S. Ravi	14,00,000
Shri Ninad Karpe	11,60,000
Shri Gyan Prakash Joshi	8,60,000
Dr. Ashima Goyal (w.e.f. 28/04/2017)	5,50,000
Shri Bhuwanchandra B. Joshi (w.e.f. 09/10/2017)	2,00,000
Ms. Neeru Abrol [upto 18/07/2017]	1,90,000

Disclosure under Rule 5 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014

The remuneration of Managing Director & CEO and Deputy Managing Directors who are appointed by Government of India is fixed by Government of India as per Government of India Pay Scales with applicable increase in remuneration as per Government of India norms. Other Directors on the Board do not get any remuneration except the sitting fees as mentioned in the paragraph above. The other employees of the Bank including Key Managerial Personnel (KMPs), i.e., Chief Financial Officer, Company Secretary and other EDs/HODs designated as KMPs get remuneration as applicable to the similar grade officials of the Bank and as per public sector scales followed by the Bank with applicable increase in the remuneration as per public sector norms. Periodical revision in the pay scales of employees including KMPs does have the relationship with many factors including Bank's performance. The Bank has not made any FPO and hence no comparison in market quotation of Bank's shares is possible. However, the market price of Bank's shares for FY 2017-18, financial ratios, etc. are disclosed in the Annual Report. No variable pay concept is applicable in respect of remuneration of employees including KMPs and that of MD & CEO/DMDs who are getting Government of India pay scales. The number of employees on the rolls of the Bank as on March 31, 2018 were 17,475, out of which 356 employees were on contract basis and all other employees were permanent. It is also affirmed that the remuneration is as per the remuneration policy of the Bank and the ratio of the remuneration of each Director to the median employee's remuneration and other details are as per the disclosures made above and are in compliance of Section 197(12) of the Companies Act, 2013 read with Rule 5 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014.

General Body Meetings

(i) Details of Annual General Meetings

The last Annual General Meeting (AGM) of your Bank was held on July 18, 2017. Details of IDBI Bank Ltd.'s AGMs are given in Table 4.

Table 4 : Details of Annual General Meetings of IDBI Bank Ltd.

Location and time of the last three AGMs.	1) August 12, 2015 at Yashwantrao Chavan Centre Auditorium, Gen. Jagannathrao Bhonsle Marg, Mumbai – 400 021 at 3.30 p.m. (11th AGM of your Bank).
	2) July 22, 2016 at Yashwantrao Chavan Centre Auditorium, Gen. Jagannathrao Bhonsle Marg, Mumbai – 400 021 at 3.30 p.m. (12th AGM of your Bank).
	3) July 18, 2017 at Yashwantrao Chavan Centre Auditorium, Gen. Jagannathrao Bhonsle Marg, Mumbai – 400 021 at 3.30 p.m. (13th AGM of your Bank).
Whether Special Resolutions were passed in previous 3 AGMs	**For 11th AGM** Special resolutions for (i) taking shareholders' approval u/s 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 to the proposal for enabling the Bank to raise capital and empowering the Board to take specific decision in this regard, (ii) taking shareholders' approval u/s 42 of the Companies Act, 2013 for empowering the Board of Directors to mobilise in one or more tranches upto ₹ 20,000 crore comprising of Senior/Infrastructure Bonds, Basel III Compliant Tier II/ Additional Tier I Bonds, by way of Private Placement/ Public Issue and (iii) alteration in Articles of Association of the Bank, were passed at the 11th AGM of the Bank held on August 12, 2015 **For 12th AGM** Special resolutions for (i) taking shareholders' approval u/s 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 to the proposal for enabling the Bank to raise capital aggregating to not more than ₹ 8,000/- crore (inclusive of premium amount) and empowering the Board to take specific decision in this regard, (ii) taking shareholders' approval u/s 42 of the Companies Act, 2013 for empowering the Board of Directors to mobilise in one or more tranches upto ₹ 20,000 crore comprising of Senior/Infrastructure Bonds, Basel III Compliant Tier II/ Additional Tier I Bonds, by way of Private Placement/ Public Issue (iii) re-appointment of Shri S.Ravi as Independent Director of the Bank for the last term of four years (iv) re-appointment of Shri Ninad Karpe as Independent Director of the Bank for the last term of four years and (v) increase in Authorised capital of the Bank and other alterations in Articles of Association of the Bank, were passed at the 12th AGM of the Bank held on July 22, 2016.

	For 13th AGM Special resolutions for (i) taking shareholders' approval u/s 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 to the proposal for enabling the Bank to raise capital aggregating to not more than ₹ 5,000/- crore (inclusive of premium amount) and empowering the Board to take specific decision in this regard, (ii) taking shareholders' approval u/s 42 of the Companies Act, 2013 for empowering the Board of Directors to mobilise in one or more tranches upto ₹ 5,000 crore comprising of Senior/Infrastructure Bonds, Basel III Compliant Tier II/ Additional Tier I Bonds, by way of Private Placement/ Public Issue, (iii) alterations in Articles of Association of the Bank, and (iv) Appointment of Dr. Ashima Goyal as Independent Director of the Bank for a period of four years w.e.f. April 28, 2017 were passed at the 13th AGM of the Bank held on July 18, 2017.
Whether any special resolution was passed last year through postal ballot – details of voting pattern	Yes. Two Special Resolutions were passed i) under Section 62(1)(c) of the Companies Act, 2013, to offer, issue and allot equity shares aggregating upto Rs. 1861 crore to Govt. of India on Preferential allotment basis on October 04, 2017, and (ii) under Section 62(1)(c) of the Companies Act, 2013, to offer, issue and allot equity shares aggregating upto Rs. 2729 crore to Govt. of India on Preferential allotment basis on February 21, 2018
Person who conducted the postal ballot exercise	Mrs. Aparna Gadgil of M/s S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries
Whether any special resolution is proposed to be conducted through postal ballot	Yes. IDBI Bank has, on May 21, 2018, through postal ballot process, obtained approval of the shareholders for (i) Preferential Issue of equity shares aggregating to Rs. 7881 crore to Govt. of India (GoI) and (ii) Increase in Authorised Share Capital from Rs. 4500 crore to Rs. 8000 crore.

Passing of Resolution through Postal Ballot and the procedure

Your Bank successfully completed the process of obtaining the approvals of its Members through postal ballot on the Special Resolution (i) under Section 62(1)(c) of the Companies Act, 2013, to offer, issue and allot equity shares aggregating upto Rs. 1861 crore to Govt. of India on Preferential allotment basis on October 04, 2017, and (ii) under Section 62(1)(c) of the Companies Act, 2013, to offer, issue and allot equity shares aggregating upto Rs. 2729 crore to Govt. of India on Preferential allotment basis on February 21, 2018.

	Special Resolution Passed through Postal Ballot on October 4, 2017	Special Resolution Passed through Postal Ballot on February 21, 2018
Approval sought	Shareholders' approval through special resolution was obtained under Section 62(1)(c) of the Companies Act, 2013, to offer, issue and allot equity shares aggregating upto ₹ 1861 crore to Govt. of India on Preferential allotment basis	Shareholders' approval through special resolution was obtained, under Section 62(1)(c) of the Companies Act, 2013, to offer, issue and allot equity shares aggregating upto ₹ 2729 crore to Govt. of India on Preferential allotment basis
Scrutinizer	Mrs. Aparna Gadgil of M/s S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries was appointed as Scrutiniser for conducting the postal ballot voting process, by Board of Directors at its meeting held on August 14, 2017	Mrs. Aparna Gadgil of M/s S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries was appointed as Scrutiniser for conducting the postal ballot voting process, by Board of Directors at its meeting held on January 15, 2018
Date of Notice	August 21,2017	January 16, 2018
Last date for receipt of postal ballot forms	October 04, 2017	February 21, 2018
Brief details of Scrutinizer's Report	The Scruitinizer received 860 ballots both through physical ballots and e-voting. Out of 2,12,48,95,089 votes polled, 2,12,48,86,025 votes comprising 99.99% of the total, voted in favour of the resolution and 9,064 votes comprising 0.01%, voted against the resolution.	The Scruitinizer received 1141 ballots both through physical ballots and e-voting. Out of 2,42,77,60,576 votes polled, 2,42,77,33,514 votes comprising 99.99% of the total, voted in favour of the resolution and 27,062 votes comprising 0.01%, voted against the resolution.

	According to the Scrutiniser's report dated October 5, 2017, the resolution was passed by the requisite majority. The result of the postal ballot was declared by the Chairman on Thursday, October 5, 2017 and displayed on the websites of your Bank, RTA, viz., Karvy. It was also disclosed to Stock Exchanges where the shares of your Bank are listed, i.e., BSE and NSE.	According to the Scrutiniser's report dated February 22, 2018, the resolution was passed by the requisite majority. The result of the postal ballot was declared by the Chairman on Friday, February 23, 2018 and displayed on the websites of your Bank, RTA, viz., Karvy. It was also disclosed to Stock Exchanges where the shares of your Bank are listed, i.e., BSE and NSE.
E-voting Facility	Your Bank offered e-voting as an alternate option to enable the members to cast their votes electronically for both the postal ballots stated above.	

(ii) Details of Extra-Ordinary General Meetings

Table 5 : Details of Extra-Ordinary General Meetings (EGMs) of IDBI Bank Ltd.

	EGM held on April 27, 2017
Location and time of the EGMs	April 27, 2017 at Yashwantrao Chavan Centre Auditorium, Gen. Jagannathrao Bhonsle Marg, Mumbai – 400 021 at 11.00 a.m.
Approval sought	Special resolution for taking shareholders' approval u/s 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 for empowering the Board of Directors to offer, issue and allot 24,74,92,510 number of equity shares of the Bank at a price of ₹ 76.77 per share (including premium of ₹ 66.77 per equity share) aggregating to ₹ 1900 crore to Govt. of India and 78155530 number of equity shares of the Bank at a price of ₹ 76.77 per share (including premium of ₹ 66.77 per equity share) aggregating to ₹ 600 crore to LIC on Preferential Allotment basis.
Scrutinizer	Mrs. Aparna Gadgil of M/s S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries were appointed as Scrutiniser for conducting the e-voting process, by Board of Directors on March 21, 2017
Date of Notice	April 1, 2017
E-voting Facility	In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Regulation 44 of Listing Regulations, remote e-voting and e-voting facility at the EGMs was provided to the Members to exercise their votes. In addition, Tab-voting facility was available to Members at the EGM venue.
Brief details of Scrutinizer's Report	The Scruitinizer received 1,84,70,92,839 votes from 259 members (32,39,63,471 votes from 156 members through remote e-voting and 152,31,29,368 votes from 103 members at the EGM). Out of 1,84,70,92,839 votes polled, 184,67,02,142 votes comprising 99.98% of the total, voted in favour of the resolution and 3,90,697 votes comprising 0.02%, voted against the resolution.
	According to the Scrutiniser's report dated April 27, 2017, the resolution was passed by the requisite majority. The result of the postal ballot was declared by the Chairman on April 27, 2017 and displayed on the websites of your Bank, RTA, viz., Karvy and NSDL. It was also disclosed to Stock Exchanges where the shares of your Bank are listed, i.e., BSE and NSE.

Disclosures

1 No company was assisted during April 1, 2017 – March 31, 2018, in which any of the Directors of the Bank was interested.

2 Details of non-compliances, penalties, strictures imposed on your Bank by Stock Exchange or SEBI or any statutory authority, on any matter related to capital markets, during the last three years are:

FY 2015-16	Nil
FY 2016-17	Nil
FY 2017-18	Nil. However, the Reserve Bank of India had vide Order dated April 09, 2018 levied a penalty of ₹ 3 crore on the Bank for non-compliance with the directions issued by RBI on Income Recognition and Asset Classification (IRAC) norms which was paid on April 16, 2018.

Code of Conduct and Ethics

The Bank's Board of Directors has adopted a Code of Conduct and Ethics for its Directors, Officers and Employees. In compliance with the requirement of Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations, a declaration signed by the Managing Director and CEO about the affirmation of compliance with the Code of Conduct by the Board members and Senior Management Personnel of the Bank is given below:

DECLARATION BY MD & CEO

Pursuant to the provisions of Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations, it is hereby declared for the information of all concerned that all the Board Members and Senior Management Personnel of IDBI Bank Ltd. have affirmed compliance with the Code of Conduct for Directors, Officers and Employees of IDBI Bank Ltd. for the FY 2017-18.

Sd/-
Mahesh Kumar Jain
(DIN -03513127)
Managing Director & CEO
May 25, 2018

Prevention of Insider Trading

In terms of Regulation 8 of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations 2015, the Bank has formulated a code of practices and procedures for fair disclosure of unpublished price sensitive information. The code is available on Bank's website (www.idbi.com) under the following link:

https://www.idbi.com:8443/secretarial-disclosures.asp

In terms of Regulation 9 of the said Regulations, the Bank has also formulated a code of conduct to regulate, monitor and report trading by its employees and other connected persons.

CEO/ CFO Certification

In terms of Regulation 17(8) of the LODR Regulations, the certification by MD & CEO and CFO on the financial statements and internal controls relating to financial reporting has been obtained and submitted to the Board.

Subsidiary Companies

As on March 31, 2018, the Bank had five subsidiaries, viz., IDBI Intech Ltd., IDBI Capital Markets and Securities Ltd., IDBI Asset Management Ltd., IDBI MF Trustee Company Ltd. and IDBI Trusteeship Services Ltd. No Independent Director on the Board of the Bank is required to be inducted on the Board of its subsidiaries as none of the subsidiaries is a material non-listed subsidiary company as defined under Regulation 16 of LODR Regulations. In compliance of the requirements of Regulation 24 of the LODR Regulations, the Bank's Audit Committee reviews the financial statements, in particular, the investments made by the unlisted subsidiary companies. The minutes of the Board meetings of unlisted subsidiary companies are regularly placed at your Bank's Board meetings.

Secretarial Audit

In terms of the provisions of Section 204 of the Companies Act, 2013, M/s S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries are acting as Secretarial Auditors of the Bank. The Secretarial Audit Report dated May 15, 2018 is annexed to the Corporate Governance Report.

Means of Communication

Apart from providing detailed Annual Report on the Bank's working, consisting of the Board's Report as required under Section 134 of the Companies Act, 2013 and Annual Accounts, the Bank regularly brings out its quarterly results for information of its shareholders. These are published in one English language newspaper, viz., the Business Line having nationwide circulation and in one regional language newspaper viz., Lokmat. The aforesaid information is also displayed on the Bank's website (www.idbi.com), along with the official press release and presentations made to institutional investors and analysts.

The documents referred to, but not sent to the persons entitled to receive the notice of the Annual General Meeting will be made available for inspection of shareholders at the Bank's registered office during the working hours for 21 days before the date of the AGM.

General Shareholders' Information

General information relevant to shareholders and details of share price movement during April 1, 2017 – March 31, 2018 are provided in Table 6 and Table 7 respectively.

Table 6 : General Shareholders' Information

i.	Date, time and venue of AGM	August 13, 2018, Monday, 3.30 p.m., at Yashwantrao Chavan Centre Auditorium, Gen. Jagannathrao Bhonsle Marg, Mumbai – 400 021
ii.	Financial Year	April 1, 2017 to March 31, 2018
iii.	E-voting period in terms of Regulation 44 of LODR Regulations and section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014	E-voting period will commence on and from Thursday, August 09, 2018 (9:00 a.m. IST) and ends on Sunday, August 12, 2018 (5:00 p.m. IST).
iv.	Book closure date	Tuesday, August 07, 2018 to Monday, August 13, 2018 (both days inclusive)
v.	Listing on Stock Exchanges and confirmation of payment of Annual listing fee	**1. BSE Ltd. (BSE)** Address: 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 01 2. **National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)** Address**:** Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No.C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra(E), Mumbai-51 The payments of annual listing fee of BSE and NSE have been made on April 28, 2017.
vi.	Stock code / Symbol	BSE – 500116, NSE – IDBI
vii.	Registrar and Share Transfer Agents	Karvy Computershare Pvt. Ltd., Unit : IDBI Equity, Karvy Computershare Private Limited Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032
viii.	Share Transfer system	Share Transfers are approved on weekly basis by an internal committee comprising of Executive Director / Chief General Manager.
ix.	Financial Calendar	April 1, 2017 to March 31, 2018 : 1) Results for the quarter ended June 30, 2017 were approved on August 14, 2017 2) Results for the quarter / half year ended September 30, 2017 were approved on October 31, 2017 3) Results for the third quarter / nine months period ended December 31, 2017 were approved on January 31, 2018 4) Audited Results for the year ended March 31, 2018 were approved on May 25, 2018.
x.	Last date for receipt of proxy forms	Saturday, August 11, 2018 upto 3.30 p.m.
xi.	Board Meeting for considering the quarterly results	Within 45 days from the closure of respective quarter and within 60 days of the end of the financial year for annual audited results.
xii.	No. of shares and convertible instruments held by Non-Executive Directors	Shri S. Ravi, Independent Non- Executive Director held 200 equity shares of IDBI Bank Ltd. as on March 31, 2018

xiii.	Details of Debenture Trustee	1. **Axis Trustee Services Ltd.,** 2nd Floor, Axis House,Wadia International Centre, Bombay Dyeing Mills Compound, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai – 400025. Ph: 022-24255232. 2. **SBICAP Trustee Services Ltd.** Appejay house, 6th Floor, 3 Dinshaw Wachha road Churchgate, Mumbai-400020. Ph: 022-43025503. 3. **IL & FS Trust Company Ltd.,** The IL&FS Financial Centre, Plot C-22, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400051. Ph :022-26593927.

IDBI Bank's scrip is actively traded at NSE and BSE. The annual listing fees in respect of all the securities listed with the exchange(s) have been paid till date.

Table 7: IDBI Bank Ltd.'s Share Price Movement on the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) & BSE Ltd.(BSE) : April 2017 – March 2018

Month	NSE		BSE			NSE		BSE	
	High	Low	High	Low	Month	High	Low	High	Low
April 2017	78.10	71.85	78.05	71.70	Oct 2017	67.95	51.80	67.75	51.80
May 2017	82.00	60.00	81.90	59.95	Nov 2017	65.85	58.70	65.90	58.75
June 2017	60.95	53.40	60.85	53.40	Dec 2017	60.90	58.00	60.75	57.95
July 2017	62.20	53.50	62.20	53.50	Jan 2018	65.35	59.40	65.45	59.40
Aug 2017	59.65	52.30	59.65	52.30	Feb 2018	78.95	57.00	78.90	57.10
Sept 2017	57.20	52.20	57.25	52.25	Mar 2018	84.65	64.85	84.40	64.70

Shareholding Pattern as on March 31, 2018

The details of shareholding in the Bank by major categories of shareholders and distribution schedule as at end-March 2018, is presented in Table 8 and Table 9 below

Table 8 : Shareholding Pattern as at March 31, 2018

Category of Shareholders	No. of Shares Held	% to Total
Government of India	2496838686	80.96
Employees	800025	0.03
Public	116295556	3.77
Hindu Undivided Family	3008481	0.10
Bodies corporate	27534512	0.89
Institutions		
A) Banks	2105899	0.07
B) Foreign Institutional Investors	47770	0
C) State Finance Corporations	0	0
D) Financial Institutions	13280000	0.43
E) Mutual Funds	11981236	0.39
Societies	28960	0
Trusts	326953	0.01
Insurance Companies	347301541	11.26
NRIs	4572021	0.15

Category of Shareholders		No. of Shares Held	% to Total
Directors, KMPs & Relatives			
(i)	Shri K.P.Nair, DMD	320	0
(ii)	Shri S.Ravi, Independent Director	200	0
(iii)	Shri Abhay L. Bongirwar, ED	320	0
(iv)	Dr. S.S. Banerjee, ED	320	0
(v)	Shri Suresh K. Khatanhar, ED	24200	0
(vi)	Shri Inderpal Singh Kalra, ED	320	0
(vii)	Shri Madhav V. Phadke, ED	320	0
(viii)	Shri Ajay Sharma, CFO	120	0
(ix)	Smt. Padma Betai, CGM	270	0
(x)	Shri Ajoy Nath Jha, CRO	320	0
(xi)	Smt. Maya Chakravorty, CGM	200	0
NSDL (transit)		4831157	0.16
Foreign Portfolio Investors		52738164	1.71
NBFC		**27391**	**0**
IEPF		**2117434**	**0.07**
GRAND TOTAL		**3083862696**	**100**

Performance in comparison to broad-based indices such as BSE Sensex, CRISIL Index, etc.

The performance of IDBI Bank equity share relative to the BSE Sensitive Index (Sensex) during the period April 1, 2017 to March 31, 2018 is given in the following chart

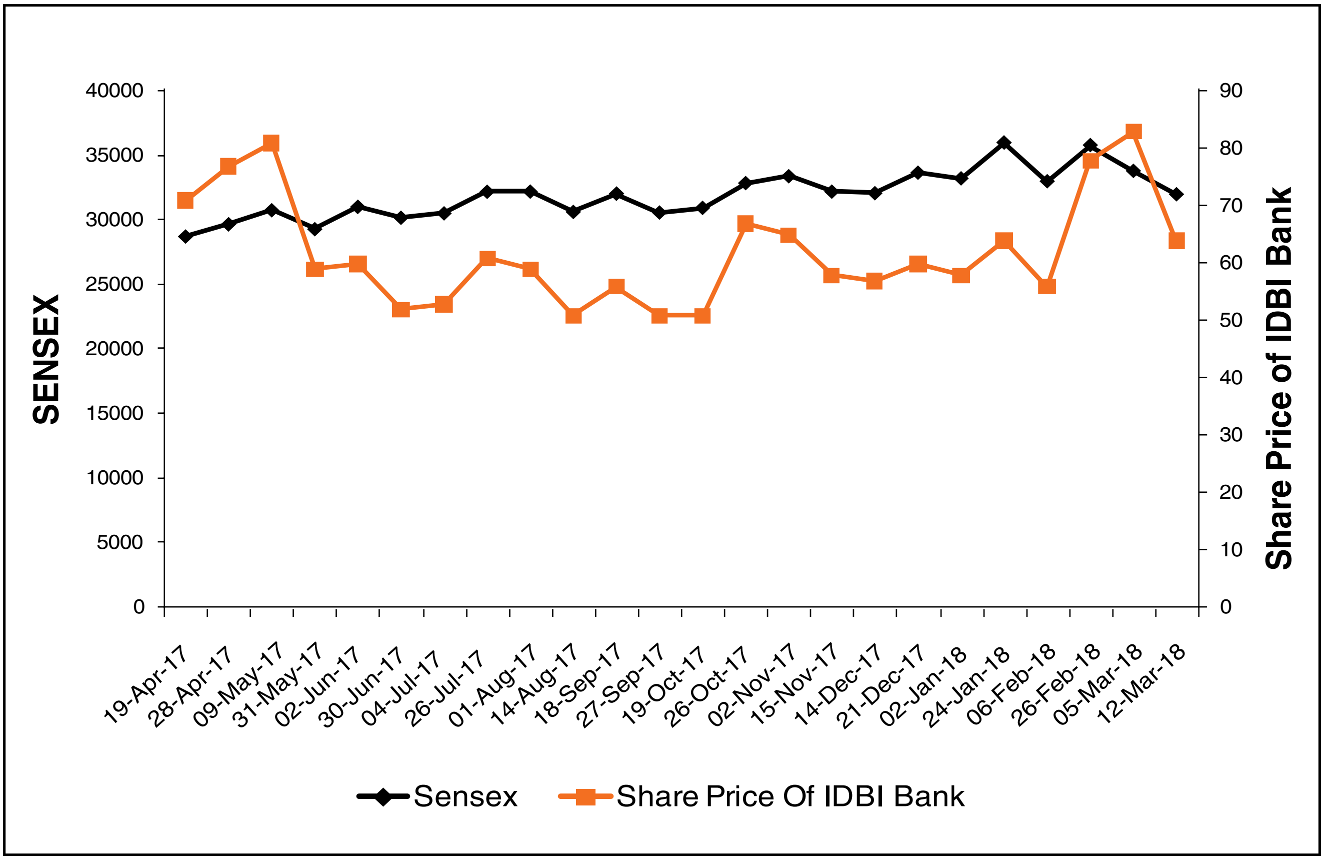

Share Transfer System & Redressal of Investor Grievances

Distribution of Shareholding as at 31/03/2018

S.No	Category		No. of share-holders	% to total share-holders	Amount (₹)	% to total Amount
	From	To				
1	1	5000	358746	99.41	88443244	2.87
2	5001	10000	1115	0.31	8262384	0.27
3	10001	20000	478	0.13	6792852	0.22
4	20001	30000	147	0.04	3660276	0.12
5	30001	40000	69	0.02	2469896	0.08
6	40001	50000	55	0.02	2533503	0.08
7	50001	100000	101	0.03	7092445	0.23
8	100001 & above		175	0.05	2964608096	96.13
Total			**360886**	**100.00**	**3083862696**	**100.00**

To expedite the process of share transfers, an internal committee of Executive Director/ Chief General Manager has been set up to approve the Memorandum of Transfers (MoTs) on a weekly basis.

As on April 1, 2017, no investor grievances were pending for redressal and from April 1, 2017 to March 31, 2018, 1,439 investor grievances were received from shareholders / investors by your Bank's Registrar & Transfer Agents. During the year, 1,439 grievances were redressed and there was no investor grievance pending for redressal on March 31, 2018.

In respect of shares, 4 cases of transfers were pending on April 1, 2017. Between April 1, 2017 and March 31, 2018, as many as 1099 requests for transfer of shares were received by your Bank's Registrar & Transfer Agents. Of these, 1103 requests for transfer of shares were processed and there was no requests pending, as on March 31, 2018.

Disclosure with respect to Stakeholders' Relationship Committee

(a)	Name of Non-Executive Director heading the Committee	Dr. Ashima Goyal, Independent Director.
(b)	Name and designation of the Compliance Officer	Shri Pawan Agrawal, Company Secretary, is the Compliance Officer. He supervises the operations to ensure compliance of the requirements of SEBI Regulations and Listing Regulations, pertaining to Secretarial Compliances.
(c)	Number of shareholders' complaints received in FY 2017-18	1439
(d)	Number not solved to the satisfaction of shareholders	0
(e)	Number of pending complaints	0

Disclosures with respect to demat suspense account / unclaimed suspense account

In terms of Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations, your Bank reports the following details in respect of equity shares lying in the unclaimed suspense account:

Sr. No.	Particulars	No. of Shareholders	No. of Shares
(a)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Suspense Account as on April 01, 2017	4832	862054
(b)	Number of shareholders who approached your Bank for transfer of shares from the Suspense Account during April 01, 2017 to March 31, 2018	25	5500
(c)	Number of shareholders to whom shares were transferred from the Suspense Account during April 01, 2017 to March 31, 2018	25	5500
(d)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Suspense Account lying as on March 31, 2018	4807	856554
(e)	The voting rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.		

Table 9: Details of dematerialisation and address for correspondence

Dematerialisation of shares and liquidity

Nature of Holding	No. of shareholders	Shares	Percentage
Physical	56909	454998054	14.75
NSDL (Dematerialized)	200016	532732185	17.27
CDSL (Dematerialized)	103961	2096132457	67.97
Total			

Outstanding GDRs / ADRs/ Warrants or convertible instruments, conversion date and likely impact on equity	IDBI Bank Ltd. has not issued GDRs/ADRs/Warrants, etc.
Plant Locations	Not applicable. However, information about locations of your Bank's branches is available on your Bank's website, www.idbi.com
Address for correspondence	**IDBI Bank Ltd.** CIN – L65190MH2004GOI148838 Equity Cell - Board Department, IDBI Bank Ltd., 22nd floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai 400 005 Phone – (022) 66552779, 66553062, 66552620 Fax – (022) 2218 23 52 E-mail – idbiequity@idbi.co.in Website – www.idbi.com
	Registrar & Transfer Agents Karvy Computershare Private Ltd. Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032 Tel. No. (040) 67162222 Toll Free Number : 1-800-3454001 Fax No.(040) 23420814 E-mail : einward.ris@karvy.com

Registered Office Addresses of Subsidiary Companies	**IDBI Capital Markets & Securities Ltd.** 3rd Floor, Mafatlal Centre, Nariman Point, Mumbai – 400 021. **IDBI Intech Ltd.** IDBI Building, 1st Floor, Plot No. 39-41, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai – 400 614. **IDBI MF Trustee Company Ltd.** IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005. **IDBI Asset Management Ltd.** IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005. **IDBI Trusteeship Services Ltd.** Asian Building, Ground Floor, 17, R. Kamani Marg, Ballard Estate, Mumbai – 400 001.

Status of Compliance of Discretionary Requirements of Regulation 27

The Bank has complied with all the Mandatory requirements given under Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations and has been submitting quarterly/half yearly/Annual compliance report on Corporate Governance on the prescribed formats to the Stock Exchanges within the prescribed time-lines. As regards discretionary requirements given under Part E of Schedule II of the LODR Regulations, the status is as follows :

Sr. No.	Discretionary Requirements	Status
1.	A Non-Executive Chairman may be entitled to maintain a Chairperson's Office at the Company's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties	Presently, the position of Non-Executive (Non-Whole time) Chairman of the Bank is vacant.
2.	A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in the last six months may be sent to each household of shareholders	Quarterly as well as half-yearly financial results are published in the newspapers as well as disseminated to the Stock Exchanges immediately after Board approval for information of Shareholders and other Stakeholders.
3.	Company may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion	The Bank is constantly working in this direction.
4.	The Company may appoint separate persons to the post of Chairman and MD/CEO	The Bank has separate positions of a Non-Executive (Non-Whole time) Chairman and a MD & CEO.
5.	The Internal auditor may report directly to the Audit Committee.	Internal Auditor, Shri M. V. Phadke, ED, reports directly to ACB.

Form No. MR-3
SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31st MARCH 2018

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,
The Members,
IDBI Bank Limited
CIN: L65190MH2004GOI148838
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai - 400005.

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by IDBI Bank Limited (hereinafter called 'the Company'). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March 2018, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the financial year ended on 31st March 2018 according to the provisions of:

i. The Companies Act, 2013 ('the Act') and the rules made thereunder;

ii. The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;

iii. The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

iv. Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Rules and Regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;

v. The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act,1992 ('SEBI Act'):-

   a. The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;

   b. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

   c. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009;

   d. The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations,2014 - Not Applicable as the Company has not issued any shares/options to Directors/ Employees under the said Regulations during the period under review;

   e. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;

   f. The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations,1993 regarding the Companies Act and dealing with client - Not Applicable as the Company is not registered as Registrar to Issue and Share Transfer Agent during the financial year under review;

   g. The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 - Not applicable as the Company has not delisted/proposed to delist its equity shares from any stock exchange during the financial year under review; and

   h. The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998 - Not applicable as the Company has not bought back/proposed to buy back any of its securities during the financial year under review;

vi. The management has identified and confirmed the following laws as applicable to the Company:

   1. Bankers' Books Evidence Act, 1891;
   2. Reserve Bank of India (RBI) Act, 1934;
   3. Banking Regulation Act, 1949 & Banking Companies Rules, 1949 (as amended from time to time);
   4. The Banking Companies (Period of Preservation of Records) Rules, 1985;
   5. Foreign Exchange Regulation Act, 1999, Rules, Regulations and notifications issued from time to time;
   6. The Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act,1993;

7. Prevention of Money-Laundering Act (PMLA), 2002 and The Prevention of Money- Laundering (Maintenance of Records, etc) Rules, 2005;
8. Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002;
9. The Payment And Settlement Systems Act, 2007;
10. Recovery of debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993;
11. Insolvency & Bankruptcy Code, 2016;
12. The Consumer Protection Act, 1986;
13. Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992;
14. Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) Regulations, 1994.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(i) Secretarial Standards with regard to Meetings of Board of Directors (SS-1) and General Meetings (SS-2) issued by The Institute of Company Secretaries of India;

(ii) The Securities and Exchange Board of India(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Listing Agreements entered into with BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards etc. mentioned above.

We further report that: -

➢ The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors, Independent Directors and Woman Director. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

➢ Adequate notice is given to all Directors pertaining to the schedule of the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent atleast seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

➢ All decisions of the Board and Committee meetings were carried with requisite majority.

We further report that based on the review of the Compliance mechanism established by the Company and on the basis of Compliance Certificate(s) issued by the various authorized officials and taken on record by the Board of Directors at their meeting(s), we are of the opinion that there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

➢ As informed, the Company has on 16th April 2018 paid a penalty of Rs. 3 crore imposed by RBI vide its order dated 9th April 2018 for non-compliance with its directions on Income Recognition and Asset Classification (IRAC) norms. The Company has responded to other notices for demands, claims, penalities, etc. levied by various statutory/regulatory authorities and initiated actions for corrective measures, wherever found necessary.

During the Audit period the following events/ actions having a major bearing on Company's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards referred to above have taken place:

➢ The Company has:

1. Allotted 1,18,53,588 equity shares on 30th June 2017 and 3,94,68,543 equity shares on 14th August 2017 to Life Insurance Corporation of India on preferential basis;
2. Allotted 24,74,92,510 shares on 14th August 2017; 284,861,472 shares on 6th October 2017 and 44,13,71,502 shares on 28th March 2018 to Government of India on preferential basis;
3. Altered Article 121 of Articles of Association of the Company to define the term of a Nominated Director.

For **S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & CO.**
Company Secretaries
Firm Registration No. P1991MH040400

S.N. Ananthasubramanian
Partner
FCS 4206
C.P No. 1774

Date: 14th May, 2018
Place: Thane

To,
The Members,
IDBI Bank Limited
CIN No L65190MH2004GOI148838
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai - 400005.

Our Secretarial Audit Report for the Financial Year ended 31st March 2018, of even date, is to be read along with this letter.

Management's Responsibility:

1. It is the responsibility of the management of the Company to maintain secretarial records, devise proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and regulations and to ensure that the systems are adequate and operate effectively.

Auditor's Responsibility:

2. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records, standards and procedures followed by the Company with respect to secretarial compliances.

3. We believe that audit evidence and information obtained from the Company's management is adequate and appropriate for us to provide a basis for our opinion.

4. Wherever required, we have obtained the management's representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

Disclaimer:

5. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

6. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and books of accounts of the Company.

For **S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & CO.**
Company Secretaries
Firm Registration No. P1991MH040400

S.N. Ananthasubramanian
Partner
FCS 4206
C.P No. 1774

Date: 14th May, 2018
Place: Thane

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट
Independent Auditor's Report

प्रति,

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यगण

एकल वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (''बैंक'') के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिनमें यथा 31 मार्च 2018 के लिए तुलन पत्र तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखे और नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं (इसमें इसके पश्चात् 'एकल वित्तीय विवरण' के रूप में निर्दिष्ट) शामिल हैं. इनमें हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 21 भारतीय शाखाएं, अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 1166 भारतीय शाखाएँ, स्थानीय लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित एक विदेशी शाखा तथा 719 अलेखापरीक्षित भारतीय शाखाओं की विवरणियां भी शामिल हैं. अलेखापरीक्षित शाखाओं के हिसाब में 0.01% अग्रिम, 0.01% जमाराशियां, 4.92% ब्याज आय और 5.20% ब्याज व्यय शामिल हैं. हमारे द्वारा लेखापरीक्षित और अन्य लेखापरीक्षकों के द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं का चयन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों के लिए जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा किया गया है.

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

2. बैंक का निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के प्रावधानों तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन एवं नकदी प्रवाह की सही और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं. इस जिम्मेदारी में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड बनाए रखना; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करना और उन्हें लागू करना; तर्कपूर्ण और विवेकसम्मत निर्णय लेना और पूर्वानुमान लगाना तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करना, उसे कार्यान्वित करना तथा उसे बनाए रखना, जो सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करने वाली तथा धोखाधड़ी या गलती के कारण होने वाले तथ्यात्मक अयथार्थ कथन से मुक्त वित्तीय विवरण तैयार और प्रस्तुत करने से संबंधित लेखांकन रिकॉर्ड की परिशुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालित हैं, भी शामिल हैं.

To

The Members of IDBI Bank Limited

Report on the Standalone Financial Statements

1. We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of IDBI Bank Limited ("the Bank"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2018, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter called as 'the standalone financial statements') in which are incorporated the returns of 21 Indian branches audited by us, 1166 Indian branches audited by other auditors, one foreign branch audited by local auditor and 719 Indian unaudited branches. The unaudited branches account for 0.01 % of advances, 0.01 % of deposits, 4.92 % of interest income and 5.20 % of interest expenses
The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the bank by the Reserve Bank of India.

Management's Responsibility for the Standalone Financial Statements

2. The Bank's Board of Directors is responsible for the matters stated in Banking Regulation Act, 1949 and Section 134(5) of the Companies Act, 2013 with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Companies Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949, and circulars and guidelines issued by the Reserve bank of India (RBI) from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

3. हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन एकल वित्तीय विवरणों के बारे में राय प्रकट करना है. हमने इसमें कंपनी अधिनियम, 2013, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों, लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों और कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामलों को ध्यान में रखा है. हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार बैंक की लेखापरीक्षा की है. इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखापरीक्षा को इस प्रकार नियोजित और निष्पादित करें कि तर्कपूर्ण रूप से यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरणों में कोई तात्विक अयथार्थ कथन नहीं है.

4. लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटीकरण को प्रमाणित करने वाले साक्ष्यों की जांच करने के लिए प्रक्रियाओं का पालन करना शामिल है. यह चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं जिनमें वित्तीय विवरणों में धोखे या गलती से किसी तात्विक अयथार्थ कथन के जोखिमों का आकलन भी शामिल है. इन जोखिम आकलनों को करते समय लेखापरीक्षक बैंक द्वारा वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा निष्पक्ष प्रस्तुति के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करते हैं जो लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के उद्देश्य से सही एवं उचित छवि प्रस्तुत करते हैं और परिस्थितियों में उपयुक्त होते हैं. लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखाकंन नीतियों की उपयुक्तता और बैंक के निदेशक मंडल द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन करना और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है.

5. हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त हैं.

राय

6. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त एकल वित्तीय विवरण और उन पर टिप्पणियां बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अपेक्षित जानकारी बैंकिंग कंपनियों के लिए अपेक्षित रूप में देते हैं और भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप निम्नलिखित की सही एवं उचित स्थिति दर्शाते हैं:

क) तुलन पत्र के मामले में, 31 मार्च 2018 को बैंक के कामकाज की स्थिति,

ख) लाभ-हानि लेखे के मामले में, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए हानि की स्थिति, और

ग) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह की स्थिति.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these standalone financial statements based on our audit. We have taken into account the provisions of the Companies Act, 2013, the Banking Regulation Act, 1949, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made there under. We conducted our audit of the Bank in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Bank's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Directors of the Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the standalone financial statements.

Opinion

6. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us the aforesaid standalone financial statements together with the notes thereon give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 as well as the Companies Act, 2013 in the manner so required for Banking Companies and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

a) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Bank as at 31st March 2018;

b) in the case of the Profit and Loss Account, of the loss for the year ended on that date; and

c) in the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

मामले पर बल

7. हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :

   क) परवर्ती वर्ष के लिए आस्थगित उपदान के प्रति अतिरिक्त देयताओं के कारण ₹ 34.71 करोड़ के अपरिशोधित शेष से संबन्धित अनुसूची 18(ए)(2)(बी)(i), और

   ख) परवर्ती वर्ष के लिए आस्थगित एएफएस और एचएफटी श्रेणियों में धारित ₹ 383.63 करोड़ के निवेश पर बाजार भाव पर हानि दर्शाने वाले अपरिशोधित शेष के संदर्भ में अनुसूची 18(बी)(III),

हमारी राय उक्त मामलों के संदर्भ में सापेक्ष नहीं है.

अन्य मामले

8. बैंक के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 की भारतीय रिज़र्व बैंक की जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट हमें उपलब्ध नहीं करायी गयी है. इस संबंध में बैंक ने हमें सूचित किया है कि यह रिपोर्ट गोपनीय है तथा इस मामले को भारतीय रिज़र्व बैंक को भेज दिया गया है. उसमें निहित आस्ति वर्गीकरण के संबंध में विचलन विवरण तथा ऋण एवं अग्रिमों के संबंध में प्रावधानीकरण उपलब्ध कराया गया है.

हमारी राय उपर्युक्त पैरा 7 और 8 में उल्लिखित मामले के संबंध में संशोधित नहीं है.

अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

9. तुलन पत्र, लाभ-हानि लेखे तथा नकदी प्रवाह विवरण कंपनी (लेखा) नियमावली 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं.

10. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

    क) उपर्युक्त पैरा 8 में किए गए उल्लेख के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक की जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट को छोड़ कर, हमने ऐसी समस्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे तथा उन्हें संतोषजनक पाया है.

    ख) हमारे ध्यान में आए बैंक के लेन-देन, बैंक की अधिकार सीमा के भीतर रहे हैं.

    ग) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ, जिसमें प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई परिपूरक जानकारी शामिल है, हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त पाई गई हैं.

11. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3) के अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

    क) उपर्युक्त पैरा 8 में किए गए उल्लेख के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक की जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट को छोड़ कर, हमने ऐसी समस्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो

Emphasis of Matter

7. We draw attention to -

   a) Schedule 18 (A)(2)(B)(i) regarding unamortized balance of ₹ 34.71 Crores on account of additional liabilities towards gratuity, deferred to the subsequent year, and

   b) Schedule 18 (B) (III) regarding unamortized balance of mark to market losses on investments held in AFS and HFT Categories of ₹ 383.63 Crores, deferred to the subsequent year.

Our opinion is not qualified in respect of the above matters.

Other Matters

8. The Risk Assessment Report of the Reserve Bank of India for the financial year 2016-2017 for the Bank, has not been made available to us as the Bank informed that the report is confidential, and the matter has been referred to the Reserve Bank of India. The statement of divergence in asset classification and provisioning pertaining to loans and advances contained therein has been provided.

Our opinion is not modified in respect of the matters mentioned in para 7 and 8 above.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

9. The Balance Sheet, Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 read with Section 129 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

10. As required by sub section (3) of section 30 of the Banking Regulation Act, 1949, we report that

    a) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory except for the Risk Assessment Report of the Reserve Bank of India as stated in para 8 above.

    b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.

    c) The returns received from the offices and branches of the Bank as supplemented with the information furnished by the management have been found adequate for the purpose of our audit.

11. As required by Section 143(3) of the Companies Act, 2013 , we report that:

    a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of

हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे.

ख) हमारी राय में बैंक ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियाँ रखी हैं, जैसा कि इन बहियों और हमारी अब तक की जांच से पता चलता है तथा हमारे दौरा नहीं की गई शाखाओं से हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ उचित और पर्याप्त विवरणियाँ प्राप्त हुई हैं.

ग) अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित बैंक की शाखाओं की लेखा-रिपोर्ट हमारे पास प्रेषित की गई हैं और उन पर उचित रूप से विचार किया गया है.

घ) इस रिपोर्ट में विचार किए गए तुलन पत्र, लाभ-हानि लेखे तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं.

ङ) हमारी राय में उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के उस सीमा तक अनुपालन में हैं जहां तक वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों से असंगत नहीं हैं.

च) यथा 31 मार्च 2018 को निदेशकों से प्राप्त और निदेशक मंडल द्वारा नोट किए गए लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, किसी भी निदेशक को यथा 31 मार्च 2018 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के निबंधनों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य नहीं किया गया है.

छ) बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालनगत प्रभावकारिता के संबंध में अनुबंध अ में अलग रिपोर्ट देखें.

ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

i. बैंक ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का अवधार्य/अभिनिश्चेय सीमा तक प्रकटन किया है. एकल वित्तीय विवरण की अनुसूची 18(ए)(9) का संदर्भ लें.

ii. बैंक ने डेरिवेटिव संविदाओं सहित दीर्घावधि संविदाओं पर महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानियों, यदि हों, के लिए लागू कानून या लेखांकन मानकों के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधान किया है. एकल वित्तीय विवरण की अनुसूची 18(ए)(9)(बी) का संदर्भ लें.

our audit except Risk Assessment Report of the Reserve Bank of India as specified in para 8 above.

b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purpose of our audit have been received from the branches not visited by us.

c) The reports on the accounts of branches of the bank audited by other auditors have been forwarded to us and the same have been appropriately dealt with.

d) The Balance Sheet, the Profit and Loss Account, and the Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account.

e) In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by Reserve Bank of India.

f) On the basis of written representation received from the directors as on March 31, 2018 and taken on record by the Board of Directors, none of the directors are disqualified as on March 31, 2018 from being appointed as director in terms of Section 164 (2) of the Companies Act 2013.

g) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Bank and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in Annexure A.

h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i) The Bank has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements to the extent determinable/ascertainable. – Refer Schedule 18(A)(9) to the standalone financial statements.

ii) The Bank has made provision, as required, under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long term contracts including derivative contracts Refer Schedule 18(A)(9)(b) to the standalone financial statements.

iii. बैंक द्वारा निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि में अंतरित की जाने वाली राशियों के अंतरण में कोई विलंब नहीं हुआ है. अनुसूची 18(सी)(VI) का संदर्भ लें.

iii) There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Bank. Refer Schedule 18(C)(VI).

कृते **मुकुंद एम. चितले एंड कं.**
For **Mukund M. Chitale & Co.**
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 106655W

अभय वी. कामत
Abhay V. Kamat
साझेदार/ (स. सं. 39585) / Partner (M.No. 39585)

कृते **के. एस. अय्यर एंड कं.**
For **K. S. Aiyar & Company**
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 100186W

सतीश केलकर
Satish Kelkar
साझेदार (स. सं. 38934)/ Partner (M.No. 38934)

कृते **जे एल एन यू एस एंड कं.**
For **J L N U S & Co**
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101543W

रामप्रसन्न अग्रवाल
Ramaprasanna Agarwal
साझेदार (स. सं. 119693)/ Partner (M.No. 119693)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 25 मई 2018 / Date: May 25, 2018

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की सम दिनांकित रिपोर्ट का अनुबंध अ

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

(हमारी सम दिनांकित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पैराग्राफ 11(छ) के संदर्भ में)

1. हमने 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (''बैंक'') के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ-साथ उस तारीख को बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

2. बैंक का निदेशक मंडल भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में दिए गए आंतरिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण घटकों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है. इन जिम्मेदारियों में संबंधित कंपनी की नीतियों के अनुपालन सहित इसके कारोबार के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और अनुरक्षण करना, आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ियों और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन रिकॉर्डों की परिशुद्धता और परिपूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुरूप विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समयबद्ध रूप से तैयार करना शामिल है.

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

3. हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय की अभिव्यक्ति है. हमने अपनी लेखापरीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट (''मार्गदर्शी नोट'') तथा लेखापरीक्षा संबंधी मानकों के अनुसार की है जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अधीन निर्दिष्ट माने जाएंगे और दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू हैं और दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं. उन मानकों और मार्गदर्शन नोट से यह अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखापरीक्षा को इस प्रकार से नियोजित और निष्पादित करें ताकि इस आशय के लिए समुचित आश्वासन मिल सके कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किए गए हैं और यह भी कि ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी रूप से परिचालित किए गए हैं.

4. हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालनीय प्रभावकारिता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य

Annexure A to the Independent Auditor's Report of even date on the Standalone Financial Statements of IDBI Bank Limited

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-Section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013

(Referred to in paragraph 11(g) of our Audit Report of even date)

1. We have audited the internal financial controls over financial reporting of IDBI Bank Limited ("the Bank") as of March 31, 2018 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Bank for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

2. The Bank's Board of Directors is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India" (ICAI). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing issued by ICAI and deemed to be prescribed under Section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to audit of internal financial controls and both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

4. Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their

प्राप्त करने हेतु अपनाई गई प्रक्रियाएँ शामिल हैं. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ हासिल करना, ऐसे जोखिमों का आकलन करना जहां तात्विक कमी विद्यमान है, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण तैयार करना और परिचालन प्रभावकारिता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है. चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं जिनमें वित्तीय विवरणों में धोखे या गलती से किसी तात्विक अयथार्थ कथन के जोखिम का आकलन शामिल है.

5. हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त है.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

6. बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वह प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन देने और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए बनाई गई है. बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (क) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं जो यथोचित विस्तार, परिशुद्धता के साथ बैंक की आस्तियों के संव्यवहारों और निपटानों को उचित रूप से दर्शाते हैं; (ख) इस आशय के लिए यथोचित आश्वासन देते हैं कि संव्यवहार सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अनुमत अपेक्षा के साथ दर्ज किए जाते हैं और यह भी कि बैंक की प्राप्तियाँ और व्यय बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार अनुसार ही किए जा रहे हैं; और (ग) बैंक की आस्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान की रोकथाम और समय पर पहचान के संबंध में उचित आश्वासन देते हैं जिनसे वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता था.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

7. वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाओं, जिनमें नियंत्रणों के टकराव अथवा असंगत प्रबंधन से नियंत्रणों की अवहेलना की संभावना शामिल है, के कारण त्रुटि अथवा धोखाधड़ी की वजह से तात्विक अयथार्थ कथन की घटना हो सकती है और उनका पता न लगाया जा सके. साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के पूर्वानुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों अथवा नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन में आनेवाली गिरावट के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं.

operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

6. A bank's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (a) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank; (b) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the Bank; and (c) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

7. Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

राय

8. हमारी राय में बेहतर स्वचालित नियंत्रण के लिए बैंक को ट्रेजरी, पे-रोल, एनपीए प्रावधानीकरण और चल आस्तियों के क्षेत्र में लेखांकन प्रणाली के साथ एकल प्रणाली को एकीकृत करने की आवश्यकता है. इनको छोड़ कर, बैंक में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की दृष्टि से वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली लागू है और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में दिए गए आंतरिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण घटकों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर स्थापित आंतरिक नियंत्रण के आधार पर यथा 31 मार्च 2018 को ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे.

Opinion

8. In our opinion the Bank needs to integrate the standalone systems in the areas of Treasury, Payroll, NPA provisioning and fixed assets with accounting system for better automated control, except for this, the Bank has in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2018, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

कृते **मुकुंद एम. चितले एंड कं.**
For **Mukund M. Chitale & Co.**
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 106655W

अभय वी. कामत
Abhay V. Kamat
साझेदार/ (स. सं. 39585) / Partner (M.No. 39585)

कृते **के. एस. अय्यर एंड कं.**
For **K. S. Aiyar & Company**
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 100186W

सतीश केलकर
Satish Kelkar
साझेदार (स. सं. 38934)/ Partner (M.No. 38934)

कृते **जे एल एन यू एस एंड कं.**
For **J L N U S & Co**
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101543W

रामप्रसन्न अग्रवाल
Ramaprasanna Agarwal
साझेदार (स. सं. 119693)/ Partner (M.No. 119693)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 25 मई 2018 / Date: May 25, 2018

तुलन पत्र 31 मार्च 2018 को
Balance Sheet as at March 31, 2018

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	अनुसूची Schedule	यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018	यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017
पूंजी एवं देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी / Capital	1	3083 86 27	2058 81 51
रिज़र्व और अधिशेष / Reserves and surplus	2	18125 86 72	20504 83 44
जमाराशियां / Deposits	3	247931 61 11	268538 09 59
उधार राशियां / Borrowings	4	63185 52 72	56363 97 73
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other liabilities and provisions	5	17986 76 85	14408 75 05
कुल / TOTAL		**350313 63 67**	**361874 47 32**
आस्तियां / ASSETS			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष Cash and balances with Reserve Bank of India	6	13163 68 62	13346 91 71
बैंकों के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय Balances with banks and money at call and short notice	7	20522 39 93	19337 16 17
निवेश / Investments	8	91606 06 41	92934 41 37
अग्रिम / Advances	9	171739 94 51	190825 92 71
अचल आस्तियां / Fixed assets	10	6770 98 45	7348 78 28
अन्य आस्तियां / Other assets	11	46510 55 75	38081 27 08
कुल / TOTAL		**350313 63 67**	**361874 47 32**
आकस्मिक देयताएं / Contingent liabilities	12	198016 17 06	185982 31 57
वसूली हेतु बिल / Bills for collection		9300 58 44	15948 81 60
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 एवं 18 17 & 18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां तुलन पत्र के अभिन्न भाग के रूप में हैं
The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

(महेश कुमार जैन)
(Mahesh Kumar Jain)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer
(डीआईएन/DIN: 03513127)

(के.पी. नायर)
(K.P. Nair)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/DIN: 02611496)

(जी.एम. यादवाडकर)
(G.M. Yadwadkar)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/DIN: 01432796)

(ज्ञान प्रकाश जोशी)
(Gyan Prakash Joshi)
निदेशक
Director
(डीआईएन/(DIN: 00603925)

(अजय शर्मा)
(Ajay Sharma)
कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
Executive Director & Chief Financial Officer

(पवन अग्रवाल)
(Pawan Agrawal)
कंपनी सचिव
Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते मुकुंद एम. चितले एंड कं.
For Mukund M. Chitale & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 106655W

अभय वी. कामत
Abhay V. Kamat
साझेदार/ (स. सं. 39585) / Partner (M.No. 39585)

कृते के. एस. अय्यर एंड कं.
For K. S. Aiyar & Company
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 100186W

सतीश केलकर
Satish Kelkar
साझेदार (स. सं. 38934)/ Partner (M.No. 38934)

कृते जे एल एन यू एस एंड कं.
For J L N U S & Co
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101543W

रामप्रसन्न अग्रवाल
Ramaprasanna Agarwal
साझेदार (स. सं. 119693)/ Partner (M.No. 119693)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 25 मई 2018 / Date: May 25, 2018

लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2018

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		अनुसूची Schedule	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2018	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2017
I	**आय / INCOME**			
	अर्जित ब्याज / Interest earned	13	23026 53 25	27791 36 73
	अन्य आय / Other income	14	7008 87 97	4007 83 44
	कुल / TOTAL		**30035 41 22**	**31799 20 17**
II	**व्यय / EXPENDITURE**			
	व्ययगत ब्याज / Interest expended	15	17386 20 83	22039 70 56
	परिचालन व्यय / Operating expenses	16	4744 68 76	5140 80 95
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions and contingencies		16142 43 59	9776 82 62
	कुल / TOTAL		**38273 33 18**	**36957 34 13**
III	**लाभ / PROFIT**			
	वर्ष के लिए निवल लाभ / (हानि) Net Profit/ (Loss) for the year		(8237 91 96)	(5158 13 96)
	आगे ले जाया गया लाभ / (हानि) / Profit/ (Loss) brought forward		(8492 39 25)	(2827 28 47)
	कुल / TOTAL		**(16730 31 21)**	**(7985 42 43)**
IV	**विनियोग / APPROPRIATIONS**			
	सांविधिक रिजर्व में अंतरण / Transfer to Statutory Reserve		-	-
	पूंजी रिज़र्व में अंतरण / Transfer to Capital Reserve		978 29 73	506 96 82
	सामान्य रिज़र्व में अंतरण / Transfer to General Reserve		-	-
	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिज़र्व में अंतरण Transfer to Special Reserve created and maintained under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		-	-
	सांविधिक रिज़र्व से अंतरण / Transfer from Statutory Reserve		(544 60 00)	-
	प्रस्तावित लाभांश Proposed Dividend		-	-
	अंतरिम लाभांश Interim Dividend		-	-
	ईसोप पर लाभांश / Dividend on ESOPs		-	-
	लाभांश वितरण कर / Dividend distribution tax		-	-
	तुलन पत्र में आगे ले जाई गई राशि Balance carried over to balance sheet		(17164 00 94)	(8492 39 25)
	कुल / TOTAL		**(16730 31 21)**	**(7985 42 43)**

लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2018

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2018	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2017
प्रति शेयर अर्जन (₹) (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर) Earnings per share (₹) (Face Value ₹ 10 per share)	18(अ)(6) 18(A)(6)		
मूल / Basic		(34.45)	(25.05)
न्यूनीकृत / Diluted		(34.45)	(25.05)
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 एवं 18 17 & 18		
उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ - हानि लेखा के अभिन्न भाग के रूप में हैं The Schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account			

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

(महेश कुमार जैन) (Mahesh Kumar Jain)	(के.पी. नायर) (K.P. Nair)	(जी.एम. यादवाडकर) (G.M. Yadwadkar)	(ज्ञान प्रकाश जोशी) (Gyan Prakash Joshi)	(अजय शर्मा) (Ajay Sharma)	(पवन अग्रवाल) (Pawan Agrawal)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & Chief Executive Officer (डीआईएन/DIN: 03513127)	उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 02611496)	उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 01432796)	निदेशक Director (डीआईएन/(DIN: 00603925)	कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी Executive Director & Chief Financial Officer	कंपनी सचिव Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते मुकुंद एम. चितले एंड कं. For Mukund M. Chitale & Co.	कृते के. एस. अय्यर एंड कं. For K. S. Aiyar & Company	कृते जे एल एन यू एस एंड कं. For J L N U S & Co
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants	सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants	सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 106655W	फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 100186W	फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101543W
अभय वी. कामत Abhay V. Kamat	सतीश केलकर Satish Kelkar	रामप्रसन्न अग्रवाल Ramaprasanna Agarwal
साझेदार/ (स. सं. 39585) / Partner (M.No. 39585)	साझेदार (स. सं. 38934)/ Partner (M.No. 38934)	साझेदार (स. सं. 119693)/ Partner (M.No. 119693)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 25 मई 2018 / Date: May 25, 2018

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018	यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017
अनुसूची 1 -पूंजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL		
प्राधिकृत पूंजी / Authorised capital		
₹ 10 प्रत्येक के 450 00 00 000 (450 00 00 000) इक्विटी शेयर 450 00 00 000 (450 00 00 000) Equity shares of ₹ 10 each	4500 00 00	4500 00 00
	4500 00 00	**4500 00 00**
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी Issued, Subscribed & Paid up Capital		
₹ 10 प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त 308 38 62 696 (205 88 15 081) इक्विटी शेयर 308 38 62 696 (205 88 15 081) Equity shares of ₹ 10 each fully paid up (अनुसूची 18 सी 1 देखें) / (Refer Schedule 18 C 1)	3083 86 27	2058 81 51
कुल / TOTAL	**3083 86 27**	**2058 81 51**

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018	यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017
	अनुसूची 2 - रिज़र्व और अधिशेष SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS		
I	**सांविधिक रिज़र्व / Statutory Reserve**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	3019 34 70	3019 34 70
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	544 60 00	-
		2474 74 70	**3019 34 70**
II	**पूंजीगत रिज़र्व / Capital Reserve**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	1329 25 01	822 28 19
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	978 29 73	506 96 82
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		2307 54 74	**1329 25 01**
III	**पुनर्मूल्यन रिज़र्व / Revaluation Reserve**		
	प्रारंभिक शेष (अनुसूची 18 टिप्पणी अ. 1 देखें) Opening balance (Refer Schedule 18 Note A.1)	5417 74 94	5607 82 67
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	सामान्य रिज़र्व में अंतरण / Transfer to General Reserve	363 86 71	190 07 73
		5053 88 23	**5417 74 94**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018	यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017
	अनुसूची 2 - रिज़र्व और अधिशेष SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS		
IV	**शेयर प्रीमियम / Share Premium**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	12301 53 03	12301 53 03
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	5858 95 24	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		18160 48 27	**12301 53 03**
V	**राजस्व और अन्य रिज़र्व / Revenue and other Reserve**		
	(क/a) सामान्य रिज़र्व / General Reserve		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	5356 99 97	5166 92 24
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	पूनर्मूल्यन रिज़र्व से अंतरण Transferred from Revaluation Reserve	363 86 71	190 07 73
	लाभ-हानि लेखे से अंतरण Transferred from Profit and Loss Account	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		5720 86 68	**5356 99 97**
	(ख/b) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व Special Reserve under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	6 35 04	6 35 04
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		6 35 04	**6 35 04**
	(ग/c) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिज़र्व Special Reserve created and maintained under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	1566 00 00	1566 00 00
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		1566 00 00	**1566 00 00**
VI	**लाभ-हानि लेखे में शेष राशि Balance in Profit and Loss Account**	(17164 00 94)	(8492 39 25)
	कुल (I से VI) / TOTAL (I to VI)	**18125 86 72**	**20504 83 44**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018	यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017
अनुसूचियां 3 - जमाराशियां / SCHEDULE 3 - DEPOSITS		
अ/A		
I. मांग जमाराशियां / Demand Deposits		
(i) बैंकों से / From banks	7851 29 27	9255 49 00
(ii) अन्य से / From others	27125 69 61	24830 15 85
	34976 98 88	**34085 64 85**
II. बचत बैंक जमाराशियां / Savings Bank Deposits	**57125 10 23**	**50383 74 67**
III. मीयादी जमाराशियां / Term Deposits		
(i) बैंकों से / From banks	13744 53 06	23467 05 58
(ii) अन्य से / From others	142084 98 94	160601 64 49
	155829 52 00	**184068 70 07**
कुल (I से III) / TOTAL (I to III)	**247931 61 11**	**268538 09 59**
आ/B		
(i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां Deposits of branches in India	247037 62 61	267369 19 94
(ii) भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां Deposits of branches outside India	893 98 50	1168 89 65
कुल / TOTAL	**247931 61 11**	**268538 09 59**

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018	यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017
अनुसूची 4 - उधार राशियां / SCHEDULE 4 - BORROWINGS		
I. भारत में उधार राशियां / Borrowings in India		
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India	11561 00 00	-
(ii) अन्य बैंक / Other banks	-	3673 45 00
(iii) टीयर 1 (नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत) Tier I (Innovative Perpetual Debt Instrument)	1708 80 00	1708 80 00
(iv) अतिरिक्त टीयर 1 बांड / Additional Tier I Bond	-	5000 00 00
(v) अपर टीयर II बांड / Upper Tier II Bonds	4286 20 00	4286 20 00
(vi) अप्रतिभूत, प्रतिदेय बांड (टीयर II पूंजी के लिए गौण) Unsecured, Redeemable Bonds (Subordinated for Tier II Capital)	6530 00 00	7078 00 00
(vii) बासेल III ओम्नी टीयर 2 बांड / Basel III Omni Tier 2 Bond	1900 00 00	1900 00 00
(viii) अन्य* / Others *	18950 05 76	10461 17 47
II. भारत के बाहर से उधार राशियां / Borrowings outside India	18249 46 96	22256 35 26
कुल (I और II) / TOTAL (I and II)	**63185 52 72**	**56363 97 73**

* ₹ 850 00 00 हजार (₹ 850 00 00 हजार) का बेमीयादी ऋण लिखत शामिल है जो सीआरएआर के लिए पात्र नहीं है.
Includes Perpetual Debt Instrument of ₹ 850 00 00 thousand (₹ 850 00 00 thousand) which does not qualify for CRAR.

* ऊपर I और II में शामिल प्रतिभूत उधार राशियां - ₹ 21107 83 25 हजार (₹ 1052 60 09 हजार)
Secured borrowings included in I and II above are ₹ 21107 83 25 thousand (₹ 1052 60 09 thousand)

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ ‘000 में / ₹ in ‘000)

		यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018	यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017
	अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
I.	देय बिल / Bills Payable	1557 79 15	1429 94 55
II.	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)	77 08	77 08
III.	उपचित ब्याज / Interest accrued	1191 68 23	1450 74 19
IV.	**अन्य (प्रावधान सहित) / Others (Including Provision)**		
	(क) मानक आस्तियों के प्रति विवेकपूर्ण प्रावधान (a) Prudential provisions against standard assets	1911 61 40	3046 11 75
	(ख) प्राप्त अग्रिम भुगतान (b) Advance payments received	395 61 65	594 83 47
	(ग) देय लाभांश तथा लाभांश कर (c) Dividend and dividend tax payable	-	-
	(घ) विविध लेनदार (d) Sundry Creditors	295 02 49	301 25 29
	(ङ) देय सेवा कर / टीडीएस / अन्य कर (e) Service Tax/ TDS/ Other taxes payable	68 55 21	44 14 54
	(च) विविध जमाराशियां (f) Sundry Deposits	62 80 26	38 09 42
	(छ) अन्य प्रावधान (g) Other provisions	2459 25 82	2839 55 02
	(ज) विविध* (h) Miscellaneous*	10043 65 56	4663 29 74
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**17986 76 85**	**14408 75 05**

* भारत सरकार के लंबित शेयरों के आबंटन से प्राप्त ₹ 7881 00 00 हजार (₹ 1900 00 00 हजार) की शेयर आवेदन राशि सहित

* Includes Share Application Money of ₹ 7881 00 00 Thousand (₹ 1900 00 00 Thousand) received from GoI pending allotment of Shares.

(₹ ‘000 में / ₹ in ‘000)

		यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018	यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017
	अनुसूची 6 - नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I.	हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	1495 88 57	2137 57 35
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष / Balances with Reserve Bank of India		
	(i) चालू खातों में / in Current Accounts	11667 80 05	11209 34 36
	(ii) अन्य खातों में / in Other Accounts	-	-
	कुल (I और II) / TOTAL (I and II)	**13163 68 62**	**13346 91 71**

IDBI BANK

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

			यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018	यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017
	अनुसूची 7 - बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि **SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE**			
I	**भारत में / In India**			
	(i)	बैंकों के पास शेष / Balance with banks		
		(क) चालू खातों में (a) in Current Accounts	388 27 14	298 17 78
		(ख) अन्य जमा खातों में (b) in Other Deposit Accounts	281 13 00	298 12 00
	(ii)	मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Money at call and short notice		
		(क) बैंकों के पास (a) with banks	-	-
		(ख) अन्य संस्थाओं के पास (b) with other Institutions	16750 00 00	18400 00 00
			17419 40 14	**18996 29 78**
II	**भारत से बाहर / Outside India**			
	(i)	चालू खातों में / in Current Accounts	212 13 71	19 18 24
	(ii)	अन्य जमा खातों में / in Other Deposit Accounts	2796 00 75	214 00 50
	(iii)	मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Money at call and short notice	94 85 33	107 67 65
			3102 99 79	**340 86 39**
	कुल (I और II) / TOTAL (I and II)		**20522 39 93**	**19337 16 17**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

			यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018	यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017
	अनुसूची 8 - निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS			
I	**भारत में निम्न में निवेश / Investments in India in**			
	(i)	सरकारी प्रतिभूतियां / Government Securities	74461 53 93	83866 27 91
	(ii)	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other approved securities	-	-
	(iii)	शेयर / Shares	2164 77 87	2482 37 23
	(iv)	डिबेंचर और बांड* / Debentures and Bonds*	11838 80 25	2207 05 22
	(v)	सहायक संस्थाएं और / या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and / or Joint Ventures	690 03 82	702 03 82
	(vi)	अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंडों के यूनिट, एसआर, पीटीसी) Others (CPs, Units in MFs, SRs, PTCs)	1674 13 41	3676 67 19
			90829 29 28	**92934 41 37**
II	**भारत से बाहर निम्न में निवेश / Investments outside India in**			
	(i)	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) Government Securities (including local authorities)	776 77 13	-
	(ii)	सहायक संस्थाएं और / या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or Joint Ventures	-	-
	(iii)	अन्य निवेश (शेयर) / Other investments (shares)	-	-
			776 77 13	**-**
	कुल (I और II) / TOTAL (I and II)		**91606 06 41**	**92934 41 37**
III	**भारत में निवेश / Investments in india**			
	निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments		95427 15 51	95716 48 53
	घटाएं: कुल प्रावधान / मूल्यहृास / Less: Aggregate provision / depreciation		4597 86 23	2782 07 16
	निवल निवेश / Net investments		90829 29 28	92934 41 37
IV	**भारत से बाहर निवेश / Investments outside india**			
	निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments		781 45 37	-
	घटाएं: कुल प्रावधान / मूल्यहृास / Less: Aggregate provision / depreciation		4 68 24	-
	निवल निवेश / Net investments		776 77 13	-

* गैर-एसएलआर एचटीएम प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत ₹ 7881 00 00 (₹ शून्य हजार) की भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों सहित

* Includes Special GOI Securities of ₹ 7881 00 00 Thousand (₹ NIL Thousand) classified as Non-SLR HTM Securities

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018	यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017
अनुसूची 9 - अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES		
अ A		
(i) खरीदे और भुनाए / पुनर्भुनाए गए बिल Bills purchased and discounted/ rediscounted	3617 35 78	5617 69 05
(ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट तथा मांग पर प्रतिदेय ऋण Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	49450 36 06	53223 92 29
(iii) मीयादी ऋण* / Term loans*	118672 22 67	131984 31 37
कुल / TOTAL	**171739 94 51**	**190825 92 71**
आ B		
(i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत**/ Secured by tangible assets **	162201 09 39	177115 60 93
(ii) बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा सुरक्षित*** Covered by Bank / Government guarantees***	2544 27 99	7056 59 28
(iii) अप्रतिभूत / Unsecured	6994 57 13	6653 72 50
कुल / TOTAL	**171739 94 51**	**190825 92 71**
इ C		
I भारत में अग्रिम / Advances in India		
(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र / Priority sector	62995 61 05	60560 29 66
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र / Public sector	12907 66 10	8572 20 34
(iii) बैंक / Banks	1606 08 28	486 48 43
(iv) अन्य / Others	81279 72 63	98696 48 85
कुल / TOTAL	**158789 08 06**	**168315 47 28**
II भारत से बाहर अग्रिम / Advances Outside India		
(i) बैंकों से प्राप्य / Due from banks	185 79 95	181 10 11
(ii) अन्य से प्राप्य : / Due from others:		
(क) खरीदे तथा भुनाए गए बिल (a) Bills purchased and discounted	666 67 33	1787 43 00
(ख) समूहित ऋण (b) Syndicated loans	3670 03 15	3911 12 14
(ग) अन्य (c) Others	8428 36 02	16630 80 18
कुल / TOTAL	**12950 86 45**	**22510 45 43**
कुल (इ I और इ II) / GRAND TOTAL (C I and C II)	**171739 94 51**	**190825 92 71**

* ₹ 242 00 00 हजार (₹ 7707 48 00 हजार) आईपीबीसी के विक्रय / क्रय की निवल शामिल है.
Includes Net of Sale / Purchase of IPBC of ₹ 242 00 00 thousand (₹ 7707 48 00 thousand)

** बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं
Includes advances against book debts

*** बैंकों द्वारा जारी साख-पत्रों पर अग्रिम शामिल हैं
Includes advances against letter of credit issued by banks.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018	यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017
	अनुसूची 10 - अचल आस्तियां / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS		
I	**परिसर (अनुसूची 18 टिप्पणी अ.1 देखें) Premises (Refer Schedule 18 Note A.1)**		
	प्रारंभिक शेष (लागत पर) / Opening Balance (At cost)	6762 84 74	6746 01 65
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	67 74 32	16 83 09
	वर्ष के दौरान किया गया पुनर्मूल्यन / Revaluation made during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	498 04 61	-
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	792 30 10	665 67 36
		5540 24 35	**6097 17 38**
II	**अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर व फिक्सचर सहित) Other fixed assets (including Furniture & Fixtures)**		
	प्रारंभिक शेष (लागत पर) / Opening Balance (At cost)	1996 49 97	1872 38 35
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	203 57 80	129 97 81
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	30 35 11	5 86 19
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	1440 87 22	1284 73 67
		728 85 44	**711 76 30**
III	**पट्टे पर दी गयी आस्तियां/ Assets given on Lease**		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	601 81 79	601 81 79
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	600 05 27	600 05 27
	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Non-Performing Assets	1 76 52	1 76 52
		-	**-**
IV	**चालू पूंजीगत कार्य / Capital Work-in-Progress**	501 88 66	539 84 60
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**6770 98 45**	**7348 78 28**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018	यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017
	अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS		
I	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)	5 74	-
II	उपचित ब्याज / Interest accrued	2557 48 87	2583 67 55
III	अग्रिम कर भुगतान / स्रोत पर कर कटौती (निवल) Tax paid in advance / tax deducted at source (net)	4088 18 52	3149 62 85
IV	लेखन सामग्री और स्टाम्प / Stationery and stamps	20 21	20 78
V	दावों की तुष्टि में अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां Non-Banking Assets acquired in satisfaction of claims	791 98 93	791 98 93
VI	**अन्य / Others**		
	(क) आस्थगित कर आस्ति (निवल) (a) Deferred Tax Asset (net)	11958 60 97	7603 99 70
	(ख) आबंटन के लिए लंबित शेयर / बांड (b) Shares / Bonds Pending allotment	307 27 94	45 47 20
	(ग) विविध जमाराशियां व अग्रिम (c) Sundry deposit and advances	200 07 48	164 59 65
	(घ) प्राप्य दावे (d) Claims receivable	1363 00 16	499 15 12
	(ङ) दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) को अंतरित मामलों के संबंध में व्यय / संवितरण (e) Expenses / Disbursements in respect of cases transferred to Stressed Assets Stabilization Fund (SASF)	129 07 08	85 86 32
	(च) विविध * (f) Miscellaneous *	25114 59 85	23156 68 98
	कुल (I से VI) / TOTAL (I to VI)	**46510 55 75**	**38081 27 08**

* प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ₹ 24525 38 17 हजार (₹ 22405 44 79 हजार) का निवेश शामिल हैं.

* Includes Investment in Priority sector ₹ 24525 38 17 Thousand (₹ 22405 44 79 thousand)

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018	यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017
	अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं **SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES**		
I	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया Claims against the Bank not acknowledged as debts	156 02 81	131 84 91
II	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	91355 62 29	59827 52 55
III	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents		
	(क) -भारत में (a) -in India	50384 33 78	52831 16 63
	(ख) -भारत से बाहर (b) -outside India	899 72 96	2603 60 14
IV	स्वीकृतियां, परांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	18551 25 92	22875 64 31
V	ब्याज दर और मुद्रा स्वैप व ऋण चूक स्वैप के संबंध में देयता Liability in respect of interest rate and currency swaps and credit default swaps	30085 29 18	38704 97 17
VI	अन्य डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में देयता Liability in respect of other Derivative contracts	4738 17 56	7235 15 39
VII	विवादित आयकर, ब्याज कर, दंड और ब्याज मांग के कारण On account of disputed Income tax, Interest tax, penalty and interest demands	1730 44 46	1724 86 59
VIII	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है Other items for which the bank is contingently liable	115 28 10	47 53 88
	कुल (I से VIII) / TOTAL (I to VIII)	**198016 17 06**	**185982 31 57**

आकस्मिक देयताओं के विवरण के लिए अनुसूची 18 टिप्पणी अ(9) देखें

Note: Refer Schedule 18 Note A(9) for description of contingent liabilities.

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2018	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2017
	अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED		
I	अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा / Interest / discount on advances / bills	15693 55 26	19310 33 08
II	निवेशों से आय / Income on investments	5899 22 60	6574 71 26
III	रिजर्व बैंक के पास जमा शेष तथा अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with RBI and other inter-bank funds	232 84 40	456 84 52
IV	अन्य / Others	1200 90 99	1449 47 87
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**23026 53 25**	**27791 36 73**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000s)

		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2018	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2017
	अनुसूची 14 - अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME		
I	कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange and brokerage	2072 21 53	2251 87 26
II	निवेशों की बिक्री पर लाभ /(हानि) (निवल) Profit/ (Loss) on sale of investments (net)	3931 89 78	1250 05 93
III	निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ /(हानि) (निवल) Profit/ (Loss) on revaluation of investments (net)	(4 70 02)	-
IV	भूमि, भवन तथा अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit/ (Loss) on sale of land, buildings and other assets (net)	516 68 08	(52 76)
V	विनिमय लेन-देनों / डेरिवेटिव पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit/ (Loss) on exchange transactions / Derivatives (net)	156 61 76	224 73 79
VI	भारत में स्थित सहायक कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आय Dividend income from subsidiary companies and / or joint ventures in India	28 06 08	13 33 99
VII	बट्टे खाते डाले गए मामलों से वसूली / Recovery from written off cases	219 24 01	158 60 60
VIII	विविध आय / Miscellaneous Income	88 86 75	109 74 63
	कुल (I से VIII) / TOTAL (I to VIII)	**7008 87 97**	**4007 83 44**

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2018	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2017
	अनुसूची 15 - व्ययगत ब्याज **SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED**		
I	जमाराशियों पर ब्याज / Interest on deposits	13182 93 49	17138 27 51
II	रिजर्व बैंक / अंतर-बैंक उधार राशियों पर ब्याज Interest on RBI / inter-bank borrowings	399 33 15	1331 69 03
III	अन्य / Others	3803 94 19	3569 74 02
	कुल (I से III) / TOTAL (I to III)	**17386 20 83**	**22039 70 56**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2018	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2017
	अनुसूची 16 - परिचालन व्यय SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES		
I	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	1781 07 96	2203 58 87
II	किराया, कर और बिजली Rent, taxes and lighting	445 04 84	433 92 77
III	मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and stationery	43 30 86	47 86 19
IV	विज्ञापन और प्रचार/ Advertisement and publicity	7 60 35	43 60 83
V	बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास / Depreciation on the Bank's property	372 73 05	358 94 28
VI	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Director's fees, allowances and expenses	69 02	81 12
VII	लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय / Auditor's fees and expenses	14 68 43	2 10 61
VIII	विधि प्रभार / Law charges	15 82 40	12 84 47
IX	डाक खर्च, टेलीग्राम, टेलीफोन आदि / Postage, telegrams, telephones etc.	89 85 85	100 90 29
X	मरम्मत और रख-रखाव / Repairs and maintenance	80 21 23	87 13 02
XI	बीमा / Insurance	217 78 33	230 74 19
XII	अन्य / Others		
	(क) बैंकिंग व्यय (a) Banking expenses	67 50 94	52 30 21
	(ख) कार्ड एवं एटीएम व्यय (b) Card & ATM expenses	360 21 74	342 37 82
	(ग) परामर्श व्यय (c) Consultancy expenses	7 93 62	12 98 73
	(घ) बट्टे खाते मामलों की वसूली से संबंधित व्यय (d) Expenses for recovery of write off cases	3 93 57	3 90 79
	(ङ) आउटसोर्सिंग व्यय (e) Outsourcing expenses	708 53 81	634 98 07
	(च) आईटी व्यय (f) IT expenses	84 32 11	113 44 21

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2018	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2017
(छ) स्टाफ प्रशिक्षण और अन्य व्यय (g) Staff training & other expenses	13 49 73	21 64 23
(ज) यात्रा और वाहन प्रभार (h) Travelling and conveyance charges	22 31 24	32 25 75
(झ) ट्रेजरी व्यय (i) Treasury expenses	6 68 43	9 58 79
(ञ) उधारी के लिए फीस तथा अन्य व्यय (j) Fee and other expenses for borrowing	7 03 84	8 57 73
(ट) अन्य व्यय (k) Other expenditure	393 87 41	386 27 98
कुल (I से XII) / TOTAL (I to XII)	**4744 68 76**	**5140 80 95**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां
SCHEDULE 17 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. तैयार करने का आधार/ Basis of Preparation

वित्तीय विवरण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं. इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त लेखांकन नीतियां सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के मामले में भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी), भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) के समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी तथा कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित लेखांकन मानकों (एएस), अधिनियम के प्रावधानों (अधिसूचित सीमा तक) और भारत में बैंकिंग उद्योग में सामान्यतया प्रचलित पद्धतियों के अनुरूप हैं. बैंक लेखांकन की उपचय विधि, सिवाय कि जहां अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो, और परम्परागत लागत पद्धति का अनुसरण करता है.

The financial statements have been prepared in accordance with requirements prescribed under the Third Schedule of the Banking Regulation Act, 1949. The accounting policies used in the preparation of these financial statements, in all material aspects, conform to Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), the guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) from time to time, the Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and prescribed under Section 133 of Companies Act, 2013 ('Act') read with Rule 7 of the Companies (Account) Rules, 2014, the provisions of the Act (to the extent notified) and practices generally prevalent in the banking industry in India. The Bank follows the accrual method of accounting, except where otherwise stated, and the historical cost convention.

2. अनुमानों का उपयोग/ Use of Estimates

वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रबंधन के लिए यह जरूरी है कि वह ऐसे अनुमान व धारणाएं बनाए जो वित्तीय विवरणों की तारीख को दर्शायी गई आस्तियों, देयताओं, व्ययों, आय राशियों और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करती हैं. प्रबंधन को विश्वास है कि ये अनुमान और धारणाएं तर्कसंगत तथा विवेकपूर्ण हैं. तथापि वास्तविक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं. लेखा अनुमानों में किसी तरह के संशोधन को चालू तथा भावी अवधियों में भविष्यलक्षी प्रभाव से हिसाब में लिया जाता है.

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

3 राजस्व निर्धारण/ Revenue Recognition

राजस्व का निर्धारण इस अधिसंभाव्य सीमा के तहत किया जाता है कि बैंकों को आर्थिक लाभ मिलेगा तथा राजस्व का विश्वसनीय रूप से आकलन किया जा सकेगा.

Revenue is recognized to the extent it is probable that the economic benefits will flow to the Bank and the revenue can be reliably measured

i. ब्याज आय की गणना उपचय आधार पर की जाती है, सिवाय अनर्जक आस्तियों के मामले में जहां इसे रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली के बाद हिसाब में लिया जाता है.
Interest income is recognized on accrual basis except in the case of non-performing assets where it is recognized upon realization as per the prudential norms of the RBI.

ii. साख पत्र (एलसी)/बैंक गारंटी (बीजी) पर कमीशन साख पत्र/बैंक गारंटी की अवधि के दौरान उपचित होता है.
Commissions on Letter of Credit (LC)/ Bank Guarantee (BG) are accrued over the period of LC/ BG.

iii. शुल्क आधारित आय को प्राप्ति की सुनिश्चितता के आधार पर उपचित किया जाता है तथा यह ग्राहक के साथ करार की शर्तों के अनुसार कार्य की प्रगति पर आधारित होता है.
Fee based income are accrued on certainty of receipt and is based on milestones achieved as per terms of agreement with the client.

iv. बट्टाकृत लिखतों पर आय को निरंतर प्रतिफल आधार पर लिखत की अवधि के अनुसार निर्धारित किया जाता है.
Income on discounted instruments is recognized over the tenure of the instrument on a constant yield basis.

v. लाभांश की प्राप्ति का अधिकार सिद्ध हो जाने पर उसे उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है.
Dividend is accounted on an accrual basis when the right to receive the same is established.

vi. अनर्जक अग्रिमों के मामले में वसूली का विनियोजन बैंक की नीति के अनुसार किया जाता है.
In case of Non-performing advances, recovery is appropriated as per the policy of the bank.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

4. अग्रिम व प्रावधान / Advances and Provisions

i. अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं और प्रबंधन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अतिरिक्त प्रावधान किए जाते हैं. अग्रिमों को अनर्जक अग्रिमों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर दिखाया जाता है.
Advances are classified into Standard, Sub-standard, Doubtful and Loss assets and provisions are made in accordance with the prudential norms prescribed by RBI and additional provisions as decided by the management. Advances are stated net of provisions towards non-performing advances.

ii. जहाँ बही ऋणों सहित मूर्त प्रतिभूति पर अग्रिमों का न्यूनतम 10% भाग विनिर्दिष्ट/ सृजित किया जाता है, वहाँ अग्रिमों को 'मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. एस्क्रो, गारंटी, चुकौती आश्वासन पत्र, ब्रांड पर प्रभार, लाइसेंस, पेटेंट, कॉपीराइट आदि के रूप में प्रतिभूति को 'मूर्त आस्तियां' नहीं माना जाता है.
Advances are classified as 'Secured by Tangible Assets' when security of at least 10% of the advance has been stipulated/ created against tangible security including book debts. Security in the nature of escrow, guarantee, comfort letter, charge on brand, license, patent, copyright etc are not considered as 'Tangible Assets'

iii. विगत वर्षों में बट्टे खाते डाले गए ऋणों में की गई वसूलियों तथा उधारकर्ता की मौजूदा स्थिति में आवश्यक न समझे गए प्रावधानों की राशि को लाभ-हानि लेखे में अभिनिर्धारित किया जाता है.
Amounts recovered against debts written-off in earlier years and provisions no longer considered necessary in the context of the current status of the borrower are recognized as income in the Profit and Loss account.

iv. बैंक अशोध्य और संदिग्ध अग्रिमों तथा निवेशों के लिए कोई अस्थायी प्रावधान नहीं करता है.
The Bank does not make any floating provision for bad and doubtful advances and investments.

v. पुनर्संरचित/पुनर्निधारित ऋणों और अग्रिमों पर प्रावधान बैंकों द्वारा ऋणों और अग्रिमों की पुनर्संरचना पर लागू रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है.
Provision on loans and advances restructured/rescheduled is made in accordance with the applicable RBI guidelines on restructuring of loans and advances by Banks.

vi. बैंक ने बोर्ड के अनुमोदन से समय-समय पर संशोधित रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों द्वारा यथा अपेक्षित प्रति-चक्रीय प्रावधानीकरण बफर बनाया है जिसे रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत सीमाओं और परिस्थितियों के भीतर उपयोग किया जा सकता है.
The Bank had made countercyclical provisioning buffer as required by RBI guidelines, amended from time to time, with the approval of the Board, which can be utilized within the limits and in the circumstances permitted by Reserve Bank of India (RBI).

5 निवेश/ Investments

अ. वर्गीकरण
A. Classification

निवेश वर्गीकरण व मूल्यांकन के बारे में रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:
In terms of extant guidelines of the RBI on investment classification and valuation, the entire investment portfolio is categorized as

i. परिपक्वता तक धारित,
Held To Maturity,

ii. बिक्री के लिए उपलब्ध तथा
Available For Sale and

iii. ट्रेडिंग के लिए धारित
Held For Trading.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

प्रत्येक श्रेणी के अतंर्गत निवेश को निम्नलिखित रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाता है.
Investments under each category are further classified as

i. सरकारी प्रतिभूतियां
Government Securities

ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
Other Approved Securities

iii. शेयर
Shares

iv. डिबेंचर तथा बांड
Debentures and Bonds

v. सहायक संस्थाएं/ संयुक्त उद्यम
Subsidiaries/ Joint Ventures

vi. अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड यूनिट, प्रतिभूति रसीदें और पास थ्रू प्रमाणपत्र).
Others (Commercial Paper, Mutual Fund Units, Security Receipts, Pass through Certificate).

आ. वर्गीकरण का आधार
B. Basis of Classification

क) बैंक द्वारा परिपक्वता तक धारित रखने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.
a) Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as 'Held to Maturity'.

ख) खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर मूलतः फिर से बिक्री के लिए धारित रखे गए निवेशों को 'ट्रेडिंग के लिए धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.
b) Investments that are held principally for sale within 90 days from the date of purchase are classified as 'Held for Trading'.

ग) जो निवेश उपर्युक्त दोनों श्रेणियों में नहीं आते हैं, उन्हें 'बिक्री के लिए उपलब्ध' शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.
c) Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as 'Available for Sale'.

घ) किसी निवेश को उसकी खरीद के समय 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री के लिए उपलब्ध' अथवा 'ट्रेडिंग लिए धारित' की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है और बाद में इन श्रेणियों के बीच में इनकी अदला-बदली और मूल्यांकन रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है.
d) An investment is classified as 'Held To Maturity', 'Available For Sale' or 'Held For Trading' at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories and its valuation is done in conformity with RBI guidelines.

ङ) सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.
e) Investments in subsidiaries, joint venture are classified as 'Held To Maturity'.

इ. मूल्यांकन
C. Valuation

i) किसी निवेश की अर्जन लागत को निर्धारित करने में:
In determining the acquisition cost of an investment:

क) सेकंडरी बाजार से खरीदे गए इक्विटी लिखतों के मामले में प्रदत्त दलाली, कमीशन, स्टाम्प ड्यूटी और अन्य करों को अर्जन लागत में शामिल किया जाता है जबकि ट्रेजरी निवेशों सहित अन्य निवेशों के मामले में ऐसे व्ययों को लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है.
a) Brokerage, commission, stamp duty, and other taxes paid are included in cost of acquisition in respect of acquisition of equity instruments from the secondary market whereas in respect of other investments, including treasury investments, such expenses are charged to Profit and Loss Account.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

ख) खंडित अवधि के लिए प्रदत्त ब्याज / प्राप्त ब्याज को अर्जन लागत/ बिक्री आय में से घटाया जाता है और उसे ब्याज व्यय/ आय के रूप में माना जाता है.

b) Broken period interest paid/ received is excluded from the cost of acquisition/ sale and treated as interest expense/ income.

ग) लागत का निर्धारण भारित औसत लागत पद्धति के अनुसार किया जाता है.

c) Cost is determined on the weighted average cost method.

ii) 'परिपक्वता तक धारित' निवेशों को जब तक यह अंकित मूल्य से अधिक न हों, अर्जन लागत के अनुसार हिसाब में लिया जाता है. ऐसे मामलों में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष बची अवधि में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है. इस श्रेणी के अंतर्गत सहायक संस्थाओं/ संयुक्त उद्यम में निवेशों के मूल्य में अस्थायी स्वरूप की कमी के अलावा होने वाली अन्य कमी के संबंध में प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग प्रावधान किया जाता है.

Investments 'Held To Maturity' are carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized on straight line basis over the remaining period of maturity. Diminution, other than temporary, in the value of investments in under this category is provided for each investment individually.

iii) 'ट्रेडिंग के लिए धारित' तथा 'बिक्री के लिए उपलब्ध' निवेशों के स्क्रिप-वार बाजार मूल्य को बही में अंकित किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी में हुए निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है जबकि किसी निवल वृद्धि, यदि कोई हो, को नहीं दर्शाया जाता है.

Investments 'Held For Trading' and 'Available For Sale' are marked to market scrip-wise and the resultant net depreciation, if any, in each category is recognized in the Profit and Loss Account, while the net appreciation, if any, are ignored.

क) बट्टाकृत लिखत होने के नाते ट्रेजरी बिलों तथा वाणिज्यिक पत्रों और जमा प्रमाणपत्रों का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया जाता है.

a) Treasury Bills, commercial papers and certificates of deposit being discounted instruments are valued at carrying cost.

ख) ट्रेड/ उद्धृत किए गए निवेशों के संबंध में बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध ट्रेड/ भाव-सूची से लिया जाता है.

b) In respect of traded/ quoted investments, the market price is taken from the trades/ quotes available on the stock exchanges.

ग) उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन बाजार मूल्यों पर तथा अनुद्धृत / ट्रेड न की गई सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई) द्वारा भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ (एफआईएमएमडीए) के साथ मिलकर घोषित मूल्यों के आधार पर किया जाता है.

c) The quoted Government Securities are valued at market prices and unquoted/non-traded government securities are valued at prices declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA).

घ) अनुद्धृत शेयरों का मूल्य अलग-अलग मूल्य या अद्यतन तुलन-पत्र उपलब्ध होने पर निवल आस्ति मूल्य पर, अन्यथा ₹ 1 प्रति कंपनी आधार पर निकाला जाता है और म्यूचुअल फंड के यूनिटों का मूल्य रिजर्व बैंक के संगत दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्खरीद मूल्य पर निकाला जाता है.

d) The unquoted shares are valued at break-up value or at Net Asset Value if the latest balance sheet is available, else, at ₹ 1/- per company and units of mutual fund are valued at repurchase price as per relevant RBI guidelines.

ङ) नियत आय वाली अनुद्धृत प्रतिभूतियों (सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर) का मूल्य समान परिपक्वता अवधि वाली केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता पर प्रतिफल (वाईटीएम) दरों पर समुचित रूप से अधिक दर निर्धारित कर वाईटीएम आधार पर निकाला जाता है. ऐसे कीमत-लागत अंतर व वाईटीएम दरों को एफआईएमएमडीए द्वारा प्रकाशित संबंधित दरों पर लागू किया जाता है.

e) The unquoted fixed income securities (other than government securities) are valued on Yield to Maturity (YTM) basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government securities of equivalent maturity. Such mark-up and YTM rates applied are as per the relevant rates published by FIMMDA.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

च) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यांकन रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए तथा ऐसे लिखतों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है. तद्नुसार ऐसे मामलों में जहां आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों से नकदी प्रवाह, संबंधित योजना में लिखतों को समनुदेशित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली तक सीमित हो, वहां बैंक आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों से समय-समय पर प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर इस प्रकार के निवेशों के मूल्यांकन के लिए निवल आस्ति मूल्य को हिसाब में लेता है.

f) Security receipts issued by the asset reconstruction companies are valued in accordance with the guidelines applicable to such instruments, prescribed by RBI from time to time. Accordingly, in cases where the cash flows from security receipts issued by the asset reconstruction companies are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Bank reckons the net asset value obtained from the asset reconstruction company from time to time, for valuation of such investments at each reporting period end.

छ) उद्धृत अधिमानी शेयरों को बाजार दरों पर मूल्यांकित किया जाता है तथा अनुद्धृत / ट्रेड न किये जाने वाले अधिमानी शेयरों को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मोचन मूल्य से अनधिक परिपक्वता उपयुक्त प्रतिलाभ आधार मूल्यांकित किया जाता है.

g) Quoted Preference shares are valued at market rates and unquoted/non-traded preference shares are valued at appropriate yield to maturity basis, not exceeding redemption value as per RBI guidelines.

निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में जमा/ नामे किया जाता है. तथापि 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में निवेशों की बिक्री से लाभ को पहले लाभ-हानि लेखे में जमा किया जाता है, उसके बाद वर्ष/ अवधि की समाप्ति पर लागू करों को घटाकर पूंजी रिज़र्व खाते में समायोजित किया जाता है. बिक्री से हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.
Profit or Loss on sale of investments is credited/ debited to Profit and Loss Account. However, profits on sale of investments in 'Held to Maturity' category is first credited to Profit and Loss Account and thereafter appropriated, net of applicable taxes to the Capital Reserve Account at the year/period end. Loss on sale is recognized in the Profit and Loss Account.

निवेशों की राशि प्रावधानों को घटाकर दर्शाई जाती है.
Investments are shown net of provisions.

ई. रेपो व रिवर्स रेपो लेन-देन
D. Repo and reverse repo transactions

रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, सरकारी प्रतिभूतियों व कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां (चलनिधि समायोजन सुविधा ('एलएएफ') व सीमांत आपाती सुविधा ('एमएसएफ') के तहत रिज़र्व बैंक से किए गए लेन-देनों सहित) रेपो व रिवर्स रेपो के लेन-देन क्रमशः उधार लेने व उधार देने वाले लेन-देन के रूप में दर्शाए जाते हैं. रेपो लेन-देन पर उधार लागत को ब्याज व्यय के रूप में तथा रिवर्स रेपो लेन-देन पर प्राप्त राजस्व को ब्याज आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है.
In accordance with the RBI guidelines repo and reverse repo transactions in government securities and corporate debt securities (including transactions conducted under Liquidity Adjustment Facility ('LAF') and Marginal Standby Facility ('MSF') with RBI) are reflected as borrowing and lending transactions respectively. Borrowing cost on repo transactions is accounted as interest expense and revenue on reverse repo transactions is accounted as interest income.

6 डेरिवेटिव लेन-देन/ Derivative Transactions

'हेज' के रूप में नामित लेन-देनों में:
In Transactions designated as 'Hedge':

क) डेरिवेटिव लेन-देनों पर भुगतान योग्य/ प्राप्य निवल ब्याज की गणना उपचय आधार पर की जाती है.
a) Net interest payable/ receivable on derivative transactions is accounted on accrual basis.

ख) हेज स्वैपों के अवधिपूर्व समाप्त होने पर किसी लाभ/ हानि को स्वैप की शेष संविदात्मक अवधि या आस्ति/ देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के आधार पर दर्शाया जाता है.
b) On premature termination of Hedge swaps, any profit/ losses are recognised over the remaining contractual life of the swap or the residual life of the asset/ liability whichever is lesser.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

ग) अंतर्निहित देयता में परिवर्तन से हेज स्वैपों को पुनः अभिनामित करने की गणना के लिए इसे एक हेज की समाप्ति और दूसरे का अर्जन माना जाता है.

c) Re-designation of hedge swaps by change of underlying liability is accounted as the termination of one hedge and acquisition of another.

घ) हेज संविदाओं की गणना तब तक बाजार मूल्य के अनुसार नहीं की जाती जब तक कि उसके अंतर्निहित मूल्य को भी बाजार मूल्य के अनुसार अंकित नहीं किया जाता. बाजार के लिए अंकित हेज करारों के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तनों को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

d) Hedge contracts are not marked to market unless the underlying is also marked to market. In respect of hedge contracts that are marked to market, changes in the market value are recognized in the profit and loss account.

'ट्रेडिंग' के रूप में नामित लेन-देनों में:
In Transactions designated as 'Trading':

'ट्रेडिंग' के लिए नामित बकाया डेरिवेटिव लेन-देनों की गणना उनके उचित मूल्य पर की जाती है जिनमें ब्याज दर स्वैप, परस्पर मुद्रा स्वैप, परस्पर मुद्रा विकल्प एवं ऋण चूक स्वैप शामिल हैं. इसके फलस्वरूप हुए लाभ/ हानि को लाभ-हानि लेखे में शामिल किया जाता है. विकल्पों पर प्रीमियम को तुलन-पत्र की मद के रूप में दर्शाया जाता है और इसे परिपक्वता/ निरस्त होने पर लाभ-हानि लेखे में अंतरित कर दिया जाता है.
Outstanding derivative transactions designated as 'Trading', which includes interest rate swaps, cross currency swaps, cross currency options and credit default swaps, are measured at their fair value. The resulting profits/ losses are included in the profit and loss account. Premium on options is recorded as a balance sheet item and transferred to Profit and Loss Account on maturity/ cancellation.

एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स (ईटीसीएफ) खंडों में ट्रेडिंग के लिए नामित डेरिवेटिव लेन-देनों में मुद्रा फ्यूचर्स, मुद्रा ऑप्शन्स और ब्याज दर फ्यूचर्स शामिल हैं, जिनकी गणना उनके उचित मूल्य पर की जाती है और नकदी निपटान टी+1 आधार पर किया जाता है. इन लेन-देनों से हुए लाभ/हानि को संबंधित एक्सचेंजों द्वारा निर्धारित की गई माहांत निपटान की तारीख को लाभ- हानि लेखे में अंतरित किया जाता है.
Derivative Transactions in Exchange Traded Currency Futures (ETCF's) segments designated as trading includes Currency Futures, Currency Options and Interest Rate Futures which are measured at their fair value and are cash settled on T+1 basis. The resulting profits / losses on these transactions are transferred to Profit and Loss Account on the month end settlement date stipulated by Respective Exchanges.

7 अचल आस्तियां एवं मूल्यह्रास / Fixed Assets and depreciation

i) अचल आस्तियों, परिसर को छोड़कर, को संचित मूल्यह्रास घटाकर लागत पर लिया जाता है. परिसर का मूल्यांकन बैंक की नीति तथा रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है और उसे संचित मूल्यह्रास घटाकर पुनर्मूल्यित राशि के रूप में उल्लिखित किया जाता है.
Fixed assets other than Premises are stated at cost less accumulated depreciation. Premises are revalued in accordance with the Bank's policy and RBI guidelines and the same are stated at revalued amount less accumulated depreciation.

ii) आस्ति की लागत में क्रय लागत और उपयोग में लाने से पूर्व आस्ति पर उपगत सभी व्यय शामिल होते हैं. उपयोग में लाये जाने पर आस्तियों पर उपगत अनुवर्ती व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब वह ऐसी आस्तियों से भावी लाभ या उनकी कार्यक्षमता बढ़ाता है.
Cost of asset includes purchase cost and all expenditure incurred on the asset before put to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

iii) पुनर्मूल्यन, यदि कोई हो, पर मूल्यवृद्धि को पुनर्मूल्यन रिज़र्व में शामिल किया जाता है.
The appreciation on revaluation, if any, is credited to Revaluation Reserve.

iv) अचल आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास की गणना लागत या पुनर्मूल्यित आस्तियों के मामले में पुनर्मूल्यित राशि के संदर्भ में सीधी रेखा पद्धति पर की जाती है.
Depreciation in respect of fixed assets is calculated on Straight Line Method with reference to cost or revalued amounts, in case of assets revalued.

v) पुनर्मूल्यित आस्तियों के संबंध में, पुनर्मूल्यन के फलस्वरूप अतिरिक्त मूल्यह्रास को तुलन पत्र में पुनर्मूल्यन रिज़र्व से सामान्य रिज़र्व में अंतरित किया जाता है.
In respect of revalued assets, the additional depreciation consequent to revaluation is transferred from revaluation reserve to general reserve in the balance sheet.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

vi) ₹ 5000 से कम लागत की अलग-अलग अचल आस्तियों को उनके अर्जन के वर्ष में ही पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है.
Fixed assets individually costing less than ₹ 5000 are fully depreciated in the year of addition.

vii) गोचर आस्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग सी के अंतर्गत निर्धारित रूप में आस्ति के उपयोगी जीवनकाल के दौरान विनिधानित किया जाता है. उपयोगी जीवनकाल तथा अवशिष्ट मूल्य की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है. यदि प्रबंधन के अनुमान के अनुसार, किसी अचल आस्ति को अर्जित करते समय उस अचल अस्ति के अनुमानित जीवनकाल या बाद में समीक्षा करने पर उसका शेष उपयोगी जीवनकाल कम हो जाता है तो प्रबंधन द्वारा उपयोगी जीवनकाल/शेष उपयोगी जीवनकाल के अनुमान के आधार पर मूल्यह्रास की ऊंची दर लगायी जाती है.
Depreciation on tangible assets is allocated over useful life of the asset as prescribed under Part C of Schedule II of the Companies Act 2013. The useful lives and residual values are reviewed periodically. If the management estimate useful lives of an asset at the time of acquisition of the asset or of remaining useful life on subsequent review is shorter, depreciation is provided at a higher rate based on management's estimate of useful life / remaining useful life.

viii) वर्ष के दौरान अचल आस्तियों के परिवर्धन / बिक्री पर मूल्यह्रास आस्तियों के वास्तव में धारित करने की अवधि के लिए लगाया जाता है.
Depreciation on additions/ sale of fixed assets during the year is provided for the period for which assets were actually held.

ix) अचल आस्तियों के लिए उपयोगी जीवनकाल निम्नानुसार है:
The useful lives of Fixed assets are as follows:

आस्ति/ Asset	उपयोगी जीवनकाल (वर्ष में) Useful Life (in Years)
स्वाधिकृत परिसर/ Owned Premises	60
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स/ Furniture and fixtures	10
बिजली संस्थापना एवं मशीनरी Electrical installation and machinery	10
मोटर वाहन/ Motor vehicles	8
कंप्यूटर (आंतरिक सॉफ्टवेयर सहित) Computers (including integral software)	3
स्वचालित टेलर मशीन/ Automated Teller Machines	8
वी-सैट उपकरण/ VSAT equipment	6
कर्मचारियों के पास टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं Consumer durables with employees	
क) फर्नीचर एवं फिक्सचर a) Furniture and fixtures	10
ख) पर्सनल कंप्यूटर a) Personal Computers	3

x) पट्टाधृत भूमि को पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है.
Leasehold land is amortized over the period of lease.

xi) ₹ 2.50 लाख से अधिक राशि वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (नॉन-इंटिग्रल) को 6 वर्ष की अवधि में पूंजीकृत तथा मूल्यह्रासित किया जाता है.
Computer Software (non-integral) individually costing more than ₹ 2.50 Lacs is capitalised and depreciated over its useful life, not exceeding 6 years.

8 प्रतिभूतीकरण लेन-देन/ Securitisation Transactions:

विभिन्न ऋणों के प्रतिभूतीकरण से इन आस्तियों की विशेष प्रयोजन वाली संस्थाओं (एसपीवी) को बिक्री होती है, जो इसके बदले निवेशकों को प्रतिभूतियां जारी करती हैं. प्रतिभूतिकृत आस्तियों वाले अनुबंधित अधिकारों पर जब नियंत्रण नहीं रहता है तो ऐसी वित्तीय आस्तियों को आंशिक अथवा पूर्णतः अमान्य कर दिया जाता है. बैंक खातों को बिक्री के समय ही होने वाली किसी भी हानि के लिए और बिक्री से होने वाले लाभ/प्रीमियम को एसपीवी द्वारा, जिन्हें आस्तियां बेची गयी हैं, जारी की गयी या जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों के जीवन काल में परिशोधित किया जाता है.
Securitisation of various loans results in sale of these assets to Special Purpose Vehicles ('SPVs'), which, in turn issue securities to investors. Financial assets are partially or wholly derecognised when the control of the contractual rights in the securitised assets is lost. The Bank accounts for any loss arising on sale immediately at the time of sale and the profit/ premium arising on account of sale is amortised over the life of the securities issued or to be issued by the SPV to which the assets are sold.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

9 प्रतिभूतीकरण कंपनियों/ पुनर्संरचना कंपनियों को वित्तीय आस्तियों की बिक्री
Sale of financial assets to Securitization Companies/ Reconstruction Companies:

प्रतिभूतीकरण कंपनियों (एससी)/पुनर्संरचना कंपनियों (आरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री की गणना प्राप्त प्रतिभूति रसीदों (एसआर)/ पास थ्रू प्रमाणपत्र (पीटीसी) के मोचन मूल्य और वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य, जो भी कम हो, के आधार पर की जाती है.
Sale of financial assets to Securitisation Companies (SCs)/ Reconstruction Companies (RCs) is reckoned at the lower of the redemption value of Security Receipts (SRs) / Pass Through Certificates (PTCs) received and the net book value of the financial asset.

अनर्जक अग्रिमों की बिक्री के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि बिक्री निवल बहीमूल्य (एनबीवी) (अर्थात् धारित प्रावधानों को घटाकर बहीमूल्य) से कम मूल्य पर है तो कमी को उस वर्ष के लाभ-हानि लेखे से प्रभारित किया जाता है. इसके अलावा रिज़र्व बैंक के दिनांक 13.06.2016 के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक बिक्री की गई आस्तियों के लिए, कमी को उस तिमाही से 4 तिमाहियों की अवधि में परिशोधित किया जा सकता है जिसमें बिक्री की गयी है. आस्तियों की बिक्री, जिसका पूर्णतः प्रावधानीकरण किया गया है अर्थात् संदिग्ध आस्तियां- 3 तथा तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए मामलों में प्रतिभूति रसीदों (एसआर) की गणना बैंक की निवेश बही में ₹ 1 मान कर की जाती है.
In accordance with RBI guidelines on Sale of Non-performing Advances, in case the sale is at a price below the net book value (NBV) (i.e. book value less provision held), the shortfall is charged to profit and loss account of that year. Further, as per the extant RBI guidelines dated 13.06.2016, for assets sold from April 1, 2016 to March 31, 2017, shortfall is amortised over a period of 4 quarters from the quarter in which the sale has taken place. In case of sale of assets which are fully provided i.e. Doubtful Assets -3 and Technical Write Off cases, the Security Receipts (SRs) are reckoned at ₹ 1 in the investment book of the Bank.

यदि बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) से उच्चतर मूल्य पर है तो आधिक्य प्रावधान को उस वर्ष के लाभ-हानि लेखे में परिवर्तित किया जाता है जिसमें नकद राशि प्राप्त होती है. तथापि आधिक्य प्रावधान का प्रतिवर्तन प्राप्त नकदी के आस्तियों के निवल बही मूल्य से अधिक होने की सीमा तक सीमित रहेगा.
In case, sale value is higher than the NBV, the excess provision is reversed to the profit and loss account in the year in which cash amounts are received. However, such reversal of excess provision is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

10 विदेशी मुद्रा लेन-देन/ Foreign Currency Transactions:

i. विदेशी मुद्रा लेन-देन को आरंभिक अभिनिर्धारण होने पर लेन-देन की तारीख के प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है. मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा निर्धारित बंद दरों पर रूपांतरित किया जाता है और इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है. मौद्रिक मदों के निपटान से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को उस अवधि की आय या व्यय के रूप में माना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं.
Foreign currency transactions, on initial recognition are recorded at the exchange rate prevailing on the date of transaction. Monetary foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates prescribed by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) and the resultant gain or loss is recognized in the Profit and Loss account. Exchange differences arising on the settlement of monetary items are recognized as income or expense in the period in which they arise.

ii. ऐसी वायदा विनिमय संविदाओं, जो ट्रेडिंग के लिए नहीं की गई हैं, की शुरुआत में प्राप्त प्रीमियम या बट्टे को संविदा के जीवनकाल में व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया जाता है. अन्य वायदा विनिमय संविदाओं पर प्रीमियम या छूट को हिसाब में नहीं लिया जाता है.
Premium or discount arising at the inception of Forward Exchange Contracts which are not intended for trading is amortized as expense or income over the life of the contract. Premium or discount on other Forward Exchange Contracts is not recognized.

iii. ऐसी बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, जो ट्रेडिंग के लिए नहीं हैं, का फेडाई की बंद दरों पर पुनर्मूल्यन किया जाता है. अन्य बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यन फेडाई द्वारा विर्निदिष्ट परिपक्वताओं के लिए अधिसूचित विनिमय दरों या बीच की परिपक्वताओं की अंतर्वेशित दरों पर किया जाता है. परिणामी लाभ/हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.
Outstanding Forward Exchange Contracts which are not intended for trading are revalued at closing FEDAI rates. Other outstanding Forward Exchange Contracts are valued at rates of exchange notified by FEDAI for specified maturities or at interpolated rates for in-between maturities. The resultant profit/ losses are recognized in the Profit and Loss Account.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

iv. वायदा विनिमय संविदाओं की परिपक्वता पूर्व समाप्ति से होने वाले लाभ/हानियों, साथ ही अपरिशोधित प्रीमियम या छूट, यदि कोई हो, को समाप्ति की तारीख पर हिसाब में लिया जाता है.
Profit/ losses arising on premature termination of Forward Exchange Contracts, together with unamortized premium or discount, if any, is recognized on the date of termination.

v. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयता की गणना विनिमय की अनुबंधित दरों पर की जाती है और गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों एवं अन्य दायित्वों की गणना फेडाई की बंद दरों पर की जाती है.
Contingent liability in respect of outstanding forward exchange contracts is calculated at the contracted rates of exchange and in respect of guarantees; acceptances, endorsements and other obligations are calculated at the closing FEDAI rates.

vi. विदेश स्थित शाखा के परिचालनों को 'एकीकृत विदेशी परिचालनों' में वर्गीकृत किया जाता है. आस्तियों व देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा निर्धारित बंद दरों पर रूपांतरित किया जाता है. आय और व्यय मदें तिमाही औसत दरों पर रूपांतरित की जाती हैं इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.
Operations of foreign branch are classified as 'Integral Foreign Operations'. Assets and Liabilities are translated at the closing rates prescribed by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) Income and Expenditure items are translated at quarterly average rates. The resultant gain or loss is recognized in the Profit and Loss Account.

11 कर्मचारी लाभ / Employee Benefits

i. निर्दिष्ट अंशदान योजनाओं में भुगतान, जब अंशदान देय हैं, को वर्ष के लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है.
Payments to defined contribution schemes are charged to Profit and Loss Account of the year when contribution are due.

ii. निर्दिष्ट लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत का निर्धारण अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग कर किया जाता है तथा बीमांकिक मूल्यांकन प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है. बीमांकिक लाभ या हानि को उस अवधि के लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है जिसमें वे घटित होते हैं.
For defined benefit schemes, the cost of providing benefits is determined using the Projected Unit Credit Method, with actuarial valuations being carried out at each Balance Sheet date. Actuarial gains or losses are recognized in the profit and loss account for the period in which they occur.

iii. कर्मचारी द्वारा प्रदत्त सेवाओं के बदले अदा किये जाने वाले अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की अबट्टाकृत राशि को उस अवधि के दौरान हिसाब में लिया जाता है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करता है.
The undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for the services rendered by employees is recognized during the period when the employee renders the service.

12 खंड रिपोर्टिंग/ Segment Reporting

बैंक तीन खंडों अर्थात् होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, ट्रेजरी सेवाओं में परिचालन करता है. इन खंडों का निर्धारण लेखा मानक-17 के अनुसार योजनाओं व सेवाओं की प्रकृति व जोखिम प्रोफाइल, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, संगठनात्मक संरचना तथा बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली के आधार पर किया गया है.
The Bank operates in three segments wholesale banking, retail banking and treasury services. These segments have been identified in line with AS-17 on segment reporting after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profile, the organization structure and the internal reporting system of the Bank

खंड राजस्व, परिणाम, आस्तियों एवं देयताओं में प्रबंधन द्वारा प्रत्येक खंड हेतु आबंटित व अनुमानित किए अनुसार अभिनिर्धारणीय राशि शामिल है. जो आस्तियां एवं देयताएं ज्ञात खंडों में विनिधानित नहीं की जा सकती हैं, उन्हें अविधानित आस्तियों व देयताओं के रूप में पुनर्समूहित किया गया है.
Segment revenue, results, assets, and liabilities include the amounts identifiable to each of the segments as also amounts allocated, as estimated by the management. Assets and liabilities that cannot be allocated to identifiable segments are grouped under unallocated assets and liabilities.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

13 आय कर / Income Tax

i. कर व्यय में चालू एवं आस्थगित कर शामिल हैं.
Tax expense comprises of current and deferred tax.
चालू कर आयकर की वह निर्धारित राशि है जो आयकर अधिनियम, 1961 तथा आय संगणना एवं प्रकटन मानक (आईसीडीएस) के प्रावधानों के अनुसार परिकलित अवधि के लिए करयोग्य आय (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग्य) है.
Current tax is the amount of Income tax determined to be payable (recoverable) in respect of taxable income (tax loss) for a period calculated in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and the Income Computation and Disclosure Standards (ICDS).

ii. वर्ष के लिए बहियों और कर लाभों के बीच समय अंतरालों हेतु आस्थगित कर को तुलनपत्र की तारीख को पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों एवं कानूनों का प्रयोग करते हुए हिसाब में लिया जाता है. समय अंतरालों से उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियों को उस सीमा तक हिसाब में लिया जाता है जितनी उनकी भविष्य में वसूली की उचित निश्चितता हो.
Deferred tax for timing differences between the book and tax profits for the year is accounted for, using the tax rates and laws that have been substantively enacted as of the balance sheet date. Deferred tax assets arising from timing differences are recognized to the extent there is reasonable certainty that these would be realized in future.

iii. अनवशोषित मूल्यह्रास/ हानियों के मामले में आस्थगित कर आस्तियां तभी हिसाब में ली जाती हैं जब यह आभासी रूप से सुनिश्चित हो कि ऐसी आस्थगित कर आस्ति भावी कर योग्य लाभों में से वसूल की जा सकती हैं.
Deferred tax assets in case of unabsorbed depreciation/ losses are recognized only if there is virtual certainty that such deferred tax asset can be realized against future taxable profits.

iv. विभागीय अपीलों सहित जिन विवादित करों के लिए प्रावधान नहीं किया जाता है, उन्हें आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है.
Disputed taxes not provided for including departmental appeals are included under Contingent Liabilities.

v. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115जेएए के प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) के संबंध में कर क्रेडिट का निर्धारण किया जाता है, जो इस बात पर कि कंपनी सांविधिक समय सीमा के भीतर सामान्य आयकर के रूप में भुगतान करेगी, के ठोस साक्ष्य आधार पर किया जाता है तथा इसकी समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख पर की जाती है.
Tax credit is recognized in respect of Minimum Alternate Tax (MAT) as per the provisions of Section 115JAA of the Income tax Act, 1961 based on convincing evidence that the Company will pay normal income tax within the statutory time frame and is reviewed at each balance sheet date.

14 प्रति शेयर उपार्जन / Earnings Per Share

i. बैंक लेखामानक 20 के अनुसार मूल एवं न्यूनीकृत प्रति शेयर उपार्जन की सूचना देता है. प्रति शेयर मूल उपार्जन की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है.
The Bank reports basic and diluted Earnings Per Share in accordance with AS 20. Basic Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding at the year end.

ii. प्रति शेयर न्यूनीकृत उपार्जन उस संभावित न्यूनीकरण को दर्शाता है जो उस अवधि के दौरान प्रतिभूतियों या इक्विटी शेयर जारी करने की अन्य संविदाओं का उपयोग या परिवर्तन करने पर हो सकता है. प्रति शेयर न्यूनीकृत उपार्जन की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के अंत में बकाया न्यूनीकृत संभाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या से भाग देकर की जाती है.
Diluted Earnings per Share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the period. Diluted Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the sum of the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the year end.

15 आस्तियों की अनर्जकता/ Impairment of Assets

जब भी किसी घटना अथवा परिस्थितियों में हुए परिवर्तन इस बात का संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव-लागत वसूलीयोग्य नहीं रही तो अचल आस्तियों की अनर्जकता की समीक्षा की जाती है. धारित तथा उपयोग की जाने वाली आस्तियों की वसूली क्षमता का आकलन अनुमानित चालू वसूली योग्य मूल्य की तुलना आस्ति की रखाव राशि से कर उनका मूल्य निर्धारित किया जाता है. यदि ऐसी आस्तियां अनर्जक मानी गई हों तो अनर्जकता को उस आस्ति की रखाव लागत से उसके अनुमानित वर्तमान वसूलीयोग्य मूल्य या उपयोग में मूल्य की तुलना में आधिक्य से मापा जाता है.
Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to the estimated current realizable value and value in use. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognized is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds estimated current realizable value of the asset or value in use.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

16 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

i. लेखा मानक 29 के अनुरूप प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के मामले में प्रावधानों को तभी हिसाब में लिया जाता है जब बैंक यह अभिनिर्धारित करता है कि पिछले किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देयता बनती हो और इस बात की संभावना हो कि उक्त देयता के निपटान के लिए कुछ संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी जिसके लिए विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है.
In conformity with AS 29, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

ii. प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर बट्टाकृत नहीं किया जाता है और उनका निर्धारण तुलनपत्र की तारीख को देयता के निपटान के लिए अपेक्षित सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर किया जाता है.
Provisions are not discounted to its present value and are determined based on best estimate required to settle the obligation at the balance sheet date.

iii. किसी प्रावधान के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय के संबंध में संभावित प्रतिपूर्ति का निर्धारण तभी किया जाता है जब यह वास्तविक रूप से सुनिश्चित हो कि इसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी.
Reimbursement expected in respect of expenditure required to settle a provision is recognized only when it is virtually certain that the reimbursement will be received.

iv. आकस्मिक आस्तियों को न तो हिसाब में लिया जाता है और न ही प्रकट किया जाता है.
Contingent Assets are neither recognized nor disclosed.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

अनुसूची 18 - लेखा टिप्पणियां
SCHEDULE 18 - NOTES TO ACCOUNTS

अ. लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटन संबधी आवश्यकताएं
A DISCLOSURE REQUIREMENTS AS PER ACCOUNTING STANDARDS

1. अचल आस्तियां (संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण एएस-10)
FIXED ASSETS (PROPERTY, PLANT & EQUIPMENTS AS-10)

i. परिसर में ₹ 2177.16 करोड़ (₹ 2177.16 करोड़) की लीज पर ली गई भूमि (पुनर्मूल्यांकित) शामिल है जिसका 31 मार्च 2016 को कारोबार समय की समाप्ति पर पुनर्मूल्यन किया गया था. पुनर्मूल्यन में ₹1129.05 करोड़ की हुई निवल वृद्धि को 31 मार्च 2016 को पुनर्मूल्यन रिज़र्व में जमा कर दिया गया था.

Premises include Leasehold Land (revalued) of ₹ 2177.16 Crore (₹ 2177.16 Crore) which was revalued at the end of business hours, on 31st March 2016. The net appreciation of ₹ 1129.05 Crore arising on revaluation, was credited to Revaluation Reserve on March 31, 2016.

ii. बैंक ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और आवासीय /कार्यालय भवन का 31 मार्च 2016 को कारोबार समय की समाप्ति पर स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर पुनर्मूल्यन किया है. पुनर्मूल्यन के कारण निवल मूल्य वृद्धि ₹ 2807.29 करोड़ हुई है जो ₹ 1202.71 करोड़ के निवल बही मूल्य और ₹ 4010 करोड़ की पुनर्मूल्यांकित राशि का अंतर है, जिसे 31 मार्च 2016 को पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व में जमा कर दिया गया है.

The Bank has revalued its Freehold Land & Residential/ Office building at the end of business hours, on 31st March 2016 based on valuations made by independent valuers. The net appreciation of ₹ 2807.29 Crore arising on revaluation, being the difference between the net book value of ₹ 1202.71 Crore and revalued amount of ₹ 4010 Crore was credited to Revaluation Reserve on March 31, 2016.

iii. 31 मार्च 2018 को पुनर्मूल्यन रिज़र्व में शेष ₹ 5053.88 करोड़ (₹ 5417.75 करोड़) है.

The balance in Revaluation Reserve as at March 31, 2018 is ₹ 5053.88 Crore (₹ 5417.75 Crore).

iv. वर्ष के दौरान आवासीय/ कार्यालय भवन की अचल आस्तियों की ₹ 519.89 के बही लाभ के साथ बिक्री की गई, जिसे अनुसूची 14 - अन्य आय में दर्शाया गया है.

A book profit of ₹ 519.89 Crore on account of sale of residential/office buildings during the year is included in Schedule 14-Other Income..

2. कर्मचारी लाभ (एएस-15) (संशोधित)
EMPLOYEE BENEFITS (AS-15) (REVISED)

अ. कर्मचारी लाभ योजनाएं

A. Employee Benefit Schemes

i. निर्दिष्ट अंशदान योजनाएं

Defined Contribution Schemes

बैंक के उन कर्मचारियों को छोड़कर जिन्होंने पेंशन विकल्प चुना है, जिन्होंने 31 मार्च 2008 से पहले बैंक में सेवा ग्रहण की है, उन्हें भविष्य निधि योजना (पीएफएस) के अंतर्गत कवर किया गया है. बैंक ने एक निर्दिष्ट अंशदान तय किया है जो कि मूल वेतन के नियत प्रतिशत के रूप में पीएफएस में जाता है. भविष्य निधि योजना को ''आईडीबीआई बैंक कर्मचारियों की भविष्य निधि (निधि) प्रशासक समिति'' द्वारा संचालित किया जाता है. आईडीबीआई होम फाइनेंस (आईएचएफएल) तथा आईडीबीआई गिल्ट्स लिमिटेड (आईजीएल) के कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि अंशदान मई 2011 तक क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा कराए गए हैं और उसके बाद अंशदान ऊपर उल्लेखित निधि में किए गए हैं. वर्ष के दौरान पीएफएस में ₹ 4.52 करोड़ (₹4.68 करोड़) का अंशदान किया गया और इसे लाभ-हानि खाते में डाला गया.

The Bank's employees, excluding those who have opted for pension, who have joined Bank before March 31, 2008 are covered by Provident Fund Scheme (PFS). The Bank makes a defined contribution measured as a fixed percentage of basic salary to the PFS. The Provident Fund Scheme is administered by "The Committee of Administrators of IDBI Bank Employees' Provident Fund (Fund)". In respect of employees of IDBI Home Finance Limited (IHFL) and IDBI Gilts Limited (IGL), provident fund contributions were made to Regional Provident Fund Commissioner up to May 2011 and thereafter contributions have been made to the aforementioned Fund. During the year, ₹ 4.52 Crore (₹ 4.68 Crore) has been contributed to PFS and charged to Profit and Loss Account.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 1 अप्रैल 2008 के बाद कार्यग्रहण किया है उन्हें निर्दिष्ट अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) के तहत कवर किया गया है, जिसमें बैंक मूल वेतन एवं महँगाई भत्ते के निर्धारित प्रतिशत के रूप में निश्चित अंशदान देता है. वर्ष के दौरान डीसीपीएस में ₹ 69.20 करोड़ (₹63.95 करोड़) का अंशदान किया गया और इसे लाभ-हानि खाते में डाला गया.

The Bank's employees who have joined after April 1, 2008 are covered by Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) to which Bank makes a defined contribution as a fixed percentage of Pay and Dearness Allowance. During the year, ₹69.20 Crore (₹ 63.95 Crore) has been contributed to DCPS and charged to Profit and Loss Account.

ii. **निर्दिष्ट लाभ योजनाएं**

Defined Benefit Schemes

बैंक कर्मचारियों की ग्रेच्युटी देयता के लिए 'आईडीबीआई बैंक कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट' में अंशदान देता है.

The Bank makes contributions for the gratuity liability of the employees to the 'IDBI Bank Employees Gratuity Fund Trust'.

क. बैंक के कुछ कर्मचारी पेंशन के भी पात्र हैं, जिसका प्रशासन 'आईडीबीआई पेंशन फंड ट्रस्ट' द्वारा किया जाता है.

a. Some of the employees of the Bank are also eligible for Pension which is administered by the 'IDBI Pension Fund Trust'.

ख. इन निर्दिष्ट लाभ देयताओं के वर्तमान मूल्य तथा संबंधित चालू सेवा लागत की गणना प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को स्वतंत्र बीमांकक द्वारा पूर्वानुमानित यूनिट जमा पद्धति से की जाती है.

b. The present value of these defined benefit obligations and the related current service cost are measured using the Projected Unit Credit Method by an independent actuary at each balance sheet date.

ब. निम्नलिखित तालिका निर्दिष्ट लाभ योजनाओं की स्थिति और यथा 31 मार्च 2018 को बैंक के वित्तीय विवरण में दर्शायी गईं राशियों की स्थिति को प्रस्तुत करती है जो एएस - 15 (संशोधित) के अनुसार है:

B. The following table sets out the status of the defined benefit schemes and the amounts recognised in the Bank's financial statements as at March 31, 2018 which is per AS-15(R).

(₹ करोड़ में)/(₹ in crore)

	विवरण / Particulars	पेंशन यथा 31 मार्च 2018 Pension As at March 31, 2018	ग्रेच्युटी यथा 31 मार्च 2018 Gratuity As at March 31, 2018	पेंशन यथा 31 मार्च 2017 Pension As at March 31, 2017	ग्रेच्युटी यथा 31 मार्च 2017 Gratuity As at March 31, 2017
क) a)	**लाभ दायित्वों में परिवर्तन : Change in benefit obligations:**				
	वर्ष के आरंभ में अनुमानित लाभ संबंधी दायित्व Projected benefit obligation, beginning of the year	2059.32	643.70	1848.01	565.16
	ब्याज लागत/ Interest cost	153.42	47.25	148.95	45.61
	चालू सेवा लागत/ Current Service cost	36.64	39.41	32.56	33.24
	सीमा में वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान व्यय की गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service cost (Vested Benefit) incurred during the year due to increase in limit	0.00	46.28	0.00	0.00
	अंतरित देयता आगम/ (निर्गम) Liability Transferred In/ (Out)	0.00	0.00	0.00	0.00
	प्रदत्त लाभ/ Benefits paid	(111.50)	(57.79)	(98.14)	(45.08)
	बीमांकिक (लाभ)/ हानि / Actuarial (gain)/ loss	(0.97)	7.99	(0.89)	10.34

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में)/(₹ in crore)

	विवरण / Particulars	पेंशन यथा 31 मार्च 2018 Pension As at March 31, 2018	ग्रैच्युटी यथा 31 मार्च 2018 Gratuity As at March 31, 2018	पेंशन यथा 31 मार्च 2017 Pension As at March 31, 2017	ग्रैच्युटी यथा 31 मार्च 2017 Gratuity As at March 31, 2017
	वित्तीय अवधारणाओं में हुए बदलाव के कारण- दायित्व पर बीमांकिक (लाभ) / हानि Actuarial (Gains) / Losses on Obligations - Due to Change in Financial Assumptions	(67.84)	(33.64)	51.96	44.68
	व्यवहार के कारण- दायित्व पर बीमांकिक (लाभ) / हानि Actuarial (Gains) / Losses on Obligations - Due to Experience	42.72	16.34	76.87	(10.25)
	वर्ष के अंत में अनुमानित लाभ/ दायित्व **Projected benefit/ obligation, end of the year**	**2111.79**	**709.54**	**2059.32**	**643.70**
ख) b)	**योजना आस्तियों में परिवर्तन :** **Change in plan assets:**				
	वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets, beginning of the year	2257.56	565.28	1818.46	516.84
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल Expected return on plan assets	168.19	41.49	147.30	41.86
	नियोक्ता का अंशदान / Employer's contributions	14.55	83.84	291.84	48.53
	अन्य कंपनी से अंतरण Transfer from other company	0.00	0.00	0.00	0.00
	प्रदत्त लाभ/ Benefits paid	(111.50)	(57.79)	(98.14)	(45.08)
	बीमांकिक लाभ/ (हानि) / Actuarial gain/ (loss)	(38.82)	8.72	98.10	3.13
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य **Fair value of plan assets at the end of the year**	**2289.98**	**641.54**	**2257.56**	**565.28**
ग) c)	**दायित्व के वर्तमान मूल्य और योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान** **Reconciliation of present value of the obligation and fair value of the plan assets**				
	वर्ष के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य Present value of benefit obligation at the end of the year	2111.79	709.54	2059.32	643.70
	भविष्य में अभिनिर्धारित/ प्रावधान की जानेवाली संक्रमण कालीन (देयता) Transitional (Liability) to be recognized/provided in future	0.00	0.00	0.00	0.00
	31 मार्च 2018 को लाभ दायित्व का निवल वर्तमान मूल्य Net Present value of benefit obligation at March 31, 2018	2111.79	709.54	2059.32	643.70
	31 मार्च 2018 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan assets at March 31, 2018	2289.98	641.54	2257.56	565.28
	अधिशेष/(घाटा)/ Surplus/ (Deficit)	**178.19**	**(68.00)**	**198.24**	**(78.42)**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में)/(₹ in crore)

	विवरण / Particulars	पेंशन यथा 31 मार्च 2018 Pension As at March 31, 2018	ग्रैच्युटी यथा 31 मार्च 2018 Gratuity As at March 31, 2018	पेंशन यथा 31 मार्च 2017 Pension As at March 31, 2017	ग्रैच्युटी यथा 31 मार्च 2017 Gratuity As at March 31, 2017
घ) d)	**31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए निवल लागत Net cost for the year ended March 31, 2018**				
	सेवा लागत / Service cost	36.64	39.41	32.56	33.24
	ब्याज लागत / Interest cost	153.42	47.25	148.95	45.61
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल Expected return on plan assets	(168.19)	(41.49)	(147.30)	(41.86)
	निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि Net Actuarial (gain)/ loss	12.73	(18.03)	29.84	41.64
	सीमा में वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान स्वीकार की गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service Cost (Vested Benefit) recognized during the year due to increase in limit	0.00	*11.57	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान स्वीकार की गई संक्रमण कालीन देयता Transitional liability recognized during the year	0.00	0.00	0.00	0.00
	उपर्युक्तानुसार निवल लागत Net cost as per above	**34.60**	**38.71**	**64.05**	**78.63**
	पुनरांकित न की गई बीमांकिक देयता पर अतिरिक्त निधि मूल्य Excess of fund value over actuarial liability not written back	178.19	0.00	198.24	0.00
	वर्तमान वर्ष में समायोजित पिछले वर्ष की बीमांकिक देयता पर अतिरिक्त निधि मूल्य Excess of fund value over actuarial liability of previous year adjusted in current year	0.00	0.00	0.00	0.23
	वर्ष के लिए लाभ एवं हानि की वास्तविक लागत Actual cost to P & L for the year	**212.79**	**38.71**	**262.29**	**78.40**
ङ) e)	**यथा 31 मार्च 2018 को आस्तियों की श्रेणी Category of Assets as at March 31, 2018**				
	भारत सरकार की आस्तियां Government of India Assets	1066.14	0.00	1042.30	0.00
	कॉरपोरेट बांड/ Corporate Bonds	597.12	0.00	528.98	0.00
	विशेष जमा योजना/ Special Deposits Scheme	0.00	0.00	0.00	0.00
	बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां Insurer Managed Funds	0.00	641.54	0.00	565.28
	अन्य/ Others	626.72	0.00	686.28	0.00
	कुल/ Total	**2289.98**	**641.54**	**2257.56**	**565.28**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में)/(₹ in crore)

	विवरण / Particulars	पेंशन यथा 31 मार्च 2018 Pension As at March 31, 2018	ग्रेच्युटी यथा 31 मार्च 2018 Gratuity As at March 31, 2018	पेंशन यथा 31 मार्च 2017 Pension As at March 31, 2017	ग्रेच्युटी यथा 31 मार्च 2017 Gratuity As at March 31, 2017
च) f)	**लेखांकन में प्रयुक्त धारणाएं** **Assumptions used in accounting:**				
	बट्टा दर/ Discount rate	7.75%	7.83%	7.45%	7.34%
	योजना आस्तियों पर प्रतिफल की दर Rate of return on plan assets	7.75%	7.83%	7.45%	7.34%
	वेतन बढ़ोतरी दर/ Salary escalation rate	5.75%	5.75%	5.75%	5.75%
	ह्रास दर/ Attrition Rate	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 2.62 % और उसके बाद 3.21 % 2.62% for service less than 5 years and 3.21% thereafter	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 2.62 % और उसके बाद 3.21 % 2.62% for service less than 5 years and 3.21% thereafter	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 1.90 % और उसके बाद 2.57 % 1.90 % for service less than 5 Years and 2.57 % thereafter	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 1.90 % और उसके बाद 2.57 % 1.90 % for service less than 5 Years and 2.57 % thereafter
	मृत्यु दर/ Mortality Rate	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु (2006-2008) Indian Assured Lives Mortality (2006-2008)		भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु (2006-2008) Indian Assured Lives Mortality (2006-2008) Ult.	

i) *ग्रैच्युटी का भुगतान अधिनियम, 1972 में संशोधन के संबंध में दिनांक 29 मार्च 2018 की राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 अप्रैल 2018 के डीबीआर सं. बीपी.बीसी. 9730/21.04.018/2017-18 के द्वारा बैंकों को यह विकल्प दिया है कि ग्रैच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख हो जाने के कारण वे अपनी अतिरिक्त देयता को 31 मार्च 2018 से चार तिमाहियों में फैला सकते हैं. बैंक ने इस विकल्प का उपयोग करते हुए 31 मार्च 2018 को समाप्त तिमाही के लिए 11.57 करोड़ रु प्रभारित किए हैं और शेष 34.71 करोड़ रु की राशि को आगामी वित्तीय वर्ष की अगली तीन तिमाहियों के लिए आस्थगित किया है.

*Pursuant to the Gazette Notification dated March 29, 2018 regarding amendment in Payment of Gratuity Act, 1972, Reserve Bank of India vide its communication DBR No. BP.BC. 9730/ 21.04.018/ 2017-18 dated April 27, 2018, has given option to Banks to spread additional liability on account of enhancement in gratuity limits from ₹ 10 lakhs to ₹ 20 lakhs in four quarter beginning with the quarter ended March 31, 2018. The Bank has exercised the option and has charged ₹ 11.57 Crore during the quarter ended March 31, 2018 and deferred ₹ 34.71 Crore to subsequent three quarter of the ensuing financial year.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

क. अन्य दीर्घावधि लाभ:
C Other long term benefits

बैंक के कर्मचारी अपनी अर्जित/ विशेषाधिकार छुट्टी का संचय करने के लिए पात्र हैं जिसमें अधिकारी अधिकतम 180 दिन और अन्य स्टाफ 300 दिन तक की छुट्टी का संचय कर सकते हैं. प्रति वर्ष अधिकतम 15 दिन की छुट्टियों का नकदीकरण किया जा सकता है.
Employees of the Bank are entitled to accumulate their earned/ privilege leave up to a maximum of 180 days for officers and 300 days for other staff. A maximum of 15 days leave is eligible for encashment in each year.

बैंक के कर्मचारी अशक्तता सहायता के पात्र हैं, जिसे अशक्तता की घटना होने पर बैंक वहन करता है.
Employees of the Bank are eligible for Disability Assistance which is borne by the Bank as and when the disability events occur.

बैंक के कुछ कर्मचारी स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना के लिए पात्र हैं जिसे देयता की घटना होने पर बैंक वहन करता है.
Some employees of the Bank are eligible for Voluntary Health Scheme which is borne by the Bank as and when the liability events occur.

अशक्तता सहायता को छोड़कर इन लाभों का बीमांकिक मूल्यांकन पूर्वानुमानित यूनिट-क्रेडिट पद्धति से किया गया और वर्ष के दौरान ₹17.47 करोड़ (₹73.07करोड़) की राशि लाभ-हानि लेखे में प्रभारित की गई है.
Actuarial valuation of these benefits have been carried out using the Projected Unit Credit Method and ₹ 17.47 Crore (₹ 73.07 Crore) has been charged to Profit and Loss Account during the year.

3. खंड रिपोर्टिंग (एएस-17)/ SEGMENT REPORTING (AS-17)

बैंक मुख्य रूप से निम्न तीन कारोबारी खंडों में परिचालन करता है:
The Bank primarily operates in three business segments as under :

ट्रेजरी / Treasury	ट्रेजरी परिचालन में निवेशों के ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, मुद्रा बाजार परिचालन, व्युत्पन्नों का सौदा, प्रोप्राइटरी खातों में और ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा परिचालन शामिल हैं. Treasury operations include trading portfolio of investments, money market operations, derivative trading, foreign exchange operations on the proprietary account and for customers..
खुदरा बैंकिंग Retail Banking	खुदरा बैंकिंग में व्यापक रूप से ऋण और जमा कार्यकलाप शामिल हैं जो मुख्य रूप से वैयक्तिक और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार सहित लघु कारोबार पर केंद्रित हैं. खुदरा बैंकिंग में भुगतान एवं वैकल्पिक चैनल जैसे एटीएम, पीओएस मशीनें, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ट्रैवल/करेंसी कार्ड, अन्य पक्ष वितरण और लेनदेन बैंकिंग सेवाएं भी शामिल हैं. Retail Banking broadly includes credit and deposit activities that are primarily oriented towards individuals & small business including Priority sector lending. Retail Banking also encompasses payment and alternate channels like ATMs, POS machines, internet Banking, mobile Banking, credit cards, debit cards, travel/currency cards, third party distribution and transaction Banking services.
कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking	इसमें खुदरा के अलावा जमा एवं ऋण कार्यकलापों को कवर करने वाले कॉरपोरेट संबंध शामिल हैं. इसमें कॉरपोरेट सलाहकारी/ सिंडिकेशन सेवाएं, परियोजना मूल्यांकन, और ट्रेजरी के अन्तर्गत कवर नहीं किए गए रणनीतिक निवेश सहित निवेश पोर्टफोलियो कवर भी शामिल हैं. Includes corporate relationship covering deposit & credit activities other than retail. It also covers corporate advisory / syndication, project appraisal and investment portfolio including strategic investments other than those covered under Treasury.

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्र. स. Sr. No.	विवरण / Particulars	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018 Year Ended March 31, 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017 Year Ended March 31, 2017
		लेखा परीक्षित Audited	लेखा परीक्षित Audited
क./a.	**खंड राजस्व/ Segment Revenue**		
	कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग/ Corporate/ Wholesale Banking	19100	22169
	खुदरा बैंकिंग / Retail Banking	27899	28395
	ट्रेजरी / Treasury	141	793
	कुल / TOTAL	**47140**	**51357**
	घटाएं : अंतर-खंड राजस्व / Less :- Inter-segment revenue	17104	19598
	परिचालनों से निवल बिक्री/ आय / Net sales/ income from operations	**30035**	**31759**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्र. स. Sr. No.	विवरण / Particulars	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018 Year Ended March 31, 2018	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017 Year Ended March 31, 2017
ख./b.	**खंड परिणाम - कर पूर्व लाभ/ (हानि) Segment Results - Profit/(loss) before tax**		
	कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग/ Corporate/Wholesale Banking	(14621)	(9195)
	खुदरा बैंकिंग/Retail Banking	1964	287
	ट्रेजरी /Treasury	64	290
	कुल/TOTAL	**(12593)**	**(8618)**
	घटाएं: अविनिधानीय आय को घटाते हुए अन्य अविनिधानीय व्यय Less: Other unallocable expenditure net of unallocable income	-	-
	कर पूर्व कुल लाभ/ (हानि) Total profit/ (loss) before tax	**(12593)**	**(8618)**
	आय कर/Income taxes	(4355)	(3460)
	निवल लाभ/ हानि /Net profit/ (loss)	**(8238)**	**(5158)**
ग./c.	**खंड आस्तियां/Segment assets**		
	कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग / Corporate/ Wholesale Banking	202743	183699
	खुदरा बैंकिंग / Retail Banking	128470	166889
	ट्रेजरी / Treasury	3054	426
	अविनिधानित आस्तियां/ Unallocated assets	16047	10754
	कुल आस्तियां / Total assets	**350314**	**361768**
घ./d.	**खंड देयताएं / Segment liabilities**		
	कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग/ Corporate/ Wholesale Banking	108886	105665
	खुदरा बैंकिंग / Retail Banking	218686	235284
	ट्रेजरी / Treasury	6587	3673
	अविनिधानित देयताएं / Unallocated liabilities	-	-
	कुल देयताएं/ Total liabilities	**334158**	**344622**
ङ./e.	**नियोजित पूंजी (खंड आस्तियां - खंड देयताएं) Capital employed (Segment assets-Segment liabilities)**		
	कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग / Corporate/ Wholesale Banking	93857	78034
	खुदरा बैंकिंग / Retail Banking	(90215)	(68395)
	ट्रेजरी / Treasury	(3533)	(3247)
	अविनिधानित / Unallocated	16047	10753
	कुल देयताएं / Total	**16156**	**17145**

- खंड राजस्व में बैंक द्वारा अनुसरित एफटीपी (निधि अंतरण मूल्य) सिस्टम के तहत गणना किए गए अंतर-खंड राजस्व शामिल हैं.
  The segment revenue includes inter-segment revenue computed as per FTP (Fund Transfer Pricing) system followed by the Bank.
- बैंक मुख्य रूप से भारत में परिचालन करता है, अतः बैंक ने यह माना है कि वह मुख्य रूप से देशी खंड में परिचालन करता है और इसलिए रिपोर्ट करने योग्य कोई भौगोलिक खंड नहीं है.
  The Bank primarily operates in India, hence the Bank has considered that its operations are predominantly in the domestic segment and as such there are no reportable geographical segments

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

4. संबद्ध पक्षकार का प्रकटन (एएस-18)/ RELATED PARTY DISCLOSURES (AS-18)

अ. एएस-18 के अनुसार संबद्ध पक्षकार
A. List of related party as per AS-18

I. सहायक संस्थाएं
Subsidiaries

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि.
IDBI Capital Market Services Ltd.

आईडीबीआई इंटेक लि.
IDBI Intech Ltd.

आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि.
IDBI MF Trustee Company Ltd.

आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लि.
IDBI Asset Management Company Ltd.

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि.
IDBI Trusteeship Services Limited

II. संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था
Jointly controlled entity

आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
IDBI Federal Life Insurance Co. Ltd.

III. बैंक के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
Key management personnel of the Bank

श्री किशोर पी. खरात, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (02 अप्रैल 2017 तक)
Shri Kishor P Kharat, Managing Director & CEO (upto April 02, 2017)

श्री महेश कुमार जैन, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (03 अप्रैल 2017 से)
Shri Mahesh Kumar Jain, Managing Director & CEO (from April 03, 2017)

श्री कृष्ण प्रसाद नायर, उप प्रबंध निदेशक
Shri Krishna Prasad Nair, Deputy Managing Director.

श्री जी. एम. यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक
Shri G.M.Yadwadkar, Deputy Managing Director.

श्रीमती पद्मा बेताई, सीएफओ (02 जुलाई 2017 तक)
Smt. Padma Betai, CFO (upto July 02, 2017)

श्री अजय शर्मा, सीएफओ (03 जुलाई 2017 से)
Shri Ajay Sharma CFO (from July 03, 2017)

श्री पवन अग्रवाल, कंपनी सचिव
Shri Pawan Agrawal, Company Secretary.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

बोर्ड संकल्प के अनुसार 21 मार्च 2018 से निम्नलिखित को बैंक का मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक माना गया है:
Following have been considered as Key Management Personnel w.e.f March 21, 2018 as per the Board resolution

श्री पी. सीताराम, कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी
Shri. P Sitaram, Executive Director & Chief Compliance Officer

श्रीमती बी. मैथिली, कार्यपालक निदेशक
Smt. B Mythili, Executive Director

श्री ए. एल. बोंगिरवार, कार्यपालक निदेशक
Shri. A L Bongirwar, Executive Director

श्री जी. ए. तड़स, कार्यपालक निदेशक
Shri. G A Tadas, Executive Director

डॉ एस. एस. बॅनर्जी, कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी
Dr. S S Banerjee, Executive Director & Chief Technology Officer

श्री एस. के. खटनहार, कार्यपालक निदेशक
Shri. S K Khatanhar, Executive Director

श्री आई. एस. कालरा, कार्यपालक निदेशक
Shri. I S Kalra, Executive Director

श्री एम. वी. फड़के, कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी
Shri. M V Phadke, Executive Director & Chief Audit Officer

श्री सुब्रतो गुप्ता, कार्यपालक निदेशक
Shri. Subroto Gupta, Executive Director

श्री अजय नाथ झा, मुख्य जोखिम अधिकारी
Shri. Ajoy Nath Jha, Chief Risk Officer

श्रीमती माया चक्रवर्ती, मुख्य महा प्रबंधक, ट्रेजरी
Smt. Maya Chakravorty, Chief General Manager, Treasury

आ. संबद्ध पक्षकारों के साथ किए गए लेन-देनों का विवरण
B. Details of transactions with Related Parties

i. पक्षकार जिनके साथ वर्ष के दौरान लेन-देन किए गए
Parties with whom transaction were entered into during the year

लेखांकन मानक (एएस) 18 के परिच्छेद 9 के अनुसार 'सरकारी नियंत्रण वाले उद्यमों' के संबंध में संबद्ध पक्षकार संबंधी किसी प्रकटन की आवश्यकता नहीं है. बैंक की सभी सहायक संस्थाएं सरकारी नियंत्रण वाले उद्यम हैं, अतः सहायक संस्थाओं के साथ लेन-देनों का प्रकटन नहीं किया गया है. साथ ही एएस 18 के परिच्छेद 5 के अनुसार मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के रिश्तेदारों के संबंध में बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति वाले लेन-देनों का प्रकटन नहीं किया गया है.

No disclosure is required in respect of related parties, which are “State-controlled Enterprises” as per paragraph 9 of Accounting Standard (AS) 18. All the subsidiaries of the Bank are State-controlled Enterprises, hence no disclosure is made for transaction with subsidiary Companies. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed in respect of Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

ii. संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन-देन/ शेषराशियां:
Transactions/ balances with related parties:

(₹ करोड़ में)/ (₹ in crore)

संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था Jointly controlled entity	31 मार्च 2018 March 31, 2018	31 मार्च 2017 March 31, 2017
प्राप्त जमाराशियां / Deposits Received	6.00	6.08
अन्य बकाया देयताएं / जमा राशियां Other Liabilities/ Deposits Outstanding	44.52	38.60
वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम जमाराशियां Maximum amount of deposits outstanding during the year	44.59	38.60
बकाया निवेश Investments outstanding	384	384
प्रदत्त अग्रिम / Advance Given	-	-
बकाया अग्रिम / Advances outstanding	-	-
वर्ष के दौरान देय अधिकतम अग्रिम राशि Maximum amount of advance due during the year	-	-
अग्रिमों पर प्रदत्त ब्याज Interest paid on advances	-	-
अग्रिमों पर उपचित ब्याज Interest accrued on advances	-	-
जमाराशियों पर ब्याज Interest on Deposits	5.37	5.11
अन्य आय Other Income	62.60	60.24
वर्ष के दौरान लाभ का हिस्सा Share of profit during the year	48.45	24.99

iii. वर्ष के दौरान मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक को ₹ 1.85 करोड़ पारिश्रमिक प्रदान किया गया.
Remuneration paid to Key Management Personnel during the year ₹ 1.85 Crores

(₹ करोड़ में)/ (₹ in crore)

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक Key Management Personnel	वित्तीय वर्ष 2017-18 FY 2017-18	वित्तीय वर्ष 2016-17 FY 2016-17
श्री किशोर खरात / Shri Kishor Kharat	0.00347	0.32
श्री महेश कुमार जैन / Shri Mahesh Kumar Jain	0.31	-
श्री बी. के. बत्रा / Shri B.K Batra	-	0.11
श्री के.पी. नायर / Shri K.P.Nair	0.27	0.15
श्री जी. एम. यादवाडकर / Shri G.M.Yadwadkar	0.26	0.14
श्री एन. एस. वेंकेटेश / Shri N.S.Venkatesh	-	0.04
श्री आर. के बंसल Shri R.K. Bansal	-	0.03
श्रीमती पद्मा बेताई / Smt. Padma Betai	0.07	0.16

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में)/ (₹ in crore)

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक Key Management Personnel	वित्तीय वर्ष 2017-18 FY 2017-18	वित्तीय वर्ष 2016-17 FY 2016-17
श्री अजय शर्मा / Shri Ajay Sharma	0.23	-
श्री पवन अग्रवाल / Shri Pawan Agarwal	0.29	0.31
श्री पी. सीताराम / Shri P Sitaram	0.02	-
श्रीमती मैथिली बालसुब्रमणियन / Smt Mythili Balasubramanian	0.01	-
श्री ए. एल. बोंगिरवार / Shri A L Bongirwar	0.01	-
डॉ. सौम्य एस. बॅनर्जी / Dr. Saumya S Banerjee	0.01	-
श्री जी. ए. तड़स / Shri G A Tadas	0.02	-
श्री सुरेश खटनहार / Shri Suresh Khatanhar	0.01	-
श्री इंद्रपाल एस. कालरा / Shri Inderpal S Kalra	0.01	-
श्री माधव फड़के / Shri Madhav Phadke	0.0008	-
श्री सुब्रतो गुप्ता / Shri Subroto Gupta	0.01	-
श्री अजय नाथ झा / Shri Ajoy Nath Jha	0.01	-
श्रीमती माया चक्रवर्ती / Smt. Maya Chakravorty	0.32	-
कुल / Total	1.85	1.25

5. पट्टे (एएस-19)/ LEASES (AS-19)

परिचालनगत पट्टे में मुख्य रूप से कार्यालय परिसर, स्टाफ आवास और ऑटोमेटेड टेलर मशीनें (एटीएम), जिन्हें बैंक के विकल्प पर निरस्त किया जा सकता है या निरस्त नहीं होने वाले परिचालनगत पट्टे शामिल हैं.
Operating leases primarily comprise office premises, staff residences and Automated Teller Machines(ATM)s, which are either cancellable at the option of the Bank or non-cancellable operating lease.

वर्ष के दौरान निरसन योग्य/ निरस्त नहीं होने वाले परिचालनगत पट्टे पर प्रदत्त / देय पट्टा प्रभारों हेतु लाभ - हानि लेखे में ₹ 331.82 करोड़ (₹ 310.50 करोड़) की राशि प्रभारित की गई.
During the year ₹ 331.82 Crore (₹ 310.50 Crore) has been charged to the Profit and Loss Account towards lease charges paid/ payable on cancellable/non-cancellable operating lease.

तुलन पत्र की तारीख तक अनिरसनीय परिचालनगत पट्टों के संबंध में भावी न्यूनतम पट्टा भुगतानों का सारांश निम्नानुसार है:
The future minimum lease payments in respect of non-cancellable operating leases as at balance sheet date are summarized as under:

(₹ करोड़ में)/(₹ in crores)

विवरण/Particulars	31 मार्च 2018 March 31, 2018	31 मार्च 2017 March 31, 2017
एक वर्ष के बाद नहीं / Not Later than one year	2.42	3.80
एक वर्ष के बाद किंतु 5 वर्ष के बाद नहीं Later than one year but not later than five years	1.19	3.55

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

6. प्रति शेयर उपार्जन (ईपीएस) (एएस-20)/ EARNINGS PER SHARE (EPS) (AS-20)

(₹ करोड़ में)/ (₹ in crore)

विवरण/Particulars	31 मार्च 2018 March 31, 2018	31 मार्च 2017 March 31, 2017
ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिया गया निवल लाभ/ (हानि) (₹ करोड़ में) Net profit/ (loss) considered for EPS calculation (₹ in Crores)	(8237.92)	(5158.14)
मूल ईपीएस की गणना के लिये हिसाब में लिए गये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for Basic EPS	23915 45 890	20588 15 081
जोड़ें : मंजूर किए गए ईसॉप का न्यूनीकृत प्रभाव Add: Dilutive impact of ESOP granted	-	-
न्यूनीकृत ईपीएस की गणना के लिये हिसाब में लिए गये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for Diluted EPS	23915 45 890	20588 15 081
ईपीएस (मूल) (₹) EPS (Basic) (₹)	(34.45)	(25.05)
ईपीएस (न्यूनीकृत) (₹) EPS (Diluted) (₹)	(34.45)	(25.05)
प्रति इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य (₹) Face value per Equity share (₹)	10.00	10.00

बैंक ने शेयर आवेदन राशि प्राप्त की है, जो कि वर्ष की समाप्ति पर आबंटन हेतु लंबित थी. आबंटन के लिए भावी शेयर को वर्ष के दौरान हुई हानि के कारण तनुकरण नहीं माना गया है. तदनुसार बुनियादी व तनुकृत ईपीएस एक ही हैं.

The Bank has received share application money which is pending for allotment as at the end of the year. The potential equity shares on allotment is considered as anti dilutive due to losses incurred during the year. Accordingly the Basic & Diluted EPS are same.

7. आय पर करों के लिए लेखांकन (एएस-22)/ ACCOUNTING FOR TAXES ON INCOME (AS-22)

समय अंतराल के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली आस्थगित आस्तियों एवं आस्थगित देयता का घटक नीचे दिया गया है:
The Component of Deferred Assets and Deferred Liability arising out of timing difference is as follows:

(₹ करोड़ में) (₹ in crores)

विवरण/Particulars	यथा 31 मार्च 2018 को As at March 31, 2018	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2018	यथा 31 मार्च 2017 को As at March 31, 2017
आस्थगित कर देयता/Deferred Tax Liability			
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास / Depreciation on fixed assets	66.37	9.19	57.18
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिज़र्व Special Reserve created and maintained u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961	439.81	-	439.80
कुल (अ)/Total (A)	**506.18**	**9.19**	**496.99**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crores)

विवरण/Particulars	यथा 31 मार्च 2018 को As at March 31, 2018	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2018	यथा 31 मार्च 2017 को As at March 31, 2017
आस्थगित कर आस्ति / Deferred Tax Asset			
एनपीए तथा पुनर्संरचित अग्रिमों के लिए प्रावधान से संबंधित अस्वीकृति जो आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अनुमत नहीं हैं Disallowance related to provision for NPA and for Restructured Advances not allowed under Income tax Act, 1961	9914.94	2002.99	7911.95
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी, 40 (ए)(आईए) आदि के अधीन अस्वीकृति Disallowance u/s. 43B, 40(a)(ia) etc. of the Income-tax Act, 1961	217.04	38.72	178.31
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35डी और 35डीडी के अंतर्गत कटौती से कवर किया गया व्यय Expenditure covered by deduction u/s 35D and 35DD of the Income Tax Act, 1961	2.89	1.83	1.06
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए शामिल नहीं किए गए मूल्यह्रास Unabsorbed depreciation for the year ended March 31, 2018	48.56	38.89	9.66
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कारोबार में हानि Business Loss for the year ended March 31, 2018	2 281.37	2 281.37	0
कुल (आ) / Total (B)	**12 464.79**	**4 363.80**	**8100.98**
आस्थगित कर देयता/ (आस्ति)(निवल)(अ)-(आ) Deferred tax liability/ (asset) (net) (A) – (B)	**(11 958.61)**	**(4 354.61)**	**(7604.00)**

कराधान के प्रावधान
Provision of Taxation

(₹ करोड़ में)/(₹ in crores)

विवरण/Particulars	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2018	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2017
आय कर Income Tax	शून्य / Nil	203.93

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

8. संयुक्त उद्यम (एएस 27) / JOINT VENTURES (AS-27)

निवेशों में निम्नलिखित संयुक्त उद्यम में बैंक के हित से संबंधित ₹ 384 करोड़ (₹ 384 करोड़) शामिल हैं.
Investments include ₹ 384 Crore (₹ 384 Crore) representing Bank’s interest in the following joint venture.

कंपनी का नाम/Name of the Company	निवास का देश Country of Residence	धारिता Holding
आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. IDBI Federal Life Insurance Company Ltd.	भारत India	48%

एएस 27 की अपेक्षा के अनुसार, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था में बैंक के हितों से संबंधित सभी आस्तियों, देयताओं, आय, व्ययों, आकस्मिक देयताओं और वचनबद्धताओं की प्रत्येक की कुल राशियों का प्रकटन निम्नानुसार प्रस्तुत है:

As required by AS-27, the aggregate amount of each of the assets, liabilities, income, expenses, contingent liabilities and commitments related to the Bank's interests in jointly controlled entity are disclosed as under:

(₹ करोड़ में)/(₹ in crores)

विवरण/Particulars	31 मार्च 2018 (लेखापरीक्षित) March 31, 2018 (Audited)	31 मार्च 2017 (लेखापरीक्षित) March 31, 2017 (Audited)
देयताएं/ Liabilities		
इक्विटी पूंजी एवं रिजर्व / Equity Capital & Reserve	384.00	384.00
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other Liabilities & Provisions	177.83	143.62
कुल / Total	**561.83**	**527.62**
आस्तियां / Assets		
नकदी और बैंक शेष राशियां/ Cash and Bank Balances	78.62	77.68
निवेश/ Investments	180.74	148.17
अचल आस्तियां / Fixed Assets	69.04	70.58
अन्य आस्तियां / Other Assets	223.77	173.07
विविध व्यय/ संचित हानि/ Miscellaneous Expenditure/ Accumulated Losses	9.67	58.13
कुल / Total	**561.83**	**527.62**
पूंजी वचनबद्धताएं/ Capital Commitments	-	-
अन्य आकस्मिक देयताएं / Other Contingent Liabilities	20.26	99.70
आय / Income		
निवेशों से आय/ब्याज आय / Income from Investments/Interest Income	20.26	20.33
अन्य आय/ Other income	31.78	7.68
कुल / Total	**52.04**	**28.00**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में)/(₹ in crores)

विवरण/Particulars	31 मार्च 2018 (लेखापरीक्षित) March 31, 2018 (Audited)	31 मार्च 2017 (लेखापरीक्षित) March 31, 2017 (Audited)
व्यय/ Expenditure		
बीमा कारोबार से हानि / Losses from Insurance Business	-	-
परिचालनगत व्यय / Operating expenses	3.59	3.01
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions & Contingencies	0.00	0.0003
कुल / Total	**3.59**	**3.01**
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)/ Profit/ (Loss) for the Year	48.45	24.99

9. आकस्मिक देयताओं का विवरण*/ DESCRIPTION OF CONTINGENT LIABILITIES*

क./a.

क्र.सं. S. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
I	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें कर्ज नहीं माना गया है. Claims against the Bank not acknowledged as debts	यह मद सामान्य कारोबार के अंतर्गत बैंक के प्रति विधिक मामलों में की गई कतिपय मांगों तथा परिचालन मामलों व धोखाधड़ी के मामलों में उत्पन्न ग्राहक के दावों को दर्शाती है. बैंक को ऐसी कोई आशा नहीं है कि इन कार्यवाहियों के कारण बैंक की वित्तीय स्थिति, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर आर्थिक रूप से कोई विपरीत असर पड़ेगा. This item represents certain demands made in legal matters against the Bank in the normal course of business and customer claims arising in operational issues and fraud cases. The Bank does not expect the outcome of these proceedings to have a material adverse effect on the Bank's financial conditions, results of operations or cash flows.
II	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of Outstanding forward exchange contracts	बैंक अपने सामान्य कारोबार के अंतर्गत मुद्राओं के भावी तारीख को पूर्व-निर्धारित मूल्य पर विनिमय करने के लिए विदेशी मुद्रा संविदाएँ निष्पादित करता है. यह मद ऐसी ही संविदाओं जो डेरिवेटिव लिखत हैं, की आनुमानिक मूल राशि को दर्शाती है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यत: अंतर-बैंक बाजार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणामस्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार और इसके कारण पोर्टफोलियो संबंधी सकल कल्पित मूलधन का बृहद् मूल्य उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाजार जोखिम कम होता है. The Bank enters into foreign exchange contracts in its normal course of business, to exchange currencies at a pre-fixed price at a future date. This item represents the notional principal amount of such contracts, which are derivative instruments. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

क्र.सं. S. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
III	ग्राहकों की ओर से भारत में व भारत से बाहर दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents in India and outside India	अपने बैंकिंग कार्यकलापों के भाग के रूप में बैंक अपने ग्राहकों की ओर से गारंटियां जारी करता है. गारंटी सामान्यतः इस अप्रतिसंहरणीय आश्वासन को प्रदर्शित करती है कि ग्राहक द्वारा अपने वित्तीय या कार्यनिष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर बैंक भुगतान करेगा. As a part of its Banking activities, the Bank issues guarantees on behalf of its customers. Guarantees generally represent irrevocable assurances that the Bank will make payments in the event of customer failing to fulfill its financial or performance obligations.
IV	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	यह मद ग्राहक की ऋण अवस्थिति में संवृद्धि को ध्यान में रखकर व्यापार वित्त बैंकिंग गतिविधियों के भाग के रूप में, बैंक द्वारा अपने ग्राहकों की तरफ से अन्य पक्षकारों के पक्ष में जारी गारंटियों और दस्तावेजी ऋणों को प्रदर्शित करती है. इन लिखतों के माध्यम से बैंक अपने ग्राहकों के दायित्वों के लिए सीधे या ग्राहक द्वारा अपने वित्तीय या कार्यनिष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर भुगतान की जिम्मेदारी लेता है. This item represents the documentary credits issued by the Bank in favour of third parties on behalf of its customers, as part of its trade finance Banking activities with a view to augment the customers credit standing. Through these instruments, the Bank undertakes to make payments for its customers obligations, either directly or in case the customer fails to fulfil their financial or performance obligations.
V	ब्याज दर एवं मुद्रा अदला-बदली तथा ऋण चूक अदला-बदली के संबंध में देयता Liability in respect of interest rate and currency swaps and credit default swaps.	यह मद विविध डेरिवेटिव लिखतों की कल्पित मूल राशि को दर्शाती है जिसका दायित्व बैंक अपने सामान्य कारोबार के क्रम में उठाता है. बैंक अपने ग्राहकों को ये उत्पाद उन्हें अपने विदेशी मुद्रा विनिमय और ब्याज दर जोखिमों को अंतरित करने, संशोधित करने या कम करने में सक्षम बनाने के लिए ऑफर करता है. बैंक अपनी ब्याज दर और विदेशी मुद्रा स्थितियों के प्रबंधन करने के लिए भी ये संविदाएं करता है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाजार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार और इसके कारण पोर्टफोलियो संबंधी सकल कल्पित मूलधन का बृहत् मूल्य उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाजार जोखिम कम होता है. This item represents the notional principal amount of various derivative instruments which the Bank undertakes in its normal course of business. The Bank offers these products to its customers to enable them to transfer, modify or reduce their foreign exchange and interest rate risks. The Bank also undertakes these contracts to manage its own interest rate and foreign exchange positions. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower. बैंक भारतीय कॉरपोरेट बांड से जुड़े ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) की हामीदारी करता है. The Bank underwrites Credit Default Swap (CDS) transaction for managing credit risks associated with Indian Corporate Bonds.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

क्र.सं. S. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
VI	अन्य डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में देयता Liability in respect of other derivative contracts.	यह मद विविध मुद्रा विकल्पों की कल्पित मूल राशि को दर्शाती है जिसका दायित्व बैंक अपने सामान्य कारोबार के क्रम में उठाता है. बैंक अपने ग्राहकों को ये उत्पाद उन्हें अपने विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिमों को कम करने में सक्षम बनाने के लिए ऑफर करता है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाजार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाजार जोखिम कम होता है. This item represents the notional principal amount of various currency options which the Bank undertakes in its normal course of business. The Bank offers these products to its customers to enable them to reduce their foreign exchange risks. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions, while the net market risk is lower.
VII	विवादित आयकर, ब्याज कर, दंड एवं ब्याज मांग के कारण देयता Liability on account of disputed Income tax, interest tax, penalty and Interest demands	बैंक विचाराधीन अपीलों संबंधी विविध कराधीन मामलों में पक्षकार है. बैंक आशा करता है कि मामलों के तथ्यों और आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के आधार पर अपील प्राधिकारियों द्वारा पिछले वर्ष समान मामलों में दिए गए निर्णयों के आधार पर, इन अपीलों के भी निर्णय अनुकूल होंगे. The Bank is a party to various taxation matters in respect of which appeals are pending. The Bank expects the outcome of the appeals to be favourable based on decisions on similar issues in the previous years by the appellate authorities, based on the facts of the case and the provisions of Income Tax Act, 1961.
VIII	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से दायी है Others items for which the Bank is contingently liable	इस मद में निम्नलिखित शामिल हैं: This item represents the following : क) सामान्य कारोबार कार्यकलाप के भाग के रूप में बैंक द्वारा स्वयं अपनी ओर से सांविधिक प्राधिकारियों तथा अन्य के पक्ष में जारी की गईं गारंटियां और a) the guarantees issued by the Bank in favour of statutory authorities and others on its own behalf, as part of normal business activity and ख) जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) में अंतरित राशि- जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) योजना 2014 के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक उन ग्राहकों के संबंध में जिनके खाते 10 वर्ष से ज्यादा समय से परिचालित नहीं किए गए हैं अथवा राशियों का दावा नहीं किया गया है, उपचित ब्याज सहित अदावी राशियों को 'रिज़र्व बैंक डीईएएफ निधि' में अंतरित करता है. b) the amount transferred to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)- In terms of guidelines of Depositor Education and Awareness Fund (DEAF) Scheme 2014, the Bank transfers unclaimed amounts including interest accrued pertaining to customers whose accounts were not operated or amounts were not claimed for more than 10 years to 'RBI DEAF Fund'.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

ख. दीर्घावधि संविदाएं
b. Long term contracts

बैंक के पास एक प्रक्रिया है जिसमें आवधिक आधार पर डेरिवेटिव संविदाओं सहित सभी दीर्घावधि संविदाओं का कल्पित भौतिक हानियों के लिए मूल्यांकन किया जाता है. वर्ष के अंत में बैंक ने इसकी समीक्षा की तथा सुनिश्चित किया कि डेरिवेटिव संविदाओं सहित ऐसी दीर्घावधि संविदाओं पर कल्पित भौतिक हानि के लिए लेखा बहियों में किसी विधि / लेखांकन मानदंडों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं.

The Bank has a process whereby periodically all long term contracts including derivative contracts are assessed for material foreseeable losses. At the year end, the Bank has reviewed and ensured that adequate provision as required under any law/ accounting standards for material foreseeable losses on such long term contracts including derivative contracts has been made in the books of account.

ग. लंबित मुकदमे
c. Pending litigations

बैंक के लंबित मुकदमों में मुख्य रूप से उधारकर्ताओं, ग्राहकों द्वारा बैंक के प्रति किए गए दावे और आयकर प्राधिकारियों के पास लंबित कार्यवाहियां शामिल हैं. बैंक ने अपने सभी लंबित मुकदमों और कार्यवाहियों की समीक्षा की है और जहां प्रावधान अपेक्षित है वहां पर्याप्त प्रावधान किए हैं तथा अपने वित्तीय विवरणों में जहां लागू है वहाँ आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया है.

The Bank's pending litigations comprise of claims against the Bank primarily by the borrowers, customers and proceedings pending with Income Tax authorities. The Bank has reviewed all its pending litigations and proceedings and has adequately provided for where provisions are required and disclosed the contingent liabilities where applicable, in its financial statements.

* मात्रात्मक प्रकटन के लिए अनुसूची-12 आकस्मिक देयताएं देखें.
*Refer Schedule-12- Contingent Liabilities for quantitative disclosure.

आ रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटन
B DISCLOSURES REQUIRED AS PER RBI GUIDELINES

I. पूंजी / Capital

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	बासेल III के अनुसार As per Basel III	
		यथा 31 मार्च 2018 As at March 31, 2018	यथा 31 मार्च 2017 As at March 31, 2017
1	सामान्य इक्विटी टीयर I पूंजी अनुपात (%)+ सीसीबी Common Equity Tier I capital ratio (%)+CCB	7.42%	5.64%
2	सीआरएआर- टीयर I पूंजी (%) CRAR - Tier I Capital (%)	7.73%	7.81%
3	सीआरएआर - टीयर II पूंजी (%) CRAR - Tier II Capital (%)	2.68%	2.89%
4	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%) Total Capital ratio (CRAR) (%)	10.41%	10.70%
5	बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत Percentage of the shareholding of the Government of India in the Bank	80.96%	73.98%
6	जुटाई गई इक्विटी पूंजी की राशि Amount of equity capital raised	4984	0.00

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	बासेल III के अनुसार As per Basel III	
		यथा 31 मार्च 2018 As at March 31, 2018	यथा 31 मार्च 2017 As at March 31, 2017
7	भारत सरकार से प्राप्त शेयर आवेदन राशि जिसे रिज़र्व बैंक के दिनांक 30 मार्च 2017 के पत्र संख्या डीबीआर.सीओ.सं. 11547/ 21.01.002/ 2016-17 के अनुसार आबंटन के विचाराधीन होने के कारण सीईआर1 पूंजी मानने की अनुमति दी गई है# Amount of share application money received from GoI, allowed by RBI to be treated as CER1 capital, pending allotment vide its letter no. DBR. CO.No..11547/ 21.01.002/ 2016-17 dated March 30,2017#	7881	1900.00
8	जुटाई गई अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी की राशि; जिसमें से - Amount of Additional Tier 1 capital raised; of which		
	पीएनसीपीएस : PNCPS:	0.00	0.00
	पीडीआई : PDI:	0.00	2500.00
9	जुटाई गई टीयर 2 पूंजी की राशि ; Amount of Tier 2 capital raised;		
	जिसमें से / of which		
	ऋण पूंजी लिखत:/ Debt capital instrument:	0	1900
	अधिमानी शेयर पूंजी लिखत: [स्थायी संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस)/ मोचन-योग्य गैर-संचयी अधिमानी शेयर (आरएनसीपीएस)/ मोचन-योग्य संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस)] Preference Share Capital Instruments: [Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS) / Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS) / Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)]	0	0

भारत सरकार ने दिनांक 28 मार्च 2018 को बांड के पुनः पूंजीकरण के माध्यम से ₹ 7881 करोड़ का निवेश किया तथा इसका आबंटन न होने से इसे दिनांक 31 मार्च 2018 के अनुसार 'इक्विटी शेयर आवेदन राशि' के रूप में दर्शाया गया. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 23 अप्रैल 2018 के पत्र के आधार पर, बैंक ने 'इक्विटी शेयर आवेदन धनराशि' को यथा 31 मार्च 2018 को सामान्य इक्विटी टियर I (सीईटी 1) पूंजी मान लिया है.

Government of India infused ₹ 7881 crore on March 28, 2018 through Recapitalization of Bonds and the same has not been allotted and shown as 'Equity Share Application Money' as at March 31, 2018. On the basis of RBI letter dated April 23, 2018, the Bank has considered such 'Equity Share Application Money' as a part of Common Equity Tier I (CET1) Capital as at March 31, 2018.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

II. निवेश / Investments

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं. Sr. No.	मदें/Items	यथा 31 मार्च 2018 को As at March 31, 2018	यथा 31 मार्च 2017 को As at March 31, 2017
(1)	निवेश का मूल्य / Value of Investments		
	(i) निवेशों का सकल मूल्य / Gross Value of Investments		
	(क) भारत में (a) In India	95427.16	95716.49
	(ख) भारत से बाहर (b) Outside India	781.45	-
	(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान / Provisions for Depreciation		-
	(क) भारत में (a) In India	4597.86	2782.07
	(ख) भारत से बाहर (b) Outside India	4.68	-
	(iii) निवेशों का निवल मूल्य / Net Value of Investments		
	(क) भारत में (a) In India	90829.29	92934.41
	(ख) भारत से बाहर (b) Outside India	776.77	-
(2)	निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों में घट - बढ़ Movement of provisions held towards depreciation on investments		
	(i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	2782.07	1731.22
	(ii) जोड़ें : वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान Add: Provisions made during the year	2300.34	1705.96
	(iii) घटायें : वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गये/पुनरांकित किये गये आधिक्य प्रावधान Less: Write-off/ write-back of excess provisions during the year	479.87	655.11
	(iv) अंतिम शेष / Closing balance	4602.54	2782.07

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

III. रेपो लेन-देन / Repo Transactions

बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यन और परिचालन हेतु विवेकपूर्ण मानदंड पर, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 02 अप्रैल 2018 के परिपत्र आरबीआई/ 2017-18/147 डीबीआर. सं. बीपी.बीसी./ 102/ 21.04.048/2017-18 के अनुसार सूचना - एमटीएम हानियों की स्प्रेडिंग और निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि का सृजन.

Information as per RBI Circular RBI/2017-18/147 DBR.No.BP.BC.102/21.04.048/2017-18 dated April 2, 2018, on Prudential Norms for Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio by Banks – Spreading of MTM losses and creation of Investment Fluctuation Reserve (IFR).

(क) 31 मार्च 2018 को समाप्त तिमाही के दौरान दिसंबर 2017 और मार्च 2018 को समाप्त तिमाही के लिए किए गए निवेश पोर्टफोलियो के मूल्यह्रास हेतु प्रावधान ₹ 284.61 करोड़ है.

(a) the provisions for depreciation of the investment portfolio for the quarters ended December 2017 and March 2018 made during the the quarter ended March 31, 2018 is ₹ 284.61 Crore.

(ख) दिनांक 31 मार्च 2018 के बाद अगली 3 तिमाहियों में किए जाने वाले अपेक्षित प्रावधान की राशि ₹ 383.63 करोड़ है.

(b) the balance provision required to be made in the next three quarters after March 31,2018 is ₹ 383.63 Crore.

IV. रेपो लेन-देन / Repo Transactions

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण / Particulars		वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान औसत दैनिक बकाया Daily Average outstanding during the year	यथा 31 मार्च 2018 As at March 31, 2018
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां (अंकित मूल्य) Securities sold under repo (Face Value)					
i.	सरकारी प्रतिभूतियां Government securities	25.00	18,866.94	3,243.44	12,097.18
ii.	कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां (अंकित मूल्य) Securities purchased under reverse repo (Face Value)					
i.	सरकारी प्रतिभूतियां Government securities	5.00	17,790.79	2,807.17	16,691.62
ii.	कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities	75.00	75.00	0.21	0.00

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

V. गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो
Non-SLR Investment Portfolio

1. गैर एसएलआर निवेशों के मामले में निर्गमकर्ता संरचना
Issuer composition of Non-SLR investments

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं. Sr. No.	निर्गमकर्ता Issuer	राशि Amount	निजी नियोजन की मात्रा Extent of private placement	'निवेश श्रेणी से कम' प्रतिभूतियों की मात्रा # Extent of 'below investment grade' securities #	'बिना-रेटिंग' वाली प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'unrated' securities	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'unlisted' securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSUs	9540.23	285.03	0	7941.69	179.28
2	वित्तीय संस्थाएं FIs	234.76	96.32	12.50	70.04	31.26
3	बैंक Banks	28.06	0	0	0	0
4	निजी कॉरपोरेट Private Corporates	8736.51	3430.29	2713.75	5765.23	5186.11
5	सहायक संस्थाएं/ संयुक्त उद्यम Subsidiaries/ JV	690.04	544.17	0	690.04	690.04
6	अन्य / Others	5781.61	0	0	3561.18	4891.21
	सकल कुल Gross Total	**25011.21**	**4355.86**	**2726.25**	**18028.18**	**10977.90**
7	मूल्यह्रास के लिए किया गया प्रावधान Prov held towards Dep..	4317.92	0	0	0	0
	निवल कुल / NET Total	**20693.28**	**4355.86**	**2726.25**	**18028.18**	**10977.90**

नोटः इक्विटियों में निवेश को बिना रेटिंग वाली प्रतिभूतियां नहीं माना गया है.
Note – Investment in Equities are not treated as unrated securities

इक्विटी/ अधिमानी शेयरों तथा राज्य स्तरीय बांडों में एनपीआई निवेश को निवेश ग्रेड से नीचे माना गया है.
NPI Investments in equity/preference shares and state level bonds have been considered as below investment grade.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

2 **अनर्जक गैर - एसएलआर निवेश**
Non-performing Non-SLR investments

(₹ करोड़ में)/ (₹ in crore)

विवरण/ Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
प्रारंभिक शेष / Opening balance	**1 517.20**	**1134.17**
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	1 161.31	694.33
वर्ष के दौरान कमी / Reductions during the year	103.68	311.29
अंतिम शेष / Closing balance	**2 574.83**	**1517.20**
एनपीआई के तहत धारित कुल प्रावधान/ Total provisions held toward NPI	**1 942.67**	**1120.96**

VI. प्रतिभूतियों का परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी से/को विक्रय व अंतरण
Sales and transfers of securities to/from Held to Maturity (HTM) category

क. 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान परिपक्वता तक धारित एचटीएम श्रेणी से/को की गई बिक्री का मूल्य (लेखा वर्ष के प्रारंभ में बैंकों को अनुमत निदेशक मंडल के अनुमोदन से एचटीएम श्रेणी से/को प्रतिभूतियों के एकबारीय अंतरण और पूर्व घोषित खुला बाजार परिचालन नीलामियों के तहत रिजर्व बैंक को की गई बिक्री तथा एचटीएम से प्रतिभूतियों के अंतरण को छोड़कर) वर्ष के प्रारंभ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेशों के बही मूल्य के 5% से अधिक है. यह एसएलआर आवश्यकताओं के अनुपालन हेतु रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के संबंध में है. दिशानिर्देशों का विवरण नीचे दिया गया है.

a. During the year ended March 31, 2018, the value of sales and transfers of securities to/from HTM category (excluding onetime transfer to/from HTM category with the approval of Board of Directors permitted to be undertaken by banks at the beginning of the accounting year and sale to RBI under pre-announced Open Market Operation auctions) have exceeded 5% of the book value of the investments held in HTM category at the beginning of the year. The same is in regard to RBI extant guidelines for compliance with SLR requirements. The details of guidelines are given below.

ख. वर्तमान वर्ष के दौरान एचटीएम श्रेणी में धारित निवेशों में उतार-चढ़ाव की स्थिति निम्नानुसार है :

b. The movement of Investments held in HTM Category during the current year is as under:-

एचटीएम श्रेणी में यथा 31.03.2017 को शेष Balance as on 31.03.2017 in HTM category	बही मूल्य (₹ करोड़ में) Book value (₹ in crore)
सीजी प्रतिभूतियां में निवेश / Investment in CG Securities	48,688.80
एसजी प्रतिभूतियां में निवेश / Investment in SG Securities	14,040.69
एसएएसएफ शेष / SASF balance	4,055.75
शेयर इक्विटी / Shares Equity	702.03
उद्यम पूंजी / Venture Capital	41.46
कुल / Total	**67,528.73**

जुलाई 2017 माह में प्रतिभूतियों का अंतरण Shifting of securities in the month of July 2017	बही मूल्य (₹ करोड़ में) Book value (₹ in crore)
सीजी प्रतिभूतियां एचटीएम से एएफएस / CG Securities HTM to AFS	6755.47
कुल / Total	**6755.47**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

दिसंबर 2017 माह में प्रतिभूतियों का अंतरण Shifting of securities in the month of December 2017	बही मूल्य (₹ करोड़ में) Book value (₹ in crore)
सीजी प्रतिभूतियां एचटीएम से एएफएस / CG Securities HTM to AFS	1385.02
कुल / Total	**1385.02**

फरवरी 2018 माह में प्रतिभूतियों का अंतरण Shifting of securities in the month of February 2018	बही मूल्य (₹ करोड़ में) Book value (₹ in crore)
सीजी प्रतिभूतियां एचटीएम से एएफएस / CG Securities HTM to AFS	1472.71
एसजी प्रतिभूतियां एचटीएम से एएफएस / SG Securities HTM to AFS	**645.23**
कुल / Total	**2117.94**

एचटीएम श्रेणी से ओएमओ बिक्री (रिज़र्व बैंक द्वारा पुन: खरीद) OMO sale from HTM category – (Repurchase by RBI)	बही मूल्य (₹ करोड़ में) Book value (₹ in crore)
15.03.2018	530.46
कुल / Total	**530.46**

एचटीएम श्रेणी से प्रतिभूति की बिक्री Sale of security from HTM category	बही मूल्य (₹ करोड़ में) Book value (₹ in crore)
मई 2017 / May 2017	536.08
जून 2017 / June 2017	1307.06
जुलाई 2017 / July 2017	576.09
मार्च 2018 / March 2018	931.32
कुल / Total	**3350.55**

यथा 31.03.2018 को एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत स्टॉक निम्नानुसार है:
The stock under HTM category as on 31.03.2018 is as under :

	बही मूल्य (₹ करोड़ में) Book Value (₹ in crore)	बाजार मूल्य (₹ करोड़ में) Market value (₹ in crore)	मूल्यवृद्धि/ मूल्यह्रास (₹ करोड़ में) Appreciation / Depreciation (₹ in crore)
सीजी प्रतिभूति / CGovsec	36428.64	35714.54	(714.10)
एसजी प्रतिभूति / SGovsec	11610.52	11742.72	132.20
एसएएसएफ / SASF	3548.75	3548.75	0
विशिष्ट गैर- अंतरणीय जीओआई बांड Special Non Transferrable GOI bonds	7881.00	7881.00	0
इक्विटी / Equity	**690.03**	**988.78**	**298.75**
उद्यम पूंजी / Venture Capital	32.78	32.78	0
कुल / Total	**60191.72**	**59908.57**	**(283.15)**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

रिज़र्व बैंक के दिनांक 4 अक्तूबर 2017 के परिपत्र डीबीआर.सं. आरईटी. बीसी.90/12.02.001/2017-18 के अनुसार, बैंकों को एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत एसएलआर प्रतिभूतियों पर सीमा को 31 मार्च 2018 तक क्रमिक रूप से घटाकर एनडीटीएल का 20.50 प्रतिशत से 19.50 प्रतिशत करने अर्थात् 31 दिसंबर 2017 को 20 % करने और 31 मार्च 2018 को 19.50% करने के लिए सूचित किया गया था. तदनुसार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार ₹ 3502.96 करोड़ बही मूल्य की एसएलआर प्रतिभूतियों को एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में अंतरित किया है.

In In terms of RBI circular DBR.No.Ret.BC.90/12.02.001/2017-18 dated 4th October 2017, the banks were advised to bring down the ceiling on SLR securities under the HTM category from 20.50% of NDTL to 19.50 % by 31st March, 2018 in a graduated manner i.e. 20% by 31st December, 2017 and 19.50% by 31st March, 2018. Accordingly, during the current financial year the Bank has transferred SLR securities with book value of ₹ 3502.96 crores from HTM category to AFS category as per the extant RBI guidelines

VII. एसजीएल बाऊंसिंग की घटना पर प्रकटन / Disclosure on instance of SGL bouncing

समाप्त वर्ष / Year	एसजीएल बाऊंसिंग की तारीख से Date of bouncing SGL form	एसजीएल बाऊंसिंग की राशि (₹ करोड़ में) Amount of Bouncing of SGL (₹ in crore)	टिप्पणी / Remarks
2017-18 (वर्तमान वर्ष) 2017-18 (Current year)	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
2016-17 (पिछले वर्ष) 2016-17 (Previous year)	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil

VIII. डेरिवेटिव / Derivatives

1 वायदा दर करार/ ब्याज दर स्वैप / Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं. S. No.	विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2018 As at March 31, 2018 हेज स्वैप Hedge Swaps	यथा 31 मार्च 2018 As at March 31, 2018 ट्रेडिंग स्वैप Trading Swaps	यथा 31 मार्च 2017 As at March 31, 2017 हेज स्वैप Hedge Swaps	यथा 31 मार्च 2017 As at March 31, 2017 ट्रेडिंग स्वैप Trading Swaps
(i)	स्वैप करारों का आनुमानिक मूलधन* The notional principal of swap agreements*	8,298.95	15,217.07	11,586.53	18,809.06
(ii)	करारों के अंतर्गत यदि काउंटर पार्टियां अपने दायित्वों के निर्वहन में असफल होती हैं तो उसके कारण होनेवाली हानियां Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	0.00	97.75	3.51	84.90
(iii)	स्वैप निष्पादित करने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति Collateral required by the Bank upon entering into swaps	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv)	स्वैप से उत्पन्न होनेवाले ऋण जोखिम का संकेद्रण (नीचे (क) देखें) Concentration of credit risk arising from the swaps (refer (a) below)	0.00	0.00	0.00	0.00
(v)	स्वैप बुक का उचित मूल्य The fair value of the swap book	(130.97)	(2.87)	(71.83)	(2.73)

* इसमें समुद्रपारीय शाखा के आंकड़े भी शामिल हैं
*It include overseas branches also

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

क. 31 मार्च 2018 को 5 शीर्ष कॉरपोरेट ग्राहकों का ऋण जोखिम का संकेन्द्रण (बैंक के लिए वर्तमान ऋण एक्सपोजर) बैंक के कॉरपोरेट ग्राहकों से कुल वर्तमान ऋण एक्सपोजर का 100% (100%)है.

a. Concentration of credit risk (Current exposure to the Bank) to top 5 corporate clients as at March 31, 2018 is at 100% (100%) of the total current exposure from Corporate Clients to the Bank.

ख. यथा 31 मार्च 2018 को स्वैप का स्वरूप और शर्तें निम्नानुसार हैं.

b. The nature and terms of the Swap as on March 31, 2018 are set out below:

स्वरूप Nature	संख्या No.	आनुमानिक मूलधन (₹ करोड़ में) Notional Principal (₹ in crore)	बेंचमार्क Benchmark	शर्तें Terms
ट्रेडिंग Trading	172	4,779.20	मिबोर - ओआईएस MIBOR-OIS	नियत देय बनाम अस्थिर प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	189	5,147.00	मिबोर - ओआईएस MIBOR-OIS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग Trading	13	425.00	मिफोर MIFOR	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	11	275.00	मिफोर MIFOR	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग Trading	3	2,257.23	एसआईआरएस SIRS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	3	2,257.23	एसआईआरएस SIRS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग Trading	1	34.83	सीआईआरएस CIRS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	1	41.58	सीआईआरएस CIRS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
हेज (डीआईएफसी) Hedge (DIFC)	8	8298.95	एसआईआरएस SIRS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

यथा 31 मार्च 2017 को स्वैप का स्वरूप और शर्तें निम्नानुसार हैं:
The nature and terms of the Swaps on March 31, 2017 are set out below :

स्वरूप Nature	संख्या No.	आनुमानिक मूलधन (₹ करोड़ में) Notional Principal (₹ in crore)	बेंचमार्क Benchmark	शर्तें Terms
ट्रेडिंग Trading	182	5,684.62	मिबोर - ओआईएस MIBOR-OIS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	192	5,569.07	मिबोर- ओआईएस MIBOR-OIS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग Trading	21	700.00	मिफोर MIFOR	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	24	650.00	मिफोर MIFOR	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग Trading	7	3,048.58	एसआईआरएस SIRS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	8	3,048.58	एसआईआरएस SIRS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग Trading	1	49.46	सीआईआरएस CIRS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	1	58.75	सीआईआरएस CIRS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
हेज (डीआईएफसी) Hedge (DIFC)	12	11586.53	एसआईआरएस SIRS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable

2. एक्सचेंज में ट्रेड किए जाने वाले ब्याज दर डेरिवेटिव
Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं. Sr. No	विवरण Particulars	कुल TOTAL
(i)	वर्ष के दौरान एक्सचेंज में ट्रेड किये गये ब्याज दर डेरिवेटिव की आनुमानिक मूलधन राशि (लिखत वार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise)	
	क) मुद्रा फ्यूचर a) Currency Futures	13,231.20
	ख) ब्याज दर फ्यूचर b) Interest Rate Future	0.00

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं. Sr. No	विवरण Particulars	कुल TOTAL
(ii)	31 मार्च 2018 को एक्सचेंज में ट्रेड किये गये बकाया ब्याज दर डेरिवेटिव की आनुमानिक मूलधन राशि (लिखत वार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on March 31,2018 (instrument wise)	
	क) मुद्रा फ्यूचर a) Currency Futures	1078.82
	ख) ब्याज दर फ्यूचर b) Interest Rate Future	0.00
(iii)	एक्सचेंज में ट्रेड किये गये बकाया ब्याज दर डेरिवेटिव तथा जो ''उच्च रूप से प्रभावी'' नहीं हैं, की आनुमानिक मूलधन राशि (लिखत वार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument wise)	
	क) मुद्रा फ्यूचर a) Currency Futures	0.00
	ख) ब्याज दर फ्यूचर b) Interest Rate Future	0.00
(iv)	एक्सचेंज में ट्रेड किये गये बकाया तथा जो ''उच्च रूप से प्रभावी'' नहीं हैं, ब्याज दर डेरिवेटिव का मार्क-टू-मार्केट मूल्य (लिखत वार) Mark-to market value of exchange traded interest derivatives outstanding and not “highly effective” (instrument wise)	
	क) मुद्रा फ्यूचर a) Currency Futures	0.00
	ख) ब्याज दर फ्यूचर b) Interest Rate Future	0.00

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

3. डेरिवेटिव में ऋण जोखिम का प्रकटन - गुणात्मक प्रकटन
Disclosures on risk exposure in derivatives- Qualitative disclosures

(i) बैंक हेजिंग साथ ही, ट्रेडिंग उद्देश्यों के लिए डेरिवेटिव का इस्तेमाल करता है. ऐसे डेरिवेटिव के इस्तेमाल से विभिन्न जोखिमों जैसे ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन संबंधी जोखिम, विधिक जोखिम आदि बढ़ जाते हैं.

The Bank uses derivatives for Hedging as well as for Trading purposes. The use of such derivatives gives rise to various risks like credit risk, market risk, operational risk, legal risk etc.

(ii) बैंक के पास इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए एक सुव्यवस्थित ढांचा है जिसमें जोखिम नीति, जोखिम प्रबंधन संगठन, जोखिम आकलन और निगरानी प्रक्रिया, सीमा संरचना तथा प्रणालीगत बुनियादी संरचना शामिल हैं. बैंक में एक स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन विभाग है जिसके प्रमुख मुख्य महा प्रबंधक हैं जिन्हें मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है. जोखिम प्रबंध समूह, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट नीतियों, प्रक्रियाओं, मानदंडों और सीमाओं तथा लागू विनायमक दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम के आकलन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए कार्यात्मक रूप से जिम्मेदार है. आस्ति देयता प्रबंध समिति के समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत जोखिम का प्रबंध किया जाता है और इसकी रिपोर्टिंग बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति और बोर्ड को नियमित रूप से की जाती है.

The Bank has a well defined structure to manage these risks, consisting of risk policy, risk management organization, risk measurement and monitoring process, limit structure and system infrastructure. The Bank has an independent Risk Management Department, headed by a Chief General Manager designated also as Chief Risk Officer. The Risk Management Group is functionally responsible for measurement, monitoring and reporting of risks in accordance with the policies, processes, parameters and limits defined by the Board as well as the applicable regulatory guidelines. Risk is managed under the overall supervision of Asset Liability Management Committee with regular reporting to Risk Management Committee of the Board as well as to the Board.

(iii) ऋण जोखिम, बाजार जोखिम परिचालन तथा विधिक जोखिम पर नियंत्रण करने के लिए संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों ही अर्थों में डेरिवेटिव लेन-देनों में ऋण जोखिम का आकलन/मूल्यांकन किया जाता है. डेरिवेटिव क्रय-विक्रय करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि ग्राहक/दूसरे पक्ष को ऋण समतुल्य जोखिम (एलईआर) के अर्थ में आकलित ऋण जोखिम, अनुमोदित सीमा के भीतर हो तथा ग्राहक/दूसरे पक्ष को लेन-देन की आवश्यक समझ हो. बाजार जोखिम का आकलन और प्रबंध स्थितियों, समय-सीमा अथवा अवधि, बाजार दरों के प्रति संवेदनशीलता, अंतराल, ग्रीक्स, हानि-रोध आदि उपायों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है. पर्याप्त प्रणालीगत बुनियादी संरचना और नियंत्रण प्रणाली को व्यवस्थित रखकर परिचालनगत जोखिमों का समाधान किया जाता है. आवश्यक विधिक करारों के निष्पादन और दस्तावेजीकरण के जरिये विधिक जोखिमों का ध्यान रखा जाता है.

Risk exposures in derivatives transactions are measured/ assessed, in both quantitative and qualitative terms, to capture credit risk, market risk and operational & legal risk. Prior to the execution of derivative transaction, it is ensured that credit risk exposure to the client/counterparty, measured in terms of Loan Equivalent Risk (LER), is within the approved limit and the client/counterparty has the necessary understanding of the transaction. Market risk exposure is measured and managed in terms of positions, duration or tenor, sensitivities to market rates, gaps, greeks, stop loss etc. Operational risks are addressed by having adequate system infrastructure and control mechanism in place. Legal risks are taken care of by execution of necessary legal agreements and documentation.

(iv) डेरिवेटिव के लिए लेखांकन नीति रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई है, जिसके विवरण अनुसूची सं.17 ‘‘बैंक की उल्लेखनीय लेखा नीतियां’’ में दिये गए हैं.

The accounting policy for derivatives has been drawn up in accordance with RBI guidelines, the details of which are contained in Schedule No.17 "Significant Accounting Policies of the Bank".

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

4. डेरिवेटिव में ऋण जोखिम का प्रकटन - मात्रात्मक प्रकटन
Disclosures on risk exposure in derivatives- Quantitative disclosures

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	चालू वर्ष (मार्च 2018) Current Year (MAR 2018)		पिछला वर्ष (मार्च 2017) Previous Year (MAR 2017)	
		मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives	मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives
(i)	डेरिवेटिव (आनुमानिक मूलधन राशि) Derivatives (Notional Principal Amt)				
	(क) हेजिंग के लिए a) For hedging	30.77	8298.95	35.17	11586.53
	(ख) ट्रेडिंग के लिए b) For trading	10197.86	15217.07	15509.36	18809.06
(ii)	मार्क्ड-टू-मार्केट पोजीशन (1) Marked to Market Positions (1)				
	(क) आस्तियां (+) a) Asset(+)	601.89	97.75	834.74	88.41
	(ख) देयताएं (-) b) Liability (-)	(596.81)	(231.59)	(827.13)	(162.97)
(iii)	ऋण जोखिम (2) Credit Exposure (2)				
	(क) हेजिंग डेरिवेटिव पर (a) On hedging derivatives	7.25	76.25	8.26	114.41
	(ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर (b) On trading derivatives	1,420.26	250.65	1935.16	330.28
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100* पीवी01) Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	(क) हेजिंग डेरिवेटिव पर a) on hedging derivatives	0.90	130.67	1.14	240.82
	(ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर b) on trading derivatives	0.01	3.39	0.17	0.85
(v)	वर्ष के दौरान पाये गये 100*पीवी01 के अधिकतम एवं न्यूनतम Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
	क) हेजिंग पर a) on hedging				
	- अधिकतम - Maximum	1.11	229.03	1.31	408.84
	- न्यूनतम - Minimum	0.90	130.67	1.03	240.82

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	चालू वर्ष (मार्च 2018) Current Year (MAR 2018)		पिछला वर्ष (मार्च 2017) Previous Year (MAR 2017)	
		मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives	मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives
	ख) b) ट्रेडिंग पर on trading				
	- अधिकतम - Maximum	2.74	10.94	1.26	11.95
	- न्यूनतम - Minimum	0.00642	0.1231	0.02167	0.1076

*चूंकि संव्यवहार, आस्ति-देयता पोर्टफोलियो में ब्याज दर और मुद्रा विनिमय दर से जुड़े जोखिमों से बचाव व्यवस्था के लिए किए जाते हैं, अत: बैंक अधिकतम और न्यूनतम 100*पीवी01 की गणना दैनिक आधार पर नहीं करता है.

*Since the transaction are undertaken to hedge the interest rate and currency risks in the asset-liability portfolio, the bank is not calculating the maximum and minimum of 100*PV01 on daily basis.

5. बैंक को नेट ओवरनाइट ओपन पोजिशन (नूप) के लिए 16 अक्टूबर 2017 से ₹ 400 करोड़ की बोर्ड द्वारा सीमा अनुमोदित की गई है. (पहले यह सीमा ₹ 300 करोड़ थी). वर्ष के दौरान ओपन पोजिशन अनुमोदित सीमा के अधीन रही व औसत उपयोगिता ₹ 237.51 करोड़ रही. अधिकतम उपयोग 28 फरवरी 2018 को ₹ 313.86 करोड़ का रहा.

   The Bank has Board approved limit for Net Overnight Open Position (NOOP) fixed at ₹ 400 crore w.e.f from October 16, 2017 (earlier limit ₹ 300 crore). During the year the open position was within the approved limit and the average utilization was ₹ 237.51 crore. The maximum utilization during the year was at ₹ 313.86 crore on February 28, 2018.

IX आस्ति गुणवत्ता
Asset Quality

1. अनर्जक आस्ति (ऋण तथा अग्रिम, उन पर उपचित ब्याज)
Non-Performing Asset (Loans & Advances, interest accrued thereon)

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं. Sr. No.	मदें / Items	यथा 31 मार्च 2018 As at March 31, 2018	यथा 31 मार्च 2017 As at March 31, 2017
(i)	निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए (%) Net NPAs to Net Advances (%)	16.69	13.21
(ii)	एनपीए में उतार - चढ़ाव (सकल) Movement of NPAs (Gross)		
	(क) (a) प्रारंभिक शेष Opening Balance	44752.59	24875.07
	(ख) (b) वर्ष के दौरान परिवर्धन Addition during the year	38351.09	27595.02
	(ग) (c) वर्ष के दौरान कमी Reduction during the year	27515.43	7717.50
	(घ) (d) अंतिम शेष Closing balance	55588.25	44752.59

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं. Sr. No.	मदें / Items		यथा 31 मार्च 2018 As at March 31, 2018	यथा 31 मार्च 2017 As at March 31, 2017
(iii)	**निवल एनपीए में उतार - चढ़ाव** **Movement of Net NPAs**			
	(क) (a)	प्रारंभिक शेष Opening Balance	25205.80	14643.39
	(ख) (b)	वर्ष के दौरान परिवर्धन Addition during the year	10595.16	12160.93
	(ग) (c)	वर्ष के दौरान कमी/पुनर्वर्गीकरण Reduction / Reclassification during the year	7135.82	1598.52
	(घ) (d)	अंतिम शेष Closing balance	28665.14	25205.80
(iv)	**एनपीए के लिए प्रावधानों में घट-बढ़** **Movement of provisions for NPAs**			
	(मानक आस्तियों के लिए प्रावधानों को छोड़कर) (excluding provisions on standard assets)			
	(क) (a)	प्रारंभिक शेष Opening Balance	19546.79	10231.68
	(ख) (b)	वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान Provisions made during the year	27755.93	15434.10
	(ग) (c)	बट्टे खाते डाले गये/पुनरांकित अतिरिक्त प्रावधान Write-off / write back of excess provision	20379.60	6118.99
	(घ) (d)	अंतिम शेष Closing balance	26923.12	19546.79
(v)	**रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार परिकलित प्रावधानीकरण व्याप्ति अनुपात** **Provisioning Coverage Ratio computed in accordance with the RBI guidelines**		**63.40%**	**54.96%**

IDBI BANK

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

2. यथा दिनांक 31 मार्च 2018 के अनुसार पुनर्संरचित खातों के प्रकटन/ Disclosure of Restructured Accounts As on 31st March, 2018

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

क्र.सं. Sr. No.	पुनर्संरचना का प्रकार / Type of Restructuring → आस्ति का वर्गीकरण / Asset Classification → विवरण/ Details ↓		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत Under CDR Mechanism					एसएमई ऋण पुनर्संरचित प्रणाली के अंतर्गत Under SME Debt Restructuring Mechanism					अन्य/ Others					कुल/Total				
			मानक Standard	अवमानक Sub-Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
1	01 अप्रैल 2016 को पुनर्संरचित खाते (आरंभिक आंकड़े)* Restructured Accounts as on 1 April 2016 (opening figures)*	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	27	1	33	0	61	-	-	-	-	-	74	9	171	1	255	101	10	204	1	316
		बकाया राशि Amount outstanding	3296.13	0.15	3287.22	0.00	6583.50	-	-	-	-	-	9047.40	614.56	7343.16	1.26	17006.38	12343.53	614.71	10630.38	1.26	23589.88
		उस पर प्रावधान[3] Provision thereon[3]	8.77	0.00	56.45	0.00	65.22	-	-	-	-	-	35.67	1.02	4.73	0.00	41.42	44.44	1.02	61.18	0.00	106.64
2	वर्ष के दौरान नए पुनर्संरचित Fresh restructuring during the year	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	281	6	5	0	292	281	6	5	0	292
		बकाया राशि Amount outstanding	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	2.98	0.08	19.87	0.00	22.93	2.98	0.08	19.88	0.00	22.93
		उस पर प्रावधान[3] Provision thereon[3]	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में उन्नयन Upgradations to restructured standard category during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	1	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	4	(3)	(1)	-	-	5	(3)	(2)	-	-
		बकाया राशि Amount outstanding	16.96	-	(16.96)	-	-	-	-	-	-	-	95.29	(92.56)	(2.73)	-	-	112.25	(92.56)	(19.69)	-	-
		उस पर प्रावधान[3] Provision thereon[3]	2.18	-	(2.18)	-	-	-	-	-	-	-	0.73	(0.73)	0.00	-	-	2.91	(0.73)	(2.18)	-	-
4	पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिस पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उच्च प्रावधानीकरण और/ अथवा जोखिम भार लगना बंद हो गया, अतः इन्हें अगले वित्तीय वर्ष के आरंभ में पुनर्संरचित मानक अग्रिमों के रूप में दिखाया जाना आवश्यक नहीं है Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	0				0	-				-	0				0	0				0
		बकाया राशि Amount outstanding	0.00				0.00	-				-	0.00				0.00	0.00				0.00
		उस पर प्रावधान[3] Provision thereon[3]	0.00				0.00	-				-	0.00				0.00	0.00				0.00
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों को डाउन ग्रेड करना[1] Downgradations of restructured accounts during the FY[1]	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	(8)	2	5	1	-	-	-	-	-	-	(17)	4	13	0	-	(25)	6	18	1	-
		बकाया राशि Amount outstanding	(1683.46)	50.53	1600.33	32.61	-	-	-	-	-	-	(4584.16)	2306.98	2277.18	0.00	-	(6267.62)	2357.51	3877.51	32.61	-
		उस पर प्रावधान[3] Provision thereon[3]	(4.10)	1.59	2.51	0.00	-	-	-	-	-	-	(6.10)	0	6.10	0.00	-	(10.20)	1.59	8.61	0.00	-
6	वित्तीय वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए पुनर्संरचित खाते Write-offs of restructured accounts during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	1	0	15	0	16	-	-	-	-	-	0	0	15	0	15	1	0	30	0	31
		बकाया राशि Amount outstanding	38.92	0.00	1704.74	0.00	1743.65	-	-	-	-	-	-	0.00	526.40	0.00	526.40	38.92	0.00	2231.14	0.00	2270.05
7	वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को पुनर्संरचित खाते (अंतिम आकड़े*)[2] Restructured Accounts as on March 31 of the FY (closing figures*)[2]	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	18	2	18	1	39	-	-	-	-	-	330	14	110	58	512	348	16	128	59	551
		बकाया राशि Amount outstanding	1294.41	50.53	2318.61	32.61	3696.16	-	-	-	-	-	3539.13	2340.33	10832.87	69.42	16781.75	4833.54	2390.86	13151.48	102.03	20477.91
		उस पर प्रावधान[3] Provision thereon[3]	42.54	1.59	8.28	0.00	52.41	-	-	-	-	-	56.66	0.02	11.15	0.00	67.83	99.20	1.61	19.43	0.00	120.24

* मानक पुनर्संरचित अग्रिम जिन पर उच्चतर प्रावधानीकरण या जोखिम भार नहीं लगता है, के आंकड़ों को छोड़कर (यदि लागू हो).

* Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable).

1 उपर्युक्त डाउनग्रेडेशन मानक से अवमानक/ संदिग्ध/ हानि श्रेणी में किया गया है. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान सीडीआर के तहत ₹ 1683.46 करोड़ की बकाया राशि वाले 8 मामले और सीडीआर के अलावा अन्य के तहत ₹ 4584.16 करोड़ के 17 मामले डाउनग्रेड किए गए.
Downgradations mentioned above are from Standard to Sub Standard / Doubtful /Loss Category. 8 cases with outstanding ₹ 1683.46 Crore under CDR and 17 cases with outstanding ₹ 4584.16 Crore other than CDR were downgraded during the FY 2017-18 .

2 ₹ 3363.65 करोड़ के 72 मामले बट्टे खाते में डाले गए/ वापस लिए गए/ चुकाए गए/ पुनर्संरचना असफल हुई/ एओडी की गई. आदि 31 मार्च 2018 को मौजूदा मामलों में परिवर्तन तथा मौजूदा मामलों में वृद्धि/ या हटाने से बकाया राशि में ₹ 228.75 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है.
72 Cases with outstanding ₹ 3363.65 Crore were Witten off / reyoked / repaid / restructuring failed / AOD etc . There is net increase in outstanding balance of ₹ 228.75 Crore due to movement in balances in existing cases and additions / removal of accounts of existing cases as on 31st March 2018.

3 प्रावधान केवल उचित मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान को प्रतिबिंबित करता है.
Provision thereon represents only provision made for diminution in fair value.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

3. **रिज़र्व बैंक के 10 नवंबर 2016 के परिपत्र रिज़र्व बैंक/2016-17/122 डीबीआर.सं.बीपी. बीसी.34 / 21.04.132/2016-17 के अनुसार प्रकटन**
Disclosures as per RBI circular RBI/2016-17/122 DBR.No.BP.BC.34/21.04.132/2016-17 dated November 10, 2016

i. **मौजूदा ऋणों की लचीली संरचना पर प्रकटन**
Disclosures on Flexible Structuring of Existing Loans

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

अवधि Period	लचीली संरचना के लिए गणना में लिए गए उधारकर्ताओं की सं. No. of borrowers taken up for flexibly structuring	लचीली संरचना हेतु गणना में लिये गए ऋणों की राशि Amount of loans taken up for flexible structuring		लचीली संरचना हेतु गणना में लिये गए ऋणों की एक्सपोजर भारित औसत अवधि Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
		मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	लचीली संरचना करने से पूर्व Before applying flexible structuring	लचीली संरचना करने के बाद After applying flexible structuring
वित्तीय वर्ष FY 2017-18	04	1767.25	733.85	10.20 वर्ष / Yrs.	19.49 वर्ष / Yrs.
वित्तीय वर्ष FY 2016-17	09	3394.18	-	10.91 वर्ष / Yrs.	15.75 वर्ष / Yrs.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

ii. **रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना पर प्रकटन (ऐसे खाते जो वर्तमान में गतिरोध अवधि के अंतर्गत हैं)**
Disclosures on Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

ऐसे खातों की संख्या जिनमें एसडीआर की सहायता ली गई है. No. of accounts where SDR has been invoked	रिपोर्टिंग की तारीख को बकाया राशि (एफबी मूलधन राशि) Amount outstanding as on the reporting date (FB principal balance)		ऐसे खातों के संबंध में रिपोर्टिंग की तारीख को बकाया राशि जिनमें ऋण का इक्विटी में रूपांतरण लंबित है (एफबी मूलधन शेष) Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending (FB principal balance)		ऐसे खातों के संबंध में रिपोर्टिंग की तारीख को बकाया राशि जिनमें ऋण का इक्विटी में रूपांतरण हो गया है (एफबी मूलधन शेष) Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place (FB principal balance)	
	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil

iii. **कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन के संबंध में प्रकटन (ऐसे खाते जो वर्तमान में गतिरोध अवधि के अधीन हैं)**
Disclosures on Change in Ownership of Projects Under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period)

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

परियोजना ऋण खातों की संख्या जहां बैंकों ने स्वामित्व में परिवर्तन का निर्णय लिया है No. of project loan accounts where banks have decided to effect change in ownership	रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		
	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard	पुनर्संरचित मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard restructured	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

iv. **दबावग्रस्त आस्तियों की वहनीय संरचना हेतु योजना का प्रकटन**
Disclosures on Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

खातों की संख्या जहां एस4ए योजना लागू है Number of Accounts-where S4A scheme has been applied	कुल बकाया राशि Aggregate Amount O/s	बकाया राशि Amount O/s		31 मार्च 2018 के अनुसार किया गया प्रावधान Provision held as on March 31, 2018
		भाग ए में In Part A	भाग बी में In Part B	
मानक के रूप में वर्गीकृत / Classified as standard				
08	2368.2	1944.40	826.3	159.43

v. **कार्यान्वित समाधान योजना के संबंध में बैंक, 'लेखा टिप्पणियों' के अंतर्गत, अपने वित्तीय विवरणों का उचित रूप में प्रकटन करेगा. (संदर्भ: पैरा- 16/ रिज़र्व बैंक का दिनांक 12 फरवरी 2018 का परिपत्र आरबीआई/ 2017-18/131/डीबीआर. सं. बीपी.बीसी.101/21.04.048/2017-18, ''दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान- संशोधित ढांचा''):**
Banks shall make appropriate disclosures in their financial statements, under 'Notes on Accounts', relating to resolution plans implemented (ref: Para-16/ RBI Circular dtd february 12, 2018-RBI/2017-18/131/DBR.No.BP.BC.101/21.04.048/2017-18-"Resolution of Stressed Assets – Revised Framework"):

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

खातों की संख्या Number of accounts	31.03.2018 को बकाया राशि O/s Balance As on 31.03.2018	31.03.2018 को आईआरएसी स्थिति IRAC status a/o 31.03.2018	धारित प्रावधान, यदि कोई हो Provision held, if any	लागू की गई समाधान योजना का ब्योरा Details Resolution plan implemented
01	₹ 1939.70 करोड़ ₹ 1939.70 cr	मानक standard	₹ 510.72 करोड़# ₹ 510.72 crore #	नए प्रबंधन के अंतर्गत वर्तमान ऋण के प्रबंधन और पुनर्वित्त में बदलाव Change in Management and Refinancing of the Existing Debt under the New Management.

(i) 31 मार्च 2018 के अनुसार ₹ 501.09 करोड़ (आरटीएल एवं सीसी) की बकाया वित्त पोषण देयताओं पर 15% की दर से ₹ 75.16 करोड़ का प्रावधान किया जाना है.
₹ 75.16 crore @ 15% to be made on the outstanding funded liability of ₹ 501.09 crore (RTL & CC) as on March 31, 2018.

(ii) बांड और डिबेंचर पर ₹ 145.50 करोड़ और अधिमानी शेयरों पर ₹ 290.06 करोड़

₹ 145.50 crore on Bonds and Debentures & ₹ 290.06 crore on Pref Shares

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

4. वर्ष के दौरान खरीदी/बेची गयी पीएसएलसी (श्रेणी-वार) का ब्योरा
Details of PSLCs (category-wise) purchased/sold during the year

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

पीएसएलसी श्रेणी PSLC Category	खरीदी गयी राशि Purchased Amount	बेची गयी राशि Sold amount
पीएसएलसी छोटे व सीमांत किसान (एसएफएमएफ) PSLC-Small & Marginal farmers (SFMF)	6289.50	शून्य / Nil
पीएसएलसी - कृषि / PSLC-Agriculture	शून्य / Nil	शून्य / Nil
पीएसएलसी - सामान्य / PSLC-General	शून्य / Nil	शून्य / Nil
पीएसएलसी - सूक्ष्म उद्यम / PSLC-Micro Enterprises	शून्य / Nil	शून्य / Nil
कुल / Total	**6289.50**	**शून्य / Nil**

5. **प्रतिभूति रसीदों में किए गए निवेशों का प्रकटन -**
Disclosure of Investment in SRs –

रिजर्व बैंक के दिनांक 1 सितंबर 2016 के परिपत्र आरबीआई/2016/17/56 डीबीआर.सं. बीपी.बीसी.9/21.04.048/2016-17 के अनुसार प्रतिभूति रसीदों में बैंकों द्वारा किए गए निवेशों से संबंधित प्रकटन निम्नानुसार हैं.
The following disclosures pertaining to investments in security receipts by the Bank as per RBI Circular RBI/2016-17/56 DBR.No.BP.BC.9/21.04.048/2016-17 dated September 1, 2016 is shown below.

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण/ Particulars	पिछले 5 वर्षों के भीतर जारी किए गए एसआर SRs issued within past 5 years	5 वर्ष से ज्यादा समय पहले किन्तु पिछले 8 वर्षों के अंदर जारी किए गए एसआर SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	8 वर्ष से ज्यादा समय पहले जारी किए गए एसआर SRs issued more than 8 years ago	कुल Total
(i) बैंक द्वारा निम्नानुसार बेचे गए एनपीए समर्थित एसआर का बही मूल्य Book value of SRs backed by NPAs sold by the bank as underlying	718.56	6.00	617.89	1342.45
(i) के प्रति धारित प्रावधान Provision held against (i)	280.96	6.00	617.89	904.85
(ii) अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा निम्नानुसार बेचे गए एनपीए समर्थित एसआर का बही मूल्य Book value of SRs backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non-banking financial companies as underlying	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
(ii) के प्रति धारित प्रावधान Provision held against (ii)	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
कुल / Total (i) + (ii)	**718.56**	**6.00**	**617.89**	**1342.45**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

6. आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा
Details of financial assets sold to Securitisation/Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण/ Particulars	31 मार्च 2018 वर्ष के लिए For the year March 31, 2018	31 मार्च 2017 वर्ष के लिए For the year March 31, 2017
(i)	खातों की संख्या/ No. of Accounts	7	9
(ii)	एस सी / आर सी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	35.86	75.17
(iii)	समग्र प्रतिफल / Aggregate Consideration	109.48	95.13
(iv)	पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संदर्भ में वसूल किए गए अतिरिक्त प्रतिफल Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	3.65	15.60
(v)	निवल बही मूल्य पर समग्र लाभ /(हानि) Aggregate gain/(loss) over net book value	73.62	19.96

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण/ Particulars	बैंक द्वारा निम्नानुसार बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित Backed by NPAs sold by the Bank as underlying		अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थाओं / गैर-वित्तीय संस्थाओं कंपनियों द्वारा निम्नानुसार बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित Backed by NPAs sold by other Banks/ financial institutions/ non-Banking financial companies as underlying		कुल/ Total	
	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year
प्रतिभूति रसीदों में निवेशों का बही मूल्य Book value of investments in security receipts	1301.63	1342.45	-	-	1301.63	1342.45

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

7. अन्य बैंक से खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा
Details of non-performing financial assets purchased from other Bank

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्र. सं. Sr. No.		मदें/ Items	31 मार्च 2018 March 31, 2018	31 मार्च 2017 March 31, 2017
(i)	(क) (a)	वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की सं. No. of accounts purchased during the year	-	-
	(ख) (b)	कुल बकाया राशि Aggregate outstanding	-	-
(ii)	(क) (a)	इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की संख्या Of these, number of accounts restructured during the year	-	-
	(ख) (b)	कुल बकाया राशि Aggregate outstanding	-	-

8. अन्य बैंक को बेची गईं अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा
Details of non-performing financial assets sold to other Bank

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्र. सं. Sr. No.	मदें/Items	31 मार्च 2018 March 31, 2018	31 मार्च 2017 March 31, 2017
(i)	बेचे गए खातों की संख्या / No. of accounts sold	1	1
(ii)	कुल बकाया राशि / Aggregate outstanding	2042.72	36.95
(iii)	प्राप्त कुल प्रतिफल/Aggregate consideration received	1426.00	8.50

9. मानक आस्तियों के लिए प्रावधान
Provision on Standard Asset

(₹ करोड़) (₹ in crore)

मदें/Items	31 मार्च 2018 March 31, 2018	31 मार्च 2017 March 31, 2017
वर्ष के लिए मानक आस्तियों हेतु प्रावधान Provisions towards Standard Assets for the year	(1133. 08)	(351.60)

10. रिज़र्व बैंक के दिनांक 13 जून 2016 के परिपत्र आरबीआई/ 2015-16/423 डीबीआर.सं बीपी.बीसी.102/ 21.04.048/2015-16 के अनुसार, बैंक ने एससी/आरसी को एनपीए की बिक्री में कमी को पूरा करने के लिए वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान की मात्रा तथा वर्ष की समाप्ति पर 'अन्य आरक्षित निधियों' में नामे किए गए अपरिशोधित प्रावधान की मात्रा से संबंधित लेखा टिप्पणियों में निम्नलिखित प्रकटन किया है.

As per RBI Circular RBI/2015-16/423 DBR.No.BP.BC.102/21.04.048/2015-16 dated June 13, 2016 Bank has made the following disclosure in Notes to Accounts with regard to the quantum of provision made during the year to meet the shortfall in sale of NPAs to SCs/RCs and the quantum of unamortised provision debited to 'other reserves' as at the end of the year.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

क) एससी/आरसी को एनपीए की बिक्री में कमी को पूरा करने के लिए वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान की मात्रा - शून्य
a) quantum of provision made during the year to meet the shortfall in sale of NPAs to SCs/RCs- Nil

ख) वर्ष की समाप्ति पर 'अन्य आरक्षित निधियों' में नामे किए गए अपरिशोधित प्रावधान की मात्रा - शून्य
b) quantum of unamortised provision debited to 'other reserves' as at the end of the year.- Nil

11. **आस्ति वर्गीकरण में विचलन तथा एनपीए के लिए प्रावधानीकरण - (संदर्भ डीबीआर.बीपी.बीसी.सं. 63/21.04.018/2016-17 दिनांक 18 अप्रैल 2017)**
Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs – (ref DBR.BP.BC.No.63/21.04.018/2016-17 dated April 18, 2017)

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	राशि Amount
1	यथा 31 मार्च 2017 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया सकल एनपीए Gross NPAs as on March 31, 2017 as reported by the bank	4 47 52.59
2	यथा 31 मार्च 2017 को रिज़र्व बैंक द्वारा आकलित सकल एनपीए Gross NPAs as on March 31, 2017 as assessed by RBI	5 50 34.49
3	सकल एनपीए में विचलन (2-1) Divergence in Gross NPAs (2-1)	1 02 81.90
4	यथा 31 मार्च 2017 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया निवल एनपीए Net NPAs as on March 31, 2017 as reported by the bank	2 52 05.80
5	यथा 31 मार्च 2017 को रिज़र्व बैंक द्वारा आकलित निवल एनपीए Net NPAs as on March 31, 2017 as assessed by RBI	3 10 23.60
6	निवल एनपीए में विचलन (5-4) Divergence in Net NPAs (5-4)	58 17.80
7	यथा 31 मार्च 2017 को बैंक द्वारा एनपीए के लिए रिपोर्ट किए गए प्रावधान Provisions for NPAs as on March 31, 2017 as reported by the bank	1 95 46.79
8	यथा 31 मार्च 2017 को रिज़र्व बैंक द्वारा आकलित एनपीए के लिए प्रावधान Provisions for NPAs as on March 31, 2017 as assessed by RBI	2 40 10.89
9	प्रावधानीकरण में विचलन (8-7) Divergence in provisioning (8-7)	44 64.10
10	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट किया गया कर पश्चात् निवल लाभ/ (हानि) Reported Net Profit /(Loss) after Tax for the year ended March 31, 2017	(51 58.14)
11	प्रावधानीकरण में विचलन को गणना में शामिल करने के बाद 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कर पश्चात् समायोजित (आनुमानिक) निवल लाभ /(हानि) # Adjusted (notional) Net Profit/(Loss) after Tax for the year ended March 31, 2017 after taking into account the divergence in provisioning #	(80 77.29)

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए प्रावधानीकरण में विचलन तथा उपर्युक्त वृद्धिशील प्रावधानीकरण पर कर प्रभाव पर विचार करने के बाद कर पश्चात् निवल लाभ /(हानि).
Net Profit/(Loss) after Tax for the year ended March 31, 2017 after considering Divergence in Provisioning and Tax Impact on above incremental provisioning.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

X. कारोबार अनुपात / Business Ratios

क्र. सं. Sr. No.	मदें/ Items	31 मार्च 2018 March 31, 2018	31 मार्च 2017 March 31, 2017
1	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय$ Interest income as a percentage to working funds$	6.87%	7.39%
2	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय Non-interest income as a percentage to working funds	2.09%	1.01%
3	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालनगत लाभ$ Operating profit as a percentage to working funds$	2.36%	1.22%
4	आस्तियों पर प्रतिलाभ@/ Return on assets@	(2.46%)	(1.37%)
5	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा राशियां एवं अग्रिम)# [₹ करोड़ में] Business (Deposits plus advances) per employee# [₹ in crore]	22.77	23.45
6	प्रति कर्मचारी लाभ (हानि) [₹ करोड़ में] Profit/ (loss) per employee [₹ in crore]	(0.47)	(0.28)

$ कार्यशील निधियों की गणना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 27 के तहत फॉर्म X में भारतीय रिजर्व बैंक को वित्तीय वर्ष के 12 माह के दौरान रिपोर्ट किए गए के औसत (संचित हानियों को छोड़कर, यदि कोई हो) तथा दुबई शाखा की कुल आस्तियों के औसत (संचित हानियों को छोड़कर, यदि कोई हों) द्वारा की गई है.

$ Working funds are reckoned as average of total assets (excluding accumulated losses, if any) as reported to Reserve Bank of India in Form X under Section 27 of the Banking Regulation Act, 1949, during the 12 months of the financial year and average of total assets (excluding accumulated losses, if any) of Dubai branch.

@ आस्तियों पर प्रतिफल औसत कार्यशील निधियों (अर्थात् कुल आस्तियां, इनमें संचित हानि, यदि कोई हो, को छोड़कर) के संदर्भ में है.
@ Return on Assets is with reference to average working funds (i.e. total of assets excluding accumulated losses, if any).

प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशियां एवं अग्रिम) की गणना के प्रयोजन से अंतर बैंक जमाराशियां छोड़ दी गई हैं.
For the purpose of computation of business per employee (deposits plus advances) inter Bank deposits are excluded.

XI. एक्सपोजर / Exposure

1. संपदा क्षेत्र को एक्सपोजर
Exposure to Real Estate Sector

(₹ करोड़ में)/ (₹ in crore)

श्रेणी/ Category	31 मार्च 2018 March 31, 2018	31 मार्च 2017 March 31, 2017
1. प्रत्यक्ष एक्सपोजर / Direct exposure		
(क) (a) आवासीय बंधक - Residential Mortgages –		
आवासीय संपत्ति, जो उधारकर्ता के कब्जे में है/होगी या किराये पर दी गई है, पर बंधक द्वारा पूर्णतः प्रतिभूत ऋण Lendings fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	41097.13	35784.09
उपर्युक्त में से ₹ 20 लाख तक के वैयक्तिक ऋण Of above individual having loans uptoRs. 20 Lakh	12941.56	12399.84

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में)/ (₹ in crore)

श्रेणी/ Category		31 मार्च 2018 March 31, 2018	31 मार्च 2017 March 31, 2017
(ख) (b)	वाणिज्यिक संपदा क्षेत्र - Commercial Real Estate –		
	वाणिज्यिक संपदा क्षेत्र पर बंधक द्वारा प्रतिभूत ऋण Lendings secured by mortgages on commercial real estates	4426.30	4369.16
	उपर्युक्त में से गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं Of above non-fund based (NFB) limits	0.00	0.00
(ग) (c)	बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर- Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures –		
	क. आवासीय a. Residential,	0.00	0.00
	ख. वाणिज्यिक संपदा क्षेत्र b. Commercial Real Estate	0.00	0.00
2.	अप्रत्यक्ष एक्सपोजर Indirect Exposure		
	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को निधि आधारित और गैर-निधि आधारित एक्सपोजर Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	4063.48	7795.20
	उपर्युक्त में से राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर गैर-निधि आधारित एक्सपोजर Of the above Non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	-	-
	कोई अन्य अप्रत्यक्ष एक्सपोजर Any other - Indirect Exposure	47.31	56.61
कुल/ Total		**49634.22**	**48005.06**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

2. पूंजी बाजार में एक्सपोजर
Exposure to Capital Market

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण/ Particulars	31 मार्च 2018 March 31, 2018	31 मार्च 2017 March 31, 2017
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ऐसे इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में सीधे निवेश, जिनकी मूल निधि को केवल कॉरपोरेट ऋण में निवेश नहीं किया जाता है ; Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	1847.26	1677.77
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईसॉप सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में निवेश के लिए व्यक्तियों को शेयरों/ बांडों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर या अप्रतिभूत आधार पर अग्रिम; Advances against shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds;	392.65	411.67
(iii)	अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम, जिनमें शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है; Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	-	-
(iv)	अन्य किसी उद्देश्य के लिए अग्रिम, जो शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत हैं अर्थात् जिनमें शेयरों/ परिवर्तनीय बांडों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों के अलावा अन्य प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूरा कवर नहीं करती है; Advances for any other purpose to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	4.36	101.12
(v)	स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों तथा मार्केट मेकरों की ओर से जारी गारंटियां; Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers;	243	338.00
(vi)	संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तकों के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/ बांडों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति पर अथवा अप्रतिभूत आधार पर कॉरपोरेट को मंजूर ऋण; Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoters contribution to the equity of new companies in anticipation of rising resources;	-	-

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्र. सं. Sr.No.	विवरण/ Particulars	31 मार्च 2018 March 31, 2018	31 मार्च 2017 March 31, 2017
(vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/ निर्गम पर कंपनियों को पूरक ऋण; Bridge loans to companies against expected equity flows/ issues;	-	-
(viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंक द्वारा की गई हामीदारी वचनबद्धताएं; Underwriting commitments taken up by the Banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures of units of equity oriented mutual fund;	-	-
(ix)	स्टॉक ब्रोकरों को मार्जिन ट्रेडिंग के लिए वित्तपोषण; Financing to stockbrokers for margin trading;	-	-
(x)	उद्यम पूँजी निधियों (पंजीकृत एवं गैर-पंजीकृत, दोनों) में सभी एक्सपोजर इक्विटी के समान समझे जाएंगे. अतः पूंजी बाजार एक्सपोजर सीमा (प्रत्यक्ष एवं परोक्ष, दोनों) के अनुपालन के लिए इनको हिसाब में लिया जाएगा. All Exposures to venture capital funds (both registered and unregistered) will be deemed to be on par with equity and hence will be reckoned for compliance will the capital market exposure ceiling (both direct and indirect)	141.30	173.32
(xi)	स्टॉक एक्सचेंजों के पक्ष में अभिरक्षक बैंकों द्वारा जारी अप्रतिसंहरणीय भुगतान वचनबद्धताएं Irrevocable Payment Commitments issued by custodian Banks in favour of stock exchanges.	-	-
(xii)	पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर **Total Exposure to Capital Market**	**2628.57**	2701.88

पूंजी बाजार एक्सपोजर पर विनियामकीय सीमा पाबंदी से छूट प्राप्त ऋणों के इक्विटी में संपरिवर्तन के कारण इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण का प्रकटन

Disclosure of Acquisitions of Equity Shares due to conversion from Debt to Equity exempted from Regulatory Ceilings/Restrictions on Capital Market Exposure

क्र. सं. S. No.	पुनर्संरचना प्रकार Types of Restructuring		पुनर्संरचना के अधीन (सीडीआर तंत्र) Under Restructuring (CDR Mechanism)
1	यथा 31 मार्च 2018 तक पुनर्संरचित किए गए खाते Restructured Accounts as on March 31, 2018	उधारकर्ताओं की संख्या Number of Borrowers	41
		बकाया राशि (₹ करोड़ में) Amount Outstanding (₹ in Cr.)	2016.95

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

3. **जोखिम श्रेणी-वार देश को एक्सपोजर**
Risk Category wise Country Exposure

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

जोखिम श्रेणी Risk Category	31 मार्च 2018 को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as at March 31, 2018	31 मार्च 2018 को धारित प्रावधान Provision held as at March31, 2018	31 मार्च 2017 को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as at March 31, 2017	31 मार्च 2017 को धारित प्रावधान Provision held as at March 31, 2017
नगण्य/Insignificant	4737.69	-	6,822.13	-
निम्न / Low	5841.40	-	7,792.56	-
मध्यम/ Moderate	8.16	-	937.94	-
उच्च/ High	273.01	-	-	-
अति उच्च/Very High	-	-	-	-
नियंत्रित/ Restricted	-	-	-	-
ऑफ-क्रेडिट Off-credit	-	-	-	-
कुल/ Total	**10,860.25**	**-**	**15,552.63**	**-**

XII. विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाएं
Prudential Exposure Limits

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान एकल उधारकर्ताओं और समूह उधारकर्ताओं को बैंक का एक्सपोजर, केवल **शून्य** मामले को छोड़कर जहां एकल उधारकर्ता सीमा निदेशक मंडल के अनुमोदन से 15% से अधिक थी, रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं के भीतर रहा. इस मामले में यथा 31 मार्च 2018 को मंजूर सीमाएं और बकाया राशि पूंजीगत निधियों (गैर-निधि एक्सपोजर सहित) के प्रतिशत के रूप में निम्नानुसार रहीं:

During the Year ended March 31, 2018, the Bank's exposure to single borrowers and group borrowers were within the prudential exposure limits prescribed by RBI, except in **NIL** case where single borrower limit of 15% was exceeded with the approval of the Board of Directors. In respect of this case, the sanctioned limits and outstanding as % of capital funds (including non-funded exposure) were as follows, as on March 31, 2018:

एकल/ समूह उधारकर्ता का नाम Name of the single borrower/ group	पूंजी निधि के % के रूप में 31 मार्च 2018 को कुल प्रतिबद्ध ऋण सहायता Total Committed Exposure as at March 31, 2018, as % of Capital Fund	पूंजी निधि के % के रूप में 31 मार्च 2018 को बकाया राशि Total Outstanding as at March 31, 2018, as % of Capital Fund
(i) **एकल उधारकर्ता का नाम** **Name of the single borrower**	शून्य/ NIL	शून्य/ NIL
(ii) **समूह का नाम** **Name of the group**	शून्य/ NIL	शून्य/ NIL

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XIII. लाभ-हानि लेखे में व्यय शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाए गये 'प्रावधान एवं आकस्मिकताएं' का विवरण
Break up of 'Provisions and Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण/ Particulars	31 मार्च 2018 March 31, 2018	31 मार्च 2017 March 31, 2017
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान Provision for depreciation on Investment	2214.64	1506.98
गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान/ Provision towards NPA	19126.14	11769.13
मानक आस्ति के लिए प्रावधान/ Provision towards Standard Asset	(1133.08)	(351.60)
पुनर्संरचित आस्तियों (एफआईटीएल सहित) के लिए प्रावधान Provision for Restructured Assets (including FITL)	(540.61)	(464.49)
करों के लिए किए गए प्रावधान/ Provision made towards Taxes	0	203.93
आस्थगित कर आस्तियां (निवल)/ Deferred Tax Assets (Net)	(4354.61)	(3663.81)
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण / Bad debts written off	778.09	639.21
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं Other Provision and Contingencies	51.87	137.47
कुल / Total	**16142.44**	**9776.82**

बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) एवं व्यापार हेतु (एचएफटी) श्रेणी के तहत निवेश पर मूल्यह्रास (मार्क टू मार्केट) का प्रावधान जहां रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार स्क्रिप मूल्य में बदलाव नहीं हुआ है, को अनुसूची 14 के अंतर्गत 'निवेश पुनमूल्यांकन पर लाभ एवं हानि' शीर्ष के अंतर्गत 'अन्य आय' से हटाकर 'निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान' शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान व आकस्मिकताएं में पुनः समूहित किया गया है.

The provision towards depreciation (mark to market) on the investment under Available for Sale (AFS) & Held for Trading (HFT) category where individual scrip value has not changed as per RBI guidelines has been regrouped from Schedule -14 'Other Income' under the head 'Profit & Loss on Revaluation of investment (net) to Provision & Contingencies under the head 'Provision for Depreciation on Investments

XIV. अप्रतिभूत अग्रिम/ Unsecured Advance

उन अग्रिमों की कुल राशियां जिनके लिए अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकार आदि पर प्रभार जैसी अमूर्त प्रतिभूतियां ली गई हैं ₹ शून्य करोड़ (₹ 486.38) है तथा दिनांक 31 मार्च 2018 तक अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य समरूप आधार पर ₹ शून्य (₹ शून्य) है.

Total amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority etc. has been taken is ₹ Nil crore (₹ 486.38 Crore) and the estimated value of intangible security as on March 31, 2018 is ₹. Nil on pari-passu basis (₹ Nil).

XV. अस्थायी प्रावधान/ Floating Provisions

क्र.सं. Sr. No.	विवरण/ Particulars	31 मार्च 2018 March 31, 2018	31 मार्च 2017 March 31, 2017
1	अस्थायी प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष Opening balance in the floating provisions account	-	-
2	वर्ष के दौरान किए गए अस्थायी प्रावधानों की मात्रा The quantum of floating provisions made during the year	-	-
3	वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी की राशि Amount of draw down during the year	-	-
4	अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष Closing balance in the floating provisions account	-	-

नीति के रूप में बैंक अशोध्य और संदिग्ध अग्रिमों और निवेशों के लिए कोई अस्थायी प्रावधान नहीं करता है.
As a policy, the Bank does not make any floating provision for bad and doubtful advances and investments.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XVI. शिकायतों/ अधिनिर्णयों का प्रकटन/ Disclosure of Complaints/Awards

1. ग्राहक शिकायतें (इसमें बांडों से संबंधित शिकायतें शामिल हैं)
Customer Complaints (Includes complaints related to Bonds)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण/ Particulars	31 मार्च 2018 March 31, 2018	31 मार्च 2017 March 31, 2017
i	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की सं. No. of Complaints pending at the beginning of the year	622	1060
ii	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं. No. of Complaints received during the year	35583	57328
iii	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं. No. of Complaints redressed during the year	35908	57766
iv	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं. No. of Complaints pending at the end of the year	297	622

2. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय
Awards passed by the Banking Ombudsman

क्र.सं. Sr. No.	विवरण/ Particulars	31 मार्च 2018 March 31, 2018	31 मार्च 2017 March 31, 2017
i	वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की सं. No. of unimplemented awards at the beginning of the year	शून्य/ Nil	शून्य/ Nil
ii	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए अधिनिर्णयों की सं. No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	शून्य/ Nil	शून्य/ Nil
iii	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं. No. of Awards implemented during the year	शून्य/ Nil	शून्य/ Nil
iv	वर्ष के अंत में कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की सं. No. of unimplemented Awards at the end of the year	शून्य/ Nil	शून्य/ Nil

3. एटीएम लेनदेनों के संबंध में ग्राहक शिकायतें
Customer Complaints on Account of ATM Transactions

क्र.सं. Sr. No.	विवरण/ Particulars	31 मार्च 2018 March 31, 2018	31 मार्च 2017 March 31, 2017
i	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की सं. No. of Complaints pending at the beginning of the year	694	253
ii	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं. No. of Complaints received during the year	59934	43185
iii	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं. No. of Complaints redressed during the year	59768	42744
iv	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं. No. of Complaints pending at the end of the year	860	694

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XVII. प्रतिभूतीकरण
Securitisation

बैंक की प्रतिभूतीकरण गतिविधियों का विवरण नीचे दिए गए हैं :
The detail of securitisation activity of the Bank is given below:

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण/ Particulars	31 मार्च 2018 को As at March 31, 2018	31 मार्च 2017 को As at March 31, 2017
प्रतिभूतीकृत की गई ऋण आस्तियों/ प्रतिभूतीकृत किए गए खुदरा ऋणों के समूहों की कुल संख्या Total number of loan assets securitized/Pools of retail loans securitized	-	-
प्रतिभूतीकृत ऋण आस्तियों का कुल बही मूल्य Total book value of loan assets securitized	-	-
प्रतिभूतीकृत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल Sale consideration received for the securitized assets	-	-
प्रतिभूतीकरण के कारण निवल लाभ/ (हानि) Net gain / (loss) on account of securitization	-	-
निम्नलिखित के रूप में प्रदत्त सेवाओं का विवरण : Details of services provided by way of :		
बकाया ऋण वृद्धि (द्वितीय हानि ऋण सुविधा) Outstanding credit enhancement (second loss credit facility)	-	82.67
बकाया चलनिधि सुविधा */ Outstanding liquidity facility *	4.47	11.16
बकाया शोधन देयता/ Outstanding servicing Liability	-	-

नोट : बैंक ने किसी भी मानक ऋण का प्रतिभूतीकरण नहीं किया है. तथापि बैंक पास थ्रू सर्टिफिकेट ट्रांजेक्शन के अधिग्रहण के जरिए द्वितीय हानि सुविधा के रूप में क्रेडिट वृद्धि प्रदाता तथा अन्य पक्ष/ अन्य बैंक के प्रतिभूतीकरण लेनदेन में चलनिधि सुविधा के माध्यम से निवेशक की भूमिका निभाता है.

Note: Bank has not securitized-out any standard loans. However, bank has played the role of Investor by way of acquisition of Pass Through Certificate transaction, provider of credit enhancement as second loss facility and liquidity facility in securitization transaction of third party/ other Bank.

खुदरा ऋणों के लिए पूल्स

Pools of retail loans

*अभिलाभ (व्यय घटाकर निवल)- ₹ शून्य करोड़ (पिछले वर्ष शून्य).

* Gain (net of expense)- ₹ Nil crore (previous year NIL).

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XVIII. बैंक ने वर्ष के दौरान आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है.
The Bank has not issued letter of comfort during the year.

XIX. बैंक बीमा कारोबार के संबंध में प्राप्त शुल्क तथा पारिश्रमिक
Fees and Remuneration Received in respect of Bancassurance Business

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण/Particulars	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2018	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2017
आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. IDBI Federal Life Insurance Co. Ltd.	58.69	59.59
बजाज एलिआंज जनरल इंश्योरेंस कं. लि. Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.	8.87	7.16
कुल / Total	**67.56**	**66.75**

XX. दंड का प्रकटन
Disclosure on Penalty

विनियामक प्राधिकरणों द्वारा वर्ष के दौरान निम्नलिखित दंड लगाए गए.
During the year following penalties were imposed by regulatory authorities.

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं. Sr. No.	प्राधिकरण का नाम Name of the Authority	संक्षिप्त विवरण/ Brief particulars	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2018	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2017
1	रिज़र्व बैंक RBI	चेक संग्रहण प्रक्रिया संबंधी दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए दंड. Penalty for non-compliance of guidelines on cheque collection process.	0.000	0.045
2	रिज़र्व बैंक RBI	ग्राहक सेवा संबंधी दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन, सिक्कों एवं कम वर्गमूल्य के नोटों तथा कटे-फटे नोटों को बदलने संबंधी दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए दंड. Penalty for non compliance of guidelines on customer service, guidelines in respect of exchange of coins and small denomination notes and mutilated notes.	0.000	0.000
3	रिज़र्व बैंक RBI	कोबरा पोस्ट स्टिंग ऑपरेशन के संबंध में की गई जाँचों के संबंध में संदिग्ध लेन-देन करने के लिए किए गए प्रयास हेतु एसटीआर दायर न करने के लिए लगाया गया दंड (शाखाओं द्वारा प्रधान अधिकारी को घटनाओं की सूचना न देने के कारण) Penalty levied for not filing STRs for Attempted Suspicious Transaction in respect of the inquiries happened in connection with Cobra-post sting operation (due to non-reporting of the incident by the branches to the Principal Officer)	0.000	0.000
4	रिज़र्व बैंक RBI	करेंसी चेस्टों द्वारा रिज़र्व बैंक को किए गए विप्रेषणों के मामलों में करेंसी चेस्टों पर लगाए गए दंड. Penalties imposed by RBI on currency chest in cases of remittances, made by currency chests to RBI	0.127	0.007
5	सेबी SEBI	फ्लेक्सी बांडों के मोचन के मामलों में सेवा में कमी Deficiency of Service in dealing with the redemption of Flexibond	0.000	0.001
		कुल प्रदत्त दंड/ Total Penalties Paid	**0.127**	**0.053**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XXI. आस्ति देयता प्रबंधन/ Asset Liability Management
आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता स्वरूप (यथा 31 मार्च 2018)
Maturity Pattern of Certain Items of Assets and Liabilities (as on March 31, 2018)

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण Particulars	1 दिन Day 1	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 30 दिन 15 to 30 days	31 दिन व 2 माह तक 31 days & upto 2 months	2 माह से अधिक व 3 माह तक Over 2 months & upto 3 months	3 माह से अधिक व 6 माह तक Over 3 months & upto 6 months	6 माह से अधिक व 1 वर्ष तक Over 6 months & upto 1 year	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक Over 1 year & upto 3 years	3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक Over 3 years & upto 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 yrs	कुल Total
जमाराशि 1 Deposits 1	1,562.91	5,970.21	5,487.10	7,540.98	7,068.69	5,196.57	25,601.37	48,671.86	1,10,525.84	14,689.68	15,616.40	2,47,931.61
अग्रिम 1 Advances 1	850.61	1,544.09	1,489.35	1,350.95	2,287.29	3,799.50	4,904.96	9,357.60	57,956.65	26,006.20	62,192.76	1,71,739.95
निवेश Investments	13,350.49	11,856.63	2.09	362.17	170.86	96.55	328.84	3,364.12	8,001.67	3,546.12	50,526.54	91,606.06
उधार 1 Borrowings 1	-	12,676.71	972.86	6,107.98	330.84	509.96	3,863.50	4,818.01	8,582.89	6,647.35	18,675.43	63,185.53
विदेशी मुद्रा आस्तियां 2 Foreign Currency assets 2	164.16	3,568.94	886.19	7,175.19	6,034.71	6,797.45	16,235.31	10,102.11	3,816.79	5,167.57	3,475.51	63,423.93
विदेशी मुद्रा देयताएं 3 Foreign Currency Liabilities 3	17.93	2,740.44	566.92	7,791.22	4,334.53	6,361.86	15,995.36	10,940.25	8,675.47	3,731.85	168.87	61,324.71

1. इसमें विदेशी मुद्रा शेष राशियां शामिल हैं.
   Includes foreign currency balances.
2. इसमें विदेशी मुद्रा-रुपया क्रय-विक्रय आस्तियां और विदेशी मुद्रा अग्रिम शामिल हैं.
   Includes foreign currency- Rupee buy-sell assets and foreign currency advances.
3. इसमें विदेशी मुद्रा-रुपया विक्रय-क्रय स्वैप देयताएं और विदेशी मुद्रा जमाराशियां तथा उधार शामिल हैं.
   Includes foreign currency-Rupee sell –buy swap liabilities and foreign currency deposits and borrowings.

XXII. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोजर तथा अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का संकेंद्रण
Concentration of Deposits, Advances, Exposure and NPAs

1 जमाराशियों का संकेंद्रण/Concentration of Deposits

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण/ Particulars	31 मार्च 2018 March 31, 2018	31 मार्च 2017 March 31, 2017
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां Total Deposits of twenty largest depositors	34,446.39	40304.51
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	13.89%	15.01%

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

2 अग्रिमों का संकेंद्रण/ Concentration of Advances

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण/ Particulars	31 मार्च 2018 March 31, 2018	31 मार्च 2017 March 31, 2017
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम Total Advances to twenty largest borrowers	23481.18	24093.60
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को अग्रिमों का प्रतिशत Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	11.81%	11.44%

3 एक्सपोजर का संकेंद्रण/Concentration of Exposures

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण/ Particulars	31 मार्च 2018 March 31, 2018	31 मार्च 2017 March 31, 2017
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को कुल एक्सपोजर Total Exposure of twenty largest borrowers/customers	59614.89	63967.81
उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के बैंक के कुल एक्सपोजर में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the Bank on borrowers/customers	15.49%	15.53%

4 एनपीए का संकेन्द्रण/Concentration of NPAs

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण/ Particulars	31 मार्च 2018 March 31, 2018	31 मार्च 2017 March 31, 2017
चार शीर्ष एनपीए खातों को कुल एक्सपोजर Total Exposure to top four NPA accounts	11653.80	13,172.74

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XXIII. क्षेत्रवार अग्रिम / Sector-wise advances

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं. Sl. No.	क्षेत्र Sector	चालू वर्ष Current Year			पिछला वर्ष Previous Year		
अ A	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Priority Sector	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र के कुल अग्रिमों में से सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र के कुल अग्रिमों में से सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
1	कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप Agriculture and allied activities	17818	1117	6.27	19746	1711	8.67
2	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में उधार के लिए पात्र उद्योग क्षेत्रों को अग्रिम Advances to industries sector eligible as priority sector lending	10826	1623	15	10544	2015	19.11
3	सेवाएं/Services	19713	1552	7.88	16662	995	5.97
4	वैयक्तिक ऋण Personal loans	17457	238	1.36	16635	219	1.32
	कुल योग (अ) Sub-total (A)	**65814**	**4531**	**6.88**	**63588**	**4940**	**7.77**
आ) B	गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Non Priority Sector						
1	कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप Agriculture and allied activities	58	0	0	71	4	6.16
2	उद्योग क्षेत्रों में अग्रिम Advances to industries sector	88719	46869	52.83	82538	30191	36.58
3	सेवाएं/ Services	13728	3564	25.96	13771	2676	19.43
4	वैयक्तिक ऋण Personal loans	21588	809	3.75	20454	247	1.21
5	अन्य/ Others	8947	2779	31.06	4978	165	3.31
	कुल योग (आ) Sub-total (B)	**133039**	**54020**	**40.60**	**121811**	**33283**	**27.32**
	कुल (अ+आ) TOTAL (A+B)	**198853**	**58551**	**29.44**	**185399**	**38223**	**20.62**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XXIV. एनपीए में घट-बढ़/ Movement of NPAs

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण/ Particulars	31 मार्च 2018 March 31, 2018	31 मार्च 2017 March 31, 2017
उल्लिखित वर्ष के 1 अप्रैल को सकल एनपीए (आरंभिक शेष) Gross NPAs as on 1st April of particular year (Opening Balance)	44752.59	24875.07
वर्ष के दौरान परिवर्धन (नए एनपीए) Additions (Fresh NPAs) during the year	38351.09	27595.02
उप-जोड़ (अ)/Sub-total (A)	**83103.68**	**52470.09**
घटाएं/ Less:-		
(i) उन्नयन/ Upgradations	8160.93	3435.82
(ii) वसूलियां (उन्नत किये गये खातों से की गयी वसूलियों को छोड़कर) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	6839.72	1413.48
(iii) तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे खाते डाली गयी राशि Technical/ Prudential Write-offs	11548.34	2388.20
(iv) उक्त (iii) को छोड़कर बट्टे डाले गए खाते/ Write-offs other than (iii) above	966.44	480.00
उप जोड़ (आ)/Sub-total (B)	**27515.43**	**7717.50**
उल्लिखित वर्ष के 31 मार्च को सकल एनपीए (अंतिम शेष) (अ-आ) Gross NPAs as on 31st March of following year (closing balance) (A-B)	**55588.25**	**44752.59**

XXV. तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाली गई राशि का स्टॉक तथा उन पर की निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार की गई वसूलियाँ. Stock of technical write-offs and the recoveries made thereon as per the format below.

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण/ Particulars	31 मार्च 2018 March 31, 2018	31 मार्च 2017 March 31, 2017
01 अप्रैल को तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे खाते का आरंभिक शेष Opening Balance of Technical/ Prudential written-off accounts as at 01st April	11125.06	9281.30
जोड़ें : वर्ष के दौरान तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे खाते ADD: Technical/ Prudential write-offs during the year	11548.34	2388.20
उप-योग (अ)/ Sub-total (A)	22673.40	11669.50
घटाएँ : वर्ष के दौरान पहले के तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे खातों से की गई वसूलियां/ परिवर्तन (निवल) (आ) Less: Recoveries/ changes (net) in previously Technical/ Prudential written-off accounts during the year (B)	50.20	544.45
31 मार्च को अंतिम शेष (अ-आ)/Closing Balance as at 31st March (A-B)	22623.20	11125.06

XXVI. समुद्रपारीय आस्तियां, एनपीए और राजस्व/ Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण/ Particulars	31 मार्च 2018 March 31, 2018	31 मार्च 2017 March 31, 2017
कुल आस्तियां/ Total Assets	16727.32	22,879.47
कुल एनपीए//Total NPAs	8947.38	6,529.96
कुल राजस्व/Total Revenue	609.52	1,093.57

उपरोक्त आंकड़े डीआईएफसी तथा जीआईएफटी सिटी शाखा के हैं

The above figures are of DIFC & GIFT City branch.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XXVII. प्रायोजित तुलन पत्र बाह्य एसपीवी (जिन्हें लेखा मानदंडों के अनुसार समेकित किया जाना है)
Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

प्रायोजित एसपीवी का नाम/ Name of the SPV sponsored	
देशी/Domestic	विदेशी/Overseas
शून्य/ NIL	शून्य/ NIL

XXVIII. ऋण चूक स्वैप/ Credit Default Swaps

बैंक एफआईएमएमडीए द्वारा प्रकाशित दैनिक सीडीएस कर्व और उनकी सीडीएस पोजीशनों के मूल्यांकन हेतु दैनिक गणना पद्धति के अनुसार सीडीएस संविदाओं के बाजार मूल्य को बही में दर्ज करने के लिए मानक मॉडल का प्रयोग करता है. एफआईएमएमडीए इस प्रयोजन के लिए दैनिक आधार पर सीडीएस कर्व प्रकाशित करता है.

The Bank is using standard model for marking to market the CDS contracts as per FIMMDA published daily CDS curve and day count convention to value their CDS positions. FIMMDA is publishing the CDS curves for this purpose on daily basis.

XXIX. अंतर-समूह एक्सपोजर/Intra-Group Exposures

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

(क) (a)	अंतर-समूह एक्सपोजर की कुल राशि Total amount of intra-group exposures	1723.67
(ख) (b)	शीर्ष 20 अंतर - समूह एक्सपोजर की कुल राशि* Total amount of top-20 intra-group exposures*	1723.67
(ग) (c)	ऋणदाताओं/ ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर के प्रति अंतर समूह एक्सपोजर का प्रतिशत** Percentage of intra-group exposures to total exposure of the Bank on borrowers/ customers**	0.44%
(घ) (d)	अंतर समूह एक्सपोजर पर सीमा उल्लंघन का विवरण और इस पर की गई विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो. Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any.	शून्य/ NIL

*आईडीबीआई बैंक की 10 समूह संस्थाएं हैं जिनमें आईडीबीआई बैंक की इक्विटी शेयर धारिता 20% से अधिक है.
*Total Group entities of IDBI Bank are 10 where IDBI Bank is holding more than 20% equity shareholding.

** बैंक का कुल एक्सपोजर ₹ 389994.10 करोड़ है.
**Total exposure of Bank is ₹ 389994.10 crore.

XXX. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि में अंतरण (डीईएएफ)
Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

विवरण/ Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous year
डीईएएफ में अंतरित राशियों का प्रारंभिक शेष Opening balance of amounts transferred to DEAF	29.92	20.09
जोड़ें : वर्ष के दौरान डीईएएफ में अंतरित राशि Add: Amount transferred to DEAF during the year	70.71	10.62
घटाएँ : दावों के लिए डीईएएफ द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि Less: Amounts reimbursed by DEAF towards claims	02.32	0.79
डीईएएफ को अंतरित अंतिम शेष राशि Closing Balance of amounts transferred to DEAF	98.31	29.92

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XXXI. अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर/Unhedged Foreign Currency Exposure

बैंक जैसा कि इसकी क्रेडिट नीति में वर्णित है, अपने ऋणदाताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की निगरानी करता है तथा अपने ग्राहकों को विनिमय दर में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव से होने वाली हानि को कम करने के उद्देश्य से उनके विदेशी मुद्रा को रक्षित करने के लिए सूचित करता है.
The Bank, as detailed in its Credit Policy, monitors the Unhedged Foreign Currency Exposure of its borrower and pursues its clients to hedge their forex exposure to minimize the losses due to adverse exchange rate fluctuation.

बैंक अपने ग्राहकों से अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के संबंध में आंतरिक विकसित प्रणाली पर आधारित सूचना आवधिक आधार पर प्राप्त करता है तथा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से होने वाले संभावित हानि की गणना के लिए कार्य-प्रणाली का अनुसरण करता है. इस एक्सपोजर के प्रति 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए के लिए वृद्धिशील प्रावधानीकरण ₹ -205.62 करोड़ (₹100.62 करोड़) रहा तथा इसके जोखिम के प्रति धारित पूंजी 31 मार्च 2018 को ₹ 96.83 करोड़ (₹ 588.99 करोड़) रही.
The Bank obtains information on Un-hedged Foreign Currency Exposure from its customers on a periodic basis and maintains the same in an internally developed system and follows the methodology for computation of likely loss on account of exchange rate movement. The incremental provisioning for the year ending 31-03-2017 towards this exposure worked out to ₹ -205.62 crore (₹ 100.62 crore) and capital held towards the risk stood at ₹ 96.83 crore (₹ 588.99 crore) as on 31-03-2018.

XXXII. चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) / Liquidity Coverage Ratio(LCR) :

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण / Particulars		चालू वर्ष Current year		पिछले वर्ष Previous year	
		कुल गैर-भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)
उच्च गुणवत्तापूर्ण चलनिधि आस्तियां High Quality Liquid Assets					
1	कुल उच्च गुणवत्तापूर्ण चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		46,881.87		55,079.29
नकदी बहिर्वाह/ Cash Outflow					
2	खुदरा जमाराशियां और छोटे कारोबारी ग्राहकों से प्राप्त जमा राशि, जिसमें से : Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	1,07,368.26	10,625.97	1,03,752.95	10,267.81
	(i) स्थिर जमाराशियां/ Stable deposits	2,217.12	110.86	2,149.68	107.48
	(ii) कम स्थिर जमाराशियां/ Less stable deposits	105,151.14	10,515.11	101,603.27	10,160.33

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

	विवरण / Particulars	चालू वर्ष Current year		पिछले वर्ष Previous year	
		कुल गैर-भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)
3	अप्रतिभूत थोक निधियन, जिनमें से : Unsecured wholesale funding, of which:	37,177.11	26,712.35	43,091.18	31,724.64
	(i) परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार) Operational deposits (all counterparties)	-	-	-	-
	(ii) गैर-परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार) Non-operational deposits (all counterparties)	35,576.88	25,112.12	39,980.43	28,613.89
	(iii) अप्रतिभूत ऋण Unsecured debt	1,921.78	1,921.78	3,110.74	3,110.74
4	प्रतिभूत थोक निधीयन Secured wholesale funding		21.08		886.68
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से : Additional requirements, of which	3,874.50	3,870.00	5,084.21	5,070.02
	(i) डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपाश्विर्क आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	3,869.50	3,869.50	5,068.45	5,068.45
	(ii) ऋण उत्पादों पर निधीयन हानि से संबंधित बहिर्वाह Outflows related to loss of funding on debt products	-	-	-	-
	(iii) क्रेडिट और चलनिधि Credit and liquidity	5.00	0.50	15.77	1.58
6	अन्य संविदागत निधीयन दायित्व Other contractual funding obligations	4,131.10	4,131.10	3,445.33	3,445.33
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व Other contingent funding obligations	214,332.00	9,224.33	222,612.94	9,410.10

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

	विवरण / Particulars	चालू वर्ष Current year		पिछले वर्ष Previous year	
		कुल गैर-भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)
8	**कुल नकदी बहिर्वाह/Total Cash Outflows**		54,584.83		60,804.58
	नकदी अंतर्वाह/Cash Inflows				
9	प्रतिभूत ऋण (उदा. रिवर्स रेपो) Secured lending (e.g. reverse repos)	3,060.50	-	4,336.50	-
10	पूर्ण निष्पादित एक्सपोजर से अंतर्वाह Inflows from fully performing exposures	4,402.33	2,201.16	5,682.14	2,841.07
11	अन्य नकदी अंतर्वाह/Other cash inflows	6,811.87	6,811.87	9,719.16	9,719.16
12	**कुल नकदी अंतर्वाह/Total Cash Inflows**	14,274.71	9,013.04	19,737.80	12,560.23
13	**कुल एचक्यूएलए/TOTAL HQLA**		46,881.87		55,079.29
14	**कुल निवल नकदी बहिर्वाह Total Net Cash Outflows**		45,571.80		48,244.35
15	**चलनिधि व्याप्ति अनुपात (%) Liquidity Coverage Ratio (%)**		102.87%		114.17%

*औसत भारित तथा गैर-औसत भारित राशियों का परिकलन 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक के कार्यदिवसों के लिए प्रतिदिन सामान्य औसत लेकर किया जाता है.

* The average weighted and un-weighted amounts are calculated taking daily simple average from 1st April, 2017 to 31st March, 2018 for working days.

चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एलसीआर) के आस-पास गुणात्मक प्रकटन :
Qualitative disclosure around Liquidity Coverage Ratio (LCR) :

2007 में शुरू हुए वैश्विक वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने बैंकिंग क्षेत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से वैश्विक पूंजी और चलनिधि विनियमन को मजबूती प्रदान करने के लिए कुछ सुधार के प्रस्ताव रखे थे. इसके लिए बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति ने जनवरी 2013 में 'बासेल III : चलनिधि व्याप्ति अनुपात और चलनिधि जोखिम निगरानी साधन' और जनवरी 2014 में 'चलनिधि व्याप्ति अनुपात प्रकटीकरण मानक' पर दिशानिर्देश प्रकाशित किए थे. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 09 जून 2014 के अपने परिपत्र के द्वारा चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एलसीआर) पर दिशनिर्देश जारी किए थे.

In the backdrop of the global financial crisis that started in 2007, the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) proposed certain reforms to strengthen global capital and liquidity regulations with the objective of promoting a more resilient Banking sector. In this direction BCBS published guidelines on 'Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools' in January 2013 and the 'Liquidity Coverage Ratio Disclosure Standards' in January 2014. Accordingly, Reserve Bank of India, vide its circular dated June 09, 2014, issued guidelines on Liquidity Coverage Ratio (LCR).

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

चलनिधि व्याप्ति अनुपात संभावित चलनिधि विघटनों के प्रति बैंक की अल्पावधि आघात-सहनीयता को यह सुनिश्चित करके बढ़ावा देता है कि लगातार 30 दिनों तक बनी रहने वाली विकट दबावग्रत स्थितियों का सामना करने के लिए उनके पास पर्याप्त उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) हैं. चलनिधि व्याप्ति अनुपात मानक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक पर्याप्त मात्रा में भारमुक्त उच्च गुणवत्ता चलनिधि अस्तियां बनाए रखे जिसे पर्यवेक्षकों द्वारा विनिर्दिष्ट अत्यधिक गंभीर चलनिधि दबाव वाली स्थिति में 30 कैलेंडर दिवस की समयावधि हेतु अपनी चलनिधि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नकदी में रूपांतरित किया जा सके.

The LCR promotes short-term resilience of Banks to potential liquidity disruptions by ensuring that they have sufficient high quality liquid assets (HQLAs) to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. The LCR standard aims to ensure that a Bank maintains an adequate level of unencumbered HQLAs that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario specified by supervisors.

चलनिधि व्याप्ति अनुपात की परिभाषा:
Definition of LCR :

उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्ति (एचक्यूएलए) स्टॉक
Stock of high quality liquid assets (HQLAs)

____ > = 100%

अगले 30 कैलेंडर दिनों का कुल निवल नकदी बहिर्वाह
Total net cash outflows over the next 30 calendar days

चलनिधि व्याप्ति अनुपात अपेक्षाएं 01 जनवरी 2015 से बैंकों पर आबद्धकर हैं. तथापि, बैंकों को संक्रमण काल का समय प्रदान करने के विचार से कैलेंडर वर्ष 2015 के लिए यह अपेक्षा न्यूनतम 60% की है जो 01 जनवरी 2015 से लागू है और 4 वर्ष की अवधि में इसे 10% के समान चरणों में बढ़ाना है ताकि 01 जनवरी 2019 तक 100% के न्यूनतम अपेक्षित स्तर तक पहुंचा जा सके.

The LCR requirement are binding on Banks from January 1, 2015. However, with a view to provide a transition time for Banks, the requirement is minimum 60% for the calendar year 2015 i.e. with effect from January 1, 2015, and rise in equal steps of 10% over a period of 4 years to reach the minimum required level of 100% on January 1, 2019

उच्च गुणवत्तापूर्ण चलनिधि आस्तियां:
High Quality Liquid Assets

इस मानक के अंतर्गत बैंकों के लिए निर्धारित दबावग्रस्त परिदृश्य के अंतर्गत 30 दिन की अवधि के लिए कुल निवल नकदी बहिर्वाह को शामिल करने के लिए अभारग्रस्त एचक्यूएलए का स्टॉक रखना अनिवार्य है. एचक्यूएलए में पात्र होने के उद्देश्य से दबाव काल के दौरान बाजार में नकदी सुलभ होनी चाहिए और अधिकांश मामलों में केंद्रीय बैंक के परिचालनों में उपयोग के लिए पात्र होना चाहिए. बैंक की एचक्यूएलए में मुख्यतः अनिवार्य अपेक्षाओं तक और उससे अधिक एसएलआर निवेश, सीमांत स्थायी सुविधा के अंतर्गत उधार (एनडीटीएल का 2%) के माध्यम से उपलब्ध चलनिधि, चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एनडीटीएल का 9%) के लिए चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा और सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों अथवा गैर-वित्तीय कॉरपोरेटों द्वारा जारी अन्य प्रतिभूतियां शामिल हैं.

Under the standard, Banks must hold a stock of unencumbered HQLA to cover the total net cash outflows over a 30-day period under the prescribed stress scenario. In order to qualify as HQLA, assets should be liquid in markets during times of stress and, in most cases, be eligible for use in central Bank operations. The HQLA of the Bank mainly comprise of SLR investments over and above mandatory requirement, liquidity available by way of borrowing under Marginal Standing Facility (2% of NDTL), Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio (9% of NDTL) & other securities issued by PSEs or non-financial corporates.

कुल निवल नकदी बहिर्वाह / Total net cash outflows

कुल प्रत्याशित नकदी बहिर्वाह की गणना विभिन्न श्रेणियों की बकाया शेष राशियों या देयता के प्रकार तथा तुलन-पत्र बाह्य वचनबद्धताओं में उन दरों को गुणा करके की जाती है, जिन पर उनके बढ़ने या घटने की आशा है. अंतर्वाह में कुल प्रत्याशित नकदी की गणना संविदागत प्राप्य राशियों की विभिन्न श्रेणियों के बकाया शेष में उन दरों को गुणा करके की जाती है, जिन पर उनके प्रवाहित होने की आशा है.

Total expected cash outflows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories or types of liabilities and off-balance sheet commitments by the rates at which they are expected to run off or be drawn down. Total expected cash inflows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories of contractual receivables by the rates at which they are expected to flow in.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

चलनिधि प्रबंधन / Liquidity Management

बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक सुसंगठित चलनिधि जोखिम प्रबंधन संरचना है जो एएलएम नीति में वर्णित है. बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को) कारोबारी रणनीति के अनुरूप चलनिधि और ब्याज दर जोखिमों की निगरानी एवं प्रबंधन करती है. चलनिधि मूल्यांकन एवं प्रबंधन सहित एएलएम कार्यकलाप का संचालन तुलन-पत्र प्रबंधन, ट्रेजरी फ्रंट ऑफिस, बजट एवं आयोजना आदि के कार्यात्मक क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न आल्को सहायता समूहों के बीच समन्वय के माध्यम से किया जाता है. कारोबारी समूहों एवं वर्टिकलों द्वारा आल्को दिशा-निर्देशों तथा कार्रवाइयों का कार्यान्वयन किया जाता है.

The Bank has well organised liquidity risk management structure as enumerated in ALM Policy which is approved by the Board. The Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank monitors & manages liquidity and interest rate risk in line with the business strategy. ALM activity including liquidity analysis & management is conducted through coordination between various ALCO support groups residing in the functional areas of Balance Sheet Management, Treasury Front Office, Budget and Planning etc. ALCO directives and ALM actions are implemented by the business groups and verticals.

विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, मौजूदा समय में बैंक केवल देशी मुद्रा में एलसीआर को बनाए रखता है. वर्ष 2017-18 के लिए बैंक का औसत एलसीआर 102.87% (114.17%) था.
As per the regulatory guidelines, presently Bank maintains LCR in domestic currency only. The average LCR of the Bank for the year 2017-18 was at 102.87% (114.17%).

ग. अन्य प्रकटन
C OTHER DISCLOSURES

I. वर्ष के दौरान भारत सरकार तथा भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमानी आधार पर आबंटित किए गए इक्विटी शेयर निम्नलिखित है.
During the year Equity shares were allotted to Government of India and Life Insurance Corporation of India on preferential basis as under:

लाभार्थी **Beneficiary**	**आबंटन प्रकार** **Type of allotment**	**राशि (₹ करोड़ में) Amount (₹ in Crore)**	**शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रत्येक) No. of Shares (Face value ₹ 10 each)**	**निर्गम मूल्य (₹ में) Issue Price (in ₹)**	**शेयर प्रीमियम प्रति शेयर (₹ में) Share premium per share (in ₹)**	**आबंटन दिनांक Date of Allotment**
भारत सरकार Government of India	i. अधिमानी Preferential	1900	247492510	76.77	66.77	14.08.2017
	ii. अधिमानी Preferential	1861	284861472	65.33	55.33	06.10.2017
	iii. अधिमानी Preferential	2729	441371502	61.83	51.83	28.03.2018
भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) Life Insurance Corporation of India(LIC)	i. अधिमानी Preferential	91	11853588	76.77	66.77	30.06.2017
	ii. अधिमानी Preferential	303	39468543	76.77	66.77	14.08.2017
कोई अन्य Any other	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

II. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग ने 5 सितंबर 2016 के अपने पत्र के जरिए बैंक को सूचित किया कि वह 2006 में किए गए भारग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) के आस्ति विनिमय के निवल प्रभाव का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत सरकार को ₹ 1064.27 करोड़ मूल्य की प्रतिभूतियां अभ्यर्पित करे. ये प्रतिभूतियां एसएएसएफ के प्रति सितंबर 2004 में भारत सरकार द्वारा बैंक को जारी की गई ऐसी ₹ 9000 करोड़ की प्रतिभूतियों का भाग हैं. ये सितंबर 2024 में परिपक्व होने वाली 20 वर्षीय प्रतिभूतियां हैं. बैंक ने 30 सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही से प्रारंभ करते हुए 11 तिमाहियों में इन प्रतिभूतियों को अभ्यर्पित करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों से छूट मांगी है और तदनुसार उसे हिसाब में लिया है. उपयुक्त प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है. बैंक ने अभी तक भारत सरकार को ₹ 677.25 करोड़ की प्रतिभूतियां अभ्यर्पित की हैं और शेष ₹ 387.02 करोड़ मूल्य की प्रतिभूतियां निवेश के रूप में आगे ले जाई गई हैं. बैंक ₹ 387.02 करोड़ की शेष प्रतिभूतियां शेष 4 तिमाहियों में अभ्यर्पित कर देगा.

The Government of India (GoI), Ministry of Finance, Department of Financial Services vide its letter dated 5th September 2016, advised the Bank to surrender securities of ₹ 1064.27 crore to the GoI representing net impact of the asset exchange of Stressed Assets Stabilisation Fund (SASF) done by the Bank in 2006. These securities form part of ₹ 9000 crore of such securities issued to the Bank by GoI in September 2004 against SASF. These are 20 years securities maturing in September 2024. The Bank has obtained approval from the Appropriate Authorities to surrender these securities in 11 quarters commencing from quarter ended September 30, 2016 and accounted the same accordingly. Approval from appropriate authority has been obtained. Bank has so far surrendered securities of ₹ 677.25 crore to the GoI and the balance securities of ₹ 387.02 crore are carried forward as Investments. The Bank will surrender the balance of securities of ₹ 387.02 crore in the remaining four quarters.

III. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय के लिए नोट :
Notes to Corporate Social Responsibility (CSR) expenditure:

क. वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली सकल राशि; ₹ शून्य
a. Gross amount required to be spent by the Bank during the year; ₹ NIL

ख. वर्ष के दौरान व्यय राशि :
b. Amount spent during the year:

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण/ Particulars	वित्तीय वर्ष 2017-18 FY 2017-18	वित्तीय वर्ष 2016-17 FY 2016-17
नकद में/ In cash	1.36	4.35
नकद भुगतान किया जाना है Yet to be paid in cash	शून्य / Nil	शून्य / Nil
कुल/Total	**1.36**	**4.35**

III. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से संबंधित कुछ प्रकटीकरण करना आवश्यक है. बैंक अपने आपूर्तिकर्ताओं से उक्त अधिनियम के तहत उनके कवरेज के बारे में संबंधित सूचना संकलित करने की प्रक्रिया में है. प्रबंधन की राय में इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार देय ब्याज, यदि कोई है, का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं होने की उम्मीद है.
Pursuant to the provisions of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, certain disclosures are required to be made relating to Micro, small & medium enterprise. The Bank is in the process of compiling relevant information from its suppliers about their coverage under the said Act. In view of the management, the impact of interest, if any, that may be payable in accordance with the provisions of this Act is not expected to be material.

V. पूंजीगत खाते पर निष्पादन के लिए शेष रही संविदाओं के संबंध में अनुमानित पूंजी राशि (अग्रिमों को घटाकर) और जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया ₹ 138.68 करोड़ (₹ 205.94 करोड़) है.
Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account (net of advances) and not provided for is ₹ 138.68 Crores (₹ 205.94 Crores).

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

VI. अन्य देयताओं में ₹ 7.05 करोड़ की राशि शामिल है जो पूर्ववर्ती भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) द्वारा घोषित लाभांश के संदर्भ में वर्ष 1995 से 2003 तक देय लाभांश से संबंधित है. रिकॉर्ड में उपलब्ध विधिक अभिमत के अनुसार इस राशि को निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) को अंतरित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कंपनी अधिनियम 1956/ कंपनी अधिनियम 2013 पूर्ववर्ती आईडीबीआई पर लागू नहीं है. बैंक ने यह मामला कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) को राशि निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) को अंतरित करने की वैधता के संदर्भ में भेजा है जिसका जवाब प्रतीक्षित है.

Other Liabilities include ₹ 7.05 crores as dividend payable pertaining to the years 1995 to 2003 in relation to the dividend declared by erstwhile Industrial Development Bank of India (IDBI). On the basis of the legal opinion on record the amount need not be transferred to Investors Education and Protection Fund (IEPF) as Companies Act 1956/Companies Act 2013 is not applicable to erstwhile IDBI. The Bank had referred the matter to Ministry of Corporate Affairs (MCA) about the legality of transferring the amount to Investor Education and Protection Fund (IEPF) where the reply is awaited.

VII. पिछले वर्ष के आँकड़े कोष्ठक में प्रकट किए गए हैं तथा उन्हें पुनर्समूहित / पुनर्व्यवस्थित किया गया है ताकि चालू वर्ष के लिए प्रदर्शित आँकड़ों से इनकी पुष्टि की जा सके.

Figures of previous year, are disclosed in brackets and are regrouped/ rearranged, so as to confirm with the presentation made for the current year.

लेखों की अनुसूची '1' से '18' पर हस्ताक्षर
Signatures to Schedules '1' to '18' of Accounts

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

(महेश कुमार जैन)
(Mahesh Kumar Jain)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer
(डीआईएन/DIN: 03513127)

(के.पी. नायर)
(K.P. Nair)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/DIN: 02611496)

(जी.एम. यादवाडकर)
(G.M. Yadwadkar)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/DIN: 01432796)

(ज्ञान प्रकाश जोशी)
(Gyan Prakash Joshi)
निदेशक
Director
(डीआईएन/(DIN: 00603925)

(अजय शर्मा)
(Ajay Sharma)
कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
Executive Director & Chief Financial Officer

(पवन अग्रवाल)
(Pawan Agrawal)
कंपनी सचिव
Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते मुकुंद एम. चितले एंड कं.
For Mukund M. Chitale & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 106655W

अभय वी. कामत
Abhay V. Kamat
साझेदार/ (स. सं. 39585) / Partner (M.No. 39585)

कृते के. एस. अय्यर एंड कं.
For K. S. Aiyar & Company
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 100186W

सतीश केलकर
Satish Kelkar
साझेदार (स. सं. 38934)/ Partner (M.No. 38934)

कृते जे एल एन यू एस एंड कं.
For J L N U S & Co
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101543W

रामप्रसन्न अग्रवाल
Ramaprasanna Agarwal
साझेदार (स. सं. 119693)/ Partner (M.No. 119693)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 25 मई 2018 / Date: May 25, 2018

नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2018

(₹ 000' में / ₹ in 000's)

	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2018	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2017
अ. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह **A. Cash flow from Operating Activities**		
(1) **कर और असाधारण मदों से पूर्व लाभ /(हानि)** **Profit/ (Loss) before tax and extra-ordinary items**	(12592 53 24)	(8618 01 52)
(2) **गैर-नकदी मदों के लिए समायोजन:** **Adjustments for non cash items:**		
- अचल आस्तियों की बिक्री से (लाभ) / हानि (निवल) (Profit) / Loss on sale of Fixed Assets (Net)	(516 68 08)	52 76
- मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यन रिजर्व घटाकर) Depreciation (Net of Revaluation Reserve)	372 73 05	358 94 28
- प्रावधान/ ऋणों को बट्टे खाते डालना/ निवेश तथा अन्य प्रावधान Provisions/ Write off of Loans/ Investments and other provisions	20497 35 58	13197 14 39
- निवेशों के पुनर्मूल्यन पर (लाभ)/ हानि (Profit)/ Loss on revaluation of Investments	4 70 02	40 23 58
- सामान्य रिजर्व में अंतरण/ Transfer to General reserve	363 86 71	190 07 73
	8129 44 04	**5168 91 22**
(3) **परिचालन आस्तियों में (वृद्धि) / कमी के लिए समायोजन:** **Adjustments for (increase)/ decrease in operating assets:**		
- निवेश / Investments	(892 72 15)	(1447 50 00)
- अग्रिम / Advances	(277 63 60)	13123 66 70
- अन्य आस्तियां / Other assets	(3187 98 76)	1462 71 98
- करों की वापसी / (भुगतान) /Refund / (payment) of taxes	(938 55 67)	(663 62 16)
(4) **परिचालन देयताओं में वृद्धि / (कमी) के लिए समायोजन:** **Adjustments for increase/ (decrease) in operating liabilities:**		
- उधार राशियां / Borrowings	6821 54 98	(14227 66 53)
- जमा राशियां / Deposits	(20606 48 46)	2818 26 45
- अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other liabilities and provisions	(1268 47 85)	1399 77 67
परिचालन कार्यकलापों में प्रयुक्त / से उत्पन्न निवल नकदी **Net cash used in/generated from Operating activities**	**(12220 87 47)**	**7634 55 33**
आ. निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह **B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
अचल आस्तियों की खरीद (बिक्री घटाकर) Purchase (net of sale) of Fixed Assets	357 88 14	(451 01 54)
निवेश कार्यकलापों में प्रयुक्त / से जुटाई गई निवल नकदी **Net cash used in / raised from Investing activities**	**357 88 14**	**(451 01 54)**

नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2018

(₹ 000' में / ₹ in 000's)

		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2018	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2017
इ. C.	**वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**		
	- इक्विटी शेयरों का निर्गम / Issue of Equity Shares	4984 00 00	0
	- आबंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन राशि - Share application money pending allotment	7881 00 00	1900 00 00
	- प्रदत्त लाभांश तथा लाभांश कर / Dividend and Dividend Tax paid	0	0
	वित्तपोषण कार्यकलापों में प्रयुक्त / से जुटाई गई निवल नकदी Net cash used in / raised from Financing activities	**12865 00 00**	**1900 00 00**
	नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि / (कमी) NET INCREASE/ (DECREASE) IN CASH & CASH EQUIVALENTS	1002 00 67	9083 53 79
	प्रारंभिक नकदी और नकदी समतुल्य OPENING CASH & CASH EQUIVALENTS	32684 07 88	23600 54 09
	अंतिम नकदी और नकदी समतुल्य CLOSING CASH & CASH EQUIVALENTS	**33686 08 55**	**32684 07 88**
	नकदी प्रवाह विवरण के लिए टिप्पणी: / Note to Cash Flow Statement:		
नकदी प्रवाह विवरण में शामिल नकदी और नकदी समतुल्य में निम्नलिखित तुलन पत्र मदें शामिल हैं: Cash and Cash equivalents included in the cash flow statement comprise the following Balance Sheet items:			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष (अनुसूची 6) Cash & Balances with Reserve Bank of India (Schedule 6)		13163 68 62	13346 91 71
बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि (अनुसूची 7) Balances with banks & money at call and short notice (Schedule 7)		20522 39 93	19337 16 17
कुल / TOTAL		**33686 08 55**	**32684 07 88**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां (अनुसूची 17 एवं 18)
Significant Accounting Policies and Notes to Accounts (Schedule 17 and 18)

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग के रूप में हैं
The Schedules referred to above form an integral part of the Financial Statements.

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

(महेश कुमार जैन)
(Mahesh Kumar Jain)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer
(डीआईएन/DIN: 03513127)

(के.पी. नायर)
(K.P. Nair)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/DIN: 02611496)

(जी.एम. यादवाडकर)
(G.M. Yadwadkar)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/DIN: 01432796)

(ज्ञान प्रकाश जोशी)
(Gyan Prakash Joshi)
निदेशक
Director
(डीआईएन/(DIN: 00603925)

(अजय शर्मा)
(Ajay Sharma)
कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
Executive Director & Chief Financial Officer

(पवन अग्रवाल)
(Pawan Agrawal)
कंपनी सचिव
Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते मुकुंद एम. चितले एंड कं.
For Mukund M. Chitale & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 106655W

अभय वी. कामत
Abhay V. Kamat
साझेदार/ (स. सं. 39585) / Partner (M.No. 39585)

कृते के. एस. अय्यर एंड कं.
For K. S. Aiyar & Company
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 100186W

सतीश केलकर
Satish Kelkar
साझेदार (स. सं. 38934)/ Partner (M.No. 38934)

कृते जे एल एन यू एस एंड कं.
For J L N U S & Co
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101543W

रामप्रसन्न अग्रवाल
Ramaprasanna Agarwal
साझेदार (स. सं. 119693)/ Partner (M.No. 119693)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 25 मई 2018 / Date: May 25, 2018

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट
Independent Auditor's Report

प्रति,

आईडीबीआई बैंक के सदस्यगण,

समेकित वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

1. हमने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (इसके बाद ''बैंक'' कहा गया है), इसकी पाँच देशी सहायक कंपनियों (बैंक और इसकी सहायक कंपनियां सामूहिक रूप से ''समूह'' के रूप में निर्दिष्ट), संयुक्त रूप से नियंत्रित एक संस्था तथा तीन सहयोगी कंपनियों के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिनमें 31 मार्च 2018 के समेकित तुलन पत्र, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ-हानि लेखे, समेकित नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना (इसमें इसके पश्चात् "समेकित वित्तीय विवरण" के रूप में निर्दिष्ट) जिसमें हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 21 भारतीय शाखाएं, अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 1166 भारतीय शाखाएं, स्थानीय लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षित एक विदेशी शाखा तथा गैर-लेखा परीक्षित 719 भारतीय शाखाएं शामिल हैं. गैर-लेखा परीक्षित शाखाओं का अग्रिमों में हिस्सा 0.01%, जमा राशियों में 0.01%, ब्याज आय में 4.92% तथा ब्याज व्यय में 5.20% है. हमारे द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं का चयन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा किया गया है.

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

2. बैंक का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में निर्दिष्ट) की अपेक्षाओं और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों तथा दिशानिर्देशों के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने हेतु जिम्मेदार है जो कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार इसकी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी संस्था सहित समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन तथा समेकित नकदी प्रवाह की सही एवं उचित छवि प्रस्तुत करते हैं.

3. समूह और इसकी सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह की आस्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड बनाए रखने, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करने और उन्हें लागू करने, तर्कपूर्ण और विवेकसम्मत निर्णय लेने और अनुमान लगाने, तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करने, उसे कार्यान्वित करने एवं उसे बनाए रखने, जो सही एवं उचित छवि प्रस्तुत करने वाली तथा धोखाधड़ी अथवा गलती के कारण होने वाली तथ्यात्मक अयथार्थ कथन से

To the

Members of IDBI Bank Limited

Report on the Consolidated Financial Statements

1. We have audited the accompanying consolidated financial statements of IDBI Bank Limited (hereinafter referred to as "the Bank") its five domestic subsidiary Companies (the Bank and its subsidiary companies together referred to as "the Group"), one jointly controlled entity and three associate companies, comprising of the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2018, the consolidated Profit and Loss Account, the consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the consolidated financial statements") in which are incorporated the returns of 21 Indian branches audited by us, 1166 Indian branches audited by other auditors, one foreign branch audited by its local auditor and 719 Indian unaudited branches. The unaudited branches account for 0.01 % of advances, 0.01 % of deposits, 4.92 % of interest income and 5.20 % of interest expenses. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

2. The Board of Directors of the Bank is responsible for the preparation of these consolidated financial statements in terms of the requirements of the Companies Act, 2013(hereinafter referred to as "the Act")and circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group including its associate companies and jointly controlled entity in accordance with accounting principles generally accepted in India including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act , read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

3. The respective Board of Directors of the companies included in the Group and of its associate companies and jointly controlled entity are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; the selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness

मुक्त वित्तीय विवरण तैयार और प्रस्तुत करने से संबंधित लेखांकन रिकॉर्ड परिशुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालित हैं, जिन्हें उपयुक्त रूप से बैंक में निदेशक मंडल द्वारा बैंक के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के प्रयोजनार्थ प्रयोग किया गया है, के लिए जिम्मेदार हैं.

लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारी

4. हमारी ज़िम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों के बारे में राय प्रकट करना है. लेखापरीक्षा करते समय हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों और विषयों जिन्हें अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत लेखापरीक्षा में शामिल किया जाना अपेक्षित है, शामिल किया है.

5. हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है. इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन करें तथा लेखापरीक्षा को इस प्रकार नियोजित और निष्पादित करें कि तर्कपूर्ण रूप से यह सुनिश्चित किया जा सके कि समेकित वित्तीय विवरणों में कोई तात्विक अयथार्थ कथन नहीं है.

6. लेखापरीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटीकरण को प्रमाणित करने वाले साक्ष्यों की जांच करने के लिए प्रक्रिया का पालन करना शामिल है. यह चुनी गई प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित है जिसमें समेकित वित्तीय विवरणों में धोखे या गलती से किसी तात्विक अयथार्थ कथन के जोखिम का आकलन भी शामिल है. इन जोखिम आकलनों को करते समय लेखापरीक्षक बैंक से संबद्ध वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार सही और उचित लेखापरीक्षा प्रक्रिया तैयार करने के प्रयोजन से दिशा देता है. लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की सटीकता और बैंक के निदेशक मंडल द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की तार्किकता तथा साथ ही समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल है.

7. हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य और अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा नीचे दिए गए अन्य मामलों से संबंधित पैराग्राफ के उप पैराग्राफ (क) के संदर्भ में उनकी रिपोर्टों के संबंध में प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त तथा उपयुक्त है.

राय

8. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा यथा अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं और 31 मार्च 2018 को समूह, इसकी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के कार्यों की समेकित स्थिति की और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उनके समेकित हानि तथा समेकित नकदी प्रवाह की भारत में सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं.

of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the consolidated financial statements by the Directors of the Bank, as aforesaid.

Auditor's Responsibility

4 Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. While conducting our audit, we have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made there under.

5. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

6. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Bank's preparation of the consolidated financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Bank's Board of Directors, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

7. We believe that the audit evidence obtained by us and the audit evidence obtained by the other auditors in terms of their reports referred to in sub-paragraph (a) of the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the consolidated financial statements.

Opinion

8. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid consolidated financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the consolidated state of affairs of the Group, its associates and jointly controlled entity as at March 31, 2018, and their consolidated loss and their consolidated cash flows for the year ended on that date.

महत्वपूर्ण मामले

9. हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

(क) आगामी वर्ष के लिए आस्थगित उपदान के प्रति अतिरिक्त देयताओं के कारण ₹ 34.71 करोड़ के अपरिशोधित शेष के संदर्भ में अनुसूची 18(2) (आ) (i) तथा

(ख) आगामी वर्ष के लिए आस्थगित एएफएस और एचएफटी श्रेणियों में धारित निवेशों पर बाजार भाव ₹ 383.63 करोड़ की हानियों के अपरिशोधित शेष के संदर्भ में अनुसूची 18(15).

उक्त मामलों के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट अशोधित नही है.

10. अन्य मामले

(क) बैंक के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 की भारतीय रिज़र्व बैंक की जोखिम आकलन रिपोर्ट हमें उपलब्ध नहीं करायी गयी है क्योंकि बैंक ने सूचित किया है कि यह रिपोर्ट गोपनीय है तथा इस मामले को भारतीय रिज़र्व बैंक को संदर्भित किया गया है. उसमें निहित ऋणों और अग्रिमों से संबंधित आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण में विचलन के विवरण उपलब्ध कराए गए हैं.

(ख) समेकित वित्तीय विवरणों में पाँच सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण शामिल हैं जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च 2018 को ₹ 714.42 करोड़ की कुल आस्तियां, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 330.52 करोड़ का कुल राजस्व और ₹ 114.89 करोड़ का निवल नकदी बहिर्वाह दर्शाते हैं जिसकी लेखापरीक्षा हमारे द्वारा नहीं की गई है. समेकित वित्तीय विवरणों में संयुक्त रूप से नियंत्रित एक संस्था भी शामिल है जिसके वित्तीय विवरण यथा 31 मार्च 2018 को ₹ 628.88 करोड़ के आस्तियों के समूह शेयर तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 108.41 करोड़ के कुल राजस्व तथा ₹ 13.11 करोड के निवल नकदी अंतर्वाह दर्शाते हैं. ये वित्तीय विवरण मुकुन्द एम. चितले एंड कंपनी तथा अन्य संयुक्त लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित हैं जिनकी रिपोर्टें प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई हैं और इन सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के बारे हमारी राय को समेकित वित्तीय विवरणों, जहां तक राशियों और प्रकटीकरणों संबंध का है, में शामिल किया गया है. साथ ही हमारी रिपोर्ट अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) और (11) के निबंधनों के अनुसार, जहां तक उपर्युक्त सहायक संस्थाओं और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था का संबंध है, पूरी तरह से अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है.

(ग) समेकित वित्तीय विवरणों में जो तीन सहयोगी कंपनियां हैं, के बारे में, समेकित वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए अनुसार, 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 41.23 करोड़ के निवल लाभ में समूह का हिस्सा भी शामिल है जिसका वित्तीय विवरण हमारे द्वारा लेखापरीक्षित नहीं हैं. ये वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं तथा प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए हैं और समेकित वित्तीय विवरणों, जहां तक यह इन सहयोगी कंपनियों के संबंध में सम्मिलित राशियों

Emphasis of Matter

9. We draw attention to:

(a) Schedule 18 (2) (B) (i) regarding unamortized balance of ₹ 34.71 Crores on account of additional liabilities towards gratuity, deferred to the subsequent year, and

(b) Schedule 18 (15) regarding unamortized balance of mark to market losses on investments held in AFS and HFT Categories of ₹ 383.63 Crores, deferred to the subsequent year.

Our report is not modified in respect of above matters.

10. Other Matters

(a) The Risk Assessment Report of the Reserve Bank of India for the financial year 2016-2017 for the Bank has not been made available to us as the Bank informed that the report is confidential, and the matter has been referred to the Reserve Bank of India. The statement of divergence in asset classification and provisioning pertaining to loans and advances contained therein has been provided.

(b) The consolidated financial statements include five domestic subsidiary companies whose financial statements reflect total assets of ₹ 714.42 Crores as at March 31, 2018, total revenues of ₹ 330.52 Crores and net cash outflows amounting to ₹ 114.89 Crores for the year ended on that date, which have not been audited by us. The consolidated financial statements also include one jointly controlled entity whose financial statements reflect group's share of total assets of ₹ 628.88 Crores as on March 31, 2018 and total revenue of ₹ 108.41crores and net cash inflow amounting to ₹ 13.11 Crores for the year ended on that date. These financial statements have been audited by Mukund M. Chitale & Co. and other joint auditor whose reports have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiary companies, jointly controlled entity, and our report in terms of sub-sections (3) and (11) of Section 143 of the Act, insofar as it relates to the aforesaid subsidiary companies and jointly controlled entity, is based solely on the reports of the other auditors.

(c) The consolidated financial statements also include the Group's share of net profit of ₹ 41.23 crores for the year ended March 31, 2018, as considered in the consolidated financial statements, in respect of three associate Companies, whose financial statements have not been audited by us. These financial statements are unaudited and have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures

तथा प्रकटनों से संबंधित है, पर हमारी राय और अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (3) और (11) के निबंधनों के अनुसार हमारी रिपोर्ट, जहां तक यह उपर्युक्त सहयोगी कंपनियों से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और प्रबंधन द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी पर आधारित है.

समेकित विवरणों पर हमारी राय और निम्नलिखित अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट को किए गए कार्यों और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों पर हमारी विश्वसनीयता के बारे में उपर्युक्त मामले के संदर्भ में आशोधित नहीं किया गया है.

11. अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

अधिनियम की धारा 143 (3) की अपेक्षानुसार हम यथा लागू सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि :

(क) उपरोक्त पैरा 10 (क) में उल्लिखित भारतीय रिज़र्व बैंक की जोखिम आकलन रिपोर्ट के अलावा हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण मँगवाए और प्राप्त किए जो उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार आवश्यक थे.

(ख) हमारी राय में इन बहियों की हमारे द्वारा की गई जाँच से प्रतीत होता है, उपर्युक्त वित्तीय विवरण तैयार करने से संबंधित कानून में अपेक्षित अनुसार उचित लेखा बहियां रखी गई हैं और हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य हेतु उन शाखाओं से यथोचित पर्याप्त विवरणियां प्राप्त की गई हैं जो हमारे द्वारा निरीक्षित नहीं हैं तथा अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त की गई है.

(ग) अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित बैंक की शाखाओं के खातों पर रिपोर्टें हमें प्रेषित की गई हैं तथा इस पर उपयुक्त कार्रवाई की गई है.

(घ) इस रिपोर्ट में विचार किए गए समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ-हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण, समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए अनुरक्षित संबंधित लेखा बहियों के अनुरूप हैं.

(ङ) हमारी राय में उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण, कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के तहत असंगत न होने की सीमा तक अनुपालन करते हैं.

(च) बैंक के निदेशक मंडल से यथा दिनांक 31 मार्च 2018 के प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों, जिसे बैंक के निदेशक मंडल ने रिकॉर्ड किया है, तथा भारत में निगमित इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के

included in respect of these associate Companies, and our report in terms of sub-sections (3) and (11) of Section 143 of the Act in so far as it relates to the associate companies, is based solely on such unaudited financial statements and relied upon as provided by management.

Our opinion on the consolidated financial statements, and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements certified by the Management

11. Report on Other Legal and Regulatory Requirements

As required by Section143 (3) of the Act, we report, to the extent applicable, that:

(a) We have sought and obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit of the aforesaid consolidated financial statements except for the Risk Assessment Report of the Reserve Bank of India as stated in para 10 (a) above.

(b) In our opinion, proper books of account as required by law relating to preparation of the aforesaid consolidated financial statements have been kept so far as it appears from our examination of those books, and proper returns adequate for the purpose of our audit have been received from the branches not visited by us and the reports of the other auditors.

(c) The reports on the accounts of branches of the bank audited by other auditors have been forwarded to us and the same have been appropriately dealt with.

(d) The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit and Loss Account, and the Consolidated Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the relevant books of account maintained for the purpose of preparation of the consolidated financial statements.

(e) In our opinion, the aforesaid consolidated financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by Reserve Bank of India.

(f) On the basis of the written representations received from the Directors of the Bank as on March 31, 2018 taken on record by the Board of Directors of the Bank and the reports of the statutory auditors' of their subsidiary companies, and jointly controlled entity incorporated in India none of the directors of the Group companies and jointly controlled

आधार पर भारत में निगमित किसी भी समूह कंपनी, सहयोगी कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी के निदेशक को अधिनियम की धारा 164 (2) के अनुसार यथा 31 मार्च 2018 को निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य करार नहीं दिया गया है. उपरोक्त अन्य मामले के पैराग्राफ 10 के उप-पैराग्राफ (ग) में संदर्भित सहयोगी कंपनियों के वित्तीय विवरण लेखापरीक्षित नहीं हैं और इसलिए उन संस्थाओं के लिए अधिनियम की धारा 164(2) के अंतर्गत अनर्हता पर टिप्पणी नहीं की गई है.

(छ) बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और ऐसे नियंत्रणों की परिचालनगत प्रभावकारिता की पर्याप्तता के संबंध में अनुबंध ''ए'' में अलग से दी गई हमारी रिपोर्ट को देखें.

(ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में अन्य मामले शामिल किए जाने के संबंध में, हमारे विचार में तथा हमारी सम्पूर्ण जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुसार :

i. समेकित वित्तीय विवरण समूह, इसकी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था की समेकित वित्तीय स्थिति पर विचाराधीन मुकदमों के प्रभाव को प्रकट करते हैं - समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18(10)(ग) देखें.

ii. डेरिवेटिव संविदाओं सहित दीर्घावधि संविदाओं पर, पूर्वाभासी आवश्यक हानियों, यदि कोई हो, के लिए लागू कानूनों या लेखांकन मानकों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों में प्रावधान किया गया है - ऐसी मदों के बारे में समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18(10)(ख) देखें जो समूह, इसकी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था से संबंध रखता है.

iii. बैंक तथा भारत में निगमित इसकी सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरण के लिए अपेक्षित निधि के अंतरण में कोई विलंब नहीं हुआ है. अनुसूची 18 (14) देखें.

entity incorporated in India are disqualified as on March 31, 2018 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Act. The financial statements of associate Companies are unaudited as referred to in sub-paragraph (c) of the Other Matters paragraph 10 above and hence disqualification under Section 164 (2) of the Act for those entities is not commented upon.

(f) With respect to adequacy of internal financial controls over financial reporting of the Group and operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in Annexure "A"

(g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditor's) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the report of the auditors' of their subsidiary companies and jointly controlled entity:

i. The consolidated financial statements disclose the impact of pending litigations on the consolidated financial position of the Group, its associate companies and jointly controlled entity– Refer Schedule 18(10)(c) to the consolidated financial statements.

ii. Provision has been made in the consolidated financial statements, as required under the applicable laws or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts including derivative contracts – Refer Schedule 18(10)(b) to the consolidated financial statements in respect of such items as it relates to the Group, its associate Companies and jointly controlled entity.

iii. There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Bank and its subsidiary companies, associate companies and jointly controlled entity incorporated in India. Refer schedule 18(14).

कृते **मुकुंद एम. चितले एंड कं.**	कृते **के. एस. अय्यर एंड कं.**	कृते **जे एल एन यू एस एंड कं.**
For **Mukund M. Chitale & Co.**	For **K. S. Aiyar & Company**	For **J L N U S & Co**
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants	सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants	सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 106655W	फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 100186W	फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101543W
अभय वी. कामत	**सतीश केलकर**	**रामप्रसन्न अग्रवाल**
Abhay V. Kamat	Satish Kelkar	Ramaprasanna Agarwal
साझेदार/ (स. सं. 39585) / Partner (M.No. 39585)	साझेदार (स. सं. 38934)/ Partner (M.No. 38934)	साझेदार (स. सं. 119693)/ Partner (M.No. 119693)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 25 मई 2018 / Date: May 25, 2018

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की सम दिनांकित रिपोर्ट का अनुबंध

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

(हमारी सम दिनांकित लेखा परीक्षा रिपोर्ट का पैराग्राफ 11(एफ) देखें)

1. 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष की और के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ-साथ हमने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (इसमें इसके पश्चात् ''बैंक'' के रूप में निर्दिष्ट) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है और इसकी पाँच सहायक कंपनियों, तीन सहयोगी कंपनियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित एक संस्था, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, की लेखापरीक्षा उक्त तारीख को संबंधित संस्था की लेखापरीक्षा करने के लिए पात्र सनदी लेखाकारों की फर्मों द्वारा लेखा-परीक्षा की गई.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

2. बैंक और इसकी सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, का संबंधित निदेशक मंडल भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में दिए गए आंतरिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण घटकों (''मार्गदर्शी नोट'') को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं. इन जिम्मेदारियों में संबंधित कंपनी की नीतियों के अनुपालन सहित इसके कारोबार के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और अनुरक्षण करना, आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ियों और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन रिकॉर्डों की परिशुद्धता और परिपूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की अपेक्षाओं के अनुरूप विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समयबद्ध रूप से तैयार करना शामिल है.

लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारी

3. हमारी ज़िम्मेदारी बैंक, इसकी सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था की वित्तीय रिपोर्टिंग में हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय अभिव्यक्त करने की है. हमने अपनी लेखापरीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट तथा आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा संबंधी मानकों जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अधीन निर्दिष्ट माने जाएंगे और दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू हैं और दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं, के अधीन की है. उक्त मानक और मार्गदर्शन नोट यह अपेक्षा करता है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखापरीक्षा को इस प्रकार से नियोजित और

Annexure to the Independent Auditor's Report of even date on the Consolidated Financial Statements of IDBI Bank Limited

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

(Referred to in Paragraph 11(f) of our Audit Report of even date)

1. In conjunction with our audit of the consolidated financial statements of the IDBI Bank Limited as of and for the year ended March 31, 2018, we have audited the internal financial controls over financial reporting of IDBI Bank Limited (hereinafter referred to as "the Bank") and reviewed the audit reports of its five subsidiary companies, three associate companies and one jointly controlled entity, which are companies incorporated in India, audited by the firms of chartered accountants who were entitled to carry out the audit of respective entity as of that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

2. The respective Board of Directors of the Bank and its subsidiary companies, associate companies and jointly controlled entity, which are companies incorporated in India, are responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal controls stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting ('the Guidance Note') issued by the Institute of Chartered Accountants of India" (ICAI). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the respective company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013('the Act').

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on internal financial controls over financial reporting of the Bank, its subsidiary companies, its associate companies and its jointly controlled entity, based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note and the standards on Audit issued by the ICAI and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about

निष्पादित करें ताकि इस आशय के लिए समुचित आश्वासन मिल सके कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किए गए हैं और यह भी कि ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी रूप से परिचालित किए गए हैं.

4. हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालनीय प्रभावकारिता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु अपनाई गई प्रक्रियाएं शामिल हैं. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ हासिल करना, ऐसे जोखिमों का आकलन करना जहां तात्विक कमी विद्यमान है, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण तैयार करना और परिचालन प्रभावकारिता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है. चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं जिनमें वित्तीय विवरणों में धोखे या गलती से किसी तात्विक अयथार्थ कथन के जोखिम का आकलन शामिल है.

5. हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य और अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा निम्नलिखित पैराग्राफ में दिए गए अन्य मामलों के संदर्भ में उनकी रिपोर्टों के संबंध में प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक, उसकी सहायक कंपनियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था जो भारत में निगमित कंपनियां हैं की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त है.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

6. बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वह प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन देने और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए बनाई गई है. बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं जो यथोचित विस्तार, परिशुद्धता के साथ कंपनी की आस्तियों के संव्यवहारों और निपटानों को उचित रूप से दर्शाते हैं; (2) इस आशय के लिए यथोचित आश्वासन देते हैं कि संव्यहार सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अनुमत अपेक्षा के साथ दर्ज किए जाते हैं और यह भी कि कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार अनुसार ही किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की आस्तियों के अप्राधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान की रोकथाम और समय पर पहचान के संबंध में उचित आश्वासन देते हैं जिनसे वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता था.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

7. वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं, जिसमें नियंत्रणों के टकराव अथवा असंगत प्रबंधन से नियंत्रणों की अवहेलना की संभावना शामिल है, के कारण त्रुटि अथवा धोखाधड़ी की वजह से तात्विक अयथार्थ कथन की घटना हो सकती है और उनका पता न लगाया जा सके. साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे

whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

4. Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial control system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

5. We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the other auditors in terms of their reports referred to in the Other Matters under paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the internal financial control system over financial reporting of the Bank, its subsidiary companies and its jointly controlled entity which are companies incorporated in India.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

6. The Bank's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. The Bank's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the bank are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

7. Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting

में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के पूर्वानुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों अथवा नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन में आने वाली गिरावट के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं.

राय

8. हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार तथा अन्य मामले पैराग्राफ में संदर्भित अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के विवेचन के आधार पर, बैंक को ट्रेजरी, पे-रोल, एनपीए प्रावधानीकरण और लेखांकन प्रणाली वाली अचल आस्तियों के क्षेत्रों में बेहतर स्वचालित नियंत्रण हेतु स्टैंडअलोन प्रणाली को एकीकृत करने की आवश्यकता है. इसके अलावा बैंक, इसकी सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था, में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की दृष्टि से वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली लागू है और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में दिए गए आंतरिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण घटकों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर स्थापित आंतरिक नियंत्रण के आधार पर यथा 31 मार्च 2018 को ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे.

अन्य मामले

9. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावकारिता के बारे में अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अधीन हमारी उपर्युक्त रिपोर्टें, पाँच सहायक कंपनियों और एक संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के बारे में हैं, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, लेखापरीक्षकों की भारत में निगमित ऐसी कंपनियों की तदनुरूपी रिपोर्टों पर आधारित हैं. सभी तीन सहयोगी कंपनियों की लेखापरीक्षा रिपोर्टें उपलब्ध नहीं थीं.

to future periods are subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

8. In our opinion, to the best of our information and according to the explanation given to us and based on the consideration of the reports of other auditors as referred to in Other Matters paragraph, the Bank needs to integrate the standalone systems in the areas of Treasury, Payroll, NPA provisioning and fixed assets with accounting system for better automated control, except for this, the Bank, its subsidiary companies, its associate companies and its jointly controlled entity have in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2018, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Other Matters

9. Our aforesaid reports under Section 143(3)(i) of the Act on the adequacy and operating effectiveness of the internal financial controls over financial reporting insofar as they relate to five subsidiary companies, and one jointly controlled entity, which are companies incorporated in India, are based on the corresponding reports of the auditors of such companies incorporated in India. The audit reports of all the three associate Companies were not available.

कृते **मुकुंद एम. चितले एंड कं.**	कृते **के. एस. अय्यर एंड कं.**	कृते **जे एल एन यू एस एंड कं.**
For **Mukund M. Chitale & Co.**	For **K. S. Aiyar & Company**	For **J L N U S & Co**
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants	सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants	सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 106655W	फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 100186W	फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101543W
अभय वी. कामत	**सतीश केलकर**	**रामप्रसन्न अग्रवाल**
Abhay V. Kamat	Satish Kelkar	Ramaprasanna Agarwal
साझेदार/ (स. सं. 39585) / Partner (M.No. 39585)	साझेदार (स. सं. 38934)/ Partner (M.No. 38934)	साझेदार (स. सं. 119693)/ Partner (M.No. 119693)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 25 मई 2018 / Date: May 25, 2018

समेकित तुलन पत्र 31 मार्च 2018 को
Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2018

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	अनुसूची Schedule	यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018	यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017
पूंजी एवं देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी / Capital	1	3083 86 27	2058 81 51
रिज़र्व और अधिशेष / Reserves and Surplus	2	18824 09 35	21203 49 59
अल्पसंख्यक हित / Minority Interest		85 95 69	70 56 77
जमाराशियां / Deposits	3	247776 56 74	268215 67 89
उधार राशियां / Borrowings	4	63185 52 72	56363 97 73
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other Liabilities and Provisions	5	18180 76 98	14575 42 33
कुल / TOTAL		**351136 77 75**	**362487 95 82**
आस्तियां / ASSETS			
नकदी एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष Cash and balances with Reserve Bank of India	6	13169 19 98	13349 62 68
बैंकों के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि/ Balances with banks and money at call and short notice	7	20611 87 45	19382 68 35
निवेश / Investments	8	91847 67 77	93074 86 91
अग्रिम / Advances	9	171739 94 52	190825 92 71
अचल आस्तियां / Fixed Assets	10	6852 92 78	7433 22 61
अन्य आस्तियां / Other Assets	11	46915 15 25	38421 62 57
कुल / TOTAL		**351136 77 75**	**362487 95 82**
आकस्मिक देयताएं / Contingent liabilities	12	198045 74 47	186090 21 53
वसूली हेतु बिल / Bills for collection		9300 58 44	15948 81 60
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 एवं 18 17 and 18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां वित्तीय विवरण के अभिन्न भाग के रूप में हैं
The Schedules referred to above form an integral part of the Financial Statements

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

(महेश कुमार जैन)
(Mahesh Kumar Jain)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer
(डीआईएन/DIN: 03513127)

(के.पी. नायर)
(K.P. Nair)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/DIN: 02611496)

(जी.एम. यादवाडकर)
(G.M. Yadwadkar)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/DIN: 01432796)

(ज्ञान प्रकाश जोशी)
(Gyan Prakash Joshi)
निदेशक
Director
(डीआईएन/(DIN: 00603925)

(अजय शर्मा)
(Ajay Sharma)
कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
Executive Director & Chief Financial Officer

(पवन अग्रवाल)
(Pawan Agrawal)
कंपनी सचिव
Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते मुकुंद एम. चितले एंड कं.
For Mukund M. Chitale & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 106655W

अभय वी. कामत
Abhay V. Kamat
साझेदार/ (स. सं. 39585) / Partner (M.No. 39585)

कृते के. एस. अय्यर एंड कं.
For K. S. Aiyar & Company
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 100186W

सतीश केलकर
Satish Kelkar
साझेदार (स. सं. 38934)/ Partner (M.No. 38934)

कृते जे एल एन यू एस एंड कं.
For J L N U S & Co
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101543W

रामप्रसन्न अग्रवाल
Ramaprasanna Agarwal
साझेदार (स. सं. 119693)/ Partner (M.No. 119693)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 25 मई 2018 / Date: May 25, 2018

समेकित लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

Consolidated Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2018

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		अनुसूची Schedule	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2018	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2017
I	**आय / INCOME**			
	अर्जित ब्याज / Interest earned	13	23046 25 28	27805 38 48
	अन्य आय / Other income	14	7243 36 09	4207 42 48
	कुल / TOTAL		**30289 61 37**	**32012 80 96**
II	**व्यय / EXPENDITURE**			
	व्ययगत ब्याज / Interest expended	15	17376 20 42	22019 43 88
	परिचालन व्यय / Operating expenses	16	4892 00 47	5243 14 95
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions and Contingencies		16178 51 09	9819 66 99
	कुल / TOTAL		**38446 71 98**	**37082 25 82**
III	**लाभ / PROFIT**			
	वर्ष के लिए निवल लाभ/ (हानि) / Net Profit / (Loss) for the year		(8157 10 61)	(5069 44 86)
	जोड़ें: सहयोगी संस्थाओं में लाभ का हिस्सा Add: Share of Profit in Associate		41 21 73	72 55 37
	घटाएं: अल्पसंख्यक हित / Less: Minority Interest		16 51 11	19 00 99
	समूह लाभ / (हानि) / Group Profit/ (Loss)		**(8132 39 99)**	**(5015 90 48)**
	आगे लाया गया लाभ / Profit/(Loss) brought forward		(8571 28 68)	(3029 84 42)
	कुल / TOTAL		**(16703 68 67)**	**(8045 74 90)**
IV	**विनियोग / APPROPRIATIONS**			
	सांविधिक रिजर्व में अंतरण / Transfer to Statutory Reserve		-	-
	पूंजीगत रिजर्व में अंतरण / Transfer to Capital Reserve		978 29 73	506 96 82
	सामान्य रिजर्व में अंतरण / Transfer to General Reserve		1 99 37	4 19 65
	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिजर्व में अंतरण Transfer to Special Reserve created and maintained under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		-	-
	सांविधिक रिजर्व से पुनरांकित Writeback from Statutory Reserve		(544 60 00)	-
	प्रस्तावित लाभांश / Proposed Dividend		-	-
	प्रस्तावित लाभांश पर कर / Tax on proposed dividend		-	2 01 54
	अंतरिम लाभांश / Interim Dividend		5 46 57	-
	अंतरिम लाभांश पर कर / Tax on Interim dividend		3 69 71	93 54
	लाभ एवं हानि खाते में शेष / Balance in Profit & Loss Account		-	-
	ईसॉप पर लाभांश / Dividend on ESOPs		-	-
	लाभांश वितरण कर / Dividend distribution tax		-	-
	तुलन पत्र में आगे ले जाई गई शेष राशि Balance carried over to Balance Sheet		(17148 54 05)	(8559 86 45)
	कुल / TOTAL		**(16703 68 67)**	**(8045 74 90)**
	प्रति शेयर अर्जन (₹) (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर)/ Earnings per share (₹) (face Value ₹ 10 per share)	18 (6)		
	मूल / Basic		(34.00)	(24.36)
	न्यूनीकृत / Diluted		(34.00)	(24.36)

समेकित लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
Consolidated Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2018

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2018	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2017
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 एवं 18 17 & 18		
उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग के रूप में हैं The Schedules referred to above form an integral part of the Financial Statements			

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

(महेश कुमार जैन) (Mahesh Kumar Jain) प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & Chief Executive Officer (डीआईएन/DIN: 03513127)	(के.पी. नायर) (K.P. Nair) उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 02611496)	(जी.एम. यादवाडकर) (G.M. Yadwadkar) उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 01432796)	(ज्ञान प्रकाश जोशी) (Gyan Prakash Joshi) निदेशक Director (डीआईएन/(DIN: 00603925)	(अजय शर्मा) (Ajay Sharma) कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी Executive Director & Chief Financial Officer	(पवन अग्रवाल) (Pawan Agrawal) कंपनी सचिव Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते मुकुंद एम. चितले एंड कं. For Mukund M. Chitale & Co. सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 106655W	कृते के. एस. अय्यर एंड कं. For K. S. Aiyar & Company सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 100186W	कृते जे एल एन यू एस एंड कं. For J L N U S & Co सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101543W
अभय वी. कामत Abhay V. Kamat साझेदार/ (स. सं. 39585) / Partner (M.No. 39585)	सतीश केलकर Satish Kelkar साझेदार (स. सं. 38934)/ Partner (M.No. 38934)	रामप्रसन्न अग्रवाल Ramaprasanna Agarwal साझेदार (स. सं. 119693)/ Partner (M.No. 119693)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 25 मई 2018 / Date: May 25, 2018

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018	यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017
अनुसूची 1 - पूंजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL		
प्राधिकृत पूंजी / Authorised capital		
₹ 10 प्रत्येक के 450 00 00 000 (450 00 00 000) इक्विटी शेयर 450 00 00 000 (450 00 00 000) Equity Shares of ₹ 10 each	4500 00 00	4500 00 00
	4500 00 00	**4500 00 00**
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी **Issued, Subscribed & Paid-up Capital**		
₹ 10 प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त 308 38 62 696 (205 88 15 081) इक्विटी शेयर अनुसूची 18 टिप्पण 11(i) देखें/ 308 38 62 696 (205 88 15 081) Equity Shares of ₹ 10 each fully paid up (refer Schedule 18 note 11(i))	3083 86 27	2058 81 51
कुल / TOTAL	**3083 86 27**	**2058 81 51**

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018	यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017
	अनुसूची 2 - रिज़र्व और अधिशेष **SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS**		
I	**सांविधिक रिज़र्व / Statutory Reserve**		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	3019 34 70	3019 34 70
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	544 60 00	-
		2474 74 70	**3019 34 70**
II	**पूंजीगत रिज़र्व / Capital Reserve**		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	1840 36 68	1110 29 63
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	892 93 86	730 07 05
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		2733 30 54	**1840 36 68**
III	**पुनर्मूल्यन रिज़र्व / Revaluation Reserve**		
	प्रारंभिक शेष (अनुसूची 18 टिप्पणी 1(ii) देखें) Opening Balance (Refer Schedule 18 Note 1(ii))	5417 74 94	5607 82 67
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	सामान्य रिज़र्व में अंतरण / Transfer to General Reserve	363 86 71	190 07 73
		5053 88 23	**5417 74 94**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018	यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017
	अनुसूची 2 - रिज़र्व और अधिशेष SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS		
IV	**शेयर प्रीमियम / Share Premium**		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	12301 53 04	12301 53 04
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	5858 95 24	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		18160 48 28	**12301 53 04**
V	**राजस्व और अन्य रिज़र्व / Revenue and other Reserves**		
	(क) सामान्य रिज़र्व (a) General Reserve		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	5612 01 64	5419 84 00
	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	1 99 37	2 34 77
	पुनर्मूल्यन रिज़र्व से अंतरित Transferred from Revaluation Reserve	363 86 71	190 07 73
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	1 11	24 86
		5977 86 61	**5612 01 64**
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व (b) Special Reserve under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	6 35 04	6 35 04
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		6 35 04	**6 35 04**
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिज़र्व (c) Special Reserve created & maintained under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	1566 00 00	1566 00 00
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		1566 00 00	**1566 00 00**
VI	**लाभ-हानि लेखे में शेष राशि Balance in Profit and Loss Account**	(17148 54 05)	(8559 86 45)
	कुल (I से VI) / TOTAL (I to VI)	**18824 09 35**	**21203 49 59**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018	यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017
अनुसूची 3 - जमाराशियां / SCHEDULE 3 - DEPOSITS		
अ/A		
I. मांग जमाराशियां / Demand Deposits		
(i) बैंकों से / From banks	7851 29 27	9255 49 00
(ii) अन्य से / From others	27030 68 62	24730 95 98
	34881 97 89	**33986 44 98**
II. बचत बैंक जमाराशियां / Savings Bank Deposits	**57125 10 23**	**50383 74 67**
III. मीयादी जमाराशियां / Term Deposits		
(i) बैंकों से / From banks	13744 53 06	23467 05 58
(ii) अन्य से / From others	142024 95 56	160378 42 66
	155769 48 62	183845 48 24
कुल (I से III) / TOTAL (I to III)	**247776 56 74**	**268215 67 89**
आ/B		
(i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां Deposits of branches in India	246882 58 24	267046 78 24
(ii) भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां Deposits of branches outside India	893 98 50	1168 89 65
कुल / **TOTAL**	**247776 56 74**	**268215 67 89**

(₹ 000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018	यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017
अनुसूची 4 - उधार राशियां / SCHEDULE 4 - BORROWINGS		
I. भारत में उधार राशियां / Borrowings in India		
(I) भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India	11561 00 00	-
(II) अन्य बैंक / Other banks	-	3673 45 00
(III) टीयर 1 (नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत) Tier 1 (Innovative Perpetual Debt Instrument)	1708 80 00	1708 80 00
(IV) अतिरिक्त टीयर I बांड / Additional Tier 1 Bond	-	5000 00 00
(V) अपर टीयर 2 बांड / Upper Tier 2 Bonds	4286 20 00	4286 20 00
(VI) अप्रतिभूत, प्रतिदेय बांड (टीयर 2 पूंजी के लिए गौण) Unsecured, Redeemable Bonds (Subordinated for Tier 2 Capital)	6530 00 00	7078 00 00
(VII) बासेल III ओम्नी टीयर 2 बांड Basel III Omni Tier 2 Bond	1900 00 00	1900 00 00
(VIII) अन्य* / Others *	18950 05 76	10461 17 47
II. भारत के बाहर से उधार राशियां / Borrowings outside India	18249 46 96	22256 35 26
कुल (I और II) / TOTAL (I and II)	**63185 52 72**	**56363 97 73**

* बेमीयादी ऋण लिखत सहित ₹ 8500000 हजार (₹ 8500000 हजार) जो सीआरएआर के लिए योग्य नहीं हैं
Includes Perpetual Debt Instrument ₹ 850 00 00 thousand (₹ 850 00 00 thousand), which does not qualify for CRAR

* ऊपर I और II में शामिल प्रतिभूत उधार राशियां ₹ 21107 83 25 हजार (₹1052 60 09 हजार)
Secured borrowings included in I and II above- ₹ 21107 83 25 thousand (₹ 1052 60 09 thousand)

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018	यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017
	अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
I.	देय बिल / Bills Payable	1557 79 15	1429 94 55
II.	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)	77 08	77 08
III.	उपचित ब्याज / Interest accrued	1180 91 09	1438 47 53
IV	**अन्य (प्रावधान सहित) / Others (Including Provisions)**		
	(क) मानक आस्तियों के प्रति विवेकपूर्ण प्रावधान (a) Prudential provisions against standard assets	1911 61 40	3046 11 75
	(ख) प्राप्त अग्रिम भुगतान (b) Advance payments received	396 12 41	628 54 86
	(ग) देय लाभांश और लाभांश कर (c) Dividend and Dividend Tax payable	4 75	11 88 29
	(घ) विविध लेनदार (d) Sundry Creditors	332 84 24	328 60 91
	(ङ) देय सेवा कर / टीडीएस / अन्य कर (e) Service Tax/TDS/Other taxes payable	81 53 14	46 22 47
	(च) विविध जमाराशियां (f) Sundry Deposits	64 46 50	39 57 19
	(छ) अन्य प्रावधान (g) Other Provisions	2598 84 34	2849 53 79
	(ज) विविध* (h) Miscellaneous*	10055 82 88	4755 73 89
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**18180 76 98**	**14575 42 31**

* भारत सरकार से लंबित शेयरों के आबंटन से प्राप्त ₹ 7881 00 00 हजार (₹ 1900 00 00 हजार) की शेयर आवेदन धनराशि सहित

* Includes Share Application Money of ₹ 7881 00 00 Thousand (₹ 1900 00 00 Thousand) received from GoI pending allotment of Shares

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018	यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017
	अनुसूची 6 - नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I.	हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	1498 26 16	2140 28 32
II.	भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष / Balances with Reserve Bank of India		
	(i) चालू खातों में / in Current Accounts	11670 93 82	11209 34 36
	(ii) अन्य खातों में / in Other Accounts	-	-
	कुल (I और II) / TOTAL (I and II)	**13169 19 98**	**13349 62 68**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018	यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017
	अनुसूची 7 - बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि **SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE**		
I	**भारत में / In India**		
	(i) बैंकों के पास शेष / Balance with banks		
	(क) चालू खातों में (a) in Current Accounts	393 40 54	304 52 03
	(ख) अन्य जमा खातों में (b) in Other Deposit Accounts	365 47 12	337 29 93
	(ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Money at call and short notice		
	(क) बैंकों के पास (a) with Banks	-	-
	(ख) अन्य संस्थाओं के पास (b) with other Institutions	16750 00 00	18400 00 00
		17508 87 66	**19041 81 96**
II	**भारत से बाहर / Outside India**		
	(i) चालू खातों में / in Current Accounts	212 13 71	19 18 24
	(ii) अन्य जमा खातों में / in Other Deposit Accounts	2796 00 75	214 00 50
	(iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Money at Call and Short Notice	94 85 33	107 67 65
		3102 99 79	**340 86 39**
	कुल (I और II) / TOTAL (I and II)	**20611 87 45**	**19382 68 35**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018	यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017
	अनुसूची 8 - निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS		
I	**भारत में निम्न में निवेश / Investments in India in**		
(i)	सरकारी प्रतिभूतियां / Government Securities	74599 17 77	83993 15 13
(ii)	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other approved securities	-	-
(iii)	शेयर / Shares	2780 83 58	3106 57 76
(iv)	डिबेंचर और बांड* / Debentures and Bonds*	11908 35 22	2250 32 03
(v)	सहायक संस्थाएं और / या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/ or Joint Ventures	13 50 00	25 50 00
(vi)	अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंडों के यूनिट, एसआर, पीटीसी) Others (CPs, Units in MFs, SRs,PTCs)	1769 04 07	3699 31 99
		91070 90 64	**93074 86 91**
II	**भारत से बाहर निम्न में निवेश / Investments outside India in**		
(i)	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) Government Securities (including local authorities)	776 77 13	-
(ii)	सहायक संस्थाएं और / या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/ or Joint Ventures	-	-
(iii)	अन्य निवेश (शेयर) / Other Investments (shares)	-	-
		776 77 13	**-**
	कुल (I और II) / TOTAL (I and II)	**91847 67 77**	**93074 86 91**
III	**भारत में निवेश / Investments in India**		
	निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments	95668 76 87	95856 94 07
	घटाएं: कुल प्रावधान / मूल्यह्रास Less: Aggregate Provision/ Depreciation	4597 86 23	2782 07 16
	निवल निवेश / Net Investments	**91070 90 64**	**93074 86 91**
IV	**भारत से बाहर निवेश / Investments outside India**		
	निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments	781 45 37	-
	घटाएं: कुल प्रावधान / मूल्यह्रास Less: Aggregate Provision/ Depreciation	4 68 24	-
	निवल निवेश / Net investments	776 77 13	-

* गैर-एसएलआर एचटीएम प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत ₹ 78810000 हजार (₹ शून्य हजार) की भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों सहित

* Includes Special GOI Securities of ₹ 7881 00 00 Thousand (₹ NIL Thousand) classified as Non-SLR HTM Securities.

IDBI BANK

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

			यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018	यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017
	अनुसूची 9 - अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES			
अ A				
	(i)	खरीदे और भुनाए / पुनर्भुनाए गए बिल Bills purchased and discounted/ rediscounted	3617 35 78	5617 69 05
	(ii)	नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट तथा मांग पर प्रतिदेय ऋण Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	49450 36 06	53223 92 29
	(iii)	मीयादी ऋण */ Term loans *	118672 22 68	131984 31 37
	कुल / TOTAL		**171739 94 52**	**190825 92 71**
आ B				
	(i)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत ** / Secured by Tangible Assets **	162201 09 39	177115 60 93
	(ii)	बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा सुरक्षित *** Covered by Bank/ Government Guarantees***	2544 27 99	7056 59 28
	(iii)	अप्रतिभूत / Unsecured	6994 57 14	6653 72 50
	कुल / TOTAL		**171739 94 52**	**190825 92 71**
इ C				
I	**भारत में अग्रिम / Advances in India**			
	(i)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र / Priority sector	62995 61 05	60560 29 66
	(ii)	सार्वजनिक क्षेत्र / Public sector	12907 66 10	8572 20 34
	(iii)	बैंक / Banks	1606 08 28	486 48 43
	(iv)	अन्य / Others	81279 72 64	98696 48 85
	कुल / TOTAL		**158789 08 07**	**168315 47 28**
II	**भारत से बाहर अग्रिम / Advances Outside India**			
	(i)	बैंकों से प्राप्य / Due from Banks	185 79 95	181 10 11
	(ii)	अन्य से प्राप्य / Due from others:		
		(क) खरीदे तथा भुनाए गए बिल (a) Bills purchased and discounted	666 67 33	1787 43 00
		(ख) समूहित ऋण (b) Syndicated Loans	3670 03 15	3911 12 14
		(ग) अन्य (c) Others	8428 36 02	16630 80 18
	कुल / TOTAL		**12950 86 45**	**22510 45 43**
	कुल योग (इ I और इ II) / GRAND TOTAL (C I and C II)		**171739 94 52**	**190825 92 71**

* अंतर बैंक सहभागिता प्रमाण पत्र की बिक्री/ खरीदारी निवल ₹ 242 00 00 हजार (₹ 77074800 हजार) शामिल है
Includes net of sale/ purchase of IBPC of ₹ 242 00 00 thousand (₹ 7707 48 00 thousand)

** बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं
Includes Advances against book debts

*** अन्य बैंकों द्वारा जारी साख-पत्रों पर अग्रिम शामिल है
Includes Advances against Letter of Credit issued by other banks.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018	यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017
	अनुसूची 10 - अचल आस्तियां / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS		
I	**परिसर (अनुसूची 18 टिप्पणी 1(i) देखें)** **Premises (Refer Schedule 18 Note (1)(i))**		
	प्रारंभिक शेष (लागत पर) / Opening Balance (At Cost)	6770 10 70	6753 27 61
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	67 74 32	75 59 30
	वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यन / Revaluation made during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	498 04 61	-
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	794 50 68	668 21 45
		5545 29 73	**6160 65 46**
II	**अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर व फिक्सचर सहित)** **Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)**		
	प्रारंभिक शेष (लागत पर) / Opening Balance (At Cost)	2144 37 41	1944 62 27
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	210 89 47	143 99 80
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	31 64 15	8 82 89
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	1518 47 65	1347 81 23
		805 15 08	**731 97 95**
III	**पट्टे पर दी गयी आस्तियां / Assets given on Lease**		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance (At Cost)	601 81 79	601 81 79
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	पट्टा समायोजन लेखा / Lease Adjustment account	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	600 05 27	600 05 27
	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Non Performing Assets	1 76 52	1 76 52
		-	**-**
IV	**चालू पूंजीगत कार्य / Capital Work-in-Progress**	502 47 97	540 59 20
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**6852 92 78**	**7433 22 61**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018	यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017
	अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS		
I	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)	5 74	-
II	उपचित ब्याज / Interest accrued	2559 42 60	2584 99 17
III	अग्रिम कर भुगतान/ स्रोत पर कर कटौती (निवल) Tax paid in advance/ Tax Deducted at source (net)	4142 92 30	3186 90 39
IV	लेखन सामग्री और स्टॉम्प / Stationery and stamps	20 22	20 80
V	दावों की तुष्टि में प्राप्त गैर-बैंकिंग आस्तियां Non Banking Assets acquired in satisfaction of claims	791 98 93	791 98 93
VI	**अन्य / Others**		
	(क) आस्थगित कर आस्तियां (निवल) (a) Deferred Tax Asset (net)	11989 12 39	7624 21 12
	(ख) आबंटन के लिए लंबित शेयर / बांड (b) Shares/ Bonds pending allotment	307 27 94	45 47 20
	(ग) विविध जमाराशियां व अग्रिम (c) Sundry Deposit and Advances	229 37 53	174 88 71
	(घ) प्राप्य दावे (d) Claims Receivable	1337 53 32	488 09 62
	(ङ) दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) को अंतरित मामलों के संबंध में व्यय/संवितरण (e) Expenses/ Disbursements in respect of cases transferred to Stressed Assets Stabilisation Fund (SASF)	129 07 08	85 86 32
	(च) विविध * (f) Miscellaneous*	25428 17 20	23439 00 33
	कुल (I से VI) / TOTAL (I to VI)	**46915 15 25**	**38421 62 59**

* प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ₹ 24525 38 17 हजार (₹ 22405 44 79 हजार) का निवेश शामिल हैं.

* Includes Investment in Priority Sector ₹ 24525 38 17 thousand (₹ 22405 44 79 thousand)

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2018 As at 31-03-2018	यथा 31 मार्च 2017 As at 31-03-2017
	अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं **SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES**		
I	दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया Claims not acknowledged as debts	161 51 13	137 18 90
II	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts	91355 62 29	59827 52 55
III	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents		
	(क) -भारत में (a) -in India	50383 21 78	52830 16 63
	(ख) -भारत से बाहर (b) -outside India	899 72 96	2603 60 14
IV	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	18551 25 92	22875 64 31
V	ब्याज दर और मुद्रा स्वैप व ऋण चूक स्वैप के संबंध में देयता Liability in respect of Interest Rate and Currency Swaps and Credit Default Swaps	30085 29 18	38704 97 17
VI	अन्य डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में देयता Liability in respect of other Derivative Contracts	4738 17 56	7235 15 39
VII	विवादित आय कर, ब्याज कर, दंड और ब्याज मांग के निमित्त On account of disputed Income Tax, Interest Tax, penalty and interest demands	1754 36 45	1827 69 32
VIII	अन्य Others	116 57 20	48 27 12
	कुल (I से VIII) / TOTAL (I to VIII)	**198045 74 47**	**186090 21 53**

आकस्मिक देयताओं के ब्योरे के लिए अनुसूची 18 टिप्पणी 10 देखे

Refer Schedule 18 Note 10 for description of Contingent Liabilities.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2018	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2017
	अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED		
I	अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा Interest / discount on advances / bills	15693 55 26	19310 33 08
II	निवेशों से आय / Income on Investments	5904 99 34	6574 89 84
III	रिज़र्व बैंक के पास शेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with RBI and other inter-bank funds	237 18 03	458 29 87
IV	अन्य / Others	1210 52 65	1461 85 69
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**23046 25 28**	**27805 38 48**

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2018	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2017
	अनुसूची 14 - अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME		
I	कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange and brokerage	2246 89 75	2378 13 33
II	निवेशों की बिक्री पर लाभ /(हानि) (निवल) Profit/(Loss) on sale of investments (net)	3938 79 43	1255 12 19
III	निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ /(हानि) (निवल) Profit/(Loss) on revaluation of investments (net)	(3 11 46)	1 77 32
IV	भूमि, भवन तथा अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on sale of land, buildings and other assets (net)	516 69 10	(53 22)
V	विनिमय लेन-देनों / डेरिवेटिव पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on exchange transactions/ Derivatives (net)	156 61 76	224 73 79
VI	भारत में स्थित सहायक कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आय Dividend Income from Subsidiary Companies and / or Joint Ventures in India	-	-
VII	बट्टे खाते डाले गए मामलों से वसूली Recovery from written-off cases	220 17 01	158 60 60
VIII	विविध आय / Miscellaneous Income	167 30 50	189 58 47
	कुल (I से VIII) / TOTAL (I to VIII)	**7243 36 09**	**4207 42 48**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2018	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2017
	अनुसूची 15 - व्ययगत ब्याज SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED		
I	जमाराशियों पर ब्याज / Interest on Deposits	13172 92 09	17118 00 83
II	रिजर्व बैंक / अंतर-बैंक उधार राशियों पर ब्याज Interest on RBI / Inter-bank borrowings	399 33 15	1331 69 03
III	अन्य / Others	3803 95 18	3569 74 02
	कुल (I से III) / TOTAL (I to III)	**17376 20 42**	**22019 43 88**

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2018	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2017
	अनुसूची 16 - परिचालन व्यय SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES		
I	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	1900 30 21	2305 53 10
II	किराया, कर और बिजली Rent, taxes and lighting	450 25 97	436 78 94
III	मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and stationery	45 32 64	49 57 70
IV	विज्ञापन और प्रचार / Advertisement and publicity	31 53 32	58 59 66
V	बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास / Depreciation on the Bank's property	376 80 73	362 22 92
VI	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय / Director's fees, allowances and expenses	96 89	1 46 95
VII	लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय / Auditor's fees and expenses	14 95 90	2 36 35
VIII	विधि प्रभार / Law charges	16 28 75	13 10 41
IX	डाक खर्च, तार, टेलीफोन आदि / Postage, telegrams, telephones etc.	92 81 69	104 00 76
X	मरम्मत और रखरखाव / Repairs and maintenance	82 70 30	89 42 40
XI	बीमा / Insurance	218 13 62	231 05 07
XII	अन्य / Others		

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2018	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2017
(क) (a)	बैंकिंग व्यय Banking expenses	67 96 01	52 57 03
(ख) (b)	कार्ड और एटीएम व्यय Card & ATM expenses	359 97 94	342 37 82
(ग) (c)	परामर्श व्यय Consultancy expenses	11 94 11	15 34 93
(घ) (d)	बट्टे खाते मामलों की वसूली से संबंधित व्यय Expenses for recovery of write-off cases	5 14 44	3 90 79
(ङ) (e)	आउटसोर्सिंग व्यय Outsourcing expenses	704 28 19	630 79 23
(च) (f)	आईटी व्यय IT expenses	41 66 33	65 74 52
(छ) (g)	स्टाफ प्रशिक्षण और अन्य व्यय Staff training & other expenses	13 63 79	21 56 22
(ज) (h)	यात्रा और वाहन प्रभार Travelling and conveyance charges	26 24 15	35 56 54
(झ) (i)	ट्रेजरी व्यय Treasury expenses	6 68 43	9 58 79
(ञ) (j)	उधारी के लिए फीस तथा अन्य व्यय Fee and other expenses for borrowing	7 03 84	8 57 73
(ट) (k)	अन्य व्यय Other expenditure	417 33 22	402 97 09
कुल (I से XII) / TOTAL (I to XII)		**4892 00 47**	**5243 14 95**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची - 17 महत्वपूर्ण समेकित लेखा नीतियां
SCHEDULE 17 - CONSOLIDATED SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. तैयार करने का आधार : Basis of Preparation:

समूह के वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं. इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त लेखांकन नीतियां सभी दृष्टि से भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी), भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) तथा बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों, बीमा संविधि (संशोधन) अधिनियम 2015 द्वारा यथासंशोधित, बीमा अधिनियम, 1938, कंपनी अधिनियम, 2013 और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी तथा कंपनी (लेखा) नियमावली 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट, अधिनियम के प्रावधानों (जहाँ तक लागू हैं) के अनुसार और भारत में बैंकिंग उद्योग में सामान्यतः लागू प्रथाओं के अनुरूप हैं. समूह लेखांकन की उपचय पद्धति, जहां अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो को छोड़कर तथा परंपरागत लागत पद्धति का अनुसरण करता है. ग्रुप द्वारा लेखांकन नीतियों का सतत् रूप से प्रयोग किया गया है और ये केवल उन स्थानों को छोडकर जहां अन्यथा उल्लेखित न किया गया हो, पिछले वर्ष में अपनाई गई नीतियों के अनुरूप हैं.

The Group's financial statements have been prepared in accordance with requirements prescribed under the Third Schedule of the Banking Regulation Act, 1949. The accounting policies used in the preparation of these financial statements, in all material aspects, conform to Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), the guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) & Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) from time to time, the provisions of Insurance Act, 1938, as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015, the Companies Act , 2013 and the Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and prescribed under Section 133 of Companies Act, 2013 ('Act') read with Rule 7 of the Companies (Account) Rules, 2014, the provisions of the Act (to the extent applicable) and practices generally prevalent in the banking industry in India. The Group follows the accrual method of accounting, except where otherwise stated, and the historical cost convention. The accounting policies have been consistently applied by the Group and are consistent with those used in the previous year except where otherwise stated.

2. समेकन तैयार करना: Preparation of Consolidation:

समेकित वित्तीय विवरणों में लेखांकन मानक एएस-21 'समेकित वित्तीय विवरण', लेखांकन मानक, एएस-23 'समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक संस्थाओं में निवेश के लिए लेखांकन' और एएस-27 'संयुक्त उद्यमों में हित के बारे में वित्तीय रिपोर्टिंग' में परिभाषित किये अनुसार आईडीबीआई बैंक लि. (मूल कंपनी-''बैंक'') और इसकी सभी सहायक संस्थाओं / सहयोगी संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों के लेखे शामिल हैं. समेकन में प्रयुक्त सहायक संस्थाओं/ सहयोगी संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण उसी रिपोर्टिंग तारीख तक तैयार किये गये हैं जिस तारीख तक अर्थात् 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के वित्तीय विवरण तैयार किये गये हैं.

The consolidated financial statements include the accounts of IDBI Bank Limited (parent company – "the Bank") and all its subsidiaries/associates /Joint Venture/ as defined in Accounting Standard AS-21 'Consolidated Financial Statements', AS-23 'Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements' and AS-27 `Financial Reporting of Interests in Joint Ventures'. The financial statements of the subsidiaries/associates/joint venture used in the consolidation are drawn upto the same reporting date as that of the Bank i.e. year ended March 31, 2018.

बैंक के वित्तीय विवरणों को निम्न के साथ मिलाया गया है: (क) इसकी सहायक संस्थाओं की आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी मदों के बही-मूल्यों को पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर जोड़कर, (ख) इसके संयुक्त उद्यम की आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी मदों के आनुपातिक बही-मूल्यों को पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर समेकित कर, (ग) एएस-23 की इक्विटी प्रक्रिया के अनुसार इसकी सहयोगी संस्थाओं को समेकित कर. अंतः समूह संव्यवहारों को समेकन पर समाप्त कर दिया गया है. संयुक्त उद्यम के मामले में यह विलोपन, हिस्सेदारी के समतुल्य आनुपातिक आधार पर माना गया है.

The financial statements of the Bank have been combined with: (a) its subsidiaries on a line by line basis by adding the book values of like items of assets, liabilities, income & expenses, (b) its joint venture on a line by line basis by consolidating the proportionate book values of like items of assets, liabilities, income and expenses. The elimination has been considered on proportionate basis equivalent to the stake (c) its Associates by consolidating as per Equity method as per AS-23. Intra Group transactions have been eliminated on consolidation.

सहायक संस्थाओं में मूल संस्था के निवेश की लागत तथा सहायक संस्थाओं / सहयोगी संस्थाओं की इक्विटी में मूल संस्था के हिस्से के अंतर को वित्तीय विवरण-पत्रों में साख/पूंजी रिजर्व के रूप में दर्शाया गया है.

The difference between cost to the parent of its investment in the subsidiaries and the parent's portion of the equity of the subsidiaries/Associates is recognised in the financial statements as goodwill/ capital reserve.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

समेकित सहायक संस्थाओं की निवल आस्तियों में अल्पसंख्यक हित के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं:
Minority interest in the net assets of the consolidated subsidiaries consists of:

(क) सहायक संस्था में निवेश की तारीख को अल्पसंख्यकों से संबंधित इक्विटी की राशि; तथा
(a) The amount of equity attributable to the minorities at the date on which investment in a subsidiary is made; and

(ख) मूल संस्था-सहायक संस्था के संबंधों के अस्तित्व में आने के बाद से इक्विटी में अल्पसंख्यक शेयरों का घट-बढ़.
(b) The minorities' share of movements in equity since the date the parent-subsidiary relationship came into existence.

समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई संस्थाएं निम्नलिखित हैं :
The entities considered in the consolidated financial statements are:

क्र.सं. Sr. No.	कंपनी का नाम / Name of the company	निगमन देश Country of Incorporation	निम्न तारीख को स्वामित्व हित का % % of ownership interest as at	
			31 मार्च 2018 March 31, 2018	31 मार्च 2017 March 31, 2017
अ) A)	**वित्तीय सहायक संस्थाएं: Subsidiary Companies:**			
1)	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लिमिटेड. IDBI Capital Market Services Limited.	भारत / India	100	100
2)	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड IDBI Asset Management Company Limited.	भारत / India	66.67	100
आ) B)	**गैर-वित्तीय सहायक संस्थाएं : Non Financial Subsidiary Companies:**			
1)	आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड IDBI Intech Limited.	भारत / India	100	100
2)	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड. IDBI MF Trustee Company Limited.	भारत / India	100	100
3)	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. IDBI Trusteeship Services Ltd	भारत / India	54.70	54.70
इ) C)	**जीवन बीमा संयुक्त उद्यम: Life Insurance Joint Venture:**			
1)	आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. IDBI Federal Life Insurance Company Limited.	भारत / India	48	48
ई) D)	**सहयोगी संस्थाएं: Associates Companies:**			
1)	नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि. National Securities Depository Ltd.	भारत / India	30	30
2)	एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.* NSDL e-Governance Infrastructure Ltd*	भारत / India	0.00	30
3)	बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लि. Biotech Consortium India Ltd	भारत / India	27.93	27.93

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

क्र.सं. Sr. No.	कंपनी का नाम / Name of the company	निगमन देश Country of Incorporation	निम्न तारीख को स्वामित्व हित का % % of ownership interest as at	
			31 मार्च 2018 March 31, 2018	31 मार्च 2017 March 31, 2017
4)	नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कार्पोरेशन लि. North Eastern Development Finance Corporation Ltd	भारत / India	25	25
5)	पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि. (पीआईपीडीआईसीएल) Pondicherry Industrial Promotion Development And Investment Corporation Ltd (PIPDICL). #	भारत / India	21.14	21.14

* वित्तीय वर्ष 17-18 के दौरान कुल चुकता इक्विटी का 30% अर्थात्, 120,00,000 इक्विटी शेयरों की समग्र शेयरधारिता को बेच दिये जाने के कारण यह सहयोगी संस्था नहीं रही.
Ceased to be associate as entire stake of 1,20,00,000 equity shares constituting 30% of the total paid up equity was sold during FY 17-18.

वित्तीय विवरण/ वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने कारण पीआईपीडीआईसीएल के वित्तीय विवरणों पर समेकन के लिए विचार नहीं किया गया है. उक्त कंपनी के निवेश को अवलेखित कर एक रुपये कर दिया गया है.
The financials of PIPDICL are not considered for consolidation on account of non receipt of financial statements/ annual report. The investment in the said company has been written down to Rupee one

3. अनुमानों का उपयोग:
Use of Estimates:

वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रबंधन के लिए यह जरूरी है कि वह ऐसे अनुमान एवं धारणाएं बनाए जो वित्तीय विवरणों की तारीख को दर्शायी गई आस्तियों, देयताओं, व्ययों, आय की राशि और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करें. प्रबंधन को विश्वास है कि ये अनुमान एवं धारणाएं तर्कपूर्ण और विवेकपूर्ण हैं. तथापि, वास्तविक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं. लेखा अनुमानों में किसी भी तरह के संशोधन को चालू तथा भावी अवधियों में भविष्यलक्षी प्रभाव से हिसाब में लिया जाता है.
The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognised prospectively in current and future periods.

4. राजस्व निर्धारण:
Revenue Recognition:

राजस्व का निर्धारण इस अधिसंभाव्य सीमा के तहत किया जाता है कि समूह को आर्थिक लाभ मिलेगा तथा राजस्व का विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सके.

Revenue is recognised to the extent it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured.

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में,
A. In case of IDBI Bank Limited,

i. ब्याज आय की गणना उपचय आधार पर की जाती है, जबकि अनर्जक आस्तियों के मामले में रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली के बाद गणना की जाती है.
Interest income is recognised on accrual basis except in the case of non performing assets where it is recognised upon realization as per the prudential norms of RBI.

ii. साख पत्र (एलसी)/बैंक गारंटी (बीजी) पर कमीशन साख पत्र/बैंक गारंटी की अवधि के दौरान उपचित होता है.
Commissions on Letter of Credit (LC) / Bank Guarantee (BG) are accrued over the period of LC/ BG.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

iii. शुल्क आधारित आय को प्राप्ति की सुनिश्चितता के आधार पर उपचित किया जाता है तथा यह ग्राहक के साथ करार की शर्तों के अनुसार कार्य की प्रगति पर आधारित होता है.
Fee based income are accrued on certainty of receipt and is based on milestones achieved as per terms of agreement with the client.

iv. बट्टाकृत लिखतों पर आय को निरंतर प्रतिफल आधार पर लिखत की अवधि के अनुसार निर्धारित किया जाता है.
Income on discounted instruments is recognised over the tenure of the instrument on a constant yield basis.

v. लाभांश की प्राप्ति का अधिकार सिद्ध हो जाने पर लाभांश की गणना उपचय आधार पर की जाती है.
Dividend is accounted on an accrual basis when the right to receive the same is established.

vi. गैर-निष्पादित अग्रिमों के मामले में वसूली का विनियोजन बैंक की नीति के अनुसार किया जाता है.
In case of Non-performing advances, recovery is appropriated as per the policy of the bank.

आ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि. के मामले में,
B. In case of IDBI Capital Market Services Limited,

i. कूपन दर वाली ऋण प्रतिभूतियों की एकमुश्त आधार पर खरीद अथवा बिक्री पर प्रदत्त अथवा प्राप्त कुल प्रतिफल को मुख्य प्रतिफल और उपचित ब्याज के रूप में अलग से निर्धारित किया जाता है. ऐसी प्रतिभूतियों की खरीद पर निवल ब्याज के रूप में प्रदत्त राशि तथा बिक्री पर प्राप्त राशि की निवल आधार पर गणना की जाती है और उसे ब्याज के जरिए व्यय अथवा आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है.
Total consideration paid or received on purchase or sale, on outright basis, of coupon-bearing debt securities is identified separately as principal consideration and accrued interest. Amount paid as accrued interest on purchase, and received on sale, of such securities is netted and reckoned as expense or income by way of interest.

ii. तुलन-पत्र तारीख को धारित नियत कूपन दर वाली ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज, खंडित अवधि के लिए कूपन दर पर उपचित होता है. अस्थिर दर प्रतिभूतियों पर ब्याज निर्गम की शर्तों के अनुसार निर्धारित दरों पर उपचित होता है.
Interest on fixed coupon debt securities, held as on the Balance Sheet date, is accrued for the broken period at the coupon rate. Interest on floating rate securities is accrued at rates determined as per the terms of the issue.

iii. निवेशों की बिक्री पर लाभ का निर्धारण निपटान की तारीख को होता है. यह अर्जन लागत पर बिक्री / मोचन आय का आधिक्य दर्शाता है. लागत का निर्धारण भारित औसत आधार पर किया जाता है. निवेशों की बिक्री पर लाभ की गणना निवेशों की बिक्री पर हुई हानि को समायोजित कर की जाती है.
Profit on Sale of Investments is recognised on the settlement date. It represents the excess of Sale / Redemption proceeds over the acquisition cost. Cost is determined on a weighted average basis. Profit on sale of Investments is netted with loss on sale of Investments.

iv. कंपनी द्वारा हामीदारी दिए गए निर्गमों के संदर्भ में इक्विटी शेयरों के न्यागमन को निवेश माना जाता है. इन निर्गमों पर हामीदारी आय को लाभ-हानि लेखे में जमा किया जाता है और इन्हें निवेशों के मूल्य के प्रति समायोजित नहीं किया जाता.
Devolvement of equity shares in respect of issues underwritten by the company are treated as investments. Underwriting income on these issues are credited to profit and loss account and not netted against the value of investments.

v. सेकंडरी मार्केट परिचालनों पर अर्जित दलाली और कमीशन को क्रय-विक्रय की तारीखों के आधार पर निर्धारित किया जाता है. ऑनलाइन पोर्टल परिचालनों पर दलाली को क्रय-विक्रय की तारीखों के आधार पर निर्धारित किया जाता है. निर्गम की मार्केटिंग और संसाधन संग्रहण के संबंध में दलाली और कमीशन, सूचना की उपलब्धता की सीमा तक उपचित है. डिपॉजिटरी, पोर्टफोलियो प्रबंधन और अन्य शुल्कों को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है. लाभांश का निर्धारण तब किया जाता है जब तुलन पत्र की तारीख को कंपनी के भुगतान प्राप्त करने का अधिकार निर्धारित किया जाता है. राजस्व में सेवा कर/जीएसटी, जहां भी वसूल किया गया है, शामिल नहीं है. निर्गम प्रबंधन, ऋण समूहन तथा वित्तीय सलाहकारी सेवाओं से प्राप्त राजस्व की गणना ग्राहक के साथ किए गए करार की शर्तों के आधार पर की जाती है.
Brokerage and commission earned on secondary market operations is recognised on the basis of trade dates. Brokerage on online portal operations is recognised on the basis of trade dates. Brokerage and commission in respect of issue marketing and resource mobilization are accrued to the extent of availability of information.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

Depository, Portfolio Management and other fees are accounted for on accrual basis. Dividend is recognised when the company's right to receive payment is established by the balance sheet date. Revenue excludes Service Tax/ GST, wherever recovered. Revenue from issue management, loan syndication and financial advisory services is recognised as per terms of agreement with the client.

vi. दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिलों और ट्रेड में स्टॉक प्रकृति वाली अन्य प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय को कंपनी की निधियों का टर्नओवर दर्शाने के लिए लाभ और हानि खाते में प्रकटन किया जाता है और इसमें केवल एकमुश्त लेन-देन शामिल हैं. इस उद्देश्य के लिए जब ये प्रतिभूतियाँ परिपक्वता की तारीख तक कंपनी के पास रहती हैं, तो बिक्री में मोचन से प्राप्त आय को भी शामिल किया जाता है.
Purchases and sales of dated government securities, treasury bills and other securities in the nature of stock in trade are disclosed in the Profit and Loss Account, with a view to indicating the turnover of funds of the company and include only outright transactions. For this purpose, sales also include redemption proceeds, if any, when these securities are held by the company till the date of maturity..

इ आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के मामले में,
C. In case of IDBI Asset Management Company Limited,

i. निवेश प्रबंधन शुल्कः निवेश प्रबंधन शुल्क का निर्धारण उपचित आधार पर आईडीबीआई म्यूचुअल फंड की योजनाओं की दैनिक औसत निवल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में उपचय आधार पर सेवा कर को घटाकर इस प्रकार किया जाता है कि यह यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ('सेबी') (म्यूचुअल फंड) विनियमन, 1996 ('विनियमन') विनिर्दिष्ट दरों से अधिक न हो.
Investment Management fees: Investment Management fees are recognised net-off service tax on an accrual basis as a percentage of the average daily net assets of the schemes of IDBI Mutual funds, such that it does not exceed the rates prescribed by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Mutual Fund) Regulations, 1996 (the 'Regulations') as amended.

ii. अन्य आय : ब्याज आय को अवधि आनुपातिक आधार पर हिसाब में लिया जाता है. खरीद लागत निकालने के लिए फीफ़ो पद्धति का प्रयोग करते हुए क्रय-विक्रय की तारीख को निवेशों के विक्रय पर लाभ/हानि का निर्धारण लाभ-हानि विवरण में किया जाता है. लाभांश प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध हो जाने पर लाभांश आय का निर्धारण किया जाता है.
Other income: Interest income is accounted for on period proportion basis. The profit/loss on the sale of investments is recognised in the statement of Profit and Loss on the trade date using the FIFO method for arriving at purchase cost. Dividend income is recognised when the right to receive dividend is established.

ई. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. के मामले में,
D. In case of IDBI MF Trustee Company Limited,

i. ट्रस्टीशिप शुल्कः ट्रस्टीशिप शुल्क का निर्धारण उपचित आधार पर आईडीबीआई म्यूचुअल फंड की योजनाओं की दैनिक औसत निवल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में उपचय आधार पर इस प्रकार किया जाता है कि यह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ('सेबी') (म्यूचुअल फंड) विनियमन, 1996 ('विनियमन') तथा अन्य कोई संशोधन अथवा संबंधित योजनाओं के ऑफर डॉक्युमेंट में विनिर्दिष्ट दरों से अधिक न होने पाए.
Trusteeship fees: Trusteeship fees is recognised on accrual basis as a percentage of the average daily net assets of the schemes of IDBI Mutual funds, such that it does not exceed the rates prescribed by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Mutual Fund) Regulations, 1996 (the 'Regulations') and any other amendments or offer document of the respective schemes.

ii. अन्य आयः निवेशों से आय को उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है. लाभांश प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध हो जाने पर लाभांश आय का निर्धारण किया जाता है.
Other income: Income from Investments is accounted on accrual basis. Dividend income is recognised when the right to receive dividend is established.

उ. आईडीबीआई इंटेक लि. के मामले में,
E. In case of IDBI Intech Limited,

समय तथा तात्विक आधार पर मूल्य निर्धारित संविदाओं से प्राप्त राजस्व को उस समय हिसाब में लिया जाता है जब सेवाएं प्रदान की जाती हैं और संबंधित लागत उपगत की जाती है. उत्पादों की बिक्री से राजस्व को कार्य की प्रगति के आधार पर तथा सहमत शर्तों के अनुसार माल के स्वामित्व

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

के अंतरण पर हिसाब में लिया जाता है. वार्षिक तकनीकी सेवा राजस्व को प्रदान की गई सेवाओं की अवधि के दौरान आनुपातिक रूप से हिसाब में लिया जाता है. संपर्क केंद्र से प्राप्त राजस्व को बिक्री की पुष्टि प्राप्त होने पर हिसाब में लिया जाता है. अन्य आय को उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है. ब्याज से राजस्व का निर्धारण बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात आधार पर किया जाता है. बिल में न लिखा गया राजस्व, संविदा शर्तों के अनुसार दी गई सेवाओं का मूल्य प्रदर्शित करता है जो बिल में नहीं लिखा गया है और ग्राहक से प्राप्त ऐसे अग्रिम भुगतान जिनके लिए कोई सेवा प्रदान नहीं की गई है, उन्हें ग्राहक से प्राप्त अग्रिम के रूप में प्रकटन किया गया है.

Revenue from contracts priced on time and material basis are recognised when services are rendered & related costs are incurred. Revenue from sale of products is recognised on achievement of milestone basis and on transfer of property of goods as per agreed terms. Annual Technical Services revenue is recognised proportionately over the period in which the services are rendered. Revenue from Contact Centre is recognised upon receipt of confirmation of sales. Other Income is accounted on Accrual basis. Revenue from Interest is recognised as a time proportion basis taking into account the amount outstanding and rate applicable. Unbilled revenue represents value of services performed in accordance with the contract terms but not billed & Advance payment received from customer for which no services have been rendered, disclosed as Advance from Customer.

ऊ. *आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड, के मामले में,*

F. *In case of IDBI Trusteeship Services Limited,*

i. कंपनी अपना राजस्व स्वीकृति शुल्कों, सेवा प्रभारों, दस्तावेजीकरण प्रभारों, लॉकर के किराए और बैंक सावधि जमाराशियों और म्यूचुअल फंडों में निवेश से आय के रूप में प्राप्त करती है जिनकी गणना उपचय आधार पर की जाती है. यदि बकाया देय राशियां अगले दो वित्तीय वर्षों की समाप्ति तक वसूल नहीं की जाती हैं, तो समनुदेशनों को अनियमित समनुदेशन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. इस प्रकार के अनियमित समनुदेशनों की आय प्राप्ति के वर्ष में ही गणना में ली जाती है. ऐसे अनियमित समनुदेशनों के प्रति पिछले वर्ष / वर्षों में बकाया किसी भी राशि को ऐसे निर्धारण वर्ष में अशोध्य ऋण के रूप में बट्टे खाते में डाल दिया जाता है. जब अंतिम समाधान अनिश्चित हो, तो अन्य ऋणों को अशोध्य व बट्टे खाते डाला गया समझा जाता है.

The company derives its revenue from Acceptance Fees, Service Charges, Documentation Charges, Locker Rentals and Income from investments in Bank Fixed Deposit and Mutual Funds, which are accounted for on accrual basis. Assignments are to be classified as irregular assignments if any outstanding dues are not recovered till the end of next two financial years. Income in respect of such irregular assignments is accounted for in the year of receipt. Any previous year/s amounts outstanding against such irregular assignments are written off as bad debt in year of such determination. Other Debts are considered as bad and written off when ultimate realisation is uncertain.

ii. निवेश पर ब्याज आय को बकाया राशि तथा लागू ब्याज दर को हिसाब में लेते हुए समयानुपातिक आधार पर दर्शाया जाता है. इसे अन्य आय में शामिल किया जाता है.

Interest income on investment recognised on a time proportion basis taking into account amount outstanding and the applicable interest rate. It is included in other income.

ए. *आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में,*

G. *In case of IDBI Federal Life Insurance Company Limited,*

(i) **प्रीमियम आय:**

Premium Income:

गैर-संबद्ध कारोबार के लिए, प्रीमियम (सेवा कर/वस्तु एवं सेवा कर घटाकर) को देय होने पर आय के रूप में अभिनिर्धारित किया जाता है. व्यपगत पॉलिसियों के प्रीमियम को इन पॉलिसियों के फिर से सक्रिय होने पर आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है. गैर-संबद्ध परिवर्ती बीमा कारोबार के लिए प्रीमियम को प्राप्ति तारीख पर आय माना जाता है. संराशीकृत प्रीमियम को संराशीकरण वर्ष में देय माना जाता है और उसे नवीकरण प्रीमियम माना जाता है. टॉप अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम माना जाता है. संबद्ध कारोबार के लिए, संबद्ध यूनिटों के आबंटन पर प्रीमियम को आय माना जाता है.

For non-linked business, premium (net of service tax / goods and services tax) is recognised as income when due. Premium on lapsed policies is recognised as income when such policies are reinstated. For non-linked variable insurance business, premium is recognised as income on the date of receipt. Commuted premium is considered as due in the year of commutation and is considered as renewal premium. Top up premiums are considered as single premium. For linked business, premium is recognised as income when the associated units are allotted.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(ii) **संबद्ध निधि से आय:**
Income from Linked fund:

संबद्ध निधियों से आय, जिसमें निधि प्रबंधन प्रभार, नीति प्रशासन प्रभार, बीमा की लागत आदि शामिल हैं, को बीमा पॉलिसी के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार संबद्ध निधि से वसूला जाता है और उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है.
Income from linked funds which includes fund management charges, policy administration charges, cost of insurance, etc. are recovered from the linked fund in accordance with terms and conditions of policy and are accounted on accrual basis.

(iii) **निवेशों पर अर्जित आय:**
Income Earned on Investments:

निवेशों पर ब्याज आय को उपचय आधार पर निर्धारित किया जाता है. बट्टे का उपचय और ऋण प्रतिभूतियों से संबद्ध प्रीमियम के परिशोधन का निर्धारण सीधी रेखा आधार पर धारिता / परिपक्वता अवधि के बाद किया जाता है. बीमा पॉलिसियों पर ऋण से अर्जित ब्याज आय का निर्धारण उपचित आधार पर किया जाता है तथा इसे निवेशों पर ब्याज आय में शामिल किया जाता है. लाभांश की प्राप्ति का अधिकार सिद्ध हो जाने पर लाभांश आय का निर्धारण किया जाता है. वैकल्पिक निवेश फंडों से प्राप्त आय को उस समय निर्धारित किया जाता है जब आय फंड द्वारा वितरित की जाती है. संबद्ध कारोबार के अलावा ऋण प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ या हानि, निवल बिक्री प्रतिफल व परिशोधन लागत के बीच का अंतर होती है, जिसकी गणना बिक्री की तारीख के अनुसार औसत भारित आधार पर की जाती है.
Interest income on investments is recognised on accrual basis. Accretion of discount and amortization of premium relating to debt securities is recognised over the holding/maturity period on a straight-line basis. Interest income earned on loan against insurance policies is recognised on accrual basis and is included in interest income on investments. Dividend income is recognised when the right to receive dividend is established. Income from Alternative Investment Funds is recognised when the income is distributed by the fund. Profit or loss on sale of debt securities for other than linked business is the difference between the net sale consideration and the amortized cost, which is computed on a weighted average basis, as on the date of sale.

संबद्ध कारोबार के अलावा इक्विटी शेयरों व म्यूचुअल फंडों तथा वैकल्पिक निवेश फंड की यूनिटों की बिक्री पर लाभ या हानि निवल बिक्री प्रतिफल व उसकी रखाव राशि का अंतर होता है, जिसकी गणना बिक्री की तारीख के अनुसार औसत भारित आधार पर की जाती है तथा इसमें पूर्व में "उचित मूल्य परिवर्तन खाते" के अंतर्गत निर्धारित उचित मूल्य के संचयी परिवर्तनों को शामिल किया जाता है. संबद्ध कारोबार के लिए धारित निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि निवल बिक्री प्रतिफल व उसकी रखाव राशि का अंतर होता है, जिसकी गणना बिक्री की तारीख के अनुसार औसत भारित आधार पर की जाती है.
Profit or Loss on sale of equity shares, mutual funds and alternative investment fund units for other than linked business is the difference between the net sale consideration and the carrying amount, which is computed on weighted average basis, as on the date of sale and includes the accumulated changes in the fair value previously recognised under "Fair Value Change Account". Profit or loss on sale of investment held for linked business is the difference between the net sale consideration and the carrying amount, which is computed on a weighted average basis, as on the date of sale.

(iv) **शुल्क और प्रभार**
Fees and Charges

आईआरडीएआई विनियमों के अनुसार पॉलिसीधारकों की अदावी राशि से प्रशासन तथा निधि प्रबंधन व्ययों की वसूली का हिसाब उपचित आधार पर किया जाता है.
Recovery towards administration and fund management expenses from the Unclaimed Amount of Policyholders in accordance with IRDAI regulations is accounted on accrual basis

5 **आईडीबीआई फेडरल लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में**
In case of IDBI Federal Life Insurance Company Limited

i) **अर्जन लागत:**
Acquisition Costs:

अर्जन लागतें ऐसी लागतें होती हैं जो भिन्न-भिन्न होती हैं और प्राथमिक रूप से बीमा संविदा के अर्जन से जुड़ी होती हैं तथा ये उसी अवधि में व्यय की जाती हैं, जिस अवधि में उपगत होती हैं.

Acquisition costs are costs that vary with and are primarily related to acquisition of insurance contracts and are expensed in the period in which they are incurred

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ii) **प्रदत्त लाभ:**
Benefits Paid:

प्रदत्त लाभ में पॉलिसी लाभ का दावा निपटान, यदि कोई हो, शामिल है.
Benefits paid comprise of policy benefits and claim settlement costs, if any.

मृत्यु, राइडर,आहरण एवं अभ्यर्पण दावे सूचना मिलने के बाद हिसाब में लिए जाते हैं. उत्तरजीविता लाभ दावे व परिपक्वता दावे देय होने पर हिसाब में लिए जाते हैं. संबद्ध पॉलिसियों के अंतर्गत किए गए आहरण एवं अभ्यर्पण सहबद्ध यूनिटों के निरस्त होने पर संबंधित योजनाओं में हिसाब में लिए जाते हैं. दावों पर पुनर्बीमा वसूलियां संबंधित दावों की अवधि में ही हिसाब में ली जाती हैं.
Death, rider, withdrawals and surrender claims are accounted for on receipt of intimation. Survival benefit claims and maturity claims are accounted when due. Withdrawals and Surrenders under linked policies are accounted in the respective schemes when the associated units are cancelled. Reinsurance recoveries on claims are accounted for, in the same period as the related claims.

iii) **बीमांकिक देयता मूल्यांकन:**
Actuarial liability valuation:

जीवन बीमा के मामले में प्रवर्तनशील बीमा पॉलिसियों के संबंध में तथा ऐसी पॉलिसियों के संबंध में जहाँ प्रीमियम तो जारी नहीं है, लेकिन देयता विद्यमान है, उनके संबंध में बीमांकिक देयता का निर्धारण नियुक्त बीमांकक द्वारा स्वीकार्य बीमांकक प्रथाओं, बीमा अधिनियम, 1938, बीमा संविधि (संशोधन) अधिनियम 2015 द्वारा यथासंशोधित, इरडा विनियमों तथा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों व भारतीय बीमांकक संस्थान के बीमांकक प्रथा मानकों की अपेक्षाओं के अनुरूप सकल प्रीमियम पद्धति से किया जाता है. संबद्ध पॉलिसियों के अंतर्गत देयताएं यूनिटों के मूल्य व मृत्यु एवं रुग्णता जोखिमों के संबंध में भावी गैर यूनिट रिजर्व का योग करने के बाद पॉलिसी प्रभार घटाकर निकाली जाती हैं.
Actuarial liability for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but a liability exists, is determined by the Appointed Actuary using the gross premium method, in accordance with accepted actuarial practice, requirements of Insurance Act, 1938, as amended by the Insurance Law (Amendment) Act, 2015, IRDA regulations & circulars issued from time to time and the Actuarial Practice Standards of the Institute of Actuaries of India. Liabilities under unit linked policies are the sum of the value of units and the prospective non unit reserve in respect of mortality and morbidity risks and future policy expenses, less policy charges.

iv) **पुनर्बीमा प्रीमियम:**
Reinsurance premium:

सत्तातरित पुनर्बीमे की लागत पुनर्बीमाकर्ता के साथ संधि अथवा सैद्धान्तिक व्यवस्था के अनुसार प्रीमियम आय के निर्धारण के समय की गई है. सत्तातरित पुनर्बीमे पर लाभ या कमीशन को पुनर्बीमा पर सत्तांतरित प्रीमियम में से निवलित किया गया है.
Cost of reinsurance ceded is accounted for at the time of recognition of premium income in accordance with the treaty or in-principle arrangement with the reinsurer. Profit or commission on reinsurance ceded is netted off against premium ceded on reinsurance.

v) **भावी समायोजन के लिए निधियां:**
Funds for Future Appropriations:

प्रतिभागी खंड में भावी समायोजन के लिए बताई गई निधियां वह अधिशेष है, जिसे तुलन पत्र की तारीख को पॉलिसीधारकों या अंशधारकों को आबंटित नहीं किया गया हैं. प्रतिभागी पॉलिसीधारक को किया गया कोई भी आबंटन अंशधारकों के लाभ हानि लेखे में अंतरण में अपेक्षित अनुपात में वृद्धि करेगा.
The funds for future appropriations, in the participating segment, represent the surplus, which is not allocated to policyholders or shareholders as at the Balance Sheet date. Any allocation to the participating policyholders would also give rise to a transfer to Shareholders' Profit and Loss Account in the required proportion.

vi) **वस्तु और सेवा कर (पूर्ववर्ती 'सेवा कर'):**
Goods and Services Tax (erstwhile 'Service tax'):

जीवन बीमा सेवा पर वस्तु और सेवा कर के दायित्व का निपटान वस्तु एवं सेवाओं की निविष्टियों पर अदा किए गए कर पर उपलब्ध निविष्टि कर जमा ('आईटीसी') से किया गया है. अनुपयोगित क्रेडिट, यदि कोई हो तो उसे आगे पृथक किया गया है.
Goods and Services Tax liability on life insurance service is set-off against the input tax credits ('ITC') available from tax paid on input of goods or services. Unutilized credits, if any, are carried forward for set-off.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

vii) **ऋण:**
Loans:

पॉलिसियों पर ऋण को ऐतिहासिक लागत पर विवरित किया गया है जो कि मूल्यह्रास के लिए प्रावधान, यदि कोई हो, के अधीन है.
Loans against policies are stated at historical cost, subject to provision for impairment, if any.

6. अग्रिम और प्रावधान :
Advances and Provisions:

i. अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं और प्रबंधन के निर्णय के अनुसार अतिरिक्त प्रावधान किए जाते हैं. अग्रिमों को अनर्जक अग्रिमों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर दिखाया जाता है.
Advances are classified into Standard, Sub-standard, Doubtful and Loss assets and provisions are made in accordance with the prudential norms prescribed by RBI and additional provisions as decided by the management. Advances are stated net of provisions towards non-performing advances.

ii. जहाँ बही ऋणों सहित मूर्त प्रतिभूति पर अग्रिमों का न्यूनतम 10% भाग विनिर्दिष्ट/ सृजित किया जाता है, वहाँ अग्रिमों को 'मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. एस्क्रो, गारंटी, चुकौती आश्वासन पत्र, ब्रांड पर प्रभार, लाइसेंस, पेटेंट, कॉपीराइट आदि के रूप में प्रतिभूति को 'मूर्त आस्तियां' नहीं माना जाता है.
Advances are classified as 'Secured by Tangible Assets' when security of at least 10% of the advance has been stipulated/ created against tangible security including book debts. Security in the nature of escrow, guarantee, comfort letter, charge on brand, license, patent, copyright etc are not considered as `Tangible Assets'.

iii. विगत वर्षों में बट्टे खाते डाले गए ऋणों में की गई वसूलियों तथा उधारकर्ता की मौजूदा स्थिति में आवश्यक न समझे गए प्रावधानों की राशि को लाभ व हानि खाते में दर्शाया जाता है.
Amounts recovered against debts written-off in earlier years and provisions no longer considered necessary in the context of the current status of the borrower are recognised as income in the Profit and Loss account.

iv. बैंक अशोध्य और संदिग्ध अग्रिमों तथा निवेशों के लिए कोई अस्थायी प्रावधान नहीं करता है.
The Bank does not make any floating provision for bad and doubtful advances and investments

v. पुनर्संरचित/ पुनःनिर्धारण ऋणों और अग्रिमों का प्रावधान बैंकों द्वारा ऋणों और अग्रिमों की पुनर्संरचना पर लागू रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है.
Provision on loans and advances restructured/rescheduled is made in accordance with the applicable RBI guidelines on restructuring of loans and advances by Banks.

vi. बैंक, बोर्ड के अनुमोदन से प्रावधानीकरण पर संशोधित रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों द्वारा यथा अपेक्षित प्रति-चक्रीय बफर बनाता है और इसका उपयोग सीमाओं और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा अनुमत परिस्थितियों के भीतर करता है.
The Bank had made countercyclical provisioning buffer as required by RBI guidelines, amended from time to time, with the approval of the Board, which can be utilized within the limits and in the circumstances permitted by Reserve Bank of India (RBI).

7. निवेश:
Investments:

I. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में
In case of IDBI Bank Limited

अ. वर्गीकरण:
A. Classification:

निवेश वर्गीकरण एवं मूल्यांकन के बारे में रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:
In terms of extant guidelines of the RBI on Investment classification and Valuation, the entire investment portfolio is categorized as:

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

i. परिपक्वता तक धारित
Held To Maturity,

ii. बिक्री के लिए उपलब्ध तथा
Available For Sale and

iii. क्रय-विक्रय के लिए धारित
Held For Trading.

प्रत्येक श्रेणी के अतंर्गत निवेश को निम्नलिखित रूप में पुनःवर्गीकृत किया जाता है:
Investments under each category are further classified as:

i. सरकारी प्रतिभूतियां
Government Securities

ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
Other Approved Securities

iii. शेयर
Shares

iv. डिबेंचर तथा बांड
Debentures and Bonds

v. सहायक संस्थाएं/ संयुक्त उद्यम
Subsidiaries/ Joint Ventures

vi. अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड यूनिट, प्रतिभूति रसीदें, पास थ्रू प्रमाणपत्र)
Others (Commercial Paper, Mutual Fund Units, Security Receipts, Pass through Certificate).

आ. वर्गीकरण का आधार:
B. Basis of Classification:

क) बैंक द्वारा परिपक्वता तक धारित रखने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.
a) Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as 'Held to Maturity'.

ख) खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर मूलतः फिर से बिक्री के लिए धारित रखे गए निवेशों को 'क्रय-विक्रय के लिए धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.
b) Investments that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as 'Held for Trading'.

ग) जो निवेश उपर्युक्त दोनों श्रेणियों में नहीं आते हैं, उन्हें 'बिक्री के लिए उपलब्ध' शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.
c) Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as 'Available for Sale'.

घ) किसी निवेश को उसकी खरीद के समय 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री के लिए उपलब्ध' अथवा 'क्रय-विक्रय के लिए धारित' की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है और बाद में इन श्रेणियों के बीच में इनकी अदला-बदली तथा मूल्यांकन रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है.
d) An investment is classified as 'Held to Maturity', 'Available for Sale' or 'Held for Trading' at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories and its valuation is done in conformity with RBI guidelines.

ङ) सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.
e) Investments in subsidiaries, joint venture are classified as 'Held to Maturity'.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

इ. मूल्यांकन :
C. Valuation:

i) किसी निवेश की अर्जन लागत को निर्धारित करने में:
In determining the acquisition cost of an investment:

क) सेकंडरी बाजार से खरीदे गए इक्विटी लिखतों के मामले में प्रदत्त दलाली, कमीशन, स्टाम्प ड्यूटी और अन्य करों को अर्जन लागत में शामिल किया जाता है जबकि ट्रेजरी निवेशों सहित अन्य निवेशों के मामले में ऐसे व्ययों को लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है.
a) Brokerage, commission, stamp duty and other taxes paid are included in cost of acquisition in respect of acquisition of equity instruments from the secondary market whereas in respect of other investments, including treasury investments, such expenses are charged to Profit and Loss Account.

ख) खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/ प्राप्त ब्याज को अर्जन लागत/ बिक्री में से घटाया जाता है और उसे ब्याज व्यय/ आय के रूप में माना जाता है.
b) Broken period interest paid/ received is excluded from the acquisition cost/ sale and treated as interest expense/ income.

ग) लागत का निर्धारण भारित औसत लागत पद्धति के अनुसार किया जाता है.
c) Cost is determined on the weighted average cost method.

ii) 'परिपक्वता तक धारित' निवेशों को जब तक यह अंकित मूल्य से अधिक न हों, अर्जन लागत के अनुसार हिसाब में लिया जाता है. ऐसे मामलों में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष बची अवधि में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है. इस श्रेणी के अंतर्गत सहायक संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों में निवेशों के मूल्य में अस्थायी स्वरूप की कमी के अलावा होने वाली अन्य कमी के संबंध में प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग प्रावधान किया जाता है.
Investments 'Held To Maturity' are carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized on straight line basis over the remaining period of maturity. Diminution, other than temporary, in the value of investments in subsidiaries/ joint venture under this category is provided for each investment individually.

iii) 'ट्रेडिंग के लिए धारित' तथा 'बिक्री के लिए उपलब्ध' निवेशों के स्क्रिप-वार बाजार मूल्य को बही में अंकित किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी में हुए निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है जबकि किसी निवल वृद्धि, यदि कोई हो, को नहीं दर्शाया जाता है.
Investments 'Held For Trading' and 'Available For Sale' are marked to market scrip-wise and the resultant net depreciation, if any, in each category is recognised in the Profit and Loss Account, while the net appreciation, if any, are ignored.

क) ट्रेजरी बिलों, वाणिज्यिक पत्रों तथा जमा प्रमाणपत्रों का मूल्यांकन बट्टाकृत लिखत होने के कारण रखाव लागत पर किया जाता है.
a) Treasury Bills, commercial papers and certificates of deposit being discounted instruments are valued at carrying cost.

ख) क्रय-विक्रय/ उद्धृत किए गए निवेशों के संबंध में बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध क्रय-विक्रय/ भाव-सूची से लिया जाता है.
b) In respect of traded/ quoted investments, the market price is taken from the trades/ quotes available on the stock exchanges.

ग) उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों को मूल्य बाजार कीमत पर मूल्यांकित किया जाता है तथा अनुद्धृत / क्रय-विक्रय न की जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (एफआईएमएमडीए) के साथ मिलकर भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई) द्वारा घोषित कीमत पर किया जाता है.
c) The quoted Government Securities are valued at market prices and unquoted/non-traded government securities are valued at prices declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA).

घ) अनुद्धृत शेयरों का मूल्य अलग-अलग मूल्य या अद्यतन तुलन-पत्र उपलब्ध होने पर निवल आस्ति मूल्य पर, अन्यथा 1/- रुपये प्रति कंपनी के आधार पर निकाला जाता है और म्यूचुअल फंडों की यूनिटों का मूल्य रिज़र्व बैंक के सुसंगत दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्खरीद मूल्य पर निकाला जाता है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

d) The unquoted shares are valued at break-up value or at Net Asset Value if the latest balance sheet is available, else, at Re. 1/- per company and units of mutual fund are valued at repurchase price as per relevant RBI guidelines.

ङ) नियत आय वाली अनुद्धृत प्रतिभूतियों (सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर) का मूल्य समान परिपक्वता अवधि वाली केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता पर प्रतिफल (वाईटीएम) दरों पर समुचित रूप से अधिक दर निर्धारित कर वाईटीएम आधार पर निकाला जाता है. ऐसे मूल्य वृद्धि अंतर व वाईटीएम दरों को एफआईएमएमडीए द्वारा प्रकाशित संबंधित दरों के आधार पर लागू किया जाता है.

e) The unquoted fixed income securities (other than government securities) are valued on Yield to Maturity (YTM) basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government securities of equivalent maturity. Such mark-up and YTM rates applied are as per the relevant rates published by FIMMDA.

च) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यांकन रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए तथा ऐसे लिखतों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है. तद्नुसार ऐसे मामलों में जहाँ आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों से नकदी प्रवाह, संबंधित योजना में लिखतों को समनुदेशित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली तक सीमित हो, वहाँ बैंक आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों से समय-समय पर प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर इस प्रकार के निवेशों के मूल्यांकन के लिए निवल आस्ति मूल्य को हिसाब में लेता है.

f) Security receipts issued by the asset reconstruction companies are valued in accordance with the guidelines applicable to such instruments, prescribed by RBI from time to time. Accordingly, in cases where the cash flows from security receipts issued by the asset reconstruction companies are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Bank reckons the net asset value obtained from the asset reconstruction company from time to time, for valuation of such investments at each reporting period end.

छ) उद्धृत अधिमान्य शेयरों को बाजार दरों पर मूल्यांकित किया जाता है तथा अनुद्धृत / गैर-ट्रेडेड अधिमान्य शेयरों को परिपक्वता पर उचित प्रतिफल द्वारा मूल्यांकित किया जाता है जो रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मोचन मूल्य से अधिक नहीं होगा.

g) Quoted Preference shares are valued at market rates and unquoted/non-traded preference shares are valued at appropriate yield to maturity basis, not exceeding redemption value as per RBI guidelines.

निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में जमा/ नामे किया जाता है. तथापि, 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में निवेशों की बिक्री से लाभ को पहले लाभ-हानि लेखे में जमा किया जाता है और उसके बाद वर्ष/ अवधि की समाप्ति पर लागू करों को घटाकर पूंजी रिज़र्व खाते में समायोजित किया जाता है. बिक्री से हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.
Profit or Loss on sale of investments is credited/ debited to Profit and Loss Account. However, profits on sale of investments in 'Held to Maturity' category is first credited to Profit and Loss Account and thereafter appropriated, net of applicable taxes to the Capital Reserve Account at the year/period end. Loss on sale is recognised in the Profit and Loss Account.

निवेशों की राशि प्रावधानों को घटाकर दर्शाई जाती है.
Investments are shown net of provisions.

ई. रेपो एवं रिवर्स रेपो लेन-देन :
D. Repo and reverse repo transactions:

रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों व कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों (चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) व सीमांत आपाती सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत रिज़र्व बैंक से किए गए लेन-देनों सहित) रेपो व रिवर्स रेपो के लेन-देन क्रमशः ऋण लेने व ऋण देने वाले लेन-देन के रूप में दर्शाए जाते हैं. रेपो लेन-देन पर उधार लागत को ब्याज व्यय के रूप में तथा रिवर्स रेपो लेन-देन पर प्राप्त राजस्व को ब्याज आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है.
In accordance with the RBI guidelines repo and reverse repo transactions in government securities and corporate debt securities (including transactions conducted under Liquidity Adjustment Facility ('LAF') and Marginal Standby Facility ('MSF') with RBI) are reflected as borrowing and lending transactions respectively. Borrowing cost on repo transactions is accounted as interest expense and revenue on reverse repo transactions is accounted as interest income.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

रिज़र्व बैंक से एलएएफ एवं एमएसएफ के अंतर्गत किए गए रेपो लेन-देन के संबंध में रिज़र्व बैंक से उधार ली गई राशि को निवेश खाते में जमा कर लेन-देन की परिपक्वता पर रिवर्स किया जाता है. इस पर लगने वाली लागत को ब्याज व्यय माना जाता है. एलएएफ के अंतर्गत रिवर्स रेपो लेन-देनों के संबंध में रिज़र्व बैंक को दी गई राशि निवेश खाते में नामे कर लेन-देन की परिपक्वता पर रिवर्स कर दी जाती है. इस पर राजस्व को ब्याज आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है.

In respect of repo transactions under LAF and MSF with RBI, amount borrowed from RBI is credited to investment account and reversed on maturity of the transaction. Costs thereon are accounted for as interest expense. In respect of reverse repo transactions under LAF, amount lent to RBI is debited to investment account and reversed on maturity of the transaction. Revenues thereon are accounted as interest income.

II. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के मामले में
In case of IDBI Assets Management Company Limited

ऐसे निवेश जो तत्काल वसूली योग्य हैं और ऐसे निवेश करने की तारीख से एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए धारित नहीं किए जाने हैं, उन्हें चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. अन्य सभी निवेशों को दीर्घावधि निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. चालू निवेशों को लागत या उचित मूल्य, जो भी कम हो, पर दर्शाया जाता है. दीर्घावधि निवेशों को लागत पर दर्शाया जाता है. तथापि, निवेशों के मूल्य में कमी, अस्थायी कमी को छोड़कर, के संबंध में ह्रास के लिए प्रावधान किया जाता है. ऐसे घटाव का निर्धारण प्रत्येक निवेश के लिए किया जाता है.

Investments which are readily realizable and are intended to be held for not more than one year from the date, on which such investments are made, are classified as current investments. All other investments are classified as long term investments. Current investments are carried at cost or fair value, whichever is lower. Long-term investments are carried at cost. However, provision for diminution is made to recognize a decline, other than temporary, in the value of the investments, such reduction being determined and made for each investment.

III. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. के मामले में
In case of IDBI Trusteeship Services Limited

ऐसे सभी निवेश जो लंबे समय से धारित हैं, उन्हें गैर-चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. दीर्घावधि निवेश लागत पर दर्शाए जाते हैं. दीर्घावधि निवेशों के मूल्य में अस्थायी स्वरूप से भिन्न कमी को दर्शाया जाता है.

All investments which are held, since a long period, same are classified as Non Current Investments. Long term investments are stated at cost. Decline in value of long term investment is recognised, if considered other than temporary.

IV. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. के मामले में
In case of IDBI Capital Market Services Limited

क. निवेशों को गैर-चालू और चालू निवेशों के रूप वर्गीकृत किया जाता है. लाभांश तथा ब्याज के जरिए आय अर्जित करने के लिए तथा पूंजीगत मूल्यवृद्धि के प्रयोजनार्थ अर्जित तथा धारित प्रतिभूतियों और अन्य वित्तीय आस्तियों को गैर चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनका मूल्यांकन उनकी अर्जन लागत पर किया जाता है. उनके मूल्य में अस्थायी गिरावट से भिन्न गिरावट, यदि कोई हो, का निर्धारण किया जाता है. चालू निवेश कम लागत या बाजार मूल्य पर किया जाता है. मार्केट मेकर के रूप में बाजार निर्माण प्रक्रिया में अर्जित प्रतिभूतियों को धारिता-अवधि पर ध्यान दिये बिना चालू निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

a. Investments are classified into non-current and current investments. Securities and other financial assets acquired and held for earning income by way of dividend and interest and for the purpose of capital appreciation are classified as non-current investments and are valued at their cost of acquisition. Decline in their value other than temporary, if any, is recognised. Current investments are carried at lower of cost or market value. Securities acquired in the market making process as market maker are classified as Current Investments irrespective of the period of holding.

अल्पावधि धारिता और ट्रेडिंग के उद्देश्य से अर्जित प्रतिभूतियों को विक्रेय माल समझा जाता है और उसे चालू आस्तियों के रूप में माना जाता है.

Securities acquired with the intention of short-term holding and trading are considered as stock-in-trade and regarded as current assets.

ख. विक्रेय माल श्रेणीवार के रूप में धारित प्रतिभूतियों को कम लागत या बाजार/ उचित मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है. सिर्फ एकमुश्त लेन-देनों पर विचार करते हुए भारित औसत प्रणाली का अनुसरण कर लागत निकाली जाती है. बाजार मूल्य को वास्तविक क्रय-विक्रय के लिए बाजार भावों के आधार पर निर्धारित किया जाता है और जहां ऐसे भाव उपलब्ध नहीं हैं वहाँ उचित मूल्य निर्धारित किया जाता है, ऋण प्रतिभूतियों के मामले में, समान परिपक्वता और साख स्थिति की प्रतिभूतियों पर आय-प्राप्ति के संदर्भ में और इक्विटी के मामले में उपलब्ध अंतिम तुलन पत्र के अनुसार विश्लेषित मूल्य के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है. प्रत्येक प्रतिभूति को अलग-अलग मूल्यांकित किया जाता है. प्रत्येक प्रतिभूति के लिए मूल्यह्रास, यदि कोई हो, का प्रावधान किया जाता है और मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, तो उसे छोड़ दिया जाता है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

b. Securities held as stock-in-trade category wise are valued at lower of cost or market/fair value. Cost is derived by following the weighted average method considering only outright transactions. Market value is determined based on market quotes for actual trades and where such quotes are not available, fair value is determined, in the case of debt securities, with reference to yields on securities of similar maturity and credit standing, and in the case of equities, with reference to the break-up value as per the last available balance sheet. Each security is valued individually. The depreciation, if any, for each security is provided and the appreciation, if any, is ignored.

ग. निवेश के रूप में धारित सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रदत्त प्रीमियम को लिखत की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है.
c. Premium paid on government securities held as investment is amortized over the tenor of the instrument.

V. आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में
In case of IDBI Federal Life Insurance Company Limited

i. बीमा संविधि (संशोधन) अधिनियम 2015 द्वारा यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938, आईआरडीए (निवेश) विनियम, 2016 और आईआरडीए द्वारा इस संदर्भ में समय-समय पर जारी विभिन्न अन्य परिपत्रों/ अधिसूचनाओं और संशोधनों के अनुसार निवेश किए जाते हैं.
Investments are made in accordance with the Insurance Act, 1938 as amended by, Insurance Law (Amendment) Act, 2015, the IRDAI (Investment) Regulations, 2016, and various other circulars / notifications and amendments issued by the IRDA in this context from time to time.

ii. निवेशों को खरीद की तारीख को लागत पर दर्ज किया जाता है जिसमें दलाली तथा कर, यदि कोई हों, शामिल किए जाते हैं और उपचित ब्याज शामिल नहीं किए जाते हैं.
Investments are recorded at cost on the date of purchase, which includes brokerage and taxes, if any, and excludes accrued interest.

क) वर्गीकरण:
A) Classification:

i. तुलन-पत्र की तारीख से बारह महीने के भीतर परिपक्व होने वाले निवेश और तुलन-पत्र की तारीख से बारह महीनों में निपटाने के विशेष अभिप्राय से किए गए निवेशों को अल्पकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.
Investments maturing within twelve months from the balance sheet date and investments made with the specific intention to dispose them off within twelve months from the balance sheet date are classified as short term investments.

ii. अल्पकालिक निवेशों के अलावा अन्य निवेशों को दीर्घकालिक निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.
Investments other than short-term investments are classified as long-term investments.

ख) मूल्यांकन - शेयरधारकों के निवेश और गैर-संबद्ध पॉलिसीधारकों के निवेश
B) Valuation – shareholders' investments and non-linked policyholders' investments

i. सभी ऋण प्रतिभूतियों को 'परिपक्वता तक धारित' माना जाता है और वे तदनुसार परंपरागत लागत पर दर्शाई जाती हैं जो सीधी रेखा पद्धति के आधार पर परिपक्वता/ धारिता अवधि के दौरान प्रीमियम के परिशोधन अथवा छूट पर वृद्धि के अधीन हैं.
All debt securities are considered as 'held to maturity' and accordingly stated at historical cost, subject to amortization of premium or accretion of discount over the period of maturity/holding on a straight line basis.

ii. तुलन-पत्र की तारीख को सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों को उनके उचित मूल्य पर 'नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ('एनएसई')' - प्राथमिक एक्सचेंज पर अंतिम मूल्य पर अंकित किया जाता है. यदि इक्विटी शेयर प्राथमिक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं है या सौदा नहीं किया गया है तो उसे उसके उचित मूल्य पर 'बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ('बीएसई')' - द्वितीयक एक्सचेंज पर अंतिम मूल्य पर अंकित माना जाता है. म्यूचुअल फंड यूनिटों को तुलन-पत्र की तारीख को पिछले दिन के शुद्ध आस्ति मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है. तुलन पत्र की तारीख में वैकल्पिक निवेश

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

निधि यूनिटों का मूल्यांकन निधि हाउस में उपलब्ध अंतिम एनएवी के आधार पर तुलन पत्र की तारीख में वैकल्पिक निवेश निधि यूनिटों का मूल्यांकन निधि हाउस में उपलब्ध अंतिम एनएवी के आधार पर किया गया है. सूचीबद्धता की प्रतीक्षा में इक्विटी शेयरों को परंपरागत मूल्य पर अंकित किया जाता है जो इस तरह के निवेश मूल्य के प्रत्येक निवेश के लिए अलग से निर्धारित किया गया है और जो मूल्य में कमी, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान के अधीन है.
Listed equity shares as at the balance sheet date are stated at fair value being the quoted closing price on the Primary Exchange – 'National Stock Exchange ('NSE')'. In case the equity share is not listed/traded on the Primary Exchange the quoted closing price on the Secondary Exchange – 'Bombay Stock Exchange ('BSE')', is considered as fair value. Mutual fund units as at the balance sheet date are valued at the previous day's net asset values. Alternative investment fund units as at the balance sheet date are valued at last NAV available from the fund house. Equity shares awaiting listing are stated at historical cost subject to provision for diminution, if any, in the value of such investment determined separately for each individual investment.

iii. सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिट के उचित मूल्य में हुए परिवर्तन के कारण न लिए गए लाभ/हानि को "उचित मूल्य परिवर्तन खाते" में लिया जाता है और तुलन-पत्र में आगे ले जाया जाता है.
Unrealized gains/losses arising due to changes in the fair value of listed equity shares and mutual fund units are taken to "Fair Value Change Account" and carried forward in the balance sheet.

iv. किसी भी ह्रास हानि को राजस्व या लाभ-हानि लेखे में उतना व्यय समझा जाता है, जितना कि प्रतिभूति या निवेश के पुनर्मूल्यांकित उचित मूल्य व राजस्व या लाभ-हानि खाते में व्यय के रूप में निर्धारित किसी भी पूर्व ह्रासित हानि द्वारा कम की गई इसकी अर्जन लागत के बीच का अंतर होता है. पूर्व में अभिनिर्धारित किसी भी ह्रासित हानि के प्रतिवर्तन को राजस्व या लाभ-हानि लेखों में दर्शाया जाता है.
Any impairment loss is recognised as an expense in Revenue or Profit and Loss Account to the extent of the difference between the re-measured fair value of the security or investment and its acquisition cost as reduced by any previous impairment loss recognised as expense in Revenue or Profit and Loss Account. Any reversal of previously recognised impairment loss is recognised in Revenue or Profit and Loss Account.

इ) मूल्यांकन - संबद्ध कारोबार
C) Valuation - linked business

i. सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (एफआईएमएमडीए) से प्राप्त मूल्यों के आधार पर किया जाता है. सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा ऋण प्रतिभूतियों का मूल्यांकन रेटिंग एजेंसी द्वारा दैनिक आधार पर जारी किए जाने वाले प्रतिफल मैट्रिक्स का उपयोग करते हुए उचित मूल्य आधार पर किया जाता है.
Government Securities are valued at prices obtained from Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA). Debt Securities other than Government Securities are valued at Fair Value using Yield Matrix for Bonds released by Rating Agency, on a daily basis.

ii. मनी मार्केट लिखतों अर्थात् - जमा प्रमाणपत्र, संपार्श्विक उधार तथा उधार लेन-देन संबंधी दायित्व का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है, जो धारिता/ परिपक्वता अवधि पर सीधी रेखा आधार पर बट्टे की अभिवृद्धि या प्रीमियम के परिशोधन के अधीन होता है. अन्य मुद्रा बाजार लिखतों जैसे वाणिज्यिक कागजातों, ट्रेजरी बिलों का मूल्यांकन आईआरडीएआई दिशानिर्देशों के अनुरूप एफआईएमएमडीए से प्राप्त आय वक्र/ मूल्यों पर किया जाता है.
Money Market Instruments i.e. Certificate of Deposit, Collateral Borrowing and Lending Obligation are valued at cost, subject to accretion of discount or amortization of premium over the holding/ maturity period on a straight line basis. Other Money Market instruments like Commercial Papers, Treasury Bills are valued based on yield curve / prices obtained from FIMMDA in line with IRDAI guidelines.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

iii. तुलन-पत्र की तारीख को सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों को उनके उचित मूल्य पर अंकित किया जाता है जो प्राथमिक एक्सचेंज - 'नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ('एनएसई')' पर उद्धृत अंतिम भाव होता है. यदि इक्विटी शेयर प्राथमिक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं है या सौदा नहीं किया गया है तो उसे सेकेन्डरी एक्सचेंज - 'बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ('बीएसई')' पर उद्धृत बंद भाव को उचित मूल्य माना जाता है. म्यूचुअल फंड यूनिटों का मूल्यांकन पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य पर किया जाता है. सूचीबद्धता की प्रतीक्षा में इक्विटी शेयरों को परंपरागत मूल्य पर अंकित किया जाता है जो इस तरह के निवेश मूल्य के प्रत्येक निवेश के लिए अलग से निर्धारित किया गया है और जो मूल्य में कमी, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान के अधीन है.
Listed equity shares as at the balance sheet date are stated at fair value being the quoted closing price on the Primary Exchange – 'National Stock Exchange ('NSE')'. In case the equity share is not listed/traded on the Primary Exchange the quoted closing price on the Secondary Exchange – 'Bombay Stock Exchange ('BSE')', is considered as fair value. Mutual fund units are valued at the previous day's net asset values. Equity shares awaiting listing are stated at historical cost subject to provision of diminution, if any, in the value of such investment determined separately for each individual investment.

iv. निवेश पर न लिए गए लाभ/ हानि को संबंधित निधि के राजस्व खाते में निर्धारित किया जाता है.
Unrealized gains/losses on investments are recognised in the respective fund's Revenue Account.

ई) निवेशों का अंतरण
D) Transfer of investments

निवेशों का शेयरधारकों की निधि से पॉलिसीधारकों की निधि में अंतरण रखाव राशि या बाजार मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है. तथापि, ऋण प्रतिभूति के मामले में सभी अंतरण निवल परिशोधनकृत लागत पर किए जाते हैं. यूनिट संबद्ध निधियों के निवेशों में अंतरण बाजार मूल्य पर किया जाता है.
Transfer of investments from Shareholders' Fund to the Policyholders' Fund is at carrying amount or market price, whichever is lower. However in case of debt securities all transfers are carried out at the net amortized cost. Transfer of investments between unit linked funds is done at market price.

8 डेरिवेटिव लेन-देन:
Derivative Transactions:

अ. 'हेज' के रूप में नामित लेन-देनों में :
A. In Transactions designated as 'Hedge':

क) डेरिवेटिव लेन-देन पर भुगतान योग्य/ प्राप्य निवल ब्याज की गणना उपचय आधार पर की जाती है.
a) Net interest payable/ receivable on derivative transactions is accounted on accrual basis.

ख) हेज स्वैपों के अवधिपूर्व समाप्त होने पर किसी लाभ/ हानि को स्वैप की शेष संविदात्मक अवधि या आस्ति/ देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के आधार पर दर्शाया जाता है.
b) On premature termination of Hedge swaps, any profit/ losses are recognised over the remaining contractual life of the swap or the residual life of the asset/ liability whichever is lesser.

ग) अंतर्निहित देयता में परिवर्तन से हेज स्वैपों को पुनः अभिनामित करने की गणना के लिए इसे एक हेज की समाप्ति और दूसरे का अर्जन माना जाता है.
c) Re designation of hedge swaps by change of underlying liability is accounted as the termination of one hedge and acquisition of another.

घ) हेज संविदाओं की गणना तब तक बाजार मूल्य के अनुसार नहीं की जाती जब तक कि उसके अंतर्निहित मूल्य को भी बाजार मूल्य के अनुसार अंकित नहीं किया जाता. बाजार के लिए अंकित हेज करारों के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तनों को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

d) Hedge contracts are not marked to market unless the underlying is also marked to market. In respect of hedge contracts that are marked to market, changes in the market value are recognised in the profit and loss account.

आ. 'ट्रेडिंग' के रूप में नामित लेन-देनों में:

B. In Transactions designated as 'Trading':

i. 'ट्रेडिंग के लिए' नामित बकाया डेरिवेटिव लेन-देनों की गणना उनके उचित मूल्य पर की जाती है जिनमें ब्याज दर स्वैप,परस्पर मुद्रा स्वैप, परस्पर मुद्रा विकल्प एवं ऋण चूक स्वैप शामिल हैं. इसके फलस्वरूप हुए लाभ/ हानि को लाभ-हानि लेखे में शामिल किया जाता है. विकल्पों पर प्रीमियम को तुलन-पत्र की मद के रूप में दर्शाया जाता है और इसे परिपक्वता/ निरस्त होने पर लाभ-हानि लेखे में अंतरित कर दिया जाता है.
Out-standing derivative transactions designated as 'Trading', which includes interest rate swaps, cross currency swaps, cross currency options and credit default swaps, are measured at their fair value. The resulting profits/ losses are included in the profit and loss account. Premium on options is recorded as a balance sheet item and transferred to Profit & Loss Account on maturity/ cancellation.

ii. एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स (ईटीसीएफ़) खंड में ट्रेडिंग के लिए नामित डेरिवेटिव लेन-देनों मुद्रा फ्यूचर्स, मुद्रा ऑप्शन और ब्याज दर फ्यूचर्स शामिल हैं, जिनकी गणना उनके उचित मूल्य पर की जाती है और उनका नकदी निपटान टी+1 आधार पर किया जाता है. इन लेन-देनों से हुए लाभ/हानि को संबंधित एक्सचेंजों द्वारा निर्धारित की गई माह के अंत की निपटान तारीख को लाभ-हानि लेखे में अंतरित कर दिया जाता है.
Derivative Transactions in Exchange Traded Currency Futures (ETCF's) segments designated as trading includes Currency Futures, Currency Options and Interest Rate Futures which are measured at their fair value and are cash settled on T+1 basis. The resulting profits / losses on these transactions are transferred to Profit & Loss Account on the month end settlement date stipulated by Respective Exchanges.

इ. फ़्यूचर्स एवं ऑप्शन में लेन-देन

C. Transactions in Futures and Options

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेस लि. के मामले में
In case of IDBI Capital Market Services Limited

i. फ्यूचर्स कांट्रैक्ट/ ऑप्शन बिक्री के समय देय प्रारंभिक मार्जिन राशि एक्सचेंजों में सावधि जमा, नकदी जमा व प्रतिभूतियों के रूप में जमाराशियों से समायोजित की जाती है.
Initial Margin payable at the time of entering into futures contract / sale of options is adjusted against the deposits with the exchanges in the form of fixed deposits, cash deposits and securities.

ii. फ़्यूचर्स कांट्रैक्ट में लेन-देनों को संविदा के कल्पित ट्रेड मूल्य पर खरीद एवं बिक्री के रूप में शामिल किया जाता है. तुलन-पत्र की तारीख को फ़्यूचर्स की खुली संविदा को उसके कल्पित मूल्य द्वारा समायोजित कर दिया जाता है.
Transactions in Future contracts are accounted as Purchase and Sales at the notional trade value of the contract. The open interest in futures as at the Balance Sheet date is netted by its notional value.

iii. निपटान मूल्य अथवा विगत दिवस के एक्सचेंज के बंद भाव व अगले दिन के एक्सचेंज के बंद भाव के अंतर के कारण एक्सचेंज को अदा की गई या प्राप्त की गई राशि को मार्क-टू-मार्केट मार्जिन के रूप में चिह्नित किया जाता है. मार्क-टू-मार्केट मार्जिन खाते की शेष राशि तुलन-पत्र की तारीख तक फ़्यूचर्स कांट्रैक्ट के खुली संविदा के मूल्य में घट-बढ़ के फलस्वरूप अदा की गई या प्राप्त की गई निवल राशि होती है. मार्क-टू-मार्केट मार्जिन खाते की निवल नामे शेष राशि राजस्व को प्रभारित की जाती है, जबकि निवल जमा शेष राशि को चालू देयताओं में दर्शाया जाता है.
The difference in the settlement price or exchange closing price of the previous day and exchange closing price of the subsequent day, paid to or received from the exchange is treated as Mark to Market Margin. The balance in the Mark to Market Margin Account represents the net amount paid or received on the basis of movement in the prices of open interest in futures contracts till the balance sheet date. Net debit balance in the Mark to Market Margin Account is charged off to revenue whereas net credit balance is shown under current liabilities.

iv. ऑप्शनों के क्रय-विक्रय पर अदा की गई या प्राप्त की गई प्रीमियम तथा ऑप्शन के प्रयोग के चलते अदा या प्राप्त की गई अंतर राशि को खरीद या बिक्री के हिसाब में लिया जाता है. तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार बेचे गए ऑप्शनों के खुली संविदा के मामले में ऑप्शन से प्राप्त प्रीमियम की राशि से तुलन-पत्र की तारीख को लागू प्रीमियम की राशि अधिक होने पर उस राशि

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

के लिए प्रावधान किया जाता है. तुलन-पत्र में लागू प्रीमियम के मुकाबले प्राप्त प्रीमियम की राशि अधिक होने पर उसे निर्धारित नहीं किया जाता है. इसी प्रकार ऑप्शन खरीदी के मामले में ऑप्शन से प्राप्त प्रीमियम की राशि से तुलन-पत्र की तारीख को लागू प्रीमियम की राशि अधिक होने पर उस राशि के लिए प्रावधान किया जाता है किंतु तुलन-पत्र में लागू प्रीमियम के मुकाबले प्राप्त प्रीमियम की राशि अधिक होने पर उसे अनदेखा किया जाता है. बहुविध खुली स्थितियों के मामले में क्रय व विक्रय, दोनों ही स्थितियों में प्रावधान किया जाता है या शेष राशियों का समंजन करके अतिरिक्त प्रीमियम को अनदेखा किया जाता है.

iv. Premium paid or received on purchase and sale of options and the difference paid or received on exercise of options is accounted as Purchases or Sales. In case of open interest in options sold as on the balance sheet date, provision is made for the amount by which premium prevailing on the Balance Sheet date exceeds the premium received for those options. The excess of premium received over the premium prevailing on the Balance Sheet date is not recognised. Similarly, in case of options bought, provision is made for the amount by which the premium paid for the option exceeds the premium prevailing on the Balance Sheet date and the excess of premium prevailing on the Balance Sheet date over the premium paid is ignored. In case of multiple open positions, provision is made or excess premiums are ignored after netting off the balances in buy as well as sell positions.

ई. ब्याज दर स्वैप
D. Interest Rate Swaps

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि. के मामले में, प्राथमिक डीलरशिप परिचालनों के संबंध में बंद किए गए परिचालनों के ब्याज दर स्वैप की कल्पित प्राथमिक राशि में से संबंधित आस्तियों और देयताओं को घटाया जाता है. ब्याज दर स्वैप में लाभ या हानि को संविदा की शर्तों के अनुसार देय तारीख को हिसाब में लिया जाता है.
In case of IDBI Capital Market Services Limited, Assets and Liabilities in respect of notional principal amount of Interest Rate Swaps of the discontinued operations pertaining to Primary Dealership operations are netted. Gain or loss on Interest Rate Swaps is accounted for on due dates as per the terms of the contract.

9. अचल आस्तियां एवं मूल्यह्रास: Fixed Assets and depreciation:

अ. आईडीबीआई बैंक लि. के मामले में,
A. In case of IDBI Bank Limited,

i. अचल आस्तियों, परिसर को छोड़कर, को संचित मूल्यह्रास घटाकर लागत पर उल्लिखित किया जाता है. परिसर का मूल्यांकन बैंक की नीति तथा रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है और उसे संचित मूल्यह्रास घटाकर पुनर्मूल्यांकित राशि के रूप में दर्शाया जाता है.
Fixed assets other than Premises are stated at cost less accumulated depreciation. Premises are revalued in accordance with the Bank's policy and RBI guidelines and the same are stated at revalued amount less accumulated depreciation.

ii. आस्ति की लागत में क्रय लागत और उपयोग में लाने से पूर्व आस्ति पर उपगत सभी व्यय शामिल होते हैं. उपयोग में लाये जाने पर आस्तियों पर उपगत अनुवर्ती व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब वह ऐसी आस्तियों से भावी लाभ या उनकी कार्यक्षमता बढ़ाता है.
Cost of asset includes purchase cost and all expenditure incurred on the asset before put to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

iii. पुनर्मूल्यन, यदि कोई हो, पर मूल्यह्रास पुनर्मूल्यन रिजर्व में शामिल किया जाता है.
The appreciation on revaluation, if any, is credited to Revaluation Reserve.

iv. अचल आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास की गणना लागत अथवा आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन की स्थिति में पुनर्मूल्यांकित राशियों के संदर्भ में सीधी रेखा पद्धति पर की जाती है.
Depreciation in respect of fixed assets is calculated on Straight Line Method with reference to cost or revalued amounts, in case of assets revalued.

v. पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के संबंध में, पुनर्मूल्यन के फलस्वरूप अतिरिक्त मूल्यह्रास को तुलन-पत्र में पुनर्मूल्यन रिज़र्व से सामान्य रिज़र्व में अंतरित किया जाता है.
In respect of revalued assets, the additional depreciation consequent to revaluation is transferred from revaluation reserve to general reserve in the balance sheet.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

vi. ₹ 5000 से कम लागत की अलग-अलग अचल आस्तियों को उनके अर्जन के वर्ष में ही पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है.
Fixed assets individually costing less than ₹ 5000 are fully depreciated in the year of addition.

vii. मूर्त आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग इ में उपबंधित अनुसार आस्ति के उपयोगी जीवनकाल के आधार पर किया जाता है. उपयोगी जीवन और शेष मूल्यों की आवधिक समीक्षा की जाती है. यदि प्रबंधन के अनुमान के अनुसार किसी अचल आस्ति को अर्जित करते समय उस अचल अस्ति के अनुमानित जीवनकाल या बाद में समीक्षा करने पर उसका शेष उपयोगी जीवनकाल कम हो जाता है तो प्रबंधन द्वारा उपयोगी जीवनकाल/शेष उपयोगी जीवनकाल के अनुमान के आधार पर मूल्यह्रास की ऊंची दर लगायी जाती है.
Depreciation on tangible assets is allocated over useful life of the asset as prescribed under Part C of Schedule II of the Companies Act 2013. The useful lives and residual values are reviewed periodically. If the management estimate useful lives of an asset at the time of acquisition of the asset or of remaining useful life on subsequent review is shorter, depreciation is provided at a higher rate based on management's estimate of useful life / remaining useful life.

viii. वर्ष के दौरान अचल आस्तियों के परिवर्धन / बिक्री पर मूल्यह्रास आस्तियों के वास्तव में धारित करने की अविध के लिए लगाया जाता है.
Depreciation on additions/ sale of fixed assets during the year is provided for the period for which assets were actually held

ix. अचल आस्तियों का उपयोगी जीवनकाल निम्नानुसार है:
The useful lives of Fixed assets are as follows:

आस्ति / Asset	**उपयोगी जीवनकाल (वर्ष में) Useful Life (in Years)**
स्वामित्व वाले परिसर / Owned Premises	60
फर्नीचर और जुड़नार / Furniture and fixtures	10
बिजली संस्थापना एवं मशीनरी Electrical installation and machinery	10
मोटर वाहन /Motor vehicles	8
कंप्यूटर (आंतरिक सॉफ्टवेयर सहित) Computers (including integral software)	3
स्वचालित टेलर मशीन / Automated Teller Machines	8
वीसैट उपकरण / VSAT equipment	6
कर्मचारियों के पास टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं / Consumer durables with employees	
क) फर्नीचर और जुड़नार a) Furniture and fixtures	10
ख) पर्सनल कंप्यूटर b) Personal Computers	3

x. लीज वाली भूमि को लीज की अवधि में परिशोधित किया जाता है.
Leasehold land is amortized over the period of lease.

xi. ₹ 2.50 लाख से अधिक राशि वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (नॉन-इंटिग्रल) को पूंजीकृत किया जाता है और इसे इसके उपयोगी जीवनकाल में मूल्यह्रासित किया जाता है जिसकी अवधि अधिकतम 6 वर्ष होती है.
Computer Software (non-integral) individually costing more than ₹ 2.50 Lacs is capitalised and depreciated over its useful life, not exceeding 6 years.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

आ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के मामले में

B. In case of IDBI Assets Management Company Limited

i. अचल आस्तियों को संचित मूल्यह्रास और ह्रास को घटाकर अर्जन लागत पर दर्शाया जाता है. लागत मूल्य में आस्तियों के अर्जन एवं संस्थापन से संबंधित मालभाड़ा, शुल्क, कर और प्रासंगिक व्यय शामिल होते हैं. प्रयोग में लाई जा रही आस्तियों पर उपगत अनुवर्ती व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब इन आस्तियों से भविष्य में लाभ/ कार्य निष्पादन क्षमता में वृद्धि की संभावना हो. मौजूदा अचल आस्तियों की मरम्मत एवं रखरखाव और कलपुर्जों के बदलाव की लागत सहित कुल खर्च को जिस अवधि में वे उपगत होते हैं उस अवधि में राजस्व के रूप में प्रभारित किया जाता है.

Fixed assets are carried at cost of acquisition less accumulated depreciation and impairment. Cost includes freight, duties, taxes, and incidental expenses related to the acquisition and installation of the assets. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefit/functioning capability from/of such assets. All expenses on existing fixed assets, including repairs and maintenance and cost of replacement of parts are charged as revenue in the period in which they are incurred.

ii. मूल्यह्रास का प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में निर्धारित रूप में सीधी रेखा पद्धति (एसएलएम) द्वारा किया जाता है. आस्तियों के मूल्यह्रास की दरें कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार आस्ति के उपयोगी जीवनकाल को विचार में लेने के बाद तय की गई हैं. प्रबंधन के अनुमान के अनुसार यदि आस्तियों के अर्जन के समय अचल आस्तियों का उपयोगी जीवनकाल या इसके बाद की जाने वाली समीक्षा के आधार पर शेष उपयोगी जीवनकाल कम है तो मूल्यह्रास का निर्धारण उपयोगी जीवनकाल/ शेष जीवनकाल पर प्रबंधन के अनुमान के आधार पर उच्च दर पर किया जाता है. इस नीति के अनुसरण में निम्नलिखित दरों के अनुसार मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है:

Depreciation is provided on Straight Line Method (SLM) as prescribed in Schedule II to the Companies Act, 2013. The rates of depreciation of assets have been arrived at after considering the useful life of the asset as per schedule II of the Companies Act 2013. If the management's estimate of the useful life of a fixed asset, at the time of acquisition of the asset or of the remaining useful life on a subsequent review is shorter, depreciation is provided at a higher rate based on management's estimates of the useful life/remaining useful life. Pursuant to this policy, depreciation has been provided using the following rates:

अचल आस्तियों की श्रेणी / Class of Fixed Assets	मूल्यह्रास की दर (% में) - एसएलएम आधार पर (1 अप्रैल 2015 से लागू) Rate of Depreciation (In%)- SLM basis (applicable from April 01, 2015)
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स / Furniture & Fixtures	9.50
कार्यालय उपकरण / Office Equipment	19.00
आईटी हार्डवेयर /IT Hardware	33.33
कर्मचारियों के पास टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं Consumer durables with Employees	33.33

iii. एकल रूप से ₹ 2.50 लाख से अधिक की लागत वाले कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को 5 वर्ष की अवधि के दौरान पूंजीकृत तथा मूल्यह्रासित किया जाता है, एकल रूप से ₹ 2.50 लाख से कम की लागत वाले कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को क्रय / अर्जन के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है.

Computer software individually costing more than ₹ 2.50 lakhs is capitalized and depreciated over a period of 5 years, Computer software individually costing less than ₹ 2.50 lakhs is fully depreciated in the year of purchase/ acquisition.

iv. कंपनी आस्ति के उपयोग में लाये जाने की तारीख से तथा बेची गई किसी आस्ति के लिए उसकी बिक्री तारीख तक आनुपातिक आधार पर मूल्यह्रास का प्रावधान करती है.

The Company provides pro-rata depreciation from the date the asset is put to use and for any asset sold until the date of sale.

v. एकल रूप से ₹ 5,000 या उससे कम की लागत वाली अचल आस्तियों को क्रय/ अर्जन के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है.

Fixed assets, other than software, individually costing ₹ 5,000 or less are fully depreciated in the year of purchase/ acquisition.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

इ. आईडीबीआई इंटेक लि. के मामले में
C. In case of IDBI Intech Limited

अचल आस्तियों को उनकी अर्जन लागत और उनके आशयित उपयोग के लिए कार्य करने लायक स्थिति में लाने की लागत पर संचित मूल्यह्रास घटाकर दर्शाया जाता है. बेचे गए सॉफ्टवेयरों, जिन पर स्वामित्व अधिकार कंपनी के पास है, को लागत पर पूंजीकृत किया जाता है. अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार सीधी रेखा पद्धति के आधार पर इस प्रकार से किया जाता है कि आस्तियों का उनके उपयोगी जीवनकाल के दौरान मूल्यह्रास हो जाता है. अचल आस्तियों के परिवर्धन / से घटाव पर मूल्यह्रास ऐसे परिवर्धन/घटाव, जो भी मामला हो, की तारीख से/तक आनुपातिक आधार पर किया जाता है. मोबाइल हैंडसेटों को 3 वर्षों के उपयोगी जीवनकाल में मूल्यह्रासित किया जाता है. एएस 26 के अनुसरण में अमूर्त आस्तियों (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर) को 5 वर्ष की अवधि के दौरान समान रूप से परिशोधित किया जाता है. एकल रूप से ₹ 5000/- से कम लागत वाली अचल आस्तियों को उनकी अधिप्राप्ति के वर्ष में ही पूर्ण रूप से मूल्यह्रासित किया जाता है.

Fixed assets are stated at cost of acquisition, including any cost attributable for bringing the asset to its working condition for its intended use, less accumulated depreciation. The Software sold, on which propriety rights continue with the company, are capitalized at cost. Depreciation on fixed assets is provided on the basis of Straight Line Method, as per Schedule II to the Companies Act, 2013, such that the assets are depreciated over their useful life. Depreciation on additions to/ deletions from fixed assets is provided on pro rata basis from / up to the date of such addition/deletion as the case may be. Mobile handsets are depreciated over useful life of 3 years. Intangible Assets (Computer Software) are amortised equally over a period of five years in compliance with AS 26. Fixed Assets individually costing less than ₹ 5000 are fully depreciated in the year of addition.

ई. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. के मामले में
D. In case of IDBI Trusteeship Services Limited

i. अचल आस्तियों को अर्जन की मूल लागत तथा उनके अर्जन के संबंध में उपगत संस्थापना प्रभार पर दर्शाया जाता है. लागत में खरीद मूल्य और आस्तियों को उनके आशयित उपयोग के लिए कार्य करने लायक स्थिति में लाने से संबंधित लागत शामिल है. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अंतर्गत निर्धारित किए गए अनुसार मूल्यह्रास निर्धारित दर पर अवलिखित आधार पर प्रभारित किया जाता है. आस्ति के परिवर्धन पर मूल्यह्रास का प्रावधान ऐसे परिवर्धन की तारीख से और निपटान के लिए ऐसे निपटानों की तारीख तक किया जाता है. कम लागत वाली अलग-अलग आस्तियों (₹ 5,000/- से कम राशि में अर्जित) को उनके अर्जन के वर्ष में मूल्यह्रासित किया जाता है

   Fixed assets are stated at original cost of acquisition plus installation charges incurred in connection with the acquisition. Cost comprises of purchase price and attributable cost of bringing the assets to its working condition for its intended use. The depreciation is charged on Written down Value basis as prescribed in schedule II of the Companies Act 2013. The depreciation on the addition of the asset is provided from the date of such addition and for disposals up to the date of such disposals. Individual low cost assets (acquired for less than ₹ 5,000/-) are depreciated in the year of acquisition.

ii. लेखांकन मानक एएस-26 के अनुसरण में आस्तियों को संचित परिशोधन घटाकर अर्जन की लागत पर दर्शाया जाता है. अमूर्त आस्तियों का परिशोधन आस्ति के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल के आधार पर अवलिखित मूल्य पद्धति पर किया जाता है.

   In accordance with Accounting Standards AS-26, Intangible Assets are stated at cost of acquisition less accumulated amortization. Amortization of intangible assets is provided on Written Down Value method on the basis of estimated useful life of the asset.

उ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेस लि. के मामले में
E. In case of IDBI Capital Market Services Limited

मूर्त आस्तियों के मामले में संपत्ति की मदें, संयंत्र और उपकरण की पहचान आरंभ में लागत पर की जाती है और तत्पश्चात संचित मूल्यह्रास तथा हानि को घटाकर मूल लागत पर की जाती है. संपत्ति की मदों, संयंत्र और उपकरणों के मूल्यह्रास की गणना कंपनी अधिनियम की अनुसूची II में निर्दिष्ट किए अनुसार उनके आकलित उपयोगी जीवनकाल पर मूल्य ह्रासित राशि पर सीधी रेखा पद्धति के द्वारा निम्नानुसार की जाती है:

In case of Tangible Assets, plant and equipment are initially recognised at cost and subsequently carried at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. Depreciation on items of property, plant and equipment is calculated using the straight-line method to allocate their depreciable amounts over their estimated useful lives as specified in Schedule II to the Companies Act as follows:

भवन - 60 वर्ष

Buildings – 60 years

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर - 3 वर्ष
Computers – 3 years.

फर्नीचर एवं जुड़नार - 10 वर्ष
Furniture& Fixtures – 10 years

कार्यालय उपकरण - 5 वर्ष
Office Equipments – 5 years

सभी मूर्त आस्तियों को अर्जन के वर्ष में ₹ 5,000 से कम मूल्य की एकल आस्तियों तथा सक्रिय रूप से उपयोग में न रही आस्तियों को पूर्णतः मूल्यह्रासित कर दिया जाता है.
All Tangible Assets having individual value of less than ₹ 5,000, in the year of acquisition and assets retired from active use are fully depreciated.

अमूर्त आस्तियों के मामले में अर्जित कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर लाइसेंसों को आरंभ में लागत पर पूंजीकृत किया जाता है जिसमें खरीदी मूल्य (किसी भी छूट अथवा रिबेट को घटाकर) और आस्ति को उसके नियत प्रयोग के लिए तैयार करने हेतु लगे अन्य प्रत्यक्ष रोप्य लागत को शामिल किया जाता है. सॉफ्टवेयर की मूल लागत में प्रत्यक्ष व्यय जो कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के कार्य निष्पादन को बढ़ाता और विस्तारित करता हो और जिसे उसके ब्योरे से आगे और विश्वसनीय रूप से आँका जा सकता है, को शामिल किया जा सकता है. कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के रखरखाव से संबंधित खर्च वहन किए जाने पर उसे व्यय के रूप में निर्धारित किया जाता है.
In case of Intangible Assets, Acquired computer software licenses are initially capitalised at cost, which includes the purchase price (net of any discounts and rebates) and other directly attributable cost of preparing the asset for its intended use. Direct expenditure which enhances or extends the performance of computer software beyond its specifications and which can be reliably measured is added to the original cost of the software. Costs associated with maintaining the computer software are recognised as an expense when incurred.

पूंजीकरण हेतु पात्र सॉफ्टवेयर विकास पर व्यय को विकास के अधीन अमूर्त आस्तियों के रूप में लिया जाता है जहां पर कि ऐसी आस्तियां उनके नियत उपयोग हेतु तैयार नहीं हैं.
Expenditure on software development eligible for capitalisation are carried as Intangible assets under development where such assets are not yet ready for their intended use.

अमूर्त आस्तियों को सीधी रेखा पद्धति के आधार पर उनके अनुमानित उपयोगी मूल्य पर परिशोधित किया जाता है. परिशोधन हेतु प्रयोग अमूर्त आस्तियों का अनुमानित उपयोगी मूल्य है:
Intangible assets are amortized on a straight line basis over their estimated useful lives. The estimated useful lives of intangible assets used for amortization are:

कम्प्यूटर सॉफ्टवेर - 3 वर्ष
Computer Software -3 years

वेब ट्रेडिंग पोर्टल - 3 वर्ष
Web Trading Portal – 3 years

बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज कार्ड - 21 वर्ष
Bombay Stock Exchange Card – 21 years

प्रबंधन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग राइट के आर्थिक मूल्य का अनुमान उसके उपयोग मूल्य के आधार पर लगाता है.
Management estimates the economic value of Bombay Stock Exchange Trading Rights based on the value in use.

सभी अमूर्त आस्तियों को अर्जन के वर्ष में ₹ 5,000, से कम मूल्य की एकल आस्तियों तथा सक्रिय रूप से उपयोग में न रही आस्तियों को पूर्णतः मूल्यह्रासित कर दिया जाता है.
All Intangible Assets having individual value of less than ₹ 5,000, in the year of acquisition and assets retired from active use are fully depreciated.

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का आकलित उपयोगी जीवनकाल और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा और समायोजन यथा उपयुक्त रूप से प्रत्येक तुलन-पत्र में की जाती है. किसी भी प्रकार के संशोधन के प्रभावों को परिवर्तनों के उत्पन्न होने पर लाभ व हानि विवरणों में दर्शाया जाता है.
The residual values and estimated useful lives of property, plant and equipment are reviewed, and adjusted as appropriate, at each balance sheet date. The effects of any revision are recognised in profit or loss when the changes arise.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ऊ. आईडीबीआई फ़ेडरल लाइफ इंश्योरेस कंपनी लि. के मामले में

F. In case of IDBI Federal Life Insurance Company Limited

i. अचल आस्तियों को संचित मूल्यह्रास घटाकर लागत पर दर्शाया जाता है. लागत में खरीद मूल्य और उस आस्ति को उसके उपयोग के लिए कार्य करने लायक स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपगत कोई भी लागत शामिल हैं. प्रबंधन द्वारा अनुमानित या निर्धारित रूप में आस्ति की प्रत्येक श्रेणी के न्यूनतम उपयोगी जीवनकाल के आधार पर कंपनी अधिनियम की अनुसूची II में निर्दिष्ट किए अनुसार अर्जन की तारीख से / बिक्री की तारीख तक आनुपातिक रूप में सीधी रेखा पद्धति ('एसएलएम') का प्रयोग करते हुए मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है, जो नीचे दर्शाया गया है:

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation. Cost includes the purchase price and any cost directly attributable to bringing the asset to its working condition for its intended use. The Depreciation is provided using Straight Line Method ('SLM') prorated from the date of acquisition/up to the date of sale, based on estimated useful life for each class of asset in the manner specified in Schedule II of the Companies Act, 2013, as stated below:

आस्ति / Asset	उपयोगी जीवनकाल (वर्ष में) /Useful Life (in Years)
भवन / Building	60
पट्टाधृत उन्नयन / Leasehold improvements	3
संचार नेटवर्क और सर्वर Communication networks and servers	6
कंप्यूटर तथा पेरिफेरल उपकरण Computers and peripheral equipments	3
कार्यालय उपकरण / Office equipment	5
फर्नीचर एवं जुड़नार / Furniture & fixtures	10
मोटर वाहन / Motor Vehicles	8
बिजली संस्थापना एवं उपकरण Electrical Installations and Equipments	10

ii. सॉफ्टवेयर युक्त अमूर्त आस्तियों को परिशोधन घटाकर लागत पर दर्शाया जाता है. इन्हें इनके उपयोग की तारीख से 3 वर्ष की अवधि में सीधी रेखा पद्धति का प्रयोग करते हुए परिशोधित किया जाता है. सॉफ्टवेयर में महत्वपूर्ण उन्नयनों को तब पूंजीकृत किया जाता है जब यह संभावित होता है कि इस प्रकार का उन्नयन आस्ति को उसके मूल रूप से निर्धारित मानकों से अधिक भावी आर्थिक लाभ उत्पन्न करने में समर्थ बनाएगी और इस प्रकार का व्यय विश्वसनीय ढंग से आंका और आस्ति पर जोड़ा जा सकता है. अनुवर्ती व्ययों का परिशोधन सॉफ्टवेयर के शेष उपयोगी जीवनकाल के दौरान किया जाता है. सॉफ्टवेयर के सपोर्ट तथा रख-रखाव के व्ययों को उस अवधि के राजस्व खाते में प्रभारित किया जाता है जिसमें वे उपगत होते हैं.

Intangible assets comprising software are stated at cost less amortization. These are amortized using Straight Line Method over a period of 3 years from the date of being put to use. Significant improvements to software are capitalized when it is probable that such improvement will enable the asset to generate future economic benefits in excess of its originally assessed standards of performance and such expenditure can be measured and attributed to the asset reliably. Subsequent expenditures are amortized over the remaining useful life of the software. The expenses for support and maintenance of software are charged to Revenue Account in the period in which they are incurred.

10. प्रतिभूतीकरण लेन-देन: Securitization Transactions:

विभिन्न ऋणों के प्रतिभूतीकरण से इन आस्तियों की विशेष प्रयोजन वाली संस्थाओं ('एसपीवी') को बिक्री की जाती है, जो इसके बदले में निवेशकों को प्रतिभूतियां जारी करती हैं. प्रतिभूतीकृत आस्तियों वाले अनुबंधित अधिकारों पर जब नियंत्रण नहीं रहता है तो ऐसी वित्तीय आस्तियों को आंशिक अथवा पूर्णतः अमान्य कर दिया जाता है. बैंक खातों को बिक्री के समय ही होने वाली किसी भी हानि के लिए और बिक्री से होने वाले लाभ/प्रीमियम को एसपीवी द्वारा, जिन्हें आस्तियां बेची गयी हैं, जारी की गयी या जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों के जीवन काल में परिशोधित किया जाता है.

Securitisation of various loans results in sale of these assets to Special Purpose Vehicles ('SPVs'), which, in turn issue securities to investors. Financial assets are partially or wholly derecognised when the control of the contractual rights in the securitised assets is lost. The Bank accounts for any loss arising on sale immediately at the time of sale and the profit/ premium arising on account of sale is amortised over the life of the securities issued or to be issued by the SPV to which the assets are sold.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

11. प्रतिभूतीकरण कंपनियों/पुनर्संरचना कंपनियों को वित्तीय आस्तियों की बिक्री: Sale of financial assets to Securitization Companies/Reconstruction Companies:

प्रतिभूतीकरण कंपनी (एससी)/ पुनर्संरचना कंपनी (आरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री की गणना सचिव रसीद (एसआर)/ प्रभाव अंतरण प्रमाणपत्र (पीटीसी) के भुनाई मूल्य और वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य में से निम्नतर के आधार पर की गई है.
Sale of financial assets to Securitisation Companies (SCs) / Reconstruction Companies (RCs) is reckoned at the lower of the redemption value of Security Receipt (SRs)/ Pass Through Certificates (PTCs) received and the net book value of the financial asset.

अनर्जक आस्तियों के विक्रय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार यदि बिक्री, निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात् बही मूल्य धारित प्रावधान घटाकर) से कम मूल्य पर हो तो कमी को उस वर्ष के लाभ- हानि खाते में प्रभारित किया जाता है. साथ ही रिज़र्व बैंक के दिनांक 13.06.2016 के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक बेची गई आस्तियों के लिए कमी को बिक्री की तिमाही से 4 तिमाहियों में परिशोधित किया जाता है. पूरी तरह से प्रावधान की गई आस्तियों अर्थात संदिग्ध आस्तियां-3 की बिक्री और तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए मामलों में प्रतिभूति रसीदों (एसआर) की बैंक की निवेश बही में 1 रुपये के रूप में गणना की जाती है.
In accordance with RBI guidelines on Sale of Non-performing Advances, in case the sale is at a price below the net book value (NBV) (i.e. book value less provision held), the shortfall is charged to profit and loss account of that year. Further, as per the extant RBI guidelines dated 13.06.2016, for assets sold from April 1, 2016 to March 31, 2017, shortfall is amortised over a period of 4 quarters from the quarter in which the sale has taken place. In case of sale of assets which are fully provided i.e. Doubtful Assets-3 and Technical Written off cases, the Security Receipts (SRs) are reckoned at ₹ 1 in the investment book of the Bank.

यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से अधिक मूल्य पर किया जाता है तो अतिरिक्त प्रावधान को राशि के प्राप्त होने वाले वर्ष में ही प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है. तथापि, आधिक्य प्रावधान का ऐसा प्रत्यावर्तन आस्ति के एनबीवी से अधिक प्राप्त नकद राशि तक सीमित है.
In case, sale value is higher than the NBV, the excess provision is reversed to the profit and loss account in the year in which cash amounts are received. However, such reversal of excess provision is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

12. विदेशी मुद्रा लेन-देन: Foreign Currency Transactions:

अ. आईडीबीआई बैंक लि. के मामले में,
A. In case of IDBI Bank Limited,

i. विदेशी मुद्रा लेन-देन को आरंभिक अभिनिर्धारण होने पर लेन-देन की तारीख के प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है. मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा निर्धारित बंद दरों पर रूपांतरित किया जाता है और इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है. मौद्रिक मदों के निपटान से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को उस अवधि की आय या व्यय के रूप में माना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं.
Foreign currency transactions, on initial recognition are recorded at the exchange rate prevailing on the date of transaction. Monetary foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates prescribed by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) and the resultant gain or loss is recognised in the Profit and Loss account. Exchange differences arising on the settlement of monetary items are recognised as income or expense in the period in which they arise.

ii. ऐसी वायदा विनिमय संविदाओं, जो व्यापार के लिए नहीं की गई हैं, की शुरुआत में प्राप्त प्रीमियम या बट्टे को संविदा के जीवनकाल में व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया जाता है. अन्य वायदा विनिमय संविदाओं पर प्रीमियम या छूट को हिसाब में नहीं लिया जाता है.
Premium or discount arising at the inception of Forward Exchange Contracts which are not intended for trading is amortized as expense or income over the life of the contract. Premium or discount on other Forward Exchange Contracts is not recognised.

iii. ऐसी बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, जो व्यापार के लिए नहीं हैं, का अंतिम फेडाई दरों पर पुनर्मूल्यन किया जाता है. अन्य बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यन फेडाई द्वारा विर्निदिष्ट परिपक्वताओं के लिए अधिसूचित विनिमय दरों या बीच की परिपक्वताओं की अंतर्वेशित दरों पर किया जाता है. इससे होने वाले लाभ/हानि को लाभ-हानि लेखे में शामिल किया जाता है.
Outstanding Forward Exchange Contracts which are not intended for trading are revalued at closing FEDAI rates. Other outstanding Forward Exchange Contracts are valued at rates of exchange notified by FEDAI for specified maturities or at interpolated rates for in-between maturities. The resultant profit/ losses are recognisedin the Profit and Loss Account.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

iv. वायदा विनिमय संविदाओं की परिपक्वता पूर्व समाप्ति से होने वाले लाभ/हानियों, साथ ही अपरिशोधित प्रीमियम या छूट, यदि कोई हो, को समाप्ति की तारीख पर हिसाब में लिया जाता है.

Profit/ losses arising on premature termination of Forward Exchange Contracts, together with unamortized premium or discount, if any, is recognised on the date of termination.

v. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयता की गणना विनिमय की अनुबंधित दरों पर की जाती है और गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों एवं अन्य दायित्वों की गणना फेडाई की अंतिम दरों पर की जाती है.

Contingent liability in respect of outstanding forward exchange contracts is calculated at the contracted rates of exchange and in respect of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are calculated at the closing FEDAI rates.

vi. विदेशी शाखा के परिचालनों को 'एकीकृत विदेशी परिचालनों' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. आस्तियों व देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा निर्धारित औसत तिमाही बंद दरों पर रूपांतरित किया जाता है. इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

Operations of foreign branch are classified as `Integral Foreign Operations'. Assets and Liabilities are translated at the closing rates prescribed by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) Income and Expenditure items are translated at quarterly average rates. The resultant gain or loss is recognised in the Profit and Loss Account.

आ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के मामले में विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है. वर्ष के दौरान निपटान किए गए विदेशी मुद्रा लेनदेन के कारण होने वाले विनिमय अंतर, यदि कोई हो, को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

B. In case of IDBI Assets Management Company Limited, Foreign currency transactions are recorded at the rates of exchange prevailing on the date of the transactions. Exchange difference, if any, arising out of the foreign exchange transactions settled during the year are recognised in the statement of Profit and Loss.

इ. जीवन बीमा संयुक्त उद्यम-आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में विदेशी मुद्राओं में लेनदेन को लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया किया जाता है. विदेशी मुद्रा में मौद्रिक आस्तियों और देयताओं, यदि कोई हों, का रूपान्तरण वर्ष के अंत में समाप्त दर पर किया जाता है. निपटान/रूपान्तरण पर होने वाले परिणामी विनिमय लाभ या हानि को राजस्व या लाभ-हानि लेखे, जैसा लागू हो, में दर्शाया जाता है.

C. In case of IDBI Federal Life Insurance Company Limited, Transactions in foreign currencies are recorded at the exchange rates prevailing at the date of the transaction. Monetary assets and liabilities in foreign currency, if any, are translated at the year-end closing rates. The resultant exchange gain or loss arising on settlement/translation is recognised in the Revenue or Profit and Loss Account as applicable.

ई. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेस लि. के मामले में विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है. वर्ष के अंत में, विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग अंतिम विनिमय दर का प्रयोग करते हुए की जाती है. उन पर उत्पन्न होने वाले तथा विदेशी मुद्रा वसूली/भुगतान पर होने वाले विनिमय अंतर को सम्बद्ध वर्ष के दौरान आय या व्यय के हिसाब में लिया जाता है.

D. In case of IDBI Capital Market Services Limited, Foreign currency transactions are recorded at the rates of exchange prevailing on the date of the transaction. At the year end, monetary items denominated in foreign currency are reported using the closing rate of exchange. Exchange difference arising thereon and on realization / payments of foreign exchange are accounted as income or expenses in the relevant year.

उ. आईडीबीआई इंटेक लि. के मामले में विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित लेन-देनों को लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है. विदेशी मौद्रिक आस्तियों और देयताओं को तुलन पत्र की तारीख को प्रचलित दर पर रूपांतरित किया जाता है. रूपान्तरण के फलस्वरूप होनेवाले विनिमय दर अंतर को वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

E. In case of IDBI Intech Limited, Transactions denominated in foreign currency are recorded at the exchange rate prevailing on the date of transactions. Foreign monetary assets and liabilities are translated at the rate prevailing as on the date of balance sheet. The resulting exchange rate difference in translation is recognised in the Profit and Loss account for the year.

ऊ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि. के मामले में विदेशी मुद्रा में लेनदेन को लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर बहियों में दर्ज किया जाता है. विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं में मूल्यवर्गित सभी मौद्रिक मदों को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर पुनः दर्शाया जाता है. निपटान या लेनदेन पर विनिमय अंतर के कारण आय या व्यय को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

F. In case of IDBI Trusteeship Services Limited, Transactions in foreign currencies are recorded in the books by applying the exchange rates prevailing on the date of the transaction. All monetary items denominated in foreign currency assets and liabilities are restated at the exchange rate prevailing at the year end. Any income or expense on account of the exchange difference either on settlement or on transaction is recognised in the profit & loss account.

13. कर्मचारी लाभ:
Employee Benefits:

अ. आईडीबीआई बैंक लि. के मामले में,

A. In case of IDBI Bank Ltd,

i. अंशदान के देय होने पर निर्दिष्ट अंशदान योजनाओं में किए गए भुगतान को वर्ष के लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.
Payments to defined contribution schemes are charged to Profit and Loss Account of the year when contribution are due.

ii. निर्दिष्ट लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत का निर्धारण पूर्वलक्षित इकाई ऋण पद्धति का प्रयोग कर किया जाता है तथा बीमांकिक मूल्यांकन प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है. बीमांकिक लाभ या हानि को उस अवधि के लाभ-हानि लेखे में दिखाया जाता है जिसमें लाभ या हानि होती है.
For defined benefit schemes, the cost of providing benefits is determined using the Projected Unit Credit Method, with actuarial valuations being carried out at each Balance Sheet date. Actuarial gains or losses are recognised in the profit and loss account for the period in which they occur.

iii. कर्मचारी द्वारा प्रदत्त सेवाओं के बदले अदा किये जाने वाले अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की अबट्टाकृत राशि को उस अवधि के दौरान हिसाब में लिया जाता है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करता है.
The undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for the services rendered by employees is recognised during the period when the employee renders the service.

आ. आईडीबीआई इंटेक लि. के मामले में भविष्य निधि और ईएसआईसी में अंशदान का हिसाब उपचय के आधार पर रखा जाता है. कंपनी ने उपदान के भावी भुगतान के लिए एक न्यास का निर्माण किया है. अंशदान और छुट्टी नकदीकरण का निधीकरण भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ किया जाता है. वार्षिक उपदान अंशदान उपदान तथा छुट्टी नकदीकरण भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा भुगतान के प्रयोजन के लिए निर्धारण अनुसार किया जाता है. प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपदान तथा छुट्टी नकदीकरण संबंधी देयताओं का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है. इस प्रकार की बीमांकिक रूप से निर्धारित देयता और निधि में किए गए अंशदान के बीच के अंतर को देयता/ आस्ति, जो भी मामला हो, के रूप में दर्शाया जाता है.

B. In case of IDBI Intech Limited, Contribution to Provident Fund & ESIC is accounted on accrual basis. The Company has created a trust for future payment of Gratuities. Contributions and Leave Encashment is funded with Life Insurance Corporation of India (LIC). Annual Gratuity contributions are made as determined by LIC for purposes of payment. The liability for gratuity and Leave Encashment at the end of each financial year is determined based on actuarial valuation. The difference between such actuarially determined liability and contributions made to the fund is recognised as a liability / asset, as the case may be.

इ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड के मामले में,

C. In case of IDBI Trusteeship Services Limited,

नियोजन की शर्तों के अनुसार देय वर्तमान एवं भूतपूर्व सेवाओं के लिए कर्मचारी लाभ, अल्पावधि एवं दीर्घावधि दोनों, के लिए देयता ''भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई)'' द्वारा जारी लेखांकन मानक - 15 (संशोधित 2005) ''कर्मचारी लाभ'' के अनुसार दर्ज की जाती है.
Liability for employee benefits, both short and long term, for present and past services which are due as per the terms of employment are recorded in accordance with Accounting Standard – 15 (Revised 2005) “Employee Benefits” issued by the “Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)” .

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

निर्धारित अंशदान योजनाएं
Defined Contribution Schemes

क) **भविष्य निधि**
a) **Provident Fund**

कंपनी कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाई गई योजनाओं के अधीन पंजीकृत है. तदनुसार, कंपनी सरकारी प्राधिकरणों के लिए अधिनियम के अंतर्गत स्थापित निधियों/ योजनाओं में कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे न्यूनतम अंशदान के बराबर अंशदान कर रही है. पात्र कर्मचारियों को सरकारी प्राधिकरणों से लाभ मिलता है. वर्ष के लिए देय अंशदान को लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.
The Company is registered under the provisions of Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and schemes framed there under. Accordingly, the Company is contributing, in equal share of minimum contribution as those of employees, to the funds/ schemes established under the Act to Government Authorities. The eligible employees receive benefits from Government Authorities. The contribution due for the year is charged to profit and loss account.

ख) **उपदान**
b) **Gratuity**

कंपनी रिपोर्टिंग की तारीख यथा 31 मार्च 2017 तक बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित ''द ट्रस्टीज़ आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि. एम्प्लॉईस ग्रुप ग्रैच्युटी स्कीम'' नाम से उपदान प्रदान करती है. कंपनी को वार्षिक प्रीमियम अंशदान का भुगतान करना होता है. वर्ष के लिए इस प्रकार प्रदत्त/ भुगतान-योग्य प्रीमियम को लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाता है.
The Company provides for gratuity, known as "The Trustees IDBI Trusteeship Services Limited Employee's Group Gratuity Scheme" based on actuarial valuation as on reporting date 31st March, 2017. The Company is required to pay annual premium contributions. The premium so paid / payable for the year is recognised in profit and loss account.

ग) **छुट्टी नकदीकरण**
c) **Leave Encashment**

वार्षिक छुट्टी नकदीकरण की गणना भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक - 15 (संशोधित 2005) ''कर्मचारी लाभ'' के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है.
Annual Leave encashment is accounted on Actuarial valuation as per Accounting Standard – 15 (Revised 2005) "Employee Benefits" issued by the ICAI.

ई. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के मामले में,
D. In case of IDBI Asset Management Company Limited,

क) **उपदान:**
a) **Gratuity:**

उपदान देयता एक निर्धारित लाभ दायित्व है और इसका निधियन उपदान निधि के माध्यम से किया जाता है जिसका प्रशासन एवं प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है. कंपनी, बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित भावी उपदान लाभ हेतु देयता की गणना परिलक्षित इकाई ऋण पद्धति के प्रयोग द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में करती है.
Gratuity liability is a defined benefit obligation and is funded through a Gratuity Fund administered and managed by the Life Insurance Corporation of India. The Company accounts for liability for future gratuity benefits based on the actuarial valuation using Projected Unit Credit Method carried out as at the end of each financial year.

ख) **भविष्य निधि:**
b) **Provident fund:**

कंपनी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अंशदान करती है. अंशदान की गणना उपचय आधार पर की जाती है और इसे लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में दर्शाया जाता है.
The Company contributes to a recognised provident fund. The contributions are accounted for on an accrual basis and are recognised as an expense in the statement of profit and loss.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ग) अल्पावधि कर्मचारी लाभ:

c) Short term employee benefits:

अल्पावधि कर्मचारी लाभ को सेवा प्रदान किए जाने वाले वर्ष के लाभ एवं हानि खाते के विवरण में व्यय के रूप में दर्शाया जाता है.
Short term employee benefits are recognised as an expense in the statement of profit & loss account of the year in which the services are rendered.

घ) प्रतिपूरित अनुपस्थिति:

d) Compensated absences:

कंपनी कुछ नियमों के अधीन विशेष छुट्टी नकदीकरण की व्यवस्था प्रदान करती है. कर्मचारियों को भावी नकदीकरण और छुट्टी लेने के लिए एक निर्धारित सीमा तक छुट्टी संचय करने का अधिकार है. यह देयता प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में किए जाने वाले स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक तुलन-पत्र तारीख में अप्रयुक्त छुट्टी के दिनों की संख्या के आधार पर प्रदान की जाती है.
The company provides for Privilege Leave Encashment subject to certain rules. The employees are entitled to accumulate leave subject to certain limits for future encashment as well as availment. The liability is provided based on the number of days of unutilized leave at each balance sheet date on the basis of an independent actuarial valuation carried out as at the end of each financial year.

उ. जीवन बीमा संयुक्त उद्यम - आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.

E. Life Insurance Joint Venture-IDBI Federal Life Insurance Company Limited,

i. उपदान के प्रति देयता को निर्धारित लाभ योजना के रूप में माना जाता है और इसे तुलन-पत्र तारीख को ''पूर्वानुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति'' पर स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दर्शाया जाता है.
Liability towards Gratuity is considered as the defined benefit plan and is recognised on the basis of independent actuarial valuation on “Projected Unit Credit Method” at Balance Sheet date.

ii. नकदीकरण योग्य अर्जित छुट्टी को दीर्घावधि लाभ के रूप में माना जाता है और इसे तुलन-पत्र तारीख को ''पूर्वानुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति'' पर स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है.
Earned Leave which is encashable is considered as long term benefit and is provided on the basis of independent actuarial valuation on “Project Unit Credit Method” at Balance Sheet date.

iii. बीमारी छुट्टी को अल्पकालिक प्रतिपूरक अनुपस्थिति माना जाता है और तुलन-पत्र की तारीख को ''पूर्वानुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति'' के अनुसार स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है.
Sick Leave is considered as short term compensated absences and is provided on the basis of independent actuarial valuation on “Projected Unit Credit Method” at Balance Sheet date.

iv. सांविधिक भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, समूह मीयादी बीमा और कर्मचारी श्रम कल्याण निधि में अंशदान के रूप में लाभ को निर्धारित अंशदान योजना के रूप में माना जाता है और इसे कर्मचारियों द्वारा सेवा प्रदान किए जाने की अवधि के लिए प्रदत्त अथवा भुगतान-योग्य राशि के आधार पर दर्शाया जाता है.
The benefit in the form of contribution to the Statutory Provident Fund, Employee State Insurance, Group Term Insurance and Employee Labour Welfare Fund are considered as the defined contribution plans and are recognised on the basis of the amount paid or payable for the period during which services are rendered by the employees.

ऊ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. के मामले में,

F. In case of IDBI Capital Market Services Limited,

i. कंपनी द्वारा सेवानिवृत्ति लाभ के कारण भविष्य निधि और अधिवर्षिता निधि के रूप में किए गए अंशदान को राजस्व में प्रभारित किया जाता है. कंपनी की उपदान और छुट्टी नकदीकरण संबंधी देयता को भारतीय जीवन बीमा निगम की योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है और भारतीय जीवन बीमा निगम को वार्षिक अंशदान का भुगतान किया जाता है.
The Company’s contribution on account of retirement benefits in the form of Provident Fund and Superannuation Fund is charged to revenue. The gratuity and leave encashment liability of the company are covered under the scheme with Life Insurance Corporation of India and the yearly contribution is paid to LIC.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ii. भविष्य निधि एक निर्धारित अंशदान योजना है और संबंधित निधि में अंशदान के देय होने पर अंशदान को वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.
Provident Fund is a defined contribution scheme and the contributions are charged to the Profit & Loss Account of the year when the contributions to the respective funds are due.

iii. कंपनी, भारतीय जीवन बीमा निगम की अनुमोदित समूह उपदान पॉलिसी में अंशदान करती है. उपदान संबंधी देयता निर्धारित लाभ दायित्व है और इसके लिए पूर्वानुमानित यूनिट जमा पद्धति के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में एएस 15 (संशोधित) के अनुसार किए जाने वाले बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है.
The Company contributes to an approved Group Gratuity Policy with the LIC of India. Gratuity liability are defined benefit obligations and are provided for on the basis of an actuarial valuation as per AS 15 (Revised) made at the end of each financial year based on the projected unit credit method.

iv. कंपनी, भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह छुट्टी नकदीकरण पॉलिसी में अंशदान करती है. अल्पावधि क्षतिपूरित अनुपस्थितियों के लिए अनुमानों के आधार पर प्रावधान किया जाता है.
The Company contributes to the Group Leave Encashment Policy with the LIC of India. Short term compensated absences are provided for based on estimates.

v. बीमांकिक लाभों/ हानियों को तुरंत लाभ-हानि लेखे में डाल दिया जाता है और इन्हें आस्थगित नहीं किया जाता है.
Actuarial gains/losses are immediately taken to the profit and loss account and are not deferred.

14. खंड रिपोर्टिंग:
Segment Reporting:

बैंक चार खंडों यथा- होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, ट्रेजरी सेवाएं और अन्य परिचालन में कार्य करता है. इन खंडों का निर्धारण एएस-17 के अनुसार योजनाओं व सेवाओं के स्वरूप व जोखिम प्रोफाइल, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, संगठनात्मक संरचना तथा बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली के आधार पर किया गया है.
The group operates in four segments wholesale banking, retail banking, treasury services and other operations. These segments have been identified in line with AS-17 on segment reporting after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profile, the organization structure and the internal reporting system of the Bank.

खंड राजस्व, परिणाम, आस्तियों व देयताओं में प्रबंधन द्वारा प्रत्येक खंड हेतु आबंटित व अनुमानित किए अनुसार अभिनिर्धारणीय राशि शामिल है. जिन आस्तियों व देयताओं को अभिनिर्धारणीय खंडों में आबंटित नहीं किया जा सकता है उन्हें गैर-आबंटित आस्तियों व देयताओं के रूप में पुनर्समूहित किया जाता है.
Segment revenue, results, assets, and liabilities include the amounts identifiable to each of the segments as also amounts allocated, as estimated by the management. Assets and liabilities that cannot be allocated to identifiable segments are grouped under unallocated assets and liabilities.

15. कराधान:
Taxation:

अ. आईडीबीआई बैंक लि. के मामले में,
A. In case of IDBI Bank Ltd,

कर व्यय में चालू एवं आस्थगित कर शामिल हैं.
Tax expense comprises of current and deferred tax.

i. चालू कर आय कर की वह निर्धारित राशि है जो किसी अवधि के लिए कर योग्य आय (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग्य) है. इसकी गणना आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों तथा आय परिकलन और प्रकटन मानकों (आईसीडीएस) के अनुसार की जाती है.
Current tax is the amount of Income tax determined to be payable (recoverable) in respect of taxable income (tax loss) for a period calculated in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and the Income Computation and Disclosure Standards (ICDS).

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ii. वर्ष के बहियों और कर लाभों के बीच समय अंतरालों हेतु आस्थगित कर को उन कर दरों एवं कानूनों का प्रयोग करते हुए हिसाब में लिया जाता है जो तुलनपत्र की तारीख को पर्याप्त रूप से अधिनियमित किये गये हों. समय अंतरालों से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर आस्तियों को इनकी भविष्य में वसूली की पर्याप्त निश्चितता की सीमा तक हिसाब में लिया जाता है.
Deferred tax for timing differences between the book and tax profits for the year is accounted for, using the tax rates and laws that have been substantively enacted as of the balance sheet date. Deferred tax assets arising from timing differences are recognised to the extent there is reasonable certainty that these would be realized in future.

iii. अनवशोषित हानियों के मामले में आस्थगित कर आस्तियां तभी मानी जाती हैं जब यह वास्तविक रूप से सुनिश्चित हो कि ऐसी आस्थगित कर आस्ति भावी कर योग्य लाभों में से वसूल की जा सकती हैं.
Deferred tax assets in case of unabsorbed depreciation/ losses are recognised only if there is virtual certainty that such deferred tax asset can be realized against future taxable profits.

iv. विभागीय अपीलों सहित जिन विवादित करों के लिए प्रावधान नहीं किया जाता है, उन्हें आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है.
Disputed taxes not provided for including departmental appeals are included under Contingent Liabilities.

v. न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) के संबंध में कर जमा का निर्धारण आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 115 जेएए के प्रावधानों के अनुसार ठोस साक्ष्य के आधार पर इस शर्त के साथ किया जाता है कि कंपनी सांविधानिक समय-सीमा के अंतर सामान्य आय कर का भुगतान करेगी तथा प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को इसकी समीक्षा की जाती है.
Tax credit is recognised in respect of Minimum Alternate Tax (MAT) as per the provisions of Section 115JAA of the Income tax Act, 1961 based on convincing evidence that the Company will pay normal income tax within the statutory time frame and is reviewed at each balance sheet date.

16. दलाली एवं नए निधि प्रस्ताव व्यय:
Brokerage &New Fund Offer expenses:

अ. आईडीबीआई बैंक कंपनी लिमिटेड के मामले में,
A. In case of IDBI Asset Management Company Limited,

दलाली: असीमित अवधि वाली इक्विटी लिंक्ड कर बचत योजना के मामले में अदा की गई अपफ्रंट दलाली को 36 महीने की अवधि में परिशोधित करना होता है तथा अन्य असीमित अवधि वाली योजना के मामले में इसे भरपाई अवधि में परिशोधित करना होता है. सीमित अवधि वाली योजनाओं के मामले में अपफ्रंट दलाली को परिपक्वता अवधि के दौरान परिशोधित करना होता है.
Brokerage: Upfront Brokerage paid in case of open ended Equity Linked Tax Saving schemes are to be amortized over the period of 36 months and in case of any other open ended scheme , over the claw back period. In case of closed ended schemes upfront brokerage to be amortized over the tenure of the scheme.

नए निधि प्रस्ताव (एनएफओ): नए निधि अंतर को आरंभ करने संबंधी व्ययों को उस वर्ष के लाभ हानि विवरण में प्रभारित करना होता है जिसमें वे खर्च किए गए हैं और सीमित अवधि वाली योजनाओं के लिए इसे योजना की अवधि के लाभ और हानि विवरण पर प्रभारित करना होता है.
New Fund Offer (NFO): Launch expenses relating to New Fund Offer are to be charged to the Statement of Profit and Loss in the year in which they are incurred and for close ended scheme it is to be charged to the Statement of Profit and Loss over the tenure of the scheme.

17. प्रति शेयर उपार्जन:
Earnings Per Share:

i. समूह एएस 20 के अनुसार मूल एवं न्यूनीकृत प्रति शेयर उपार्जन की सूचना देता है. प्रति शेयर मूल उपार्जन की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को उस अवधि में बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है.
The Group reports basic and diluted Earnings per Share in accordance with AS 20. Basic Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the year.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ii. प्रति शेयर न्यूनीकृत उपार्जन उस संभावित न्यूनीकरण को दर्शाते हैं जो उस अवधि के दौरान प्रतिभूतियों या इक्विटी शेयर जारी करने की अन्य संविदाओं का उपयोग या परिवर्तन करने पर हो सकता है. प्रति शेयर न्यूनीकृत उपार्जन की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के अंत में बकाया न्यूनीकृत संभाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या से भाग देकर की जाती है.
Diluted Earnings per Share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the period. Diluted Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the sum of the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the year end.

18. आस्तियों की अनर्जकता: Impairment of Assets:

जब भी किसी घटना अथवा परिस्थितियों में हुए परिवर्तन ऐसे संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव-राशि वसूली योग्य नहीं है तो अचल आस्तियों की अनर्जकता की समीक्षा की जाती है. धारित तथा उपयोग की जाने वाली आस्तियों की वसूली क्षमता का आकलन अनुमानित चालू वसूली योग्य मूल्य अथवा उपयोग मूल्य की तुलना आस्ति की रखाव राशि से करके किया जाता है. यदि ऐसी आस्तियां अनर्जक मानी गई हों तो निर्धारित होने वाली अनर्जकता को उस आस्ति की दर्ज लागत से उसके चालू अनुमानित वसूली योग्य मूल्य अथवा उपयोग मूल्य की तुलना में आधिक्य से मापा जाता है.
Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to the estimated current realizable value and value in use. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognised is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds estimated current realizable value of the asset or value in use.

19. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

i. एएस 29 के अनुरूप प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के मामले में, बैंक द्वारा कोई प्रावधान तभी हिसाब में लिया जाता है जब पिछले किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देयता बनती हो और इस बात की संभावना हो कि उक्त दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभों सहित संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और जिसके लिए दायित्व संबंधी विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है.
In conformity with AS 29, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

ii. प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर बट्टाकृत नहीं किया जाता और उनका निर्धारण तुलनपत्र की तारीख को देयता के निपटान के लिए अपेक्षित सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर किया जाता है.
Provisions are not discounted to its present value and are determined based on best estimate required to settle the obligation at the balance sheet date.

iii. किसी प्रावधान के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय के संबंध में संभावित प्रतिपूर्ति का निर्धारण तभी किया जाता है जब यह वास्तविक रूप से सुनिश्चित हो कि इसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी.
Reimbursement expected in respect of expenditure required to settle a provision is recognised only when it is virtually certain that the reimbursement will be received.

iv. आकस्मिक आस्तियों का न तो निर्धारण किया जाता है और न ही इनका प्रकटन किया जाता है.
Contingent Assets are neither recognised nor disclosed.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

20. योजना से संबंधित व्यय: Scheme related expenses:

आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. के मामले में यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनिमय अधिनियम 1996 द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक होने वाली राशियों सहित अथवा सीमाओं से अधिक और कंपनी द्वारा योजना संबंधी जानकारी दस्तावेजों में दिये अनुसार (उक्त विनियमों के अनुसार) उन व्ययों को जो कंपनी द्वारा वहन किए जाने आवश्यक हैं, आईडीबीआई म्यूचुअल फंड योजनाओं के सभी आवर्ती व्यय योजना संबंधी व्यय के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

In case of IDBI Asset Management Company Limited, In All recurring expenses of the schemes of the IDBI Mutual Fund including the amounts in excess of the limits prescribed by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Fund) Regulations Act 1996, as amended, or in excess of limits and as given in the Scheme Information Document that are required to be borne by the Company as per the said regulations, are charged to the Statement of Profit and Loss as Scheme related expenses

आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनिमय 1996 अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक होने वाले आईडीबीआई म्यूचुअल फंड योजना के व्यय कंपनी द्वारा वहन किए जा सकते हैं. तथापि, समीक्षाधीन अवधि के दौरान इस प्रकार का कोई भी व्यय लाभ-हानि लेखे को प्रभारित नहीं किया गया है. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने आईडीबीआई एमएफ़ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड पर लगाये जाने वाले सचिवीय तथा अन्य प्रभारों के एक भाग को युक्तियुक्त एवं साम्यिक आधार पर प्रभाजित किया है और ऐसे व्यय लाभ-हानि लेखा में दर्शाये जाते हैं.

In case of IDBI MF Trustee Company Limited, Expenses of the scheme of IDBI Mutual Fund in excess of the limits prescribed by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Fund) Regulations Act 1996 can be borne by the Company. However, during the period under review no such expenses are charged to profit and loss account. IDBI Asset Management Company Limited has apportioned a part of the Secretarial and other charges attributable to the IDBI MF trustee company Limited on a reasonable and equitable basis and such expenses are charged to the Profit and Loss account.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 18: समेकित लेखा टिप्पणियां
SCHEDULE 18: NOTES TO CONSOLIDATED ACCOUNTS

1. अचल आस्तियां (संपत्ति, संयत्र एवं उपकरण एएस-10)
FIXED ASSETS (PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT AS-10)

i. परिसर में ₹ 2177.16 करोड़ (₹ 2177.16 करोड़) की पट्टाधृत भूमि (पुनर्मूल्यित) शामिल है जिसका 31 मार्च 2016 को कारोबार समय की समाप्ति पर पुनर्मूल्यन किया गया. पुनर्मूल्यन के फलस्वरूप हुई ₹1129.05 करोड़ की निवल मूल्य वृद्धि को 31 मार्च 2016 को पुनर्मूल्यन रिज़र्व में जमा किया गया.

Premises include Leasehold Land (revalued) of ₹ 2177.16 Crore (₹ 2177.16 Crore) which was revalued at the end of business hours, on 31st March 2016. The net appreciation of ₹ 1129.05 Crore arising on revaluation, was credited to Revaluation Reserve on March 31, 2016.

ii. बैंक ने यथा 31 मार्च 2016 को कारोबार समय की समाप्ति पर स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और आवासीय/ कार्यालय भवन का पुनर्मूल्यन किया है. पुनर्मूल्यन से उत्पन्न ₹ 2807.29 करोड़ की निवल मूल्य वृद्धि, जो ₹ 1202.71 करोड़ के निवल बही मूल्य और ₹ 4010 करोड़ की पुनर्मूल्यित राशि के बीच की अंतर राशि है, को 31 मार्च 2016 को पुनर्मूल्यन रिज़र्व में जमा किया गया.

The Bank has revalued its Freehold Land & Residential/ Office building at the end of business hours, on 31st March 2016 based on valuations made by independent valuers. The net appreciation of ₹ 2807.29 Crore arising on revaluation, being the difference between the net book value of ₹ 1202.71 Crore and revalued amount of ₹ 4010 Crore was credited to Revaluation Reserve on March 31, 2016.

iii. 31 मार्च 2018 को पुनर्मूल्यन रिज़र्व में शेष ₹ 5053.88 करोड़ (₹ 5417.75 करोड़) रहा.

The balance in Revaluation Reserve as at March 31, 2018 is ₹ 5053.88 Crore (Previous year ₹ 5417.75 Crore).

iv. वर्ष के दौरान आवासीय / कार्यालय भवनों की बिक्री के फलस्वरूप ₹ 519.89 करोड़ के बही लाभ को अनुसूची 14- अन्य आय में शामिल किया गया है.

A book profit of ₹ 519.89 crore on account of sale of residential/office buildings during the year is included in Schedule 14-Other Income.

2. कर्मचारी लाभ (एएस-15) (संशोधित)
EMPLOYEE BENEFITS (AS-15) (Revised)

i) निर्दिष्ट अंशदान योजनाएं
Defined Contribution Schemes

पेंशन का विकल्प चुनने वाले तथा 31 मार्च 2008 से पूर्व बैंक में सेवा ग्रहण करने वाले कर्मचारियों को छोड़कर बैंक के अन्य कर्मचारियों को भविष्य निधि योजना (पीएफएस) के अंतर्गत कवर किया गया है. बैंक मूल वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में भविष्य निधि योजना में निर्दिष्ट अंशदान करता है. भविष्य निधि योजना को 'आईडीबीआई बैंक कर्मचारियों की भविष्य निधि (निधि) के प्रशासकों की समिति' द्वारा संचालित किया जाता है. आईडीबीआई होम फाइनेंस लिमिटेड (आईएचएफ़एल) और आईडीबीआई गिल्टस लिमिटेड (आईजीएल) के कर्मचारियों के संदर्भ में मई 2011 तक भविष्य निधि अंशदान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को किए गए और उसके बाद अंशदान ऊपर उल्लिखित निधि में किए गए. वर्ष के दौरान पीएफएस में ₹ 4.52 करोड़ (₹ 4.68 करोड़) का अंशदान किया गया और इसे लाभ-हानि लेखे में डाला गया है.

The Bank's employees, excluding those who have opted for pension, who have joined Bank before March 31, 2008 are covered by Provident Fund Scheme (PFS). The Bank makes a defined contribution measured as a fixed percentage of basic salary to the PFS. The Provident Fund Scheme is administered by "The Committee of Administrators of IDBI Bank Employees' Provident Fund (Fund)". In respect of employees of IDBI Home Finance Limited (IHFL) and IDBI Gilts Limited (IGL), provident fund contributions were made to Regional Provident Fund Commissioner up to May 2011 and thereafter contributions have been made to the aforementioned Fund. During the year, ₹ 4.52 Crore ₹ 4.68 Crore) has been contributed to PFS and charged to Profit and Loss Account.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

1 अप्रैल, 2008 के बाद बैंक में नियुक्त कर्मचारियों को निर्दिष्ट अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) के अंतर्गत कवर किया गया है जिसमें बैंक वेतन और महंगाई भत्ते के निर्धारित प्रतिशत के रूप मे अंशदान करता है. वर्ष के दौरान डीसीपीएस में ₹ 69.20 करोड़ (₹ 63.95 करोड़) का अंशदान किया गया और इसे लाभ-हानि लेखे में डाला गया है.

The Bank's employees who have joined after April 1, 2008 are covered by Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) to which Bank makes a defined contribution as a fixed percentage of Pay and Dearness Allowance. During the year, ₹ 69.20 Crore (₹ 63.95 Crore) has been contributed to DCPS and charged to Profit and Loss Account.

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि. के मामले में, लाभ-हानि लेखे में भविष्य निधि अंशदान के लिए ₹ 0.71 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.55 करोड़) की राशि डाली गयी है.

In case of IDBI Capital Market Services Ltd, the amount recognised and included for Contribution to Provident Fund in Profit and Loss Account is ₹ 0.71crore (Previous year ₹ 0.55 crore)

आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. के मामले में, कंपनी द्वारा लाभ-हानि लेखे में भविष्य निधि अंशदान के लिए 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 0.55 (₹ 0.65 करोड़) करोड़ की राशि डाली गयी है.

In case of IDBI Asset Management Ltd the amount recognised is ₹ 0.55 Crore (₹ 0.65Crore) for the year ended 31stMarch 2018 for the Provident Fund Contributions in the Profit and Loss Account.

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप लि. के मामले में कंपनी द्वारा लाभ-हानि लेखे में भविष्य निधि अंशदान के लिए 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 0.14 करोड़ (₹ 0.12 करोड़) करोड़ की राशि डाली गयी है.

In case of IDBI Trusteeship Services Ltd, the amount recognised is ₹ 0.14 crore for the year ended 31st March 2018 (₹ 0.12 crore) for the Provident Fund Contributions in the Profit and Loss Account.

आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में कंपनी द्वारा लाभ-हानि लेखे में सांविधिक भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, ग्रुप टर्म बीमा और कर्मचारी श्रम कल्याण निधि में अंशदान के लिए 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 2.32 करोड़ (₹ 2.23 करोड़) की राशि डाली गयी है.

In case of IDBI Federal Life Insurance Company Ltd, the amount recognised is ₹ 2.32 Crore (₹ 2.23 Crore) for the year ended 31st March, 2018 for the contribution towards statutory provident fund, Employee State Insurance, Group Term insurance& Employee Labour Welfare Fund in the Profit and Loss Account.

ii) **निर्दिष्ट लाभ योजनाएं**
Defined Benefit Schemes

क. बैंक 'आईडीबीआई बैंक कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि ट्रस्ट' में कर्मचारियों के ग्रेच्युटी दायित्व के लिए अंशदान करता है.

a. The Bank makes contributions for the gratuity liability of the employees to the 'IDBI Bank Employees Gratuity Fund Trust'.

i. बैंक के कुछ कर्मचारी पेंशन के लिए भी पात्र हैं जो 'आईडीबीआई पेंशन फंड ट्रस्ट' द्वारा संचालित है.
Some of the employees of the Bank are also eligible for Pension which is administered by the 'IDBI Pension Fund Trust'.

ii. इन निर्दिष्ट लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य और संबंधित वर्तमान सेवा लागतों की गणना प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा अनुमानित यूनिट जमा पद्धति का उपयोग करते हुए की जाती है.
The present value of these defined benefit obligations and the related current service cost are measured using the Projected Unit Credit Method by an independent actuary at each balance sheet date.

ख. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि. के मामले में समूह की एक निर्दिष्ट लाभ ग्रेच्युटी योजना है. प्रत्येक कर्मचारी जिसने पांच वर्ष या इससे अधिक की सेवा पूरी कर ली है, उसे जाते समय सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन (अंतिम आहरित वेतन) की ग्रेच्युटी मिलती है जो कि अधिकतम ₹ 20,00,000 है.

b. In case of IDBI Capital Market Services Ltd, the group has a defined benefit gratuity plan. Every employee who has completed five years or more of service gets a gratuity on departure at 15 days salary (last drawn salary) for each completed year of service subject to a maximum of ₹ 2000000.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ग. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. के मामले में, उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अनुसार भुगतान के लिए समूह ने ग्रेच्युटी का प्रावधान किया है जो सभी कर्मचारियों को कवर करने वाली एक निर्दिष्ट सेवानिवृत्ति लाभ योजना है. इसमें संबंधित कर्मचारी के वेतन और कंपनी में उसके नियोजन के वर्षों के आधार पर उसे सेवानिवृत्ति या सेवा छोड़ने पर एकमुश्त राशि दी जाती है.

c. In case of IDBI Asset Management Ltd, In accordance with Payment of Gratuity Act, 1972, the group provides for gratuity, a defined benefit retirement plan covering all employees. The plan provides a lump sum payment to vested employees at retirement or termination of employment based on the respective employee's salary and the years of employment with the Company.

ग्रेच्युटी लाभ भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियंत्रित तथा प्रबंधित ग्रेच्युटी निधि के जरिए प्रदान किया जाता है. ग्रेच्युटी निधि में वार्षिक अंशदान तथा प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है.
The gratuity benefit is provided through a Gratuity Fund administrated and managed by the Life Insurance Corporation of India. The annual contributions to the gratuity fund and provision is made on the basis of actuarial valuation.

घ. आईडीबीआई इंटेक लि. के मामले में समूह ने ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण के भावी भुगतान के लिए एक ट्रस्ट बनाया है, जिसका निधीयन भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा किया जाता है. एलआईसी द्वारा निर्धारित किए अनुसार भुगतान के प्रयोजन के लिए वार्षिक ग्रेच्युटी अंशदान किए जाते हैं. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में ग्रेच्युटी के दायित्व का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है. ऐसी निर्धारित बीमांकिक देयता और निधि में अंशदान के अंतर को देयता/ आस्ति, जैसा भी मामला हो, माना जाता है.

d. In case of IDBI Intech Ltd, the group has created a trust for future payment of Gratuities & Leave Encashment, which is funded with Life Insurance Corporation of India (LIC). Annual Gratuity contributions are made as determined by LIC for purposes of payment. The liability for gratuity at the end of each financial year is determined based on actuarial valuation. The difference between such actuarially determined liability and contributions made to the fund is recognised as a liability/asset, as the case may be.

ङ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. के मामले में समूह ने ग्रेच्युटी दायित्वों के लिए एक अलग ट्रस्ट बनाया है. ग्रेच्युटी ट्रस्ट के अनुमोदन के लिए आयकर विभाग के पास किया गया आवेदन लंबित है. ट्रस्ट ने एलआईसी से ग्रुप ग्रेच्युटी पॉलिसी ली है और बीमांकिक आधार पर एलआईसी द्वारा निर्धारित किए गए वार्षिक अंशदानों का भुगतान कर उन्हें लाभ-हानि खाते में डाला जाता है. वर्ष के अंत में एलआईसी के पास हुआ संचय कंपनी की योजना आस्तियों और ग्रेच्युटी देयताओं के निधिकृत भाग को दर्शाते हैं.

e. In case of IDBI Trusteeship Services Ltd, The group has created a separate Trust for Gratuity obligations. The Application filed for approval of the Gratuity Trust with the Income Tax Dept is pending. The Trust has taken Group Gratuity Policy from LIC and the annual contributions determined by LIC on actuarial basis are paid and charged to Statement of Profit & Loss. The accumulations with LIC at year end represent Plan Assets and Funded Part of Gratuity Obligations of the company.

चूंकि एलआईसी द्वारा बीमांकिक गणनाओं में अपेक्षाकृत कम दरों पर वेतन में बढ़ोत्तरी (4%) और आहरण (1% से 3%) का अनुमान लगाया जाता है, कंपनी ने सरकार द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र बीमा मूल्यांकक से अधिक वास्तविक धारणाओं पर पिछली और वर्तमान सेवा के भविष्य के दायित्वों के वर्तमान मूल्य के मूल्यांकन हेतु एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया है. एलआईसी योजना में निधि संचयन और स्वतंत्र मूल्यांकक (ग्रेच्युटी दायित्व के गैर निधिक भाग का प्रतिनिधित्व करते हुए) द्वारा वर्ष के अंत में देयता के रूप में निर्धारित राशि में अंतर को लाभ-हानि विवरण में उपयुक्त रूप से डालकर लेखे में देयता के रूप में दर्शाया जाता है.
On account of LIC assuming lower rates of salary escalations (4%) and withdrawal (1 to 3%) in actuarial computations, the company has obtained, from Independent Government Approved Actuary Valuer, a certificate for valuation of present value of future obligation of past and current service on more realistic assumptions. The difference between fund accumulation in LIC Scheme and amount determined at year end obligations by Independent Valuer (representing Non-Funded Part of Gratuity Obligation) is recognised and presented as liability in accounts by appropriate charge to Statement of Profit & Loss.

च. आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में समूह ने एक ग्रेच्युटी ट्रस्ट निगमित किया है. कंपनी आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ग्रेच्युटी फंड के ट्रस्ट द्वारा नियंत्रित ग्रेच्युटी निधि में अंशदान करती है. ग्रेच्युटी योजना में पात्र कर्मचारियों को संबंधित कर्मचारी के वेतन और कंपनी में रोजगार के वर्ष के आधार पर सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति पर एकमुश्त भुगतान का प्रावधान है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

f. In case of IDBI Federal Life Insurance Company Ltd, The group has incorporated a gratuity trust. The Company makes contribution to a Gratuity Fund administered by trustee of IDBI Federal Life Insurance Company Limited Gratuity Fund. The plan provides a lump sum payment to vested employees at retirements or termination of employment based on the respective employee's salary and the year of employment with the Company.

6 महीने या उससे अधिक की नियमित सेवा प्रदान करने वाले पात्र कर्मचारियों को उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार सेवा छोड़ने पर सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए 15 दिन के मूल वेतन की दर से ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है.
The Gratuity is payable on separation as per the provisions of Payment of Gratuity Act, 1972 @ 15 days basic pay for each completed years of service to eligible employees who have rendered continuous service of 6 months or more.

कर्मचारियों के लिए संचित बीमारी छुट्टी के संबंध में क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति हेतु देयता का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है. वर्ष के दौरान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उक्त लाभों के लिए प्रावधान के रूप में राजस्व अथवा लाभ और हानि लेखा में ₹ 0.35 करोड़ (शून्य) रुपये प्रभारित किए गए.
Liability for compensated absence in respect of accumulated sick leave for employees is determined based on actuarial valuation. During the year amount of ₹ 0.35 crore (NIL) has been charged to Revenue or Profit and Loss Account towards provision for the said benefits based on actuarial valuation.

निम्नलिखित तालिका निर्दिष्ट लाभ योजनाओं की स्थिति और 31 मार्च 2018 को समूह के वित्तीय विवरणों में दर्शायी गई राशियों की स्थिति प्रस्तुत करती है जो लेखा मानक एएस-15 (संशोधित) के अनुसार है.
The following table sets out the status of the defined benefit schemes and the amounts recognised in the Group's financial statements as at March 31, 2018 which is as per AS-15(Revised).

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण/Particulars	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
		यथा 31 मार्च 2018 As at March 31, 2018		यथा 31 मार्च 2017 March 31, 2017	
क) a)	**लाभ दायित्वों में परिवर्तन** Change in benefit obligations				
	वर्ष के आरंभ में अनुमानित लाभ दायित्व Projected benefit obligation, beginning of the year	**2059.32**	**654.34**	**1848.01**	**574.12**
	ब्याज लागत / Interest cost	153.42	48.00	148.95	46.26
	वर्तमान सेवा लागत / Current Service cost	36.64	41.16	32.56	34.95
	वर्ष के दौरान सीमा में वृद्धि के कारण उपगत पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service cost (Vested Benefit) incurred during the year due to increase in limit	0.00	46.57	0.00	0.00
	अंतरित देयता आगम / (निर्गम) Liability Transferred In/(Out)	0.00	0.00	0.00	0.00
	प्रदत्त लाभ/ Benefits paid	(111.50)	(59.50)	(98.14)	(46.46)
	बीमांकिक (लाभ) / हानि / Actuarial (gain) / loss	(26.09)	(8.89)	127.94	45.47
	वर्ष के अंत में अनुमानित लाभ / दायित्व Projected benefit/obligation, end of the year	**2111.79**	**721.69**	**2059.32**	**654.34**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण/Particulars	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
		यथा 31 मार्च 2018 As at March 31, 2018		यथा 31 मार्च 2017 March 31, 2017	
ख) b)	**योजना आस्तियों में परिवर्तन : Change in plan assets:**				
	वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets, beginning of the year	2257.56	573.49	1818.46	524.64
	योजना आस्तियों पर अनुमानित प्रतिफल Expected return on plan assets	168.19	42.15	147.30	42.46
	नियोक्ता का अंशदान Employer's contributions	14.55	86.88	291.84	49.68
	अन्य कंपनी से अंतरण Transfer from other company	0.00	0.00	0.00	0.00
	प्रदत्त लाभ / Benefits paid	(111.50)	(59.50)	(98.14)	(46.46)
	बीमांकिक लाभ / (हानि) / Actuarial gain / (loss)	(38.82)	8.65	98.10	3.16
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets at the end of the year	**2289.98**	**651.67**	**2257.56**	**573.58**
ग) c)	**दायित्व के वर्तमान मूल्य और योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान Reconciliation of present value of the obligation and fair value of the plan assets**				
	वर्ष के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य Present value of benefit obligation at end of the year	2111.79	721.69	2059.32	654.34
	भविष्य में अभिनिर्धारित/ उपबंधित की जानेवाली अंतर्वर्ती (देयता) Transitional (Liability) to be recognised/ provided in future	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के अंत में लाभ दायित्व का निवल वर्तमान मूल्य Net Present value of benefit obligation at end of the year	2111.79	721.69	2059.32	654.34
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan assets at end of the year	2289.98	651.67	2257.56	573.49
	अधिशेष/(कमी) / Surplus/(Deficit)	**178.19**	**(70.03)**	**198.24**	**(80.85)**
घ) d)	**वर्ष के लिए निवल लागत Net cost for the year**				
	सेवा लागत / Service cost	36.64	41.16	32.56	34.95
	ब्याज लागत / Interest cost	(14.77)	6.51	148.95	45.99

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण/Particulars	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
		यथा 31 मार्च 2018 As at March 31, 2018		यथा 31 मार्च 2017 March 31, 2017	
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल Expected return on plan assets	0.00	(0.01)	(147.30)	(42.20)
	निवल बीमांकिक (लाभ) / हानि Net Actuarial (gain)/loss	12.73	(17.54)	29.84	42.31
	सीमा में वृद्धि के कारण अवधि के दौरान स्वीकार की गई पिछली सेवा लागत (निहित लाभ) [नीचे दिए गए नोट (i) का संदर्भ लें] Past Service Cost (Vested Benefit) recognised during the year due to increase in limit [refer note (i) below]	0.00	11.86	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान स्वीकार की गई संक्रमणकालीन देयता Transitional liability recognised during the year	0.00	0.00	0.00	0.00
	उपरोक्तानुसार निवल लागत Net cost as per above	**34.60**	**41.99**	**64.05**	**81.05**
	पुनरांकित न की गई बीमांकिक देयता की तुलना में निधि मूल्य की अधिकता Excess of fund value over actuarial liability not written back	178.19	0.00	198.24	0.00
	वर्तमान वर्ष में समायोजित पिछले वर्ष की बीमांकिक देयता की तुलना में निधि मूल्य की अधिकता Excess of fund value over actuarial liability of previous year adjusted in current year	0.00	0.00	0.00	0.23
	वर्ष की निवल लागत / Net cost of the year	**212.79**	**41.99**	**262.29**	**81.28**
ङ/ e)	**आस्तियों की श्रेणी / Category of Assets**				
	भारत सरकार की आस्तियां Government of India Assets	1066.14	0.24	1042.30	0.23
	कॉरपोरेट बांड / सावधि जमा Corporate Bonds / FD	597.12	0.56	528.98	0.65
	विशेष जमा योजना / Special Deposits Scheme	0.00	0.00	0.00	0.00
	बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां Insurer Managed Funds	0.00	649.03	0.00	571.67
	अन्य / Others	626.72	1.83	686.28	0.94
	कुल / Total	**2289.98**	**651.66**	**2257.56**	**573.49**
च) f)	**लेखांकन में प्रयुक्त धारणाएं : Assumptions used in accounting:**				
	बट्टा दर / Discount rate	7.45%	7.18% - 7.90%	7.45%	6.56% - 7.71%
	योजना आस्तियों पर प्रतिफल दर Rate of return on plan assets	7.45%	7.18% - 7.90%	7.45%	7.21% - 7.71%
	वेतन बढ़ोतरी दर Salary escalation rate	5.75%	5 % - 10%	5.75%	5 % - 10%

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण/Particulars	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
		यथा 31 मार्च 2018 As at March 31, 2018		यथा 31 मार्च 2017 March 31, 2017	
	ह्रास दर / Attrition Rate	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 1.90% तथा 4 वर्ष से अधिक सेवा के लिए 2.57% 1.90 % for service less than 5 Years and 2.57 % for service more than 4 Years	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 1.90% तथा 4 वर्ष से अधिक सेवा के लिए 2.57% 1.90 % for service less than 5 Years and 2.57 % for service more than 4 Years	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 1.90% तथा 4 वर्ष से अधिक सेवा के लिए 2.57% 1.90% for service less than 5 Years and 2.57% for service more than 4 Years	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 1.90% तथा 5 वर्ष से अधिक सेवा के लिए 2.57% 1.90% for service less than 5 Years and 2.57% for service more than 4 Years
	मृत्यु दर / Mortality Rate	भारतीय जीवन आश्वस्ति मृत्यु (2006-2008) अंतिम रूप से/ Indian Assured Lives Mortality (2006-2008) Ult.		भारतीय जीवन आश्वस्ति मृत्यु (2006-2008) अंतिम रूप से / Indian Assured Lives Mortality (2006-2008) Ult.	

(i) उपदान अधिनियम, 1972 के भुगतान में संशोधन से संबंधित दिनांक 29 मार्च 2018 की राजपत्र अधिसूचना के आधार पर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 अप्रैल 2018 के अपने पत्र डीबीआर सं. बीपी. बीसी. 9730/ 21.04.018/2017-18 द्वारा बैंकों को 31 मार्च 2018 को समाप्त तिमाही से आरंभ होने वाली चार तिमाही में उपदान सीमा को ₹ 10 लाख से ₹ 20 लाख तक बढ़ाने के कारण अतिरिक्त देयता विभाजित करने का विकल्प दिया है. बैंक ने इस विकल्प का प्रयोग कर 31 मार्च 2018 को समाप्त तिमाही के दौरान ₹ 11.57 करोड़ प्रभारित किए हैं और आगामी वित्तीय वर्ष के अगली तीन तिमाही के लिए ₹ 34.71 करोड़ आस्थगित किये हैं.

Pursuant to the Gazette Notification dated March 29, 2018 regarding amendment in Payment of Gratuity Act, 1972, Reserve Bank of India vide its communication DBR No. BP.BC. 9730/ 21.04.018/ 2017-18 dated April 27, 2018, has given option to Banks to spread additional liability on account of enhancement in gratuity limits from ₹ 10 lakhs to ₹ 20 lakhs in four quarter beginning with the quarter ended March 31, 2018. The Bank has exercised the option and has charged ₹ 11.57 crore during the quarter ended March 31, 2018 and deferred ₹ 34.71 crore to subsequent three quarter of the ensuing financial year.

iii. **अन्य दीर्घावधि लाभ**
Other long term benefits

क) अवधि की समाप्ति पर छुट्टी नकदीकरण दायित्व का वर्तमान मूल्य
a) Present value of Leave Encashment obligation at the End of the period

संस्था/Entity	वित्तीय वर्ष FY 2017-18	वित्तीय वर्ष FY 2016-17
आईडीबीआई बैंक लि. / IDBI Bank Ltd.	373.77	351.3
आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड IDBI Federal Life Insurance Company Ltd.	1.42	1.49
आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड / IDBI Asset Management Limited	0.34	0.6

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

संस्था/Entity	वित्तीय वर्ष FY 2017-18	वित्तीय वर्ष FY 2016-17
आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड / IDBI Intech Limited	2.57	2.05
आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि. IDBI Capital Market Services Limited	2.47	2.05
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. / IDBI Trusteeship Services Ltd.	0.29	0.15

ख) आईडीबीआई बैंक लि. के मामले में, बैंक के अधिकारी अधिकतम 180 दिन और अन्य स्टाफ अधिकतम 300 दिन तक अपनी अर्जित/ साधारण छुट्टी को संचित करने के लिए पात्र हैं. प्रत्येक वर्ष में अधिकतम 15 दिन की छुट्टी का नकदीकरण कराया जा सकता है.

b) In case of IDBI Bank Ltd., employees of the Bank are entitled to accumulate their earned/ privilege leave up to a maximum of 180 days for officers and 300 days for other staff. A maximum of 15 days leave is eligible for encashment in each year. .

बैंक के कर्मचारी अपंगता सहायता के लिए पात्र हैं जिसे अपंगता की घटना घटित होने पर बैंक द्वारा वहन किया जाता है.
Employees of the Bank are eligible for Disability Assistance which is borne by the Bank as and when the disability events occur.

बैंक के कुछ कर्मचारी स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना सहायता के लिए पात्र हैं जिसे देयता की घटना होने पर बैंक द्वारा वहन किया जाता है.
Some employees of the Bank are eligible for Voluntary Health Scheme which is borne by the Bank as and when the liability events occur.

इन लाभों का बीमांकिक मूल्यांकन पूर्वानुमानित यूनिट जमा पद्धति का प्रयोग करते हुए किया गया है तथा वर्ष के दौरान ₹ 17.47 करोड़ (₹73.07 करोड़) की राशि को लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया गया है.
Actuarial valuation of these benefits have been carried out using the Projected Unit Credit Method and ₹ 17.47 Crore (₹ 73.07 Crore) has been charged to Profit and Loss Account during the year.

ग) आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में कंपनी के कर्मचारी अधिकतम 30 दिन की अर्जित/ साधारण छुट्टी को संचित कर सकते हैं जो नीति के अनुसार उनके द्वारा सेवा छोड़ते समय भुगतान योग्य/ नकदीकरण योग्य हैं. वर्ष के दौरान ₹ 0.66 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.68 करोड़) की राशि बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान के रूप में उक्त लाभ के लिए राजस्व या लाभ-हानि लेखे में डाली गई है.
In case of IDBI Federal Life Insurance Company Ltd, The Employees of the Company are entitled to accumulate their earned / privilege leave up to a maximum of 30 days which is payable/encashable as per the policy on their separation. During the year amount of ₹ 0.66 Crore (Previous Year: ₹ 0.68 Crore) has been charged to Revenue or Profit and Loss Account towards provision for the said benefits based on actuarial valuation.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

3. खंड रिपोर्टिंग (एएस-17)
SEGMENT REPORTING (AS-17)

बैंक मुख्यतः निम्नलिखित चार कारोबारी खंडों में परिचालन करता है :
The Bank primarily operates in four business segments as under :

ट्रेजरी Treasury	ट्रेजरी परिचालन में निवेशों के ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, मुद्रा बाजार परिचालन, डेरिवेटिव सौदे, प्रोप्राइटरी खातों में और ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा परिचालन शामिल हैं. Treasury operations include trading portfolio of investments, money market operations, derivative trading, foreign exchange operations on the proprietary account and for customers.
खुदरा बैंकिंग Retail Banking	खुदरा बैंकिंग में व्यापक रूप से ऋण और जमा कार्यकलाप शामिल हैं जो मुख्य रूप से वैयक्तिक और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार सहित लघु कारोबार पर केंद्रित हैं. खुदरा बैंकिंग में भुगतान एवं वैकल्पिक चैनल जैसे एटीएम, पीओएस मशीनें, इन्टरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ट्रेवल/ करेंसी कार्ड, थर्ड पार्टी वितरण और लेन-देन बैंकिंग सेवाएं भी शामिल हैं. Retail Banking broadly includes credit and deposit activities that are primarily oriented towards individuals & small business including Priority sector lending. Retail Banking also encompasses payment and alternate channels like ATMs, POS machines, internet Banking, mobile Banking, credit cards, debit cards, travel/currency cards, third party distribution and transaction Banking services.
कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking	इसमें खुदरा के अतिरिक्त जमा एवं ऋण कार्यकलाप सहित कॉरपोरेट संबंध शामिल हैं. इसमें कॉरपोरेट सलाहकारी/ समूहन सेवाएं, परियोजना मूल्यांकन और ट्रेजरी के अंतर्गत शामिल न किए गए रणनीतिक निवेश सहित निवेश पोर्टफोलियो शामिल हैं. Includes corporate relationship covering deposit & credit activities other than retail. It also covers corporate advisory / syndication, project appraisal and investment portfolio including strategic investments other than those covered under Treasury.
अन्य बैंकिंग/ समूह परिचालन Other Banking/ Group Operations	इसमें बैंक के अलावा समूह कंपनियों के परिचालन/ कार्यकलाप शामिल हैं. Includes operations/activities of group companies other than Bank.

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं Sr. No.	विवरण / Particulars	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018 Year ended March 31, 2018 (लेखापरीक्षित) (Audited)	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017 Year ended March 31, 2017 (लेखापरीक्षित) (Audited)
क. a.	**खंड राजस्व Segment Revenue**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	19042	22171
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	27899	28395
	ट्रेजरी / Treasury	141	793
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	312	252
	कुल / TOTAL	**47394**	**51611**
	घटाएं :- अंतर-खंड राजस्व Less :- Inter-segment revenue	17104	19598
	परिचालनों से निवल बिक्री / आय Net sales / income from operations	**30290**	**32013**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं Sr. No.	विवरण / Particulars	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018 Year ended March 31, 2018 (लेखापरीक्षित) (Audited)	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017 Year ended March 31, 2017 (लेखापरीक्षित) (Audited)
ख. b.	**खंड परिणाम - कर पूर्व लाभ / (हानि) Segment Results -Profit/(loss) before tax**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	(14613)	(9080)
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	1964	287
	ट्रेजरी / Treasury	64	290
	अन्य बैंकिंग परिचालन Other banking operations	114	58
	कुल / TOTAL	**(12470)**	**(8445)**
	घटाएं: अविनिधानीय आय को घटाते हुए अन्य अविनिधानीय व्यय Less: Other unallocable expenditure net of unallocable income	-	-
	कर पूर्व कुल लाभ Total profit before tax	**(12470)**	**(8445)**
	आय कर / Income taxes	(4338)	(3429)
	निवल लाभ / (हानि) / Net profit /(Loss)	**(8132)**	**(5016)**
ग. c.	**खंड आस्तियां Segment assets**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	202236	183662
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	128470	166888
	ट्रेजरी / Treasury	3054	426
	अन्य बैंकिंग/ समूह परिचालन / Other banking/ Group operations	1245	699
	अविनिधानीत कॉरपोरेट आस्तियां / Unallocated corporate assets	16132	10811
	कुल आस्तियां / Total assets	**351137**	**362488**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं Sr. No.	विवरण / Particulars	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018 Year ended March 31, 2018 (लेखापरीक्षित) (Audited)	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017 Year ended March 31, 2017 (लेखापरीक्षित) (Audited)
घ. d.	**खंड देयताएं Segment liabilities**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	108698	105384
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	218686	235390
	ट्रेजरी / Treasury	6587	3673
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	313	195
	अविनिधानीत कॉरपोरेट देयताएं / Unallocated corporate liabilities	-	-
	कुल देयताएं / Total liabilities	**334283**	**344643**

- खंड राजस्व में बैंक द्वारा अनुसरण की जाने वाली निधि अंतरण कीमत निर्धारण प्रणाली के अनुसार संगणित अंतर-खंड राजस्व शामिल हैं.
- The segment revenue includes inter-segment revenue computed as per Fund Transfer Pricing system followed by the Bank.
- समूह प्राथमिक रूप से भारत में कारोबार करता है, अतः समूह ने यह माना है कि इसके परिचालन मुख्य रूप से देशी खंड में होते हैं और इसलिए रिपोर्ट करने योग्य कोई भौगोलिक खंड नहीं है.
- The group primarily operates in India, hence the group has considered that its operations are predominantly in the domestic segment and as such there are no reportable geographical segments.

4. संबद्ध पक्षकार का प्रकटन (एएस-18) / RELATED PARTIES DISCLOSURE (AS-18)

i) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का ब्योरा
Details of Key Management Personnel

संस्था / Entity	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक /Key Management Personnel
आईडीबीआई बैंक लि. IDBI Bank Ltd.	श्री किशोर पी खरात, प्रबंध निदेशक व सीईओ (2 अप्रैल 2017 तक) Shri Kishor P Kharat, Managing Director & CEO (upto April 02, 2017) श्री महेश कुमार जैन, प्रबंध निदेशक व सीईओ (3 अप्रैल 2017 से) Shri Mahesh Kumar Jain, Managing Director & CEO (from April 03, 2017) श्री कृष्ण प्रसाद नायर, उप प्रबंध निदेशक Shri Krishna Prasad Nair, Deputy Managing Director श्री जी. एम. यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक Shri G.M.Yadwadkar, Deputy Managing Director श्रीमती पद्मा बेताई, सीएफओ (2 जुलाई 2017 तक) Smt. Padma Betai, CFO (upto July 02, 2017)

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

संस्था / Entity	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक /Key Management Personnel
	श्री अजय शर्मा, सीएफओ (3 जुलाई 2017 से) Shri Ajay Sharma CFO (from July 03, 2017)
	श्री पवन अग्रवाल, कंपनी सचिव Shri Pawan Agrawal, Company Secretary
	बोर्ड संकल्प के अनुसार निम्नलिखित को 21 मार्च 2018 से प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक माना गया है **Following have been considered as Key Management Personnel w.e.f March 21, 2018 as per the Board resolution**
	श्री पी. सीताराम Shri P Sitaram
	श्रीमती बी. मैथिली Shri B Mythili
	श्री ए. एल. बोंगिरवार Shri A L Bongirwar
	श्री जी. ए. तड़स Shri G A Tadas
	श्री एस. एस. बॅनर्जी Shri S S Banerjee
	श्री एस. के. खटनहार Shri S K Khatanhar
	श्री आई. एस. कालरा Shri I S Kalra
	श्री एम. वी. फड़के Shri M V Phadke
	श्री सुब्रतो गुप्ता Shri Subroto Gupta
	श्री अजय नाथ झा Shri Ajoy Nath Jha
	श्रीमती माया चक्रवर्ती Shri Maya Chakraborty
	श्रीमती पद्मा बेताई, सीएफओ (1 अप्रैल 2017 से 2 जुलाई 2017 तक) Smt. Padma Betai, CFO (from April 01, 2017 to July 02, 2017)
	श्री अजय शर्मा, सीएफओ (3 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 तक) Shri Ajay Sharma CFO (from July 03, 2017 to March 31, 2018)
	श्री पवन अग्रवाल, कंपनी सचिव (1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018) Shri Pawan Agrawal, Company Secretary (from April 01, 2017 to March 31,2018)

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ii) **वर्ष के दौरान जिन पक्षकारों से लेन-देन किया गया**
Parties with whom transactions were entered into during the year

लेखा मानक 18 के पैरा 5 के अनुसार बैंकर-ग्राहक संबंध के स्वरूप में लेन-देनों में मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक तथा उनके संबंधियों का प्रकटन नहीं किया गया है.
In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed in respect of Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

iii) **वर्ष के दौरान मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक को ₹ 1.85 करोड़ के पारिश्रमिक का भुगतान किया गया**
Remuneration paid to Key Management Personnel during the year ₹ 1.85 Crores

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक Key Management Personnel	वित्तीय वर्ष 2017-18 FY 2017-18	वित्तीय वर्ष 2016-17 FY 2016-17
श्री किशोर खरात Shri Kishor Kharat	0.00347	0.32
श्री महेश कुमार जैन Shri Mahesh Kumar Jain	0.31	-
श्री बी. के. बत्रा Shri B.K Batra	-	0.11
श्री के. पी. नायर Shri K.P.Nair	0.27	0.15
श्री जी. एम. यादवाडकर Shri G.M.Yadwadkar	0.26	0.14
श्री एन. एस. वेंकटेश Shri N.S.Venkatesh	-	0.04
श्री आर. के. बंसल Shri R.K. Bansal	-	0.03
श्रीमती पद्मा बेताई Smt. Padma Betai	0.07	0.16
श्री अजय शर्मा Shri Ajay Sharma	0.23	-
श्री पवन अग्रवाल Shri Pawan Agarwal	0.29	0.31
श्री पी. सीताराम Shri P Sitaram	0.02	-
श्रीमती मैथिली बालसुब्रमणियन Smt Mythili Balasubramanian	0.01	-
श्री ए. एल. बोंगिरवार Shri A L Bongirwar	0.01	-
डॉ सौम्य एस. बॅनर्जी Dr. Saumya S Banerjee	0.01	-

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक Key Management Personnel	वित्तीय वर्ष 2017-18 FY 2017-18	वित्तीय वर्ष 2016-17 FY 2016-17
श्री जी. ए. तड़स Shri G A Tadas	0.02	-
श्री सुरेश खटनहार Shri Suresh Khatanhar	0.01	-
श्री इंद्रपाल एस. कालरा Shri Inderpal S Kalra	0.01	-
श्री माधव फड़के Shri Madhav Phadke	0.0008	-
श्री सुब्रतो गुप्ता Shri Subroto Gupta	0.01	-
श्री अजय नाथ झा Shri Ajoy Nath Jha	0.01	-
श्रीमती माया चक्रवर्ती Smt. Maya Chakravorty	0.32	-
कुल Total	**1.85**	**1.25**

5. पट्टे (एएस-19)/ LEASES(AS-19)

परिचालनात्मक पट्टों में मूल रूप से कार्यालय परिसर, स्टाफ के आवास और स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) शामिल हैं जो समूह के विकल्प पर या तो निरसनीय या गैर-निरसनीय पट्टे हैं.
Operating leases primarily comprise office premises, staff residences and Automated Teller Machines(ATM)s, which are either cancellable at the option of the Bank or non-cancellable operating lease.

वर्ष के दौरान निरसनीय / गैर-निरसनीय परिचालनात्मक पट्टे पर प्रदत्त/ देय पट्टा प्रभारों हेतु लाभ-हानि लेखे में ₹ 433.34 करोड़ (₹ 428.91 करोड़) प्रभारित किए गए.
During the year ₹ 433.34 Crore (₹ 428.91 Crore) has been charged to the Profit and Loss Account towards lease charges paid/ payable on cancellable/ non-cancellable operating lease.

तुलन-पत्र की तारीख को गैर-निरसनीय परिचालनात्मक पट्टों के संबंध में भावी न्यूनतम पट्टा भुगतानों का सारांश निम्नानुसार है:
The future minimum lease payments in respect of non-cancellable operating leases as at balance sheet date are summarized as under:

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2018 March 31, 2018	31 मार्च 2017 March 31, 2017
एक वर्ष के बाद नहीं / Not Later than One year	6.48	4.76
एक वर्ष के बाद लेकिन पाँच वर्ष के बाद नहीं Later than one year but not later than five years	6.46	7.02

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

6. प्रति शेयर उपार्जन (ईपीएस) (एएस-20) / EARNINGS PER SHARE (EPS) (AS-20)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2018 March 31, 2018	31 मार्च 2017 March 31, 2017
ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिया गया निवल लाभ (हानि) (₹ करोड़ में) Net profit (Loss) considered for EPS calculation (₹ in crore)	(8132.40)	(5016)
मूल ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for basic EPS	23915 45 890	20588 15 081
न्यूनीकृत ईपीएस गणना के लिए हिसाब में लिए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for Diluted EPS	23915 45 890	20588 15 081
प्रति शेयर उपार्जन (मूल) (₹) / EPS (Basic) (₹)	(34.00)	(24.36)
प्रति शेयर उपार्जन (न्यूनीकृत) (₹) / EPS (Diluted) (₹)	(34.00)	(24.36)
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹) / Face value per Equity share (₹)	10.00	10.00

बैंक को शेयर आवेदन राशि प्राप्त हुई है जो वर्ष के अंत में आबंटन के लिए लंबित है. आबंटन पर संभावित इक्विटी शेयरों को वर्ष के दौरान हुई हानियों के कारण गैर-न्यूनीकृत माना गया है. तदनुसार मूल एवं न्यूनीकृत ईपीएस एक समान ही हैं.

The Bank has received share application money which is pending for allotment as at the end of the year. The potential equity shares on allotment are considered as anti dilutive due to losses incurred during the year. Accordingly the Basic & Diluted EPS are same.

7. आय पर करों के लिए लेखांकन (एएस-22)/ ACCOUNTING FOR TAXES ON INCOME (AS-22)

समय अंतराल के कारण उत्पन्न आस्थगित आस्तियों और आस्थगित देयताओं के घटक निम्नानुसार हैं:

The component of Deferred Assets & Deferred Liability arising out of timing difference is as follows:

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2018 As at March 31, 2018	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2018	यथा 31 मार्च 2017 As at March 31, 2017
आस्थगित कर देयताएं: / Deferred Tax Liability:			
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास / Depreciation on fixed assets	68.09	9.06	59.03
विपणन एवं वितरण व्यय का परिशोधन Amortisation of marketing & distribution expenses	0.00	0.00	0.00
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित और अनुरक्षित विशेष रिजर्व निधि Special Reserve created and maintained u/s 36(1)(viii) of the Income-Tax Act, 1961	439.81	(0.01)	439.80
कुल (अ) / Total (A)	**507.90**	**9.07**	**498.83**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2018 As at March 31, 2018	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2018	यथा 31 मार्च 2017 As at March 31, 2017
आस्थगित कर आस्ति: Deferred Tax Asset:			
अनर्जक आस्तियों तथा पुनर्संरचित अग्रिमों के लिए प्रावधान से संबंधित अस्वीकृति जो आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अनुमत नहीं है Disallowance related to provision for NPA and for Restructured Advances not allowed under Income tax Act, 1961	9914.94	2002.99	7911.95
संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान Provision for Doubtful advances	(0.12)	(0.12)	0.00
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी, 40 (ए) (i ए) आदि के अंतर्गत अस्वीकृति Disallowance u/s. 43B, 40(a)(ia) etc. of the Income-Tax Act, 1961	217.18	38.82	178.36
आरंभिक व्ययों का परिशोधन Amortisation of Preliminary expenses	0.06	(0.08)	0.14
ग्रेच्युटी / पेंशन / Gratuity/Pension	0.59	0.29	0.29
छुट्टी का नकदीकरण / Leave Encashment	0.06	(0.11)	0.17
आगे ले जाई गई हानि / Carried forward Loss	2309.44	2290.75	18.69
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35डी और 35डीडी के अंतर्गत कटौती द्वारा कवर व्यय Expenditure covered by deduction u/s 35D and 35DD of the Income Tax Act, 1961	2.89	1.83	1.06
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए अनवशोषित मूल्यह्रास Unabsorbed depreciation for the year ended March 31,2018	48.99	38.76	10.24
अन्य व्यापार प्राप्तियाँ Other Trade Receivables	2.99	0.85	2.14
कुल (आ) / Total (B)	**12497.01**	**4373.98**	**8123.04**
आस्थगित कर देयता / (आस्ति) (निवल) (अ)-(आ) Deferred tax liability/ (asset)(net) (A) – (B)	**(11989.12)**	**(4364.91)**	**(7624.21)**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

8. यथा 31 मार्च 2018 को कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षा के अनुसार सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उद्यम की सारांशीकृत वित्तीय जानकारी निम्नानुसार है:

Summarized financial information of the subsidiaries & JV as per requirement of the Companies Act, 2013 as at March 31, 2018 are as under:

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

संस्था का नाम Name of the entity	निवल आस्तियां, अर्थात् कुल आस्तियों में से कुल देयताओं को घटाकर Net Assets, i.e., total assets minus total liabilities		लाभ या हानि में हिस्सा Share in profit or loss	
	समेकित निवल आस्तियों के % के रूप में As % of consolidated net assets	राशि Amount	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में As % of consolidated profit or loss	राशि Amount
1	2	3	4	5
मूल संस्था : आईडीबीआई बैंक लि. Parent : IDBI Bank Ltd	95.37%	21209.73	101.86%	(8237.92)
सहायक संस्थाएं: / Subsidiaries:				
भारतीय: Indian:				
1. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि. IDBI Capital Market Services Ltd.	1.45%	321.46	(0.16)%	12.73
2. आईडीबीआई इंटेक लि. IDBI Intech Ltd.	0.21%	47.50	(0.04)%	3.01
3. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लि. IDBI Asset Management Company Ltd.	0.51%	112.44	(0.10)%	8.01
4. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. IDBI MF Trustee Company Ltd.	0.01%	1.42	(0.00)%	0.22
5. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. IDBI Trusteeship Services Ltd.	0.78%	173.49	(0.45)%	36.45
विदेशी: / Foreign:	लागू नहीं / NA	लागू नहीं /NA	लागू नहीं /NA	लागू नहीं /NA
सभी सहायक संस्थाओं में अल्पसंख्यक हित Minority Interests in all subsidiaries	0.39%	85.96	(0.20)%	16.51
सहयोगी कंपनियां (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश) Associates (Investment as per the equity method)				

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

संस्था का नाम Name of the entity	निवल आस्तियां, अर्थात् कुल आस्तियों में से कुल देयताओं को घटाकर Net Assets, i.e., total assets minus total liabilities		लाभ या हानि में हिस्सा Share in profit or loss	
	समेकित निवल आस्तियों के % के रूप में As % of consolidated net assets	राशि Amount	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में As % of consolidated profit or loss	राशि Amount
1	2	3	4	5
भारतीय / Indian				
1. बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेड Biotech Consortium India Limited	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	(0.01)%	0.42
2. नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि. National Securities Depository Ltd.	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	(0.33)%	26.85
3. पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. North Eastern Development Finance Corporation Ltd.	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	(0.17)%	13.95
विदेशी / Foreign:	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
संयुक्त उद्यम / Joint Ventures				
(आनुपातिक समेकन के अनुसार/ इक्विटी विधि के अनुसार निवेश) (as per proportionate consolidation/ investment as per the equity method)				
भारतीय / Indian				
1. आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड IDBI Federal Life Insurance Company Limited	1.68%	374.33	(0.60)%	48.45
विदेशी / Foreign	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
कुल / TOTAL	100%	22240.36	100%	(8087.83)
विलोपन / Elimination	(1.49)%	(332.41)	0.55%	(44.57)
निवल कुल / Net Total	98.51%	21907.96	100.55%	(8132.40)

नोट: उपर्युक्त सहायक संस्थाओं की कोई सहायक संस्था नहीं है.

Note: None of the above subsidiaries have any subsidiary.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

9. दंड का प्रकटन / DISCLOSURE ON PENALTY :

वर्ष के दौरान विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निम्नलिखित दंड लगाए गए.
During the year following penalties were imposed on the Bank by regulatory authorities.

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

क्र. सं. Sr. No.	प्राधिकारी का नाम Name of the Authority	संक्षिप्त विवरण Brief particulars	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2018	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2017
1	भारतीय रिज़र्व बैंक RBI	चेक संग्रहण प्रक्रिया पर दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन हेतु दंड Penalty for non-compliance of guidelines on cheque collection process.	0.000	0.045
2	भारतीय रिज़र्व बैंक RBI	ग्राहक सेवा पर दिशानिर्देशों, सिक्कों और छोटे मूल्यवर्ग के नोटों और कटे-फटे नोटों के विनिमय संबंधी दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन हेतु दंड Penalty for non compliance of guidelines on customer service, guidelines in respect of exchange of coins and small denomination notes and mutilated notes.	0.000	0.000
3	भारतीय रिज़र्व बैंक RBI	कोबरा-पोस्ट स्टिंग ऑपरेशन से संबंधित की गयी जांच (शाखाओं द्वारा मुख्य अधिकारी को मामले की रिपोर्ट न करने के कारण) के संबंध में प्रयासित संदिग्ध लेन-देनों के लिए एसटीआर फाइल न करने हेतु लगाए गए दंड Penalty levied for not filing STRs for Attempted Suspicious Transaction in respect of the inquiries happened in connection with Cobra-post sting operation (due to non-reporting of the incident by the branches to the Principal Officer)	0.000	0.000
4	भारतीय रिज़र्व बैंक RBI	करेंसी चेस्टों द्वारा रिज़र्व बैंक को किए गए विप्रेषण के मामलों में रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड Penalties imposed by RBI on currency chest in cases of remittances, made by currency chests to RBI	0.127	0.007
5	सेबी SEBI	फ्लेक्सी बांड के मोचन संबंधी सेवाओं में कमी Deficiency of Service in dealing with the redemption of Flexibond.	0.000	0.001
		भुगतान किया गया कुल दंड Total Penalties Paid	**0.127**	**0.053**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

10. आकस्मिक देयता* / CONTINGENT LIABILITY*:

क.
a.

क्र. सं. Sr. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
I	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें कर्ज नहीं माना गया हैं. Claims against the Bank not acknowledged as debts	यह मद सामान्य कारोबार के अंतर्गत बैंक के प्रति विधिक मामलों में की गई कतिपय मांगों तथा परिचालन मामलों व धोखाधड़ी के मामलों में उत्पन्न ग्राहक के दावों को दर्शाती है. बैंक को ऐसी कोई आशा नहीं है कि इन कार्यवाहियों के कारण बैंक की वित्तीय स्थिति, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर आर्थिक रूप से कोई विपरीत असर पड़ेगा. This item represents certain demands made in legal matters against the Bank in the normal course of business and customer claims arising in operational issues and fraud cases. The Bank does not expect the outcome of these proceedings to have a material adverse effect on the Bank's financial conditions, results of operations or cash flows.
II	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of Outstanding forward exchange contracts	बैंक अपने सामान्य कारोबार के अंतर्गत मुद्राओं के भावी तारीख को पूर्व-निर्धारित मूल्य पर विनिमय करने के लिए विदेशी मुद्रा संविदाएं निष्पादित करता है. यह मद ऐसी ही संविदाओं जो डेरिवेटिव लिखत हैं, की आनुमानिक मूल राशि को दर्शाती है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाजार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार और इसके कारण पोर्टफोलियो संबंधी सकल कल्पित मूलधन का बृहद् मूल्य उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाजार जोखिम कम होता है. The Bank enters into foreign exchange contracts in its normal course of business, to exchange currencies at a pre-fixed price at a future date. This item represents the notional principal amount of such contracts, which are derivative instruments. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower.
III	ग्राहकों की ओर से भारत में व भारत से बाहर दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents in India and outside India	अपनी बैंकिंग कार्यकलापों के भाग के रूप में बैंक अपने ग्राहकों की ओर से गारंटियां जारी करता है. गारंटी सामान्यतः इस अप्रतिसंहरणीय आश्वासन को प्रदर्शित करती है कि ग्राहक द्वारा अपने वित्तीय या कार्यनिष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर बैंक भुगतान करेगा. As a part of its Banking activities, the Bank issues guarantees on behalf of its customers. Guarantees generally represent irrevocable assurances that the Bank will make payments in the event of customer failing to fulfill its financial or performance obligations.
IV	स्वीकृतियाँ, समर्थन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	यह मद ग्राहक की ऋण अवस्थिति में संवृद्धि को ध्यान में रखकर व्यापार वित्त बैंकिंग गतिविधियों के भाग के रूप में, बैंक द्वारा अपने ग्राहकों की तरफ से अन्य पक्षकारों के पक्ष में जारी गारंटियों और दस्तावेजी ऋणों को प्रदर्शित करती है. इन लिखतों के माध्यम से बैंक अपने ग्राहकों के दायित्वों के लिए सीधे या ग्राहक द्वारा अपने वित्तीय या कार्यनिष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर भुगतान की जिम्मेदारी लेता है. This item represents the documentary credits issued by the Bank in favour of third parties on behalf of its customers, as part of its trade finance Banking activities with a view to augment the customers credit standing. Through these instruments, the Bank undertakes to make payments for its customers obligations, either directly or in case the customer fails to fulfil their financial or performance obligations.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

V	ब्याज दर एवं मुद्रा अदला-बदली तथा ऋण चूक अदला-बदली के संबंध में देयता Liability in respect of interest rate and currency swaps and credit default swaps.	यह मद विविध डेरिवेटिव लिखतों की कल्पित मूल राशि को दर्शाती है जिसका दायित्व बैंक अपने सामान्य कारोबार के क्रम में उठाता है. बैंक अपने ग्राहकों को ये उत्पाद उन्हें अपने विदेशी मुद्रा विनिमय और ब्याज दर जोखिमों को अंतरित करने, संशोधित करने या कम करने में सक्षम बनाने के लिए ऑफर करता है. बैंक अपनी ब्याज दर और विदेशी मुद्रा स्थितियों के प्रबंधन करने के लिए भी ये संविदाएं करता है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाजार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार और इसके कारण पोर्टफोलियो संबंधी सकल कल्पित मूलधन का बृहद् मूल्य उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाजार जोखिम कम होता है. This item represents the notional principal amount of various derivative instruments which the Bank undertakes in its normal course of business. The Bank offers these products to its customers to enable them to transfer, modify or reduce their foreign exchange and interest rate risks. The Bank also undertakes these contracts to manage its own interest rate and foreign exchange positions. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower. बैंक भारतीय कॉरपोरेट बांड से जुड़े ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) की हामीदारी करता है. The Bank underwrites Credit Default Swap (CDS) transaction for managing credit risks associated with Indian Corporate Bonds.
VI	अन्य डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में देयता Liability in respect of other derivative contracts.	यह मद विविध मुद्रा विकल्पों की कल्पित मूल राशि को दर्शाती है जिसका दायित्व बैंक अपने सामान्य कारोबार के क्रम में उठाता है. बैंक अपने ग्राहकों को ये उत्पाद उन्हें अपने विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिमों को कम करने में सक्षम बनाने के लिए ऑफर करता है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाजार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाजार जोखिम कम होता है. This item represents the notional principal amount of various currency options which the Bank undertakes in its normal course of business. The Bank offers these products to its customers to enable them to reduce their foreign exchange risks. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions, while the net market risk is lower.
VII	विवादित आयकर, ब्याज कर, दंड एवं ब्याज मांग के कारण देयता Liability on account of disputed Income tax, interest tax, penalty and Interest demands	बैंक विचाराधीन अपीलों संबंधी विविध कराधान मामलों में पक्षकार है. बैंक आशा करता है कि मामलों के तथ्यों और आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के आधार पर अपील प्राधिकरणों द्वारा पिछले वर्ष समान मामलों में दिए गए निर्णयों के आधार पर, इन अपीलों के भी निर्णय अनुकूल होंगे. The Bank is a party to various taxation matters in respect of which appeals are pending. The Bank expects the outcome of the appeals to be favourable based on decisions on similar issues in the previous years by the appellate authorities, based on the facts of the case and the provisions of Income Tax Act, 1961.
VIII	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से दायी है Others items for which the Bank is contingently liable	इस मद में निम्नलिखित शामिल हैं: This item represents the following : क) सामान्य कारोबार कार्यकलाप के भाग के रूप में बैंक द्वारा स्वयं अपनी ओर से सांविधिक प्राधिकरणों तथा अन्य के पक्ष में जारी की गई गारंटियां और a) the guarantees issued by the Bank in favour of statutory authorities and others on its own behalf, as part of normal business activity and

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ख) जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) योजना 2014 के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक उन ग्राहकों के संबंध में जिनके खाते 10 वर्ष से ज्यादा समय से परिचालित नहीं किए गए हैं अथवा राशियों का दावा नहीं किया गया है, उपचित ब्याज सहित अदावी राशियों को 'रिज़र्व बैंक डीईएएफ निधि' में अंतरित करता है.

b) the amount transferred to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)-

In terms of guidelines of Depositor Education and Awareness Fund (DEAF) Scheme 2014, the Bank transfers unclaimed amounts including interest accrued pertaining to customers whose accounts were not operated or amounts were not claimed for more than 10 years to 'RBI DEAF Fund'.

ख. दीर्घावधि संविदाएं

b. Long term contracts

बैंक के पास एक प्रक्रिया है जिसमें आवधिक आधार पर डेरिवेटिव संविदाओं सहित सभी दीर्घावधि संविदाओं का कल्पित भौतिक हानियों के लिए मूल्यांकन किया जाता है. वर्ष के अंत में बैंक ने इसकी समीक्षा की तथा सुनिश्चित किया कि डेरिवेटिव संविदाओं सहित ऐसे दीर्घावधि संविदाओं पर कल्पित भौतिक हानियों के लिए लेखा बहियों में किसी विधि/ लेखांकन मानदंडों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं.

The Bank has a process whereby periodically all long term contracts including derivative contracts are assessed for material foreseeable losses. At the year end, the Bank has reviewed and ensured that adequate provision as required under any law/ accounting standards for material foreseeable losses on such long term contracts including derivative contracts has been made in the books of account.

ग. लंबित मुकदमों के लिए

c. For Pending litigations

बैंक के लंबित मुकदमों में मुख्य रूप से उधारकर्ताओं, ग्राहकों द्वारा बैंक के प्रति किए गए दावे और आयकर प्राधिकरणों के पास लंबित कार्यवाहियां शामिल हैं. बैंक ने अपने सभी लंबित मुकदमों और कार्यवाहियों की समीक्षा की और जहां प्रावधान अपेक्षित है वहाँ पर्याप्त प्रावधान किए तथा अपने वित्तीय विवरणों में जहां लागू है वहाँ आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया.

The Bank's pending litigations comprise of claims against the Bank primarily by the borrowers, customers and proceedings pending with Income Tax authorities. The Bank has reviewed all its pending litigations and proceedings and has adequately provided for where provisions are required and disclosed the contingent liabilities where applicable, in its financial statements.

* आकस्मिक देयताओं हेतु मात्रात्मक प्रकटन के लिए अनुसूची 12 देखें

* Refer Schedule 12 - Contingent Liabilities for Quantitative Disclosure

आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. के मामले में

In case of IDBI Asset Management Ltd,

i) कर-निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए आयकर विभाग ने धारा 143(3) के अंतर्गत दिनांक 27-02-2015 के अपने कर-निर्धारण आदेश के जरिए कुछ व्ययों की अनुमति नहीं दी थी जिससे हानि कम हो गई थी और आयकर अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के अंतर्गत दांडिक कार्यवाही शुरू की. कंपनी ने उक्त कर-निर्धारण के विरुद्ध अपील फाइल की है. इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है

For the AY 2012-13 the Income Tax Department vide its assessment order under section 143(3) dated 27-02-2015 disallowed certain expenditures thereby reducing the loss and initiated penalty proceedings under section 271(1)(c) of the Income Tax Act. The Company has filed an appeal against the said assessment. No provision has been made in this regards.

ii) कर-निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए आयकर विभाग ने धारा 143(3) के अंतर्गत दिनांक 15-03-2016 के अपने कर-निर्धारण आदेश के जरिए कुछ व्ययों की अनुमति नहीं दी थी जिससे हानि कम हो गई थी और आयकर अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के अंतर्गत दांडिक कार्यवाही शुरू की. कंपनी ने उक्त कर-निर्धारण के विरुद्ध अपील दायर की है. इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है.

For the AY 2013-14 the Income Tax Department vide its assessment order under section 143(3) dated 15-03-2016 disallowed certain expenditures thereby reducing the loss and initiated penalty proceedings under section 271(1)(c) of the Income Tax Act. The Company has filed an appeal against the said assessment. No provision has been made in this regards.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

iii) कर-निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए आयकर विभाग ने धारा 143(3) के अंतर्गत दिनांक 26-12-2017 के अपने कर-निर्धारण आदेश के जरिए कुछ व्ययों की अनुमति नहीं दी थी जिससे हानि कम हो गई थी और आयकर अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के अंतर्गत दांडिक कार्यवाही शुरू की. कंपनी ने उक्त कर-निर्धारण के विरुद्ध अपील दायर की है. इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है.

For the AY 2015-16 the Income Tax Department vide its assessment order under section 143(3) dated 26-12-2017 disallowed certain expenditures thereby reducing the loss and initiated penalty proceedings under section 271(1)(c) of the Income Tax Act. The Company has filed an appeal against the said assessment. No provision has been made in this regards.

iv) वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए आशोधित मूल्ययोजित कर प्रणाली (एमवीएटी) कर-निर्धारण में वैट विभाग ने आईडीबीआई एमएफ गोल्ड ईटीएफ योजना में स्वर्ण की खरीद पर अदा किए गए खरीद वैट के लिए दावा किए गए समंजन को अनुमति नहीं दी थी और कंपनी से ₹ 43.34 लाख की मांग की थी. कंपनी ने इस कर-निर्धारण के विरुद्ध भी अपील दायर की है. इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है. वर्ष के दौरान अभ्यापत्ति के अंतर्गत ₹ 15 लाख का तदर्थ भुगतान किया गया है.

In the MVAT assessment for the financial year 2011-12 the VAT department has disallowed the set-off claimed of purchase VAT paid on the purchase of Gold in the IDBI MF Gold ETF scheme and raised a demand of ₹ 43.34lacs on the Company. The Company has also filed an appeal against this assessment. No provision has been made in this regards. An adhoc payment under protest of ₹ 15 lacs has been made during the year.

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. के मामले में
In case of IDBI Capital Market Services Ltd,

i) अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से दायी है-
Other items for which the Company is contingently liable-

1. कंपनी के विरुद्ध ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए दावे - ₹ 0.05 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.13 करोड़) है जिसमें 18% की दर से ₹ 0.01 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.06 करोड़) का ब्याज शामिल है.
   Claims against the company not acknowledged as debt – ₹ 0.05 crore (₹ 0.13 crore) including interest @ 18% amounting to ₹ 0.01 crore (₹ 0.06 crore).

2. क) विवादित आयकर मामले
   a) Disputed Income Tax Matters

वित्तीय वर्ष Financial Year	विवादित कर राशि (₹ करोड़ में) Disputed Tax Amount (₹ in crore)	
	2017-2018	2016-2017
2011-12	8.43	8.43
2012-13	0.25	0.25
2013-14	0.22	0.22

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ख) विवादित सेवा कर मामले

b) Disputed Service Tax Matters

सेवा कर विभाग ने सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 6(3) और नियम 6(3बी) के प्रावधानों के गैर अनुपालन का हवाला देते हुए वित्तीय वर्ष 2012-13 में कारण बताओ नोटिस जारी किया है जिसकी राशि ₹ 1.60 करोड़ है.

Show cause notice has been issued for Financial Year 2012-13 citing non-compliance of provisions of Rule 6(3) and Rule 6(3B) of Cenvat Credit Rules 2004 amounting to ₹ 1.60 crore.

विवादित आयकर/ सेवा कर के मामले विभिन्न अपील प्राधिकारियों के समक्ष लंबित है. कंपनी को इसके विधिक परामर्शदाता द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि कंपनी के विरुद्ध कर की मांग असमर्थनीय है और मांग को मान्य ठहराए जाने की संभावना कम है. तदनुसार इसके संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है.

Disputed Income Tax/Service Tax matters are pending before various Appellate Authorities. The Company has also been advised by its legal counsel that the tax demand against the company is untenable and likelihood of demand being upheld is low. Accordingly no provision in respect thereof has been made.

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. के मामले में,

In case of IDBI Trusteeship Services Ltd,

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

विवरण / Particulars	2017-18	2016-17
कंपनी के विरुद्ध ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए दावे Claims against the company not acknowledged as debt :		
i) कर-निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए आयकर मांग (विटको) (कंपनी ने सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील की है) Income Tax demand for the AY 2007 – 08 (WITECO) (Company is in appeal before the CIT (Appeal))	0.06	0.06
ii) प्रतिभूतीकरण लेन-देनों पर विथहोल्डिंग करों के भुगतान में विलंब होने पर विभिन्न प्रतिभूतीकरण न्यासों, जहां आईटीएसएल इसके लिए प्रतिभूतीकरण न्यासी के रूप में कार्यरत है, पर ₹ 1.61 करोड़ रु (लगभग) तक की राशि का ब्याज उत्पन्न हो सकता है There may arise interest on delayed payment of withholding taxes on Securitization transactions amounting to ₹ 1.61 crore (approximately) on various Securitization trusts, where ITSL is acting as Securitization Trustee for the same		

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

आईडीबीआई फेडरल लाइफ इन्शोरेंस कंपनी लि. के मामले में आकस्मिक देयताएं निम्नानुसार हैं :
In case of IDBI Federal Life Insurance Company Ltd, Contingent Liabilities are as follows:

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2018 As At March 31, 2018	यथा 31 मार्च 2017 As at March 31, 2017
अंशतः प्रदत्त निवेश / Partly paid-up investments	शून्य/Nil	शून्य/Nil
बकाया हामीदारी वचनबद्धताएं (शेयरों और प्रतिभूतियों के संबंध में) Underwriting commitments outstanding (in respect of shares and securities)	शून्य/Nil	शून्य/Nil
कंपनी द्वारा ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए दावे, पॉलिसियों के अंतर्गत दावों को छोड़कर Claims, other than those under policies, not acknowledged as debts by the company	शून्य/Nil	
- विवादों के लिए कर्मचारियों द्वारा किए गए दावे Claims made by employees for disputes		0.03
कंपनी द्वारा अथवा कंपनी की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given by or on behalf of the company	शून्य/Nil	शून्य/Nil
विवादित सांविधिक मांग/ देयताएं, जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया Statutory demands/liabilities in dispute, not provided for		
- आयकर / Income Tax	18.67	115.19
- सेवा कर (कंपनी द्वारा लिए गए कुछ पोजिशनों पर सेवा कर आयुक्त III का कार्यालय, मुंबई द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बाबत) Service Tax (on account of objections raised by the Office of the Commissioner of Service Tax III, Mumbai on certain positions taken by the Company)	13.77	81.64
उस सीमा तक पुनर्बीमा दायित्व जिसका लेखों में प्रावधान नहीं किया गया Reinsurance obligations to the extent not provided for in accounts	शून्य/Nil	शून्य/Nil
मुकदमे के अंतर्गत पॉलिसी संबंधी दावे / Policy related claims under litigation	9.78	10.85

* इन मांग/ देयताओं के लिए विभिन्न अधिनिर्णयन और प्रबंधन स्तर पर प्रतिवाद किए जा रहे हैं साथ ही विशेषज्ञों की राय है कि ये वहनीय नहीं हैं और तदनुसार प्रबंधन का मानना है कि इन कार्यवाहियों के अनंतिम फैसलों से कंपनी की वित्तीय स्थिति और परिचालनगत परिणामों पर कोई भारी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा.

* These demands/liabilities are being contested at various adjudicating levels and management including its experts are of the view that the same shall not be sustainable and accordingly the management believes that the ultimate outcome of these proceedings will not have any material adverse effect on the Company's financial position and results of operations

आईडीबीआई इंटेक लि. के मामले में,
In case of IDBI Intech Ltd,

(क) गारंटियांः कंपनी ने अपनी आईटी परियोजनाओं के लिए ग्राहकों को ₹ 1.12 करोड़ (₹ 1.00 करोड़) की बैंक गारंटी जारी की है. यथा 31 मार्च 2018 को इन गारंटियों के अंतर्गत आकस्मिक देयताएं ₹ 1.12 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.00 करोड़) रही.

(a) Guarantees: The Company has issued Bank guarantee of ₹ 1.12 crore (₹ 1.00 crore) to customers for its IT Projects. As at 31st March 2018, the contingent liabilities under these guarantees amounted to ₹ 1.12 crore (P.Y.: ₹ 1.00 crore).

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(ख) पूर्व कर्मचारियों को देय वेतनः कंपनी को जयपुर उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार पूर्ववर्ती ओबीएसटी वर्टिकल के पूर्व कर्मचारियों को ₹ 0.04 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.04 करोड़) की प्रतिकर राशि अदा करनी होगी. कंपनी द्वारा उसका प्रतिवाद किया जा रहा है.

(b) Salary Payable to Ex employees: The Company may have to pay compensation amounting to ₹ 0.04 Crore (P.Y. ₹ 0.04 Crore) to Ex employee of the erstwhile OBST Vertical as per the Jaipur High Court Order. The same is being contested by the company.

11. अन्य / Others:

i. वर्ष के दौरान भारत सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम को इक्विटी शेयरों का अधिमानी आधार पर निम्नानुसार आबंटन किया गयाः

During the year Equity shares were allotted to Government of India and Life Insurance Corporation of India on preferential basis as under:

लाभार्थी Beneficiary	आबंटन का प्रकार Type of allotment		राशि (₹ करोड़ में) Amount (₹ in Crore)	शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रत्येक) No. of Shares (Face value ₹ 10 each)	निर्गम मूल्य (₹ में) Issue Price (in ₹)	शेयर प्रीमियम प्रति शेयर (₹ में) Share premium per share (in ₹)	आबंटन की तारीख Date of Allotment
भारत सरकार Government of India	i.	अधिमानी Preferential	1900	247492510	76.77	66.77	14.08.2017
	ii.	अधिमानी Preferential	1861	284861472	65.33	55.33	06.10.2017
	iii.	अधिमानी Preferential	2729	441371502	61.83	51.83	28.03.2018
भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) Life Insurance Corporation of India(LIC)	i.	अधिमानी Preferential	91	11853588	76.77	66.77	30.06.2017
	ii.	अधिमानी Preferential	303	39468543	76.77	66.77	14.08.2017
कोई अन्य / Any other	शून्य / NIL		शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL

ii. भारत सरकार (जीओआई), वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग ने 5 सितंबर 2016 के अपने पत्र के जरिए बैंक को सूचित किया कि वह 2006 में किए गए भारग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ़) के आस्ति विनिमय के निवल प्रभाव का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत सरकार को ₹1064.27 करोड़ मूल्य की प्रतिभूतियां अभ्यर्पित करे. ये प्रतिभूतियां एसएएसएफ के विरुद्ध सितंबर 2004 में भारत सरकार द्वारा बैंक को जारी की गई ऐसी प्रतिभूतियों की ₹ 9000.00 करोड़ का भाग रूप हैं. ये सितंबर 2024 में परिपक्व होने वाली 20 वर्षीय प्रतिभूतियां हैं. बैंक ने 30 सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही से प्रारंभ करते हुए 11 तिमाहियों में इन प्रतिभूतियों को अभ्यर्पित करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों से छूट मांगी है और तदनुसार उसे हिसाब में लिया है. अनुमोदन के लंबित होते हुए बैंक ने अभी तक भारत सरकार को ₹ 677.25 करोड़ की प्रतिभूतियां अभ्यर्पित की हैं और शेष ₹ 387.02 करोड़ मूल्य की प्रतिभूतियां निवेश के रूप में आगे ले जाई गई हैं. बैंक ₹ 387.02 करोड़ की शेष प्रतिभूतियां शेष 4 तिमाहियों में अभ्यर्पित कर देगा.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

The Government of India (GoI), Ministry of Finance, Department of Financial Services vide its letter dated 5th September 2016, advised the Bank to surrender securities of ₹ 1064.27 crore to the GoI representing net impact of the asset exchange of Stressed Assets Stabilisation Fund (SASF) done by the Bank in 2006. These securities form part of ₹ 9000.00 crore of such securities issued to the Bank by GoI in September 2004 against SASF. These are 20 years securities maturing in September 2024. The Bank has optained approval from the Appropriate Authorities to surrender these securities in 11 quarters commencing from quarter ended September 30, 2016 and accounted the same accordingly. Approval from appropriate authority has been obtained. Bank has so far surrendered securities of ₹ 677.25 crore to the GoI and the balance securities of ₹ 387.02 crore are carried forward as Investments. The Bank will surrender the balance of securities of ₹ 387.02 crore in the remaining four quarters.

iii. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय के लिए नोटः
Notes to Corporate Social Responsibility (CSR) expenditure:

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में
In case of IDBI Bank Limited

क. वर्ष के दौरान समूह द्वारा व्यय की जाने वाली सकल राशि; ₹ शून्य
a. Gross amount required to be spent by the group during the year; ₹ Nil

ख. वर्ष के दौरान व्यय की गई राशिः
b. Amount spent during the year:

₹ करोड़ ₹ Crore

विवरण / Particulars	2017-2018	2016-2017
नकद / In cash	1.36	4.35
नकद भुगतान किया जाना है / Yet to be paid in cash	शून्य / Nil	शून्य / Nil
कुल / Total	1.36	4.35

आईडीबीआई फेडरल लाइफ इन्श्योरेंस लिमिटेड के मामले में 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) संबंधी कार्यकलापों पर कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली सकल राशि ₹ 1.44 हजार करोड़ (₹ 1.64 करोड़) है.
In case of IDBI Federal Life Insurance Limited Gross amount required to be spent by the company on corporate social responsibility (CSR) related activities during the year ended March 31, 2018 is ₹ 1.44 crore thousands (₹ 1.64 crore).

आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में लाभ-हानि खाते में नामे किया गया सीएसआर व्यय ₹ 0.23 करोड़ (₹ 0.10 करोड़) है.
In case of IDBI Intech Limited CSR expenditure debited to Profit & Loss Account is ₹ 0.23 crore (₹ 0.10 crore)

iv. पूंजीगत खाते (अग्रिमों को घटाकर निवल) पर निष्पादित किए जाने हेतु शेष संविदाओं की अनुमानित राशि और प्रावधान न की गई राशि ₹ 140.50 करोड़ (₹ 207.01 करोड़) है.
Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account (net of advances) and not provided for is ₹ 140.50 crores (₹ 207.01crores).

v. बैंक के पास निवल एक दिवसीय खुली स्थिति (एनओओपी) के लिए बोर्ड अनुमोदित सीमा है जो 16 अक्तूबर 2017 से ₹ 400 करोड़ (पूर्ववर्ती सीमा ₹ 300 करोड़) है. वर्ष के दौरान खुली स्थिति अनुमोदित सीमा के अंदर थी और औसत उपयोग ₹ 237.51 करोड़ था. वर्ष के दौरान अधिकतम उपयोग 28 फरवरी 2018 को ₹ 313.86 करोड़ था.
The Bank has Board approved limit for Net Overnight Open Position (NOOP) fixed at ₹ 400 crore w.e.f from October 16, 2017 (earlier limit ₹ 300 crore). During the year the open position was within the approved limit and the average utilization was ₹ 237.51 crore. The maximum utilization during the year was at ₹ 313.86 crore on February 28, 2018.

12. पैतृक, सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकटित अतिरिक्त सांविधिक जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों के सही एवं उचित स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं और साथ ही, आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए जो मदें महत्वपूर्ण नहीं हैं उनसे संबंधित जानकारी भी समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट नहीं की गई है.

Additional statutory information disclosed in separate financial statements of parent, subsidiaries and joint ventures having no bearing on the true and fair view of the consolidated financial statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the consolidated financial statement in the view of general clarification issued by ICAI.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

13. नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के लेखे आईएनडीए एएस के अंतर्गत तैयार किए जाते हैं और तदनुसार लाभ के हिस्से को समेकन में लिया जाता है.

Accounts of National Securities Depositaries Limited (NSDL) are prepared under IND AS and accordingly the share of profit is taken into consolidation.

14. अन्य देयताओं में पूर्ववर्ती भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) द्वारा घोषित किए गए लाभांश के संबंध में वर्ष 1995 से 2003 से जुड़े भुगतानयोग्य लाभांश के रूप में ₹ 7.05 करोड़ की राशि शामिल है. औपचारिक विधिक राय के आधार पर इस राशि को निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ़) में अंतरित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कंपनी अधिनियम 1956/ कंपनी अधिनियम 2013 पूर्ववर्ती आईडीबीआई पर लागू नहीं है. बैंक ने उक्त राशि को निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ़) में अंतरित करने की वैधानिकता के बारे में इस मामले को कंपनी कार्य मंत्रालय (एमसीए) को संदर्भित किया था जहां से उत्तर प्रतीक्षित है.

Other Liabilities include ₹ 7.05 crores as dividend payable pertaining to the years 1995 to 2003 in relation to the dividend declared by erstwhile Industrial Development Bank of India (IDBI). On the basis of the legal opinion on record the amount need not be transferred to Investors Education and Protection Fund (IEPF) as Companies Act 1956/Companies Act 2013 is not applicable to erstwhile IDBI. The Bank had referred the matter to Ministry of Corporate Affairs (MCA) about the legality of transferring the amount to Investor Education and Protection Fund (IEPF) where the reply is awaited.

15. वर्गीकरण हेतु विवेकपूर्ण मानदंडों, बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो का मूल्यांकन और परिचालन-एमटीएम हानियों को फैलाना तथा निवेश घट-बढ़ रिजर्व (आईएफ़आर) का सृजन पर रिजर्व बैंक के दिनांक 2 अप्रैल 2018 के परिपत्र आरबीआई/ 2017-18/147 डीबीआर. सं. बीपी. वीसी. 102/21.04.048/2017-18 के अनुसार जानकारी.

Information as per RBI Circular RBI/2017-18/147 DBR.No.BP.BC.102/21.04.048/2017-18 dated April 2, 2018, on Prudential Norms for Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio by Banks – Spreading of MTM losses and creation of Investment Fluctuation Reserve (IFR)

(क) 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान दिसंबर 2017 और मार्च 2018 को समाप्त तिमाहियों के लिए निवेश पोर्टफोलियो के मूल्यह्रास के लिए ₹ 284.61 करोड़ के प्रावधान किए गए.

(a) the provisions for depreciation of the investment portfolio for the quarters ended December 2017 and March 2018 made during the year ended March 31, 2018 is ₹ 284.61 Crore

(ख) 31 मार्च 2018 के बाद अगली तीन तिमाहियों में किए जाने हेतु शेष प्रावधान ₹ 383.63 करोड़ है.

(b) the balance provision required to be made in the next three quarters after March 31, 2018 is ₹ 383.63 crore

16. पिछले वर्ष से संबंधित आंकड़े कोष्ठक में दिये गए हैं और चालू वर्ष के लिए की गई प्रस्तुति से पुष्टि के लिए उन्हें पुनर्समूहित / पुनर्व्यवस्थित किया गया है.

Figures of the previous year, are disclosed in brackets and are regrouped /rearranged, so as to confirm with the presentation made for the current year.

लेखों की अनुसूची '1' से '18' पर हस्ताक्षर
Signatures to Schedules '1' to '18' of Accounts

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

(महेश कुमार जैन) (Mahesh Kumar Jain) प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & Chief Executive Officer (डीआईएन/DIN: 03513127)	(के.पी. नायर) (K.P. Nair) उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 02611496)	(जी.एम. यादवाडकर) (G.M. Yadwadkar) उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 01432796)	(ज्ञान प्रकाश जोशी) (Gyan Prakash Joshi) निदेशक Director (डीआईएन/(DIN: 00603925)	(अजय शर्मा) (Ajay Sharma) कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी Executive Director & Chief Financial Officer	(पवन अग्रवाल) (Pawan Agrawal) कंपनी सचिव Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते मुकुंद एम. चितले एंड कं. For Mukund M. Chitale & Co. सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 106655W	कृते के. एस. अय्यर एंड कं. For K. S. Aiyar & Company सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 100186W	कृते जे एल एन यू एस एंड कं. For J L N U S & Co सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101543W
अभय वी. कामत Abhay V. Kamat साझेदार/ (स. सं. 39585) / Partner (M.No. 39585)	सतीश केलकर Satish Kelkar साझेदार (स. सं. 38934)/ Partner (M.No. 38934)	रामप्रसन्न अग्रवाल Ramaprasanna Agarwal साझेदार (स. सं. 119693)/ Partner (M.No. 119693)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 25 मई 2018 / Date: May 25, 2018

समेकित नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
Consolidated Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2018

(₹ 000' में / ₹ in 000's)

	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2018	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2017
अ. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह **A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**		
(1) कर और असाधारण मदों से पूर्व लाभ/(हानि) **Profit/ (Loss) before tax and extra-ordinary items**	(12495 12 85)	(8498 23 59)
(2) गैर-नकदी मदों के लिए समायोजन: **Adjustments for non cash items:**		
- अचल आस्तियों की बिक्री से लाभ / (हानि) (निवल) Profit/ (Loss) on sale of Fixed Assets (Net)	(516 69 10)	53 22
- सामान्य रिज़र्व में अंतरण Transfer to General Reserve	363 85 57	189 67 51
- मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यन रिज़र्व घटाकर) Depreciation (Net of Revaluation Reserve)	376 80 73	362 22 92
- प्रावधान/ ऋणों को बट्टे खाते डालना / निवेश तथा अन्य प्रावधान Provisions/ write off of Loans/ Investments and other provisions	20516 84 01	13208 89 90
- निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ/(हानि) Profit/ (Loss) on revaluation of investments	3 11 46	38 46 25
	8248 79 82	**5301 56 22**
(3) परिचालन आस्तियों में (वृद्धि)/ कमी के लिए समायोजन: **Adjustments for (increase)/ decrease in operating assets:**		
- निवेश / Investments	(1042 12 88)	(1477 49 84)
- अग्रिम / Advances	(283 73 92)	13122 18 69
- अन्य आस्तियां / Other assets	(3238 84 33)	1405 35 88
- करों की वापसी / (भुगतान) /Refund / (payment) of taxes	(986 80 02)	(698 17 16)
(4) परिचालन देयताओं में वृद्धि / (कमी) के लिए समायोजन: **Adjustments for increase/ (decrease) in operating liabilities:**		
- उधार राशियां / Borrowings	6821 54 98	(14227 66 53)
- जमा राशियां / Deposits	(20439 11 14)	3128 28 54
- अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other liabilities and provisions	(1230 16 54)	(1445 83 72)
परिचालन कार्यकलापों में प्रयुक्त / से उत्पन्न निवल नकदी **Net cash used in/generated from operating activities**	**(12150 44 02)**	**7999 89 52**
आ. निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह **B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
- अचल आस्तियों की खरीद (बिक्री घटाकर) Purchase (net of sale) of Fixed Assets	356 31 50	(464 13 96)
निवेश कार्यकलापों में प्रयुक्त/ से जुटाई गई निवल नकदी **Net cash used in / raised from investing activities**	**356 31 50**	**(464 13 96)**

समेकित नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
Consolidated Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2018

(₹ 000' में / ₹ in 000's)

		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2018	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2017
इ. C.	**वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**		
	- इक्विटी शेयरों का निर्गम / Issue of Equity Shares	4984 00 00	0
	- आबंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन धनराशि - Share application money pending allotment	7881 00 00	1900 00 00
	- प्रदत्त लाभांश तथा लाभांश कर / Dividend and Dividend Tax paid	(22 11 08)	(11 43 20)
	वित्तपोषण कार्यकलापों में प्रयुक्त / से जुटाई गई निवल नकदी Net cash used in / raised from Financing activities	**12842 88 92**	**1888 56 80**
	नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि / (कमी) NET INCREASE/ (DECREASE) IN CASH & CASH EQUIVALENTS	1048 76 40	9424 32 36
	प्रारंभिक नकदी और नकदी समतुल्य OPENING CASH & CASH EQUIVALENTS	32732 31 03	23307 98 67
	अंतिम नकदी और नकदी समतुल्य CLOSING CASH & CASH EQUIVALENTS	**33781 07 43**	**32732 31 03**
	नकदी प्रवाह के लिए टिप्पणी: / Note to Cash Flow Statement:		
	नकदी प्रवाह विवरण में शामिल नकदी और नकदी समतुल्य में निम्नलिखित तुलन पत्र मदें शामिल हैं: Cash and Cash equivalents included in the cash flow statement comprise the following Balance Sheet items:		
	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष (अनुसूची 7) Cash & Balances with Reserve Bank of India (Schedule 7)	13169 19 98	13349 62 68
	बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि (अनुसूची 7) Balances with banks & money at call and short notice (Schedule 7)	20611 87 45	19382 68 35
	कुल / TOTAL	**33781 07 43**	**32732 31 03**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां (अनुसूची 17 एवं 18)
Significant Accounting Policies and Notes to Accounts (Schedule 17 and 18)

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग के रूप में हैं
The Schedules referred to above form an integral part of the Financial Statements.

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

(महेश कुमार जैन)
(Mahesh Kumar Jain)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer
(डीआईएन/DIN: 03513127)

(के.पी. नायर)
(K.P. Nair)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/DIN: 02611496)

(जी.एम. यादवाडकर)
(G.M. Yadwadkar)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/DIN: 01432796)

(ज्ञान प्रकाश जोशी)
(Gyan Prakash Joshi)
निदेशक
Director
(डीआईएन/(DIN: 00603925)

(अजय शर्मा)
(Ajay Sharma)
कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
Executive Director & Chief Financial Officer

(पवन अग्रवाल)
(Pawan Agrawal)
कंपनी सचिव
Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते मुकुंद एम. चितले एंड कं.
For Mukund M. Chitale & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 106655W

अभय वी. कामत
Abhay V. Kamat
साझेदार/ (स. सं. 39585) / Partner (M.No. 39585)

कृते के. एस. अय्यर एंड कं.
For K. S. Aiyar & Company
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 100186W

सतीश केलकर
Satish Kelkar
साझेदार (स. सं. 38934)/ Partner (M.No. 38934)

कृते जे एल एन यू एस एंड कं.
For J L N U S & Co
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101543W

रामप्रसन्न अग्रवाल
Ramaprasanna Agarwal
साझेदार (स. सं. 119693)/ Partner (M.No. 119693)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 25 मई 2018 / Date: May 25, 2018

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण
Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

सहायक संस्थाओं/ सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की प्रमुख विशेषताओं के साथ विवरण
STATEMENT CONTAINING SALIENT FEATURES OF THE FINANCIAL STATEMENT OF SUBSIDIARIES/ASSOCIATE COMPANIES/JOINT VENTURES

भाग "ए" : सहायक संस्थाएं
Part "A": Subsidiaries

(₹ '000 में / ₹ in '000s)

विवरण/ Particulars	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. IDBI Capital Market Services Ltd.	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. IDBI Trusteeship Services Ltd.	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. IDBI Asset Management Ltd.	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. IDBI MF Trustee Company Ltd.	आईडीबीआई इंटेक लि. IDBI Intech Ltd.
यदि संबंधित सहायक संस्था की रिपोर्टिंग अवधि धारिता कंपनी से भिन्न है, तो उसके लिए रिपोर्टिंग अवधि Reporting period for the subsidiary concerned, if different from the holding company's reporting period	लागू नहीं / Not Applicable				
विदेशी सहायक संस्था के मामले में संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को मुद्रा तथा विनिमय दर की रिपोर्टिंग Reporting currency and Exchange rate as on the last date of the relevant Financial year in the case of foreign subsidiaries	लागू नहीं / Not Applicable				
शेयर पूंजी / Share capital	128 10 00	6 03 28	200 00 00	20 00	13 12 82
आरक्षित निधियां एवं अधिशेष Reserves & Surplus	186 56 45	167 45 53	(87 56 47)	1 22 11	383 18 28
कुल आस्तियां / Total Assets	352 56 15	178 53 23	126 44 96	1 56 16	55 31 22
कुल देयताएं (पूंजी और आरक्षित निधियों के अलावा)/ Total Liabilities (excluding capital and reserves)	37 89 70	5 04 43	14 01 42	14 05	7 81 22
निवेश / Investments	83 70 48	138 30 92	58 99 04	1 40 52	-
कुल कारोबार/ Turnover	95 57 02	70 42 45	83 39 30	81 80	80 31 93
कराधान के पहले लाभ Profit before taxation	20 01 56	**55 72 10**	**(4 81 57)**	**29 63**	**4 62 96**
कराधान के लिए प्रावधान Provision for taxation	8 40 08	(19 27 25)	12 82 71	7 65	(1 61 93)
कराधान के बाद लाभ Profit after taxation	11 62 08	36 44 85	8 01 14	21 98	3 01 03

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण
Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

(₹ '000 में / ₹ in '000s)

विवरण/ Particulars	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. IDBI Capital Market Services Ltd.	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. IDBI Trusteeship Services Ltd.	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. IDBI Asset Management Ltd.	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. IDBI MF Trustee Company Ltd.	आईडीबीआई इंटेक लि. IDBI Intech Ltd.
प्रस्तावित लाभांश (कॉरपोरेट लाभांश कर सहित)/ Proposed Dividend (including corporate dividend tax)	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
शेयरधारिता का % % of shareholding	100%	54.70%	*66.67%	100.00%	100.00%

* 33.33% शेष आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि. द्वारा धारित है.
* Balance holding of 33.33% is held by IDBI Capital Market Services Ltd

टिप्पणियां/ Notes:

1. कुल कारोबार से तात्पर्य प्रत्येक संस्था द्वारा उनके वित्तीय विवरणों में दी गई कुल आय की रिपोर्ट से है.
   Turnover is the total income reported by each of the entities in their financial statements.
2. सहायक संस्थाओं के नाम जिन्होंने अभी तक परिचालन शुरू नहीं किया है: कोई नहीं
   Names of subsidiaries which are yet to commence operations: None
3. सहायक संस्थाओं के नाम जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त या विक्रय किया गया हो: कोई नहीं
   Names of subsidiaries which have been liquidated or sold during the year: None

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण
Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

भाग ''बी'': सहयोगी कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम
Part "B": Associates and Joint Ventures

	सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के नाम/ Name of Associates/ Joint Ventures	**बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेड/ Biotech Consortium India Limited**	**नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लि./ National Securities Depository Ltd**	**पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि./ North Eastern Development Finance Corporation Limited**	**आईडीबीआई फेडरल लि. IDBI Federal Ltd.**
1.	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र की तारीख Latest audited Balance Sheet Date	31 मार्च 2017 March 31, 2017	31 मार्च 2017 March 31, 2017	31 मार्च 2017 March 31, 2017	31 मार्च 2018 March 31, 2018
2.	**वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के शेयर** **Shares of Associate/Joint Ventures held by the company on the year end**				
	इक्विटी शेयरों की संख्या/ Number of equity shares	150 00 04	1200 00 00	2500 00 00	38400 00 00
	सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों में निवेश राशि Amount of Investment in Associates/ Joint Venture	1500 00 40	12000 00 00	25000 00 00	384 00 00
	धारिता % की मात्रा Extend of Holding %	27.93%	30.00%	25.00%	48.00%

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण
Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

	सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के नाम/ Name of Associates/ Joint Ventures	बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेड/ Biotech Consortium India Limited	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लि./ National Securities Depository Ltd	पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि./ North Eastern Development Finance Corporation Limited	आईडीबीआई फेडरल लि. IDBI Federal Ltd.
3.	पर्याप्त प्रभाव होने के कारणों का विवरण Description of how there is significant influence	बायोटेक कन्सोर्शियम इंडिया लि. में 27.93% की धारिता को लेखांकन मानक - 23 के अनुसार सहयोगी कंपनी माना जाता है Holding in Biotech Consortium India Ltd being 27.93%, considered as an Associate as per AS-23	एनएसडीएल में 30% की धारिता को लेखांकन मानक - 23 के अनुसार सहयोगी कंपनी माना जाता है Holding in NSDL being 30%, considered as an Associate as per AS-23	पूर्वोत्तर विकास वित्त कॉरपोरेशन लि. में 25% की धारिता को लेखांकन मानक - 23 के अनुसार सहयोगी कंपनी माना जाता है Holding in North Eastern Development Finance Corporation Ltd being 25%, considered as an Associate as per AS-23	आईडीबीआई फेडरल में 48% की धारिता को लेखांकन मानक-27 के अनुसार संयुक्त उद्यम माना जाता है Holding in IDBI Federal Ltd. being 48%, considered as a Joint Venture as per AS-27
4.	सहयोगी कंपनी/ संयुक्त उद्यमों के समेकित नहीं होने का कारण Reason why the associate/ joint venture is not Consolidated	लागू नहीं / N.A.	लागू नहीं / N.A.	लागू नहीं / N.A.	लागू नहीं / N.A.
5.	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता जन्य निवल मालियत Networth attributable to Shareholding as per latest audited Balance Sheet	6 99 19	153 10 35	183 77 33	383 18 28
6.	**31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ/ हानि Profit / Loss for the year ended March 31, 2018**				
	i. समेकन में शामिल Considered in Consolidation	41 50	26 85 31	13 94 92	48 45 25
	i. समेकन में शामिल नहीं Not Considered in Consolidation	0	0	0	0

1. उन सहयोगी कंपनियों अथवा संयुक्त उद्यमों के नाम जिनका परिचालन अभी शुरू नहीं हुआ है : कोई नहीं.
Names of associates or joint ventures which are yet to commence operations: None

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण
Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

2. उन सहयोगी कंपनियों अथवा संयुक्त उद्यमों के नाम, जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त अथवा बेचा गया है: एनएसडीएल ई गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.
   Names of associates or joint ventures which have been liquidated or sold during the year: NSDL e-Governance Infrastructure Ltd.

3. बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लि. तथा पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड का वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर एएस-23 के अनुसार समेकन किया गया है.
   Biotech Consortium India Limited, National Securities Depository Ltd & North Eastern Development Finance Corporation Limited have been consolidated in accordance with AS-23 based on unaudited financials statements for the year 2017-18.

4. पोंडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लि. के वित्तीय विवरणों का समेकन वित्तीय विवरण/ वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण नहीं किया गया है. सहायक संस्था में निवेश को बट्टे खाते डाल कर एक रुपया कर दिया गया है.
   The financials of Pondicherry Industrial Promotion Development And Investment Corporation Ltd. have not been consolidated on account of non receipt of financial statements/annual report. The investment in the Associate is written down to rupee one.

(महेश कुमार जैन) (Mahesh Kumar Jain) प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & Chief Executive Officer (डीआईएन/DIN: 03513127)	(के.पी. नायर) (K.P. Nair) उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 02611496)	(जी.एम. यादवाडकर) (G.M. Yadwadkar) उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 01432796)	(ज्ञान प्रकाश जोशी) (Gyan Prakash Joshi) निदेशक Director (डीआईएन/(DIN: 00603925)	(अजय शर्मा) (Ajay Sharma) कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी Executive Director & Chief Financial Officer	(पवन अग्रवाल) (Pawan Agrawal) कंपनी सचिव Company Secretary

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 25 मई 2018 / Date: May 25, 2018

पिलर III प्रकटन
Pillar III Disclosures

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2018)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2018)

भारतीय रिज़र्व बैंक के बासेल III दिशानिर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2018 को पिलर III प्रकटन बैंक की वेबसाइट पर 'Regulatory Disclosures Section' >> FY 2017-18 (Basel III)>> March 2018 लिंक पर अलग से रखे गए हैं.

Pillar III disclosures at March 31, 2018 as per Basel III guidelines of RBI have been disclosed separately on the Bank's website under 'Regulatory Disclosures Section' >> FY 2017-18 (Basel III)>> March 2018

नोट / NOTE

नोट / NOTE

IDBI Bank to raise up to ₹5,000 crore

ABHIJIT LELE
Mumbai, 18 June

IDBI Bank will put forward the proposal for capital raising before the shareholders at its annual general meeting

Mumbai-based public sector lender IDBI Bank is seeking shareholders' nod to raise equity capital of up to ₹5,000 crore through various routes, including qualified institutional placement (QIP), to meet capital adequacy norms.

In addition, the ailing bank will tap market to raise up to ₹5,000 crore through infrastructure bonds and basel-III-compliant additional tier-I and tier-II bonds.

The bank will put the proposal for raising equity capital before shareholders at its annual general meeting (AGM) on July 18. The special resolution passed at the last AGM (held on July 22, 2016) for raising capital through QIP, is valid only for one year, till July 21, 2017. As for debt (bonds) issuance, the proposal will be valid for one year from the date of passage of proposal. The bank, which has been struggling with losses for the past two years, is under the corrective action plan (CAP). In the year ended March 31, the bank posted a net loss of ₹5,158 crore, as against a net loss ₹3,665 crore in the previous financial year.

The capital adequacy ratio was 10.70 per cent, with tier-I of 5.64 per cent. Its capital conservation buffer (CCB) stood at 0.14 per cent against regulatory requirement of 1.25 per cent.

IDBI is discussion with the government for a turnaround plan, which entails milestone and commitment from the bank in areas like cost control, reorganisation of structure and improving financial profile. The government has a 73.98 per cent stake in IDBI Bank as on March.

Rating agencies, including CRISIL, ICRA and Moody's, have downgraded various debt instruments of the bank on the back of weak profitability and deteriorating asset quality, which have resulted in erosion of its capital.

RANKED NO. 1 BANK IN CUSTOMER EXPERIENCE BY FORRESTER RESEARCH INC.

IDBI Bank has been ranked no. 1 bank in Customer Experience by Forrester Research Inc. Dr. S.S.Banerjee, Executive Director, IDBI Bank received the award at a ceremony held in Mumbai recently.

आईडीबीआई ने पूंजी को सुदृढ़ बनाने उठाए कदम

नागपुर | 1 जून | लोस सेवा

आईडीबीआई बैंक ने एक व्यापक कार्यपलट रणनीति को तैयार किया है. इस रणनीति के अंतर्गत पूंजीगत आधार को बढ़ाने और एनपीए वसूली पर ध्यान दिया गया है. इस संबंध में गुरुवार को पत्र परिषद में आईडीबीआई बैंक की फील्ड मुख्य महाप्रबंधक और अंचल प्रमुख बलजिंदर कौर मंडल ने विस्तार से इसके बारे में जानकारी दी.

इस दौरान बैंक के जनरल मैनेजर संजय देशपांडे और कंचन चौधरी उपस्थित थे. अंचल प्रमुख ने बताया कि आईडीबीआई बैंक के लिए आक्रामक वसूली और आगे की गिरावट की रोकथाम प्राथमिकता है. कॉर्पोरेट क्षेत्र में दबाव को देखते हुए बैंक कॉर्पोरेट लोन बुक में वृद्धि पर रोक लगाएगा. इसकी बजाय खुदरा और प्राथमिकता क्षेत्र के संपत्ति आधार को बढ़ाने में ध्यान केंद्रित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि भारत सरकार इसके लिए मदद भी कर रही है.

हम अपनी पूंजी की स्थिति में सुधार लाने और बैंक को वसूली ट्रैक पर लाने के लिए सभी रास्ते तलाश रहे हैं. हम आक्रामक वसूली और लागत में कटौती के उपायों, कॉर्पोरेट बुक का मंथन करने, जोखिम भारित संपत्तियों पर कार्रवाई करने और रिटेल बुक में वृद्धि करने पर विचार करेंगे.

उन्होंने बताया कि नागपुर जोन में करीब 12 हजार खाताधारक हैं और अब तक एक भी डिफाल्टर सामने नहीं आया है. कॉर्पोरेट को ज्यादा लोन नहीं दिया गया है. यहां एग्रीकल्चर और प्राथमिक क्षेत्रों पर केंद्रित होकर कार्य किया जा रहा है.

IDBI Bank to focus on retail, priority sector portfolios

Ahmedabad,

IDBI Bank has launched an aggressive turnaround strategy with a focus on building a robust retail portfolio, enhancing capital base and strengthening customer relationship. While the year 2016–17 posed challenges, the bank's major thrust will be on rebalancing the business portfolio in coming months. The bank will tap emerging opportunity to grow its business, with a focus on propelling notably the retail and priority sector book.

Mr. G. M. Yadwadkar, Deputy Managing Director of IDBI Bank said, "The Bank has crafted a comprehensive turnaround strategy to get back on the path of growth. Accordingly, our focus will be on increasing our retail footprint, further enhance our lending in priority sector, aggressively seek recovery of NPAs and take all possible steps for augmenting our capital base."

In fact, the bank has made headway as evidenced in the rising share of retail advances to 43% as at end-March 2017 from 33% as at end-March 2016. The Bank's CASA deposits as well as Retail Term Deposits both grew by over 22% during the year. Also, the share of CASA deposits and Retail Term Deposits increased

IDBI to target loan recoveries

ABHIJIT LELE
Mumbai, 26 May

Reeling under a pile of bad loans, ailing public sector lender IDBI Bank has formed a division to coordinate recovery on stressed loans, especially the big accounts.

The Mumbai-based lender says it aims to recover and upgrade at least ₹5,000 crore of such debt in the current financial year, ending March 2018.

To control cost, it will also curb staff hiring for at least a year and reduce outsourcing. And, shift back-office functions located in prime premises. A plan on these is being finalised.

Loan recovery at present, Managing Director and Chief Executive M K Jain told this newspaper, is scattered across the corporate, SME (small and medium enterprises) and retail (to individuals) functions. Now, one division ("vertical") will handle this, for focused and timely action. Prevention of further

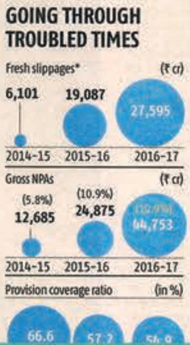

IDBI Bank seeks to sell Rs5,000 crore of non-core assets

BY SAHIB SHARMA
sahib.s@livemint.com

MUMBAI

Announcement comes less than a month after RBI invoked corrective action over rising NPAs

IDBI Bank Ltd said on Friday that it would sell Rs5,000 crore of non-core assets this fiscal year as it seeks to reinforce capital, less than a month after the central bank invoked its so-called prompt corrective action because of its rising bad loans and negative return on assets.

"We have formed a committee under the chairmanship of the deputy managing director to work around right valuations. We are expecting in this financial year to mobilize around Rs5,000 crore," Manoj Kumar Jain, managing director and chief executive officer of IDBI Bank, said in a call with analysts.

The bank received a Rs1,900 crore injection in March from the government. IDBI Bank's board on 30 May approved a proposal to raise Rs10,000 crore equally through a sale of equity and rupee bonds.

aims to aggressively chase loan recovery and prevent slippages, improve its capital adequacy ratio, increase its retail and priority sector lending base and reduce operational costs.

Slippages (new loans turning bad) in fiscal year 2016-17 reached Rs27,575 crore and the management believes that in the current fiscal year, it will be no more than half that level.

Gross NPAs or bad loans jumped by 80% to Rs44,752.59 crore in the quarter ended March from

IDBI to shore up capital

KOLKATA: IDBI Bank has crafted a comprehensive turnaround strategy, with a focus on augmenting its capital base and recovery from NPAs. Dr. S.S. Banerjee, Executive Director, IDBI Bank, while unveiling the strategy stated "Aggressive recovery and prevention of further slippages is a priority area for IDBI Bank. Given the stress in the corporate sector, the Bank will restrict growth in the corporate loan book and focus on increasing retail and priority sector asset base. This will help the Bank to reduce risk weighted assets and improve CAR in the short term." Krishnendu Banerjee, Chief General Manager and Zonal Head of West Bengal, Bihar and the North-East, added "We affirm that the basic operations of the Bank, as borne out by a seven fold rise in operating profit in Q4 of FY '17 over Q3, among others, remain robust. The virtual confluence of other factors and continued Government support and trust in the Bank's intrinsic business viability as its largest shareholder (88% equity share along with quasi-Government LIC) and the turnaround strategy adopted by the Bank with a pronounced accent on a 'capital-light' business model and pruning of operating cost, will stand IDBI Bank in good stead and help it regain its vitality and privileged standing of yore in' the emerging domestic banking system."

आईडीबीआई बैंक ने लांच किया विनिंग रूपे सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड

मुंबई, 16 जून, 2017रू आईडीबीआई बैंक ने विनिंग रूपे सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की जो यात्रा, शॉपिंग और खाने जैसे विशेषाधिकार की एक श्रृंखला प्रदान करती है. यह हर खर्च पर पुरस्कार अंक पाने में सक्षम बनाती है. ये क्रेडिट कार्ड भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के सहयोग से लांच किया गया है. यह उत्पाद वीजा और मास्टरकार्ड द्वारा प्रदान किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के समान है.

विनिंग रूपे सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड एक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड संस्करण है और इंटरनेशनल कार्ड नेटवर्क के प्रीमियम कार्ड वेरिएंट्स के बराबर है, जैसे वीसा सिग्नेचर और मास्टरकार्ड वर्ल्ड.

IDBI Bank supports NHM to launch bike ambulance service in Mumbai

IDBI Bank, as part of its CSR initiative, has extended financial assistance to National Health Mission (NHM), Government of Maharashtra for bike ambulances to provide rapid emergency services. The service was launched by Hon'ble Chief Minister of Maharashtra Shri Devendra Fadnavis, in presence of Dr. Deepak Sawant, Minister for Public Health and Family Welfare of Maharashtra (2nd from left), Shri Uddhav Thackeray, Shiv Sena Chief (3rd from Left) and Shri K P Nair, DMD, IDBI Bank (1st from Left)

IDBI BANK

वार्षिक रिपोर्ट 2017 - 18
Annual Report 2017 - 18

IDBI BANK

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय:
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड, मुंबई - 400005
टोल फ्री नं.: 1800-22-1070 / 1800-200-1947.
गैर-टोल फ्री नं.: 022-66937000.

IDBI Bank Limited
Regd. Office:
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade, Mumbai - 400005
Toll Free Nos.: 1800-22-1070 / 1800-200-1947.
Non-Toll Free No.: 022-66937000.

www.idbi.com @idbi_bank /IDBIBank YouTube/idbibank /idbibank

CIN - L65190MH2004GOI148838